इस्लामी

अख़लाक़-ओ-आदाब

(बहारे शरीअत हिस्सा 16)

मुसन्निफ़
सदरुश्शरीआ मौलाना
अमजद अली आज़मी
रज़वी अलैहिर्रहमह

आलाहज़रत दारुल कुतुब
इस्लामिया मार्किट, बरेली शरीफ

जीलानी बुक डिपो
1229, चूड़ीवालान, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

842 अहादीसे करीमा और फ़िक्हे इस्लामी
से अख़्ज़ किये हुए आदाब व मसाइल

इस्लामी
अख़लाक़-ओ-आदाब

(बहारे शरीअत हिस्सा 16)

मुसन्निफ़

सदरुश शरीआ़ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह

जदीद तरतीब

मौलवी मुहम्मद अहमद मिस्बाही
M.Sc., CAIIB

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अहमद उर्फ़ मुहम्मद महताब अली

नाशिर

आलाहज़रत दारुल कुतुब
28, इस्लामिया मार्केट, बरेली शरीफ़

जीलानी बुक डिपो

1229, Churi Walan, Jama Masjid, Delhi-110006
Mobile: 011-23256577, 9350046577, 9212346577
Email: jilani.book.depot@gmail.com

नाम किताब : इस्लामी अख़्लाक़-ओ-आदाब

मुसन्निफ़ : सदरुश शरीआ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह

जदीद तरतीब : मौलाना मुहम्मद अह़मद मिस्बाही

हिन्दी तर्जमा : मुहम्मद अह़मद उर्फ़ मुहम्मद महताब अली

तसहीह : मौलाना अमीनुल क़ादिरी साहब

तादाद : 1100

मिलने का पता : आलाहज़रत दारुल कुतुब
28, इस्लामिया मार्केट, बरेली शरीफ़

नाशिर
जीलानी बुक डिपो
1229, Churi Walan, Jama Masjid, Delhi-110006
Mobile: 011-23256577, 9350046577, 9212346577
Email: jilani.book.depot@gmail.com

फ़ेहरिस्त

पेशे लफ्ज़

बहुत अर्से से मतन्ना थी कि बहारे शरीअत का सोलहवाँ हिस्सा हिन्दी में शाय किया जाए लेकिन कुछ मस्रूफ़ियात और कम इल्मी की वजह से यह काम अन्जाम न दे सका। बहारे शरीअत के सोलहवें हिस्से को जब मैंने जनाब हज़रत मौलाना मुहम्मद अहमद मिस्बाही साहब की नई तरतीब में देखा तो यह काम बहुत आसान लगा और हिम्मत करके शुरू कर दिया और आज अल्लाह तआला के फ़ज़्ल ओ करम और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और दीगर बुज़ुर्गाने दीन बिलख़ुसूस हुज़ूर पीराने पीर दस्तगीर शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी, सरकारे आलाहज़रत मुजद्दिदे आज़म और मेरे मुर्शिदे कामिल हुज़ूर मुफ़्तीए आज़मे हिन्द हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हुम के फ़ैज़ से यह किताब आपके हाथों में है।

हालांकि हज़रत मिस्बाही साहब की तरतीब ने बहारे शरीअत के इस हिस्से को हद दर्जा आसान कर दिया है फिर भी इतना असान नहीं कि हिन्दीदाँ आसानी से समझ सकें। हमने हिन्दी करते वक़्त उर्दू के अलफ़ाज़ों को ख़त्म न करके ब्रेकिट में जगह जगह मअनी दिए हैं और आख़िर में भी आपकी आसानी के लिए एक लुग़त लगाई है लेकिन उसके बाद भी यह लगता है कि सारे मसाइल आसानी से समझ में आने वाले नहीं हैं। उसकी कई वजहें हैं जैसे मसाइल से जुड़े हुए दूसरे मसाइल का मालूम न होना, उर्दू के दक़ीक़ अलफ़ाज़ जिनकी जगह हिन्दी के अलफ़ाज़ जिनका बदल पेश नहीं किया जा सकता और .कुरआन व हदीस का बयान करने का अपना एक अलग अन्दाज़ वग़ैरा। न समझ में आने की एक वजह यह भी बताई जा सकती है कि आजकल हमारी नई पौध उलमा से दूर होती जा रही है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो देखकर या सुनकर जितनी आसानी से समझी जा सकती हैं पढ़कर नहीं। ख़ैर फिर भी हमारी कोशिश है कि मसाइल को समझाया जाए। अब हम इस कोशिश में कितने कामयाब हैं यह तो हमसे ज़्यादा आप बेहतर बता सकेंगे। उम्मीद है कि आप हमें इस किताब के पढ़ने में आने वाली परेशानियों से ज़रूर आगाह करेंगे और इसके अलावा जहाँ कहीं कोई ग़ल्ती

नज़र आए उसके बारे में बराए मेहरबानी लिखें ताकि उसे अगले एडीशन में ठीक किया जा सके।

इसके बाद भी अगर आप परेशानी महसूस करें तो किसी अच्छे आलिम से मसाइल की मालूमात करें इन्शाअल्लाह तआला मसाइल ठीक तरह से समझ आ जायेंगे।

तर्जमा करते वक़्त हमने .कुरआन और हदीस के अलफ़ाज़ को ज्यूँ का त्यूँ रखा है। मसाइल को थोड़ा और आसान करने की एक कोशिश की है, उम्मीद है कि मसाइल समझ आ जायेंगे। इस बार हमने लुग़त के साथ साथ कुछ परिभाषायें भी दी हैं मसाइल को समझने के लिए जिनका जानना बेहद ज़रूरी है। मसाइल को समझने के लिए आपको यह परिभाषायें याद होना बहुत ज़रूरी हैं। लिहाज़ा पहले इन परिभाषाओं को समझ लीजिए और याद कर लीजिए और न समझ में आयें तो किसी आलिम से समझ लीजिए तब इन्शाअल्लाह तआला उम्मीद है कि मसाइल आपको ज़रूर समझ में आयेंगे।

इस किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ के तलफ़्फ़ुज़ और लफ़्ज़ी मअनी के हल करने में सदरुश शरिआ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के छोटे साहबज़ादे हज़रत मौलाना बहाउल मुस्तफ़ा साहब ने मेरी बहुत मदद की। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तआला उनको इसका अज़ीम अज्र अता फ़रमाए।

आख़िर में पढ़ने वालों से गुज़ारिश है कि इस किताब के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि बहारे शरीअत के शुरू के कुछ हिस्सों को इसी अन्दाज़ से पेश किया जाए और मेरे लिए दुआ करें कि आगे का काम इसी तरह बल्कि इससे अच्छे अन्दाज़ में हो और अल्लाह तआला इसे क़बूल फ़रमाए।

मुहम्मद अहमद
रबीउस्सानी 1420 हिजरी

तआरुफ़े मुसन्निफ़

विलादत : सदरुश शरिआ अल्लामा अबुल उला मुहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा की पैदाइश मश्रिक़ी यू. पी. के मशहूर क़स्बा घोसी ज़िला आज़मगढ़ में 1296 हिजरी मुताबिक़ 1876 ई. में हुई।

सिसिलए नसब : अल्लामा शाह मुहम्मद अमजद अली आज़मी इब्ने हकीम मौलाना जमाल उद्दीन इब्ने मौलाना ख़ुदा बख़्श इब्ने मौलाना ख़ैरुद्दीन अलैहिर्रहमा।

ख़ानदान : सदरुश शरिआ अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा का घराना इल्मी घराना था। आपके आबा-ओ-अजदाद अहले इल्म-ओ-फ़ज़्ल थे। आपके वालिद हज़रत मौलाना हकीम जमाल उद्दीन साहब उलूमे ज़ाहिरी की तकमील के बाद तबाबत (हिकमत का पेशा) किया करते थे। आपके दादा मौलाना खुदा बख़्श साहब जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो मदीनए मुनव्वरा में 'शैख़ुद्दलाइल' से दलाइलुल ख़ैरात शरीफ़ की इजाज़त हासिल की। यह साहिबे करामत बुज़ुर्ग थे।

तहसीले इल्म : बिल्कुल इब्तेदाई तालीम अपने दादा मौलाना ख़ुदा बख़्श साहब से हासिल की। उनके विसाल के बाद मौलवी इलाही बख़्श साहब जो घोसी ही के मदरसे में मुदर्रिस थे, से पढ़ा। फिर उसके बाद हिजरी 1314 में मदरसा हनफ़िया जौनपुर में तालीम हासिल की। इस मदरसे में मौलाना मुहम्मद सिद्दीक़ साहब और मौलाना सय्यद हादी हसन साहब अलैहिर्रहमा से कुछ दिनों तक पढ़ा। कुछ अर्से के बाद तहरीके आज़ादी हिन्द के अज़ीम मुजाहिद और अपने वक़्त के ज़बर्दस्त आलिम अल्लामा फ़ज़्ले हक़ ख़ैराबादी के शागिर्द हज़रत मौलाना हिदायत उल्लाह रामपुरी से फ़ैज़ हासिल किया। दिन में आप उनसे सबक़ लेते और रात में उनकी ख़िदमत के लिए हाज़िर हो जाते लेकिन यह ख़िदमत बड़ी बाबरकत हुआ करती। सदरुश शरीआ और उनके बाज़ साथी उस्ताज़ के पैर दबाते और वह सबक़ के मुतअल्लिक़ पूछताछ जारी रखते। थोड़ी देर में तमाम सबक़ दोहरा लिया जाता। सदरुश शरिआ का जौहरे इल्म निखरता गया। बाद में आप अपने उस्ताज़ के मशवरे के मुताबिक़ पीलीभीत हाज़िर हुए जहाँ हाफ़िज़ुल हदीस अल्लामा वसी अहमद सूरती अलैहिर्रहमा से दर्से हदीस लिया। अल्लामा वसी अहमद सूरती अलैहिर्रहमा फ़रमाया करते थे कि मुझ से अगर किसी ने पढ़ा तो अमजद अली ने। हिजरी 1320 मुताबिक़ सन् 1905 में आप फ़ारिग़ हो गये।

तदरीस : इल्म से फ़ारिग़ होने के बाद सबसे पहले आप मदरसा अहले सुन्नत पटना बिहार में सदर मुदर्रिस हुए। रईसे पटना के इन्तेक़ाल के कुछ अर्से बाद आप वहाँ से लखनऊ आ गये और इल्मे तिब हासिल किया। इल्मे तिब के मुकम्मल होने के बाद आप अपने वतन आये और अपना मतब शुरू किया जो बहुत कामयाबी के साथ चलने लगा। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जब यह मालूम हुआ तो आप को बड़ा रंज हुआ। जब सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा पीलीभीत से बरेली शरीफ़ जाने लगे तो मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा ने अपने ख़त में आलाहज़रत .कुद्दिसा सिर्रुहू से हज़रत सदरुश शरिआ को ख़िदमते इल्मे दीन की तरफ़ मुतावज्जेह कराने की गुज़ारिश की। आलाहज़रत को एक बासलाहियत आलिमे दीन की ज़रूरत थी। मुहद्दिस सूरती ने लिखा मैं आपकी ख़िदमत में एक दुर्रे नायाब को भेज रहा हूँ। जब सदरुश शरिआ आलाहज़रत के पास ख़त लेकर गये तो आलाहज़रत ने एक अरबी इबारत लिखवाई और उर्दू में उसका तर्जमा करने को कहा। सदरुश शरिआ ने बैठे ही बैठे उस इबारत का तर्जमा कर दिया। आलाहज़रत कभी तर्जमे पर नज़र फ़रमाते कभी सदरुश शरिआ की तरफ़ देखते। कुछ देर बाद सदरुश शरिआ बरेली शरीफ़ से वापस हो गये। कुछ दिन बाद आलाहज़रत ने मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा के नाम ख़त में लिखा कि आपका दुर्रे नायाब कहाँ चला गया।

यह वाक़या कुछ इस तरह भी है कि आप जब आलाहज़रत की ख़िदमत में मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा का ख़त लेकर पहुँचे तो आलाहज़रत ने फ़रमाया कि हिकमत एक अच्छा काम है मगर इसमें सुबह सवेरे क़ारूरा देखना पड़ता है और इस इरशाद में जो रूहानी तासीर थी सदरुश शरिआ के दिल में उसका गहरा असर हुआ। चुनांचे मतब छोड़ कर बरेली शरीफ़ में दीनी कामों में मसरूफ़ हो गये और चन्द महीने के अन्दर आलाहज़रत ने सदरुश शरिआ के लिए मुस्तक़िल इन्तेज़ाम फ़रमा दिया। मदरसा मन्ज़रे इस्लाम के तालीमी काम की ज़िम्मेदारी, अन्जुमन अहले सुन्नत की निज़ामत, प्रेस की ज़िम्मेदारी, किताबत की तसहीह, फ़तावों के जवाब वग़ैरा जैसे अहम काम आपके सुपुर्द थे। आपकी इल्मी लियाक़त की वजह से आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहिर्रहमा आपको बहुत क़द्र की निगाह से देखते थे और आप पर बड़ा एतिमाद फ़रमाते थे। दारुल उलूम मुईनिया अजमेर शरीफ़ में सदर मुदर्रिस की जगह ख़ाली हुई उस वक़्त सदरुश शरिआ मन्ज़रे इस्लाम में सदर मुदर्रिस थे। आपको भेजने के लिए हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ाँ अलैहिर्रहमा (आलाहज़रत के बड़े साहबज़ादे)

राज़ी न हुए लेकिन अल्लामा सुलैमान अशरफ़ अ़लैहिर्रह़मा के बेहद इसरार पर आपको अजमेर शरीफ़ जाना पड़ा। तक़रीबन आठ साल तक आप वहाँ रहे। दारुल उलूम मुईनिया के मोहतमिम से इख़्तिलाफ़ की बिना पर आप वहाँ से वापस बरेली आ गये और तीन साल तक तदरीस और इफ़्ता की ख़िदमत अन्जाम दी। हिजरी 1356 में नवाब ग़ुलाम मुहम्मद शेरवानी रईस रियासत दादूँ अलीगढ़ ने आपको अपने मदरसा हाफ़िज़िया सईदिया के लिए सदर मुदर्रिस के ओहदे की पेशकश की। आपने क़बूल फ़रमाई और वहाँ मुसलसल सात साल तक बड़ी लगन से तदरीसी काम अन्जाम दिया। हिजरी 1363 में मदरसा मज़हरुल उलूम बनारस में एक साल तक दर्स दिया इसके बाद फिर मन्ज़रे इस्लाम बरेली शरीफ़ में तदरीस का काम अन्जाम दिया।

आपको पढ़ाने का बहुत शौक़ था दरसी किताबों के अलावा भी आप तालिब इल्मों को दूसरे .फुनून की किताबें भी पढ़ाया करते। ख़ाली वक़्त में भी कोई आपसे कुछ पढ़ना चाहता तो उसे वक़्त देते। दर्स का कभी नाग़ा न करते और सख़्त बुख़ार की हालत में भी मदरसे तशरीफ़ लाते।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ज़दीद निज़ामे तालीम तरतीब देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें आपको भी शामिल किया गया था।

<u>फ़क़ाहत</u> : आपने जिस हस्ती की सरपरस्ती में फ़क़ाहत की ख़िदमत अन्जाम दी उसकी फ़क़ाहत को अपने और ग़ैरों सभी ने तस्लीम किया है और वह हस्ती हैं आलाहज़रत मुजद्दिदे दीन -ओ- मिल्लत शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ाँ अ़लैहिर्रह़मा। इसी से आपकी फ़िक़्ही क़ाबलियत का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। आलाहज़रत आप पर बहुत एतेमाद करते थे और आपसे बहुत महब्बत करते थे और आलाहज़रत ने ही आपको "सदरुश शरिआ" का लक़ब दिया था।

आपकी इसी ख़ूबी की बिना पर आलाहज़रत ने आपको पूरे मुल्क का क़ाज़ी मुक़र्रर किया जिसका वाक़या कुछ इस तरह है कि शाबान 1339 में नवाब सुल्तान अह़मद साहब ने आलाहज़रत .क़ुद्दिसा सिर्रुहू से अ़र्ज़ किया कि हिन्दुस्तान को अंग्रेज़ों की हुकूमत से नजात मिलने के बाद क़ाज़ीए शरा का तक़र्रुर कैसे होगा? आलाहज़रत ने फ़रमाया मुल्क की आज़ादी के बाद इस मसअले पर ग़ौर करूँगा। इस गुफ़्तगू के कुछ ही दिन बाद आलाहज़रत ने बैठक में सुबह से ख़ास तौर पर इन्तिज़ाम कराये। फ़रमाया अंग्रेज़ों के तसल्लुत से मुल्क आज़ाद होगा। जम्हूरी बुनियाद पर इस मुल्क की हुकूमत का क़ियाम अमल में आयेगा मगर मुल्क में क़ाज़ीए शरा और मुफ़्तीए शरा

के तक़र्रुर के लिये इस्लामी शरई क़ानून की बुनियाद की सख़्त ज़रूरत पड़ेगी। लिहाज़ा मैं आज ही इसकी शुरुआत करता हूँ ताकि यह सिलसिला जारी रहे और आज़ादी के बाद किसी को दुशवारी का सामना न करना पड़े। फिर इरशाद फ़रमाया :-

''आज मैं पूरे मुल्क हिन्दुस्तान के लिए मौलाना अमजद अली आज़मी को क़ाज़ीए शरा मुक़र्रर करता हूँ।''

फिर उनका हाथ पकड़ कर मख़सूस कुर्सी पर बैठाया और दुआ दी बुरहाने मिल्लत मुफ़्ती बुरहानुल हक़ और मुफ़्तीए आज़मे हिन्द अल्लामा शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हुम को दारुल-क़ज़ा के लिए मुफ़्ती और मुआविने क़ाज़ी मुक़र्रर किया।

तसनीफ़ात :- मशहूर तसानीफ़ में आपकी तसानीफ़ यह हैं :-

१. बहारे शरीअत सत्रह जिल्दें।

२. फ़तावा अमजदिया चार जिल्दें।

३. हाशिया तहताविया शरीफ़ अरबी।

४. क़ामेउल वाहियात मिन जामेइल जुज़यात अरबी।

५. अलतहक़ीक़ुल कामिल फ़ी हुक्मे .क़ुनूतिन नवाज़िल।

६. इतमामे हुज्जते ताम्मा।

७. इस्लामी क़ाएदा (बातस्वीर गै़र जानदार)

मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि बहारे शरीअत के तआरुफ़ में कुछ अलफ़ाज़ लिखे जायें :-

बहारे शरीअत

यह किताब फ़िक़्ही मसाइल पर मुश्तमिल सत्रह जिल्दों में है। इसमें सदरुश शरिआ ने अक़ाइद से लेकर मुआमलात तक के ज़रूरी मसाइल को इकट्ठा कर दिया है। यह किताब उर्दू ज़बान में है और आसान और सहल ज़बान में है। बहारे शरीअत की शक्ल में सदरुश शरिआ का मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है और यह इस्लामी निज़ाम का तर्जमान है। ज़िन्दगी के हर शोबए रहनुमाई के लिए फ़िक़ही इन्साईकलोपीडिया है। इस किताब के हर बाब में उससे मुतअल्लिक़ आयात फिर अहादीस हैं और फिर मसाइल हैं साथ में जहाँ से मसाइल लिये गये हैं उस किताब का हवाला भी मौजूद है। हिन्दुस्तानी माहौल के लिहाज़ से भी यह किताब इतनी ख़ूबियाँ रखती है

कि जिसकी तारीफ़ के लिए अलफ़ाज़ नहीं मिलते। सदरुश शरिआ ने अपनी तमाम मसरूफ़ियात से वक़्त निकाल कर इस बहुत बड़े काम को अन्जाम दिया। इस किताब का ज़्यादातर काम आपने रमज़ान में किया। बहारे शरीअत के शुरू के छ: हिस्से आलाहज़रत को सुनाए गए थे बाज़ हिस्सों पर आलाहज़रत की तहरीरी तसदीक़ भी है। आलाहज़रत ने अपनी तसदीक़ी तहरीर में इस किताब की बहुत ही अच्छे अलफ़ाज़ में तारीफ़ की है।

फ़तावा आलमगीरी को पाँच सौ चुने हुए आलिमों ने मुरत्तब किया था। इन पाँच सौ आलिमों की आलमगीर अ़लैहिर्रहमा बहुत ताज़ीम फ़रमाते और उनमें से जब कोई आलिम आता तो आप खड़े हो जाते थे। सदरुश शरिआ ने तन्हा इस काम को अन्जाम दिया और उर्दू ज़ुबान में बहुत आसान करके पेश किया। सदरुश शरिआ फ़रमाया करते थे कि "औरंगज़ेब अ़लैहिर्रहमा होते और मेरी यह ख़िदमत देखते तो मुझे सोने मे तोलते।"

देवबन्दियों वहाबियों ने भी इस किताब की अज़मत और अहमियत का एतिराफ़ किया है। बाज़ तज़किरा निगारों ने तअस्सुब से काम लिया है और किताब के तआरुफ़ में सच और झूट मिलाया है मगर सदरुश शरिआ की इल्मी जलालत का उन्हें भी एतिराफ़ है। तज़किरा उलमा अलीगढ़ के मुअल्लिफ़ देवबन्दी मकतबए फ़िक्र के हैं वह लिखते हैं :-

"इस किताब (बहारे शरीअत) में मौलाना अमजद अली ने मसलके बरेलवी के जुमला अक़ीदों को बड़ी ख़ूबी से जमा कर दिया है। यह किताब जमाअते बरेलवी में बड़ी मक़बूल हुई और इसका जमाअत की बुनियादी किताबों में शुमार है। किताब के मुताले से मौलाना के तबह्हुरे इल्मी और फ़िक़्ही बसीरत का पता चलता है। यह एक मोअतबर और मुस्तनद किताब है जो अवाम व ख़वास ख़ुसूसन अरबाबे इफ़्ता के लिए एक बेशक़ीमती ख़ज़ाना है।"

यह किताब सत्रह जिल्दों में है मगर सदरुश शरिआ का इरादा बीस जिल्दें लिखने का था लेकिन उम्र ने वफ़ा न की लिहाज़ा वसीयत कर गए थे कि मेरे लड़कों या शागिर्दों में से कोई इसको पूरा कर दे। अलहम्दुलिल्लाह आपकी वसीयत के मुताबिक़ अब इसकी बीस जिल्दें मुकम्मल हो चुकी हैं।

<u>कंज़ुल ईमान और सदरुश शरिआ</u> : आलाहज़रत के किए हुए कुरआन के तर्जमे का नाम कंज़ुल ईमान है। इस तर्जमे को आलाहज़रत से कराना भी सदरुश शरिआ ही की मेहनत का फल है। आपने न सिर्फ़ इस तर्जमे के

करने की आलाहज़रत से गुज़ारिश की बल्कि इसरार भी किया। आलाहज़रत ने वादा फ़रमाया मगर मसरूफ़ियत की वजह से काम नहीं हो पा रहा था। आलाहज़रत ने रात को सोते वक़्त या क़ैलूला का वक़्त इस काम के लिए तय फ़रमाया। हज़रत सदरुश शरिआ वक़्त पर क़लम और दवात लेकर हाज़िर हो जाते। सदरुश शरिआ इमला करते और बाद में तफ़ासीर की किताबों से मुक़ाबला फ़रमाते। रात के बारह बारह बज जाते बाज़ वक़्त रात के दो भी बज जाते थे, तीन सौ पैतीस दिन में यह काम पूरा हुआ। यहाँ से यह बात साबित होती है कि सदरुश शरिआ को तफ़सीर पर कितना उबूर हासिल था और आपको .क़ुरआन से कितना लगाव था।

मुनाज़रा : बहुत से ऐसे मौक़े आए कि आलाहज़रत ने सदरुश शरिआ को मुनाज़रे के लिए भेजा। आलाहज़रत आप पर बहुत इत्मिनान फ़रमाते थे। आपके सामने वहाबियों को राहे फ़रार ही इख़्तेयार करते बनती थी।

वाज़ व तक़रीर : हज़रत सदरुश शरिआ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मशग़ला अगर्चे तदरीस और इफ़्ता था लेकिन कभी कभी बवक़्ते ज़रूरत वाज़ फ़रमाया करते थे। आपकी तक़रीर में लफ़्फ़ाज़ी न होकर एक बेहतरीन इल्मी तक़रीर होती थी। बारहा देखा गया कि आलाहज़रत तशरीफ़ फ़रमा होते और आप वाज़ फ़रमाते बल्कि आलाहज़रत आपको वाज़ के लिए आगे बढ़ाया करते थे। आलाहज़रत के सामने बड़ों-बड़ों की वाज़ कहने की हिम्मत नहीं होती थी मगर आलाहज़रत के सामने आप घंटो तक़रीर फ़रमाया करते थे।

तबलीग़ : यूँ तो हज़रत सदरुश शरिआ अलैहिर्रहमा हमेशा ही मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ से तबलीग़ से जुड़े रहे मगर आपने बाक़ायदा तौर पर तबलीग़ फ़रमाई। चुनांचे अजमेर शरीफ़ के .क़ुर्बो जवार में राजपूत क़ौम के अन्दर फैली मुशरिकाना आदतें आप और आपके तलबा की वजह से ख़त्म हुईं। पृथ्वीराज की औलाद अगर्चे मुसलमान हो चुकी थी लेकिन वो फ़राइज़ व वाजिबात से नावाकिफ़ थी और उनमें मुशरिकाना रस्में पायी जाती थीं मगर आपके और आपके शार्गिदों की तबलीग़ से उन पर अच्छा असर पड़ा और वह मुशरिक़ाना रस्मों से तौबा करके ईमान के रास्ते पर चलने लगे। इसके अलावा इर्द गिर्द के इलाक़े में आप और आपके शागिर्दों की तबलीग़ी सरगर्मियाँ जारी रहीं और मज़हबे अहले सुन्नत की इशाअत और वहाबियों, मिर्ज़ाइयों, क़ादियानियों वग़ैरा का रद्द आप बराबर किया करते थे। ख़ास

तौर पर आपकी तबलीग़ बसराबाद, बियावर, लाडनू, जयपुर, जोधपुर, पाली मारवाड़ और चित्तौड़ में रही। आप जब भी कभी किसी को कोई ख़िलाफ़े शरा काम करते देखते तो प्यार से उसे नसीहत फ़रमा कर तबलीग़ करते।

<u>इशाअते कुतुब</u> : आपने इशाअत के सिलसिले में भी काफ़ी काम किया है तक़रीबन बत्तीस रसाएल आपकी निगरानी में छपे जिनमें फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल और दोवुम जैसी ज़ख़ीम किताबें भी शामिल हैं। आपको आलाहज़रत की किताबें छपवाने का बहुत शौक़ था, कहा जाता है कि कभी-कभी आपकी तनख़्वाह का काफ़ी हिस्सा इसमें ख़र्च हो जाता।

<u>अख़लाक़, सीरत व तक़वा</u> : हक़ीक़त में आलिमे दीन वही है जो बाअमल हो। हज़रत सदरुश शरिआ अलैहिर्रहमा एक बाअमल आलिमे दीन थे। आप इल्मे ज़ाहिर और बातिनी दोनों के संगम थे। इल्मे ज़ाहिर में सरगर्म रहने की वजह से लोगों पर आपका बातनी कमाल ज़्यादा ज़ाहिर न हो सका लेकिन जिन लोगों ने आपको क़रीब से देखा आपके तक़वे और परहेज़गारी के शैदाई हो गये। इबादत हो या मुआमलात, हुक़ूकुल इबाद हो या हुक़ूकुल्लाह, सब को शरीअत के मुताबिक़ अदा करते जिनकी तफ़सील कुछ इस तरह है :-

नमाज़े बाजमाअत पर सख़्ती से कारबन्द रहते, मस्जिद क़रीब हो या दूर मस्जिद में ही जमाअत से नमाज़ अदा फ़रमाते अगर मुअज़्ज़िन देर से पहुँचता तो आप ख़ुद ही अज़ान देते। आखीर उम्र में जब आपकी नज़र कमज़ोर हो गयी तो उस वक़्त भी आप नमाज़े बा-जमाअत की पाबन्दी फ़रमाते थे। एक मर्तबा तो आप नमाज़ को जाते वक़्त एक कुँए में गिरते-गिरते बचे लेकिन नमाज़े बा-जमाअत की आदत न छोड़ी। नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम अगर ग़लत तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाता तो आप किसी सही पढ़ने वाले को दोबारा नमाज़ का हुक्म देते या खुद नमाज़ पढ़ाते। सफ़र और शदीद बीमारी की हालत में आप नमाज़ नहीं छोड़ते। अजमेर शरीफ़ में एक मर्तबा आप पर ग़शी तारी हो गई अस्र के वक़्त इफ़ाक़ा हुआ तो यह मालूम हो-जाने के बाद कि ज़ोहर का वक़्त निकल चुका है रोने लगे आँखों से आँसू जारी हो गये। हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर ग़शी की हालत में तो शरई मुवाख़ज़ा नहीं होता। फ़रमाया एक वक़्त तो अल्लाह तआला की बारगाह की हाज़िरी से महरूम रहा।

सुबह सवेरे बेदार होते, नमाज़े फ़ज्र अदा करने के बाद बिला नाग़ा क़ुरआन मजीद की तिलावत करते, शजरए तय्यबा का विर्द करते और कुछ दूसरे वज़ाइफ़ करते, खुसूसियत के साथ एक हिज़्ब दलाइलुल ख़ैरात

शरीफ़ पढ़ते, हर जुमे को नमाज़ के बाद सौ बार दुरूदे रज़विया पढ़ते, नमाज़े ज़ोहर के बाद भी दुरूदे रज़विया न छोड़ते और सफ़र में भी दुरूद न छोड़ते। नमाज़ से शुग़फ़ (दिल से महब्बत होना) का यह आलम था कि बड़े साहबज़ादे मौलाना हकीम शमसुलहुदा का जब इन्तेक़ाल हुआ उस वक़्त आप नमाज़े तरावीह अदा कर रहे थे। आपको इत्तेला दी गई तशरीफ़ लाये "इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन" पढ़ा फिर यह कह कर नमाज़ में मशग़ूल हो गये कि अभी आठ रकअत तरावीह बाक़ी हैं। रोज़े पर पाबन्दी का यह हाल था कि आप मर्ज़ में मुब्तला होते जब भी रोज़ा क़ज़ा न करते। पूरी पाबन्दी से हर साल ज़कात अदा फ़रमाते। हज भी आप ने कई बार किया आख़िरी बार हज के इरादे से निकले तो रास्ते में ही माबूदे हक़ीक़ी से जा मिले। हुक़ूक़ुल इबाद का ख़ास ख़याल रखते कभी किसी का दिल न दुखाते, किसी की ग़ीबत न करते मेहमानों की बड़ी ख़ातिर मदारात करते, मेहमानों के खाने पीने उठने बैठने का पूरा ख़्याल रखते। बड़ों का अदब करते और छोटों पर शफ़क़त फ़रमाते लोगों की ख़ता व .क़ुसूर को माफ़ फ़रमा देते। ज़ाहिर -ओ- बातिन क़ौल व फ़ेल और ख़लवत व जलवत में आप यकसाँ थे। अकले हलाल का बहुत ख़याल फ़रमाते झूट से बहुत परहेज़ फ़रमाते। सादग़ी के बावुजूद आपके चहरे पर रोब था। हुस्ने अख़लाक़, सब्र -ओ- शुक्र, तवक्कुल -ओ- क़नाअत व ख़ुद्दारी आपकी आदतें थीं।

सुन्नतों की बहुत पाबन्दी फ़रमाते यही वजह है कि आलाहज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपनी बैअत लेने का वकील बनाया था। आलाहज़रत ने अपनी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने की वसीयत भी आपके लिए की थी। वसीयत के अलफ़ाज़ यह हैं :-

"हामिद रज़ा ख़ाँ वह दुआयें कि फ़तावा में लिखी हैं ख़ूब अज़बर (हिफ़्ज़) कर लें तो नमाज़े जनाज़ा पढ़ायें वरना मौलवी अमजद अली।"

इश्के रसूल और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से महब्बत की एक दलील यह है कि एक मर्तबा हज से फ़राग़त के बाद जब आप मदीने शरीफ़ हाज़िरी को गए तो शरीफ़े मक्का ने ख़ुसूसी सनद की बिना पर रात को मस्जिदे नब्वी शरीफ़ के अन्दर आपको रहने की इजाज़त अता फ़रमाई। आप रात में मस्जिदे नब्वी में रहते। ख़ुद्दाम ने आपको रौज़ए अतहर तक जाने की इजाज़त अता फ़रमाई थी मगर आप अदब की वजह से अन्दर हाज़िर न हुए।

साल में एक बार अपने ख़र्च से एक महफ़िल मीलादे पाक ज़रूर करवाते और जब नाते रसूल सुनते तो आँखों से अकसर आंसू जारी हो जाते। ग़र्ज़ यह कि आप सच्चे आशिक़े रसूल और सुन्नतों की पैरवी करने वाले थे।

<u>सफ़रे आख़िरत</u> : हज़रत सदरुश शरिआ अलैहिर्रहमा 1337 हिजरी मुताबिक़ 1922 ई. में पहली मरतबा हज व ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन की सआदत से मुशर्रफ़ हुए। दूसरी या तीसरी बार अपनी अहलिया मुहतरमा के साथ हज व ज़ियारत के इरादे से 26 शव्वाल 1367 हिजरी को घोसी से रवाना हुए। रवानगी से क़ब्ल और रवानगी के बाद के हालात बड़े रिक़्क़त-अंगेज़ हैं :-

हज़रत सदरुश शरिआ के सीने में इश्क़े रसूल की जो क़िन्दील रोशन थी वह इस सफ़रे हरमैन बल्कि सफ़रे आख़िरत में और ज़्यादा शोला ज़न हो गई। नात पढ़वाते और मुर्ग़े बिस्मिल की तरह तड़पते और नात सुन सुन कर मचल जाते, आँखों से आंसू जारी रहते। अपने सैकड़ों चाहने वालों के साथ आप घोसी के स्टेशन पर पहुँचे और स्टेशन पर विदाई तक़रीर फ़रमाई जो बड़ी ही दर्दअंगेज़ थी फिर गाड़ी आई और हज़रत रवाना हो गए। घर से रवानगी के वक़्त से ही तबीयत अलील थी। रास्ते में सख़्त बारिश हो गई। हज़रत सदरुश शरिआ को ठंडक लग गई जिसकी वजह से शदीद बुख़ार आ गया हत्ता कि बम्बई पहुँचते पहुँचते नमूनिया का हमला हो गया। बम्बई स्टेशन से आपको क़ियामगाह लाया गया और इलाज शुरू हुआ। कई दिन इलाज के बाद भी इफ़ाक़ा न हुआ। हुज़ूर मुफ़्तीए आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सदरुश शरिआ अलैहिर्रहमा को एक ही जहाज़ से रवाना होना था। हुज़ूर मुफ़्तीए आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रते सदरुश शरिआ अलैहिर्रहमा से नम आँखों के साथ आख़िरी मुलाक़ात की और सफ़रे हरमैन के लिए रवाना हो गए। इधर हज़रते सदरुश शरिआ अलैहिर्रहमा की तबीयत बिगड़ती गई। आख़िरकार 2 ज़ीक़ादा 1367 हिजरी बरोज़ दो शम्बा मुताबिक़ 6, दिसम्बर 1949,12 बजकर 26 मिनट पर शब में इधर जहाज़ ने सीटी दी और उधर आप अपने माबूदे हक़ीक़ी से जा मिले "इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन"

मदीने का मुसाफ़िर हिन्द से पहुँचा मदीने में
क़दम रखने की भी नौबत न आई थी सफ़ीने में

(अल्लामा अरशदुल क़ादिरी)

जब यह ख़बर बम्बई में फैली तो हज़ारों का मजमा इकट्ठा हो गया। लोग चाहते थे कि आपको बम्बई में दफ़न किया जाए और यहीं शानदार मक़बरा बनाया जाए मगर हज़रत सदरुश शरिआ की अहलिया मुहतरमा की ख़्वाहिश के मुताबिक़ जनाज़ए मुबारक घोसी लाने का फ़ैसला किया गया। बम्बई के एक बड़े मैदान में जमीअतुल उलमा अहले सुन्नत के सरबराह हज़रत हकीम फ़ज़्ले रहीम साहब ने जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई। क़ानूनी काग़ज़ात पूरे हो जाने के बाद हज़ारों अक़ीदतमन्दों के हुजूम और नारए तकबीर व नारए रिसालत की गूंज में जनाज़ए मुबारका बम्बई स्टेशन लाया गया फिर बज़रिया रेल घोसी लाया गया। रास्ते भर फूलों और गुलाब की बारिश होती रही। सबसे पहले चेहरए मुबारक हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत अ़लैहिर्रहमा ने देखा और देखते ही पुकार उठे :-

"लोगों में एलान कर दो कि जिसे एक आशिक़े पाकबाज़, एक हक़परस्त मर्दे मोमिन और एक ज़िन्दा जावेद फ़क़ीहे इसलाम का चेहरा देखना हो वह यहाँ आकर देख ले"

घोसी में भी हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत अ़लैहिर्रहमा ने अस्र की नमाज़ के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और घोसी के इमली बाग़ में सुपुर्दे ख़ाक किए गए। बाद नमाज़े मग़रिब मूसलाधार बारिश शुरू हुई और देर तक होती रही। क़ब्र पर चटाई डाल दी गई और क़ब्र मुबारक के इर्द गिर्द मेंढ बांध दी गई। चन्द दिनों बाद जब मज़ार शरीफ़ से चटाईयाँ हटाई गईं तो ऐसी जाँफ़िज़ा ख़ुशबू फैली कि सारी फ़िज़ा महक गई। घोसी के बहुत से लोगों ने इस ख़ुशबू को सूंघा और आपकी करामत का एतिराफ़ किया।

हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़ अ़लैहिर्रहमा की कोशिशों से मज़ारे पाक को पुख़्ता किया गया। आज भी लोग आपके मज़ारे पाक पर आकर अपने दामन को गौहरे मुराद से भरते हैं और हर साल आपका उर्स भी शान से मनाया जाता है।

आपका तारीख़े विसाल इस आयत से निकलता है :-

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ٥

मुख़्तसर सवानेहे सदरुश शरिआ
(मौलाना आले मुस्तफ़ा मिस्बाही)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّی وَ نُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

हज़्र ओ इबाहत का बयान

इस पूरी किताब में उन चीज़ों का बयान है जो शरअ़न ममनूअ़ व मुबाह हैं। शरीअ़त की इस्तेलाह में मुबाह उसको कहते हैं जिसके करने और छोड़ने दोनों की इजाज़त हो न उसमें सवाब हो न अज़ाब। मकरूह की दोनों क़िस्मों की तारीफ़ें बहारे शरीअ़त हिस्सा दोम में ज़िक्र कर दी गईं वहाँ से मालूम करें। मुख़तसर तारीफ़ यह है कि मकरूहे तहरीमी वाजिब का मुक़ाबिल (विलोम) इसका करने वाला गुनाहगार है मगर इसका गुनाह हराम से कम है। मकरूहे तनज़ीही यह सुन्नते ग़ैर मुअक्किदा का मुक़ाबिल है इस का करना शरीअ़त को पसन्द नहीं मगर न इस हद तक कि उन पर वईदे अज़ाब फ़रमाए।

इस किताब में चन्द बाब हैं। सबसे पहले खाने पीने से जिन मसाइल का तअ़ल्लुक़ है वह बयान किए जाते हैं कि इन्सानी ज़िन्दगी का तअ़ल्लुक़ खाने पीने से है। .क़ुर्आन मजीद में इरशाद होता है :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ۝ (پ ۷ ع ۲)

तर्जमा : ऐ ईमान वालो! अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए हलाल किया उसे हराम न करो और हद से न गुज़रो, बेशक अल्लाह हद से गुज़रने वालों को दोस्त नहीं रखता और अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है उसमें से खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाए हो। (पारा 7 रुकू 2)

और फ़रमाता है :-

كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۝ (پ ۸ رکوع ۴)

तर्जमा : खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रोज़ी दी और शैतान के क़दमों पर न चलो बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (पारा 8 रुकू 4)

और फ़रमाता है :-

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ
الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ
اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (پ ٨ ع ١١)

तर्जमा : ऐ बनी आदम! अपनी ज़ीनत लो जब मस्जिद में जाओ और खाओ और पियो और इसराफ़ (ज़्यादती) न करो बेशक वह इसराफ़ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। ऐ महबूब! तुम फ़रमा दो किसने हराम की अल्लाह की ज़ीनत जो उसने अपने बन्दों के लिए निकाली और सुथरा रिज़्क़। तुम फ़रमा दो वह ईमान वालों के लिए है दुनिया की ज़िन्दगी में और क़ियामत के दिन तो ख़ास उन्हीं के लिए है। इसी तरह हम अपनी आयतों को तफ़सील के साथ बयान करते हैं इल्म वालों के लिए। तुम फ़रमा दो कि मेरे रब ने तो बेहयाइयाँ हराम फ़रमाई हैं जो उनमें ज़ाहिर हैं और जो छुपी हैं और गुनाह और नाहक़ ज़्यादतियाँ और यह कि अल्लाह का शरीक करो जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी और यह कि अल्लाह पर वह बात कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। (पारा 8 रुकू 11)

और फ़रमाता है :-

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى
الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ
تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ۚ (پ ١٨ ع ١٤)

तर्जमा : न अन्धे पर तंगी है और न लंगड़े पर मुज़ाइक़ा और न बीमार पर हर्ज और न तुममें किसी पर कि खाओ अपनी औलाद के घर या अपने बाप के घर या अपनी माँ के घर या अपने भाइयों के यहाँ या अपनी बहनों के यहाँ या अपने चचाओं के यहाँ या अपनी फुफियों के घर या अपनी ख़ालाओं के घर या जहाँ की कुन्जियाँ तुम्हारे क़ब्ज़े में हैं या अपने दोस्त के यहाँ तुम पर इस पर कोई गुनाह नहीं कि मुजतमा होकर खाओ या अलग अलग।

(पारा 18 रुकू 14)

पहले खाने के मुतअ़ल्लिक़ कुछ हदीसें बयान की जाती हैं

हदीस न. 1 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए शैतान के लिए वह खाना हलाल हो जाता है यानी बिस्मिल्लाह न पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है।

हदीस न. 2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स मकान में आया और दाख़िल होते वक़्त और खाते वक़्त उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत (औलाद) से कहता है कि इस घर में न तुम्हें रहना मिलेगा न खाना और अगर दाख़िल होते वक़्त बिस्मिल्लाह न पढ़ी तो कहता है अब तुम्हें रहने की जगह मिल गई और खाने के वक़्त भी बिस्मिल्लाह न पढ़ी तो कहता है अब तुम्हें रहने की जगह भी मिली और खाना भी मिला।

हदीस न. 3 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम शरीफ़ में उमर इब्ने अबी सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कहते हैं कि मैं बच्चा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की परवरिश में था {यानी यह हुज़ूर के रबीब (जिस बच्चे को दूसरा शौहर परवरिश करे) और उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के फ़र्ज़न्द हैं} खाते वक़्त बर्तन में हर तरफ़ हाथ डाल देता। हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया बिस्मिल्लाह

पढ़ो और दाहिने हाथ से खाओ और बर्तन के उस जानिब से खाओ जो तुम्हारे करीब है।

हदीस न. 4 :- अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व हाकिम हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब कोई शख़्स खाना खाए तो अल्लाह का नाम ज़िक्र करे यानी बिस्मिल्लाह पढ़े और अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो यूँ कहे बिस्मिल्लाहि अव्वलुहू व आख़िरुहू। इमाम अहमद इब्ने माजा व इब्ने हिब्बान व बैहक़ी की रिवायत में यूँ है बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आख़िरिही।

हदीस न. 5 :- इमाम अहमद व अबू दाऊद व इब्ने माजा व हाकिम वहशी इब्ने हरब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि इरशाद फ़रमाया इकट्ठे होकर खाना खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो तुम्हारे लिए उसमें बरकत होगी। इब्ने माजा की रिवायत में भी है कि लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! हम खाते हैं और पेट नहीं भरता। इरशाद फ़रमाया कि तुम शायद अलग अलग खाते होगे। अर्ज़ की हाँ। फ़रमाया इकट्ठे होकर खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो बरकत होगी।

हदीस न. 6 :- शरहे सुन्नह में अबू अय्यूब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं कि हम नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे, खाना पेश किया गया। शुरू में हमने इतनी बरकत किसी खाने में न देखी थी मगर आख़िर में बड़ी बेबरकती देखी। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! ऐसा क्यूँ हुआ? इरशाद फ़रमाया हम सबने खाने के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी थी फिर एक शख़्स बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाने को बैठ गया उसके साथ शैतान ने खाना खा लिया।

हदीस न. 7 :- अबू दाऊद ने उमय्या इब्ने मख़शी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं एक शख़्स बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खा रहा था, जब खा चुका सिर्फ़ एक लुक़मा बाक़ी रह गया यह लुक़मा उठाया और यह कहा बिस्मिलाहि अव्वलुहु व आख़िरुहू। रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने तबस्सुम फ़रमाया और यह फ़रमाया कि शैतान इसके साथ खा रहा था। जब इसने अल्लाह का ज़िक्र किया जो कुछ उसके पेट में था उगल दिया।

इसके यह मअ़नी भी हो सकते हैं कि बिस्मिल्लाह न कहने से खाने की बरकत जो चली गई थी वापस आ गई।

हदीस न. 8 :- सहीह मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं जब हम लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ खाने में हाज़िर होते तो जब तक हुज़ूर शुरू न करते खाने में हम भी हाथ नहीं डालते। एक मरतबा का वाक़िआ है कि हम हुज़ूर के पास हाज़िर थे एक लड़की दौड़ती हुई आई जैसे उसे कोई ढकेल रहा है। उसने खाने में हाथ डालना चाहा। हुज़ूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और यह फ़रमाया कि जब खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता वह खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है। शैतान इस लड़की के साथ आया कि उसके साथ खाए, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर इस आराबी के साथ आया कि उसके साथ खाए मैंने उसका हाथ पकड़ा। क़सम है उसकी जिसके दस्ते .कुदरत में में मेरी जान है उसका हाथ इनके हाथ के साथ मेरे हाथ में है। इसके बाद हुज़ूर ने अल्लाह का नाम ज़िक्र किया यानी बिस्मिल्लाह कही और खाना खाया। इसी के मिस्ल इमाम अहमद व अबू दाऊद व निसाई व हाकिम ने भी रिवायत की है।

हदीस न. 9 :- इब्ने असाकिर ने उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि जिस खाने पर अल्लाह का नाम ज़िक्र न हो वह बीमारी है और उसमें बरकत नहीं है और उसका कफ़्फ़ारा यह है कि अगर अभी दस्तरख़्वान न उठाया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर कुछ खा ले और दस्तरख़्वान उठाया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर उंगलियाँ चाट ले।

हदीस न. 10 :- दैलमी ने हज़रते अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब खाए या पिए तो यह कह ले :-

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْئٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ ط

तर्जमा : अल्लाह के नाम से और अल्लाह की मदद से जिसके नाम के साथ कोई चीज़ ज़रर (नुक़सान) देने वाली नहीं न ज़मीन में न आसमान में ऐ हय्यु (अमर) ऐ क़य्यूम (क़ाइम रखने वाला)

फिर उसे कोई बीमारी न होगी अगरचे उसमें ज़हर हो।

हदीस न. 11 :- सहीह मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब

खाना खाए तो दाहिने हाथ से खाए और पानी पिए तो दाहिने हाथ से पिए।
हदीस न. 12 :- सहीह मुस्लिम में उन्हीं से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई शख़्स न बायें हाथ से खाना खाए न पानी पिए कि बायें हाथ से खाना पीना शैतान का तरीक़ा है।
हदीस न. 13 :- इब्ने माजा ने अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दाहिने हाथ से खाए और दाहिने हाथ से पिए और दाहिने हाथ से ले और दाहिने हाथ से दे क्यूँकि शैतान बायें हाथ से खाता है, बायें से पीता है और बायें से लेता है और बायें से देता है।
हदीस न. 14 :- इब्ने नज्जार ने अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि तीन उंगलियों से खाना अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा है और हकीम ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि तीन उंगलियों से खाओ कि यह सुन्नत है और पाँचों उंगलियों से न खाओ कि यह आराब (गवारों) का तरीक़ा है।
हदीस न. 15 :- सहीह मुस्लिम में कअब इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीन उंगलियों से खाना तनावुल फ़रमाते और पोंछने से पहले हाथ चाट लेते।
हदीस न. 16 :- सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उंगलियों और बर्तन को चाटने का हुक्म दिया और फ़रमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है।
हदीस न. 17 :- सहीह बुख़ारी मुस्लिम अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि खाने के बाद हाथ को न पोंछे जब तक चाट न ले या दूसरे को चटा न दे।

यानी ऐसे शख़्स को चटा दे जो कराहत व नफ़रत न करता हो मसलन शागिर्द व मुरीदीन कि ये उस्ताद व शैख़ के झूटे को तबर्रुक जानते हैं और बड़ी खुशी से इस्तेमाल करते हैं।
हदीस न. 18 :- इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने नुबैशा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो खाने के बाद बर्तन को चाट ले वह

बर्तन उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेगा। रज़ीन की रिवायत में यह भी है कि वह बर्तन यह कहता कि अल्लाह तआला तुझको जहन्नम से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से नजात दी।

हदीस न. 19 :- तबरानी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने खाने और पानी में फूंकने से मुमानअत फ़रमाई।

हदीस न. 20 :- सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि शैतान तुम्हारे हर काम में हाज़िर हो जाता है। खाने के वक़्त भी हाज़िर हो जाता है लिहाज़ा अगर लुक़मा गिर जाए और उसमें कुछ लग जाए तो साफ़ करके खा ले उसे शैतान के लिए छोड़ न दे और जब खाने से फ़ारिग़ हो जाए तो उंगलियाँ चाट ले क्यूँकि यह मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है।

हदीस न. 21 :- इब्ने माजा ने हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि माक़ल इब्ने यसार रदियल्लाहु तआला अन्हु खाना खा रहे थे। उनके हाथ से लुक़मा गिर गया, उन्होंने उठा लिया और साफ़ करके खा लिया। यह देख कर गंवारों ने हाथ से इशारा किया (कि यह कितनी हक़ीर और ज़लील बात है कि गिरे हुए लुक़मे को उन्होंने खा लिया) किसी ने उनसे कहा ख़ुदा अमीर का भला करे (माक़ल इब्ने यसार रदियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ अमीर व सरदार की हैसियत से थे) यह गंवार कंखियों से इशारा करते हैं कि आपने गिरा हुआ लुक़मा खा लिया और आपके सामने यह खाना मौजूद है। उन्होंने फ़रमाया अजमियों की वजह से उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है हमको हुक्म था कि जब लुक़मा गिर जाए उसे साफ़ करके खा जाए शैतान के लिए न छोड़े।

हदीस न. 22 :- इब्ने माजा ने उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत की कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ़ लाए रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर पोंछा और खा लिया और फ़रमाया आइशा अच्छी चीज़ का एहतेराम करो कि यह चीज़ (यानी रोटी) जब किसी क़ौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई।

हदीस न. 23 :- तबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने उम्मेहराम रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रोटी

का एहतेराम करो कि वह आसमान व ज़मीन की बरकत से है जो शख़्स दस्तरख़्वान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी।

हदीस न. 24 :- दारमी ने असमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि जब उनके पास सुरीद लाया जाता तो हुक्म करतीं कि छुपा दिया जाए कि उसकी भांप का जोश ख़त्म हो जाए और फ़रमातीं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इससे बरकत ज़्यादा होती है।

हदीस न. 25 :- हाकिम जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से अबू दाऊद असमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि इरशाद फ़रमाया कि खाने को ठंडा कर लिया करो गर्म खाने में बरकत नहीं है।

हदीस न. 26 :- सहीह बुख़ारी में अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब दस्तख़त उठाया जाता उस वक़्त नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह पढ़ते :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

हदीस न. 27 :- सहीह मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला उस बन्दे से राज़ी होता है कि जब लुक़मा खाता है तो उस पर अल्लाह की हम्द करता है और पानी पीता है तो उस पर उसकी हम्द करता है।

हदीस न. 28 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद इब्ने माजा अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाने से फ़ारिग़ होकर यह पढ़ते :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

हदीस न. 29 :- तिर्मिज़ी अबूहुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया खाने वाला शुक्रगुज़ार वैसा ही है जैसा रोज़ादार सब्र करने वाला।

हदीस न. 30 :- अबू दाऊद ने अबू अय्यूब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब खाना खाते या पीते तो यह पढ़ते :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ وَ سَقٰى وَ سَوَّغَهٗ وَ جَعَلَ لَهٗ مَخْرَجًا

<u>हदीस न. 31</u> :- ज़िया ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि इरशाद फ़रमाया आदमी के सामने खाना रखा जाता है और उठाने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है उसकी सूरत यह है कि जब रखा जाए बिस्मिल्लाह कहे और जब उठाया जाए अल्हम्दुलिल्लाह कहे।

<u>हदीस न. 32</u> :- निसाई वग़ैरह अबूहुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि खाने के बाद यह दुआ पढ़े :-

اَلْـحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ مَنَّ عَلَیْنَا فَهَدٰنَا وَ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ
کُلَّ بَلَآءٍ حَسَنٍ اَبْلَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَیْرَ مُوَدَّعٍ رَبِّیْ وَلَا مُکَافِیْ وَلَا مَکْفُوْرٍ
وَ لَا مُسْتَغْنِیْ عَنْهُ، اَلْـحَـمْـدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا مِنَ الطَّعَامِ وَ سَقَانَا مِنَ
الشَّـرَابِ وَ کَسَانَا مِنَ الْعُرْیِ وَ هَدٰینَا مِنَ الضَّلَالِ وَ بَصَّرَنَا مِنَ الْعَمٰی وَ
فَضَّلَنَا عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقِهٖ تَفْضِیْلًا. وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

<u>हदीस न. 33</u> :- इमाम अहमद अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स खाना खाए तो यह कहे

اَللّٰهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیْهِ وَ اَبْدِلْنَا خَیْرًا مِّنْهُ

तर्जमा : ऐ अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत दे और हमें इससे बेहतर बदल अता फ़रमा।

और जब दूध पिए तो यह कहे

اَللّٰهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

तर्जमा : ऐ अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत दे और यह हमें और ज़्यादा दे।

क्यूँकि दूध के सिवा कोई चीज़ ऐसी नहीं जो खाने और पीने दोनों की क़ाइम मुक़ाम हो यानी दूध खाना भी है और पानी भी।

<u>हदीस न. 34</u> :- इब्ने माजा ने आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने पर से उठने की मुमानअत की जब तक खाना उठा न लिया जाए।

<u>हदीस न. 35</u> :- इब्ने माजा ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु

से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब दस्तरख़्वान चुना जाए तो कोई शख़्स दस्तरख़्वान से न उठे जब तक दस्तरख़्वान न उठा लिया जाए और खाने से हाथ न खींचे अगरचे खा चुका हो जब तक सब लोग फ़ारिग़ न हो जायें और अगर हाथ रोकना ही चाहता है तो माज़रत पेश करे क्यूँकि अगर बग़ैर माज़रत के हाथ रोक लेगा तो उसके साथ दूसरा शख़्स जो खाना खा रहा है शर्मिन्दा होगा और वह भी हाथ खींच लेगा और शायद अभी उसको खाने की हाजत बाक़ी हो।

इसी हदीस की बिना पर उलमा यह फ़रमाते है कि अगर कोई शख़्स कम .ख़ुराक हो तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा खाए और उसके बावुजूद भी अगर जमाअत क़ा साथ न दे सके तो माज़रत पेश करे ताकि दूसरों को शर्मिन्दगी न हो।

हदीस न. 36 :– तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने सलमान फ़ारसी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने तौरात में पढ़ा था कि खाने के बाद वुज़ू करना यानी हाथ धोना और कुल्ली करना बरकत है। इसको मैंने नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया खाने की बरकत उसके पहले वुज़ू और उसके बाद वुज़ू करना है। (इस हदीस में वुज़ू से मुराद हाथ धोना है)

हदीस न. 37 :– तबरानी में इब्ने अब्बास रदि़यल्लाहु अ़न्हुमा से रावी कि इरशाद फ़रमाया खाने से पहले और बाद में वुज़ू करना (हाथ मुँह धोना) मौहताजी को दूर करता है और यह मुरसलीन की सुन्नतों में से है।

हदीस न. 38 :– इब्ने माजा ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाया जो यह पसन्द करे कि अल्लाह तआ़ला उसके घर में ख़ैर ज़्यादा करे तो जब खाना हाज़िर किया जाए वुज़ू करे और जब उठाया जाए उस वक़्त वुज़ू करे यानी हाथ मुँह धो ले।

हदीस न. 39 :– इब्ने माजा इब्ने उमर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि इकट्ठे होकर खाओ अलग अलग न खाओ कि बरकत जमाअत के साथ है।

हदीस न. 40 :– तिर्मिज़ी ने इकराश इब्ने .ज़ुवैब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं हमारे पास एक बर्तन में बहुत सी सरीद और बोटियाँ लायी गईं। मेरा हाथ बर्तन में हर तरफ़ पड़ने लगा और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु

तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अपने सामने से तनावुल फ़रमाया। फिर हुज़ूर ने अपने बायें हाथ से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया और फ़रमाया कि इकराश एक जगह से खाओ कि यह एक ही क़िस्म का खाना है। उसके बाद तबाक़ में तरह तरह की खजूरें लाईं गईं। मैंने अपने सामने से खाना शुरू कीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का हाथ मुख़्तलिफ़ जगह तबाक़ में पड़ता। फिर फ़रमाया कि इकराश जहाँ से चाहो खाओ कि यह एक क़िस्म की चीज़ नहीं। फिर पानी लाया गया हुज़ूर ने हाथ धोए और हाथ की तरी से मुँह और कलाईयों और सर का मसा कर लिया और फ़रमाया कि इकराश जिस चीज़ को आग ने छुआ यानी जो आग से पकाई गई हो उसके खाने के बाद यह वुज़ू है।

हदीस न. 41 :– तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी के हाथ में चिकनाई की बू हो और बग़ैर हाथ धोए सो जाए और उसको कुछ तकलीफ़ पहुँच जाए तो वह ख़ुद अपने ही को मलामत करे। इसी की मिस्ल हज़रते फ़ातिमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से भी मरवी है।

हदीस न. 42 :– हाकिम ने अबू अबस इब्ने जबर रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि इरशाद फ़रमाया खाने के वक़्त जूते उतार लो कि यह सुन्नते जमीला (अच्छा तरीक़ा) है और अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की रिवायत में है कि खाना रखा जाए तो जूता उतार लो कि इससे तुम्हारे पाँव के लिए राहत है।

हदीस न. 43 :– अबू दाऊद व आइशा सिद्दीक़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि (खाते वक़्त) गोश्त को छुरी से न काटो कि यह अजमियों का तरीक़ा है उसको दांत से नोच कर खाओ कि यह ख़ुशगवार और जल्द हज़म होने वाला है।

यह उस वक़्त है जब गोश्त अच्छी तरह पक गया हो हाथ या दांत से नोच कर खाया जा सकता है।

आजकल योरोप की देखा देखी बहुत से मुसलमान भी छुरी कांटे से खाते हैं यह मज़मूम (बुरा) तरीक़ा है और अगर किसी वजह से गोश्त छुरी से काट कर खाया जाए कि गोश्त इतना गला हुआ नहीं कि हाथ से तोड़ा जा सके या दांतों से नोचा जा सके या मसलन पूरी रान भुनी हुई है कि दांतों से नोचने में दिक़्क़त होगी तो छुरी से काट कर खाने में हर्ज नहीं, इसी क़िस्म के

बाज़ मौक़े पर हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम का छुरी से गोश्त काट कर तनावुल फ़रमाना आया है उसे आजकल की छुरी कांटे से काट कर खाने की दलील लाना सही नहीं।

हदीस न. 44 :– सही बुख़ारी में अबू जुहफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं तकिया लगा कर खाना नहीं खाता।

हदीस न. 45 :– सही बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ख़्वान पर खाना तनावुल फ़रमाया, न छोटी छोटी प्यालियों में खाया और न हुज़ूर के लिए पतली चपातियाँ पकाई गईं। दूसरी रिवायत में यह भी है कि हुज़ूर ने पतली चपातियाँ देखी भी नहीं। क़तादा से पूछा गया कि किस चीज़ पर ये लोग खाना खाया करते थे। कहा दस्तरख़्वान पर।

ख़्वान तिपाई की तरह ऊँची चीज़ होती है जिस पर अमीरों के यहाँ खाना चुना जाता है कि खाते वक़्त झुकना न पड़े। उस पर खाना खाना मुश्रेकीन का तरीक़ा था जिस तरह बाज़ लोग इस ज़माने में मेज़ पर खाते हैं। छोटी छोटी प्यालियों में खाना खाना भी अमीरों का तरीक़ा है कि उनके यहाँ मुख़्तलिफ़ क़िस्म के खाने होते हैं जो छोटे छोटे बर्तनों में रखे जाते हैं।

हदीस न. 46 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया (यानी कभी बुरा नहीं कहा) अगर ख़्वाहिश हुई खा लिया नहीं तो छोड़ दिया।

हदीस न. 47 :– सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं एक शख़्स का खाना दो के लिए किफ़ायत करता है और दो का खाना चार के लिए किफ़ायत करता है और चार का खाना आठ को किफ़ायत करता है।

हदीस न. 48 :– सही बुख़ारी में मिक़दाम इब्ने मादिकरब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपने खाने को नाप लिया करो तुम्हारे लिए इसमें बरकत होगी।

हदीस न. 49 :– इब्ने माजा व तिर्मिज़ी व दारिमी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि

वसल्लम की ख़िदमत में एक बर्तन में सरीद पेश किया गया इरशाद फ़रमाया कि किनारों से खाओ बीच में से न खाओ कि बीच में बरकत उतरती है। सरीद एक क़िस्म का खाना है रोटी तोड़ कर शोरबे में मल देते हैं। हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह खाना पसन्द था।

हदीस न. 50 :– तबरानी ने अब्दुल रहमान से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई बर्तन जो भरा जाए पेट से ज़्यादा बुरा नहीं अगर तुम्हें पेट में कुछ डालना ही है तो एक तिहाई में खाना डालो और एक तिहाई में पानी और एक तिहाई हवा और सांस के लिए रखो।

हदीस न. 51 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा में मिक़दाम इब्ने मादिकरब रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि आदमी ने पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। इब्ने आदम को चन्द लुक़्मे काफ़ी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखें अगर ज़्यादा खाना .जरूरी हो तो तिहाई पेट खाने के लिए और तिहाई पानी के लिए और तिहाई सांस के लिए।

हदीस न. 52 :– तिर्मिज़ी इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स की डकार की आवाज़ सुनी फ़रमाया अपनी डकार कम कर इसलिए कि क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा भूका वह होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है।

हदीस न. 53 :–सही मुस्लिम में अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को खजूर खाते देखा और हुज़ूर सुरीन पर इस तरह बैठे थे कि दोनों घुटने खड़े थे।

हदीस न. 54 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रद़ियलल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो खजूरें मिलाकर खाने से मना फ़रमाया जब तक साथ वाले से इजाज़त न ले ले।

हदीस न. 55 :– सही मुस्लिम में आइशा सिद्दीक़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिनके यहाँ खजूरें हैं उस घर वाले भूके नहीं। दूसरी रिवायत में है कि जिस घर में खजूरें न हों उस घर वाले भूके हैं।

यह उस ज़माने और उस मुल्क के लिहाज़ से है कि वहाँ खजूरें बकसरत होती हैं और जब घर में खजूरें हैं तो बाल बच्चों और घर वालों के लिए इतमिनान की सूरत है कि भूक लगेगी तो उन्हें खा लेंगे भूके नहीं रहेंगे।

हदीस न. 56 :– सही मुस्लिम में अबू अय्यूब अनसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खाना हाज़िर किया जाता तो तनावुल फ़रमाने के बाद उसका बक़िया (ऊलश) मेरे पास भेज देते। एक दिन खाने का बर्तन मेरे पास भेज दिया उसमें से कुछ नहीं तनावुल फ़रमाया था क्यूँकि उसमें लहसुन पड़ा हुआ था। मैंने दरयाफ़्त किया कि क्या यह हराम है। फ़रमाया नहीं मगर मैं बू की वजह से इसे नापसन्द करता हूँ। मैंने अर्ज़ की जिसको हुज़ूर नापसन्द फ़रमाते हैं उसे मैं भी नापसन्द करता हूँ।

हदीस न. 57 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स लहसुन या प्याज़ खाए वह हम से अलाहिदा रहे या फ़रमाया हमारी मस्जिद से अलाहिदा रहे या अपने घर में बैठ जाए और हुज़ूर की ख़िदमत में एक हांडी पेश की गई जिसमें सब्ज़ तरकारियाँ थीं। हुज़ूर ने फ़रमाया कि बाज़ सहाबा को पेश कर दो और उनसे फ़रमाया कि तुम खा लो इसलिए कि मैं उनसे बातें करता हूँ कि तुम उनसे बातें नहीं करते. यानी मलाइका से।

हदीस न. 58 :– तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लहसुन ख़ाने से मना फ़रमाया मगर यह कि पका हुआ हो।

हदीस न. 59 :– तिर्मिज़ी ने उम्मे हानी रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं मेरे यहाँ हुज़ूर तशरीफ़ लाए फ़रमाया कि कुछ तुम्हारे यहाँ है मैंने अर्ज़ की सूखी रोटी है और सिरके के सिवा कुछ नहीं। फ़रमाया लाओ जिस घर में सिरका है उस घर वाले सालन से मौहताज नहीं।

हदीस न. 60 :– सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने घर वालों से सालन को दरयाफ़्त किया। लोगों ने कहा हमारे यहाँ सिरके के सिवा कुछ नहीं। हुज़ूर ने उसे तलब फ़रमाया और उससे खाना शुरू किया और बार बार फ़रमाया कि सिरका अच्छा सालन है।

हदीस न. 61 :– इब्ने माजा ने असमा बिन्ते यज़ीद रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में खाना हाज़िर लाया गया। हुज़ूर ने हम पर पेश फ़रमाया। हमने कहा हमें ख़्वाहिश नहीं है। फ़रमाया भूक और झूट दोनों चीज़ों को इकट्ठा मत करो।

यानी भूक के वक़्त कोई खाना खिलाए तो खाए। यह न कहे कि भूक नहीं है कि खाना भी न खाना और झूट भी बोलना दुनिया व आख़िरत दोनों का खसारा है। बाज़ तकल्लुफ़ करने वाले ऐसा ही किया करते हैं और बहुत से देहाती इस क़िस्म की आदत रखते हैं कि जब तक उनसे बार बार न कहा जाए खाने से इन्कार करते हैं और कहते हैं कि हमें ख़्वाहिश नहीं है। झूट बोलने से बचना .ज़रूरी है।

हदीस न. 62 :–सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कहते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और अबूबक्र व उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा मिले। इरशाद फ़रमाया क्या चीज़ तुम्हें इस वक़्त घर से बाहर लाई। अर्ज़ की भूक। फ़रमाया क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है जो चीज़ तुम्हें घर से बाहर लाई वही मुझे भी लाई। इरशाद फ़रमाया उठो। वो लोग हुज़ूर के साथ उठ खड़े हो गए और एक अनसारी के यहाँ तशरीफ़ ले गए। देखा तो वह घर में नहीं हैं। अनसार की बीवी ने ज्यूँ ही इन हज़रात को देखा मरहबा अहलन कहा।(यानी अपने आपको मुबारक कहा) हुज़ूर ने दरयाफ़्त फ़रमाया कि फ़लाँ शख़्स कहाँ है ? कहा कि मीठा पानी लेने गए हैं। इतने में अनसारी आ गए। हुज़ूर को और शैख़ैन को देखकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझसे बढ़कर कोई नहीं जिसके यहाँ ऐसे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आये हों। फिर वह खजूर का एक ख़ोशा लाए जिसमें अधपकी और .ख़ुश्क खजूरें भी थीं और रुतब (पूरी तैयारी जो तर खजूर हो) भी थे और उन हज़रात से कहा कि खाइये और .ख़ुद छुरी निकाली (यानी बकरी ज़िबाह करने का इरादा किया) हुज़ूर ने फ़रमाया दूध वाली को न ज़िबाह करना। अनसारी ने बकरी ज़िबाह की। इन हज़रात ने बकरी का गोश्त खाया और खजूरें खाईं और पानी पिया। जब खा पीकर फ़ारिग़ हुए अबूबक्र व उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से फ़रमाया कि क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है क़यामत के दिन इस नेमत का सवाल होगा। तुम्हें भूक घर से लाई और वापस होने से पहले यह नेमत तुम्हें मिली।

हदीस न. 63 :– मुस्लिम व अबू दाऊद ने उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स चांदी या सोने के बर्तन में खाता या पीता है वह अपने पेट में जहन्नम की आग उतारता है।

हदीस न. 64 :– अबू दाऊद वग़ैरा ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब खाने में मक्खी गिर जाए तो उसे ग़ोता दे दो (और फेंक दो) क्यूँकि उसके एक बाज़ू में बीमारी है और दूसरे में शिफ़ा है और उसी बाज़ू से अपने आपको बचाती है जिसमें बीमारी है यानी वही बाज़ू ख़ाने में पहले डालती है जिसमें बीमारी है लिहाज़ा पूरी को ग़ोता दे दो।

हदीस न. 65 :– अबू दाऊद इब्ने माजा व दारिमी अबू हुरैरा रद्रियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स खाना खाए (और दांतों में कुछ रह जाए) उसे अगर ख़िलाल से निकाले थूक दे और ज़बान से निकाले तो निगल जाए जिसने ऐसा किया अच्छा किया और न किया तो भी हर्ज नहीं।

मसाइले फ़िक़हिय्यह

बाज़ सूरतों में खाना फ़र्ज़ है कि खाने पर सवाब है और न खाने में अज़ाब अगर भूक का इतना ग़लबा हो कि न खाने से मर जाएगा तो इतना खा लेना जिससे जान बच जाए फ़र्ज़ है और इस सूरत में अगर नहीं खाया यहाँ तक कि मर गया तो गुनाहगार हुआ। इतना खा लेना कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताक़त आ जाए और रोज़ा रख सके यानी न खाने से इतना कमज़ोर हो जाएगा कि खड़े होकर नमाज़ न पढ़ सकेगा और रोज़ा न रख सकेगा तो इस मिक़दार से खा लेना ज़रूरी है और इसमें भी सवाब है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– इज़्तेरार की हालत में यानी जबकि जान जाने का अन्देशा है अगर हलाल चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती तो हराम चीज़ या मुर्दार या दूसरे की चीज़ खा कर अपनी जान बचाए और इन चीज़ों के खा लेने पर इस सूरत में मुवाख़िज़ा नहीं बल्कि न खा कर मर जाने में मुवाख़िज़ा है अगरचे पराई चीज़ खाने में तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– प्यास से हलाक होने का अन्देशा है तो किसी चीज़ को पीकर अपने को हलाकत से बचाना फ़र्ज़ है। पानी नहीं है और शराब मौजूद है और मालूम है कि इसके पी लेने में जान बच जाएगी तो इतनी पी ले जिससे यह अन्देशा जाता रहे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला :– दूसरे के पास खाने की चीज़ है तो क़ीमत देकर ख़रीद ले। वह क़ीमत से भी नहीं देता और उसकी जान पर बनी है तो उससे ज़बरदस्ती छीन

ले और अगर उसके लिए भी यही अन्देशा है तो कुछ ले ले और कुछ उसके लिए छोड़ दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– एक शख़्स इज़्तेरार की हालत में है। दूसरा शख़्स उससे यह कहता है कि तुम मेरा हाथ काट कर उसका गोश्त खा लो उसके लिए इस गोश्त के खाने की इजाज़त नहीं यानी इन्सान का गोश्त खाना इस हालत में भी मुबाह नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– खाने पीने पर दवा और इलाज को क़यास न किया जाए यानी हालते इज़्तेरार में मुर्दार और शराब को खाने पीने का हुक्म है मगर दवा के तौर पर शराब जाएज़ नहीं क्यूँकि मुर्दार का गोश्त और शराब यक़ीनी तौर पर भूक और प्यास को दफ़ा करने वाला हैं और दवा के तौर पर शराब पीने में यह यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मर्ज़ अच्छा होगा या नहीं॥ (रद्दुल मुहतार)।

मसअला :– भूक से कम खाना चाहिए और पूरी भूक भर कर खाना खा लेना मुबाह है यानी न सवाब है न गुनाह क्यूँकि इसका भी सही मक़सद हो सकता है कि ताक़त ज़्यादा होगी और भूक से ज़्यादा खा लेना हराम है। ज़्यादा का यह मतलब है कि इतना खा लिया जिससे पेंट ख़राब होने का गुमान है मसलन दस्त आएंगे और तबीअत बदमज़ा हो जाएगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– अगर भूक से कुछ ज़्यादा इसलिए खा लिया कि कल का रोज़ा अच्छी तरह रख सकेगा, रोज़े में कमज़ोरी नहीं पैदा होगी तो हर्ज नहीं जब कि इतनी ही ज़्यादती हो जिससे मेदा ख़राब होने का अन्देशा न हो और मालूम है कि ज़्यादा न खाया तो कमज़ोरी होगी दूसरे कामों में दिक़्क़त होगी, यूँहीं अगर मेहमान के साथ खा रहा है और मालूम है कि यह हाथ रोक देगा तो मेहमान शर्मा जाएगा और सैर होकर न खाएगा तो इस सूरत में भी कुछ ज़्यादा खा लेने की इजाज़त है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– सैर होकर खाना इसलिए कि नवाफ़िल कसरत से पढ़ेगा और पढ़ने पढ़ाने में कमज़ोरी पैदा न होगी अच्छी तरह इस काम को अन्जाम दे सकेगा यह मन्दूब (जाएज़) है और सैरी से ज़्यादा खाया मगर इतना ज़्यादा नहीं कि पेट ख़राब हो जाएगा यह मकरूह है। इबादतगुज़ार शख़्स को यह इख़्तेयार है कि बक़द्रे मुबाह तनावुल करे या बक़द्रे मन्दूब मगर इसे यह नियत करनी चाहिए कि इसलिए खाता हूँ कि इबादत की क़ुव्वत पैदा हो कि उस नियत से खाना भी एक क़िस्म की ताअत है यानी अल्लाह तआला की यह भी

इताअत है। खाने से उसका मक़सूद तलज़्ज़ुज़ व तनअउम (यानी क़िस्म क़िस्म के खाने सिर्फ़ लज़्ज़त के लिए) न हो कि यह बुरी सिफ़त है। .क़ुरआन मजीद में कुफ़्फ़ार की सिफ़त यह बयान की गई कि खाने से उनका मक़सूद क़िस्म क़िस्म के खाने खाना या लज़्ज़त लेना होता है और हदीस में बहुत ज़्यादा खाना कुफ़्फ़ार की सिफ़त बताई गई। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– रियाज़त व मुजाहिदे में ऐसी तक़लीले ग़िज़ा (बहुम कम ग़िज़ा) कि इबादते मफ़रूज़ा के अदा करने में कमज़ोरी पैदा हो जाए मसलन इतना कमज़ोर हो गया कि खड़े होकर नमाज़ न पढ़ सकेगा यह नाजाएज़ है और अगर इस हद की कमज़ोरी न पैदा हो तो हर्ज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– ज़्यादा खा लिया कि इसलिए कि क़ै कर डालेगा और यह सूरत उसके लिए मुफ़ीद हो तो हर्ज नहीं क्यूँकि बाज़ लोगों के लिए यह तरीक़ा फ़ायदेमन्द होता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– तरह तरह के मेवे खाने में हर्ज नहीं अगरचे अफ़ज़ल यह है कि ऐसा न करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– जवान आदमी को यह अन्देशा है कि अगर सैर होकर खाएगा तो शहवत का ग़लबा होगा तो खाने में कमी करे कि शहवत का ग़लबा न हो मगर इतनी कमी न करे कि इबादत में .क़ुसूर पैदा हो। (आलमगीरी)

मसअला :– एक क़िस्म का खाना होगा तो बक़द्रे हाजत न खा सकेगा तबीयत घबरा जाएगी लिहाज़ा कई क़िस्म के खाने तैयार कराता है कि सब में से कुछ कुछ खा कर .ज़रूरत पूरी करेगा इस मक़सद के लिए कई क़िस्म के खाने में हर्ज नहीं या इसलिए बहुत से खाने पकवाता है कि लोगों की मेहमानी करनी है वह सब खाने सर्फ़ हो जाएंगे तो इसमें भी हर्ज नहीं और यह मक़सूद न हो तो इसराफ़ है। (आलमगीरी)

खाने के आदाब व सुनन यह हैं

मसअला :– खाने से पहले और बाद में हाथ धोना।

मसअला :– खाने से पहले हाथ धो कर पोछे न जायें और खाने के बाद हाथ धोकर रुमाल या तौलिया से पोंछ लें कि खाने का असर बाक़ी न रहे।

मसअला :– सुन्नत यह है कि खाने से पहले और खाने के बाद दोनों हाथ गट्टों तक धोए जायें। बाज़ लोग सिर्फ़ एक हाथ या सिर्फ़ उंगलियाँ धो लेते हैं या सिर्फ़ चुटकी धोते हैं इसमें सुन्नत अदा नहीं होती। (आलमगीरी)

मसअला :– **मुस्तहब** यह है कि हाथ धोते वक़्त खुद अपने हाथ से पानी डाले दूसरे से उसमें मदद न ले यानी उसका वही हुक्म है जो वुज़ू का है। (आलमगीरी)
मसअला :– खाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोये कि खाने का असर बाक़ी न रहे।

भूसी या आटे या बेसन से हाथ धोने में हर्ज नहीं। इस ज़माने में साबुन से हाथ धोने का रिवाज है इसमें भी हर्ज नहीं

खाने के लिए मुँह धोना सुन्नत नहीं अगर किसी ने न धोया तो यह नहीं कहा जाएगा कि उसने सुन्नत तर्क कर दी हाँ जुनुब (बेग़ुस्ला) ने अगर **मुँह न धोया तो मकरूह है और हैज़ वाली का बग़ैर धोए खाना मकरूह नहीं।**
मसअला :– खाने से पहले जवान के हाथ पहले धुलाए जायें और खाने के बाद पहले बूढ़ों के हाथ धुलाए जायें उसके बाद जवानों के यही हुक्म उलमा व मशाइख़ का है कि खाने से पहले उनके हाथ आख़िर में धुलाये जायें और खाने के बाद उनके पहले धुलाये जायें।
मसअला :– खाना **बिस्मिल्लाह** पढ़ कर शुरू किया जाए और ख़त्म करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें अगर **बिस्मिल्लाह** कहना भूल गया है तो जब याद आ जाए यह कहे **बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आख़िरिही।** ।
मसअला :– **बिस्मिल्लाह** बलन्द आवाज़ से कहे कि साथ वालों को अगर याद न हो तो उससे सुन कर उन्हें याद आ जाए और **अलहम्दुलिल्लाह** आहिस्ता कहे मगर जब सब लोग फ़ारिग़ हो चुके हों तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़ोर से कहे कि दूसरे लोग सुनकर शुक्रे .खुदा बजा लायें।
मसअला :– रोटी पर कोई चीज़ न रखी जाये।

बाज़ लोग रोटी पर सालन का प्याला या चटनी की प्याली या नमकदानी रख देते हैं ऐसा न करना चाहिए नमक अगर कागज़ में है तो उसे रोटी पर रख सकते हैं।
मसअला :– हाथ या छुरी को रोटी से न पोंछें।
मसअला :– तकिया लगा कर या नंगे सर खाना अदब के ख़िलाफ़ है।
मसअला :– बायें हाथ को ज़मीन पर टेक देकर खाना भी मकरूह है।
मसअला :– रोटी का किनारा तोड़कर डाल देना और बीच की खा लेना इसराफ़ है बल्कि पूरी रोटी खाए। हाँ अगर किनारे कच्चे रह गए हैं उसके खाने से नुक़सान होगा तो तोड़ सकता है। इसी तरह अगर मालूम है कि यह तोड़े हुए दूसरे लोग खा लेंगे ज़ाए (बेकार) न होंगे तो तोड़ने में हर्ज नहीं। यही हुक्म उसका

भी है कि रोटी में जो हिस्सा फूला हुआ है उसे खा लेता है बाक़ी छोड़ देता है।
मसअला :– रोटी जब दस्तरख़्वान पर आ गई तो खाना शुरू कर दे सालन का इन्तेज़ार न करे इसीलिए उमूमन दस्तरख़्वान पर रोटी सबसे आख़िर में लाते हैं ताकि रोटी के बाद इन्तेज़ार न करना पड़े।
मसअला :– हाथ से लुक़मा छूट कर दस्तरख़्वान पर गिर गया उसे छोड़ देना इसराफ़ है बल्कि पहले उसको उठा कर खाए
मसअला :-रकाबी या प्याली के बीच में से शुरू में न खाए बल्कि एक किनारे से खाए।
मसअला :– और जो किनारा उसके क़रीब हैं वहाँ से खाए।
मसअला :– जब खाना एक क़िस्म का हो तो एक जगह से खाए हर तरफ़ हाथ न मारे। हाँ अगर तबाक़ में मुख़्तलिफ़ क़िस्म की चीज़ें लाकर रखी गईं तो इधर उधर से खाने की इजाज़त है कि यह एक चीज़ नहीं।
मसअला :– खाने के वक़्त बायाँ पाँव बिछा दे और दाहिना खड़ा रखे या सुरीन पर बैठे या दोनों घुटने खड़े रखे।
मसअला :– गर्म खाना न खाए और न खाने पर फूंके न खाने को सूंघे।
मसअला :– खाने के वक़्त बातें करता जाए बिल्कुल चुप रहना मजूसियों का तरीक़ा है मगर बेहूदा बातें न बके बल्कि अच्छी बातें करे।
मसअला :– खाने के बाद उंगलियाँ चाट ले उनमें झूटा न लगा रहने दे।
मसअला :-और बर्तन को उंगलियों से पोंछ कर चाट ले हदीस में है खाने के बाद जो शख़्स बर्तन चाटता है तो वह बर्तन उसके लिए दुआ करता है कहता है कि अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से आज़ाद किया और एक रिवायत में है बर्तन उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है।
मसअला :– खाने की शुरूआत नमक से की जाए और ख़त्म भी उसी पर करें इससे सत्तर बीमारी दूर हो जाती हैं। (बज़ाज़िया, रद्दुल मुहतार)
मसअला :– रास्ते और बाज़ार में खाना मकरूह है।
मसअला :– दस्तरख़्वान पर रोटी के टुकड़े जमा हो गए अगर खाना हो तो खा ले वरना मुर्ग़ी, गाय, बकरी वग़ैरा को खिला दे या कहीं ऐहतियात की जगह पर रख दे कि चीटियाँ या चिड़ियाँ खा लेंगी रास्ते पर न फेंके। (बज़ाज़िया)
मसअला :– खाने में ऐंब न बताना चाहिए न कहना चाहिए कि बुरा है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी खाने को ऐब न लगाया अगर पसंद आया तनावुल फ़रमाया वरना न खाया।

मसअला :– खाना खाते वक़्त कोई आ जाता है तो हिन्दुस्तान का यह उर्फ़ है कि उसे खाने को पूछते हैं। कहते हैं आओ खाना खाओ अगर न पूछें तो ताना देते हैं कि उन्होंने पूछा तक नहीं। यह बात यानी दूसरे मुसलमान को खाने के लिए बुलाना अच्छी बात है मगर बुलाने वाले को यह चाहिए कि यह पूछना सिर्फ़ नुमाइश के लिए न हो बल्कि दिल से पूछे।

यह भी रिवाज है कि जब पूछा जाता है तो वह कहता है कि बिस्मिल्लाह कीजिए। यह न कहना चाहिए कि यहाँ बिस्मिल्लाह कहने के कोई मअना नहीं इस मौक़े पर बिस्मिल्लाह कहने को उलमा ने बहुत सख़्त मना फ़रमाया है बल्कि इस मौक़े पर दुआइया अलफ़ाज़ कहना बेहतर है मसलन अल्लाह तआला बरकत दे, ज़्यादा दे।

मसअला :– बाप को बेटे के माल की हाजत है अगर ज़रूरत इस वजह से है कि उसके पास दाम नहीं हैं कि उस चीज़ को ख़रीद सके तो बेटे की चीज़ बिला किसी मुआवज़े के इस्तेमाल करना जाएज़ है और अगर दाम हैं मगर चीज़ नही मिलती तो मुआवज़ा देकर ले। यह उस वक़्त है कि बेटा नालाएक़ है और अगर लायक़ है तो बग़ैर इजाज़त भी उसकी चीज़ ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स भूक से इतना कमज़ोर हो गया है कि घर से बाहर नहीं जा सकता कि लोगों से अपनी हाजत बयान करे तो जिसको उसकी यह हालत मालूम है उस पर फ़र्ज़ है उसको खाने को दे ताकि घर से निकलने के क़ाबिल हो जाए अगर ऐसा नहीं किया और वह भूक से मर गया तो जिन लोगों को उसका यह हाल मालूम था सब गुनाहगार हुए।

और अगर यह शख़्स जिसको उसका हाल मालूम था उसके पास भी कुछ नहीं है कि उसे खिलाए तो उस पर फ़र्ज़ है कि दूसरों से कहे और लोगों से कुछ मांग लाए और ऐसा न हुआ और वह मर गया तो यह सब लोग जिनको उसके हाल की ख़बर थी सब गुनाहगार हुए।

और अगर यह शख़्स घर से बाहर जा सकता है मगर कमाने पर क़ादिर नहीं तो जाकर लोगों से मांगे और जिसके पास सदक़ा की क़िस्म से कोई चीज़ हो उस पर देना वाजिब है।

और अगर वह मौहताज शख़्स कमा सकता है तो काम करके पैसे हासिल करे उसके लिए मांगना हलाल नहीं।

मौहताज शख़्स अगर कमाने पर क़ादिर नहीं है मगर यह कर सकता

है कि दरवाज़ों पर जाकर सवाल करे तो उस पर ऐसा करना फ़र्ज़ है ऐसा न किया और भूक से मर गया तो गुनाहगार होगा। (आलमगीरी)

मसअला : खाने में पसीना टपक गया या राल टपक गई या आंसू गिर गया वह खाना हराम नहीं उसे खाया जा सकता है। इसी तरह पानी में कोई पाक चीज़ मिल गई और उससे तबीयत को नफ़रत पैदा होगी, वह पिया जा सकता है। (आलमगीरी)

मसअला : रोटी में अगर उपले का टुकड़ा मिला और वह सख़्त है तो इतना हिस्सा तोड़ कर फेंक दे। पूरी रोटी को नजिस नहीं कहा जाएगा और अगर उसमें नमी आ गई है तो बिल्कुल न खाए। (आलमगीरी)

मसअला : नाली वग़ैरा किसी नापाक जगह में रोटी का टुकड़ा देखा तो उस पर यह लाज़िम नहीं कि उसे निकाल कर धोए और किसी दूसरी जगह डाल दे। (आलमगीरी)

मसअला :– गेहूँ के साथ आदमी का दांत भी चक्की में पिस गया उस आटे को न ख़ुद खा सकता है न जानवर को खिला सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :– गोश्त सड़ गया तो उसका खाना हराम है। (आलमगीरी)

मसअला :– बाग़ में पहुँचा वहाँ फल गिरे हुए हैं तो जब तक बाग़ के मालिक की इजाज़त न हो फल नहीं खा सकता।

और इजाज़त दोनों तरह हो सकती है सराहतन इजाज़त हो मसलन मालिक ने कह दिया हो कि गिरे हुए फलों को खा सकता हो।

या देलालतन इजाज़त हो यानी वहाँ ऐसा उर्फ़ व आदत है कि बाग़ वाले गिरे हुए फलों से लोगों को मना नहीं करते।

दरख़्तों से फल तोड़ कर खाने की इजाज़त नहीं मगर जब कि फलों की कसरत हो; मालूम हो कि तोड़ कर खाने में भी मालिक को नागवारी नहीं होगी तो तोड़ कर भी खा सकता है।

मगर किसी सूरत में यह इजाज़त नहीं कि वहाँ से फल उठा लाए (आलमगीरी) इन सब सूरतों में उर्फ़ व आदत का लिहाज़ और अगर उर्फ़ व आदत न हो या मालूम हो कि मालिक को नागवारी होगी तो खाना जाएज़ नहीं।

मसअला :– ख़रीफ़ के मौसम में दरख़्तों के पत्ते गिर जाते हैं अगर वह पत्ते काम के हों तो उठा लाना नाजाएज़ है और मालिक के लिए बेकार हों जैसा कि हमारे मुल्क में बाग़ों में पत्ते गिर जाते हैं और मालिक उनको काम में नहीं लाता भाड़ जलाने वाले उठा लाते हैं ऐसे पत्तों को उठा लाने में हर्ज नहीं।

(आलमगीरी)

मसअला :– दोस्त के घर गया जो चीज़ पकी हुई मिली .खुद लेकर खाई या उसके बाग़ में गया और फल तोड़ कर खाए अगर मालूम है कि उसे नागवार न होगा तो खाना जाएज़ है।

मगर यहाँ अच्छी तरह ग़ौर कर लेने की ज़रूरत है कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह समझता है कि उसे नागवार न होगा हालांकि उसे नागवार होता है। (आलमगीरी)

मसअला :– रोटी को छुरी से काटना नसारा का तरीक़ा है, मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। हाँ अगर .ज़रूरत है मसलन डबलरोटी कि छुरी से काट कर उसके टुकड़े किए जाते हैं तो हर्ज नहीं या दावतों में बाज़ मरतबा हर शख़्स को आधी आधी शीरमाल दी जाती है ऐसे मोक़े पर छुरी से काट कर देने में हर्ज नहीं कि यहाँ मक़सूद दूसरा है। इसी तरह अगर पूरी रान भूनी हुई हो और छुरी से काट कर खाई जाए तो हर्ज नहीं।

मसअला :– मुसलमानों के खाने का तरीक़ा यह है कि फ़र्श वग़ैरा पर बैठ कर खाना खाते हैं। मेज़ कुर्सी पर खाना नसारा का तरीक़ा है इससे बचना चाहिए बल्कि मुसलमानों को हर काम सल्फ़ सालेहीन के तरीक़े पर करना चाहिए ग़ैरों के तरीक़े को हरगिज़ नहीं इख़्तेयार करना चाहिए।

मसअला :– ख़मीरी रोटी पकवाने में नानबाई से ख़मीर ले लेते हैं फिर उनके आटे में से उसी अन्दाज़ से नानबाई ले लेता है इसमें हर्ज नहीं।

मसअला :– बहुत से लोगों ने चन्दा करके खाने की चीज़ें तैयार कीं और सब मिलकर उसे खायेंगे। चन्दा सबने बराबर दिया है और खाना कोई कम खाएगा कोई ज़्यादा इसमें हर्ज नहीं। इसी तरह मुसाफ़िरों ने अपना तोशा और खाने की चीज़ें एक साथ मिलकर खाईं इसमें हर्ज नहीं अगरचे कोई कम खाएगा कोई ज़्यादा या बाज़ चीज़ें अच्छी हैं और बाज़ की वैसी नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– खाना खाने के बाद ख़िलाल करने में जो कुछ दांतों में से रेशा वग़ैरा निकला बेहतर है कि उसे फेंक दे और निगल गया तो इसमें भी हर्ज नहीं और ख़िलाल का तिनका या जो कुछ ख़िलाल से निकला उसको लोगों के सामने न फेंके बल्कि उसे लिए रहे जब उसके सामने तश्त आए उस में डाल दे, फूल और मेवे के तिनके से ख़िलाल न करे (आलमगीरी) ख़िलाल के लिए नीम की सींक बहुत बेहतर है कि उसकी तल्ख़ी से मुँह की सफ़ाई होती है और मसूड़ों के लिए भी मुफ़ीद है। झाड़ू की सींकें भी इस काम में ला सकते हैं जबकि वह कोरी हों, इस्तेमाल की हुई न हों।

पानी पीने का बयान

हदीस न. 1 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रते अनस रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पानी पीने में तीन बार सांस लेते थे और मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि फ़रामाते थे कि इस तरह पीने गें ज़्यादा सैराबी होती है और सेहत के लिए मुफ़ीद और .ख़ुशगवार है।

हदीस न. 2 :– तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक सांस में पानी न पियो जैसे ऊँट पीता है बल्कि दो और तीन मरतबा में पियो और जब पियो तो बिस्मिल्लाह कह लो और जब बर्तन को मुँह से हटाओ तो अल्लाह की ह़म्द करो।

हदीस न. 3 :– अबू दाऊद इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंकने से मना फ़रमाया।

हदीस न. 4 :– तिर्मिज़ी ने अबू सईद .ख़ुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने पीने की चीज़ों में फूंकने से मना फ़रमाया। एक शख़्स ने अर्ज़ किया कि बर्तन में कभी कूड़ा दिखाई देता है। फ़रमाया उसे गिरा दो। उसने अर्ज़ की कि एक सांस में सैराब नहीं होता हो। फ़रमाया बर्तन को मुँह से जुदा करके सांस लो।

हदीस न. 5 :– अबू दाऊद ने अबू सईद .ख़ुदरी रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने प्याले में जो जगह टूटी हुई है वहाँ से पीने की और पीने की चीज़ में फूँकने की मुमानअत फ़रमाई।

हदीस न. 6 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मशक के दहाने से पीने को मना फ़रमाया।

हदीस न. 7 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम व सुनन तिर्मिज़ी में अबू सईद .ख़ुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा वसल्लम ने मशक के दहाने को मोटा कर उस से पानी पीने को मना फ़रमाया।

इब्ने माजा ने इस हदीस को इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु अ़न्हुमा तआ़ला से भी रिवायत किया है और इस रिवायत में यह भी है कि हुज़ूर के मना फरमाने के बाद एक शख़्स रात में उठा और मशक का दहाना पानी पीने के

लिए मोड़ा उसमें से साँप निकला।

हदीस न. 8 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फ़रमाया।

हदीस न. 9 :– सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया खड़े होकर हरगिज़ कोई शख़्स पानी न पिये और जो भूल कर ऐसा कर गुज़रे उसे चहिए कि क़ै कर दे।

हदीस न. 10 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मरवी कहते है मैं आबे-ज़मज़म का एक डोल नबीए करीम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर लाया। हुज़ूर ने खड़े-खड़े उसे पिया।

हदीस न. 11 :– सहीह बुख़ारी में है हज़रत अली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और लोगों की हा़जात पूरी करने के लिए रूहबा कूफ़ा (कूफ़े के चौक) में बैठ गये जब असर का वक़्त आया उनके पास पानी लाया गया। उन्होंने पिया और वुज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया और यह फ़रमाया कि लोग खड़े होकर पानी पीने को मुकरूह बताते हैं और जिस तरह मैंने किया नबीए करीम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी वैसा ही किया था।

इसका मतलब यह है कि लोग मुतलक़न खड़े होकर पानी पीने को मकरूह बताते हैं हालांकि वुज़ू के पानी का यह हुक्म नहीं बल्कि उसको खड़े होकर पीना मुस्तहब है। इसी तरह आबे-ज़म ज़म को खड़े होकर पीना सुन्नत है यह दोनों पानी इस हुक्म से मुस्तसना (अलग) हैं और इसमें हिकमत यह है कि खड़े होकर जब पानी पिया जाता है वह फ़ौरन तमाम आज़ा की तरफ़ सराहत कर जाता है और यह मुज़िर है मगर दोनों बरकत वाले हैं और उन से मक़सूद ही तबर्रुक है लिहाज़ा इनका तमाम आज़ा में पहुँच जाना फ़ायदेमंद है।

बाज़ लोगों से सुना गया है कि मुस्लिम का झूठा पानी भी खड़े होकर पीना चाहिए मगर मैंने किसी किताब में इस को नहीं देखा सिर्फ़ दो ही पानियों का किताबों में इसतसना मज़कूर पाया। वलइल्म इनदल्लाह।

हदीस न. 12 :– तिर्मिज़ी ने कबशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहती हैं मेरे यहाँ रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये मश्क लटकी हुई थी उस के दहाने से खड़े होकर पानी पिया (हुज़ूर के इस फ़ेल को उलमा ने बयान जवाज़ पर महमूल किया है) मैंने मशक के दहाने

को काट कर रख लिया।

उनका काट कर रख लेना बिलग़र्ज़ तबर्रुक था कि चूँकि इससे हुज़ूर का दहने (मुँह मुबारक) अक़दस लगा है यह बर्कत की चीज़ है और इससे बीमारों को शिफ़ा होगी।

हदीस न. 13 :– सहीह बुख़ारी में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु एक अंसारी के पास तशरीफ़ ले गये वह अपने बाग़ में पेड़ों को पानी दे रहे थे। इरशाद फ़रमाया क्या तुम्हारे यहाँ बासी पानी पुरानी मशक में है अगर हो तो लाओ वरना हम मुँह लगाकर पानी पी लें। उन्होंने कहा मेरे यहाँ बासी पानी पुरानी मशक में है। अपनी झोपड़ी में गये और बर्तन में पानी उंडेल कर उस में बकरी का दूध दूहा। हुज़ूर ने पिया, फिर दोबारा उन्होंने पानी लेकर दूध दूहा। हुज़ूर के साथी ने पिया।

हदीस न. 14:– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बकरी का दूध दूहा गया और अनस के घर में जो कुआँ था उसका पानी इस में मिलाया गया —— यानी लस्सी बनाई गई।

फिर हुज़ूर की खिदमत में पेश किया गया, हुज़ूर ने नोश फ़रमाया। हुज़ूर की बाईं तरफ़ अबूबक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु थे और दाहिनी तरफ़ एक आराबी थे हज़रते उमर ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह अबूबक्र को दीजिए हुज़ूर ने आराबी को दिया क्योंकि यह दाहिनी जानिब थे और इरशाद फ़रमाया दाहिना मुस्तहिक़ है फिर उस के बाद जो दाहिने हो दाहिने को मुक़द्दम रखा करो।

हदीस न. 15 :– बुख़ारी व मुस्लिम में सहल इब्ने सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में प्याला पेश किया गया। हुज़ूर ने नौश फ़रमाया। हुज़ूर की दाहिनी जानिब सबसे छोटे एक शख़्स थे (अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा) और बड़े बड़े असहाब बायें जानिब थे। हुज़ूर ने फ़रमाया कि लड़के अगर तुम इजाज़त दो तो बड़ों को दे दूँ। उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर के झूटे में मैं दूसरों को अपने ऊपर तरजीह (वरीयता) नहीं दूंगा। हुज़ूर ने उनको दे दिया।

हदीस न. 16 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते है हरीर

और दिबाज (रेशमी कपड़े) न पहनो और न सोने और चाँदी के बरतन में पानी पियो और न उनके बर्तनों में खाना खाओ कि ये चीजें दुनिया में काफ़िरों के लिए हैं और तुम्हारे लिए आख़िरत में हैं।

हदीस न. 17 :– तिर्मिज़ी ने ज़हरी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने की वह चीज़ ज़्यादा पसन्द थी जो शीरीं और ठन्डी हो।

हदीस न. 18 :– इब्ने माजा ने अबदुल्लाह इब्ने उमर रद्वियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पेट के बल झुक कर पानी में मुँह डाल कर पीने से मना फ़रमाया और एक हाथ से चुल्लू ले कर पानी पीने से मना फ़रमाया और यह फ़रमाया कुत्ते की तरह पानी में मुँह न डाले और न एक हाथ से चुल्लू लेकर पिये जैसे लोग पीते हैं जिन पर .खुदा नाराज़ है और रात में जब किसी बरतन में पानी पिये तो उसे हिला ले मगर जबकि वह बरतन ढका हो तो हिलाने की ज़रूरत नहीं और जो शख़्स बर्तन से पीने पर क़ादिर है और तवाज़ो के तौर पर हाथ से पीता है अल्लाह तआला उसके लिए नेकियाँ लिखता है जितनी उसके हाथ में उगंलियाँ हैं। हाथ हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम का बर्तन था कि उन्होंने अपना प्याला भी फेंक दिया और यह कहा कि ये भी दुनिया की चीज़ है।

हदीस न. 19 :– इब्ने माजा ने इब्ने उमर रद्वियल्लाहु तआला अन्हुमासे रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नें फ़रमाया हाथ को धोओ और उनमें पानी पिओ कि हाथ से ज्यादा पाकीज़ा कोई बर्तन नहीं।

हदीस न. 20 :– मुस्लिम व अहमद व तिर्मिज़ी ने अबू क़तादह रद्वियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि साकी (जो लोगों को पानी पिला रहा है) वह सब के आख़िर में पियेगा।

हदीस न. 21 :– दैलमी ने अनस रद्वियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया पानी को चूस कर पियो कि ये ख़ुशगवार और ज़ोदहज़म (जल्द हज़म करने वाला) है और बीमारी से बचाव हैं

हदीस न. 22 :– इब्ने माजा ने हज़रत आइशा रद्वियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की उन्होंने कहा या रसूलल्लाह किस चीज़ का मना करना हलाल नहीं। फ़रमाया पानी, नमक और आग। कहती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह पानी को तो हमने समझ लिया मगर नमक और आग का मना करना क्यों

हलाल नहीं। फ़रमाया ऐ हुमैरा जिसने आग दे दी गोया उसने उस पूरे को सदक़ा किया जो आग से पकाया गया और जिसने नमक दिया उसने तमाम उस खाने को सदक़ा किया जो उस नमक से दुरूस्त किया गया और जिसने मुसलमान को उस जगह पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी मिलता है तो गोया गर्दन को आज़ाद किया और जिसने मुसलमान को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी नहीं मिलता है तो गोया उसे ज़िन्दा कर दिया।

मसाइले फ़िक़हिय्यह

पानी बिस्मिल्लाह करके दाहिने हाथ से पिये और तीन सांस में पिये। हर दफ़ा बर्तन को मुँह से हटा कर सांस ले,पहली और दूसरी मर्तबा एक एक घूंट पिये और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डाले। इस तरह पीने से प्यास बुझ जाती है और पानी को चूस कर पिये गट गट बड़े बड़े घूंट न पिये। जब पी चुके अलहम्दुलिल्लाह कहे। इस ज़माने में बाज़ लोग बायें हाथ में कटोरा या गिलास ले कर पानी पीते है, ख़ुसूसन खाने के वक़्त दाहिने हाथ से पीने को ख़िलाफ़े तहज़ीब जानते हैं। उनकी ये तहज़ीब तहज़ीबे नसारा है इस्लामी तहज़ीब दाहिने हाथ से पीना है।

आजकल एक तहज़ीब यह भी है कि गिलास में पीने के बाद जो पानी बचा उसे फेंक देते है कि अब वह पानी झूटा हो गया जो दूसरे को नहीं पिलाया जायेगा। ये हिन्दुओं से सीखा है। इस्लाम में छूत छात नहीं। मुसलमान के झूटे से बचने के कोई मअनी नहीं और इस इल्लत से पानी को फेंकना इसराफ़ है।

मसअला :– मशक के दहाने में मुँह लगा कर पानी पीना मकरूह है क्या मालूम कोई मुज़िर चीज़ (नुक़सानदे चीज़) उसके हलक़ में चली जाये। इसी तरह लोटे की टोटी से पानी पीना मगर जबकि लोटे को देख लिया हो कि उसमें कोई चीज़ नहीं है। सुराही में मुँह लगा कर पीने का भी यही हुक्म है।

मसअला :– सबील का पानी मालदार शख़्स भी पी सकता है मगर वहाँ से पानी कोई शख़्स नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ पानी पीने के लिए रखा गया है न कि घर ले जाने के लिए। हाँ अगर सबील लगाने वाले की तरफ़ से उसकी इजाज़त हो तो ले जा सकता है।

जाड़ों में अकसर मस्जिद के सक़ाया (पानी गर्म करने का बर्तन) में पानी गर्म किया जाता है ताकि मस्जिद में जो नमाज़ी आये उससे वुज़ू व ग़ुस्ल

करे ये पानी भी वहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, घर ले जाने की इज़ाजत नहीं। इसी तरह मस्जिद के लोटों को भी वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं घर नहीं ले जा सकते बाज़ लोग ताज़ा पानी भर कर मस्जिद के लोटे में घर ले जाते है ये भी नाजाइज़ है।

मसअला :– लोटों में वुज़ू का पानी बचा हुआ होता है उसे बाज़ लोग फेंक देते है ये नाजायज़ व इसराफ़ है।

मसअला :– वुज़ू का पानी और आबे ज़मज़म को खड़े होकर पिया जाये बाक़ी दूसरे पानी को बैठकर ।

अल्लाह का दोस्त

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ऐ महबूब तुम फ़रमा दो लोगो अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फ़रमाबरदार हो जाओ अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा।

(पारा 3 सूरए इमरान आयत 31)

वलीमा और ज़ियाफ़त का बयान

हदीस न. 1 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अबदुर्रह़मान इब्ने औफ़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु पर ज़र्दी का असर देखा (यानी .खुशबू का रंग उनके बदन या कपड़े पर लगा हुआ देखा) फ़रमाया यह क्या है (यानी मर्द के बदन पर उसको नहीं होना चाहिए यह क्यूँकर लगा) अर्ज़ की मैनें एक औरत से निकाह किया है (उसके बदन से यह ज़र्दी छूट कर लग गयी) फ़रमाया अल्लाह तआ़ला तुम्हारे लिए मुबारक करे तुम वलीमा करो अगरचे एक ही बकरी से।

हदीस न. 2 :– बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की। कहते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जितना हज़रते ज़ैनब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के निकाह पर वलीमा किया ऐसा वलीमा अज़वाजे मुतह्हरात में से किसी का नहीं किया। आपने एक बकरी से वलीमा किया ।

यानी तमाम वलीमों में ये बहुत बड़ा वलीमा था कि एक पूरी बकरी का गोश्त पका था।

सही बुख़ारी शरीफ़ की दूसरी रिवायत उन्हीं से है कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के ज़ुफ़ाफ़ के बाद जो वलीमा किया था लोगों को पेट भर रोटी गोश्त खिलाया था।

हदीस न. 3 :– सही बुख़ारी शरीफ़ में अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते है ख़ैबर से वापसी में ख़ैबर व मदीना के माबैन सफ़िया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के ज़ुफ़ाफ़ की वजह से तीन रातों तक हुज़ूर ने क़ियाम फ़रमाया। मैं मुसलमानों को वलीमे की दावत में बुला लाया वलीमे में न गोश्त था न रोटी थी। हुज़ूर ने हुक्म दिया दस्तरख़्वान बिछा दिये गये। उस पर खजूरें और पनीर और घी डाल दिया गया। इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा की रिवायत में है कि हज़रत सफ़िया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के वलीमे में सत्तू और खजूरें थीं।

हदीस न. 4 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी शख़्स को वलीमे की दावत दी जाये तो उसे आना चाहिए।

हदीस न. 5 :– सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी को खाने की दावत दी जाये तो क़बूल करनी चाहिए फिर अगर चाहे खाये चाहे न खाये।

हदीस न. 6 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बुरा खाना वलीमे का खाना है जिसमें मालदार लोग बुलाये जाते हैं और फ़कीर छोड़ दिये जाते हैं और जिसने दावत को तर्क किया (यानी बिना सबब इन्कार कर दिया) उसने अल्लाह रसूल की नाफ़रमानी की।

मुस्लिम की एक रिवायत में है कि वलीमे का खाना बुरा खाना है कि जो इसमें आता है उसे मना करता है और उसको बुलाया जाता है जो मना करता है और जिसने दावत कबूल नहीं की उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी की।

हदीस न. 7 :– अबूदाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको दावत दी गयी और उसने क़बूल न की उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी की और जो बगैर बुलाए गया वह चोर होकर घुसा और लूट करके निकला।

हदीस न. 8 :– तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया (शादियों में) पहले दिन का खाना हक़ है यानी साबित है उसे करना ही चाहिए और दूसरे दिन का खाना सुन्नत है और तीसरे दिन का खाना सुमा है (यानी सुनाने और शोहरत के लिए है) जो सुनाने के लिए कोई काम करेगा अल्लाह तआला उसको सुनायेगा यानी उसको सज़ा देगा।

हदीस न. 9 :– अबू दाऊद ने इकरमा से रिवायत की कि ऐसे दो शख़्स जो मुकाबले और तफ़ाख़ुर (फ़ख़्र) के तौर पर दावत करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ खाने से मना फ़रमाया।

हदीस न. 10 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद ने एक सहाबी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब दो शख़्स दावत देने एक ही वक़्त आयें तो जिस का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़े से क़रीब हो उसकी दावत क़बूल करो और अगर एक पहले आया तो जो पहले आया

उसकी .कबूल करो।

हदीस न. 11 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मसऊद अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक अन्सारी जिनकी कुन्नियत अबू शुऐब थी उन्होंने अपने .गुलाम से कहा कि इतना खाना पकाओ जो पाँच शख़्सों के लिए किफ़ायत करे। मैं नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मय सहाबा के दावत करूँगा। थोड़ा सा खाना तैयार किया और हुज़ूर को बुलाने आये। एक शख़्स हुज़ूर के साथ हुए। नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अबू शुऐब हमारे साथ ये शख़्स चला आया अगर तुम चाहो उसे इजाज़त दो और चाहो तो न इजाज़त दो। उन्होंने अर्ज़ की मैंने इनको इजाज़त दी।

यानी अगर किसी की दावत हो और उसके साथ कोई दूसरा शख़्स बग़ैर बुलाये चला आये तो ज़ाहिर कर दे कि मैं नहीं लाया हूँ और साहिबे-ख़ाना को इख़्तियार है कि उसे खाने की इज़ाज़त दे या न दे क्योंकि ज़ाहिर न करेगा तो साहिबेख़ाना को ये नागवारा होगा कि अपने साथ दूसरों को क्यों लाया।

हदीस न. 12 :– बयहक़ी ने शोबुल ईमान में इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़ासिकों की दावत .कबूल करने से मना फ़रमाया।

हदीस न. 13 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है वह मेहमान का इकराम करे।

और जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे।

और जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है वह भली बात बोले या चुप रहे।

और एक रिवायत में यह है कि जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है वह सिला रहमी करे।

हदीस न. 14 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू शरीह कअबी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लमं ने फ़रमाया जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता है वह मेहमान का इकराम करे एक दिन रात उसका जायज़ा है (यानी एक दिन रात

उसकी पूरी खातिरदारी करे, अपने मक़दूर भर उसके लिए तकल्लुफ़ का खाना तैयार कराये) और ज़ियाफ़त तीन दिन है (यानी एक दिन के बाद माहाज़िर (जो पके) पेश करे) और तीन दिन के बाद सदक़ा है। मेहमान के लिए यह हलाल नहीं कि उसके यहाँ ठहरा रहे कि उसे हर्ज में डाल दे।

हदीस न. 15 :-- तिर्मिज़ी अबिल अहवस जशमी से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं। कहते है मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये फ़रमायें कि मैं एक शख़्स के यहाँ गया उसने मेरी मेहमानी नहीं की अब वह मेरे यहाँ आये तो उसकी मेहमानी करूँ या बदला लूँ। इरशाद फ़रमाया बल्कि तुम उसकी मेहमानी करो।

हदीस न. 16 :-- इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रद्रियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सुन्नत ये है कि मेहमान को दरवाज़े तक रुख़्सत करने जाये।

मसाइल फ़िक़हिय्या

दावते वलीमा सुन्नत है। वलीमा ये है कि शबे ज़ुफ़ाफ़ की सुबह को अपने दोस्त अहबाब अज़ीज़ व अक़ारिब महल्ले के लोगों की हस्बे इस्तिताअत ज़ियाफ़त करे यानी अपनी गुंजाइश के मुताबिक़ दावत करे और उसके लिए जानवर ज़िबह करना और खाना तैयार कराना जायज़ है और जो लोग बुलाये जायें उनको जाना चाहिए कि उनका जानां उनके लिए .खुशी की वजह होगा। वलीमे में जिस शख़्स को बुलाया जाये उसको जाना सुन्नत है या वाजिब उलमा के दोनों क़ौल हैं। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि दावत क़बूल करना सुन्नते मुअक्किदा है। वलीमे के अलावा दूसरी दावतों में जाना भी अफ़ज़ल और यह शख़्स अगर रोज़ादार न हो तो खाना अफ़ज़ल है कि अपने मुसलमान भाई की खुशी में शिरकत और उसका दिल खुश करना है और रोज़ादार हो जब भी जाए और साहिबेख़ाना के लिए दुआ करे और वलीमा के सिवा दूसरी दावतों का भी यही हुक्म है कि रोज़ादार न हो तो खाए वर्ना उसके लिए दुआ करे। (रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअला :-- दावते वलीमा का ये हुक्म जो बयान किया गया है उस वक़्त है कि दावत करने वालों का मक़सूद अदाए सुन्नत हो और अगर मक़सूद तफ़ाख़ुर (फ़ख़्र करना) हो या यह कि मेरी वाह वाह होगी जैसा कि इस ज़माने में अक्सर यही देखा जाता है तो ऐसी दावतों में न शरीक होना बेहतर है। .खुसूसन अहले इल्म को ऐसी जगह न जाना चाहिए। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दावत में जाना उस वक़्त सुन्नत है जब मालूम हो कि वहाँ गाना बजाना लह्व व लइब नहीं है और अगर मालूम है कि ये .ख़ुराफ़ात वहाँ हैं तो न जाये। जाने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ लग़्वियात हैं अगर वहीं ये चीज़ें हों तो वापस आये और अगर मकान के दूसरे हिस्से में हैं जिस जगह खाना खिलाया जाता है वहाँ नहीं हैं तो वहाँ बैठ सकता है और खा सकता है। फिर अगर ये शख़्स उन लोगों को रोक सकता है तो रोक दे और अगर उसकी कुदरत उसे न हो तो सब्र करे। यह उस सूरत में है कि यह शख़्स मज़हबी पेशवा न हो और अगर मुक़तदा व पेशवा हो मसलन उलमा व मशाइख़, ये अगर न रोक सकते हों तो वहाँ से चले आयें। न वहाँ बैठें और न खाना खायें और पहले ही से ये मालूम हो कि वहाँ ये चीज़ें हैं तो मुक़तदा हो या न हो किसी को जाना जायज़ नहीं अगरचे ख़ास उस हिस्से मकान में ये चीज़ें न हों बल्कि दूसरे हिस्से में हों। (हिदाया, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर वहाँ लह्व व लइब हो और ये शख़्स जानता है कि मेरे जाने से ये चीज़ें बन्द हो जायेंगी तो उसको इस नियत से जाना चाहिए कि उसके जाने से मुनकरात शरीआ रोक दिये जायेंगें और अगर मालूम है कि वहाँ न जाने से उन लोगों को नसीहत होगी और ऐसे मौक़े पर ये हरकतें न करेंगें क्योंकि वह लोग उसकी शिरकत को .ज़रूरी जानते हैं और जब ये मालूम होगा कि अगर शादियों तक़रीबों में ये चीज़ें होगीं तो वह शख़्स शरीक न होगा तो उस पर लाज़िम है कि वहाँ न जाये ताकि लोगों को इबरत हो और ऐसी हरकतें न करें। (आलमगीरी)

मसअला :- दावते वलीमा सिर्फ़ पहले दिन है या उसके बाद दूसरे दिन भी यानी दो ही दिन तक यह दावत हो सकती है उसके बाद वलीमा और शादी ख़त्म।(आलमगीरी)

हिन्दुस्तान में, शादियों का सिलसिला कई दिन तक क़ायम रहता है सुन्नत से आगे बढ़ना रिया व दिखावा है इससे बचना .ज़रूरी है।

मसअला :– एक दस्तरख़्वान पर जो लोग खाना तनावुल करते हैं उनमें एक शख़्स कोई उठाकर दूसरे को दे दे ये जायेज़ है जबकि मालूम हो कि साहिबेख़ाना को यह देना नागावार न होगा और अगर ये मालूम है कि उसे नागावार होगा तो देना जाएज़ नहीं बल्कि अगर मुश्तबा हाल हो मालूम न हो कि नगवार होगा या नहीं जब भी न दे बाज़ लोग एक ही दस्तरख़्वान पर मुअज़्ज़ेज़ीन के सामने उम्दा खाने चुनते है और गरीबों के लिए मामूली चीज़ें

रख देते हैं अगरचे ऐसा न करना चाहिए कि गरीबों की इसमें दिलशिकनी होती है मगर इस सूरत में जिसके पास कोई अच्छी चीज़ है उसने ऐसे को दे दी जिसके पास नहीं है तो ज़ाहिर है कि साहिबेख़ाना को नागवार होगा क्योंकि अगर देना होता तो यह खुद ही उसके सामने भी ये चीज़ रखता या कम से कम ये सूरत इश्तबाह की है (यानी शक है) लिहाज़ा ऐसी हालत में चीज़ देना नाजायज़ है और अगर एक ही क़िस्म का खाना है। मसलन रोटी गोश्त और एक के पास रोटी ख़त्म हो गयी दूसरे ने अपने पास से उठा कर दे दी तो ज़ाहिर ही है कि साहिबेख़ाना को नागवार न होगा।

मसअला :– दूसरे के यहाँ खाना खा रहा है साइल ने मांगा उसको ये जाएज़ नहीं है कि उसको रोटी का टुकड़ा दे दे क्योंकि उसने उसके खाने के लिए रखा है उसको मालिक नहीं कर दिया है कि जिसको चाहे दे दे। (आलमगीरी)

मसअला :– दो दस्तरख़्वान पर खाना खाया जा रहा है तो एक दस्तरख़्वान वाला दूसरे दस्तरख़्वान वाले को कोई चीज़ उस पर से उठा कर न दे मगर ज़बकि यक़ीन हो कि साहिबेख़ाना को ऐसा करना नागवार न होगा (आलमगीरी)

मसअला :– खाते वक़्त साहिबेख़ाना का बच्चा आ गया तो उसको या साहिबेख़ाना के ख़ादिम को उस खाने में से नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअला :-खाना नापाक हो गया तो यह जाइज़ नहीं कि किसी पागल या बच्चे को खिलाये या क़िसी ऐसे जानवर को खिलाये जिसका खाना हलाल है। (आलमगीरी)

मसअला :– मेहमान को चार बातें ज़रूरी हैं :–

1. जहाँ बिठाया जाये वहीं बैठे।
2. जो कुछ उसके सामने पेश किया जाये उस पर ख़ुश हो। ये न हो कि कहने लगे कि इससे अच्छा तो मैं अपने ही घर में खाया करता हूँ या इसी क़िस्म के दूसरे अल्फ़ाज़ जैसे कि आजकल अक्सर दावतों में लोग आपस में कहा करते हैं।
3. बग़ैर इजाज़ते साहिबेख़ाना वहाँ से न उठे।
4. और जब वहाँ से जाये तो उसके लिए दुआ करे।

मेज़बान को चाहिए कि मेहमान से वक़तन फ़वक़तन यानी बीच बीच में कहे कि और खाओ मगर उस पर इसरार न करे कि कहीं इसरार की वजह से ज़्यादा न खा जाये और ये उसके लिए मुज़िर हो। मेज़बान को बिल्कुल ख़ामोश न रहना चाहिए और ये भी न करना चाहिए कि खाना रखकर ग़ायब

हो जाये बल्कि वहाँ हाज़िर रहे और मेहमानों के सामने ख़ादिम वग़ैरा पर नाराज़ न हो और अगर साहिबे वुस्अत हो तो मेहमान की वजह से घर वालों पर खाने में कमी न करे। मेज़बान को चाहिए कि मेहमान की ख़ातिरदारी में .ख़ुद मशग़ूल हो ख़ादिमों के ज़िम्मे उसको न छोड़े कि ये हज़रते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर मेहमान थोड़े हों तो मेज़बान उनके साथ खाने पर बैठ जाये कि यही तक़ाज़ाये मुरव्वत है और बहुत से मेहमान हों तो उनके साथ न बैठे बल्कि उनकी ख़िदमत और खिलाने में मशग़ूल हो मेहमान के साथ ऐसे को न बिठाये जिसका बैठना उन पर गिराँ हो। (आलमगीरी)

मसअला :– जब खाकर फ़ारिग़ हों उनके हाथ धुलाये जायें और ये न करें कि हर शख़्स के हाथ धोने के बाद पानी फेंक कर दूसरे के सामने हाथ धोने के लिए तश्त पेश करें। (आलमगीरी)

मसअला :– जिसने हदिया भेजा अगर उसके पास हलाल व हराम दोनों किस्म के अम्वाल हो ग़ालिब माल हलाल है तो उसके .क़बूल करने में हर्ज नहीं। यही हुक्म उसके यहाँ दावत खाने का है और अगर उसका ग़ालिब माल हराम है तो न हदिया .क़बूल करे और न उसकी दावत खाये जब तक ये मालूम हो कि जो चीज़ उसे पेश की गयी है हलाल है। (आलमगीरी)

मसअला :– जिस शख़्स पर उसका दैन है अगर उसने दावत की और क़र्ज़ से पहले भी वह इसी तरह दावत करता था तो .कबूल करने में हर्ज नहीं। और अगर पहले बीस दिन में दावत करता था और अब दस दिन में करता है या अब उसने खाने में तकल्लुफ़ात बढ़ा दिये तो .कबूल न करे कि ये क़र्ज़ की वजह से है। (आलमगीरी)

मुसीबत के वक़्त की दुआ

हज़रते यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में यह दुआ पढ़ी थी जो शख़्स मुसीबत के वक़्त यह दुआ पढ़ेगा इन्शा अल्लाह तआला उसकी मुसीबत दूर होगी।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ۝

ज़ुरूफ़ का बयान

मसअला :– सोने चाँदी के बर्तन में खाना पीना और उनकी प्यालियों से तेल लगाना या उनके इत्रदान से इत्र लगाना या उनकी अंगीठी से बुख़ूर करना (ख़ुशबू की धूनी लेना) मना है और ये मुमानअत मर्द व औरत दोनों के लिए है औरतों को उनके ज़ेवर पहनने की इजाज़त है। ज़ेवर के सिवा दूसरी तरह सोने चाँदी का इस्तेमाल मर्द व औरत दोनों के लिए नाजायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सोने चाँदी के चम्चे से खाना, उनकी सलाई या सुर्मेदानी से सुर्मा लगाना, उनके आईने में मुँह देखना, उनकी क़लम दवात से लिखना, उनके लोटे या तश्त से वुज़ू करना या उनकी कुर्सी पर बैठना मर्द व औरत दोनों के लिए ममनूअ है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सोने चाँदी की आरसी पहनना औरत के लिए जाएज़ है मगर उस आरसी में मुँह देखना औरत के लिए भी नाजायज़ है।

मसअला :– सोने चाँदी की चीजों के इस्तेमाल की मुमानअत उस सूरत में है कि उनका इस्तेमाल करना ही मक़सूद हो और अगर ये मक़सूद न हो तो मुमानअत नहीं मसलन सोने चाँदी की प्लेट या कटोरे में खाना रखा हुआ है अगर ये खाना उसी में छोड़ दिया जाये तो यह माल का बरबाद करना है उसको उसमें से निकाल कर दूसरे बर्तन में लेकर खाये या उसमें से पानी चुल्लू में लेकर पिया या प्याली में तेल था सर पर प्याली से तेल नहीं डाला बल्कि किसी बर्तन में या हाथ पर तेल उस ग़र्ज़ से लिया कि उससे इस्तेमाल से नाजाइज़ है लिहाज़ा तेल को उसमें से ले लिया जाए और अब इस्तेमाल किया जाए यह जाइज़ है और अगर हाथ में तेल का लेना बग़र्ज़ इस्तेमाल हो जिस तरह प्याले से तेल लेकर सर या दाढ़ी में लगाते हैं इस तरह करने से नाजाइज़ इस्तेमाल से बचना नहीं है कि यह भी इस्तेमाल ही है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला चाय के बर्तन सोने चाँदी के इस्तेमाल करना नाजाइज़ है इसी तरह सोने चाँदी की घड़ी हाथ में बांधना बल्कि उसमें वक़्त देखना भी नाजाइज़ है कि घड़ी का इस्तेमाल ही यही है कि उसमें वक़्त देखा जाए। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सोने चाँदी की चीज़ें महज़ मकान की आराइश व ज़ीनत के लिए हों मसलन करीने से ये बर्तन व क़लम व दवात लगा दे कि मकान आरास्ता हो जाए इसमें हर्ज नहीं। यूँही सोने चाँदी की कुर्सियाँ या मेज़ या तख़्त वग़ैरा

से मकान सजा रखा है उन पर बैठता नहीं है तो हरज नही। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुह्तार)

मसअला :– बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाने के मौक़े पर चाँदी की दवात क़लम तख़्ती लाकर रखते हैं ये चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आतीं बल्कि पढ़ाने वाले को देते हैं इसमें हर्ज नहीं।

मसअला :– सोने चाँदी के सिवा हर बर्तन का इस्तेमाल जाएज़ है मसलन ताँबे, पीतल, सीसा, बिल्लौर वग़ैरा। मगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल सबसे बेहतर कि हदीस में यह है कि जिसने अपने घर के बर्तन मिट्टी के बनवाये फ़रिश्ते उसकी ज़ियारत को आयेंगे। ताँबे और पीतल के बर्तनों पर क़लई होनी चाहिए बग़ैर क़लई उनके बर्तन इस्तेमाल करना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिस बर्तन में सोने चाँदी का काम बना हुआ है उसका इस्तेमाल जाएज़ है जबकि मौज़ए इस्तेमाल (इस्तेमाल की जगह) में सोना चाँदी न हो मसलन कटोरे या गिलास में चाँदी का काम हो तो पानी में उस जगह मुँह न लगे जहाँ सोना या चाँदी है और बाज़ का क़ौल यह है कि वहाँ हाथ भी न लगे और क़ौले अव्वल सही है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– छड़ी की मुठ सोने या चाँदी की हो तो उसका इस्तेमाल नाजायज़ है क्योंकि उसमें इस्तेमाल का तरीक़ा यह है कि उस पर हाथ रखा जाता है लिहाज़ा मौज़ए इस्तेमाल में सोना चाँदी हुई और अगर उसकी शाम सोने चाँदी की हो दस्ता सोने चाँदी का न हो तो इस्तेमाल में हर्ज नहीं क्योंकि हाथ रखने की जगह पर सोना चाँदी नहीं है। इसी तरह क़लम की निब अगर सोने चाँदी की हो तो उससे लिखना नाजाएज़ है कि वही मौज़ए इस्तेमाल है और अगर क़लम के बालाई हिस्से में हो तो नाजाएज़ नहीं।

मसअला :– चाँदी सोने की कुर्सी या तख़्त में काम बना हुआ है या ज़मीन में काम बना हुआ है तो उस पर बैठना जाएज़ है जबकि सोने चाँदी की जगह से बचकर बैठे। इन सब बात का हासिल यह है कि जो चीज़ ख़ालिस सोने चाँदी की है उसका इस्तेमाल मुतलक़न नाजाएज़ है ––––– और अगर उसमें जगह जगह चाँदी सोना है तो अगर मौज़ए इस्तेमाल में है तो नाजाइज़ वरना जाएज़। मसलन चाँदी की अँगूठी से धूनी लेना मुतलक़न नाजाएज़ है अगरचे धूनी लेते वक़्त उसको हाथ भी न लगाये ––– इसी तरह अगर हुक़्क़े की फ़र्शी चाँदी की है तो उससे हुक़्क़ा पीना नाजाएज़ है अगरचे ये शख़्स फ़र्शी पर हाथ न लगाये इसी तरह हुक़्क़े की मुँह नाल सोने चाँदी की है तो

उससे हुक़्क़ा पीना नाजाइज़ है --- और अगर नीचे पर जगह जगह चाँदी सोने का तार हों तो उससे हुक़्क़ा पी सकते हैं जबकि इस्तेमाल की जगह पर तार न हो। कुर्सी में इस्तेमाल की जगह पर तार न हो। कुर्सी में इस्तेमाल की जगह बैठने की जगह है और उसका तकिया है जिससे पीठ लगाते हैं और उसके दस्ते हैं जिन पर हाथ रखते हैं --- तख़्त में मौज़ए इस्तेमाल बैठने की जगह है इसी तरह ज़मीन में --- और रकाब भी सोने चाँदी की नाजाइज़ है और उसमें काम बना हुआ हो तो मैज़ए इस्तेमाल में न हो यही हुक्म लगाम और दुमची का है। (हिदाया, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुह्तार)

मसअला बर्तन पर सोने चाँदी का मुलम्मा हो तो उसके इस्तेमाल में हरज नहीं।(हिदाया)

मसअला आईने का हलक़ा तो बवक़्त इस्तेमाल पकड़ने में न आता हो और उसमें सोने चाँदी का काम हो उसका भी वही हुक्म है।(हिदाया, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : तलवार के क़ब्ज़े में और छुरी या पेश क़ब्ज़ के दस्ते में चाँदी या सोने का काम हो उसका भी वही हुक्म है। (हिदाया, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कपड़े में सोने चाँदी के हुरूफ़ बनाये गये उसके इस्तेमाल का भी वही हुक्म है इसमें तफ़सील है जो लिबास के बयान में आयेगी।

मसअला :– टूटे हुए बर्तन को चाँदी या सोने के तार से जोड़ना जाएज़ है और उसका इस्तेमाल भी जाएज़ है जबकि उस जगह से इस्तेमाल न करे जैसा कि हदीस में है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का लकड़ी का प्याला था वह टूट गया तो चाँदी के तार से जोड़ा गया और ये प्याला हज़रते अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास था।

घर से निकलते वक़्त की दुआ

हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जो शख़्स अपने घर से बाहर निकलते वक़्त यह दुआ पढ़ ले तो उसकी मुश्किलात दूर हो जायेंगी और वह दुश्मनों के शर से महफ़ूज़ रहेगा औा शैतान उससे अलग हो जाएगा। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

ख़बर कहाँ मोतबर है

इस शीर्षक के तहत इत्तेला या ख़बर या कोई बात किसी की बताना का बयान है यानी अगर किसी शख़्स ने कोई बात बताई या कोई ख़बर दी और वह शख़्स मुसलमान या काफ़िर या बच्चा या .गुलाम या बांदी है तो क्या हुक्म है। अलग अलग शख़्स की ख़बर का अलग अलग हुक्म होगा मसलन कहीं काफ़िर की ख़बर मोतबर यानी एतेबार के क़ाबिल है कहीं नहीं।
अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

तर्जमा :- ऐ ईमान वालों अगर फ़ासिक़ तुम्हारे पास कोई ख़बर लाये तो उसे ख़ूब जाँच लो कहीं ऐसा न हो कि नावाकिफ़ी में किसी क़ौम को तकलीफ़ पहुँचा दो फिर तुम्हें अपने किये पर शर्मिन्दा होना पड़े। (पारा 26 रुकू 12)
मसअला :- अपने नौकर या .गुलाम को गोश्त लाने के लिए भेजा अगरचे ये मजूसी या हिन्दू हो वह गोश्त लाया और कहता है कि मुसलमान या किताबी से ख़रीद कर लाया हूँ तो यह गोश्त खाया जा सकता है और अगर उसने आकर ये कहा कि मुश्रिक मसलन मजूसी या हिन्दू से ख़रीद कर लाया हूँ तो उस गोश्त का खाना हराम है कि ख़रीदना बेचना मुआमलात है और मुआमलात में काफ़िर की ख़बर मुअतबर (एतेबार के क़ाबिल) है अगरचे हिल्लत व हुरमत होना (यानी हलाल व हराम होना) दियानात में से है और दियानात में काफ़िर की ख़बर नामक़बूल है मगर चूँकि अस्ल ख़बर ख़रीदने की है और हिल्लत व हुरमत इस मक़ाम पर ज़िमनी चीज़ है लिहाज़ा जब वह ख़बर मुअतबर हुई तो ज़िमनन ये भी साबित हो जायेगी और अस्ल ख़बर हिल्लत व हुरमत की होती तो नामुअतबर होती। (हिदाया व दुर्रेमुख़्तार)
नोट : मुआमलात यानी दुनियावी मुआमलात जैसे ख़रीद फ़रोख़्त वग़ैरा में क़ाफ़िर की इत्तेला या ख़बर का एतेबार किया जाएगा मज़हबी मुआमलात में काफ़िर की ख़बर का एतेबार नहीं किया जाएगा। मसलन किसी ऐसी जगह पर जहाँ दूर दूर तक कुफ़्फ़ार ही रहते हैं नमाज़ का वक़्त हो गया और किसी काफ़िर से पूछा कि पश्चिम किधर है तो यह मुआमलात में से हुआ और उसका

ऐतेबार किया जाएगा और अगर यह पूछा कि किब्ला किधर है तो यह मजहबी मुआमला हो गया यहाँ काफ़िर का एतेबार नहीं किया जाएगा।

मसअला :– मुआमलात में काफ़िर की खबर मुअतबर होना उस वक़्त है जब ग़ालिब गुमान ये हो कि सच कहता है और ग़ालिब गुमान उसका झूटा होना हो तो उस पर अमल न करे। (जौहर)

मसअला :– गोश्त ख़रीदा फ़िर यह मालूम हुआ कि वह मुश्रिक है फेरने को ले गया। उसने कहा कि उस जानवर को मुस्लिम ने ज़िबाह किया है अब भी उस गोश्त को खाना ममनू है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– लौंडी गुलाम और बच्चे की हदिये कि मुताल्लिक़ ख़बर मुअतबर है मसलन बच्चे ने किसी के पास कोई चीज़ लाकर यह कहा कि मेरे वालिद ने आप के पास ये हदिया भेजा है। वह शख़्स चीज़ को ले सकता है। इसी तरह लौंडी गुलाम ने कोई चीज़ दी और यह कहा कि मेरे मौला ने यह चीज़ हदिया भेजी है बल्कि यह दोनों अपने मुताल्लिक़ उसकी ख़बर दें कि हमारे मौला ने खुद हमें हदिया किया है यह ख़बर भी मक़बूल है, फ़र्ज़ करो कि लौंडी ने यह ख़बर दी तो उससे यह शख़्स वती भी कर सकता है।(ज़ैलई)

मसअला :– उन लोगों ने यह ख़बर दी कि हमारे वली या मौला ने हमें ख़रीदने की इजाज़त दी है। ये ख़बर भी मुअतबर है जबकि ग़ालिब गुमान उनकी सच्चाई हो। लिहाज़ा बच्चे ने कोई चींज़ ख़रीदी मसलन नमक मिर्च हल्दी धनिया और कहता है कि हमको इसकी इजाज़त है तो उसके हाथ उस चीज़ को बेच सकते हैं और अगर ग़ालिब गुमान यह हो कि झूट कहता है तो उसकी बात का एतेबार न किया जाये जबकि इस सूरत में बज़ाहिर ये मालूम हो कि उसको पैसे इसलिए नहीं मिले हैं कि मिठाई वग़ैरा ख़रीद कर खा ले यानी जबकि गुमान ग़ालिब ये हो कि उसे ख़रीदने की इजाज़त नहीं है मसलन यह गुमान है कि छुपा कर लाया है, मिठाई ख़रीद रहा है। उसके घर वाले ऐसे कहाँ हैं कि मिठाई खाने को पैसे दे दें इस सूरत उसके हाथ मिठाई का बेचना भी नाजाएज़ है।

मसअला :– काफ़िर या फ़ासिक़ ने यह ख़बरी दी कि मैं फ़लाँ शख़्स का उस चीज़ के बेचने में वक़ील हूँ। उसकी ख़बर एतेबार की जा सकती है और उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं। इसी तरह दीगर मुआमलात में भी उनकी ख़बरें मक़बूल हैं जबकि ज़न ग़ालिब ये हो कि सच कहता है यानी पूरी उम्मीद है कि सच कहता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दियानात में मुख़्बिर का आदिल होना ज़रूरी है। दियानात से मुराद वह चीज़ें है जिनका तअल्लुक़ बन्दा और रब के बीच है मसलन हिल्लत (हलाल होना), हुरमत (हराम होना), नेजासत (नापाकी), तहारत (पाकी) और अगर दियानत के साथ ज़वाले मिल्क (यानी मिलकियत ख़त्म होती हो) भी हो मसलन मियाँ बीवी के मुताल्लिक़ किसी ने यह ख़बर दी कि ये दोनों रज़ाई बहन भाई (यानी दूध शरीक बहन भाई) हैं तो उसके सबूत के लिए फ़कत अदालतें काफ़ी नहीं बल्कि अदद (तादाद) और अदालत दोनों चीज़ें दरकार हैं यानी ख़बर देने वाले दो मर्द या एक मर्द दो औरतें हो और यह सब आदिल हों। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– पानी के मुताल्लिक़ किसी मुस्लिम आदिल ने ये ख़बर दी कि ये नजिस है तो उससे वुज़ू न करे बल्कि अगर दूसरा पानी न हो तो तयम्मुम करे और अगर फ़ासिक़ या मसतूर (छुपा हुआ) ने ख़बर दी कि पानी नजिस (नापाक) है तो ग़ौर करे अगर दिल पर यह बात जमती है कि सच कहता तो पानी को फेंक दे और तयम्मुम करे वुज़ू न करे और अगर ग़ालिब गुमान यह है कि झूट कहा है तो वुज़ू करे और ऐहतियात यह है कि वुज़ू के बाद तयम्मुम भी करे और अगर काफ़िर ने नजासत की ख़बर दी और ग़ालिब गुमान यह है कि सच कहता है जब भी बेहतर यह है कि उसे फेंक दे फिर तयम्मुम करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक आदिल ने यह ख़बर दी कि पाक है और दूसरे आदिल ने नेजासत की ख़बर दी कि ये मुस्लिम का ज़बीहा है और दूसरे ने यह कि मुश्रिक का ज़बीहा है इसमें भी तहर्री (तहर्री यानी देखे कि दिल किस तरफ़ जमता है उसी पर अमल करे) करे जिधर ग़ालिब गुमान हो उस पर अमल करे। (दुर्रे मुख़्तार)

अल्लाह ने रसूल को इल्म सिखाया

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे और अल्लाह का तुम पर बड़ा फ़ज़्ल है।

(पारा 5 सूरए निसा आयत 113)

लिबास का बयान

हदीस न. 1 :– इमाम बुख़ारी ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तू जो चाहे खा और जो चाहे पहन जब तक दो बातें न हों इसराफ़ व तकब्बुर।

हदीस न. 2 :– इमाम अहमद व निसाई व इब्ने माजा बरिवायत अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खाओ और पियो और सदक़ा करो और पहनों जब तक इसराफ़ व तकब्बुर की आमेजिश न हो।

हदीस न. 3 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कहते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को हिबरह (एक तरह की चादर) बहुत पसन्द थी ये एक क़िस्म की धारीदार चादर होती थी जो यमन में बनी थी।

हदीस न. 4 :– तिर्मिज़ी ने जाबिर इब्ने सुमरह रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कहते है मैंने चादँनी रात में नबीए करीम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा हुज़ूर सुर्ख़ हुल्ला पहने हुए थे यानी उसमें सुर्ख़ धारियाँ थीं। मैं कभी हुज़ूर को देखता और कभी चाँद को। हुज़ूर मेरे नज़दीक चाँद से ज़्यादा हसीन थे।

हदीस न. 5 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू बुरदह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं कि हज़रत आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा ने पेवन्द लगी हुई कमली और मोटा तहमन्द निकाला और यह कहा कि हुज़ूर की वफ़ात इसी में हुई (यानी बवक़्ते वफ़ात इसी क़िस्म के कपड़े पहने हुऐ थे)

हदीस न. 6 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स तकब्बुर के तौर पर तहबन्द घसीटे (यानी इतना नीचा कर ले कि ज़मीन से आगे जाये) उसकी तरफ़ अल्लाह तआ़ला नज़रे रहमत नहीं फ़रमायेगा। इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा की रिवायत में है जो इतराने के तौर पर कपड़े घसीटेगा उसकी तरफ़ अल्लाह तआ़ला नज़रे रहमत नहीं करेगा। सही बुख़ारी की इन्हीं से रिवायत है कि एक शख़्स इतराने के तौर पर तहबन्द घसीट रहा था ज़मीन में धंसा दिया गया। अब वह क़ियामत तक ज़मीन में धंसता ही चला जायेगा।

हदीस न. 7 :– सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि टख़नों से नीचे तहबन्द का जो हिस्सा है वह आग में है।

हदीस न. 8 :– अबू दाऊद इब्ने माजा अबू सईद .ख़ुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मोमिन का तहबन्द आधी पिंडलियों तक है और उसके और टख़नों के दरमियान में भी हर्ज नहीं और उससे जो नीचे हो आग में है और अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी तरफ़ नज़र नहीं फ़रमायेगा जो तहबन्द को तकब्बुर के तौर पर घसीटे।

हदीस न. 9 :– अबू दाऊद निसाई व़ इब्ने माजा ने इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया इसबाल यानी कपड़े के नीचे करने की मुमानअत तहबन्द व क़मीज़ व इमाम सब में है। हज़रत उम्मे सलमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अर्ज़ की औरतों के लिए क्या हुक्म है फ़रमाया एक बालिश्त लटका लें यानी आधी पिंडली के नीचे एक बालिश्त लटकाये इससे ज़्यादा नहीं।

हदीस न. 10 :– सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रद़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मरवी कहते हैं मैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास से गुज़रा और मेरा तहबन्द कुछ लटक रहा था। इरशाद फ़रमाया अब्दुल्लाह अपने तहबन्द को ऊँचा करो। मैंने ऊँचा कर लिया फिर फ़रमाया ज़्यादा ऊँचा करो। मैंने ज़्यादा कर लिया उसके बाद मैं हमेशा कोशिश करता रहा किसी ने अब्दुल्लाह से पूछा कहाँ तक ऊँचा किया जाये कहा निस्फ़ पिंडली तक।

हदीस न. 11 :– सही बुख़ारी में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपने कपड़े तकब्बुर से नीचा करेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी तरफ़ नज़र नहीं फ़रमायेगा। हज़रत अबूबक्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा तहबन्द लटक जाता है मगर उस वक़्त कि मैं पूरा ख़्याल रखूँ (यानी उनके शिकम पर तहबन्द रुकता नहीं था सरक जाता था) हुज़ूर ने फ़रमाया तुम उनमें से नहीं जो तकब्बुर से लटकाते हैं (यानी जो जानबूझ कर तहबन्द को नीचा करते हैं उनके लिए वह वईद है)

हदीस न. 12 :– अबू दाऊद ने इकरेमा से रिवायत की। कहते हैं मैंने इब्ने

अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा को देखा कि उनकी तहबन्द का हाशिया पुश्ते क़दम पर था यानी लुंगी का किनारा पैर के ऊपरी हिस्से पर था। मैंने कहा आप इस तरह क्यूँ तहबन्द बांधते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को इस तरह तहबन्द बांधते हुए देखा है।

हदीस न. 13 :– तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने असमा बिन्ते यज़ीद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहती हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की क़मीज़ की आस्तीन गट्टे तक थी।

हदीस न. 14 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा ने सुमरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सफ़ेद कपड़े पहनो कि वह ज़्यादा पाक और सुथरे हैं और उन्हीं में अपने मुर्दे कफ़नाओ।

हदीस न. 15 :– इब्ने माजा ने अबू दरदा रदियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सबमें अच्छे वह कपड़े जिन्हें पहनकर तुम ख़ुदा की ज़ियारत क़ब्रों और मस्जिदों में करो सपैद हैं यानी सफ़ेद कपड़ों में नमाज़ पढ़ना और मुर्दे कफ़नाना अच्छा है।

हदीस न. 16 :– तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कहते हैं एक शख़्स सुर्ख़ कपड़े पहने हुए गुज़रे और उन्होंने हुज़ूर को सलाम किया और हुज़ूर ने ज़वाब नहीं दिया।

हदीस न. 17 :– अबू दाऊद ने आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि असमा रदियल्लाहु अ़न्हा बारीक कपड़े पहन कर हुज़ूर के सामने आईं। हुज़ूर ने मुँह फेर लिया और यह फ़रमाया ऐ असमा जब औरत बालिग़ हो जाए तो उसके बदन का कोई हिस्सा दिखाई न देना चाहिए सिवाय मुँह और हाथों के।

हदीस न. 18 :– इमाम मालिक अल्क़मा इब्ने अबी अल्क़मा से वह अपनी माँ से रिवायत करते है कि हफ़सा बिन्ते अब्दुर्रहमान हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के पास बारीक दुप्ट्टा ओढ़कर आईं। हज़रत आइशा ने उनका दुप्ट्टा फाड़ दिया और मोटा दुप्ट्टा दे दिया।

हदीस न. 19 :– तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इमामा बांधते तो दोनों शानों के दरमियान शिमला लटकाते।

हदीस न. 20 :– बयहक़ी ने शोबुल ईमान में उबादह इब्ने सामित रदियल्लाहु

तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इमामा बांधना इख़्तियार करो कि यह फ़रिश्तों का निशान है और उसको पीठ के पीछे लटका लो।

हदीस न. 21 :– तिर्मिज़ी ने रूकाना रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि हमारे और मुश्रिकीन के बीच यह फ़र्क़ है कि हमारे इमामे टोपियों पर होते हैं।

हदीस न. 22 :– तिर्मिज़ी ने आइशा रद्रियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं कि हुज़ूर ने मुझसे ये फ़रमाया आइशा अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो दुनिया से इतने ही पर बस करो जितना सवार के पास तोशा होता है और मालदारों के पास बैठने से बचो और कपड़े को पुराना न समझो जब तक पेवन्द न लगा लो।

हदीस न. 23 :– अबू दाऊद ने अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या सुनते नहीं हो क्या सुनते नहीं हो रद्दी हालात (ख़राब हालात) में होना ईमान से है।

हदीस न. 24 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व इब्ने माजा ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स शोहरत का कपड़ा पहने क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसको ज़िल्लत का कपड़ा पहनायेगा। लिबासे शोहरत से मुराद ये है कि तकब्बुर के तौर पर अच्छे कपड़े पहने या जो शख़्स दुरवेश न हो वह ऐसे कपड़े पहने जिससे लोग उसे दुरवेश समझे या आलिम न हो और उलमा के से कपड़े पहनकर लोगों के सामने अपना आलिम होना जताता है यानी कपड़े से मक़सूद किसी ख़ूबी का इज़हार हो।

हदीस न. 25 :– अबू दाऊद ने एक साहबी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो बावजूदे .कुदरत अच्छे कपड़े पहनना तवाज़ो के तौर पर छोड़ दे अल्लाह तआला उसको करामत का हुल्ला पहनायेगा।

हदीस न. 26 :– इमाम अहमद व निसाई जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तश्रीफ़ लाये एक शख़्स का बड़ा गन्दा सर देखा जिसके बाल बिखरे हुए हैं। फ़रमाया क्या इसको ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे बालों को इकट्ठा कर ले

और दूसरे शख़्स को मैले कपड़े पहने हुए देखा। फ़रमाया क्या इसे ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे कपड़े धो ले ?

हदीस न. 27 :– तिर्मिज़ी ने अब्दुल्ला इब्ने अम्र रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला को ये बात पसन्द है कि उसकी नेमत का असर बन्दे पर ज़ाहिर हो।

हदीस न. 28 :– इमाम अहमद व निसाई ने अबुल अहवस से उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की कहते है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मेरे कपड़े घटिया थे। हुज़ूर ने फ़रमाया क्या तुम्हारे पास माल नहीं है। मैंने अर्ज़ किया हाँ है। फ़रमाया किस क़िस्म का माल है। मैंने अर्ज़ किया .खुदा का दिया हर क़िस्म का माल है ऊँट, गाय, बकरियाँ, घोड़ा, .गुलाम। फ़रमाया जब .खुदा ने तुम्हें माल दिया है तो उसकी नेमत व करामत का असर तुम पर दिखाई देना चाहिए।

हदीस न. 29 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अम्र व अनस व इब्ने ज़ुबैर व अबू उमामा रद़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो दुनिया में रेशम पहनेगा वह आख़िरत में नहीं पहनेगा।

हदीस न. 30 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है क़ि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो दुनिया में रेशम पहनेगा उसके लिए आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है।

हदीस न. 31 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रेशम पहनने की मुमानअत फ़रमायी मगर इतना —— और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियाँ बीच वाली और कलिमे की उगँली को मिला कर इशारा किया। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हज़रते उमर ने ख़ुतबे में फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रेशम की मुमानअत फ़रमाई है मगर दो या चार उंगलियों के बराबर। यानी किसी कपड़े में इतनी चौड़ी रेशम की गोट लगाई जा सकती है।

हदीस न. 32 :– सही मुस्लिम में असमा बिन्ते अबी बक्र रद़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उन्होंने एक रंगीन जुब्बा निकाला जिसका गिरेबान रेशम का था और दोनों चाकों में रेशम की गोट लगी थी और ये कहा कि ये रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुब्बा है जो हज़रते आइशा के पास था जब हज़रते आइशा का इन्तेक़ाल हो गया मैंने ले लिया हुजूर इसे पहना करते थे और हम इसे धोकर बीमारों को बग़रज़े शिफ़ा पिलाते हैं।

हदीस न. 33 :– तिर्मिजी व निसाई ने अबू मूसा अशअरी रद्वियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल है और मर्दों पर हराम।

हदीस न. 34 :–सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रद्वियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे कुसुम के रगें हुए कपड़े पहने हुए देखा। फ़रमाया ये काफ़िरों के कपड़ें हैं इन्हें तुम मत पहनो। मैंनें कहा धो डालूँ। फ़रमाया इन्हें जला दो।

हदीस न. 35 :– तिर्मिज़ी अबुल मलीह से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरिन्दे की खाल बिछाने से मना फ़रमाया।

हदीस न. 36 – तिर्मिज़ी अबू हुरैरा रद्वियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कमीज़ पहनते तो दाहिने से शुरू करते।

हदीस न. 37 :– तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अबू सईद ख़ुदरी रद्वियल्लाहु अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नया कपड़ा पहनते उसका नाम लेते इमामा या कमीज़ या चादर फिर ये दुआ पढ़ते

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ۔

तर्जमा :– ऐ अल्लाह ! तेरे ही लिए हमारी तारीफ़ें हैं जैसे तूने य पहनने को दिया मैं तुझसे सवाल करता हूँ इसकी भलाई का और उसकी भलाई का जिस काम से ये बना है और मैं तुझसे पनाह माँगता हूँ इसके शर से और उस चीज़ के शर से जिसके लिए ये बना है।

हदीस न. 38 :– अबू दाऊद ने मआज़ इब्ने अनस रद्वियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया जो शख़्स कपड़े पहने और ये पढ़े :–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَسَانِیْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَلَا قُوَّةٍ۔

(तर्जमा :– सब ख़ूबियाँ अल्लाह के लिए जिसने ये मुझे पहनाया और मेरी किसी ताक़त व .कुव्वत के बग़ैर मुझे नसीब किया।) तो उसके अगले गुनाह बख़्श दिये जायेंगें।

हदीस न. 39 :– इमाम अह़मद ने अबू मुतर से रिवायत की कि हज़रते अ़ली रद़ियल्लाहु अ़न्हु ने तीन दरहम में कपड़ा ख़रीदा उसको पहनते वक़्त ये पढ़ा

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَزَقَنِيْ مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهٖ فِي النَّاسِ
وَأُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ۔

तर्जुमा :– तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने पोशाकों में मुझे वह अता फ़रमाया जिससे मैं लोगों में ज़ेबाई हासिल करूँ और अपना सतर छुपाऊँ।

फिर ये कहा कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यही पढ़ते हुए सुना।

हदीस न. 40 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबू उमामा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने नया कपड़ा पहना और ये पढ़ा :–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ۔

तर्जमा :– सारी ह़म्द व सताइश अल्लाह के लिए जिसने मुझे वह पहनाया जिससे अपना सतर छुपाऊँ और अपनी ज़िन्दगी में ज़ेबे तन करूँ।

फिर ये कहा कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुना कि जो शख़्स नया कपड़ा पहनते वक़्त ये पढ़े और पुराने कपड़े को सदक़ा कर दे वह ज़िन्दगी में और मरने के बाद अल्लाह तआ़ला की पनाह़ व हिफ़ाज़त व सतर में रहेगा तीनों लफ़्ज़ के एक ही मअनी हैं यानी अल्लाह तआ़ला उसका हाफ़िज़ व निगेहबान है।

हदीस न. 41 :– इमाम अह़मद व अबू दाऊद ने इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स जिस क़ौम से तशब्बो करे वह उन्हीं में से है।

ये हदीस एक अस्ल कुल्ली है लिबास व आदात व अतवार मे किन लोगों से मुशाबहत करनी चाहिए और किन से नहीं करनी चाहिए। कुफ़्फ़ार व फ़ुस्साक़ व फ़ुज्ज़ार से मुशाबहत बुरी है और अहले सलाह व तक़वा की

मुशाबहत अच्छी है। फिर उस तशब्बो के भी दरजात हैं और उन्हीं के एतेबार से अहकाम भी मुख़्तलिफ हैं। कुफ्फार व .फुस्साक़ से तशब्बो का अदना मर्तबा कराहत है। मुसलमान अपने को उन लोगों से मुमताज़ (अलग पहचान) रखें कि पहचाना जा सके और ग़ैर मुस्लिम का शुबा उस पर न हो सके।

हदीस न. 42 :– अबू दाऊद ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत की जो मर्दों से तशब्बो करे और उन मर्दों पर जो औरतों से तशब्बो करे।

हदीस न. 43 :– अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत की जो औरतों का लिबास पहनता है और उस औरत पर लानत की जो मर्दाना लिबास पहनती है।

हदीस न. 44 :– अबू दाऊद इमरान इब्ने हसीन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि न मैं सुर्ख़ ज़ीनपोश पर सवार होता हूँ और न कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा पहनता हूँ और न मैं वह क़मीज़ पहनता हूँ जिसमें रेशम का कफ़ लगा हुआ हो (यानी चार उंगुल से ज़्यादा) सुन लो मर्दो की .ख़ुशबू वह है जिसमें बू हो और रंग न हो और औरतों की ख़ुशबू वह है जिसमें रंग हो बू न हो यानी मर्दो में .ख़ुशबू मक़सूद होती है उसका रंग नुमाया न होना चाहिए कि बदन या कपड़े रंगीन हो जाये और औरतें हलकी .ख़ुशबू इस्तेमाल करें कि यहाँ ज़ीनत मक़सूद होती है और रंगीन .ख़ुशबू मसलन .ख़ुलूक़ से हासिल होती है तेज़ .ख़ुशबुओं से ख़्वामख़्वाह लोगों की निगाहें उठेंगी ।

हदीस न. 45 :– तिर्मिज़ी ने अबू रमसा तैमी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि मैं नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर दो सब्ज़ कपड़े पहने हुए थे।

हदीस न. 46 :– अबू दाऊद ने दिहया इब्ने ख़लीफा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि नबीए स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में चन्द क़िब्ती कपड़े लाये गये। हुज़ूर ने एक मुझे दिया और ये फ़रमाया कि इसको दो टुकड़े कर लो एक टुकड़े की कमीज़ बना लो और एक अपनी बीवी को दे देना वह ओढ़नी बना लेगी। जब ये चले तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि अपनी बीवी से कह देना कि उसके नीचे कोई दूसरा कपड़ा लगा ले ताकि बदन न झलके।

हदीस न. 47 :– सही बुखारी व मुस्लिम में आइशा रद़ियल्लाह तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बिछौना जिस पर आराम फरमाते थे चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मुस्लिम की रिवायत में है कि हुज़ूर का तकिया चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी थी।

हदीस न. 48 :– सही मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक बिछौना मर्द के लिए और एक उसकी ज़ौजा के लिए और तीसरा मेहमान के लिए और चौथा शैतान के लिए यानी घर के आदमियों और मेहमानों के लिए बिछौने जाएज़ हैं और हाजत से ज़्यादा न चाहिए।

मसअला :– इतना लिबास जिससे सतरे औरत हो जाये और गर्मी सर्दी की तकलीफ़ से बचे फ़र्ज़ है —— और इससे ज़्यादा जिससे जीनत मकसूद हो और ये कि जब कि अल्लाह ने दिया है तो उसकी नेमत का इज़हार किया जाये ये मुस्तहब है ––– ख़ास मौके पर मसलन जुमा या ईद के दिन उमदा कपड़े पहनना मुबाह है —— इस क़िस्म के कपड़े रोज़ाना न पहने क्योंकि हो सकता है कि इतराने लगे और ग़रीबों को जिनके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं नज़रे हिकारत से देखे लिहाज़ा इससे बचना ही चाहिए ––– और तकब्बुर के तौर पर जो लिबास हो वह ममनू है ——— तकब्बुर है या नहीं ? इसकी शनाख़्त यूँ करे कि इन कपड़ों के पहनने से पहले अपनी जो हालत पाता था अगर पहनने के बाद भी वही हालत है तो मालूम हो कि उन कपड़ों से तकब्बुर पैदा नहीं हुआ अगर वह हालत बाकी नहीं रही तो तकब्बुर आ गया लिहाज़ा ऐसे कपड़े से बचे कि तकब्बुर बहुत बुरी सिफ़त है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बेहतर ये है कि ऊनी या सूती या कतान के कपड़े बनावाये जायें जो सुन्नत के मुवाफ़िक़ हों। न निहायत आला दर्जे के हों न बहुत घटिया। बल्कि मुतावस्सत (बीच वाले) क़िस्म के हों —— कि जिस तरह बहुत आला दर्जे के कपड़ों से नमूद (शान) होती है बहुत घटिया कपड़े पहनने से भी नुमाइश होती है। लोगों की नज़रें उठती हैं कि ये कोई साहिबे कमाल और तारिके दुनिया शख़्स है। सफ़ेद कपड़े बेहतर हैं कि हदीस में इसकी तारीफ़ आई है और सियाह कपड़े भी बेहतर हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के दिन जब मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ लाये तो सरे

अक़दस पर सियाह इमामा था। सब्ज़ कपड़ों को बाज़ किताबों में सुन्नत लिखा है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सुन्नत ये है कि दामन की लम्बाई आधी पिंडली तक हो और आस्तीन की लम्बाई ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों के पोरों तक और चौड़ाई एक बालिश्त हो। (रद्दुल मुहतार) इस ज़माने में बहुत से मुसलमान पैजामे की जगह जांघिया पहनने लगे हैं इसके नाजाएज़ होने में क्या कलाम है कि घुटनों का खुला होना हराम है और बहुत लोगों के कुर्ते की आस्तीन कुहनी के ऊपर होती है ये भी ख़िलाफ़े सुन्नत है और दोनों कपड़े नसारा की तक़लीद में पहने जाते हैं, इस चीज़ ने उनकी क़बाहत में और इज़ाफ़ा कर दिया।

अल्लाह तआला मुसलमानों की आँखें खोले कि वह कुफ़्फ़ार की तक़लीद और उनके वज़ा क़ता से बचें यानी उनके तरीक़ों से बचें। हज़रत अमीरूल मोमेनीन फ़ारूक़े आज़म रद़ियल्लाहु अ़न्हु का इरशाद आप ने लश्करियों के लिए भेजा था जिनमें बेशतर हज़रात सहाबःए किराम थे उसको मुसलमान पेशे नज़र रखें और अमल की कोशिश करें और वह इरशाद ये है :–

"अजमियों के भेस से बचो ––– उनकी जैसी वज़ा क़ता न बना लेना।"

मसअला :– रेशम के कपड़े मर्द के लिये हराम हैं। बदन और कपड़ों के दरमियान कोई दूसरा कपड़ा हाएल हो (यानी बीच में हो) या न हो दोनों सूरतों में हराम है। हाँ अगर ताना सूत हो और बाना रेशम तो लड़ाई के मौक़े पर पहनना जाएज़ है और अगर ताना रेशम हो और बाना सूत हो तो हर शख़्स के लिए हर मौक़े पर जाएज़ है। मुजाहिद (जिहाद करने वाला) और ग़ैर-मुजाहिद दोनों पहन सकते है। लड़ाई के मौक़े पर ऐसा कपड़ा पहनना जिसका बाना रेशम हो उस वक़्त जाएज़ है जबकि कपड़ा मोटा हो और अगर बारीक़ हो तो नाजाएज़ है कि उसका जो फ़ायदा था उस सूरत में हासिल न होगा (हिदाया व दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– ताना रेशम हो और बाना सूत मगर कपड़ा इस तरह बनाया गया है कि रेशम ही रेशम दिखाई देता है तो उसका पहनना मकरूह है। (आलमगीरी) बाज़ किस्म की मख़मल ऐसी होती है कि उसके रूयें रेशम के होते है उसके पहनने का भी यही हुक्म है उसकी टोपी और सदरी वग़ैरा भी न पहनी जाये।

मसअला :– रेशम के बिछौने पर बैठना लेटना और उसका तकिया लगाना भी ममनू है अगरचे पहनने में बनिसबत इसके ज़्यादा बुराई है। (आलमगीरी)

मगर दुर्रेमुख़्तार में इसके ख़िलाफ़ बताया है और ज़ाहिर यही है कि ये जाएज़ है।
मसअला :– टसर कि एक क़िस्म के रेशम का नाम है भागलपुरी कपड़े टसर के कहलाते हैं वह मोटा रेशम होता है उसका हुक्म भी वही है जो बारीक रेशम का है। काशी सिल्क और चीना सिल्क भी रेशम ही हैं उसके पहनने का भी वही हुक्म है। सन और रामबांस के कपड़े जो बज़ाहिर बिल्कुल रेशम मालूम होते हों उसका पहनना अगरचे रेशम का पहनना नहीं है मगर उससे बचना चाहिए .ख़ुसूसन उलमा को कि लोगों को बदज़नी का मौक़ा मिलेगा, दूसरों को रेशम पहनने का ज़रिया बनेगा। इस ज़माने में केले का रेशम चला है ये रेशम नहीं है बल्कि किसी दरख़्त की छाल से उसको बनाते हैं और ये बहुत ज़ाहिर तौर पर शनाख़्त में आता है उसको पहनने में हर्ज नहीं।
मसअला :– रेशम का लिहाफ़ ओढ़ना नाजाएज़ है कि ये भी लुब्स (पहनने) में दाख़िल है। रेशम के पर्दे दरवाज़ों पर लटकाना मकरूह है। कपड़े बेचने वाले ने रेशम के कपड़े कंधे पर डाल लिये जैसे कि फेरी करने वाले कंधों पर डाल लिया करते है ये नाजाएज़ नहीं कि ये पहनना नहीं है और अगर जुब्बा या कुर्ता रेशम का हो और उसकी आस्तीनों में हाथ डाले अगर्चे बेचने के लिये लिये जा रहा है ये ममनूअ है। (आलमगीरी)
मसअला :– औरतों को रेशम पहनना जाएज़ है अगरचे ख़ालिस रेशम हो उसमें सूत की बिल्कुल आमेज़िश न हो। (आम्मा कुतुब)
मसअला :– मर्दो के कपड़ो में रेशम की गोट चार उंगुल तक की जाएज़ है उससे ज़्यादा नाजाएज़ ---- यानी उसकी चौड़ाई चार उंगुल तक हो लम्बाई का शुमार नहीं ---- इसी तरह अगर कपड़े का किनारा रेशम से बुना हो जैसे कि बाज़ इमामा या चादरों या तहबन्द के किनारे इस तरह के होते हैं उसका भी यही हुक्म है कि अगर चार उंगुल तक का किनारा हो तो जाएज़ है वर्ना नाजाएज़ (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) यानी जब उस किनारे की बनावट भी रेशम की हो और अगर सूत की बनाबट हो तो चार उंगुल भी जाएज़ है। ---- इमामा या चादर के पल्लू रेशम से बने हों तो चूँकि बाना रेशम का होना जाएज़ है लिहाज़ा यह पल्लू भी चार उंगुल तक का ही होना चाहिए ज़्यादा न हो।
मसअला :– आस्तीन या गिरेबान या दामन के किनारे पर रेशम का काम हो तो वह भी चार उंगुल तक ही हो ---- सदरी या जुब्बे का साज़ रेशम का

हो तो चार उंगुल तक जाएज़ है —— और रेशम की घुंडियाँ भी जाएज़ है —— टोपी का तुर्रह भी चार उंगुल का जाएज़ है या पैजामे का नेफ़ा भी चार उगुल का जाएज़ है। अचकन या जुब्बे में शानों और पीठ पर रेशम के पान या कैरी चार उंगुल तक के जाएज़ हैं (रद्दुलमुहतार) ये हुक्म उस वक़्त है कि पान वग़ैरा मुग़रक़ (ढका हुआ) हो कि कपड़ा दिखाई न दे और अगर मुग़रक़ न हो तो चार उंगुल से ज़्यादा भी जाएज़ है।

मसअला :– रेशम के कपड़े का पेवन्द किसी कपड़े में लगाया अगर ये पेवन्द चार उंगुल तक का हो जाएज़ है और ज़्यादा हो तो नाजाएज़ ——— रेशम को रूई की तरह कपड़े में भर दिया गया मगर अबरा और अस्तर दोनों सूती हों तो उसका पहनना जाएज़ है और अगर अबरा या अस्तर दोनों में से कोई भी रेशम हो तो नाजाएज़ है। इसी तरह टोपी का अस्तर रेशम का किनारा चार उंगुल तक जाएज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– टोपी में लैस लगाई गयी या इमामा में गोट लचका लगाया गया अगर ये चार उंगुल से कम चौड़ा है जाएज़ है वर्ना नहीं।

मसअला :– मुताफ़र्रिक़ (विभिन्न) जगाहों पर रेशम का काम हैं तो उसको जमा नहीं किया जाएगा यानी अगर एक जगह चार उंगुल से ज़्यादा नहीं है मगर जमा करें तो ज़्यादा हो जाएगा ये जाएज़ नहीं —— लिहाज़ा कपड़े की बनावट में जगह जगह रेशम की धारियाँ हों तो जाएज़ है जबकि एक जगह चार उंगुल से ज़्यादा चौड़ी कोई धारी न हो यही हुक्म नक़्श-ओ-निगार का है कि एक जगह चार उंगुल से ज़्यादा न होना चाहिए —— और अगर फूल या काम इस तरह बनाया है कि रेशम ही रेशम नज़र आता हो जिसको मुग़रक़ कहते हैं जिसमें कपड़ा नज़र ही न आता हो तो उस काम को मुतफ़र्रिक़ नहीं कहा जा सकता —— इस क़िस्म का रेशम ज़री का काम टोपी या अचकन या सदरी या किसी कपड़े पर हो और चार उंगुल से ज़्यादा हो तो नाजाएज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) धारियों के लिए चार उंगुल से ज़्यादा न हो उस वक़्त जरूरी है कि बाने में धारियाँ हों और अगर ताने में हों और बाना सूत हो तो चार उंगुल से ज़्यादा होने की सूरत में भी जाएज़ है।

मसअला :– कपड़ा इस तरह बुना गया कि एक तागा सूत है और एक रेशम मगर देखने में बिल्कुल रेशम मालूम होता है यानी सूत नज़र नहीं आता ये नाजाएज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– सोने चाँदी से कपड़ा बुना जाये जैसा कि बनारसी कपडे में ज़री बुनी जाती है। कमख़्वाब और पोत में ज़री होती है और इसी तरह बनारसी इमामे के किनारे और दोनों तरफ के हाशिये ज़री के होते है उनका ये हुक्म है कि अगर एक जगह चार उंगुल से ज़्यादा हो तो नाजाएज़ है वरना जाएज़ ---- मगर कमख़्याब और पोत में चूँकि ताना बाना दोनों रेशम होता है लिहाज़ा ज़री अगरचे चार उंगुल से कम हो जब भी नाजाएज़ है ---- हाँ अगर सूती कपड़ा होता या ताना रेशम और बाना सूत होता और उसमें ज़री बुनी जाती तो चार उंगुल तक जाएज़ होता जैसे कि इमामा सूत का होता है और उसमें ज़री बुनी जाती है उसका यही हुक्म है कि एक जगह चार उंगुल से ज़्यादा नाजाएज़ है। यह हुक्म मर्दो के लिए है ---- औरतों के लिए रेशम और सोना चाँदी पहनना जाएज़ है उनके लिए चार उंगुल की तख़सीस नहीं। इसी तरह औरतों के लिए गोटे लचके अगरचे कितने ही चौड़े हों जाएज़ हैं और मुग़रक और ग़ैरमुग़रक का फ़र्क भी मर्दों ही के लिए है औरतों के लिए मुतलक़न जाएज़ है। (अलमुस्तफ़ाद मिन रद्दिल मुहतार)

मसअला :– ज़री की बनावट का जो हुक्म हैं वही उसके नक़्श व निगार का भी है, अब भी ज़री की टोपियाँ बाज़ लोग पहनते हैं अगर काम के दरमियान से कपड़ा नज़र आता हो तो चूँकि एक जगह चार उंगुल नहीं है जाएज़ है ---- और मुग़रक़ हो कि बिल्कुल काम लिसा हुआ हो तो चार उंगुल से ज़्यादा नाजाएज़ है। इसी तरह कामदानी कि कपड़ा ज़री के काम से छुप गया हो तो चार उंगुल से ज़्यादा वह जब एक जगह हो नाजाएज़ है वर्ना जाएज़।

मसअला :– कमर की पेटी रेशम की हो तो नाजाएज़ है ---- अगर सूती हो उसमें रेशम की धारी हो और चार उंगुल तक हो तो जाएज़ है (आलमगीरी) कलाबत्तू की पेटी नाजाएज़ है। बाज़ रईस लोग अपने सिपाहियों और चपरासियों की पट्टियाँ इस क़िस्म की बनवाते हैं उनको बचना चाहिए।

मसअला :– रेशम की मच्छरदानी मर्दों के लिए भी जाएज़ है क्योंकि उसका इस्तेमाल पहनने में दाख़िल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– रेशम के कपड़े में तावीज़ सी कर गले में लटकाना या बाज़ू पर बांधना नाजाएज़ है कि ये पहनने में दाख़िल है इसी तरह सोने और चाँदी में रखकर पहनना भी नाजाएज़ है और चाँदी या सोने ही पर तावीज़ गुदा हुआ हो ये बदर्जा औला नाजाएज़ है।

मसअला :– रेशम की टोपी अगरचे इमामा के नीचे हो ये भी नाजाएज है ––––– इसी तरह ज़री की टोपी भी नाजाएज़ है अगरचे इमामा के नीचे हो (दर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार) ज़रींकुलाह जो अफ़ग़ानी और सरहदी और पंजाबी इमामा के नीचे पहनते है और यह मुग़रक़ होती है। और उसका काम चार उंगुल से ज़्यादा होता है ये नाजाएज़ है हाँ अगर चार उंगुल या कम हो तो जाएज़ है।

मसअला :– रेशम का कमरबन्द ममनूअ है ––––––. रेशम के डोरे में तस्बीह गूंधी जाये तो उसको गले में डालना मना है –––– इसी तरह घड़ी का डोरा रेशम का हो तो उसको गले में डालना या रेशम की चेन काज में डालकर लटकाना भी ममनूअ है ––––– रेशम का डोरा या फ़ीता कलाई पर बांधना भी मना है –––– इन सबमें यह नहीं देखा जायेगा कि ये चीज़ चार उंगुल से कम हैं क्योंकि ये चीज रेशम की है। सोने चाँदी की ज़ंजीर घड़ी में लगाकर उसका गले में पहनना या काज में लटकाना या कलाई पर बांधना मना है (रद्दुल मुहतार) बल्कि दूसरी धात मसलन ताँबे, पीतल, लोहे वग़ैरा की चेनों का भी यही हुक्म है क्योंकि इन धातुओं का भी पहनना नाजाएज़ है –––– और अगर उन चीज़ों को लटकाया नहीं और न ही कलाई पर बांधा बल्कि जेब में पड़ी रहती हैं तो नाजएज़ नहीं कि उनके पहनने से मुमानअत है जेब में रखना मना नहीं।

मसअला :– क़ुर्आन मजीद का जुज़दान ऐंसे कपड़े का बनाया जिसका पहनना ममनूअ है तो उसमें क़ुर्आन मजीद रख सकता है मगर उसमें फ़ीता लगाकर गले में डालना ममनूअ है यानी मुमानअत उसी सूरत में हैं कि जुज़ंदान रेशम या ज़री का हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– रेशम की थैली में रूपये रखना मना नहीं हाँ उसको गले में लटकाना मना है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– रेशम का बटुआ गले में लटकाना मना है और उसमें छालिया तम्बाकू रखकर उसे जेब में रखना उसमें से खाना मना नहीं कि उसका पहनना मना है नाकि मुतलक़न इस्तेमाल और ज़री के बटुए का मुतलक़न इस्तेमाल मना है क्योंकि सोने चाँदी का मुतलक़न इस्तेमाल मना है उसमें से छालिया तम्बाकू को खाना भी मना है।

मसअला :– फ़स्साद फ़सद (फ़सद रगों से ख़ून निकालना और फ़स्साद रगों

से ख़ून निकालने वाला) लेते वक़्त पट्टी बांधता है ताकि रग ज़ाहिर हो जाये ये पट्टी रेशम की हो तो मर्द को ये पट्टी बांधना नाजएज़ है (आलमगीरी)

मसअला :– रेशम के मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ना हराम नहीं (रद्दुल मुहतार) मगर उस पर पढ़ना नहीं चाहिए।

मसअला :– मकान को रेशम चाँदी सोने से आरास्ता करना मसलन दीवारों दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे लटकाना और जगह जगह क़रीने से सोने चाँदी के बर्तन व आलात रखना जिससे मक़सूद महज़ आराइश व ज़ेबाइश हो तो कराहत है और अगर तकब्बुर या फ़ख़्र के तौर पर ऐसा करता है तो नाजाइज़ है (रद्दुल मुहतार) ग़ालिबन कराहत की वजह ये होगी कि ऐसी चीज़ें अगरचे शुरू में तकब्बुर से न हो मगर बाद में उमूमन उनसे तकब्बुर पैदा हो जाया करता है।

मसअला :– फ़ुक़हा व उलमा को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि वह पहचाने जायें ताकि लोगों को उनसे फ़ायदे का मौक़ा मिले और आलिम की वक़अत लोगों के ज़हननशीन हो (रद्दुल मुहतार) और अगर उसको अपना ज़ाती इम्तियाज़ मक़सूद हो तो ये मज़मूम (बुरा) है।

मसअला :– खाने के वक़्त बाज़ लोग घुटनों पर कपड़ा डाल लेते हैं ताकि अगर शोरबा टपके तो कपड़े ख़राब न हों जो कपड़ा घुटनों पर डाला गया अगर रेशम है तो नाजाएज़ है रेशम का रूमाल नाक वग़ैरा पोंछने या वुज़ू के बाद हाथ मुँह पोछने के लिए जाएज़ है यानी जबकि उससे पोंछने का काम ले रूमाल की तरह उसे न रखे और तकब्बुर भी मक़सूद न हो (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सोने चाँदी के बटन कुर्ते या अचकन में लगाना जाएज़ है जिस तरह रेशम की घुंडी जाएज़ है। (रद्दुल मुहतार) यानी जबकि बटन बग़ैर ज़ंजीर हों और अगर ज़ंजीर वाले बटन हों तो उनका इस्तेमाल नाजाएज़ है कि ये ज़ंजीर ज़ेवर के हुक्म में है जिसका इस्तेमाल मर्द को नाजाएज़ है।

मसअला :– आशूबे चश्म (आँखें दुखना) की वजह से मुँह पर सियाह रेशम का नक़ाब डालना जाएज़ है कि ये उज़्र की सूरत है (दुर्रेमुख़्तार) इस ज़माने में रंगीन चश्में बिकते हैं जो धूप और रौशनी के मौक़े पर लगाये जाते है ऐसे चश्में होते हुए रेशम के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं रहती।

मसअला :– नाबालिग़ लड़कों को भी रेशम के कपड़े पहनाना हराम है और गुनाह पहनाने वाले पर है (आलमगीरी)

मसअला :– कुसुम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा पहनना मर्द को मना है

गहरा रंग हो कि सुर्ख़ हो जाये या हल्का हो कि ज़र्द रहे दोनों का एक हुक्म है; औरतों को ये दोनों क़िस्म के रंग जाएज़ हैं। इन दोनों रंगों के सिवा बाक़ी हर किस्म के रंग ज़र्द, सुर्ख़, धानी, बसन्ती, चम्पई, नांरगी वग़ैरा मर्दों को भी जाएज़ है अगरचे बेहतर ये है कि सुर्ख़ रंग या शोख़ रंग के कपड़े मर्द न पहने ख़ुसूसन जिन रंगों में ज़नानापन हो मर्द उसको बिल्कुल न पहने (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार) और ये मुमानअत रंग की वजह से नहीं बल्कि औरतों से तशब्बो होता है इस वजह से मुमानअत है। लिहाज़ा अगर ये इल्लत न हो तो मुमानअत भी न होगी मसलन बाज़ रंग इस क़िस्म के हैं कि इमामा रंगा जा सकता है और कुर्ता पैजामा इसी रंग से रंगा जाये या चादर रंग कर इसी रंग से ओढ़े तो उसमें ज़नानापन ज़ाहिर होता है तो इमामा को ज़ाएज़ कहा जायेगा और दूसरे कपड़ों को मकरूह।

मसअला :– जिसके यहाँ मय्यत हुई उसे इज़हारे ग़म में स्याह कपड़े पहनना नाजाएज़ है (आलमगीरी) स्याह बिल्ले लगाना भी नाजाएज़ है। अव्वलन तो वह सोग की सूरत है दोम ये कि नसारा का ये तरीक़ा है ––––––– मुहर्रम के दिनों में यानी पहली मुहर्रम से बारहवीं तक तीन क़िस्म के रंग न पहने जायें। 1. स्याह कि ये राफ़ज़ियों का तरीक़ा है और 2. सब्ज़ कि ये मुबतदईन (बिदअती) यानी ताज़ियादारों का तरीक़ा है और 3. सुर्ख़ कि ये ख़ार्जियों का तरीक़ा है कि वह मआज़ अल्लाह .ख़ुशी के इज़हार के लिएं सुर्ख़ पहनते हैं।

(आला हज़रत क़िबला .क़ुद्दिसा सिर्रूहू)

मसअला :– ऊन और बालों के कपड़ें अम्बियाये किराम अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत है सबसे पहले सुलैमान अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कपड़े पहने। हदीस में है कि ऊन के कपड़े पहनकर अपने दिलों को मुनव्वर करो कि ये दुनिया में मज़ल्लत (ज़लील करना) है और आख़िरत में नूर है (आलमगीरी) और सूफ़ यानी ऊन के कपड़े औलिया कामेलीन और बुज़ुर्गाने दीन ने पहने और उनको सूफ़ी कहने की एक वजह ये भी है कि वह सूफ़ यानी ऊन के कपड़े पहनते थे अगरचे उनके जिस्म पर कमली होती मगर दिल मख़्ज़ने अनवारे इलाही और मादने असरारे नामुतानाही होता (यानी नूरे इलाही का ख़ज़ाना और अल्लाह के भेदों का ख़ज़ाना होता है) मगर इस ज़माने में ऊन के कपड़े बहुत बेशक़ीमत होते हैं और उनका शुमार फ़ख़्र वाले लिबास में होता है। ये चीज़ें .फ़ुक़रा व .ग़ुरबा को कहाँ मिलें उन्हें तो अमीर और रईस लोग

इस्तेमाल करते हैं। फ़ुक़हा और हदीस का मक़सद ग़ालेबन उन बेश-क़ीमत ऊनी कपड़ों से पूरा न होगा बल्कि वही मामूली देसी कम्बल जो कम वक़अत समझे जाते हैं उनके इस्तेमाल से वह बात पूरी होगी।

मसअला :– पजामा पहनना सुन्नत है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सतरे औरत है यानी इतना बदन जिसे छुपाना फ़र्ज़ है इससे उसका मक़सद ख़ूब पूरा हो जाता है (आलमगीरी) उसको सुन्नत इस मअनी में कहा गया है कि हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे पसन्द फ़रमाया और सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने पहना .ख़ुद हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तहबन्द पहना करते थे पजामा पहनना साबित नहीं।

मसआला : मर्द को ऐसा पजामा पहनना जिसके पायँचे के अगले हिस्से पुश्ते क़दम पर रहते हों मकरूह है। कपड़ों में इसबाल यानी इतना नीचा कुर्ता जुब्बा, पजामा, तहबन्द पहनना कि टख़ने छुप जायें ममनूअ है। यह कपड़े आधी पिंडली से लेकर टख़ने तक हों यानी टख़ने न छुपने पायें (आलमगीरी) मगर पाजामा या तहबन्द बहुत ऊँचा पहनना आजकल वहाबियों का तरीक़ा है. लिहाज़ा इतना ऊँचा भी न पहने कि देखने वाला वहाबी समझे। इस ज़माने में बाज़ लोगों ने पाजामे बहुत नीचे पहनने शुरू कर दिए कि टख़ने तो क्या ऐड़ियाँ भी छुप जाती हैं, हदीस में इसकी बहुत सख़्त मुमानअत आई है यहाँ तक कि इरशाद फ़रमाया कि टख़ने से जो नीचा हो वह जहन्नम में है और बाज़ लोग इतना ऊँचा पहनते हैं कि घुटने भी खुल जाते हैं जिसको नेकर कहते हैं यह नसरानियों से सीखा है,ऊँचा पहनते हैं तो घुटने खोल देते हैं और नीचा पहनते हैं तो ऐड़ियाँ छुपा देते हैं,। इफ़रात व ज़्यादती से अलग होकर मसनून तरीक़ा नहीं इख़्तेयार करते। बाज़ लोग चूड़ीदार पाजाम पहनते हैं इसमें भी टख़ने छुपते हैं और अज़्व की पूरी हैयत नज़र आती है यानी नंगा सा मालूम होता है। औरतों को बिलख़ुसूस चूड़ीदार पाजामा नहीं पहनना चाहिए। औरतों के पाजामे ढीले ढाले हों और नीचे हों कि क़दम छुप जायें उनके लिए जहाँ तक पाँव का ज़्यादा हिस्सा छुपे अच्छा है।

मसअला :– मोटे कपड़े पहनना और पुराना हो जाये तो पेवन्द लगाकर पहनना इसलामी तरीक़ा है (आलमगीरी) हदीस में फ़रमाया कि जब तक पेवन्द लगाकर पहन न लो पुराना न समझो और बहुत बारीक कपड़े न पहने जिससे

बदन की रंगत झलके ख़ुसूसन तहबन्द कि अगर ये बारीक है तो सतरे औरत न हो सकेगा। इस ज़माने में एक ये बला भी पैदा हो गयी है कि साड़ी का तहबन्द पहनते हैं जिससे बिल्कुल सतरे औरत नहीं होता और उसी को पहनकर बाज़ लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं उनकी नमाज़ भी नहीं होती कि सतरे औरत नमाज़ में फ़र्ज़ है। बाज़ लोग पजामा और तहबन्द की जगह धोती बांधते हैं धोती बांधना हिन्दुओं का तरीक़ा है और उससे सतरे औरत भी नहीं होता, चलने में रान का पिछला हिस्सा खुल जाता है और नज़र आता है।

मसअला :– सद्ल यानी सर या शाने पर कपड़े डालकर उसके किनारे लटकाये रखना नमाज़ में मकरूह है (जिसका बयान बहारे शरीअ़त के तीसरे हिस्से में गुज़र चुका है वहाँ से मालूम करें) मगर नमाज़ में न हो तो मकरूह है या नहीं उसमें तफ़सील ये है कि अगर कुर्ता या पजामा या तहबन्द पहने हुए है और चादर को सर या शानों से लटका दिया तो मकरूह नहीं और अगर कुर्ता नहीं पहने हुए है तो सद्ल मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअला :– पोस्तीन (जैसे आजकल खाल वग़ैरा की जैकेट) पहनना जाएज़ है। बुर्ज़ुगानें दीन उलमा व मशाइख़ ने पहनी है —— जो जानवर हलाल नहीं अगर उसको ज़िबह कर लिया हो या उसके चमड़े की दबाग़त (नमक वग़ैरा से चमड़े को साफ़ कर लेना) कर ली हो तो उसकी पोस्तीन भी पहनी जा सकती है और उसकी टोपी ओढ़ी जा सकती है मसलन लोमड़ी की पोस्तीन या समूर की पोस्तीन कि बिल्ली की शक्ल का एक जानवर होता है जिसकी पोस्तीन बनाई जाती है। इसी तरह सनजाब की पोस्तीन ये घूस की शक्ल का जानवर होता है। (आलमगीरी)

मसअला :– दरिन्दा जानवर शेर चीता वग़ैरा की पोस्तीन में भी हर्ज नहीं उसको पहन सकते हैं उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं (आलमगीरी) अगरचे अफ़ज़ल उससे बचना है। हदीस में चीते की खाल पर सवार होने की **मुमानअत** आई है।

मसअला : नाक मुँह पोंछने के लिए रूमाल रखना या वुज़ू के बाद हाथ मुँह पोंछने के लिए रूमाल रखना जाएज़ है इसी तरह पसीना पोंछने के लिए रूमाल रखना जाएज़ है और अगर बराहे तकब्बुर हो तो मना है। (आलमगीरी)

इमामा का बयान

इमामा बांधना सुन्नत है .खुसूसन नमाज़ में कि जो नमाज इमामा के साथ पढ़ी जाती है उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। इमामा के मुताल्लिक़ चन्द हदीसें ऊपर ज़िक्र की जा चुकी हैं।

मसअला :– इमामा बांधे तो उसका शिमला पीठ पर दोनों शानों के दरमियान लटका ले। शिमला कितना होना चाहिए उसमें इख़्तेलाफ़ है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो कि बैठने में न दबे (आलमगीरी) बाज़ लोग शिमला बिल्कुल नहीं लटकाते ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है और बाज़ शिमले को ऊपर लाकर इमामा में घुरस देते है ये भी न चाहिए .खुसूसन हालते नमाज़ में ऐसा है तो नमाज़ मकरूह होगी।

मसअला :– इमामा को जब फिर से बांधना हो तो उसे उतार कर फेंक न दे बल्कि जिस तरह लपेटा है उसी तरह उधेड़ा जाये। (आलमगीरी)

मसअला :– टोपी पहनना .खुद हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है (आलमगीरी) मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामा भी बांधते थे यानी इमामे के नीचे टोपी होती और ये फ़रमाया कि हम में और उनमें फ़र्क़ टोपी पर इमामा बांधना है —— यानी हम दोनों चीज़ें रखते हैं और वह सिर्फ़ इमामा ही बांधते है उसके नीचे टोपी नहीं रखते चुनाँचे यहाँ के कुफ़्फ़ार भी अगर पगड़ी बांधते हैं तो उसके नीचे टोपी नहीं पहनते। बाज़ ने हदीस का ये मतलब भी बयान किया कि सिर्फ़ टोपी पहनना मुशरिकीन का तरीक़ा है मगर ये क़ौल सही नहीं क्योंकि मुशरिकीन अरब भी इमामा बांधा करते थे।

मिरक़ात शरहे मिशकात में मज़कूर है कि हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का छोटा इमामा सात हाथ का और बड़ा इमामा बारह हाथ का था बस इसी सुन्नत के मुताबिक़ इमामा रखे इससे ज़्यादा बड़ा न रखे। बाज़ लोग बहुत बड़ा इमामा बांधते हैं ऐसा न करे कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है। मारवाड़ के इलाके में बहुत से लोग पगड़ियाँ बांधते हैं जो बहुत कम चौड़ी होती हैं और चालीस पचास गज़ लम्बी होती हैं इस तरह की पगड़ियाँ मुसलमान न बांधें।

मुतफ़र्रिक़ मसाइल :– बुज़ुर्गाने दीन औलिया व सालेहीन के मज़ारात तय्यबा पर गिलाफ़ डालना जाइज़ है जबकि ये मक़सूद हो कि साहिबे

मज़ार की वक़अत नज़रे अवाम में पैदा हो उनका अदब करें उनसे बरकात हासिल करें (दुर्रेमुख़तार) याद्दाश्त के लिए यानी इस गर्ज़ से कि बात याद रहे बाज़ लोग रूमाल या कमरबन्द में गिरह लगा लेते हैं या किसी जगह उंगली वग़ैरा पर डोरा बांध लेते है ये जाएज़ है ——— और बिला वजह डोरा बांध लेना मकरूह है।
(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– गले में तावीज़ लटकाना जाएज़ है जबकि वह तावीज़ जाएज़ हो यानी आयते .कुर्आन या असमाये इलहिया या दुआओं से तावीज़ किया जाये और बाज़ हदीसों में जो मुमानअत आयी है उससे मुराद वह तावीज़ हैं जो नाजाएज़ अलफ़ाज़ पर मुशतमल हों जो ज़मानए जाहिलियत में किये जाते थे। इसी तरह तावीज़ और आयत व अहादीस व दुआओं को रकाबी में लिखकर मरीज़ को शिफ़ा की नियत से पिलाना भी जाएज़ है। जुनुब व हाएज़ व नुफ़सा भी तावीज़ को गले में पहन सकते हैं, बाज़ू पर बांध सकते हैं जबकि ग़िलाफ़ में हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बिछौने या मुसल्ले पर कुछ लिखा हो तो उसका इस्तेमाल करना नाजाएज़ है। ये इबारत उसकी बनावट में हो या काढ़ी गयी हो या रोशनाई से लिखी गयी हो अगरचे हुरूफ़े मुफ़रदह (तन्हा) लिखे गये हों क्योंकि हुरूफ़े मुफ़रदह का भी एहतराम है (दुर्रे मुख़्तार) अकसर दस्तरख़्वान पर इबारत लिखी होती है ऐसे दस्तरख़्वान को इस्तेमाल में लाना, उन पर खाना खाना न चाहिए बाज़ लोगों के तकिये पर अशआर लिखे होते हैं उनका भी इस्तेमाल न किया जाये।

मसअला :– बाज़ काश्तकार अपने खेतों में कपड़ा लपेटकर किसी लकड़ी पर लगा देते हैं उससे मक़सूद नज़रे बद से खेतों को बचाना होता है क्योंकि देखने वाले की नज़र पहले उस पर पड़ेगी उसके बाद ज़राअत (खेती) पर पड़ेगी और इस सूरत में ज़राअत को नज़र नहीं लगेगी। ऐसा करना नाजाएज़ नहीं क्योंकि नज़र का लगना सही है। अहादीस से साबित है इसका इन्कार नहीं किया जा सकता। हदीस में है कि जब अपनी या किसी मुसलमान भाई की चीज़ देखे और पसन्द आये तो बरकत की दुआ करे ये कहे :–

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ

या उर्दू में यह कह दे कि अल्लाह बरकत करे इस तरह कहने से नज़र नहीं लगेगी।
(रद्दुल मुहतार)

जूता पहनने का बयान

हदीस 1 :– सही मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को ये फ़रमाते सुना कि जूता बकसरत इस्तेमाल करो कि आदमी जब तक जूते पहने हुए है वह सवार है यानी कम थकता है।

हदीस 2 :– सही बुख़ारी में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को मैंने ऐसी नालैन पहने देखा जिनमें बाल न थे।

हदीस 3. :– सही बुख़ारी में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि हुज़ूर की नालैन में दो क़िबाल थे यानी उंगली के नीचे दो तस्मे थे।

हदीस 4 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबु हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब जूता पहने तो पहले दाहिने पाँव में पहने और जब उतारे तो पहले बायें पाँव का उतारे कि दाहिना पहनने में पहले हो और उतारने में पीछे।

हदीस 5 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक जूता पहनकर न चले दोनों उतार दे या दोनों पहन ले।

हदीस 6 :– सही मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जूते का तस्मा टूट जाये तो फ़क़त एक जूता पहनकर न चले बल्कि तस्में को दुरुस्त कर ले और एक मोज़ा पहनकर न चले।

हदीस 7 :– तिर्मिज़ी ने जाबिर से और इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने खड़े होकर जूता पहनने से मना फ़रमाया। ये हुक्म उन जूतों का है जिनको खड़े होकर पहनने में दिक़्क़त होती है जिनमें तस्में बांधने की ज़रूरत होती है। इसी तरह बूट जूता भी बैठकर पहने कि इसमें भी फ़ीता बांधना पड़ता है और खडे होकर बांधने में दुश्वारी होती है और जो इस क़िस्म के न हों जैसे सलीम शाही या नागरा या वह चप्पल जिसमें तस्में बांधना नहीं होता उनको खड़े होकर पहनने में हरज नहीं।

हदीस 8 :– तिर्मिज़ी ने आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कभी एक नअल पहन कर भी चले हैं। ये बयान जवाज़ के लिए होगा या दो एक क़दम चलना हुआ होगा मसलन हुजरे का दरवाज़ा खोलने के लिए।

हदीस 9 :– अबू दाऊद ने इब्ने अबी मुलैक से रिवायत की कि किसी ने हज़रते आइशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से कहा कि एक औरत (मर्दों की तरह) जूता पहनती है। उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मर्दानी औरतों पर लानत फ़रमाई।

यानी औरतों को मर्दाना जूता नहीं पहनना चाहिए बल्कि वह तमाम बातें जिनमें मर्दों और औरतों का इम्तियाज़ होता है उनमें हर एक को दूसरे की वज़ा इख़्तियार करने से मुमानअत है। न मर्द औरतों की वज़ा इख़्तियार करे न औरत मर्द की।

हदीस 10 :– अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने बुरीदह रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि किसी ने फ़ज़ाला इब्ने उबैद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से कहा कि क्या बात है कि आपका बड़ा गन्दा सर देखता हूँ। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हमको कसरते इरफ़ाह यानी बने संवरे रहने से मना फ़रमाते थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है कि आपको नगें पाँव देखता हूँ। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हमको हुक्म फ़रमाते कि कभी कभी हम नंगें पाँव रहें।

मसअला :– बाल के चमड़े की जूतियाँ जाएज़ हैं बल्कि हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाज़ मरतबा इस क़िस्म की नालैन इस्तेमाल फ़रमाई हैं। लोहे की कीलों से सिले हुए जूते जाएज़ हैं बल्कि इस ज़माने में ऐसे बहुत जूते बनते हैं जिनकी सिलाई कीलों से होती है । (आलमगीरी)

अँगूठी और ज़ेवर का बयान

हदीस 1 :– सही मुस्लिम में अनस रद्वियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जब ये इरादा फ़रमाया कि किसरा व कैसर व नजाशी को .ख़ुतूत लिखे जायें तो किसी ने ये अर्ज़ की कि वह लोग बगैर मोहर के ख़त को .कबूल नहीं करते। हुज़ूर ने चाँदी की अँगूठी बनवाई जिसमें ये नक्श था : - ***"मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह "***

इमाम बुख़ारी की रिवायत में है कि अँगूठी का नक़्श तीन सतर में था एक सतर में मुहम्मद दूसरी सतर में रसूल तीसरी सतर में अल्लाह।

हदीस 2 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रद्वियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्ललललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सोने की अँगूठी बनवाई और एक रिवायत में है कि उसको दाहिने हाथ में पहना फिर उसको फेंक दिया और चाँदी की अँगूठी बनवाई जिसमें यह नक़्श था ***"मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह"*** और यह फ़रमाया कि कोई शख़्स मेरी अँगूठी के नक़्श के मुवाफ़िक़ अपनी अँगूठी में नक़्श कन्दाह न कराए और हुज़ूर जब अँगूठी पहनते तो नगीना हथेली की तरफ़ होता।

हदीस 3 :– सही बुख़ारी में अनस रदि़यल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अँगूठी चाँदी की थी और उसका नगीना भी था।

हदीस 4 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में उन्हीं से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दाहिने हाथ में चाँदी की अँगूठी पहनी और उसका नगीना हबशी साख़्त का था (यानी जैसा हबश के लोग बनाते थे) और नगीना हथेली की जानिब रखते।

हदीस 5 :– मुस्लिम की रिवायत उन्हीं से है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अँगूठी इस उंगली में थी यानी बायें हाथ की छुंगलियां में।

हदीस 6 :– सही मुस्लिम में हज़रते अली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इसमें या इसमें यानी बीच वाली में या कलिमे की उंगली में अँगूठी पहनने से मुझे मना फ़रमाया।

हदीस 7 :– इब्ने माजा ने अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र रदि़यल्लाहु अ़न्हुमा से और अबू दाऊद व निसाई ने हज़रते अली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम दाहिने हाथ में अँगूठी पहने थे और

अबू दाऊद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कि बायें हाथ में पहने थे। इन दोनों हदीसों से मालूम होता है कि कभी दाहिने में पहनी और कभी बायें में मगर बयहक़ी ने कहा कि बायें हाथ में अँगूठी पहनना मन्सूख़ है।
हदीस 8 :– अबू दाऊद व निसाई ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दाहिने हाथ में रेशम लिया और बायें हाथ में सोना फिर ये फ़रमाया कि ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।
हदीस 9 :– सही मुस्लिम में हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़सी (ये एक क़िस्म का रेशमी कपड़ा है) और कुसुम के रंगे हुए कपड़े और सोने की अँगूठी पहनने से और रूकू में .क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ने से मना फ़रमाया।
हदीस 10 :– सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स के हाथ में सोने की अँगूठी देखी तो उसको उतार कर फेंक दिया और ये फ़रमाया कि क्या कोई अपने हाथ में अंगारा रखता है। जब हुज़ूर तशरीफ़ ले गये किसी ने कहा अपनी अँगूठी उठा लो और किसी काम में लाना। उन्होंने कहा .ख़ुदा की क़सम मैं इसे कभी न लूँगा जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे फेंक दिया।
हदीस 11 :– अबू दाऊद व निसाई ने माविया रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चीते की खाल पर सवार होने से और सोना पहनने से मुमानअत फ़रमाई मगर रेज़ा रेज़ा करके यानी अगर कपड़े में सोने के बारीक बारीक रेज़े लगाये जायें तो ममनूअ नहीं।
हदीस 12 :– इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह मौत्ता में फ़रमाते है कि बच्चों को सोना पहनाना बुरा जानता हूँ क्योंकि मुझे ये हदीस पहुँची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोने की अगूँठी से मुमानअत फ़रमाई लिहाज़ा मर्दों के लिए बुरा है छोटे और बड़े दोनों के लिए।
हदीस 13 :– तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व निसाई ने बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स पीतल की अँगूठी पहने हुए था। हुज़ूर ने फ़रमाया क्या बात कि तुम से बुत की बू आती है। उन्होंने वह अँगूठी फेंक दी फिर लोहे की अँगूठी पहन कर आये। फ़रमाया कि क्या बात है कि तुम

जहन्नम का ज़ेवर पहने हुए हो इसे भी फेंकना और अर्ज़ की या रसूलल्लाह किस चीज़ की अँगूठी बनवाऊँ। फ़रमाया चाँदी की बनवाओ और एक मिस्क़ाल पूरा न करो यानी साढ़े चार माशा से कम की हो। तिर्मिज़ी की रिवायत में है कि लोहे के बाद सोने की अँगूठी पहन कर आये। हुज़ूर ने फ़रमाया कि क्या बात है कि तुमको जन्नतियों का ज़ेवर पहने देखता हूँ ––– यानी सोना तो जन्नती जन्नत में पहनेंगे।

हदीस 14 :– अबू दाऊद व निसाई ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दस चीज़ों को बुरा बताते थे –

1. ज़र्दी यानी मर्द को .ख़ुलूक़ (जैसे हल्दी) इस्तेमाल करना।
2. सफ़ेद बालों में स्याह ख़िज़ाब करना।
3. तहबन्द लटकाना।
4. सोने की अँगूठी पहनना।
5. बे महल औरत का ज़ीनत को ज़ाहिर करना यानी शौहर और महारम के सिवा दूसरों के सामने ज़ीनत का इज़्हार।
6. पासा फेंकना यानी चौसर और शतरंज वग़ैरा खेलना।
7. झाड़ फूंक करना मगर मुआवजात से यानी जिसमें नाजाएज़ अलफ़ाज़ हों उनसे झाड़ फूंक मना है और जो जाएज़ दुआयें वग़ैरा हों उनसे जाएज़ है।
8. तावीज़ बांधना यानी वह तावीज़ बांधना जिसमें ख़िलाफ़े शरा अलफ़ाज़ हों।
9. और पानी को ग़ैर महल में गिराना ––– यानी वती के बाद मनी को बाहर गिराना कि यह आज़ाद औरतों में बग़ैर इजाज़त नाजाएज़ है और यह भी हो सकता है कि इससे मुराद लवातत हो।
10. और बच्चे को फ़ासिद कर देना मगर इस दसवीं को हराम नहीं किया यानी बच्चे के दूध पीने के ज़माने में इसकी माँ से वती करना कि अगर वह हामला हो गई तो बच्चा ख़राब हो जाएगा।

हदीस 15 – अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कहते हैं के हमारे यहाँ की लौंडी हज़रते .ज़ुबैर की लड़की को हज़रते उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास लाई और उसके पाँव में घुंघरू थे। हज़रते उमर ने उन्हें काट दिया और फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर घुंघरू के साथ शैतान होता है।

हदीस 16 – अबू दाऊद ने रिवायत की कि हज़रते आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक लड़की आई जिसके पाँव में घुंघरू बज रहे थे। फ़रमाया कि इसे मेरे पास न लाना जब तक उसके घुंघरू काट न लेना। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में जर्स यानी घंटी या घुंघरू होते है उसमें फ़रिशते नहीं आते।

मसअला : मर्द को ज़ेवर पहनना मुतलक़न हराम है सिर्फ़ चाँदी की एक अँगूठी जाएज़ है जो वज़न में एक मिस्क़ाल यानी साढ़े चार माशा से कम हो और सोने की अँगूठी भी हराम है। तलवार का हिलया चाँदी का जाएज़ है यानी उसके नियाम और क़ब्ज़ा या तले में चाँदी लगाई जा सकती है बशर्ते यह कि वह चाँदी मौज़ए इस्तेमाल में न हो। (दुर्रे मुख़्तार व रद्दुल मुहतार)

मसअला : अँगूठी सिर्फ़ चाँदी की पहनी जा सकती है, दूसरी धातु की अँगूठी पहनना हराम है मसलन लोहा, पीतल, तांबा, जस्त वग़ैरहा। इन धातुओं की अँगूठियाँ मर्द औरत दोनों के लिए नाजाएज़ हैं फ़र्क इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता। अहादीस में है कि एक शख़्स हुज़ूर की ख़िदमत में पीतल की अँगूठी पहन कर हाज़िर हुए। फ़रमाया क्या बात कि तुम से बुत की बू आती है। उन्होंने वह अँगूठी फेंक दी फिर दूसरे दिन लोहे की अँगूठी पहनकर हाज़िर हुए। फ़रमाया क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का ज़ेवर देखता हूँ। उन्होंने उसे भी उतार दिया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह किस चीज़ की अँगूठी बनवाऊँ फ़रमाया कि चाँदी की और उसको एक मिसक़ाल पूरा न करना। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बाज़ उलमा ने यशब और अक़ीक़ की अगूँठी जाएज़ बताई और बाज़ ने हर क़िस्म के पत्थर की अँगूठी की इजाज़त दी और बाज़ इन सब की मुमानअत करते हैं लिहाज़ा ऐहतियात का तक़ाज़ा ये है कि चाँदी के सिवा हर क़िस्म की अँगूठी से बचा जाये। ख़ूसूसन जबकि साहिबे हिदाया जैसे जलीलुल क़द्र का मीलान इन सब के अदम जवाज़ की तरफ़ है। यानी मना फ़रमाया।

मसअला :– अँगूठी से मुराद हलक़ा है नगीना नहीं। नगीना हर क़िस्म के पत्थर का हो सकता है। अक़ीक़, याक़ूत, ज़मुर्रद फ़ीरोज़ा वग़ैरा सबका नगीना जाएज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जब इन चीज़ों की अँगूठियाँ मर्द औरत दोनों के लिए नाजाएज़ हैं तो उनका बनाना और बेचना भी ममनू हुआ कि ये नाजाएज़ काम पर इआनत

(मदद) है। हाँ बय (ख़रीद फ़रोख़्त) की मुमानअत वैसी नहीं जैसी पहनने की मुमानअत है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– लोहे की अँगूठी पर चाँदी का ख़ोल चढ़ा दिया कि लोहा बिल्कुल न दिखायी देता हो उस अँगूठी के पहनने की मुमानअत नहीं (आलमगीरी) इससे ये मालूम हुआ कि सोने के ज़ेवरों में जो बहुत लोग अन्दर ताँबे या लोहे की सलाख़ रखते हैं और ऊपर से सोने का पत्तर चढ़ा देते हैं उसका पहनना जाएज़ है।

मसअला :– अँगूठी के नगीने में सुराख़ करके उसमें सोने की कील डाल देना जाएज़ है। (हिदाया)

मसअला :– अँगूठी उन्हीं के लिए मसनून है जिनको मोहर करने की हाजत होती है जैसे सुल्तान व क़ाज़ी और उलमा जो फ़तवे पर मोहर करते हैं उनके सिवा दूसरों के लिए जिनको मोहर करने की हाजत न हो मसनून नहीं मगर पहनना जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– मर्द को चाहिए कि अगर अँगूठी पहने तो उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखे और औरतें नगीना हाथ की पुश्त की तरफ़ रखें कि उनका पहनना ज़ीनत के लिए और ज़ीनत उसी सूरत में ज़्यादा है कि नगीना बाहर की जानिब रहे। (हिदाया)

मसअला :– दाहिने या बायें हाथ में जिस हाथ में चाहे अँगूठी पहन सकते हैं और छुंगलिया में पहनी जाये। (दर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अँगूठी पर अपना नाम कुन्दा करा सकता है और अल्लाह तआला और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम पाक भी कुन्दा करा सकते है मगर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह यानी ये इबारत कुन्दा न कराये कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अँगुशतरी पर तीन सतरों में कुन्दा थी पहली सतर मुहम्मद दूसरी रसूल तीसरी इस्में जलालत और हुज़ूर ने फ़रमा दिया था कि दूसरा शख़्स अपनी अँगूठी पर ये नक़्श कुन्दा न कराये नगीने पर इन्सान या किसी जानवर की तसवीर कुन्दा न कराये।(दर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अँगूठी वही जाएज़ है जो मर्दों की अँगूठी की तरह हो यानी एक नगीने की हो और अगर उसमें कई नगीने हों तो अगरचे वो चाँदी ही की हो मर्द के लिए नाजाएज़ है। (रद्दुल मुहतार) इसी तरह मर्दों के लिए एक से ज़्यादा अँगूठी भी पहनना या छल्ले पहनना भी नाजाएज़ है कि ये अँगूठी नहीं। औरतें

छल्ले पहन सकती हैं।

मसअला :– हिलते हुए दाँतों का सोने के तार से बंधवाना ज़ाएज़ है और अगर किसी की नाक कट गयी हो तो सोने की नाक बनवा कर लगा सकता है। इन दोनों सूरतों की वजह से सोने को जाएज़ कहा गया क्योंकि चाँदी के तार दातों में बांधे जायें या चांदी की नाक लगाई जाये तो उसमें तअफ़्फ़ुन (बदबू) पैदा होगा।. (आलमगीरी)

मसअला :– दाँत गिर गया उसी दाँत को सोने या चाँदी के तार से बंधवा सकता है, दूसरे शख़्स का दाँत अपने मुँह में नहीं लगवा सकता। (आलमगीरी)

मसअला :– लड़कों को सोने चाँदी के ज़ेवर पहनना हराम है और जिसने पहनाया वह गुनहगार होगा। इसी तरह बच्चों के हाथ पाँव में बिना ज़रूरत मेंहदी लगाना नाजाएज़ है। औरत .खुद अपने हाथ पाँव में लगा सकती है मगर लड़के के लगाएगी तो गुनाहगार होगी। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

हर मर्ज़ का इलाज

हज़रते इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने एक मरीज़ के कान में कुछ .कुरआन पढ़ा वह ठीक हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरयाफ़्त फ़रमाया तुम ने इस के कान में क्या पढ़ा। उन्होंने अर्ज़ किया मैंने यह आयतें पढ़ीं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर इन आयतों को पूरे ईमान व यक़ीन रखने वाला कोई शख़्स किसी पहाड़ पर पढ़ता तो वह भी अपनी जगह से टल जाता।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا
لَا تُرْجَعُوْنَ ۔ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ
إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ
إِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَإِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ
رَبِّهٖ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

बर्तन छुपाने और सोने के वक़्त के आदाब

हदीस न. 1 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब रात की इब्तेदायी तारीख़ आ जाये या ये फ़रमाया कि जब शाम हो जाये तो बच्चों को समेट लो कि उस वक़्त शैतान मुन्तशिर (फैले हुए) होते हैं फिर जब एक घड़ी रात चली जाये अब उन्हें छोड़ दो और बिस्मिल्लाह कह कर दरवाज़े बन्द कर लो कि इस तरह जब दरवाज़ा बन्द किया जाये तो शैतान नहीं खोल सकता और बिस्मिल्लाह कहकर मश्क के दहाने बांधो और बिस्मिल्लाह पढ़कर बर्तनों को ढांक दो, ढांको नहीं तो यही करो कि उस पर कोई चीज़ आड़ी करके रख दो और चरागों को बुझा दो और सही बुख़ारी की एक रिवायत में है कि बर्तन छुपा दो और मश्कों के मुँह बन्द कर दो और दरवाज़े भेड़ दो और बच्चों को समेट लो शाम के वक़्त क्योंकि इस वक़्त जिन्न मुन्तशिर होते हैं और उचक लेते हैं और सोते वक़्त चराग़ बुझा दो कि कभी चूहा बत्ती घसीट ले जाता है और घर जल जाता है। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि बर्तन छुपा दो और मश्क का मुँह बाँध दो और दरवाज़े बन्द कर दो और चराग़ बुझा दो कि शैतान मश्क को नहीं खोलेगा और न दरवाज़े और बर्तन खोलेगा अगर कुछ न मिले तो बिस्मिल्लाह कहकर एक लकड़ी आड़ी करके रख दे और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि साल में एक रात ऐसी आती है कि उसमें वबा उतरती है जो बर्तन छुपा हुआ नहीं है या मश्क का मुँह बांधा हुआ नहीं है अगर वहाँ से वह वबा गुज़रती है तो उसमें उतर जाती है।

हदीस न. 2 : इमाम अहमद व मुस्लिम व अबू दाऊद ने जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आफ़ताब डूब जाए तो जब तक इशा की सियाही जाती न रहे अपने चौपाओं और बच्चों को न छोड़ो क्यूँकि इस वक़्त शयातीन मुन्तशिर होते हैं।

हदीस न. 3 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सोते वक़्त अपने घरों में आग न छोड़ा करो।

हदीस न. 4 : सही बुख़ारी में अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी मदीने में एक मकान रात में जल गया। हुज़ूर ने फ़रमाया कि यह आग तुम्हारी

दुश्मन है जब सोया करो तो बुझा दिया करो।

हदीस न. 5 : शरहे सुन्नह में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब रात में कुत्ते का भौंकना और गधे की आवाज़ सुनो तो " अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शयतों-निर्रजीम " पढ़ो कि वह उस चीज़ को देखते हैं जिसको तुम नहीं देखते और जब पौहचल बन्द हो जाए तो घर से कम निकलो कि अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला रात में अपनी मख़लूक़ात में से जिसको चाहता है ज़मीन पर मुन्तशिर करता है।

शुक्रे ख़ुदा

जो शख़्स एक बार सुबह को यह पढ़े तो उसने दिन भर की सब नेमतों का शुक्र अदा किया और शाम को पढ़े तो शब भर की। शाम को 'अस्बहा' की जगह 'अम्सा' कहे।

اَللّٰهُمَّ مَآ اَصْبَحَ بِیْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ
فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ
وَلَكَ الشُّكْرُ ؕ

आलाहज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं इसके बाद यह और ज़्यादा पढ़ता हूँ।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

दुआ के अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ पढ़े।

शैतान और उसके लश्करों से हिफ़ाज़त के लिए

जो शख़्स यह दुआ सुबह व शाम एक एक बार पढ़े वह शैतान के लश्करों से महफ़ूज़ रहेगा इन्शाअल्लाह तआला। दुआ के अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ पढ़े।

بِسْمِ اللّٰهِ ذِی الشَّانِ ؕ عَظِیْمِ الْبُرْهَانِ شَدِیْدِ
السُّلْطَانِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ

बैठने और सोने और चलने के आदाब

.क़ुर्आन मजीद में है :-

وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ہ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ہ

तर्जमा : (लुक़्मान ने बेटे से कहा) किसी से बात करने में अपना रुख़सार टेढ़ा न कर और ज़मीन में इतराता न चल। बेशक अल्लाह को पसन्द नहीं है कोई इतराने वाला फ़ख्र करने वाला और मियाना चाल चल और अपनी आवाज़ पस्त कर, बेशक सब आवाज़ों में बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है।

और फ़रमाता है :-

وَلا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ط

तर्जमा : और ज़मीन में इतराता न चल बेशक तू हरगिज़ न तो ज़मीन को चीर डालेगा और न तू बलन्दी में पहाड़ों को पहुँचेगा।

और फ़रमाता है :

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ہ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ہ (پ۱۹ ع ۴)

तर्जमा : और रहमान के बन्दे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं और जाहिल जब उनसे मुख़ातबा करते हैं तो कहते हैं सलाम और वो जो अपने रब के लिए सजदा और क़ियाम में रात गुज़ारते हैं।

और फ़रमाता है :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ لا وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط (پ ۲۸ ع ۲)

तर्जमा :- ऐ ईमान वालो जब तुम से कहा जाए मजलिसों में जगह दो तो जगह

दे दो अल्लाह तुमको जगह देगा और जब कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ खड़े हो। अल्लाह तआ़ला तुम में ईमान वालों और इल्म वालों को दर्जों बलन्द करेगा।

हदीस न. 1 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐसा न करे कि एक शख़्स दूसरे को उसकी जगह से उठाकर .ख़ुद बैठ जाये लेकिन हट जाया करो और ज़गह कुशादा कर दिया करो यानी बैठने वालों को ये चाहिए कि आने वाले के लिए सरक जाये और जगह दे दे कि वह भी बैठ जाये या ये कि आने वाला किसी को न उठाये बल्कि उससे कहे कि सरक जाओ मुझे भी जगह दे दो। सही बुख़ारी में ये भी मज़कूर है कि इब्ने उमर रद्रियल्लाह तआ़ला अ़न्हुमा उसे मकरूह जानते थे कि कोई शख़्स अपनी जगह से उठ जाये और ये उसकी जगह पर बैठे। हज़रत इब्ने उमर का ये फ़ेल कमाल तक़्वे के तौर पर था कि कहीं ऐसा न हो कि उसका जी न चाहता हो और महज़ उनकी ख़ातिर से जगह छोड़ दी हो।

हदीस न. 2 : अबू दाऊद ने सय्यद इब्ने अबी हसन से रिवायत की कहते हैं कि अबूबक्र रद़ियल्लाहु अ़न्हु हमारे पास एक शहादत में आये एक शख़्स उनके लिए अपनी जगह से उठ गया। उन्होंने उस जगह पर बैठने से इन्कार किया और ये कहा कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इससे मना फ़रमाया है और हुज़ूर ने इससे भी मना फ़रमाया है कि कोई शख़्स ऐसे शख़्स के कपड़े से हाथ पोंछे जिसको ये कपड़ा पहनाया नहीं है। इस हदीस में अगरचे ये नहीं है कि अबूबक्र रद़ियल्लाहु अ़न्हु ने उस शख़्स को उसकी जगह से उठाया हो बल्कि वह शख़्स .ख़ुद उठ गया था और बज़ाहिर ये सूरत मुमानअत की नहीं है मगर ये कमाले एहतियात है कि उन्होंने उस सूरत में भी बैठना गवारा न किया कि अगरचे उठने को कहा नहीं मगर उठना चूँकि उन्हीं के लिए हुआ लिहाज़ा ये ख़्याल किया कि कहीं ये भी उठने ही के हुक्म में न हो।

हदीस न. 3 : सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपनी जगह से उठकर गया फिर आ गया तो उस जगह का वही हक़दार है यानी जबकि जल्द आ जाये।

हदीस न. 4 : अबू दाऊद ने अबू दरदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब बैठते और

हम लोग हुज़ूर के पास बैठते और उठकर तशरीफ़ ले जाते मगर वापसी का इरादा होता तो नालैन मुबारक या कोई चीज़ वहाँ छोड़ जाते उससे सहाबा को ये पता चलता कि हुज़ूर तशरीफ़ लायेंगे और सब लोग ठहरे रहते।

हदीस न. 5 : तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किसी को ये हलाल नहीं कि दो शख़्स के दरमियान जुदाई कर दे (यानी दोनों के दरमियान बैठ जाये) मगर उनकी इजाज़त से।

हदीस न. 6 : बयहक़ी ने शोबुल ईमान में वासिला इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हुज़ूर मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे। उसके लिए हुज़ूर अपनी जगह से सरक गये। उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) जगह कुशादा मौजूद है (हुज़ूर को सरकने और तकलीफ़ फ़रमाने की ज़रूरत नहीं) इरशाद फ़रमाया मुस्लिम का ये हक़ है कि जब उसका भाई उसे देखे उसके लिए सरक जाये।

हदीस न. 7 : रज़ीन ने अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में बैठे दोनों हाथ से इहतिबा करते। इहतिबा की सूरत ये है कि आदमी सुरीन को ज़मीन पर रख दे और घुटने खड़े करके दोनों हाथों से घेर ले और एक हाथ को दूसरे से पकड़ ले इस क़िस्म का बैठना तवाज़ो और इन्केसारी में शुमार होता है।

हदीस न. 8 : अबू दाऊद ने जाबिर बिन समूरह रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कहते है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़े फ़ज्र पढ़ लेते चार ज़ानू बैठे रहते यहाँ तक कि आफ़ताब अच्छी तरह तुलू हो जाता।

हदीस न. 9 : अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स साये में हो और साया सिमट गया। कुछ साये में हो गया कुछ धूप में तो वहाँ से उठ जाये।

हदीस न. 10 : अबू दाऊद ने उम्र इब्ने सुरैद से वह अपने वालिद से रिवायत करते है, कहते हैं मैं इस तरह बैठा हुआ था कि बायें हाथ को पीठ कर लिया और दाहिने हाथ की हथेली की गद्दी पर टेक लगा ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और ये फ़रमाया कि क्या तुम उन

लोगों की तरह बैठते हो जिन पर .ख़ुदा का ग़ज़ब है।

हदीस न. 11 : अबू दाऊद ने जाबिर बिन समुरह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते है कि जब नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होते तो वहाँ बैठ जाते जहाँ मजलिस ख़त्म होती यानी मजलिस के किनारे पर बैठते उसे चीर कर अन्दर नहीं घुसते।

हदीस न. 12 : तबरानी ने अबू मूसा अशअरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स किसी क़ौम के पास आये और उसकी .ख़ुशनूदी के लिए वह लोग जगह में वुसअत कर दें तो अल्लाह पर हक़ है कि उनको राज़ी करे।

हदीस न. 13 : अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया चन्द कलिमात हैं कि जो शख़्स मजलिस से फ़ारिग़ होकर इनको तीन मर्तबा कह लेगा अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह मिटा देगा और जो शख़्स मजलिसे ख़ैर व मजलिसे ज़िक्र में इनको कहेगा तो अल्लाह तआ़ला उनके लिए उस ख़ैर पर मोहर कर देगा जिस तरह कोई शख़्स अँगूठी से मोहर करता है वह ये है :-

سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَ بِحَمْدِکَ لَآاِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَ اَتُوْبُ اِلَیْکَ

हदीस न. 14 : हाकिम ने मुस्तदरक में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो लोग देर तक किसी जगह बैठे और बग़ैर अल्लाह और नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े वहाँ से मुतफ़र्रिक़ (अलग अलग हो कर बिखर जाना) हो गये, उन्होंने नुक़सान किया अगर अल्लाह चाहे तो अज़ाब दे और चाहे तो बख़्श दे।

हदीस न. 15 : बज़्ज़ाज़ ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया जब बैठो जूते उतार लो. तुम्हारे क़दम आराम पायेंगे।

हदीस न. 16 : सही मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने पाँव पर पाँव रखने से मना फ़रमाया है जबकि चित लेटना हो।

हदीस न. 17 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में इबाद इब्ने तमीम से रिवायत है वह

अपने चचा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मस्जिद में लेटे हुए मैंने देखा हुज़ूर ने एक पाँव को दूसरे पर रखा था। ये बयाने जवाज़ के लिए है और उस सूरत में कि सतर खुलने का अन्देशा न हो और पहली हदीस उस सूरत में है कि सतर खुलने का अन्देशा हो मसलन आदमी तहबन्द पहने हो और चित लेटकर एक पाँव खड़ा करके उस पर दूसरे को रखे तो सतर खुलने का अन्देशा होता है और अगर पाँव फैलाकर एक को दूसरे पर रखे तो इस सूरत में खुलने का अन्देशा नहीं होता।

हदीस न. 18 : शरहे सुन्नाह में है कि अबू क़तादह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रात में मन्ज़िल में उतरते तो दाहिनी करवट पर लेटते और जब सुबह से कुछ ही पहले उतरते तो दाहिने हाथ को खड़ा करते और उसकी हथेली पर सर रखकर लेटते।

हदीस न. 19 : तिर्मिज़ी ने जाबिर इब्ने समरह रदियल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बायें करवट पर तकिया लगाये हुए देखा।

हदीस न. 20 : तिर्मिज़ी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स को पेट के बल लेटे हुए देखा फ़रमाया इस तरह लेटने को अल्लाह पसन्द नहीं करता।

हदीस न. 21 : अबू दाऊद व इब्ने माजा ने तख़्फ़ा ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की (ये असहाबे सुफ़्फ़ा में से थे) कहते हैं कि सीने की बीमारी की वजह से मैं पेट के बल लेटा हुआ था कि अचानक कोई शख़्स अपने पाँव से मुझे हरकत देता है और ये कहता कि इस तरह लेटने को अल्लाह मबग़ूस (नापसन्द) रखता है। मैंने देखा तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।

हदीस न. 22 : इब्ने माजा ने अबू ज़र रदियल्लहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते है मैं पेट के बल लेटा हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और पाँव से ठोकर मारी और फ़रमाया ऐ जुनदब (ये हज़रत अबू ज़र का नाम है) ये जहन्नमियों के लेटने का तरीक़ा है यानी इस तरह काफ़िर लेटते हैं या ये कि जहन्नमी जहन्नम में इस तरह लेटेगा।

हदीस न. 23 : अबू दाऊद ने अली इब्ने शैबान रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स ऐसी छत पर रात में रहे जिस पर रोक नहीं है यानी दीवार या मुंडेर नहीं है उससे

ज़िम्मा बरी है यानी अगर रात में छत से गिर जाये तो उसका ज़िम्मेंदार खुद है।
हदीस न. 24 : तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाह तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उस छत पर सोने से मना फ़रमाया जिस पर रोक न हो।
हदीस न. 25 : अबू यअला ने हज़रते आइशा रदियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अस्र के बाद सो रहे और उसकी अक़्ल जाती रहे वह अपने ही को मलामत करे।
हदीस न. 26 : इमाम अहमद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने तन्हाई से मना फ़रमाया यानी उससे कि आदमी तन्हा सोये।
हदीस न. 27 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक शख़्स दो चादरें ओढ़े हुए इतरा कर चल रहा था और घमंड में था वह ज़मीन में धंसा दिया गया वह क़यामत तक धसंता ही जायेगा।
हदीस न. 28 : अबू दाऊद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों के दरमियान चलने से मना फ़रमाया।
हदीस न. 29 : बयहक़ी ने शोबुल ईमान में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तुम्हारे सामने औरतें आ जायें तो उनके दरमियान में न गुज़रो दाहिने या बायें का रास्ता ले लो।
मसअला :- कैलूला (दिन में थोड़ी देर के लिए आराम करने को क़ैलूला कहते हैं यह सुन्नत भी है) करना जाएज़ बल्कि मुस्तहब है (आलमगीरी) ग़ालिबन ये उन लोगों के लिए होगा जो रातों में जागते हैं, रात में नमाज़ पढ़ते, ज़िक्रे इलाही करते हैं या कुतुब बीनी या **मुताला** में मशग़ूल रहते हैं कि शब बेदारी में जो थकान हो क़ैलूला से दफ़ा हो जाये।
मसअला :- दिन के इब्तेदाई हिस्से में सोना या मग़रिब या इशा के दरमियान सोना मकरूह है। सोने में मुसतहब यह है कि बातहारत सोए और कुछ देर दाहिनी करवट पर दाहिने हाथ को रुख़्सार के नीचे रखकर क़िबला-रू सोये फिर उसके बाद बायें करवट पर और सोते वक़्त क़ब्र में सोने को याद करे कि

वहाँ तन्हा सोना होगा सिवा अपने आमाल के कुछ साथ न होगा। सोते वक़्त यादे .खुदा में मशग़ूल हो तहलील व तस्बीह व तहमीद पढ़े यहाँ तक कि सो जाये कि जिस हालत पर इन्सान होता है उसी पर उठता है और जिस हालत पर मरता है क़ियामत के दिन उसी पर उठेगा। सो कर सुबह से पहले ही उठ जाए और उठते ही यादे .खुदा करे और यह पढ़े :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَحْیَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ

उसी वक़्त इसका पक्का इरादा करे कि परेहज़गारी व तक़वा करेगा किसी को सतायेगा नहीं (आलमगीरी)

मसअला :- बाद नमाज़े इशा बातें करने की तीन सूरतें हैं अव्वल इल्मी गुफ़्तगू किसी से मसला पूछना उसका जवाब देना या उसकी तहक़ीक़ व तफ़तीश करना। इस क़िस्म की गुफ़्तगू सोने से अफ़ज़ल है। दूसरे झूटे क़िस्से कहानियाँ मसख़रापन और हंसी मज़ाक़ की बातें करना ये मकरूह है। तीसरे मुवानसत की बात चीत करना जैसे मियाँ बीवी में या मेहमान से उसके उन्स के लिए कलाम करना ये जाएज़ है इस क़िस्म की बातें करे तो आख़िर में ज़िक्रे इलाही में मशग़ूल हो जाये और तस्बीह इस्तिग़फ़ार पर कलाम का ख़ातमा होना चाहिए।

मसअला :- दो मर्द एक ही कपड़े को ओढ़कर लेटे ये नाजाएज़ है अगरचे बिछौने के लिए एक किनारे पर एक लेटा हो और दूसरे किनारे दूसरा हो। इसी तरह दो औरतों का बरहना (नंगा) होकर एक कपड़े को ओढ़कर लेटना नाजाएज़ है हदीस में इसकी मुमानअत आयी है।

मसअला :- जब लड़के और लड़की की उम्र दस साल की हो जाये तो उनको अलग अलग सुलाना चाहिए यानी लड़का जब इतना बड़ा हो जाये तो अपनी माँ या बहन या किसी औरत के साथ न सोये सिर्फ़ अपनी ज़ौजा या बांदी के साथ सो सकता है बल्कि इस उम्र का लड़का इतने बड़े लड़कों या मर्द के साथ भी न सोये। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- मियाँ बीवी जब एक चारपाई पर सोयें तो दस बरस के बच्चे को अपने साथ न सुलायें। लड़का जब हद्दे शहवत को पहुँच जाये तो वह मर्द के हुक्म में है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- रास्ता छोड़कर किसी की ज़मीन में चलने का हक़ नहीं और अगर वहाँ रास्ता नहीं है तो चल सकता है मगर जबकि मालिके ज़मीन मना करे तो

अब नहीं चल सकता। ये हुक्म एक शख़्स के मुतअल्लिक़ है और जो बहुत से लोग हों तो जब तक मालिके ज़मीन राज़ी न हो नहीं चलना चाहिए। रास्ते में पानी है उसके किनारे किसी की ज़मीन है ऐसी सूरत में उस ज़मीन में चल सकता है (आलमगीरी) बाज़ मरतबा खेत बोया होता है ज़ाहिर है कि उसमें चलना काश्तकार के नुक़सान का सबब है ऐसी सूरत में हरगिज़ उसमें चलना न चाहिए बल्कि बाज़ मरतबा काश्तकार खेत के किनारे पर जहाँ से चलने का गुमान होता है काँटें रख देते हैं ये साफ़ इसकी दलील है कि उसकी जानिब से चलने की मुमानअत है मगर उस पर भी बाज़ लोग तवज्जो नहीं करते उनको जानना चाहिए कि इस सूरत में चलना मना है।

अल्लाह का दोस्त

ऐं महबूब तुम फ़रमा दो लोगो अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फ़रमाबरदार हो जाओ अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा।

(पारा 3 सूरए इमरान आयत 31)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١

देखने और छूने का बयान

अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है कि :-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ٥ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا
لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ
اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥ (پ١٨ ع١٠)

तर्जमा :- मुसलमान मर्दों से फ़रमा दो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें ये उनके लिए बहुत सुथरा है बेशक अल्लाह को उनके कामों की ख़बर है और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें और अपना बनाव न दिखायें मगर जितना ख़ुद ही ज़ाहिर है और दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार ज़ाहिर न करें मगर अपने शौहर पर या अपने बाप या शौहर के बाप या अपने बेटे या शौहर के बेटे या अपने भाई या अपने बच्चे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी क़नीज़ें जो अपने हाथ की मिल्क हों या नौकर बशर्ते ये कि शहवत वाले मर्द न हों या वह बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की ख़बर नहीं और ज़मीन पर पाँव न मारे जिससे उनका छुपा हुआ सिंगार मालूम हो जाये और अल्लाह की तरफ़ तौबा करो ऐ मुसलमानों सबके सब इस उम्मीद पर फ़लाह पाओ। (पारा 18 रुकू 10)

और फ़रमाता है :-

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ

الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ (پ ٢٢ ع ٥)

तर्जमा :- ऐ नबी अपनी अज़वाज और साहबज़ादियों और मोमेनीन की औरतों से फ़रमा दो कि अपने ऊपर अपनी ओढ़नी लटका लें इससे वह पहचानी जायेंगी और उनको ईज़ा नहीं दी जायेगी और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है।

और फ़रमाता है :–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ
وَأَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

तर्जमा :- बूढ़ी ख़ानानशीन औरतें जिन्हें निकाह की आरज़ू नहीं उन पर कुछ गुनाह नहीं कि अपने बालाई कपड़े उतार रखें जबकि सिंगार ज़ाहिर न करें और उससे बचना उनके लिए बेहतर है और अल्लाह सुनता जानता है।

हदीस न.1 : सही मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरत शैतान की सूरत में आगे आती है और शैतान की सूरत में पीछे जाती है जब किसी ने कोई औरत देखी और वह पसन्द आ गयी और उसके दिल में कुछ वाक़े हो तो वह अपनी औरत से जिमा करे उससे वह बात जाती रहेगी जो दिल में पैदा हो गयी है।

हदीस न.2 : दारमी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने किसी औरत को देखा और वह पसन्द आ गयी तो अपनी ज़ौजा के पास चला जाये कि उसके पास भी वैसी ही चीज़ है जो उसके पास है।

हदीस न.3 : सही मुस्लिम में जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से अचानक नजर पड़ जाने के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया हुज़ूर ने हुक्म दिया कि कि अपनी निगाह फेर लो।

हदीस न. 4 : इमाम अह़मद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व दारमी ने बुरीदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रते अली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से फ़रमाया कि एक नज़र

के बाद दूसरी नज़र न करो (यानी अचानक बिला क़सद किसी औरत पर नज़र पड़ जाये तो फ़ौरन नज़र हटा ले और दोबारा नज़र न करे) कि पहली नज़र जाएज़ है और दूसरी नज़र जाएज़ नहीं।

हदीस न. 5 तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि औरत औरत है यानी छुपाने की चीज़ है जब वह निकलती है तो उसे शैतान झांक कर देखता है यानी उसे देखना शैतानी काम है।

हदीस न. 6 : इमाम अहमद ने अबू उमामा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान किसी औरत की ख़ूबियों की तरफ़ पहली दफ़ा नज़र करे यानी बिला क़सद फिर अपनी आँख मीच ले अल्लाह तआ़ला उसके लिए इबादत पैदा कर देगा जिसका मज़ा उसको मिलेगा।

हदीस न. 7 : बयहक़ी ने हसन बसरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की क़हते हैं कि मुझे ये ख़बर पहुँची कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि देखने वाले पर और उस पर जिस की तरफ़ नज़र की गयी अल्लाह तआ़ला की लानत। देखने वाला जब बिला उज़्र क़सदन देखे और दूसरा अपने को बिला उज़्र क़सदन दिखाये।

हदीस न. 8 : इब्ने माजा ने आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहती है कि मैंनें हुज़ूर की शर्मगाह की तरफ़ कभी निगाह नहीं की।

हदीस न. 9 : तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्ने माजा बरिवायत बहज़ इब्ने हकीम अन अबीहे अन जद्दिही रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपनी औरत यानी सतर की जगह को महफ़ूज़ रखो मगर बीवी से या उस बांदी से जिसके तुम मालिक हो। मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह ये फ़रमायें कि अगर मर्द तन्हाई में हो। इरशाद फ़रमाया अल्लाह तआ़ला से शर्म करना ज़्यादा सज़ावार है।

हदीस न. 10 ; तिर्मिज़ी ने हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब मर्द औरत के साथ तन्हाई में होता है तो तीसरा शैतान होता है।

हदीस न. 11 : तिर्मिज़ी ने जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया जिन औरतों के

शौहर गायब हैं उनके पास न जाओ कि शैतान तुममें ख़ून की तरह तैरता है यानी शैतान को बहकाते देर नहीं लगती। हमने अर्ज़ की और हुज़ूर से ? या रसूलुल्लाह। फ़रमाया और मुझसे भी मगर अल्लाह ने मेरी उसके मुक़ाबिल में मदद फ़रमाई और वह मुसलमान हो गया या मैं सलामत रहता हूँ, हदीस के लफ़्ज में दोनों मअनी हो सकते हैं।

हदीस न. 12 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरतों के पास जाने से बचो। एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह देवर के मुताल्लिक़ क्या हुक्म है। फ़रमाया कि देवर मौत है यानी देवर के सामने होना गोया मौत का सामना है कि यहाँ फ़ितना का ज़्यादा इहतमाल है।

हदीस न. 13 : तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बरहना होने से बचो क्योंकि तुम्हारे साथ वह (फ़रिश्ते) होते हैं जो जुदा नहीं होते मगर सिर्फ़ पाख़ाने के वक़्त और उस वक़्त जब मर्द अपनी औरत के पास जाता है, लिहाज़ा उनसे हया करो और उनका इकराम करो।

हदीस न. 14 : तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने जरहद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान औरत है यानी छुपाने की चीज़ है।

हदीस न. 15 : अबू दाऊद व इब्ने माजा ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि ऐ अली रान को न खोलो और न ज़िन्दा की रान की तरफ़ नज़र करो न मुर्दा की।

हदीस न. 16 : सही मुस्लिम में अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक मर्द दूसरे मर्द की सतर की जगह न देखे और न औरत दूसरी औरत की सतर की जगह को देखे और न मर्द दूसरे मर्द के साथ एक कपड़े में बरहना सोये और न औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़े में बरहना सोये।

हदीस न. 17 : इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि ये और हज़रते मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर थीं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मकतूम रदियल्लाहु अन्हु आये। हुज़ूर ने उन दोनों औरतों से फ़रमाया कि पर्दा

कर लो। कहती हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वह तो नाबीना हैं हमें नहीं देखेंगे। हुज़ूर ने फ़रमाया क्या तुम दोनों अन्धी हो क्या तुम उन्हें नहीं देखोगी।

हदीस न. 18 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐसा न हो कि एक औरत दूसरी औरत के साथ रहे फिर अपने शौहर के सामने उसका हाल बयान करे गोया ये उसे देख रहा है।

हदीस न. 19 : सही मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ख़बरदार कोई मर्द सय्येब औरत (शादी शुदा या पहले शादी हो चुकी थी) के यहाँ रात को न रहे मगर उस सूरत में कि उसका निकाह करने वाला हो या उसका ज़ी महरम (जिससे निकाह हराम हो) हो।

हदीस न. 20 : सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अन्हु से मरवी कि एक शख़्स ने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में ये अर्ज़ की कि अनसारिया औरत से निकाह का मेरा इरादा है। हुज़ूर ने फ़रमाया उसे देख लो कि अनसार की आँखों में कुछ है यानी उनकी आँखें कुछ भूरी होती हैं।

हदीस न. 21 : इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा व दारमी ने मुग़ीरा बिन शुअबा रद़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि मैंने एक औरत को निकाह का पैग़ाम दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि तुमने उसे देख लिया है। अर्ज़ की नहीं। फ़रमाया उसे देख लो कि उसकी वजह से तुम दोनों के दरमियान मुवाफ़कत होने का पहलू ग़ालिब है।

मसाइले फ़िक़्हिय्यह :- इस बाब के मसाइल चार क़िस्म के हैं।

1. मर्द का मर्द को देखना।
2. औरत का औरत को देखना।
3. औरत का मर्द को देखना।
4. मर्द का औरत को देखना।

1. मर्द का मर्द को देखना : मर्द मर्द के हर हिस्से बदन की तरफ़ नज़र कर सकता है सिवाए उन आज़ा के जिनका सतर .ज़रूरी है। वह नाफ़ के नीचे से घुटने के नीचे तक है कि उस हिस्से बदन का छुपाना फ़र्ज़ है जिन उज़्व का छुपाना .ज़रूरी है उनको औरत कहते हैं। किसी को घुटना खोले हुए देखे तो उसे मना करे और रान खोले हुए देखे तो सख़्ती से मना करे और शर्मगाह

खोले हुए हो तो उसे सज़ा दी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअला :- बहुत छोटे बच्चे के लिए औरत नहीं यानी उसके बदन के किसी हिस्से का छुपाना फ़र्ज़ नहीं फिर जब कुछ बड़ा हो गया तो उसके आगे पीछे का मक़ाम छुपाना .ज़रूरी है फिर जब और बड़ा हो जाये दस बरस से ज़्यादा का हो जाये तो उसके लिए बालिग़ का सा हुक्म है। (रद्दुल मुह्तार)

मसअला :- जिस हिस्से बदन की तरफ़ नज़र कर सकता है उसको छू भी सकता है। (हिदाया)

मसअला :- लड़का जब मुराहिक़ हो जाये यानी बालिग़ होने के क़रीब हो जाए और वह ख़ूबसूरत न हो तो नज़र के बारे में उसका वही हुक्म है जो मर्द का है और ख़ूबसूरत हो तो औरत का जो हुक्म है वह उसके लिए है यानी शहवत के साथ उसकी तरफ़ नज़र करना हराम है और शहवत न हो तो उसकी तरफ़ भी नज़र कर सकता है और उसके साथ तन्हाई भी जाएज़ है। शहवत न होने का मतलब ये है कि उसे यक़ीन हो कि नज़र करने से शहवत न होगी और अगर इसका शुबा भी हो तो हर्गिज़ नज़र न करे। बोसे की ख़्वाहिश पैदा होना भी शहवत की हद में दाख़िल है। (दुर्रे मुख़्तार)

2. मसअला :- औरत का औरत को देखना : उसका वही हुक्म है जो मर्द को मर्द की तरफ़ नज़र करने का है यानी नाफ़ के नीचे से घुटने तक नहीं देख सकती बाक़ी आज़ा की तरफ़ नज़र कर सकती है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो। (हिदाया)

मसअला :- औरत सालेहा को ये चाहिए कि अपने को बदकार औरत के देखने से बचाये यानी उसके सामने दुपट्टे वग़ैरा न उतारे क्योंकि वह उसे देखकर मर्दों के सामने उसकी शक्ल व सूरत का ज़िक्र करेगी। मुसलमान औरत को ये भी हलाल नहीं कि वह काफ़िर के सामने अपना सतर खोले (आलमगीरी) घरों में काफ़िरा औरतें आती हैं और बीबियाँ उनके सामने उसी तरह सतर की जगह खोले हुए होती हैं जिस तरह मुस्लिमा के सामने रहती हैं उनको इससे बचना लाज़िम है अक्सर जगह दाईयाँ काफ़िरा होती हैं और वह बच्चा जन्ने की ख़िदमात अन्जाम देती हैं अगर मुसलमान दाईयाँ मिल सकें तो काफ़िरा से हरगिज़ ये काम न कराया जाये कि काफ़िरा के सामने इन आज़ा के खोलने की इजाज़त नहीं।

3. मसअला :- औरत का मर्द अजनबी की तरफ़ नज़र करना : औरत का मर्द

अजनबी की तरफ़ नज़र करने का वही हुक्म है जो मर्द का मर्द की तरफ़ नज़र करने का है और ये उस वक़्त है कि औरत को यक़ीन के साथ मालूम हो कि उसकी तरफ़ नज़र करने से शहवत नहीं पैदा होगी और अगर उसका शुबा भी हो तो हरगिज़ नज़र न करे।

(आलमगीरी)

मसअला :- औरत मर्द अजनबी के जिस्म को हरगिज़ न छुए जबकि दोनों में से कोई जवान हो उसको शहवत हो सकती हो अगरचे इस बात का दोनों को इतमिनान हो कि शहवत नहीं पैदा होगी (आलमगीरी) बाज़ जवान औरतें अपने पीरों के हाथ पाँव दबाती हैं और बाज़ पीर अपनी मुरीदा से हाथ पाँव दबवाते हैं और उनमें अक्सर दोनों या एक हद्दे शहवत में होता है ऐसा करना नाजाएज़ है और दोनों गुनाहगार हैं।

4: मसअला :– मर्द का औरत को देखना कई सूरतों में है।

1. मर्द का अपनी ज़ौजा या बांदी को देखना।
2. मर्द का अपने महारिम की तरफ़ नज़र करना।
3. मर्द का आज़ाद औरत अजनबिया को देखना।
4. मर्द का दूसरे की बांदी को देखना।

1. पहली सूरत का ये हुक्म है कि औरत की ऐड़ी से चोटी तक हर उज़्व की तरफ़ नज़र कर सकता है, शहवत और बिला शहवत दोनों सूरतों में देख सकता है। इसी तरह ये दोनों क़िस्म की औरतें उस मर्द के उज़्व को देख सकती हैं, हाँ बेहतर यह है कि मक़ामे मख़सूस की तरफ़ नज़र न करे क्यूँकि इससे निसयान (भूल जाने का मर्ज़) पैदा होता है और नज़र में भी कमज़ोरी पैदा होती है इस मसअले में बांदी से मुराद वह है जिससे वती जाएज़ है।

(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- जिस बांदी से वती न कर सकता हो मसलन वह मुशरिका हो या मुकातबा (जिसे कुछ रक़म दे तो अज़ाद हो जाए) या मुशतर्का (जिसे दो लोगों ने मिलकर ख़रीदा हो) या रज़ाअत (दूध शरीक होने की वजह से हराम हो) या मुसाहरत (ख़ुसर या दामाद का रिश्ता होने की वजह से हराम हो) की वजह से उससे वती हराम हो वह अजनबिया के हुक्म में है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- ज़ौजा और उस बांदी के हर उज़्व को छू भी सकता है और ये भी उसके हर उज़्व को छू सकती है यहाँ तक कि हर एक दूसरे की शर्मगाह तक को छू सकता है।

(आलमगीरी)

मसअला :- जिमा के वक़्त दोनों बिल्कुल बरहना भी हो सकते हैं जबकि वह मकान छोटा दस पाँच हाथ का हो। (आलमगीरी)

मसअला :– मियाँ बीवी जब बिछौने पर हों मगर जिमा में मशग़ूल न हों उस हालत में उनके **महारिम** वहाँ इजाज़त ले कर आ सकते हैं, बग़ैर इजाज़त नहीं आ सकते। इसी तरह ख़ादिम यानी ग़ुलाम और बांदी भी आ सकती है। (आलमगीरी)

मसअला :- बांदी का हाथ पकड़ कर मकान के अन्दर ले गया और दरवाज़ा बन्द कर लिया और लोगों को ये मालूम हो गया कि वती करने के लिए ऐसा किया है। ये मकरूह है यूँ ही सौत के सामने बीवी से वती करना मकरूह है। (आलमगीरी)

2.मसअला :- जो औरत उसके महारिम में हो उसके सर, सीने, पिंडली, बाज़ू, कलाई, गर्दन, क़दम की तरफ़ नज़र कर सकता है जबकि दोनों में से किसी की शहवत का अन्देशा न हो। महारिम के पेट, पीठ और रान की तरफ़ नज़र करना नाजाइज़ है।(हिदाया) इसी तरह करवट और घुटने की तरफ़ नज़र करना भी नाजाएज़ है। (रद्दुल मुहतार) कान और गर्दन और शाना और चेहरे की तरफ़ नज़र करना जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :- महारिम से मुराद वह औरतें हैं जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम है। ये हुरमत नसब से हो या सबब से मसलन रज़ाअत (दूध शरीक बहन भाई होने से) या मुसाहरत (सुसराली रिशता होने की वजह से)। अगर ज़िना की वजह से हुरमत मुसाहरत हो जैसे मज़निय्या (जिससे ज़िना किया गया हो) के उसूल (यानी नानी, दादी वग़ैरा) व फ़ुरूअ (बेटा-बेटी, पोता-पोती वग़ैरा) उनकी तरफ़ नज़र का भी यही हुक्म है। (हिदाया)

मसअला :- महारिम के जिन उज़्व की तरफ़ नज़र कर सकता है उनको छू भी सकता है जबकि दोनों में से किसी की शहवत का अन्देशा न हो। मर्द अपनी वालिदा के पाँव दबा सकता है मगर रान उस वक़्त दबा सकता है जब कपड़े से छुपी हो यानी कपड़े के ऊपर से। और बग़ैर छुपे छूना जाएज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :- वालिदा के क़दम को बोसा भी दे सकता है हदीस में है जिसने अपनी वालिदा का पाँव चूमा तो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को बोसा दिया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- महारिम के साथ सफ़र करना या ख़लवत में उसके साथ होना

यानी मकान में दोनों का तन्हा होना कि कोई दूसरा वहाँ न हो जाइज़ है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो। (आलमगीरी)

3. **मसअला** दूसरे की बांदी की तरफ़ नज़र करने का वही हुक्म है जो महारिम का है मुदब्बरा व मुकातबा का भी वही हुक्म है। (हिदाया)

मसअला: कनीज़ को ख़रीदने का इरादा हो तो उसकी कलाई और बाज़ू और पिंडली और सीने की तरफ़ नज़र कर सकता है क्यूँकि इस हालत में देखने की ज़रूरत है और उसके उन आज़ा को भी छू सकता है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो। (हिदाया)

4.**मसअला:** अजनबी औरत की तरफ़ नज़र करने का यह हुक्म है कि उसके चहरे और हथेली की तरफ़ नज़र करना जाइज़ है क्यूँकि इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कभी उसके मुवाफ़िक़ या मुख़ालिफ़ गवाही देनी होती है या फ़ैसला करना होता है अगर उसे न देखा हो तो गवाही कैसे दे सकता है। उसकी तरफ़ देखने में भी वही शर्त है कि शहवत का अन्देशा न हो और यूँ भी ज़रूरत है कि बहुत सी औरतें घर से बाहर आती जाती हैं लिहाज़ा इससे बचना बहुत दुशवार है। बाज़ उलमा ने क़दम की तरफ़ भी नज़र को जाइज़ कहा है। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :- अजनबिया औरत के चेहरे और हथेली को देखना अगरचे जाएज़ है मगर छूना जाएज़ नहीं अगरचे शहवत का अन्देशा न हो क्योंकि नज़र के जवाज़ की वजह ज़रूरत और बलवए आम है छूने की ज़रूरत नहीं। लिहाज़ा छूना हराम है। इससे मालूम हुआ कि उनसे मुसाफ़ा जाएज़ नहीं इसीलिए हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैअत के वक़्त भी औरत से मुसाफ़ा न फ़रमाते सिर्फ़ ज़ुबान से बैअत लेते, हाँ अगर वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो कि महल्ले शहवत न हो तो उससे मुसाफ़े में हर्ज नहीं यूँ ही अगर मर्द बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो कि फ़ितना का अन्देशा ही न हो तो मुसाफ़ा कर सकता है। (हिदाया)

मसअला :- बहुत छोटी लड़की जो मुश्तहा (इतनी छोटी उमर की लड़की जिसको देख कर शहवत न हो) न हो उसको देखना भी जाएज़ है और छूना भी जाएज़ है। (हिदाया)

मसअला :- अजनबिया औरत ने किसी के यहाँ काम काज करने रोटी पकाने की नौकरी की है इस सूरत में उसकी कलाई की तरफ़ नज़र जाएज़ है कि वह काम काज के लिए आस्तीन चढ़ायेगी कलाईयाँ उसकी खुलेंगी और जब उसके मकान में है तो क्यूँ कर बच सकेगा। इसी तरह उसके दांतों की तरफ़ नज़र करना भी जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :- अजनबी औरत के चेहरे की तरफ़ अगरचे नज़र जाएज है जबकि शहवत का अन्देशा न हो मगर ये ज़माना फ़ितने का है इस ज़माने में वैसे लोग कहाँ हैं जैसे अगले ज़माने में थे लिहाज़ा इस ज़माने में उसको देखने की मुमानअत की जायेगी मगर गवाह व क़ाज़ी के लिए कि .जरूरत की वजह से उनके लिए नज़र करना जाएज़ है और एक सूरत और भी है वह ये है कि उस औरत से निकाह करने का इरादा हो तो इस नीयत से देखना जाएज़ है कि हदीस में ये आया है कि जिससे निकाह करना चाहते हो उसको देख लो कि ये बक़ाये महब्बत का ज़रिया होगा। इसी तरह औरत उस मर्द को जिसने उसके पास पैग़ाम भेजा है देख सकती है अगरचे अन्देशा शहवत हो मगर देखने में दोनों की यही नियत हो कि हदीस पर अमल करना चाहते हैं।

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- जिस औरत से निकाह करना चाहता है अगर उसको देखना मुमकिन हो जैसे कि इस ज़माने का रिवाज ये है कि अगर किसी ने निकाह का पैग़ाम दे दिया तो किसी तरह भी उसे लड़की को नहीं देखने देंगें यानी उससे इतना ज़बरदस्त पर्दा किया जाता है कि दूसरे से उतना पर्दा नहीं होता। इस सूरत में उस शख़्स को ये चाहिए कि किसी औरत को भेज कर दिखवा ले और वह आकर उसके सामने सारा हुलिया व नक़्शा वग़ैरा बयान कर दे ताकि उसे उसकी शक्ल व सूरत के मुताल्लिक़ इतमिनान हो जाये। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- जिस औरत से निकाह करना चाहता है उसकी एक लड़की भी है और मालूम हो कि ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ की शक्ल व सूरत की है इस मक़सद से कि उसकी माँ से निकाह करना है लड़की को देखना जाएज़ नहीं जबकि ये मुश्तहा हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- अजनबिया औरत की तरफ़ नज़र करने में .ज़रूरत की एक सूरत ये भी है कि औरत बीमार है उसके इलाज में बाज़ उज़्व की तरफ़ नज़र करने की जरूरत पड़ती है बल्कि उसके जिस्म को छूना पड़ता है मसलन नब्ज़ देखने में हाथ छूना पड़ता है या पेट में वरम का ख़्याल हो तो टटोल कर देखना होता है या किसी जगह फ़ोड़ा हो तो उसे देखना होता है बल्कि बाज़ मरतबा टटोलना भी पड़ता है। इस सूरत में मौज़ए मर्ज़ की तरफ़ नजर करना या उस जरूरत से बक़द्रे .जरूरत उस जगह को छूना जाएज़ है। ये उस सूरत में है कि कोई इलाज करने वाली न हो वरना चाहिए कि औरतों को भी इलाज

करना सिखाया जाये ताकि ऐसे मौके पर वह काम करें कि उनके देखने वग़ैरा में उतनी ख़राबी नहीं जो मर्द के देखने वग़ैरा में है। अकसर जगह दाईयाँ होती हैं जो पेट के वरम को देख सकती है जहाँ दाईयाँ दस्तयाब हों मर्द को देखने की .जरूरत बाक़ी नहीं रहती इलाज की .जरूरत से नज़र करने में भी ये इहतियात .जंरूरी है कि सिर्फ़ उतना ही बदन हिस्सा खोला जाये जिसके देखने की .जरूरत है बाक़ी हिस्से बदन को अच्छी तरह छुपा दिया जाये कि उस पर नज़र न पड़े। (हिदाया वग़ैरा)

मसअला :- अमल देने की .जरूरत हो तो मर्द मर्द के मौज़ए हुक़ना की तरफ़ भी नज़र कर सकता है ये भी .जरूरत की वजह से जाएज़ है और ख़तना करने में मौज़ए ख़तना की तरफ़ नज़र करना बल्कि उसका छूना भी जाएज़ है कि ये भी .ज़रूरत की वजह से है। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअला :- औरत को फ़सद (रग से ख़ून निकलवाना) करने की ज़रूरत है और कोई औरत ऐसी नहीं है जो अच्छी तरह फ़सद खोले तो मर्द से फ़सद कराना जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :- अजनबिया औरत ने ख़ूब मोटे कपड़े पहन रखे हैं कि बदन की रंगत वग़ैरा नज़र नहीं आती तो इस सूरत में उसकी तरफ़ नज़र करना जाएज़ है कि यहाँ औरत को देखना नहीं हुआ बल्कि उन कपड़ों को देखना है। ये उस वक़्त है कि उसके कपड़े चुस्त न हो और अगर चुस्त कपड़े पहने हो कि जिस्म का नक़्शा खिंच जाता हो मसलन चुस्त पजामा में पिडंली और रान की पूरी हैअत नज़र आती है तो इस सूरत में नज़र करना नाजाएज़ है। इसी तरह बाज़ औरतें बहुत बारीक कपड़े पहनती है मसलन आबेरवाँ या जाली या बारीक मलमल ही का दुपट्टा जिससे सर के बाल या पाँव की सियाही या गर्दन या कान नज़र आते है और बाज़ बारीक तनज़ेब या जाली के कुर्ते पहनती है कि पेट और पीठ बिल्कुल नज़र आती है इस हालत में नज़र करना हराम है और ऐसे मौके पर उनको इस क़िस्म के कपड़े पहनना भी नाजाएज़। (आलमगीरी)

मसअला :- ख़स्सी यानी जिसके उनसैन निकाल लिए गये हों या मजबूब जिसका अज़्व तनासुल (लिंग) काट लिया गया जब उनकी उम्र पन्द्रह साल की हो तो उनके लिए भी अजनबिया की तरफ़ नज़र करना नाजाएज़ है यही हुक्म ज़न्ख़ों का भी है। (हिदाया)

मसअला :- जिस उज़्व की तरफ़ नज़र करना नाजाएज़ है अगर वह बदन से

जुदा हो जाये तो अब भी उसकी तरफ़ नज़र करना नाजाएज ही रहेगा। मसलन पेडू के बाल कि उनको जुदा करने के बाद भी दूसरा शख़्स देख नहीं सकता। औरत के सर के बाल या उसके पाँव या कलाई की हड्डी कि उसके मरने के बाद भी अजनबी शख़्स उनको नहीं देख सकता। औरत के पाँव के नाखुन कि उनको भी अजनबी शख़्स नहीं देख सकता। (दुर्रे मुख़्तार) अक्सर देखा गया है कि .गुसलख़ाने या पख़ाने में नाफ़ के नीचे के बाल मूंड कर बाज़ लोग छोड़ देते है ऐसा करना दुरूस्त नहीं बल्कि उनको ऐसी जगह डाल दे कि किसी की नज़र न पड़े या ज़मीन में दफ़न कर दे। औरतों को भी लाज़िम है कि कंघा करने में या सर धोने में जो बाल निकलें उन्हें कहीं छुपा दें कि उन पर अजनबी की नज़र न पड़े।

मसअला :- औरत को दाढ़ी या मूंछ के बाल निकल आयें तो उनका नोचना जाएज़ बल्कि मस्तहब है कि कहीं उसके शौहर को उससे नफ़रत न पैदा हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- अजनबिया औरत के साथ ख़लवत यानी दोनों का एक मकान में तन्हा होना हराम है हाँ अगर वह बिल्कुल बूढ़ी है कि शहवत के क़ाबिल न हो तो ख़लवत हो सकती है। औरत को तलाक़ बाएन दे दी तो उसके साथ तन्हा मकान में रहना नाजाएज़ है और अगर दूसरा मकान न हो तो दोनों के बीच पर्दा लगा दिया जाए ताकि दोनों अपने अपने हिस्से में रहें। यह उस वक़्त है कि शौहर फ़ासिक़ न हो और अगर फ़ासिक़ हो तो .ज़रूरी है कि वहाँ ऐसी औरत भी रहे जो शौहर को औरत से रोकने पर क़ादिर हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- महारिम के साथ ख़लवत जाएज़ है यानी दोनों एक मकान में तन्हा हो सकते हैं मगर रज़ाई बहन और सास के साथ तन्हाई जाएज़ नहीं जबकि यह जवान हों यही हुक्म औरत की जवान लड़की का है जो दूसरे शौहर से है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

दर्दे सर के लिए

बिस्मिल्लाह शरीफ़ शहादत की उंगली से दर्द की जगह लिखे दर्द काफ़ूर हो।

मकान में जाने के लिए इजाज़त लेना

अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٥ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ
ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ٥ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا
غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ٥ (پ ۱۸ رکوع ۱۰)

तर्जमा : ऐ ईमान वालो अपने घरों के सिवा दूसरे के घरों में दाख़िल न हो जब तक इजाज़त न ले लो और घर वालों पर सलाम न कर लो यह तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत पकड़ो और अगर उन घरों में किसी को न पाओ तो अन्दर न जाओ जब तक तुम्हें इजाज़त न मिले और अगर तुमसे कहा जाए कि लौट जाओ तो वापस चले आओ यह तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है इस में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि ऐसे घरों के अन्दर चले जाओ जिनमें कोई रहता नहीं है और उनमें तुम्हारा सामान है और अल्लाह जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जिसको छुपाते हो। (पारा 18 रुकू 10)

और फ़रमाता है :-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط
مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ
لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا
اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥ (پ ۱۸ رکوع ۱۴)

तर्जमा : ऐ ईमान वालो चाहिए कि तुमसे इज़्न लें वह जिनके तुम मालिक हो

(ग़ुलाम) और वो जो तुममें जवानी को न पहुँचे तीन वक़्त। नमाज़े सुबह से पहले और जब तुम अपने कपड़े उतार रखते हो दोपहर को और नमाज़े इशा के बाद यह तीन वक़्त तुम्हारी शर्म के हैं। इन तीन के अलावा कुछ गुनाह नहीं तुम पर न उन पर तुम्हारे पास आमोदरफ़्त रखते हैं बाज़ बाज़ के पास। यूँही अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है और अल्लाह इल्म-ओ-हिकमत वाला है और जब तुममें के लड़के जवानी को पहुँच जायें तो वह भी इज़्न मांगें जैसे उनके अगलों ने इज़्न मांगा यूँही अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है और अल्लाह इल्म-ओ-हिकमत वाला है। (पारा 18 रुकू 14)

हदीस न. 1 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद .खुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि अबू मूसा अशअरी रद़ियल्लाहु अ़न्हु हमारे पास आये और यह कहा कि हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने मुझे बुलाया था। मैंने उनके दरवाज़े पर जाकर तीन बार सलाम किया जब जवाब नहीं मिला तो मैं वापस चला आया। अब हज़रते उमर फ़रमाते हैं कि तुम क्यूँ नहीं आये ? मैंने कहा कि मैं आया था और दरवाज़े पर तीन बार सलाम किया जब जवाब नहीं मिला तो वापस गया और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया है कि जब कोई शख़्स तीन बार इजाज़त मांगे और जवाब न मिले तो वापस चला जाये। हज़रते उमर यह फ़रमाते हैं कि गवाह लाओ कि हुज़ूर ने ऐसा फ़रमाया है। अबू सईद .खुदरी कहते हैं कि मैंने जाकर गवाही दी।

हदीस न. 2 :- सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ मैं मकान में गया हुज़ूर को प्याले में दूध मिला और फ़रमाया ऐ अबू हिर (अबू हुरैरा ही के लिए आया है) अस्हाबे सुफ़्फ़ा के पास जाओ, उन्हें बुलाओ (ताकि उन्हें दूध दिया जाए) मैं उन्हें बुला लाया वो आये और इजाज़त तलब की। हुज़ूर ने इजाज़त दी तब वह मकान में अन्दर दाख़िल हुए।

हदीस न. 3 :- अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स बुलाया जाए और उसी बुलाने वाले के साथ ही आए तो यही (बुलाना) उसके लिए इजाज़त है यानी इस सूरत में इजाज़त हासिल करने की .जरूरत नहीं है और एक रिवायत में है कि आदमी भेजना ही इजाज़त है।

यह हुक्म उस वक़्त है कि फ़ौरन आये और क़राइन से यानी किसी

ज़रिए से मालूम हुआ कि **साहिबेख़ाना** इन्तेज़ार में है मकान में पर्दा हो चुका है तो इजाज़त लेने की .ज़रूरत नहीं और अगर देर में आए तो इजाज़त हासिल करे जैसे कि अस्हाबे सुफ़्फ़ा ने किया था।

हदीस न. 4 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने कलदह इब्ने हम्बल से रिवायत की कहते हैं कि सफ़वान इब्ने उमइया ने मुझे नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास भेजा था। मैं बग़ैर सलाम किये और बग़ैर इजाज़त अन्दर चला गया। हुज़ूर ने फ़रमाया बाहर जाओ और ये कहो अस्सलामुअ़लैकुम अदख़ुल (क्या अन्दर आ जाँऊ)

हदीस न. 5 :- इमाम मालिक ने अता इब्ने यसार से रिवायत की कहते हैं कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया कि क्या मैं अपनी माँ के पास जाऊँ तो उससे भी इजाज़त लूँ। हुज़ूर ने फ़रमाया हाँ। उन्होंने कहा मैं तो उसके साथ उसी मकान में रहता हूँ। हुज़ूर ने फ़रमाया इजाज़त लेकर उसके पास जाओ। उन्होंने कहा मैं उनकी ख़िदमत करता हूँ यानी बार बार आना जाना होता है फिर इजाज़त की क्या .ज़रूरत है। रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया इजाज़त ले कर जाओ क्या तुम ये पसन्द करते हो कि उसे बरहना देखो। अर्ज़ की नहीं फ़रमाया तो इजाज़त हासिल करो।

हदीस न. 6 :- बयहक़ी ने शोबुल ईमान में जाबिर रदियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स इजाज़त तलब करने से पहले सलाम न करे उसे इजाज़त न दो।

हदीस न. 7 :- अबू दाऊद ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने बुसर रदियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं जब रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम किसी के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाज़े के सामने नहीं खड़े होते थे बल्कि दाहिने या बायें हट कर खड़े होते और फ़रमाते अस्सलामुअ़लैकुम अस्सलामुअ़लैकुम और इसकी वजह यह थी कि उस ज़माने में दरवाज़ों पर पर्दे नहीं होते थे।

हदीस न. 8 :- तिर्मिज़ी ने सौबान रदियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किसी शख़्स को यह हलाल नहीं कि दूसरे के घर में बग़ैर इजाज़त हासिल किए नज़र करे और अगर नज़र कर ली तो दाख़िल ही हो गया ---- और यह न करे कि किसी क़ौम की इमामत करे और ख़ास अपने लिए दुआ करे उनके लिए न करे और

ऐसा किया तो उनकी ख़यानत की।

हदीस न. 9 :- अह़मद व निसाई ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो किसी के घर में बग़ैर इजाजत लिए झाकें और उन्होंने उसकी आँखें फोड़ दी तो न देयत (जुर्माना) है न क़िसास (बदला)।

हदीस न. 10 :- तिर्मिज़ी ने अबू ज़र रद़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने इजाज़त से कब्ल पर्दा हटा कर मकान के अन्दर नज़र की उसने ऐसा काम किया जो उसके लिए हलाल न था और अगर किसी ने उसकी आँख फ़ोड़ दी तो उस पर कुछ नहीं और अगर कोई शख़्स ऐसे दरवाज़े पर गया जिस पर पर्दा नहीं और उसकी नज़र घर वाले की औरत पर पड़ गई (यानी बिला क़सद) तो उसकी ख़ता नहीं घर वालों की है (कि उन्होंने पर्दा क्यूँ नहीं लगाया।)।

मसाइले फ़िक़हिय्या

मसअला :- जब कोई शख़्स दूसरे के मकान पर जाये तो पहले अन्दर आने की इजाज़त हासिल करे फिर जब अन्दर जाये तो पहले सलाम करे उसके बाद बात़चीत शूरू करे और अगर जिसके पास गया है वह बाहर है तो इजाज़त की .ज़रूरत नहीं सलाम करे उसके बाद कलाम शुरू करे। (ख़ानिया)

मसअला :- किसी के दरवाज़े पर जाकर आवाज़ दी। उसने कहा कौन तो उसके जवाब में ये न कहे कि मैं। जैसा कि बहुत से लोग मैं कहकर जवाब देते हैं। इस जवाब को हुज़ूर –ए– अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने नापसन्द फ़रमाया बल्कि जवाब में अपना नाम ज़िक्र करें क्योंकि मैं का लफ़्ज़ तो हर शख़्स अपने को कह सकता है, ये जवाब ही कब हुआ।

मसअला :- अगर तुमने इजाज़त मांगी और साहिबेख़ाना ने इजाज़त न दी तो उससे नाराज़ न हो अपने दिल में कुदूरत न लाओ, .ख़ुशी .ख़ुशी वहाँ से वापस आओ। हो सकता है उसको इस वक़्त तुम से मिलने की फ़ुरसत न हो किसी .ज़ुरूरी काम में मशग़ूल हो।

मसअला :- अगर ऐसे मकान में जाना हो कि उसमें कोई न हो तो ये कहो " अस्सलामुअलैना व अला इबादिल्ला हिस्सालेह़ीन " फ़रिशते इस सलाम का जवाब देंगें (रद्दुल मुहतार) या इस तरह कहे ". अस्सलामुअ़लैका अ़य्युहन्नबीय्य" क्योंकि हुज़ूरे अकदस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की

रूह मुबारक मुसलमानों के घर में तशरीफ़ फ़रमा है (शिफ़ा व शरहे शिफ़ा)

मसअला :- आने वाले ने सलाम नहीं किया और बातचीत शुरू कर दी तो उसे इख़्तियार है कि उसकी बात का जवाब न दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने सलाम से क़ब्ल कलाम किया उसकी बात का जवाब न दो।

(रद्दुल मुह्तार)

मसअला :- आने के वक़्त भी सलाम करे और जाते वक़्त भी यहाँ तक कि दोनों के दरमियान में अगर दीवार या दरख़्त हाएल हो जाये जब भी सलाम करे।

(रद्दुल मुहतार)

बाद नमाज़े इशा

1. यह दुरूदे पाक ताक़ (विषम) बार जितना पढ़ सके हुज़ूर -ए- अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए इससे बेहतर सेग़ा नहीं मगर ख़ालिस ताज़ीमे शाने अक़दस के लिए पढ़े इस नियत को भी दिल में जगह न आने दे कि मुझे ज़ियारत अता हो आगे उनका करम बेइन्तिहा है।

मुँह मदीनए तय्यबा की तरफ़ हो दिल हुज़ूर -ए- अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ़ दस्त बदस्ता पढ़े यह तसव्वुर बांधे कि रौज़ए अनवर के हुज़ूर हाज़िर है और यक़ीन जाने कि हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे देख रहे हैं। दुरूदे पाक यह है :-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ
نُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ ،
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ،

2. गुनाहों की मग़फ़िरत, दुनियावी व उख़रवी आफ़तों से निजात और क़ल्ब की सफ़ाई के लिए यह दुआ सौ मरतबा पढ़े :-

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ، اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ، اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ، صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ اَبَدًا عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَ
اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غَوْثُ يَا غَوْثُ

सलाम का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا
أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (پ ع ۸)

तर्जमा : जब तुमको कोई किसी लफ़्ज़ से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ़्ज़ जवाब में कहो या वही कह दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है।
और फ़रमाता है :–

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ
عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (پ ع ۱۴)

तर्जमा :- जब तुम घरों पर जाओ तो अपनों को सलाम करो अल्लाह की तरफ़ से तहिय्यत है मुबारक पाकीज़ा। (पारा 18 रुकू 14)

हदीस न. 1 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने आदम अ़लैहिस्सलाम को उनकी सूरत पर पैदा फ़रमाया। उनका क़द साठ हाथ का था। जब पैदा किया ये फ़रमाया कि उन फ़रिश्तों के पास जाओ और सलाम करो और सुनो कि वह तुम्हें क्या जवाब देते हैं जो कुछ वह तहिय्यत करें वही तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की तहिय्यत है। हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम ने उनके पास जाकर अस्सलामुअ़लैकुम कहा। उन्होंने जवाब में कहा अस्सलामुअ़लैकुम वरह़मतुल्लाह। हुज़ूर ने फ़रमाया कि जवाब में मलाइका ने वरह़मतुल्लाह ज़्यादा किया। हुज़ूर ने फ़रमाया जो शख़्स जन्नत में जायेगा वह आदम अ़लैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और साठ हाथ लम्बा होगा। आदम अ़लैहिस्सलाम के बाद लोगों की ख़िलक़त कम होती गयी। यहाँ तक कि अब (बहुत छोटे क़द का इन्सान होता है)

हदीस न. 2 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया कि इस्लाम की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है। हुज़ूर ने फ़रमाया खाना खिलाओ और जिसको पहचानते हो और नहीं पहचानते

सबको सलाम करो।

हदीस न. 3 :- निसाई ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर छः हक़ हैं।

1. जब वह बीमार हो तो इयादत करे।
2. और जब वह मर जाये तो उसके जनाज़े में हाज़िर हो।
3. और जब वह बुलाए तो इजाबत करे यानी हाज़िर हो।
4. और जब उससे मिले तो सलाम करे।
5. और जब छींके तो जवाब दे।
6. और हाज़िर व ग़ाएब उसकी खैरख़्वाही करे यानी सामने व पीछे उसका भला चाहे।

हदीस न. 4 :- तिर्मिज़ी व दारमी ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुस्लिम के मुस्लिम पर छह हुक़ूक़ हैं मारूफ़ के साथ (यानी भलाई के साथ):–

1. जब उससे मिले तो सलाम करे।
2. और जब वह बुलाए इजाबत करे यानी हाज़िर हो।
3. और जब छींके ये जवाब दे।
4. और जब बीमार हो इयादत (बीमार की मिजाज़पुर्सी) करे।
5. और जब वह मर जाये उसके जनाज़े के साथ जाये।
6. और जो चीज़ अपने लिए पसन्द करे उसके लिए पसन्द करे।

हदीस न. 5 :- सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत में तुम नहीं जाओगे जब तक ईमान न लाओ और तुम मोमिन नहीं होगे जब तक आपस में महब्बत न करो। क्या तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊँ कि जब तुम उसे करो तो आपस में महब्बत करने लगोगे वह ये है कि आपस में सलाम को फैलाओ।

हदीस न. 6 :- इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स पहले सलाम करे वह रहमते इलाही का ज़्यादा मुस्तहक़ है।

हदीस न. 7 :- बयहक़ी ने शोबुल ईमान में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि

वसल्लम ने फ़रमाया जो पहले सलाम करता है वह तकब्बुर से बरी है।

हदीस न. 8 :- अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स अपने भाई से मिले तो उसे सलाम करे फिर उन दोनों के दरमियान दरख़्त या दीवार या पत्थर हाएल हो जाये और फिर मुलाक़ात हो तो फिर सलाम करे।

हदीस न. 9 :- तिर्मिज़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेटे जब घर वालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करो। तुम पर और तुम्हारे घर वालों की उन पर बरकत होगी।

हदीस न. 10 :- तिर्मिज़ी ने जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सलाम बातचीत करने से पहले है।

हदीस न. 11 :- तिर्मिज़ी ने जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सलाम को कलाम से पहले होना चाहिए और किसी को खाने के लिए न बुलाओ जब तक वह सलाम न करे।

हदीस न. 12 :- इब्नुल नज्जार ने हज़रते उमर रद़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सवाल से पहले सलाम है जो शख़्स सलाम से पहले सवाल करे उसे जवाब न दो।

हदीस न. 13 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब किसी मजलिस तक कोई पहुँचे तो सलाम करे फिर अगर वहाँ बैठना हो तो बैठ जाये फिर जब वहाँ से उठे सलाम करे क्यूँकि पहली मरतबा का सलाम पिछली मरतबा के सलाम से ज्यादा बेहतर नहीं है यानी जैसे वह सुन्नत है ये भी सुन्नत है।

हदीस न. 14 :- इमाम मालिक बयहक़ी ने शोबुल ईमान में तुफ़ैल इब्ने उबई इब्ने कअब से रिवायत की कि यह सुबह को इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा के पास जाते तो वह उनको अपने साथ बाज़ार ले जाते। वह घटिया चीज़ों के बेचने वाले और किसी बेचने वाले और मिसकीन या किसी के सामने से गुज़रते सबको सलाम करते। तुफ़ैल कहते हैं कि एक दिन मैं अब्दुल्लाह इब्ने

उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा के पास आया। उन्होंने बाज़ार चलने को कहा। मैंने कहा आप बाज़ार जाकर क्या करेंगे न तो आप वहाँ खड़े होते हैं न सौदे के मुताल्लिक़ कुछ दरयाफ़्त करते हैं न किसी चीज़ का नर्ख़ (भाव करना, पूछना) चुकाते हैं और न बाज़ार की मजलिसों में बैठते हैं, यहीं बैठे बातें कीजिये यानी हदीसें सुनायें। उन्होंनें फ़रमाया हम सलाम करने के लिए बाज़ार जाते हैं कि जो मिलेगा उसे सलाम करेंगें।

हदीस न. 15 :- इमाम अह़मद व बयहक़ी ने शोबुल ईमान में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ाला अन्हु से रिवायत की कि एक दिन नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ और ये अर्ज़ की कि फ़लाँ शख़्स के मेरे बाग़ में कुछ फल हैं, उनकी वजह से मुझे तकलीफ़ है। हुज़ूर ने आदमी भेजकर उसे बुलाया और ये फ़रमाया कि अपने फलों को बेच डालो। उसने कहा नहीं बेचूँगा। हुज़ूर ने फ़रमाया हिबा कर दो। उसने कहा नहीं। हुज़ूर ने फ़रमाया इसको जन्नत के फल के एवज़ बेच दो। उसने कहा नहीं। हुज़ूर ने कहा तुझसे बढ़ कर बख़ील मैंनें नहीं देखा मगर वह शख़्स जो सलाम करने में बुख़्ल करता है।

हदीस न. 16 :- बयहक़ी ने हज़रते अली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाया जमाअत कहीं से गुज़री और उसमें से एक ने सलाम कर लिया, ये काफ़ी है और जो लोग बैठे हैं, उनमें से एक ने जवाब दे दिया ये काफ़ी है यानी सब पर जवाब देना ज़रूरी नहीं।

हदीस न. 17 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सवार पैदल को सलाम करे और चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे और थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों को सलाम करें यानी एक तरफ़ ज़्यादा हो और दूसरी तरफ़ कम तो सलाम वह लोग करें जो कम हैं। बुख़ारी की दूसरी रिवायत उन्हीं से ये है कि छोटा बड़े को सलाम करे और गुज़रने वाला बैठे हुए को करे और थोड़े ज़्यादा को।

हदीस न. 18 :- सही बुख़ारी में अ़बू हुरैरा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बच्चों के सामने से गुज़रे और बच्चों को सलाम किया।

हदीस न. 19 :- सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यहूदी नसारा को इबतेदई सलाम न करो और

जब तुम उनसे रास्ते में मिलो तो उनको तंग रास्ते की तरफ़ मुस्तर करो।

हदीस न. 20 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में उसामा इब्ने ज़ैद रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम एक मजलिस पर गुज़रे जिसमें मुसलमान और मुश्रिकीन बुत परस्त और यहूदी सब ही थे, हुज़ूर ने सलाम किया यानी मुसलमान की नियत से।

हदीस न. 21 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब यहूद तुम को सलाम करते हैं तो यह कहते हैं अस्सामुअ़लैक तो तुम उसके जवाब में वअ़लैक कहो —— यानी वअ़लैकुम अस्सलाम न कहो। साम के मअ़नी मौत हैं वह लोग हक़ीक़तन सलाम नहीं करते बल्कि मुस्लिम के जल्द मर जाने की दुआ करते हैं। इसी की मिस्ल अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि अहले किताब सलाम करें तो उनके जवाब में वअ़लैकुम कह दो।

हदीस न. 22 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद .ख़ुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रास्तों में बैठने से बचो। लोगों ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह हमें रास्ते में बैठने से चारा नहीं, हम वहाँ आपस में बात-चीत करते हैं। फ़रमाया जब तुम नहीं मानते बैठना ही चाहते हो तो रास्ते का हक़ अदा करो। लोगों ने अ़र्ज़ की कि रास्ते का हक़ क्या है। फ़रमाया नज़र नीची रखना और अज़ीयत को दूर करना और सलाम का जवाब देना और अच्छी बात का हुक्म करना और बुरी बातों से मना करना। दूसरी रिवायत में है और रास्ता बताना। एक और रिवायत में है फ़रयाद करने वाले की फ़रयाद सुनना और भूले हुए को हिदायत करना।

हदीस न. 23 :- शरहे सुन्नाह में अबू हुरैरा रद़ियल्लाह तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रास्तों के बैठने में भलाई नहीं है मगर उसके लिए जो रास्ता बताये और सलाम का जवाब दे और नज़र नीची रखे और बोझा लादने पर मदद करे।

हदीस न. 24 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने इमरान इब्ने हुसैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक शख़्स नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और अस्सलामुअ़लैकुम कहा। हुज़ूर ने उसे जवाब दिया और वह बैठ गया। हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया उसके लिये दस यानी दस नेकियाँ हैं फिर दूसरा आया और उसने अस्सलामुअ़लैकुम

वरहमतुल्लाह कहा। हुज़ूर ने जवाब दिया वह बैठ गया। इरशाद फ़रमाया इसके लिये बीस फिर तीसरा शख़्स आया और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबारकातुह कहा। उसको जवाब दिया और ये भी बैठ गया। हुज़ूर ने फ़रमाया इसके लिए तीस और मुआज़ इब्ने अनस की रिवायत में है कि फिर एक शख़्स आया उसने कहा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबारकातुहू व मग़फ़िरह। हुज़ूर ने फ़रमाया इसके लिए चालीस और फ़ज़ाइल इसी तरह होते हैं यानी जितना काम ज़्यादा होगा सवाब भी बढ़ता जायेगा।

हदीस न. 25 :- तिर्मिज़ी में बरिवायत अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स हमारे ग़ैर के साथ तशब्बो करे वह हममें से नहीं। यहूदी व नसारा के साथ तशब्बो न करो। यहूदियों का सलाम उंगलियों के इशारे से है और नसारा का सलाम हथेलियों के इशारे से है।

हदीस न. 26 :- अबू दाऊद तिर्मिज़ी ने अबू जुरई रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कहते है मैंने हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हो कर ये कहा अलैकस्सलाम या रसूलल्लाह। मैंने दो मरतबा ये कहा। हुज़ूर ने फ़रमाया अलैकस्सलाम न कहो अलैकस्सलाम मुर्दे की तहिइयत है अस्सलामुअलैक कहा करो।

मसाइले फ़िक़हिइया

मसअला :- सलाम करने में ये नियत हो कि उसकी इज़्ज़त व आबरू सब कुछ उसकी हिफ़ाज़त में है इन चीज़ों से तअर्रूज़ (इज़्ज़त या माल को नुक़सान पहुँचाना) करना हराम है। (यहाँ मतलब यह है कि बाज़ लोग सलाम तो करते हैं मगर दिल में खोट रहता है कि मौक़ा मिलते ही इसका माल हड़प लूंगा या बेइज़्ज़त कर दूंगा ऐसा करना हराम है) (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- सिर्फ़ उसी को सलाम न करे जिसको पहचानता हो बल्कि हर मुसलमान को सलाम करे चाहे पहचानता हो या न पहचानता हो। बाज़ सहाबा किराम इसी इरादे से बाज़ार जाते थे कि कसरत से लोग मिलेंगें और ज़्यादा सलाम करने का मौका मिलेगा।

मसअला :- इसमें इख़्तेलाफ़ है कि अफ़ज़ल क्या है ? सलाम करना या जवाब देना। किसी ने कहा जवाब देना अफ़ज़ल है क्योंकि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब। बाज़ ने कहा कि सलाम करना अफ़ज़ल है कि इस में तवाज़ो है जवाब तो सभी दे देते हैं। मगर सलाम करनो में बाज़ मरतबा बाज़

लोग अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। (आलमगीरी)

मसअला :- एक शख़्स को सलाम करे तो उसके लिए भी लफ़्ज़ जमा होना चाहिए यानी अस्सलामुअ़लैकुम कहे और जवाब देने वाला भी वअलैकुमअस्सलाम कहे बजाये अलैकुम अलैक न कहे और दो या दो से ज़्यादा को सलाम करे जब भी अलैकुम कहे (यहाँ मतलब यह है कि सलाम करने में बहुवचन का इस्तेमाल करे एक वचन का नहीं) और बेहतर ये है कि सलाम में रहमत व बरकत का भी ज़िक्र करे यानी "अस्सलामुअ़लैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह कहे और जवाब देने वाला भी वही कहे। बरकातुह पर सलाम का ख़ात्मा होता है उसके बाद और अल्फ़ाज़ ज़्यादा करने की .ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :- जवाब में 'वाओ' होना यानी वअलैकुम अस्सलाम कहना बेहतर है और अगर सिर्फ़ अलैकुम अस्सलाम बग़ैर वाओ कहा ये भी हो सकता है और अगर जवाब में उसने भी वही अस्सलामुअ़लैकुम कह दिया तो उससे भी जवाब हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअला :- अगरचे सलामुन अ़लैकुम भी सलाम है मगर ये लफ़्ज़ शियाओं में इस तरह जारी है कि उसके कहने से सुनने वाले का ज़हन फ़ौरन उसकी तरफ़ मुन्तक़िल होता है कि ये शख़्स शिया है, लिहाज़ा इससे बचना .ज़रूरी है।

मसअला :– सलाम का जवाब फ़ौरन देना वाजिब है बिला उज़्र देर की तो गुनाहगार होगा और ये गुनाह जवाब देने से दफ़ा न होगा बल्कि तोबा करनी होगी। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- जिन लोगों को उसने सलाम किया उनमें से किसी ने जवाब न दिया बल्कि किसी और ने जो उस मजलिस से ख़ारिज थां जवाब दिया तो ये जवाब अहले मजलिस की तरफ़ से नहीं हुआ यानी वह लोग बरी उज़ ज़िम्मा न हुए। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- एक जमाअत दूसरी जमाअत के पास आई और किसी ने सलाम न किया तो सबने सुन्नत को तर्क किया सब पर इलज़ाम है और अगर उनमें से एक ने सलाम कर लिया तो सब बरी हो गये और अफ़ज़ल ये है कि सब ही सलाम करें। यूँही अगर उनमें से किसी ने जवाब न दिया तो सब गुनाहगार होंगे और एक ने जवाब दे दिया तो सब बरी हो गये और अफ़ज़ल ये है कि सब जवाब दें। (आलमगीरी)

मसअला :- एक शख़्स मजलिस में आया और उसने सलाम किया अहले

मजलिस पर जवाब देना वाजिब है और दुबारा फिर सलाम किया तो जवाब देना वाजिब नहीं। मजलिस में अगर किसी ने अस्सलामुअलैक कहा यानी सेगा वाहिद (singuler) बोला और किसी एक शख़्स ने जवाब दिया तो जवाब हो गया ख़ास उसको जवाब देना वाजिब नहीं जिसकी तरफ़ उसने इशारा किया है। हाँ! अगर उसने किसी शख़्स का नाम ले कर सलाम किया कि फ़लाँ साहब अस्सलामुअलैक तो ख़ास उस शख़्स को जवाब देना होगा दूसरे का जवाब उसके जवाब के क़ायम मक़ाम नहीं होगा। (ख़ानिया, आलमगीरी)

मसअला :- अहले मजलिस पर सलाम किया उन में से किसी नाबालिग़ आक़िल ने जवाब दे दिया तो ये जवाब काफ़ी है और बुढ़िया ने जवाब दिया तो ये जवाब भी हो गया। जवान औरत या मजनून (पागल) या नासमझ बच्चे ने जवाब दिया ये नाकाफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- साइल ने दरवाज़े पर आकर सलाम किया उसका जवाब देना वाजिब नहीं। कचहरी में क़ाज़ी जब इजलास कर रहा हो उसको सलाम किया गया। क़ाज़ी पर जवाब देना वाजिब नहीं। लोग खाना खा रहे हों उस वक़्त कोई आया तो सलाम न करे हाँ अगर ये भूका है और जानता है कि उसे वह लोग खाने में शरीक करेंगे तो सलाम करे। (ख़ानिया बज़्ज़ाज़िया)

ये उस वक़्त है कि खाने वाले के मुँह में लुक़मा है और वह चबा रहा है कि उस वक़्त वह जवाब देने से आजिज़ है और अभी खाने के लिए बैठा है या खा चुका है तो सलाम कर सकता है कि अब वह आजिज़ नहीं।

(रद्दुल मुहतार)

मसअला :- एक शख़्स शहर से आ रहा है दूसरा देहात से। दोनों में कौन सलाम करे बाज़ ने कहा शहरी देहाती को सलाम करे और बाज़ उलमा फ़रमाते हैं कि देहाती शहरी को सलाम करे। एक शख़्स बैठा हुआ है दूसरा यहाँ से गुज़रा तो गुज़रने वाला बैठे हुए को सलाम करे और छोटा बड़े को सलाम करें और सवार पैदल को सलाम करे और थोड़े ज़्यादा को सलाम करें। एक शख़्स पीछे से आया ये आगे वाले को सलाम करे।(बज़्ज़ाज़िया, आलमगीरी)

मसअला :- मर्द और औरत की मुलाक़ात हो तो मर्द औरत को सलाम करे और अगर औरत अजनबिया ने मर्द को सलाम किया और वह बूढ़ी हो तो इस तरह जवाब दे कि वह भी सुने और वह जवान हो तो इस तरह जवाब दे कि वह न सुने। (ख़ानिया)

मसअला :- जब अपने घर जाये तो घर वालों को सलाम करे बच्चों के सामने गुज़रे तो उन बच्चों को सलाम करे। (आलमगीरी)

मसअला :- कुफ़्फ़ार को सलाम न करे और वह सलाम करें तो जवाब दे सकता है मगर जवाब में सिर्फ़ अलैकुम कहे अगर ऐसी जगह गुज़रना हो जहाँ मुस्लिम व काफ़िर दोनों हों तो अस्सलामुअलैकुम कहे और मुसलमान पर सलाम का इरादा करे और ये भी हो सकता है कि अस्सलामु अला मनित्तबा अल हुदा कहे। (आलमगीरी)

मसअला :- काफ़िर को अगर हाजत की वजह से सलाम किया मसलन सलाम न करने में उसे अन्देशा है तो हर्ज नहीं और ताज़ीम के इरादे से काफ़िर को हर्गिज़ हर्गिज़ सलाम न करे कि काफ़िर की ताज़ीम कुफ़्र है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- सलाम इस लिए है कि मुलाक़ात करने को जो शख़्स आये वह सलाम करे कि मुलाक़ात करने वाले की ये तहिय्यत है लिहाज़ा जो शख़्स मस्जिद में आया और हाज़रीन मस्जिद में तिलावते .कुरआन व तस्बीह दुरूद में मशग़ूल हैं या नमाज़ के इन्तेज़ार में बैठा है तो सलाम न करे कि ये सलाम का वक़्त नहीं। इसी वास्ते .फ़ुक़हा ये फ़रमाते हैं कि उनको इख़्तियार है कि जवाब दें या न दें। हाँ अगर कोई शख़्स मस्जिद में इस लिए बैठा है कि लोग उसके पास मुलाक़ात को आयें तो आने वाले सलाम करें।

(आलमगीरी)

मसअला :- कोई शख़्स तिलावत में मशग़ूल है या दर्स व तदरीस या इल्मी गुफ़्तगू या सबक़ की तकरार में है तो उसको सलाम न करे। इसी तरह अज़ान व इक़ामत व ख़ुतबए जुमा व ईदैन के वक़्त सलाम न करे। सब लोग इल्मी गुफ़्तगू कर रहे हों या एक शख़्स बोल रहा है बाक़ी सुन रहे हों दोनों सूरतों में सलाम न करे। मसलन आलिम वाज़ कह रहा है या दीनी मसअले पर तक़रीर कर रहा है और हाज़रीन सुन रहे हैं, आने वाला शख़्स चुपके से आकर बैठ जाये सलाम न करे। (आलमगीरी)

मसअला :- आलिमे दीन तालीमे दीन में मशग़ूल है। तालिबे इल्म आया तो सलाम न करे और सलाम किया तो उस पर जवाब देना वाजिब नहीं। (आलमगीरी) और ये भी हो सकता है कि अगरचे वह पढ़ा न रहा हो सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं क्यूँकि ये उसकी मुलाक़ात को नहीं आया है कि उसके लिए सलाम करना मसनून हो बल्कि पढ़ने के लिए आया है जिस तरह

क़ाज़ी के पास जो लोग इजलास में जाते हैं, वह मिलने को नहीं जाते बल्कि अपने मुक़दमे के लिए जाते हैं।

मसअला :- जो शख़्स पेशाब या पख़ाना फिर रहा है या कबूतर उड़ा रहा है या गा रहा है या हमाम या ग़ुस्लख़ाने में नंगा नहा रहा है उसको सलाम न किया जाये और उस पर जवाब देना वाजिब नहीं (आलमगीरी) पेशाब के बाद ढेला ले कर इस्तिन्जा सुखाने के लिए टहलते हैं ये भी इसी हुक्म में हैं कि पेशाब कर रहा है।

मसअला :- जो शख़्स अलानिया फ़िस्क़ करता हो यानी खुलेआम गुनाह करता है उसे सलाम न करे। किसी के पड़ोस में .फ़ुस्साक़ रहते हैं मगर उनसे ये अगर सख़्ती बरत्ता है तो वह उसको ज़्यादा परेशान करेंगे और नर्मी करता है, उनसे सलाम कलाम जारी रखता है तो वह तकलीफ़ पहुँचाने से बाज़ रहते हैं तो उनके साथ ज़ाहिरी तौर पर मेल जोल रखने में ये माज़ूर है।

(आलमगीरी)

मसअला :- जो लोग शतरंज खेल रहे हों उनको सलाम किया जाये या न किया जाये जो उलमा सलाम करने को जाएज़ फ़रमाते हैं वह ये कहते हैं कि सलाम इस मक़सद से करे कि इतनी देर तक कि वह जवाब देंगे खेल से बाज़ रहेंगे। ये सलाम उनको मुसीबत से बचाने के लिए है अगरचे इतनी ही देर तक सही। जो फ़रमाते हैं कि सलाम करना नाजाएज़ है उनका मक़सद ज़ज्र ओ तौबीख़ (डांट फटकार) है कि उसमें उनकी तज़लील (ज़लील करना) है।

(आलमगीरी)

मसअला :- किसी से कह दिया कि फ़लाँ को मेरा सलाम कह देना उस पर सलाम पहुँचाना वाजिब है और जब उसने सलाम पहुँचाया तो जवाब यूँ दे कि पहले उस भेजने वाले को उसके बाद उसको जिसने सलाम भेजा है यानी ये कहे "वअलैका वअलैहिस्सलाम" (आलमगीरी)

ये सलाम पहुचाँना उस वक़्त वाजिब है जब उसने इसका इलतेज़ाम कर लिया हो यानी कह दिया हो कि हाँ तुम्हारा सलाम कह दूंगा कि इस वक़्त यह सलाम उसके पास अमानत है जो उसका हक़दार है उसको देना ही होगा और यह बमन्ज़िला वदीयत है कि इस पर यह लाज़िम नहीं कि सलाम पहुँचाने वहाँ जाए। इसी तरह हाजियों से लोग यह कह देते हैं कि हुज़ूर —ए— अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में मेरा सलाम अर्ज़ कर देना यह

सलाम भी पहुँचाना वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : ख़त में सलाम लिखा होता है उसका जवाब देना वाजिब है और यहाँ जवाब दो तरह होता है एक यह कि ज़बान से जवाब दे दूसरी सूरत यह है कि सलाम का जवाब लिखकर भेजे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) मगर चूंकि जवाबे सलाम फ़ौरन देना वाजिब है जैसा कि ऊपर ज़िक्र हुआ तो अगर फ़ौरन तहरीरी जवाब न हो जैसे कि उमूमन यही होता है कि ख़त का जवाब फ़ौरन ही नहीं लिखा जाता तो ख़्वाहमख़्वाह कुछ देर होती है तो ज़बान से जवाब फ़ौरन दे दे ताकि ताख़ीर से गुनाह न हो इसी वजह से अल्लामा सय्यद अहमद तहतावी ने इस जगह फ़रमाया وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُوْن (यानी लोग इससे ग़ाफ़िल हैं) आला हज़रत क़िबला .क़ुद्दिसा सिर्रूहु जब जब ख़त पढ़ा करते तो ख़त में जो अस्सलामुअ़लैकुम लिखा होता है उसका जवाब ज़बान से देकर बाद का मज़बून पढ़ते।

मसअला :– सलाम की मीम को साकिन कहा यानी सलाम अलैकुम जैसा कि अकसर जाहिल इसी तरह कहते है या सलामुअलैकुम मीम को पेश के साथ कहा इन दोनों सूरतों में जवाब वाजिब नहीं कि ये मसनून सलाम नहीं। (यानी अस्सलामुअ़लैकुम कहना चाहिए।) (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इब्तिदाअन किसी ने ये कहा अलैकस्सलाम या अ़लैकुमस्सलाम तो उसका जवाब नहीं हदीस में फ़रमााया कि ये मुर्दो की तहिय्यत है।

मसअला :– सलाम इतनी आवाज़ से कहे कि जिसको सलाम किया है वह सुन ले और अगर इतनी आवाज़ न हो तो जवाब देना वाजिब नहीं। जवाबे सलाम में भी इतनी आवाज़ हो कि सलाम करने वाला सुन ले और इतना आहिस्ता कहे कि वह सुन न सके तो वाजिब साक़ित न हुआ और अगर वह बहरा है तो उसके सामने होट को जुम्बिश दे कि उसकी समझ में आ जाये कि जवाब दे दिया। छींक के जवाब का भी यही हुक्म है। (बज़्ज़ाज़िया)

मसअला :– उगंली या हथेली से सलाम करना ममनूअ है। हदीस में फ़रमाया कि उंगलियों से सलाम करना यहूदियों का तरीक़ा है और हथेली से इशारा करना नसारा का।

मसअला :- बाज़ लोग सलाम के जवाब में हाथ या सर से इशारा कर देते हैं बल्कि बाज़ सिर्फ़ आँखों के इशारे से जवाब देते हैं। यूँ जवाब नहीं हुआ उनको मुँह से जवाब देना वाजिब है।

मसअला :- बाज़ लोग सलाम करते वक़्त झुक जाते हैं। ये झुकना अगर हद्दे रुकू तक हो तो हराम है और उससे कम हो तो मकरूह है। (रुकू की हद यह है कि इतना झुके कि हाथ घुटने तक पहुँच सकता हो अगरचे पूरी पीठ न झुकी हो)

मसअला :- इस ज़माने में कई तरह के सलाम लोगों ने ईजाद करे हैं। उनमें सब से बुरा ये है जो बाज़ लोग कहते है " बन्दगी अर्ज़ " यह लफ़्ज़ हरगिज़ न कहा जाये। बाज़ लोग 'आदाब अर्ज़' कहते हैं अगरचे उसमें इतनी बुराई नहीं मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बाज़ लोग 'तस्लीम' या 'तस्लीमात अर्ज़' कहते हैं इसको सलाम ही जा सकता है, ये सलाम ही के मअनी में है। बाज़ कहते हैं 'सलाम' इसको भी सलाम कहा जा सकता है। .कुरआन मजीद में है कि मलाइका जब हज़रते इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए " फ़क़ालू सलामन " उन्होंने आकर सलाम कहा। उसके जवाब में हज़रते इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा यानी अगर किसी ने कहा सलाम तो सलाम कह देने से सलाम हो जायेगा। बाज़ लोग इस क़िस्म के हैं कि वह खुद तो क्या सलाम करेंगे अगर उनको सलाम किया जाता है तो बिगड़ते हैं कहते हैं कि क्या हमें बराबर का समझ लिया है यानी कोई ग़रीब आदमी मुसलमान सलाम कर ले तो वह अपनी कसरे शान समझते हैं और बाज़ ये चाहते हैं कि उन्हें आदाब अर्ज़ कहा जाये या झुककर हाथ से इशारा किया जाये और बाज़ यहाँ तक बेबाक हैं कि यह कहते हैं कि क्या हमें धुना जुलाहा मुक़र्रर कर रखा है। अल्लाह तआ़ला उनको हिदायत दे और उनकी आँखें खोले।

मसअला :- किसी के नाम के साथ अ़लैहिस्सलाम कहना ये अम्बिया व मलाइका अ़लैहिमुस्सलाम के साथ ख़ास है मसलन मूसा अ़लैहिस्सलाम, ईसा अ़लैहिस्सलाम, जिब्रील अ़लैहिस्सलाम । नबी और फ़रिश्ते के सिवा किसी दूसरे के नाम के साथ यह हरगिज़ न कहा जाए। अम्बिया की तबीय्यत (ताबे क़रके मिलाकर या साथ साथ) में दूसरों के लिए अ़लैहिस्सलाम बिला कराहत जाएज़ है जैसे इमाम हुसैन अला जद्देहि व अ़लैहिस्सलाम

मसअला :- अकसर जगह यह तरीक़ा है कि छोटा जब बड़े को सलाम करता है तो वह जवाब में कहता है जीते रहो यह सलाम का जवाब नहीं है बल्कि यह जवाब जाहिलियत में कुफ़्फ़ार दिया करते थे। वह कहते थे हय्याकल्लाह (तुझे अल्लाह सलामत रखे)। इसलाम ने यह बताया कि जवाब में वअलैकुम अस्सलाम कहा जाए।

मुसाफ़ा व मुआनक़ा व बोसा व क़ियाम

हदीस न. 1 :- इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने बरा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने फ़रमाया जब दो मुसलमान मिल कर मुसाफ़ा करते हैं तो जुदा होने से पहले ही उनकी मग़फ़िरत हो जाती है और अबू दाऊद की रिवायत में है जब दो मुसलमान मिलें और मुसाफ़ा करें और अल्लाह की हम्द करें और इस्तिग़फ़ार करें तो दोनों की मग़फ़िरत हो जाएगी।

हदीस न. 2 :- बयहक़ी ने शोबुल ईमान में बरा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स दोपहर से पहले चार रकात (नमाज़े चाश्त) पढ़े तो गोया उसने शबे क़द्र में पढ़े और दो मुसलमान मुसाफ़ा करें तो कोई गुनाह बाक़ी न रहेगा मगर झड़ जायेगा।

हदीस न. 3 :- सही बुख़ारी क़तादह से रिवायत है कहते हैं मैंने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से दरयाफ़्त किया क्या अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मुसाफ़ा का दस्तूर था। कहा हाँ।

हदीस न. 4 :- इमाम मालिक ने अता ख़रासानी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आपस में मुसाफ़ा करो दिल की कपट जाती रहेगी और एक दूसरे को हदिया किया करो महब्बत पैदा होगी और अदावत निकल जायेगी।

हदीस न. 5 :- इमाम अहमद ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब दो मुसलमानों ने मुलाक़ात की और एक ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया (मुसाफ़ा किया) तो अल्लाह तआला के ज़िम्मे में ये हक़ है कि उनकी दुआ को हाज़िर कर दे और हाथ जुदा न होने पायेगा कि उनकी मग़फ़िरत हो जायेगी और जो लोग जमा हो कर अल्लाह तआला का ज़िक्र करते हैं और सिवा रज़ाये इलाही के उनका कोई मक़सद नहीं है तो आसमान से मुनादी निदा देता है कि खड़े हो जाओ तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया।

हदीस न. 6 :- तबरानी ने सलमान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमान

जब अपने मुसलमान भाई से मिले और हाथ पकड़े (मुसाफ़ा करे) तो इन दोनों के गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे तेज़ आंधी के दिन में .खुश्क दरख़्त के पत्ते और उनके गुनाह बख़्श दिये जाते हैं अगरचे समन्दर के झाग के बराबर हों।

हदीस न. 7 :- इब्ने नज्जार ने इब्ने उमर रदि़यल्लाह तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफ़ा करे और किसी के दिल में दूसरे से अदावत न हो तो हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह तआ़ला दोनों के गुज़शता गुनाहों को बख़्श देगा और जो शख़्स अपने भाई की तरफ़ नज़रे महब्बत से देंखे उसके दिल या सीने में अदावत न हो तो निगाह लौटने से पहले दोनों के गुज़शता (गुज़रे हुए) गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

हदीस न. 8 :- इमाम अहमद तिर्मिज़ी ने अबू उमामा रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मरीज़ की पूरी इयादत ये है कि उसकी पेशानी या हाथ पर हाथ रख कर पूछे कि मिज़ाज कैसा है और पूरी तहिय्यत ये है कि मुसाफ़ा किया जाये।

हदीस न. 9 :- तिर्मिज़ी ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कोई शख़्स अपने भाई या दोस्त से मुलाक़ात करे तो क्या उसके लिए झुक जाये। फ़रमाया नहीं। उसने कहा तो क्या उससे चिपट जाये और बोसा ले। फ़रमाया नहीं। उसने कहा तो क्या उसका हाथ पकड़ कर मुसाफ़ा करे फ़रमाया हाँ।

हदीस न. 10 :- अबू दाऊद ने रिवायत की कि एक शख़्स ने अबू ज़र रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से पूछा क्या तुम लोग जब हुज़ूर से मिलते थे तो हुज़ूर तुम से मुसाफ़ा करते। उन्होंने कहा मैंने जब कभी मुलाक़ात की हुज़ूर ने मुसाफ़ा किया। एक दिन हुज़ूर ने आदमी भेजा मैं घर पर मौजूद न था जब आया तो मुझे इत्तेला दी गई। मैं हाज़िर हुआ उस वक़्त हुज़ूर तख़्त पर थे मुझे चिपटा लिया तो ये ख़ूब ही अच्छा था ख़ूब अच्छा।

हदीस न. 11 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कहते है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत फातिमा रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हा के घर गया। हुज़ूर ने हज़रते हसन रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु को दरयाफ़्त किया कि वह कहाँ हैं। थोड़ी देर बाद वह दौड़ते हुए आये और हुज़ूर ने उन्हें गले लगा लिया और वह भी चिपट गये

फिर फ़रमाया ऐ अल्लाह ! मैं इसे महबूब रखता हूँ तू भी उसे महबूब रख और उसे महबूब बना ले जो उसे महबूब रखे।

हदीस न. 12 :- इमाम अहमद ने यअ़ला रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं हज़रत हसन व हुसैन रद्रियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा दौड़ कर रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आये। हुज़ूर ने उन्हें चिपटा लिया और फ़रमाया औलाद बुख़्ल और बुज़दिली का सबब होती है।

हदीस न. 13 :- तिर्मिज़ी ने उम्मुल मोमिनीन आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि ज़ैद इब्ने हारसा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु जब मदीने में आये हुज़ूर मकान में तशरीफ़ फ़रमा थे । उन्होंने आकर दरवाज़ा खटखटाया हुज़ूर कपड़े घसीटते हुए आये ब़रहना यानी बग़ैर चादर ओढ़े हुए चल दिये। वल्लाह मैंने भी उसके पहले हुज़ूर को ब़रहना यानी बग़ैर चादर ओढ़े किसी के पास जाते नहीं देखा था और न उसके बाद कभी इस तरह देखा। हुज़ूर ने उन्हें गले लगाया और बोसा दिया ।

हदीस न. 14 :- अबू दाऊ़द ने उसैद इब्ने महज़ैर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक अन्सारी शख़्स जिनकी तबियत में मज़ाह था यानी मज़ाक़िया थे। वह बातें कर रहे थे और लोग को हँसा रहे थे। नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक लकड़ी से उनकी कमर को कोंच दिया। उन्होंने हुज़ूर से अर्ज़ की कि मुझे इसका बदला दीजिये। हुज़ूर ने फ़रमाया बदला ले लो। उन्होंने कहा हुज़ूर क़मीज़ पहने हुए हैं, मेरे बदन पर क़मीज़ नहीं है। हुज़ूर ने क़मीज़ हटा दी वह चिपट गये और पहलू को बोसा दिया और ये कहा कि मेरा मक़सद यही था (बदला लेना मक़सूद न था)

हदीस न. 15 :- अबू दाऊद व बयहक़ी ने आमिर शोअबी से मुरसलन रिवायत की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जाफ़र इब्ने अ़बी तालिब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का इस्तक़बाल किया और उनसे मुआनक़ा (गले लगाना)फ़रमाया और दोनों आखों के दरमियान में बोसा दिया।

हदीस न. 16 :- अबू दाऊद ने ज़ारेअ़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि जब क़बीलए अबदुल क़ैस का वफ़द हुज़ूर की ख़िदमत में आया था ये भी उस वफ़द में थे। ये कहते हैं जब हम मदीने पहुँचे अपनी मन्ज़िलों से जल्दी जल्दी हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होते और हुज़ूर के दस्ते मुबारक और पाये मुबारक को बोसा देते।

हदीस न. 17 :- अबू दाऊद ने उम्मुल मोमिनीन हज़रते आइशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि हज़रते फ़ातमा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा जब हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होतीं तो हुज़ूर उनकी तरफ़ खड़े हो जाते और उनका हाथ पकड़ लेते और उनको बोसा देते फिर अपनी जगह बैठते और जब हुज़ूर उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो वह खड़ी हो जातीं और हुज़ूर का हाथ पकड़ लेती और बोसा देतीं और अपनी जगह पर बैठातीं।

हदीस न. 18 :- अबू दाऊद ने बरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि जब अबूबक्र सिद्दीक़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु शुरू शुरू मदीना में आये थे मैं उनके साथ उनके यहाँ गया। हज़रते आइशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा बुख़ार में लेटी हुईं थीं। हज़रते अबूबक्र उनके पास गये और पूछा कैसी हो और उनके रूख़्सार पर बोसा दिया।

हदीस न. 19 :- तिर्मिज़ी ने सफ़वान इब्ने अ़स्साल रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि दो यहूदी हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुए और यह सवाल किया कि खुली हुई नौ निशानियाँ क्या हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया 1. अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो 2. चोरी न करो 3. ज़िना न करो और 4. जिस जान को अल्लाह ने हराम किया है उसे नाहक़ न क़त्ल न करो 5. जो जुर्म से बरी हो उसे बादशाह के पास क़त्ल के लिए न ले जाओ 6. जादू न करो 7. सूद न खाओ 8. अफ़ीफ़ा पर ज़िना की तोहमत न धरो 9. लड़ाई के दिन मुँह फेर कर न भागो और ख़ास तुम यहूदी हफ़्ते के मुताल्लिक़ हद से तजावुज़ न करो जब हुज़ूर ने फ़रमाया तो उन्होंने हुज़ूर के हाथों और क़दमों को बोसा दिया।

हदीस न. 20 :- अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कहते हैं कि हम हुज़ूर के क़रीब गये और हाथ को बोसा दिया।

हदीस न. 21 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद .खुदरी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि जब बनी .क़ुरैज़ा अपने क़िले से सअद इब्ने मआज़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के हुक्म पर उतरे, हुज़ूर ने सअद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास आदमी भेजा और वह वहाँ से क़रीब में था। जब मस्जिद के क़रीब आ गये हुज़ूर ने अन्सार से फ़रमाया अपने सरदार के पास उठ कर जाओ।

हदीस न. 22 :- बयहक़ी ने शोबुल ईमान में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में बैठ कर हमसे बातें करते जब हुज़ूर खड़े होते हम भी खड़े हो जाते

और इतनी देर खड़े रहते कि हुज़ूर को देख लेते कि बाज़ अज़वाजे मुतह्हरात के मकान में तशरीफ़ ले गए।

हदीस न. 23 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने मुआविया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसकी ये ख़ुशी हो कि लोग मेरी ताज़ीम के लिए खड़े रहें वह अपना ठिकाना जहन्नम में बनाये।

हदीस न. 24 :- अबू दाऊद ने अबू उमामा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम असा पर टेक लगा कर बाहर तशरीफ़ लाये। हम हुज़ूर के लिए खड़े हो गये। इरशाद फ़रमाया इस तरह न खड़े हुआ करो जैसे अजमी खड़े हुआ करते हैं कि उनमें का बाज़ बाज़ दूसरे की ताज़ीम किया करता है।

यानी अज़मियों का खड़े होने में जो तरीक़ा है वह क़बीह व मज़मूम है इस तरह खड़े होने की मुमानअत है। वह ये है कि अमीर लोग बैठे हुए होते हैं और कुछ लोग बर वजह ताज़ीम उनके क़रीब खड़े रहते हैं। दूसरी सूरत अदमे जवाज़ की वह है कि .खुद पसन्द करता हो कि मेरे लिए लोग खड़े हुआ करें और कोई खड़ा न हो तो बुरा माने जैसा कि हिन्दुस्तान में अब भी बहुत जगह रिवाज़ है कि अमीरों, रईसों, ज़मीदारों के लिए उनकी रिआया खड़ी होती है न खड़े हों तो झगड़े तक नौबत आती है। ऐसे ही मुताकब्बेरीन व ज़ालिमों के मुताल्लिक़ मुआविया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु वाली हदीस में वईद आई है और अगर उनकी तरफ़ से ये न हो बल्कि ये खड़ा होने वाला उसको मुस्तहिक़े ताज़ीम समझ कर सवाब के लिए खड़ा होता है या तवाज़ो के तौर पर किसी के लिए खड़ा होता है तो ये नाजाएज़ नहीं बल्कि मुस्तहब है।

मसअला :- मुसाफ़ा सुन्नत है और इसका सुबूत तवातर से है (तवातर यानी इतने लोगों से रिवायत है कि उसका झूट होना मुहाल है) और अहादीस में इसकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है। एक हदीस ये है कि जिसने अपने मुसलमान भाई से मुसाफ़ा किया और हाथ को हरकत दी उसके तमाम गुनाह गिर जायेंगे, जितनी बार मुलाक़ात हो हर बार मुसाफ़ा करना मुस्तहब है।

मुतलक़न मुसाफ़े का जवाज़ ये बताता है कि नमाज़े फ़ज्र व अस्र के बाद जो अकसर जगह मुसाफ़ा करने का मुसलमानों में रिवाज है ये भी जाएज़ है और बाज़ किताबों में जो उसको बिदअत कहा गया उससे मुराद बिदअते

हसना है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- जिस तरह फ़ज्र व अस्र के बाद मुसाफ़ा करना जाएज़ है दूसरी नमाज़ों के बाद भी मुसाफ़ा करना जाएज़ है क्यूँकि असल मुसाफ़ा करना जाएज़ है तो किसी वक़्त भी किया जाये जाएज़ है जब तक शरे मुतह्हरा से मुमानअत साबित न हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- मुसाफ़ा ये है कि एक शख़्स अपनी हथेली दूसरे की हथेली से मिलाये फ़क़त उंगलियों के छूने का नाम मुसाफ़ा नहीं है। सुन्नत ये है कि दोनों हाथ से मुसाफ़ा किया जाये और दोनों हाथ के बीच कपड़ा वग़ैरा कोई चीज़ हाएल न हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- मुसाफ़ा का एक तरीक़ा वह है जो बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरा में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक उनके दोनों हाथों के दरमियान में था यानी हर एक का हाथ दूसरे के दोनों हाथ के दरमियान में हो। दूसरा तरीक़ा जिसको बाज़ फ़ुक़हा ने बयान किया और उसकी निसबत भी वह कहते हैं कि हदीस से साबित है। वह ये कि हर एक अपना दाहिना हाथ दूसरे के दाहिने हाथ से और बायाँ बायें से मिलाये और अँगूठे को दबाये कि अँगूठे में एक रग है कि उसके पकड़ने से महब्बत पैदा होती है।

मसअला :- मुसाफ़ा मसनून ये है कि जब दो मुसलमान एक दूसरें से मिलें तो पहले सलाम किया जाये उसके बाद मुसाफ़ा करें। रूख़्सत के वक़्त भी उमूमन मुसाफ़ा करते हैं उसके मसनून होने की तसरीह नज़रे फ़क़ीर से नहीं गुज़री मगर असल मुसाफ़े का जवाज़ हदीस से साबित है तो उसको भी जाएज़ ही समझा जायेगा।

मसअला :- मुआनक़ा (बग़लगीर होना, गले मिलना) करना भी जाएज़ है जबकि ख़ौफ़े फ़ितना और अन्देशए शहवत न हो चाहिए कि जिससे मुआनक़ा किया जाये वह सिर्फ़ तहबन्द या फ़क़त पजामा पहने हुए न हो बल्कि कुर्ता या अचकन भी पहने हो या चादर ओढ़े हो यानी कपड़ा हाएल हो (ज़ैलई) हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआनक़ा किया।

मसअला :- बाद नमाज़े ईदैन मुसलमानों में मुआनक़े का रिवाज है और ये भी इज़हारे ख़ुशी का एक तरीक़ा है। ये मुआनक़ा भी जाएज़ है जब कि महल्ले फ़ितना न हो मसलन अमरद (नाबालिग़ जिसके अभी दाढ़ी मूंछें न निकलीं हों)व

ख़ूबसूरत से मुआनक़ा करना कि ये महल्ले फ़ितना है।

मसअला :- बोसा देना अगर बाशहवत हो तो नाजाएज़ है और इकराम व ताज़ीम के लिए हो तो हो सकता है। पेशानी पर बोसा भी इन्हीं शराएत के साथ जाएज़ है हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़ रद्रियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम की दोनों आखों के दरमियान को बोसा दिया और सहाबा व ताबईन रद्रियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से भी बोसा देना साबित है।

मसअला :- बाज़ लोग मुसाफ़ा करने के बाद .खुद अपना हाथ चूम लिया करते है ये मकरूह है ऐसा नहीं करना चाहिए। (जैलई)

मसअला :– आलिमे दीन और बादशाहे आदिल के हाथ को बोसा देना जाएज़ है बल्कि उसके क़दम चूमना भी जाएज़ है बल्कि अगर किसी ने आलिमे दीन से ये ख़्वाहिश की कि आप अपना हाथ या क़दम मुझे दीजिये कि मैं बोसा दूं तो उसके कहने के मुताबिक़ वह आलिम अपना हाथ पाँव बोसे के लिए उसकी तरफ़ बढ़ा सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- औरत ने औरत के मुँह या रूख़सार को बवक़्त मुलाक़ात या बवक़्त रूख़सत बोसा दिया ये मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– आलिम या किसी बड़े के सामने ज़मीन को बोसा देना हराम है जिसने ऐसा किया और जो उस पर राज़ी हो दोनों गुनाहगार हुए। (जैलई)

मसअला :- बोसे की पाँच क़िस्में हैं :–

1. बोसए रहमत जैसे वालिदैन का औलाद को बोसा देना।
2. बोसए शफ़क़त जैसे औलाद का वालिदैन को बोसा देना।
3. बोसए महब्बत जैसे एक शख़्स अपने भाई की पेशानी को बोसा दे।
4. बोसए तहिय्यत जैसे बवक़्ते मुलाक़ात एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को बोसा दे।
5. बोसए शहवत जैसे मर्द औरत को बोसा दे।
6. और एक क़िस्म बोसा दियानत है जैसे हज्रे असवद का बोसा। (जैलई)

मसअला :- मुसहफ़ यानी .कुरआन मजीद को बोसा देना भी सहाबाए किराम के फ़ेल से साबित है। हज़रते उमर रद्रियल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना सुबह को बोसा देते थे और कहते ये मेरे रब का अहद और उसकी किताब है और हज़रते उसमान रद्रियल्लाहु तआला अन्हु भी मुसहफ़ को बोसा देते और चेहरे से मसा करते। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- सजदए तहिय्यत बतौरे इकराम किसी को सजदा करना हराम है यानी मुलाक़ात के वक़्त किसी को सजदा करना हराम है और अगर बक़स्दे इबादत किसी को सजदा किया यानी इबादत की नियत से सजदा किया तो यह कुफ़्र है और इबादत की नियत से सजदा करने वाला काफ़िर है कि ग़ैरे ख़ुदा की इबादत कुफ़्र है।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :- बादशाह को बर वजह तहिय्यत सजदा करना या उसके सामने ज़मीन को बोसा देना कुफ़्र नहीं मगर ये शख़्स गुनाहगार हुआ और अगर इबादत के तौर पर सजदा किया तो कुफ़्र है। आलिम के पास आने वाला भी अगर ज़मीन को बोसा दे ये भी नाजाएज़ व गुनाहगार है, करने वाला और उस पर राज़ी होने वाला दोनों गुनाहगार हैं। (आलमगीरी)

मसअला :- मुलाक़ात के वक़्त झुकना मना है (आलमगीरी) यानी इतना झुकना कि हद्दे रूकू तक हो जाये।

मसअला :- आने वाले की ताज़ीम के लिए खड़े होना जाएज़ बल्कि मन्दूब है जबकि ऐसे की ताज़ीम के लिए खड़ा हो जो मुस्तहिके ताज़ीम है मसलन आलिमे दीन की ताज़ीम को खड़ा होना। कोई शख़्स मस्जिद में बैठा है या क़ुरआन मजीद पढ़ रहा है और ऐसा शख़्स आ गया जिसकी ताज़ीम करनी चाहिए तो इस हालत में भी ताज़ीम को खड़ा हो सकता है।

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- जो शख़्स ये पसन्द करता हो कि लोग मेरे लिए खड़े हों उसकी ये बात नापसन्द व मज़मूम है (रद्दुल मुहतार) अहादीस में इसी क़याम की मज़म्मत है या उस क़याम को बुरा बताया गया है जो अजमियों में राएज है कि सलातीन बैठे होते हैं और उसके आस पास ताज़ीम के तौर पर लोग खड़े रहते हैं। आने वाले के लिए खड़े होना उस क़ियामे ममनुआ में दाख़िल नहीं। क़ियामे मीलाद (यानी मीलाद शरीफ़ में सलाम के वक़्त खड़े होना) शरीफ़ की मुमानअत पर उन अहादीस से दलील लाना जिहालत है।

मसअला :- जहाँ ये अन्देशा हो कि ताज़ीम के लिए अगर खड़ा न हुआ तो उसके दिल में बुग़्ज़ व अदावत पैदा होगा .खुसूसन ऐसी जगह जहाँ क़ियाम का रिवाज है तो क़ियाम करना चाहिए ताकि एक मुस्लिम को बुग़्ज़ व अदावत से बचाया जाये। (रद्दुल मुहतार)

छींक और जमाही का बयान

हदीस न. 1 :- सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला को छींक पसन्द है और जमाही नापसन्द है जब कोई शख़्स छींके और 'अल्हमदुलिल्लाह' कहे तो जो मुसलमान उसको सुने, उस पर ये हक़ है कि 'यरहमुकल्लाह' कहे और जमाही शैतान की तरफ़ से है जब किसी को जमाही आये तो जहाँ तक हो सके उसे दफ़ा करे क्योंकि जब जमाही लेता है तो शैतान हंसता है यानी .ख़ुश होता है क्यूँकि ये सुस्ती और ग़फ़लत की दलील है ऐसी चीज़ को शैतान पसन्द करता है और सही मुस्लिम की रिवायत में है कि जब वह (हा हा) कहता है शैतान हंसता है।

हदीस न. 2 :- सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी को छींक आये तो 'अल्हमदुलिल्लाह' कहे और उसका भाई या साथ वाला 'यरहमुकल्लाह' कहे जब ये 'यरहमुकल्लाह' कहे तो छीकंने वाला उसके जवाब में ये कहे "यहदिकुमुल्लाहु व यसलिहु बा लकुम " तिर्मिज़ी और दारमी की रिवायत में अबू अय्यूब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि जब छींक आये तो ये कहे अल्ह़म्दुलिल्लाहि अ़ला कुल्लि ह़ाल।"

हदीस न. 3 :- तबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी को छींक आये तो "अल्ह़म्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन" कहे।

हदीस न. 4 :- तबरानी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब किसी को छींक आये और वह अल्ह़म्दु लिल्लाह कहे तो फ़रिश्ते कहते हैं कि रब्बिल आ़लामीन और अगर वह रब्बिल आलामीन कहता है तो फ़रिश्ते कहते हैं रह़मकल्लाह।

हदीस न. 5 :- तिर्मिज़ी ने नाफ़ा से रिवायत की कि एक शख़्स को इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा के पास छींक आई। उसने कहा अल्ह़म्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इब्ने उमर ने फ़रमाया ये तो मैं भी कहता हूँ कि अल्ह़म्दु लिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह मगर उसके कहने की ये जगह नहीं, रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम नहीं दी।

हमें ये तालीम दी है कि इस मौक़े पर अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल कहे।

हदीस न. 6 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने हिलाल इब्ने यसाफ़ से रिवायत की कहते हैं हम सालिम इब्ने उबैद के पास थे। एक शख़्स को छींक आई। उसने कहा अस्सलामुअलैकुम। सालिम ने कहा 'वअलैका व अला उम्मिका' (तुझ और तेरी माँ पर)। उसे इसका रंज हुआ (कि मुझे ऐसा जवाब क्यूँ दिया) अबू दाऊद की रिवायत में है कि उसने कहा मेरी माँ का आपने ज़िक्र न किया होता न अच्छा न बुरा तो अच्छा होता। सालिम ने कहा मैंने कहा जो रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था। नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख़्स को छींक आई। उसने कहा अस्सलामुअलैकुम। हुज़ूर ने फ़रमाया 'वअलैका व अला उम्मिका जब किसी को छींक आये तो कहे अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलामीन और जवाब देने वाला कहे 'यरहमुकल्लाह' और वह कहे 'यग़फ़िरुल्लाहु ली व लकुम'

हदीस न. 7 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास दो शख़्स को छींक आई। आपने एक को जवाब दिया दूसरे को नहीं दिया। उसने अर्ज की या रसूलल्लाह हुज़ूर ने उसको जवाब दिया और मुझे नहीं दिया। इरशाद फ़रमाया उसने अल्हम्दुल्लिाह कहा और तूने नहीं कहा।

हदीस न. 8 :- सही मुस्लिम में अबू मूसा रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जब कोई छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसे जवाब दो और अल्हम्दुलिल्लाह न कहे तो उसे जवाब मत दो।

हदीस न. 9 :- सही मुस्लिम में सलमा इब्ने अकवा रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख़्स को छींक आई। हुज़ूर ने उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा। फिर दोबारा छींक आई तो हुज़ूर ने फ़रमाया उसे ज़ुकाम हो गया है और तिर्मिज़ी की रिवायत में है कि तीसरी मरतबा छींक आई तब हुज़ूर ने ऐसा फ़रमाया यानी जब बार बार छींक आये तो जवाब की हाजत नहीं।

हदीस न. 10 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लभ को छींक आती तो मुँह को हाथ या कपड़े से छुपा लेते और आवाज़ को पस्त करते।

हदीस न. 11 :- सही मुस्लिम में अबू सईद ख़ुदरी **रदियल्लाहु** तआला अन्हु से मरवी कि जब किसी को जमाही आये तो मुँह पर हाथ रख ले क्योंकि शैतान मुँह में घुस जाता है।

हदीस न. 12 :- तबरानी औसत में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सच्ची बात वह है कि उस वक़्त छींक आ जाये और हाकिम की रिवायत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से ये है कि जब कोई बात की जाए और छींक आ जाए तो वह हक़ है और अबू नईम की रिवायत उन्हीं से है कि दुआ के वक़्त छींक आ जाना सच्चा गवाह है।

हदीस न. 13 :- बयहक़ी ने शोबुल ईमान में उबादह इब्ने सामित व शद्दाद इब्ने औस व असला रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी को डकार या छींक आए तो आवाज़ को बलन्द न करे कि शैतान को ये बात पसन्द है कि इनमें आवाज़ बलन्द की जाये।

मसअला :- छींक का जवाब देना वाजिब है कि छींक वाला अलहम्दुलिल्लाह कहे और उसका जवाब भी फ़ौरन देना और इस तरह जवाब देना कि वह सुन ले वाजिब है जिस तरह सलाम के जवाब में है यहाँ भी है।

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल्मुहतार)

मसअला :- छींक का जवाब एक मरतबा वाजिब है दुबारा आई और उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो दुबारा जवाब वाजिब नहीं बल्कि मुसतहब है।

(आलमगीरी)

मसअला :- जिसको छींक आए उसे अलहम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और बेहतर ये है कि अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे जब उसने अलहम्दुलिल्लाह कहा तो सुनने वाले पर उसका जवाब देना वाजिब हो गया और हम्द न करे तो जवाब नहीं। एक मजलिस में कई मरतबा किसी को छींक आई तो सिर्फ़ तीन बार तक जवाब देना है उसके बाद उसे इख़्तियार है कि जवाब दे या न दे।

(बज़्ज़ाज़िया)

मसअला :- जिसको छींक आए वह ये कहे اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن या اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال और उसके जवाब में दूसरा शख़्स यूँ कहे यरहमुकल्लाह फिर छींकने वाला यह कहे यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम

या ये कहे يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ इसके सिवा दूसरी बात न कहे। (आलमगीरी)

मसअला :- औरत को छींक आई अगर वह बूढ़ी है तो मर्द उसका जवाब दे अगर जवान है तो इस तरह जवाब दे कि वह न सुने। मर्द को छींक आई और औरत ने जवाब दिया अगर जवान है तो मर्द उसका जवाब अपने दिल में दे और बूढ़ी है तो ज़ोर से जवाब दे सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :- ख़ुतबे के वक़्त किसी को छींक आई तो सुनने वाला उसको जवाब न दे। (ख़ानिया)

मसअला :- काफ़िर को छींक आई और उसने अलहम्दुलिल्लाह कहा तो जवाब में "यहदीकल्लाह" कहा जाए। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- छींकने वाले को चाहिए कि ज़ोर से अलहम्दुलिल्लाह कहे ताकि कोई सुने और जवाब दे। छींक का जवाब बाज़ हाज़रीन ने दे दिया तो सबकी तरफ़ से हो गया और बेहतर ये है कि सब हाज़रीन जवाब दें (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- दीवार के पीछे किसी को छींक आई और उसने अलहम्दुलिल्लाह कहा तो सुनने वाला उसका जवाब दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- छींकने वाले से पहले सुनने वाले ने अलहम्दुलिल्लाह कहा तो एक हदीस में आया है कि ये शख़्स दांतों और कानों के दर्द और तुख़्मा (एक बीमारी का नाम) से महफ़ूज़ रहेगा और एक हदीस में है कि कमर के दर्द से महफ़ूज़ रहेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- छींक के वक़्त सर झुका ले और मुँह छुपा ले और आवाज़ को पस्त करे छींक की आवाज़ बलन्द करना हिमाक़त है। (रद्दुल मुहतार)

फ़ायदा :- हदीस में है कि बात के वक़्त छींक आ जाना शाहिदे अद्ल है यानी बात के सही होने की गवाही है।

मसअला :- बहुत लोग छींक को बदफ़ाली (बुरी फ़ाल) ख़्याल करते हैं मसलन किसी काम के लिए जा रहा है और किसी को छींक आई तो समझते हैं कि अब वह काम अंजाम नहीं पायेगा। ये जिहालत है कि बदफ़ाली कोई चीज़ नहीं और ऐसी चीज़ को बदफ़ाली कहना जिसको हदीस में शाहिदे अद्ल (बात के सही होने की गवाही) फ़रमाया सख़्त ग़लती है।

ख़रीद व फ़रोख़्त का बयान

मसअला : जब तक ख़रीद व फ़रोख़्त के मसाइल मालूम न हों कि कौन सी बय जाएज़ है और कौन नाजाएज़ उस वक़्त तक तिजारत न करे (आलमगीरी)

मसअला : इन्सान के पाख़ाने को बय करना ममनूअ है। गोबर का बेचना ममनूअ नहीं। इन्सान के पाख़ाने में मिट्‌टी या राख मिल कर ग़ाएब हो जाए जैसे खाद में मिट्‌टी का ग़लबा हो जाता है तो बय भी जाएज़ है और उसको काम में लाना मसलन खेत में डालना भी जाएज़ है। (हिदाया)

मसअला :- ये मालूम है कि ये फ़लाँ शख़्स की कनीज़ है और दूसरा शख़्स उसे बय कर रहा है। ये बाय कहता है कि उसने मुझे बय का वकील किया है या उससे मैंने ख़रीद ली है या उसने मुझे हिबा कर दी है तो उसको ख़रीदना और उससे वती करना जाएज़ है जबकि वह शख़्स सिक़ा (सच्चा) हो या ग़ालिब गुमान ये हो कि सच कहता है और अगर ग़ालिब गुमान ये है कि वह इस ख़बर में झूटा है तो उसके लिए ऐसा करना जाएज़ नहीं और अगर उसको ख़ुद इसका इल्म नहीं कि ये फ़लाँ की है मगर उस बाए ही ने बताया कि ये फ़लाँ की है और मुझे उसने बाए का वकील किया है और वह बाए सिक़ा है या ग़ालिब गुमान ये है कि सच कहता है तो उसको ख़रीदना वग़ैरा जाएज़ है (हिदाया) इसी तरह दूसरी चीज़ों के मुताल्लिक़ ये इल्म है कि फ़लाँ की है और बेचने वाला कहता है कि उसने बाए का वकील किया है या मैंने ख़रीद ली है या उसने हिबा कर दी है तो उसको ख़रीदना और उस चीज़ से नफ़ा उठाना इन्हीं शराएत के साथ जाएज़ है।

मसअला :- जो शख़्स चीज़ को बय कर रहा है उसने ये नहीं बताया कि ये चीज़ मेरे पास इस तरह आई और मुश्तरी (बेचने वाला) को मालूम है कि ये चीज़ फ़लाँ की है तो जब तक मालूम न हो जाए कि यह चीज़ उसको यूँ मिली है उसे न ख़रीदे ——— मुश्तरी को यह नहीं मालूम है कि चीज़ किसी दूसरे शख़्स की है तो बेचने वाले से ख़रीदना जाएज़ है कि उसके क़ब्ज़े में होना उसकी मिल्क की दलील है और उसका मुआरिज़ (विपक्षी) पाया नहीं गया फिर उसकी कोई वजह नहीं कि ख़्वामख़्वाह दूसरे की मिल्क का शुबा किया जाए। हाँ अगर वह चीज़ ऐसी है कि ऐसे शख़्स की नहीं हो सकती मसलन वह चीज़ बेशक़ीमत है और ये शख़्स ऐसा नहीं मालूम होता कि वह उसकी होगी

जाहिल के पास किताब है और उसके बाप दादा भी आलिम न थे कि उसे रासत में मिली हो। इस सूरत में उसकी ख़रीदारी से बचना चाहिए और इसके वुजूद उसने ख़रीद ही ली तो ख़रीदना जाएज़ है क्यूँकि ख़रीदार ने दलील रुई पर ऐतेमाद करके ख़रीदा है यानी क़ब्ज़े को मिल्क की दलील क़रार दिया है। (हिदाया)

मसअला :- मुश्तरक (साझे की) चीज़ में जो उसका हिस्सा है उसे न बेचे जब तक शरीक को मुत्तेला न कर दे अगर वह शरीक ख़रीद ले तो ठीक वर्ना जिसके हाथ चाहे बेच डाले। इस का मतलब ये है कि शरीक को मुत्तेला करना मुस्तहब है और बग़ैर मुत्तेला के बेचना मकरूह है। ये मतलब नहीं कि बग़ैर इत्तेला बय नाजाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :- अगर बाज़ार वाले ऐसे लोगों से माल ख़रीदते हैं जिनका ग़ालिब माल हराम है और उनमें सूद और उक़ूदे फ़ासिद (यानी जिस चीज़ का बेचना ही ग़लत है) जारी हैं। उनसे ख़रीदने में तीन सूरतें है 1. जिस चीज़ के मुताल्लिक़ गुमान ग़ालिब ये है कि ज़ुल्म के तौर पर किसी की चीज़ बाज़ार में लाकर बेच दिया ऐसी चीज़ ख़रीदी न जाये। 2. दूसरी सूरत ये है कि माले हराम बिऐनिही (बिल्कुल वैसा ही) मौजूद है मगर माले हलाल में इस तरह मिल गया कि जुदा करना नामुमकिन है इस तरह मिल जाने से उसकी मिल्क हो गई मगर उसको भी ख़रीदना न चाहिए जब तक बाए उस मालिक को एवज़ दे कर राज़ी न करे और अगर ख़रीद ही ली तो मुश्तरी की मिल्क हो जाऐगी-और कराहत रहेगी। 3. तीसरी सूरत ये है कि मालूम है कि जिसको ग़सब किया था या चोरी वग़ैरा का माल था वह बिऐनिही बाक़ी न रहा तो दुकानदार से चीज़ ख़रीदनी जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :- ताजिर अपनी तिजारत में इस तरह मशग़ूल न हो कि फ़राइज़ फ़ौत हो जाएं बल्कि जब नमाज़ का वक़्त आ जाए तो तिजारत छोड़ कर नमाज़ को चला जाए। (आलमगीरी)

मसअला :- नजिस कपड़े को बेच सकता है मगर जब ये गुमान हो कि ख़रीदार इस में नमाज़ पढ़ेगा तो उसको ज़ाहिर कर दे कि ये कपड़ा नापाक है। (आलमगीरी)

मसअला :- जितने में चीज़ ख़रीदी ख़रीदार को उससे कुछ ज़्यादा दिया तो जब तक ये न कह दे कि ये ज़्यादती तुम्हारे लिए हलाल है या ये कि मैंने मालिक कर

दिया इस ज़्यादती को लेना जाएज़ नहीं (आलमगीरी) ख़रीद के बाद बहुत से लोग रूख लेते हैं कि **मबीअ**(बिकने वाली चीज़) जितनी तय हुई है उससे कुछ ज़्यादा लेते है बग़ैर बाए की रज़ामन्दी के ये नाजाएज़ है —— और रूख (चीज़ ख़रीदने के बाद कुछ फ़ाज़िल चीज़ मांगते हैं जैसे कुछ समान लेने के बाद दुकानदार से कहते हैं कुछ चीज़ दो) मागंना भी न चाहिए कि ये एक क़िस्म का सवाल है और बग़ैर **हाजत** सवाल की इजाज़त नहीं।

मसअला :- गोश्त या मछली वग़ैरा ऐसी चीज़ जो जल्द ख़राब हो जाने वाली है किसी के हाथ बेची और मुश्तरी ग़ाएब हो गया और बाए को अन्देशा है कि उसके इन्तेज़ार में चीज़ ख़राब हो जायेगी ऐसी सूरत में उसको दूसरे के हाथ बेच सकता है और जिसको ऐसा मालूम है वह ख़रीद सकता है।

(आलमगीरी)

मसअला :- जो शख़्स बीमार है उसका बाप या बेटा वग़ैरा उसकी इजाज़त से ऐसी चीज़ें ख़रीद सकता है जिसकी मरीज़ को हाजत है मसलन दवा वग़ैरा। (आलमगीरी)

मसअला :- अच्छे साफ़ गेहूँ में ख़ाक धूल मिलाकर बेचना नाजाएज़ है अगरचे वहाँ मिलाने की आदत हो। (आलमगीरी) इसी तरह दूध में पानी मिला कर बेचना नाजाएज़ है।

मसअला :- जिस जगह बाज़ार में रोटी गोश्त का नर्ख़ (भाव) मुक़र्रर है कि इस हिसाब से फ़रोख़्त होती है, किसी ने ख़रीदी बाए ने कम दी मगर ख़रीदार को उस वक़्त यह नहीं मालूम हुआ कि कम है बाद को मालूम हुआ तो जो कुछ कमी है वसूल कर सकता है जब कि मुश्तरी को भी नर्ख़ मालूम है ——— और अगर ख़रीदार परदेसी है वहाँ का नहीं है तो रोटी में जो कमी है वसूल कर सकता है, गोश्त में जो कमी है वसूल नहीं कर सकता क्यूँकि रोटी का नर्ख़ क़रीब क़रीब सब शहरों में एक सा ही होता है और गोश्त में यह बात नहीं। (ज़ैलई)

मसअला :- लोहे पीतल वग़ैरा की अँगूठी जिसका पहनना मर्द व औरत दोनों के लिए नाजाएज़ है उसका बेचना मकरूह है (आलमगीरी) इसी तरह अफ़ीम वग़ैरा जिसका खाना नाजाएज़ है ऐसों के हाथ फ़रोख़्त करना जो खाते हों नाजाएज़ है कि इसमें गुनाह पर इआनत (मदद) है।

मसअला :- मुसलमानों का काफ़िर पर दैन है उसने शराब बेचकर उसकी क़ीमत से दैन अदा किया मुस्लिम के इल्म में है कि ये रूपये शराब की क़ीमत के हैं इसका लेना जाएज़ है क्यूँकि काफ़िर का काफ़िर के हाथ शराब बेचना जाएज़ है और क़ीमत में जो रूपये उसे मिले वह जाएज़ है लिहाज़ा मुस्लिम अपने दैन में ले सकता है और मुस्लिम ने शराब बेची तो चूँकि ये बय नाजाएज़ है इसकी क़ीमत भी नाजाएज़ है इस रूपये को दैन में लेना नाजाएज़ है (दुर्रे मुख़्तार) यही हुक्म ऐसी सूरत में है जहाँ ये मालूम है कि ये माल बिऐनिही ख़बीस व हराम है तो उसको लेना नाजाएज़ है मसलन मालूम है कि चोरी या ग़सब का है

मसअला :- रंडियों को नाच गाने की जो उजरत मिली है यह भी खबीस है. जिस किसी को दैन या किसी मुतालबे में दे उसका लेना नाजाएज़ है —— जिस शख़्स ने .ज़ुल्म या रिशवत के तौर पर माल हासिल किया हो मरने के बाद उसका माल वुरसा को न लेना चाहिए कि ये माल हराम है बल्कि वुरसा ये करें कि अगर मालूम है कि ये माल फ़लाँ का है तो जिससे मोरिस (यानी जिसका माल विरासत में पाया) ने हासिल किया है उसे वापस दे दें और मालूम न हो कि किससे लिया है तो .फ़ुक़रा पर सदक़ा कर दें कि ऐसे माल का यही हुक्म है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- पन्सारी को रूपये देते हैं और ये कहते हैं कि ये रूपया सौदे में काटता रहेगा या देते वक़्त ये शर्त न हो कि सौदे में कट जायेंगा मगर मालूम है कि यूँ ही किया जाऐगा तो इस तरह रूपये देना ममनूअ है कि इस क़र्ज से ये नफ़ा हुआ कि उसके पास रहने,उसके ज़ाए होने का एहतेमाल (शक) था। अब ये एहतेमाल जाता रहा और क़र्ज़ से नफ़ा उठाना नाजाएज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- एहतेकार ममनूअ है,एहतेकार के मायने हैं कि खाने की चीज़ को इस लिए रोकना कि गिराँ होने पर फ़रोख़्त करेगा यानी जब उस माल की दिक़्क़त होगी तब बेचेगा ऐसा करना मना है। अहादीस में इस बारे में सख़्त वईद आईं हैं। एक हदीस में ये है कि जो चालीस रोज़ तक एहतेकार करेगा अल्लाह तआला उसको जुज़ाम (कोढ़) व इफ़लास (ग़रीबी) में मुबतिला करेगा। दूसरी हदीस में है कि वह अल्लाह से बरी और अल्लाह उससे बरी। तीसरी हदीस ये है कि उस पर अल्लाह और फ़रिश्तों और तमाम आदमियों की लानत अल्लाह तआला न उसके नफ़्ल क़बूल करेगा न फ़र्ज़। एहतेकार इन्सान

के खाने की चीज़ों में भी होती है मसलन अनाज और अंगूर बादाम वग़ैरा और जानवरों के चारे में भी होता है जैसे घास भूसा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- एहतेकार वही कहलाएगा जबकि उसका ग़ल्ला रोकना वहाँ वालों के लिए मुज़िर हो यानी उसकी वजह से गिरानी हो जाए या ये सूरत हो कि सारा ग़ल्ला इसी के क़ब्ज़े में है इसके रोकने से क़हत पड़ने का अन्देशा है दूसरी जगह ग़ल्ला दस्तयाब न होगा। (हिदाया)

मसअला :- एहतेकार करने वाले को क़ाज़ी ये हुक्म देगा कि अपने घर वालों के ख़र्च के लाएक़ ग़ल्ला रख ले और बाक़ी फ़रोख़्त कर डाले अगर वह शख़्स क़ाज़ी के इस हुक्म के ख़िलाफ़ करे यानी ज़्यादा ग़ल्ला न बेचे तो क़ाज़ी उसको मुनासिब सज़ा देगा और उसकी हाजत से ज़्यादा जितना ग़ल्ला है क़ाज़ी ख़ुद बय कर देगा क्यूँकि आम लोगों को नुक़सान से बचाने की यही सूरत है। (हिदाया)

मसअला :- बादशाह को रिआया की हलाकत का अन्देशा हो तो एहतेकार करने वालों से ग़ल्ला ले कर रिआया पर तक़सीम कर दे फिर जब उन के पास ग़ल्ला हो जाये तो जितना जितना लिया है वापस दे दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- अपनी ज़मीन का ग़ल्ला रोक लेना एहतेकार नहीं हाँ अगर ये शख़्स गिरानी या क़हत का मुन्तज़िर (इन्तेज़ार में) है तो उस बुरी नियत की वजह से गुनाहगार होगा और इस सूरत में भी अगर आम लोगों को ग़ल्ले की हाजत हो और ग़ल्ला दस्तयाब न होता हो तो क़ाज़ी उसे बय करने पर मजबूर करेगा (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- दूसरी जगह से ग़ल्ला ख़रीद लाया अगर वहाँ से उमूमन यहाँ ग़ल्ला आता है तो इसका रोकना भी एहतेकार है और अगर वहाँ से यहाँ ग़ल्ला लाने की आदत जारी न हो तो रोकना एहतेकार नहीं मगर इस सूरत में भी बेच डालना मुस्तहब है कि रोकने में यहाँ भी एक क़िस्म की कराहत हैं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- हाकिम को ये न चाहिए कि अशिया का नर्ख़ मुक़र्रर कर दे। हदीस में है कि लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह नर्ख़ गिराँ हो गया, हुज़ूर नर्ख़ मुक़र्रर फ़रमा दें। इरशाद फ़रमाया नर्ख़ मुक़र्रर करने वाला, तंगी कुशादगी करने वाला, रोज़ी देने वाला अल्लाह है और मैं उम्मीद करता हूँ ख़ुदा से इस हालत में मिलूँ कि कोई शख़्स ख़ून या माल के मामले में मुझसे किसी हक़ का

मुतालबा न करे।

मसअला :- ताजिरों ने अगर चीज़ों का नर्ख़ बहुत ज़्यादा कर दिया है और बगैर नर्ख़ मुक़र्रर के काम चलता नज़र न आता हो तो अहलुल राय (सूझ बूझ वाले लोगों) से मशवरा ले कर क़ाज़ी नर्ख़ मुक़र्रर कर सकता है और मुक़र्ररशुदा नर्ख़ के मुवाफ़िक़ जो बय हुई ये बय जाएज़ है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये ज़बरदस्ती का बेचना है क्यूँकि यहाँ बय पर इकराह नहीं। क़ाजी ने उसे बेचने पर मजबूर नहीं किया उसे इख़्तेयार है कि अपनी चीज़ बेचे या न बेचे सिर्फ़ ये कहा कि अगर बेचे तो जो नर्ख़ मुक़र्रर है उससे गिराँ न बेचे।

(हिदाया)

मसअला :- इन्सान के खाने और जानवरों के चारे में नर्ख़ मुक़र्रर करना ऊपर ज़िक्र की गई सूरत में जाएज़ है और दूसरी चीज़ों में भी हुक्म ये है कि अगर ताजिरों ने बहुत ज़्यादा गिराँ कर दी हो तो उनमें भी नर्ख़ मुक़र्रर किया जा सकता है।

(दुर्रे मुख़्तार)

नोट : ख़रीद व फ़रोख़्त का तफ़सीली बयान बहारे शरीअत के ग्यारहवें हिस्से में देखें।

मस्जिद में दाख़िल होने और निकलने की दुआ

जब मस्जिद में जाए तो यह दुआ पढ़े :-

الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك

और जब निकले तो यह दुआ पढ़े।

اللهم اني اسئلك من فضلك

एक रिवायत में है कि निकलते वक़्त दुरूद व सलाम पढ़ ले फिर दुआ करे।

.कुरआन मजीद पढ़ने के फ़ज़ाइल

.कुरआन मजीद पढ़ने और पढ़ाने के बहुत फ़ज़ाइल हैं। इजमाली तौर पर इतना समझ लेना काफ़ी है कि ये अल्लाह तआ़ला का कलाम है इस पर इस्लाम और अहकाम का मदार है। इस की तिलावत करना इसमें तदब्बुर आदमी को .खुदा तक पहुँचाता है। इस मौके पर इस के मुताल्लिक़ चन्द हदीसें ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस न. 1 :- सही बुख़ारी में हज़रते उसमान ग़नी रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में बेहतर वह शख़्स है जो .कुरआन सीखे और सिखाए।

हदीस न. 2 :- सही मुस्लिम में हज़रते उक़बा रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या तुम में कोई शख़्स इस को पसन्द करता है कि बुतहान या अक़ीक़ (जगहों के नाम हैं) में सुबह को जाए और वहाँ से दो ऊँटनियाँ कोहान वाली लाए इस तरह कि गुनाह और क़तऐ रहम (रिश्ते का काटना) न हो यानी जाएज़ तौर पर और सदक़ा कर दे। हम ने अर्ज़ की कि यह बात हम सबको पसन्द है। फ़रमाया क्यूँ नहीं सुबह को मस्जिद में जाकर किताबुल्लाह की दो आयतों को सीखना कि यह दो ऊँटनियों से बेहतर है और तीन तीन से बेहतर और चार चार से बेहतर। व अला हाज़ल क़यास।

हदीस न. 3 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मूसा अशअरी रदि़यल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मोमिन .कुरआन पढ़ता है उसकी मिसाल तुरंज की सी है कि .खशबू भी अच्छी है और मज़ा भी अच्छा है और जो मोमिन .कुरआन नहीं पढ़ता वह खजूर की मिस्ल है कि उसमें .खुशबू नहीं मगर मज़ा शीर है और जो मुनाफ़िक़ .कुरआन नहीं पढ़ता वह इन्देराएन (एक फल जो कड़वा होता है) की मिस्ल है कि उसमें .खुश्बू भी नहीं और मज़ा कड़वा है और जो मुनाफ़िक़ .कुरआन पढ़ता है वह फूल की मिस्ल है कि उसमें .खुश्बू है मगर मज़ा कड़वा।

हदीस न. 4 :- सही मुस्लिम में हज़रते उमर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला इस किताब से बहुत लोगों को बलन्द करता है और बहुतों को पस्त

करता है यानी जो इस पर ईमान लाते और अमल करते हैं उनके लिए बलन्दी है और दूसरों के लिए पस्ती है।

हदीस न. 5 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रते आइशा रदियल्लाहु अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो .कुरआन पढ़ने में माहिर है वह किरामन कातेबीन के साथ है और जो शख़्स रुक रुक कर .कुर्आन पढ़ता है और वह उस पर शाक़ है यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती तकलीफ़ के साथ अदा करता है उसके लिए दो अज्र हैं।

हदीस न. 6 :- शरहे सुन्नह में अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन चीज़ें क़ियामत के दिन अर्श के नीचे होंगी। 1. .कुरआन कि यह बन्दों के लिए झगड़ा करेगा इसके लिए ज़ाहिर व बातिन है। 2. अमानत 3. रिशता पुकारेगा कि जिसने मुझे मिलाया उसे अल्लाह मिलायेगा और जिसने मुझे काटा अल्लाह उसे काटेगा।

हदीस न. 7 :- इमाम अहमद तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व निसाई ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया साहिबे .कुरआन से कहा जायेगा कि पढ़ और चढ़ और तरतील के साथ पढ़ जिस तरह दुनिया में तरतील के साथ पढ़ता था तेरी मंज़िल आख़िर आयत जो तू पढ़ेगा वहाँ है।

हदीस न. 8 :- तिर्मिज़ी व दारमी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके जौफ़ में कुछ .कुरआन नहीं है वह वीरानें मकान की मिस्ल है।

हदीस न. 9 :- तिर्मिज़ी व दारमी ने अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रमाता है जिसको .कुरआन ने मेरे ज़िक्र और मुझसे सवाल करने से मशग़ूल रखा मैं उससे बेहतर दूंगा जो मांगने वाले को देता हूँ और कलामुल्लाह की फ़ज़ीलत दूसरे कामों पर वैसी ही है जैसी अल्लाह की उसकी मख़लूक़ पर है।

हदीस न. 10 :- तिर्मिज़ी व दारमी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स किताबुल्लाह का एक हर्फ़ पढ़ेगा उसको एक

नेकी मिलेगी जो दस के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता अल्फ़ि लाम मीम एक हर्फ़ है बल्कि अलिफ़ एक हर्फ़ है, लाम दूसरा हर्फ़ है, मीम तीसरा हर्फ़।

हदीस न. 11 :- अबू दाऊद ने मुआज़ जोहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने .कुरआन पढ़ा और जो कुछ उसमें है उस पर अमल किया उसके वालिदैन को क़ियामत के दिन ताज पहनाया जायेगा जिसकी रौशनी सूरज से अच्छी है अगर वह तुम्हारे घरों में होता ------ तो अब .ख़ुद उस अमल करने वाले के मुताल्लिक़ तुम्हारा क्या गुमान है।

हदीस न. 12 :- इमाम अहमद तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने .कुरआन पढ़ा और उसको याद कर लिया और उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना उसके घरवालों में से दस शख़्सों के बारे में अल्लाह तआला उसकी शफ़ाअत क़बूल फ़रमायेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था।

हदीस न. 13 :- तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि .कुरआन सीखो और पढ़ो कि जिसने .कुरआन सीखा और उसके साथ क़ियाम किया उसकी मिसाल ये है जैसे मुश्क से थैली भरी हुई है जिसकी ख़ुशबू हर जगह फैली हुई है और जिसने सीखा और सो गया यानी क़यामुल्लैल नहीं किया उसकी मिसाल वह थैली है जिसमें मुश्क भरी हुई है और उसका मुँह बांध दिया गया है।

हदीस न. 14 :- बयहक़ी ने शोबुल ईमान में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इन दिलों में भी ज़ंग लग जाती है जिस तरह लोहे में पानी लगने से ज़ंग लगती है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसकी जिला किस चीज़ से होगी यानी दिलों का ज़ंग कैसे दूर होता है। फ़रमाया कसरत से मौत को याद करने और तिलावते .कुरआन से।

हदीस न. 15 :- सही बुखारी व मुस्लिम में जुनदुब इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया .कुरआन को उस वक़्त तक पढ़ो जब तक तुम्हारे दिल को उलफ़त

और लगाव हो और जब दिल उचाट हो जाये खड़े हो जाओ यानी तिलावत बन्द कर दो।

हदीस न. 16 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह को जितनी तवज्जो उस नबी की तरफ़ है जो .खुश आवाज़ी से .कुरआन पढ़ता है किसी की तरफ़ उतनी तवज्जो नहीं।

हदीस न. 17 :- सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स .कुरआन को तग़न्नी यानी .खुश आवाज़ से न पढ़े वह हममें से नहीं। इस हदीस के मुताल्लिक़ ये भी कहा जाता है कि तग़नी से मुराद इस्तिग़ना है यानी .कुरआन पढ़ने के एवज़ में किसी से कुछ लेना न चाहिए।

हदीस न. 18 :- इमाम अह़मद व अबू दाऊद व इब्ने माजा दारमी ने बरा इब्ने आज़िब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया .कुरआन को अपनी आवाज़ों से मुज़इयन करो और दारमी की रिवायत में है कि अपनी आवाज़ों से .कुरआन को ख़ूबसूरत करो क्यूँकि अच्छी आवाज़ .कुरआन का हुस्न बढ़ाती है।

हदीस न. 19 :- बयहक़ी ने उबैदा मलैकी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ .कुरआन वालों .कुरआन को तकिया न बनाओ यानी सुस्ती और तग़ाफ़ुल न बरतो और रात और दिन में इसकी तिलावत करो व जैसा तिलावत का हक़ है और उसको फैलाओ और तग़न्नी करो यानी अच्छी आवाज़ से पढ़ो या उसका मुआवज़ा न लो और जो कुछ उसमें है उसे ग़ौर करो ताकि तुमको फ़लाह मिले उसके सवाब में जल्दी न करो क्योंकि उसका सवाब बहुत बड़ा है (जो आख़रत में मिलने वाला है)

हदीस न. 20 :- अबू दाऊद व बयहक़ी ने जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हम .कुरआन पढ़ रहे थे और हमारे साथ अरबी और अ़जमी भी थे, इतने में रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और फ़रमाया कि .कुरआन पढ़ो तुम सब अच्छे हो। बाद में क़ौमें आयेगीं जो .कुरआन को इस तरह सीधा करेंगी जैसा तीर सीधा होता है उसका बदला जल्दी लेना चाहेंगे देर में लेना नहीं चाहेंगे यानी दुनिया में बदला लेना चाहेंगे।

हदीस न. 21 :- बयहक़ी ने हुज़ैफ़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि .क़ुरआन को अरब के लहन और आवाज़ से पढ़ो। अहले इश्क़ और यहूदी व नसारा के लहन से बचो यानी क़वाइदे मौसिक़ी के मुताबिक़ गाने से बचो और मेरे बाद एक क़ौम आयेगी जो .क़ुरआन को तरजीअ़ के साथ पढ़ेगी जैसे गाने और नोहा में तरजीअ़ होती है। .क़ुरआन उनके गलों से तजावुज़ नहीं करेगा उनके दिल फ़ितना में मुबतला हैं और उनके भी जिनको उनकी ये बात पसन्द है।

हदीस न. 22 ;- अबू सईद इब्ने मुअल्ला रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से सही बुख़ारी में रिवायत है कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया मैंने जवाब नहीं दिया (जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ) हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था इरशाद फ़रमाया क्या अल्लाह तआ़ला ने नहीं फ़रमाया है :–

اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ (अल्लाह व रसूल के पास हाज़िर हो जाओ जब वह तुम्हें बुलाये) फिर फ़रमाया मस्जिद से बाहर जाने से पहले .क़ुरआन में जो सब से बड़ी सूरत है वह बता दूंगा और हुज़ूर ने मेरा हाथ पकड़ लिया जब निकलने का इरादा हुआ। मैंनें अर्ज़ की हुज़ूर ने ये फ़रमाया था कि मस्जिद से बाहर जाने के पहले .क़ुरआन की सब से बड़ी सूरत की तालीम करूँगा। फ़रमाया कि " अल ह़म्दुलिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन " वही सबऐ मसानी और .क़ुरआने अज़ीम है जो मुझे मिला है।

हदीस न. 23 :- तिर्मिज़ी ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उबई इब्ने कअब से फ़रमाया कि नमाज में तुम किस तरह पढ़ते हो। उन्होंने उम्मुल .क़ुरआन यानी सूरे फ़ातिहा को पढ़ा। हुज़ूर ने फ़रमाया क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है न इसके मिस्ल तौरैत में कोई सूरत उतरी गई न इंजील में, न ज़बूर में, न क़ुरआन में वह सबऐ मसानी है और .क़ुरआने अज़ीम है जो मुझे मिला।

हदीस न. 24 :- सूरे फ़ातिहा हर बीमारी से शिफ़ा है। (दारमी बयहक़ी)

हदीस न. 25 :- सही मुस्लिम में इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहते हैं जिब्रील अ़लैहिस्सलाम हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर थे ऊपर से एक आवाज़ आई। उन्होंने सर उठाया और ये कहा कि आसमान का ये दरवाज़ा आज ही खोला गया है। आज से पहले कभी नहीं खुला। एक फ़रिश्ता

उतरा, जिबराईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये फ़रिश्ता आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा था। उसने सलाम किया और ये कहा कि हुज़ूर को बशारत हो कि दो नूर हुज़ूर को दिए गये और हुज़ूर से पहले किसी नबी को नहीं मिले। वह दोनों नूर ये हैं सूरए फ़ातिहा और सूरए बक़्र का ख़ातमा जो हर्फ़ आप पढ़ेंगे वह दिया जायेगा।

हदीस न. 26 :- सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपने घरों को मक़ाबिर न बनाओ शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरए बक़र पढ़ी जाती है

हदीस न. 27 :- सही मुस्लिम में अबू उमामा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मैंने ये फ़रमाते सुना कि .क़ुरआन पढ़ो क्यूँकि वह क़ियामत के दिन अपने असहाब के लिए शफ़ीअ़ हो कर आयेगा। दो चमकदार सूरतें 'बक़्र' व 'आले इमरान' को पढ़ो कि ये दोनों क़ियामत के दिन इस तरह आयेंगी गोया दो अबर हैं या दो साएबान हैं या सफ़बस्ता परिन्दों की दो जमाअतें। वह दोनों अपने असहाब की तरफ़ से झगड़ा करेंगी यानी उनकी शफ़ाअत करेंगी सूरए बक़्र को पढ़ो कि इसका लेना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है और अहले बातिल उसकी इस्तेताअत नहीं रख़ते।

हदीस न. 28 :- सही मुस्लिम में उबई इब्ने कअब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अबुल मुन्ज़िर (ये उबई इब्ने कअब की कुन्नियत है) तुम्हारे पास .क़ुरआन की सब से बड़ी आयत कौन सी है। मैंने कहा अल्लाह व रसूल आलिम हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया ऐ अबुल मुन्ज़िर तुम्हें मालूम है कि .क़ुरआन की कौन सी आयत तुम्हारे पास सबसे बड़ी है। मैंने अर्ज़ की अल्लाहु लाइलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम (यानी आयतुल कुर्सी) हुज़ूर ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फ़रमाया अबुल मुन्ज़िर तुमको इल्म मुबारक हो।

हदीस न. 29 :- सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ज़काते रमज़ान (रोज़ो की ज़कात मुराद है) यानी सदक़ा फ़ितर की हिफ़ाज़त मुझे सुपुर्द फ़रमाई थी। एक आने वाला आया और ग़ल्ला भरने लगा मैंने उसे पकड़ लिया और ये कहा कि तुझे हुज़ूर की ख़िदमत में पेश करूँगा। कहने लगा मैं मौहताज, औलाद वाला हूँ, सख़्त हाजत मन्द हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई

हुज़ूर ने फ़रमाया अबू हुरैरा तुम्हारा रात का क़ैदी क्या हुआ ? मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसने शदीद हाजत और इयाल की शिकायत की मुझे रहम आ गया छोड़ दिया। इरशाद फ़रमाया वह तुमसे झूट बोला और फिर आयेगा। मैंने समझ लिया वह फिर आयेगा क्यूँकि हुज़ूर ने फ़रमा दिया है। मैं उसके इन्तेज़ार में था। वह आया और ग़ल्ला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और ये कहा तुझे रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास पेश करूँगा। उसने कहा मुझे छोड़ दो मैं मौहताज हूँ, अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। मुझे रहम आ गया उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हुज़ूर ने फ़रमाया अबू हुरैरा तुम्हारे क़ैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ की उसने हाजते शदीद और अयालदारी की शिकायत की मुझे रहम आया, उसे छोड़ दिया। हुज़ूर ने फ़रमाया वह तुमसे झूट बोला और फिर आयेगा। मैं उसके इन्तेज़ार में था। वह आया और ग़ल्ला भरने लगा। मैंने पकड़ा और कहा तुझे हुज़ूर के पास पेश करूँगा, तीन मरतबा हो चुका तू कहता है नहीं आयेगा, फिर आता है। उसने कहा मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिन से तुमको अ़ल्लाह नफ़ा देगा। जब तुम बिछौने पर जाओ आयतुल कुर्सी 'अल्लाहु लाइलाहा इल्ला हुवल ह़य्युल क़य्यूम' आख़िर तक पढ़ लो सुबह तक अल्लाह की तरफ़ से तुम पर निगेहबान होगा और शैतान तुम्हारे क़रीब नहीं आएगा। मैंने उसे छोड़ दिया जब सुबह हुई तो हुज़ूर ने फ़रमाया तुम्हारा क़ैदी क्या हुआ। मैंने अर्ज़ की उसने कहा चन्द कलिमात तुम को सिखाता हूँ अल्लाह तआ़ला तुम्हें उनसे नफ़ा देगा। हुज़ूर ने फ़रमाया ये बात उसने सच कही और वह बड़ा झूटा है और तुम्हें मालूम है कि तीन रातों से तुम्हारा मुख़ातिब कौन है। मैंने अर्ज़ की नहीं। हुज़ूर ने फ़रमाया कि वह शैतान है।

हदीस न. 30 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मसऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सूरए बक़्र की आख़िरी दो आयतें जो शख़्स रात में पढ़ ले वह उसके लिए काफ़ी हैं।

हदीस न. 31 :- अल्लाह तआ़ला ने आसमान व ज़मीन के पैदा करने से दो हजार बरस पहले एक किताब लिखी उसमें से दो आयतें जो सूरए बक़्र के ख़त्म पर हैं नाज़िल फ़रमाईं जिस घर में तीन रातों तक पढ़ी जायें शैतान उसके क़रीब नहीं जाएगा। (तिर्मिजी व दारमी)

हदीस न. 32 :- सूरए बक़्र के ख़ातमें की दो आयतें अल्लाह तआ़ला के उस

ख़ज़ाने में से हैं जो अर्श के नीचे है। अल्लाह ने मुझे ये दोनों आयतें दीं उन्हें सीखो और अपनी औरतों को सिखाओ कि वह रहमत है और अल्लाह से नज़दीकी और दुआ है।

(दारमी)

हदीस न. 33 :- सही मुस्लिम में अबू दरदा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सूरए कहफ़ की पहली दस आयतें जो शख़्स याद करे वह दज्जाल से महफ़ूज़ रहेगा।

हदीस न. 34 :- जो शख़्स सूरए कहफ़ जुमे के दिन पढ़ेगा उसके लिए दो जुमे के माबैन (बीच) नूर रौशन होगा।

(बयहक़ी)

हदीस न. 35 :- हर चीज़ के लिए दिल है और .कुरआन का दिल यासीन है जिसने यासीन पढ़ी दस मरतबा .कुरआन पढ़ना अल्लाह उसके लिए लिखेगा

(तिर्मिज़ी व दारमी)

हदीस न. 36 :- अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन व आसमान के पैदा करने से हज़ार बरस पहले 'तॉ हा' व 'यासीन' पढ़ा। जब फ़रिश्तों ने सुना तो ये कहा मुबारक हो उस उम्मत के लिए जिस पर ये उतारा जाये और मुबारक हो उन जोफ़ों के लिए जो इसके हामिल हों और मुबारक हो उन ज़बानों के लिए जो उसको पढ़ें।

(दारमी)

हदीस न. 37 :- जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के लिए 'यासीन' पढ़ेगा उसके अगले गुनाहों की मग़फ़िरत हो जायेगी लिहाज़ा उसको अपने मुर्दों के पास पढ़ो।

(बयहक़ी)

हदीस न. 38 :- जो शख़्स सूरए 'हा मीम मोमिन' को इलैहिल मसीर तक और आयतुल कुर्सी सुबह को पढ़ेगा शाम तक महफ़ूज़ रहेगा और जो शाम को पढ़ेगा सुबह तक महफ़ूज़ रहेगा।

(तिर्मिज़ी दारमी)

हदीस न. 39 :- जो शख़्स सूरए 'हा मीम दुख़ान' शबे जुमे में पढ़े उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी।

(तिर्मिज़ी)

हदीस न. 40 :- नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम जब तक 'अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील' और 'तबारकल्लज़ी बेयदिहिल मुल्क' न पढ़ लेते सोते न थे।

(अहमद तिर्मिज़ी दारमी)

हदीस न. 41 :- ख़ालिद इब्ने मादान ने कहा नेजात देने वाली सूरत को पढ़ो। वह 'अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील' है मुझे ख़बर पहुँची है कि एक शख़्स इसको पढ़ता था उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ता था और वह बहुत गुनाहगार था इस

सूरत ने अपना बाज़ू उस पर बिछा दिया और कहा ऐ रब इसकी मग़फ़िरत फ़रमा दे कि ये मुझको कसरत से पढ़ता था। रब तआला ने उसकी शफ़ाअत .कबूल फ़रमाई और फ़रिश्तों से फ़रमाया कि इसकी हर ख़ता के बदले में एक नेकी लिखो और एक दर्जा बलन्द करो और ख़ालिद ने ये भी कहा कि ये अपने पढ़ने वाले की तरफ़ से क़ब्र में झगड़ा करेगी, इलाही अगर मैं तेरी किताब से हूँ तो मेरी शफ़ाअत क़बूल फ़रमा और तेरी किताब में से नहीं हूँ तो उसमें से मुझे मिटा दे और वह परिन्दे की तरह अपने बाज़ू उस पर बिछा देगी और शफ़ाअत करेगी और अज़ाबे क़ब्र से बचाएगी और ख़ालिद ने 'तबारकल्लज़ी' के मुताल्लिक़ भी ऐसा ही कहा और जब तक इन दोनों को पढ़ न लेते ख़ालिद सोते न थे और ताऊस ने कहा कि ये दोनों सूरतें .कुरआन की हर एक सूरत पर साठ हसना के साथ फ़ज़ीलत रखती हैं। (दारमी)

हदीस न. 42 :- .कुरआन में तीस आयत की एक सूरत है आदमी के लिए शफ़ाअत करेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी वह 'तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क " है।

(अहमद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व निसाई व इब्ने माजा)

हदीस न. 43 :- बाज़ सहाबा ने क़ब्र पर ख़ेमा गाड़ दिया उन्हें ये मालूम न था कि यहाँ कब्र है इसमें किसी शख़्स ने "तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क " ख़त्म सूरत तक पढ़ा। उन्होंने नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर ये वाक़िया सुनाया तो हुज़ूर ने फ़रमाया वह मानेआ (रोकने वाली) है और मुन्जिया (निजात देने वाली) है। (तिर्मिज़ी)

हदीस न. 44 :- जो शख़्स सूरए वाक़िया हर रात में पढ़ेगा उसको कभी फ़ाक़ा नहीं पहुँचेगा इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु अपनी साहब-ज़ादियों को हुक्म फ़रमाते थे कि हर रात में इसको पढ़ा करें। (बयहक़ी)

हदीस न. 45 :- क्या तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते कि हर रोज़ एक हज़ार आयतें पढ़ा करो। लोगों ने अर्ज़ की कि इसकी कौन इस्तिताअत रखता है कि हर रोज़ हज़ार आयतें पढ़ा करे। फ़रमाया कि इसकी इस्तिताअत नहीं कि "अल्हाकुमुत्तकासुर " पढ़ लिया करो। (बयहक़ी)

हदीस न. 46 :- क्या तुम इससे आजिज़ हो कि रात में तिहाई .कुरआन पढ़ लिया करो। लोगों ने अर्ज़ की कि तिहाई .कुरआन क्यूँकर कोई पढ़ेगा फ़रमाया कि .कुलहुवल्लाहु अहद तिहाई .कुरआन के बराबर है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हदीस न. 47 :- "इज़ा ज़ुलज़िलत" निस्फ़ .क़ुर्आन की बराबर है और ".क़ुल हु वल्लाहु अहद" तिहाई .क़ुर्आन के बराबर है और .क़ुल या अय्युहल काफ़िरून चौथाई .क़ुर्आन के बराबर है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस न. 48 :- जो एक दिन में दो सौ मरतबा '.क़ुलहुवल्लाहु अह़द' पढ़ेगा उसके पचास बरस के गुनाह मिटा दिये जायेगें मगर ये कि उस पर दैन हो। (तिर्मिज़ी व दारमी)

हदीस न. 49 :- जो शख़्स सोते वक़्त बिछौने पर दाहिनी करवट लेट कर सौ मरतबा .क़ुलहुवल्लाहु अह़द पढ़े क़ियामत के दिन रब तबारक व तआ़ला उससे फ़रमायेगा ऐ मेरे बन्दे अपनी दाहिनी जानिब जन्नत में चला जा। (तिर्मिज़ी)

हदीस न. 50 :- नबी स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को '.क़ुलहुवल्लाहु अह़द' पढ़ते सुना फ़रमाया कि जन्नत वाजिब हो गयी। (इमाम मालिक, तिर्मिज़ी, निसाई)

हदीस न. 51 :- किसी ने पूछा-या रसूलल्लाह .क़ुर्आन में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है फ़रमाया '.क़ुलहुवल्लाहु अह़द।' उसने अर्ज़ की .क़ुरआन में सबसे बड़ी आयत कौन सी है। फ़रमाया आयतुल कुर्सी अल्लाहु लाइलाहा इल्लाहू अलहय्युल क़य्यूम। उसने कहा या रसूलल्लाह कौन सी आयत आपको और आपकी उम्मत को पहुँचना महबूब है यानी उसका फ़ायदा व सवाब। फ़रमाया सूरए बक़्र के ख़ात्मे की आयत कि वह रह़मते इलाही के ख़ज़ाने से अर्श इलाही के नीचे से है। अल्लाह तआ़ला ने वह आयत इस उम्मत को दी दुनिया व आख़ेरत की कोई ख़ैर नहीं मगर ये उस पर मुश्तमिल है। (दारमी)

हदीस न. 52 :- जो शख़्स 'अऊ़ज़ु बिल्लाहिस्समीइ़ल अ़लीमि मिनश्शयतॉ निर्रजीम 'तीन मरतबा पढ़ कर सूरए हश्र की पिछली तीन आयतें पढ़े अल्लाह तआ़ला सत्तर हज़ार फ़रिश्तें मुक़र्रर फ़रमायेगा जो शाम तक इसके लिए दुआ करेंगे और अगर वह शख़्स उस रोज़ मर जाये तो शहीद मरेगा और शाम को पढ़े तो उसके लिए भी यही है। (तिर्मिज़ी)

हदीस न. 53 :- जो .क़ुरआन पढ़े उसको अल्लाह से सवाल करना चाहिए। अनक़रीब ऐसे लोग आयेंगें जो .क़ुरआन पढ़कर आदमियों से सवाल करेंगें। (अह़मद तिर्मिज़ी)

हदीस न. 54 :- जो .क़ुरआन पढ़कर आदमियों से खाना मांगेगा क़ियामत के दिन इस तरह आयेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त न होगा निरी हड्डियाँ होंगी। (बयहक़ी)

हदीस न. 55 :- इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मुसहफ़ लिखने की उजरत का सवाल हुआ। उन्होंने फ़रमाया इसमें हर्ज नहीं, वह लोग नक़्श बनाते हैं और अपनी दस्तकारी से खाते हैं यानी ये एक क़िस्म की दस्तकारी है, इसका मुआवज़ा लेना जाएज़ है। (रज़ीन)

.क़ुरआन मजीद की तिलावत वग़ैरा के मसाइल बहारे शरीअत हिस्सा सोम में आ चुके हैं वहाँ से मालूम किये जायें, मुसहफ़ शरीफ़ के मुताल्लिक़ बाज़ बातें यहाँ ज़िक्र की जाती हैं।

सोते वक़्त के लिए

1. आयतुल कुर्सी शरीफ़ एक बार जब तक सोए हिफ़ाज़ते इलाही में रहे। उसके और उसके आस पास के घरों में चोरी से पनाह रहे ओर आसेब व जिन्न का दख़ल न हो।

2. तस्बीह हज़रते फ़ातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा यानी सुब्हानल्लाह 33 बार, अलहम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़े सुबह निशात (ख़ुशी) पर उठे और बेशुमार फ़ायदे हैं।

3. अल्हम्दु शरीफ़ और .क़ुल एक-एक बार।

4. सूरए बक़्र की शुरू की चार आयात। और आख़िर की तीन आयात पढ़े बेशुमार फ़ायदे हैं।

5. सूरए कहफ़ की आख़िर की चार आयात यानी 'इन्नल लज़ीना अमनू' से आख़िर सूरत तक शब में पढ़े या सुबह में जिस वक़्त जागने की नियत से पढ़े आँख खुलेगी।

6. दोनों हाथ फैला कर तीनों .क़ुल एक-एक बार पढ़ कर उन पर दम कर के सर और चेहरे ओर सीने और आगे पीछे जहाँ तक हाथ पहुँचे सारे बदन पर फेर ले। फिर दोबारा और तीबारा करे हर बला से महफ़ूज़ रहे।

7. सूरए काफ़िरून यानी '.क़ुल या अय्युहल काफ़िरून' पर ख़ात्मा करे यानी सबसे आख़िर में पढ़े अगर इसके बाद बातचीत करना पड़े तो फिर से पढ़ ले ताकि इसी पर ख़ात्मा हो। इस अमल के करने वाले का ख़ात्मा इन्शाअल्लाह तआला ईमान पर होगा।

.कुरआन मजीद और किताबों के आदाब

मसअला :- .कुरआन मजीद पर सोने चाँदी का पानी चढ़ाना जाएज़ है कि इससे नज़रे अवाम में अज़मत पैदा होती है। इसमें आराब (ज़ेर ज़बर वगैरा) व नुक़्ते लगाना भी मुस्तहसन है क्योंकि अगर ऐसा न किया जाये तो अकसर लोग उसे सही न पढ़ सकेंगे। इसी तरह आयते सजदा पर सजदा लिखना और वक़्फ़ की अलामतें लिखना और रुकू की अलामत लिखना और तअशीर यानी दस दस आयतों पर निशान लगाना जाएज़ है। इसी तरह सूरतों के नाम लिखना और ये लिखना कि इसमें इतनी आयतें हैं ये भी जाएज़ है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) इस ज़माने में .कुरआन मजीद के तर्जमे भी छापने का रिवाज है अगर तर्जमा सही हो तो .कुरआन मजीद के साथ छापने में हर्ज नहीं इसलिए कि इससे आयत का तर्जमा जानने में सुहूलत होती है मगर तन्हा तर्जमा न छापा जाये।

मसअला :- तारीख़ के औराक़ .कुरआन मजीद की जिल्द या तफ़सीर व फ़िक़्ह की किताबों पर बतौरे गिलाफ़ चढ़ाना जाएज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- .कुरआन मजीद की किताबत निहायत खुशख़त और वाज़ेह हर्फ़ों में की जाये कागज़ भी बहुत अच्छा रोशनाई भी ख़ूब अच्छी हो कि देखने वाले को भला मालूम हो (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) बाज़ छापने वाले निहायत मामूली काग़ज़ पर बहुत ख़राब किताबत व रोशनाई से छपवाते हैं ये हरगिज़ न होना चाहिए।

मसअला :- .कुरआन मजीद का हजम (साइज़) छोटा करना मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार) मसलन आजकल बाज़ छापने वालों ने तावीज़ी .कुरआन मजीद छपवाये हैं जिनका क़लम इतना बारीक है कि पढ़ने में भी नहीं आता बल्कि हमाइल (छोटे साइज़ का .कुरआन शरीफ़) भी न छपवाई जाये कि उसका हजम भी बहुत कम होता है।

मसअला :- .कुरआन मजीद पुराना बोसीदा हो गया इस क़ाबिल न रहा कि उसमें तिलावत की जाये और ये अन्देशा है कि उसके और पन्ने बिखर कर जाए होंगे तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एहतियात की जगह दफ़न कर दिया जाये और दफ़न करने में उसके लिए लहद (यानी क़ब्र नुमा गढ़ा) बनाई जाये ताकि उस पर मिट्टी न पड़े या उस पर तख़्ता लगा कर छत बना कर

मिट्टी डालें कि उस पर मिट्टी न पड़े मुसहफ़ शरीफ़ बोसीदा हो जाये तो उसको जलाया न जाये। (आलमगीरी)

मसअला :- लुग़त व नहव व सर्फ़ का एक मरतबा है। इनमें हर एक की किताब को दूसरे की किताब पर रख सकते हैं और उनसे ऊपर इल्मे कलाम की किताबें रखी जायें उनके ऊपर फ़िक़्ह और अहादीस व मवाइज़ (वाज़ की किताबें) व दावाते मासूरह (हदीस से जो दुआयें साबित हैं) फ़िक़्ह से ऊपर रखें और तफ़सीर को उनके ऊपर और क़ुरआन मजीद को सब के ऊपर रखें। क़ुरआन मजीद जिस संदूक़ में हो उस पर कपड़ा वग़ैरा न रखा जाए। (आलमगीरी)

मसअला :- किसी ने महज़ ख़ैर –ओ– बरकत के लिए अपने मकान में क़ुरआन मजीद रख छोड़ा है और तिलावत नहीं करता तो गुनाह नहीं बल्कि उसकी ये नियत बाइसे सवाब है। (ख़ानिया)

मसअला :- क़ुरआन मजीद पर अगर तौहीन के इरादे से पाँव रखा काफ़िर हो जाएगा। (आलमगीरी)

मसअला :- जिस घर में क़ुरआन मजीद रखा हो उसमें बीवी से सोहबत करना जाएज़ है जबकि क़ुरआन मजीद पर पर्दा पड़ा हो। (आलमगीरी)

मसअला :- क़ुरआन मजीद को निहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए इसी तरह अज़ान कहने में ख़ुश्गुलोई से काम ले यानी अगर आवाज़ अच्छी न हो तो अच्छी आवाज़ बनाने की कोशिश करे। लहन के साथ पढ़ना कि हुरूफ़ में कमी बेशी हो जाये जैसे गाने वाले किया करते हैं ये नाजाएज़ है बल्कि पढ़ने में क़वाएदे तजवीद का ख़्याल रखे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- क़ुरआन मजीद को मारूफ़ (जो मशहूर है) व शाज़ (जो मशहूर नहीं) दोनों क़िराअतों के साथ एक साथ पढ़ना मकरूह हैं तो फ़क़त क़िराअत शाज़्ज़ा के साथ पढ़ना **बदर्जा** औला मकरूह है यानी उस क़िरआत के साथ पढ़ना जो मशहूर नहीं और ज़्यादा मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) बल्कि अवाम के सामने वही क़िराअत पढ़ी जाये जो वहाँ राएज (यानी जिसका चलन हो) है क्यूँकि कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी नावाक़िफ़ी की वजह से इन्कार कर बैठें।

मसअला :- मुसलमानों में ये दस्तूर है कि क़ुरआन मजीद पढ़ते वक़्त अगर उठ कर कहीं जाते हैं तो बन्द कर देते है, खुला हुआ छोड़कर नहीं जाते। ये अदब की बात है मगर बाज लोगों में ये मशहूर है कि अगर खुला हुआ छोड़ दिया

जायेगा तो शैतान पढ़ेगा इसकी अस्ल नहीं मुमकिन है कि बच्चों को इस अदब की तरफ़ तवज्जो दिलाने के लिए ऐसा कहा गया हो।

मसअला :- .कुरआन मजीद के आदाब में ये भी है कि उसकी तरफ़ पीठ न की जाये न पाँव फैलाया जाये न पाँव को उससे ऊँचा करे न ये कि .खुद ऊँची जगह पर हो और .कुरआन मजीद नीचे हो।

मसअला :- .कुरआन मजीद को जुज़दान व ग़िलाफ़ में रखना अदब है सहाबा व ताबईन रद्वियल्लाहु तआला अ़न्हुम अजमईन के ज़माने से इस पर मुसलमानों का अमल है।

मसअला :- नये क़लम का तराशा इधर उधर फेंक सकते है मगर इस्तेमाल किए हुए क़लम का ताराशा एहतियात की जगह में रखा जाये फेंका न जाये इसी तरह मस्जिद की घास कूड़ा मौज़ए एहतियात में डाला जाये ऐसी जगह न फेंका जाये कि एहतेराम के ख़िलाफ़ हो (आलमगीरी) ——— जिस कागज़ पर अल्लाह का नाम लिखा हो उसमें कोई चीज़ रखना मकरूह है और थैली पर असमाये इलाही लिखे हों उसमें रूपये पैसे रखना मकरूह नहीं। खाने के बाद उंगलियों को काग़ज़ से पोंछना मकरूह है। (आलमगीरी)

सरकार की शफ़ाअत

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

और हमने कोई रसूल न भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए और अगर जब वह अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हों और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफ़ाअत फ़रमाएं तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान पाएं।

(पारा 5 सूरए निसा आयत 64)

आदाबे मस्जिद व क़िब्ला

मस्जिद को चूने और गच (चूना और सुरख़ी से बना हुआ मिश्रण) से मुनक़्क़श करना जाएज़ है सोने चाँदी के पानी से नक़्श व निगार करना भी जाएज़ है जबकि कोई शख़्स अपने माल से ऐसा करे। माले वक़्फ़ से ऐसा नहीं कर सकता बल्कि मुतावल्लिए मस्जिद ने अगर माले वक़्फ़ से सोने चाँदी का नक़्श कराया तो उसे तावान देना होगा हाँ अगर बानीए मस्जिद ने नक़्श कराया था जो खराब हो गया तो मुतावल्ली मस्जिदे माल से भी नक़्श व निगार करा सकता है बाज़ मशाइख़ दीवारे क़िब्ला में नक़्श व निगार कराने को मकरूह बताते है कि नमाज़ी का दिल उधर मुतावज्जे होगा।

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- मस्जिद की दीवारों में गच और पलास्तर करना जाएज़ है कि उसकी वजह से इमारत महफ़ूज़ रहेगी। मस्जिद में पलास्तर कराने या क़लई या कहगिल (पुताई निकिल बग़ैरा) कराने में नापाक पानी इस्तेमाल न किया जाये। (आलमगीरी)

मसअला :- मस्जिद में दर्स देना जाएज़ है अगरचे बवक़्ते दर्स मस्जिद की जानमाज़ो और चटाइयों को इस्तेमाल करता हो। मस्जिद में खाना खाना और सोना मुअतकिफ़ (जो एतेकाफ़ से हो) को जाएज़ है ग़ैर मुअतकिफ़ के लिए मकरूह है अगर कोई शख़्स मस्जिद में खाना या सोना चाहता हो तो वो बानियत ऐतेकाफ़ मस्जिद में दाख़िल हो और ज़िक्र करे या नमाज़ पढ़े उसके बाद वह काम कर सकता है (आलमगीरी) हिन्दुस्तान में तक़रीबन हर जगह ये रिवाज है कि माहे रमज़ान में आम तौर पर मस्जिद में रोज़ा अफ़तार करते हैं अगर ख़ारिजे मस्जिद कोई जगह ऐसी हो कि वहाँ अफ़तार करे जब तो मस्जिद में अफ़तार करे वरना दाख़िल होते वक़्त ऐतेकाफ़ की नियत कर लिया करे। अब अफ़तार करने में कोई हर्ज नहीं मगर इस बात का अब भी लिहाज करना होगा कि मस्जिद का फ़र्श या चटाइयाँ आलूदा न करे।

मसअला :- मस्जिद को रास्ता न बनाया जाये मसलन मस्जिद के दो दरवाज़े हैं और उसको कहीं जाना है आसानी इसमें है कि एक दरवाज़े से दाख़िल हो कर दूसरे से निकल जाये ऐसा न करे अगर कोई शख़्स इस नियत से गया कि इस दरवाज़े से दाख़िल होकर दूसरे से निकल जायेगा अन्दर जाने के बाद

अपने इस फेल पर नादिम (शर्मिन्दा) हुआ तो जिस दरवाज़े से निकलने का इरादा किया था उसके सिवा दूसरे दरवाज़े से निकले और बाज़ उलमा ने फ़रमाया है कि ये शख़्स पहले नमाज़ पढ़े फिर निकले और बाज़ ने फ़रमाया कि अगर बे-वुज़ू है तो जिस दरवाज़े से गया है उसी से निकले मस्जिद में जूते पहन कर जाना मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअला :- जामा मस्जिद (जिसमें जुमा होता है) में तावीज़ बेचना नाजाएज़ है जैसा कि तावीज़ वाले किया करते हैं कि इस तावीज़ का ये हदिया है इतना दो और तावीज़ ले जाओ। बल्कि हर मस्जिद में तावीज़ बेचना नाजाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :- मस्जिद में अक़्दे निकाह करना मुस्तहब है (आलमगीरी) मगर ये ज़रूर है कि बवक़्ते निकाह शोर व ग़ुल और ऐसी बातें जो एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ हैं न होने पायें लिहाज़ा अगर मालूम हो कि मस्जिद के आदाब का लिहाज़ न रहेगा तो मस्जिद में निकाह न पढ़ायें।

मसअला :- जिसके बदन या कपड़े पर नजासत लगी हो वह मस्जिद में न जाये। (आलमगीरी)

मसअला :- मस्जिद में इन आदाब का लिहाज़ रखें :—

1. जब मस्जिद में दाख़िल हो तो सलाम करें बशर्ते कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं ज़िक्र व दर्स में मशग़ूल न हों और अगर वहाँ कोई न हो या जो लोग हैं वह मशग़ूल हैं तो ये कहे अस्सलामुअ़लैना मिन रब्बना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन
2. वक़्ते मकरूह न हो तो दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद अदा करें।
3. ख़रीद व फ़रोख़्त न करें।
4. नगीं तलवार मस्जिद में न ले जाये।
5. गुमी हुई चीज़ मस्जिद में न ढूंढे।
6. ज़िक्र के सिवा आवाज़ बलन्द न करें।
7. दुनिया की बातें न करें।
8. लोगों की गर्दनें न फलांगें।
9. जगह के मुताल्लिक़ किसी से झगड़ा न करें।
10. इस तरह न बैठे कि दूसरों के लिए जगह में तंगी हो।
11. नमाज़ी के आगे से न गुज़रें।
12. मस्जिद में थूक खंखार न डालें।

13. उंगलियाँ न चटकायें।

14. नेजासत और बच्चों और पागलों से मस्जिद को बचाये।

15. ज़िक्रे इलाही की कसरत करें। (आलमगीरी)

मसअला :- मस्जिद में जगह तंग हो गयी तो जो नमाज़ पढ़ना चाहता है बैठे हुए को कह सकता है कि सरक जाओ नमाज़ पढ़ने की जगह दे दो अगरचे वह शख़्स ज़िक्र व दर्स में या तिलावते क़ुरआन मजीद में मशग़ूल हो या ऐतकाफ़ में हो। (आलमगीरी)

मसअला :- मस्जिद के साइल को देना मना है। मस्जिद में दुनिया की बातें करनी मकरूह है। मस्जिद में कलाम करना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है ये जाएज़ कलाम के मुताल्लिक़ है नाजाएज़ कलाम के गुनाह का क्या पूछना। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- नमाज़ पढ़ने के बाद मुसल्ले को लपेट कर रख देते हैं, ये अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा एहतियात है मगर बाज़ लोग जानमाज़ का सिर्फ़ कोना मोड़ देते हैं और ये कहते हैं ऐसा न करने में उस पर शैतान नमाज़ पढ़ेगा ये बे असल है। (इसके बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ और लिखा है)

मसअला :- मस्जिद की छत पर चढ़ना मकरूह है। गर्मी की वजह से मस्जिद की छत पर जमाअत करना मकरूह है हाँ अगर मस्जिद में तंगी हो नमाज़ियों की कसरत हो तो छत पर नमाज़ पढ़ सकते हैं जैसे कि बम्बई और कलकत्ता में मस्जिद की तंगी की वजह से छत पर भी जमाअत होती है। (आलमगीरी)

मसअला :- तालिबे इल्म ने मस्जिद की चटाई का तिनका निशानी के लिए किताब में रख लिया ये माफ़ है (आलमगीरी) इसका ये मतलब नहीं कि अच्छी चटाई से तिनका तोड़ कर निशानी बनाये कि इस तरह बार बार करने से चटाई ख़राब हो जायेगी।

मसअला :- क़िब्ले की जानिब हदफ़ यानी निशाना बनाकर उस पर तीर मारना या उस पर गोली मारना मकरूह है यानी क़िब्ले की तरफ़ चाँदमारी करना मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

इयादत व इलाज का बयान

इयादत :– मरीज़ की इयादत को जाना सुन्नत है। अहादीस में इसकी बहुत फ़ज़ीलत आयी है।

हदीस 1 :- बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू हुरैरा रद्रियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान पर मुसलमान के पाँच हक़ हैं।

1. सलाम का जवाब देना।
2. मरीज़ के पूछने को जाना।
3. जनाज़े के साथ जाना।
4. दावत क़बूल करना।
5. छींकने वाले का जवाब देना (जब अल्हम्दुलिल्लाह कहे)

हदीस 2 :- सहीहैन में है बरा इब्ने आज़िब रद्रियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हमें सात बातों का हुज़ूर ने हुक्म फ़रमाया (हदीस न. 1 में गुज़री पाँच बातें ज़िक्र करके फ़रमाया)

6. क़सम खाने वाले की क़सम पूरी करना।
7. मज़लूम की मदद करना।

हदीस 3 :- बुख़ारी व मुस्लिम सौबान रद्रियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत को गया तो वापस होने तक हमेशा जन्नत के फल चुनने में रहा।

हदीस 4 :- सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रद्रियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाहु सल्ललाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआला रोज़े क़ियामत फ़रमायेगा ऐ इब्ने आदम मैं बीमार हुआ तूने मेरी इयादत न की। अर्ज़ करेगा तेरी इयादत कैसे करता तू तो रब्बुल आलमीन है (यानी ख़ुदा कैसे बीमार हो सकता है कि उसकी इयादत की जाये) फ़रमायेगा क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरा फ़लाँ बन्दा बीमार हुआ और उसकी तूने इयादत न की क्या तू नहीं जानता कि अगर उसकी इयादत को जाता तो मुझे उसके पास पाता और फ़रमायेगा ऐ इब्ने आदम मैंने तुझसे खाना तलब किया तूने न दिया अर्ज़ करेगा तुझे किस तरह खाना देता तू तो रब्बुल आलमीन है। फ़रमायेगा क्या तुझे नहीं मालूम कि

मेरे फ़लाँ बन्दे ने तुझसे खाना मांगा और तूने न दिया क्या तुझे नहीं मालूम कि अगर तूने दिया होता तो तू उसको (यानी उसके सवाब को) मेरे पास पाता फ़रमायेगा ऐ इब्ने आदम मैंने तुझसे पानी तलब किया तूने न दिया। अर्ज़ करेगा तुझे पानी कैसे देता तू तो रब्बुल आलमीन है। फ़रमायेगा मेरे फ़लाँ बन्दे ने तुझसे पानी मांगा तूने उसे न पिलाया अगर पिलाया होता तो मेरे यहाँ पाता।

हदीस 5 :- सही बुख़ारी शरीफ़ में इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी हुज़ूर –ए– अक़दस स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक आराबी की इयादत को तशरीफ़ ले गये और आदते करीमा ये थी कि जब किसी मरीज़ की इयादत को तशरीफ़ ले जाते तो ये फ़रमाते لا بأس طهور إن شاء الله تعالى यानी कोई हर्ज की बात नहीं इन्शाल्लाह तआ़ला ये मर्ज़ गुनाहों से पाक करने वाला है उस आराबी से भी यही फ़रमाया لا بأس طهور إن شاء الله تعالى

हदीस 6 :- अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अमीरूल मोमिनीन मौला अली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाहु स़ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिए सुबह को जाये तो शाम तक उसके लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं और शाम को जाये तो सुबह तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग़ होगा।

हदीस 7 :- अबू दाऊद ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवा़यत की कि हुज़ूर फ़रमाते हैं जो अच्छी तरह वुज़ू करे बग़र्ज़े सवाब अपने मुसलमान भाई की इयादत को जाये जहन्नम से साठ बरस की राह दूर कर दिया गया।

हदीस 8 :- तिर्मिज़ी बाफ़ायदा तहसीन व इब्ने माजा अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स मरीज़ की इयादत को जाता है आसमान से मुनादी निदा करता है तू अच्छा है और तेरा चलना अच्छा है और जन्नत की एक मन्ज़िल को तूने ठिकाना बनाया।

हदीस 9 :- इब्ने माजा अमीरूल मोमिनीन फ़ारूक़े आज़म रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब तू मरीज़ के पास जाये तो उससे कह कि तेरे लिए दुआ करे कि उसकी दुआ दुआये मलाइका के मानिन्द (तरह) है।

हदीस 10 :- बयहक़ी ने सय्यद इब्ने मुसय्यिब से मुरसलन रिवायत की कि फ़रमाते हैं अफ़ज़ल इयादत ये है कि जल्द उठ आये और उसकी मिस्ल हज़रते

अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से भी मरवी।

हदीस 11 :- तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू सईद .ख़ुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं जब मरीज़ के पास जाओ तो उमर के बारे में दिल ख़ुश करने वाली बात करो कि ये किसी चीज़ को रद्द न कर देगा और उसके जी को अच्छा मालूम होगा।

हदीस 12 :- इब्ने हब्बान अपनी सही में इन्हीं से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं पाँच चीजें जो एक दिन में करेगा अल्लाह तआ़ला उसको जन्नतियों में लिख देगा

1. मरीज़ की इयादत करे
2. जनाज़े में हाज़िर हो
3. रोज़ा रखे
4. जुमे को जाये
5. .ग़ुलाम आज़ाद करे

हदीस 13 व 14 :- अह़मद व तबरानी व अबू याला व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान मुआज़ इब्ने जबल और अबू दाऊद अबू उमामा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं कि जो इन पाँच में से एक भी करे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के ज़मान में आ जायेगा

1. मरीज़ की इयादत करे
2. या जनाज़े के साथ जाये
3. या ग़ज़वा को जाये
4. या इमाम के पास उसकी ताज़ीम व तौक़ीर के इरादे से जाये
5. या अपने घर में बैठा रहे कि लोग उससे सलामत रहें और वह लोगों से।

हदीस 15 :- इब्ने .ख़ुज़ैमा अपनी सही में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर –ए– अक़दस स़ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया आज तुम में कौन रोज़दार है ? अबूबक्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अर्ज़ की मैं। फ़रमाया आज तुम में किसी ने मिसकीन को खाना खिलाया। अर्ज़ की मैंनें। फ़रमाया कौन आज जनाज़े में साथ गया। अर्ज़ की मैं। फ़रमाया किस ने आज मरीज़ की इयादत की। अर्ज़ की मैंने। फ़रमाया ये ख़सलतें किसी में भी जमा न होंगीं मगर जन्नत में दाख़िल होगा।

हदीस 16 :- अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब कोई

मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत को जाये तो सात बार ये दुआ पढ़े

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ.

तर्जमा : अल्लाह अज़ीम से सवाल करता हूँ जो अर्शे करीम का मालिक है इस का कि तुझे शिफ़ा दे।

अगर मौत नहीं आई है तो उसे शिफ़ा हो जायेगी (फ़ज़ाइल इयादत का इज़ाफ़ा बहारे शरीअत हिस्सा चार से यहाँ पर किया गया)

इलाज : हदीस 1 :- सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसके लिए शिफ़ा भी उतारी है

हदीस 2 :- सही मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हर बीमारी के लिए दवा है जब बीमारी को दवा पहुँचँ जायेगी अल्लाह के हुक्म से अच्छा हो जायेगा।

हदीस 3 :- इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने उसामा इब्ने शुरैक रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम दवा करें। फ़रमाया हाँ ऐ अल्लाह के बन्दों दवा करो क्योंकि अल्लाह ने बीमारी नहीं रखी मगर उसके लिए शिफ़ा भी रखी है सिवाये एक बीमारी के वह बुढ़ापा है।

हदीस 4 :- अबू दाऊद ने अबू दरदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बीमारी और दवा दोनों को अल्लाह तआ़ला ने उतारा उसने हर बीमारी के लिए दवा मुक़र्रर की बस तुम दवा करो मगर हराम से दवा मत करो।

हदीस 5 :- इमाम अह़मद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने दवाये ख़बीस से मुमानअत फ़रमायी।

हदीस 6 :- तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने उक़बा इब्ने आमिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मरीज़ों को खाने पर मजबूर न करो कि उनको अल्लाह तआ़ला खिलाता पिलाता है।

हदीस 7 :- इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब मरीज़

की ख़्वाहिश करे तो उसे खिला दो ये हुक्म उस वक़्त है कि खाने का इश्तेहाये सादिक़ हो यानी पूरी ख़्वाहिश हो।

हदीस 8 :- अबू दाऊद ने उम्मे मुन्ज़िर बिन्ते क़ैस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहती है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हज़रते अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के साथ मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हज़रते अली को नक़ाहत थी यानी बीमारी से अच्छे हुए थे। मकान में खजूर के ख़ोशे लटक रहे थे। हुज़ूर ने उनमें से कुछ खजूरें तनावुल फ़रमाईं। हज़रते अली ने खाना चाहा। हुज़ूर ने उनको मना किया और फ़रमाया कि तुम नक़ीह (कमज़ोर) हो। कहती हैं कि जौ और चुकन्दर पका कर हाज़िर लाई। हुज़ूर ने हज़रते अली से फ़रमाया इसमें से लो कि ये तम्हारे लिये नफ़ा है। इस ह़दीस से मालूम हुआ कि मरीज़ को परहेज़ करना चाहिए जो चीज़ उसके लिए मुज़िर है उनसे बचना चाहिए।

हदीस 9 :- इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने इमरान इब्ने हुसैन और इब्ने माजा ने बुरीदा रदि़यल्लाहु अ़न्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि झाड़ फूंक नहीं मगर नज़रेबद और ज़हरीले जानवर के काटे से यानी इन दोनों में ज़्यादा मुफ़ीद है।

हदीस 10 :- इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने असमा बिन्ते उमैस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की या रसूलल्लाह औलादे जाफ़र को जल्द नज़र लग जाया करती है, क्या झाड़ फूंक कराऊँ। फ़रमाया हाँ क्यूँकि अगर कोई चीज़ तक़दीर से सबक़त ले जाने वाली होती तो नज़रेबद सबक़त ले जाती।

हदीस 11 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रते आइशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने नज़रेबद से झाड़ फूंक कराने का हुक्म फ़रमाया है।

हदीस 12 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत उम्मे सलमा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत है कि उनके घर में एक लड़की थी जिसके चेहरे में ज़र्दी थी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया इसे झाड़ फूंक कराओ क्योंकि इसे नज़र लग गयी है

हदीस 13 :- सही मुस्लिम में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि जब रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक से मना फ़रमाया

अम्र इब्ने हज़्म के घर वालों ने हाज़िर होकर ये कहा या रसुलल्लाह हुज़ूर ने झाड़ने को मना फ़रमाया और हमारे पास बिच्छू का झाड़ है और उसको हुज़ूर के सामने पेश किया। इरशाद फ़रमाया इसमें कुछ हर्ज नहीं जो शख़्स अपने भाई को नफ़ा पहुँचा सके नफ़ा पहुँचाये।

हदीस 14 :- सही मुस्लिम में औफ़ इब्ने मालिक अशजई से रिवायत है कहते हैं हम जाहिलियत में झाड़ा करते थे, हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर का इस मुताल्लिक क्या इरशाद है। फ़रमाया कि मेरे सामने पेश करो झाड़ फूंक में हर्ज नहीं जब तक उसमें शिर्क न हों।

हदीस 15 :- सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अदवा (बीमारी का उड़ कर लगना) नहीं यानी मर्ज़ लगना और मुताअद्दी (एक से दूसरे को लगना) होना नहीं है और न बदफ़ाली (बद्शगुनी) है और न हामा (हामा से मुराद उल्लू है, जाहिलियत के ज़माने में अरब के लोग उल्लू के मुताल्लिक तरह तरह के ख़्यालात रखते थे और अब भी लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं जो कुछ भी हो हदीस ने उसके मुताल्लिक यह हिदायत की कि इसका एतेबार न किया जाए) है, न सफ़र (यानी सफ़र का महीना लोग इस महीने को मनहूस जानते थे लिहाज़ा हुज़ूर ने इससे मना फ़रमाया) और मजज़ूम (कोढ़ी) से भागो जैसे शेर से भागते हो। { यहाँ इस हदीस का मफ़हूम यह है कि छुआछूत, या बीमारी का एक दूसरे को उड़ कर लगना कोई चीज़ नहीं और बद्शगुनी भी कोई चीज़ नहीं और उल्लू के बारे में तरह तरह के ख़्यालात रखना भी कोई चीज़ नहीं और कोढ़ वाले से छुआछुत की वजह से भागना भी ग़लत है मुख़्तसर यह कि छुआछूत कोई चीज़ नहीं आगे मसाइल से यह बात और साफ़ हो जाएगी } दूसरी रिवायत है कि एक आराबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसकी क्या वजह है कि रेगिस्तान में ऊँट हिरन की तरह (साफ़ सुथरा होता है) और ख़ारिशी ऊँट जब उसके साथ मिल जाता है तो उसे भी ख़ारिशी कर देता है। हुज़ूर ने फ़रमाया पहले को किसने मर्ज़ लगा दिया यानी जिस तरह पहला ऊँट ख़ारिशी हो गया दूसरा भी हो गया, मर्ज़ का मुताअद्दी होना ग़लत है और मजज़ूम से भागने का हुक्म सद्दे ज़राए के क़बील से है कि अगर उससे मेल जोल में दूसरे को जुज़ाम पैदा हो जाये तो ये ख़्याल होगा कि मेल जोल से हुआ पैदा। इस ग़लत ख़्याल से बचने के लिए ये हुक्म हुआ कि

उससे अलाहिदा रहो।

हदीस 16 :- सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को थे फ़रमाते हुए सुना कि बदफ़ाली कोई चीज़ नहीं और फ़ाल अच्छी चीज़ है। लोगों ने अर्ज़ की फ़ाल क्या चीज़ है। फ़रमाया अच्छा कलिमा जो किसी से सुने यानी कहीं जाते वक़्त या किसी काम का इरादा करते वक़्त किसी की .ज़ुबान से अगर अच्छा कलिमा निकल गया ये फ़ाले हसन है।

हदीस 17 :- अबू दाऊद व तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीरह (बदफ़ाली) शिर्क है, इसको तीन मरतबा फ़रमाया (यानी मुशरेकीन का तरीक़ा है) जो कोई हममें से हो यानी मुसलमान हो वह अल्लाह पर तवक्कुल करके चला जाये।

हदीस 18 :- तिर्मिज़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब किसी काम के लिए निकलते तो ये बात हुज़ूर को पसन्द थी कि या राशिदु (ऐ हिदायत देने वाले) या नजीहु (ऐ कामयाब) सुनें। उस वक़्त अगर कोई शख़्स इन नामों के साथ किसी को पुकारता ये हुज़ूर को अच्छा मालूम होता कि ये कामयाबी और फ़लाह की नेक फ़ाल है।

हदीस 19 :- अबू दाऊद ने बुरीदह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम किसी चीज़ से बदशगुनी नहीं लेते जब किसी आमिल को भेजते उसका नाम दरयाफ़्त करते अगर उसका नाम पसन्द होता तो .ख़ुश होते और .ख़ुशी के आसार चेहरे में ज़ाहिर होते और अगर उसका नाम नापसन्द होता तो उसके आसार हुज़ूर के चेहरे में दिखायी देते और जब किसी बस्ती में जाते उसका नाम पूछते अगर उसका नाम पसन्द होता तो .ख़ुश होते और .ख़ुशी के आसार चेहरे में दिखाई देते और नापसन्द होता तो कराहत के आसार चेहरे में दिखाई देते। इस हदीस का ये मतलब नहीं कि नामों से आप बदशगुनी लेते बल्कि ये कि अच्छे नाम हुज़ूर को पसन्द थे और बुरे नाम नापसन्द थे।

हदीस 20 :- अबू दाऊद ने उरवह इब्ने आमिर से मुरसलन रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के सामने बदशगुनी का

ज़िक्र हुआ। हुज़ूर ने फ़रमाया फ़ाल अच्छी चीज़ है और बुरा शगुन किसी मुस्लिम को वापस न करे यानी कहीं जा रहा था और बुरा शगुन हुआ तो वापस न आये चला जाये जब कोई शख़्स ऐसी चीज़ देखे जो नापसन्द है यानी बुरा शगुन पाये तो ये कहे :–

اَللّٰهُمَّ لَا يَاْتِيْ
بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

तर्जमा : ऐ अल्लाह अच्छी चीज़ें नहीं लाता मगर तू ही और बुरी चीज़ें दफ़ा नहीं करता मगर तू ही कोई ताक़त और .कुव्वत नहीं मगर अल्लाह से।

हदीस 21 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में उसामा इब्ने ज़ैद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब सुनो कि फ़लाँ जगह ताऊन है तो वहाँ न जाओ और जब वहाँ हो जाये जहाँ तुम हो तो वहाँ से न निकलो।

हदीस 22 :- सही मुस्लिम में उसामा इब्ने ज़ैद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ताऊन अज़ाब की निशानी है। अल्लाह तआ़ला ने अपने बन्दों में से कुछ लोगों को इसमें मुबतिला किया, जब सुनो कि कहीं है तो वहाँ न जाओ और जब वहाँ हो जाए जहाँ तुम हो तो भागो मत।

हदीस 23 :- इमाम अह़मद बुख़ारी ने आइशा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ताऊन अज़ाब था अल्लाह तआ़ला जिस पर चाहता है उसको भेजता है उसको अल्लाह ने मोमिन के लिए रह़मत कर दिया जहाँ ताऊन वाक़ेअ हो और उस शहर में जो शख़्स सब्र करे और 'तलबे सवाब के लिए ठहरा रहे और ये यक़ीन रखे कि वही होगा जो अल्लाह ने लिख दिया है उसके लिए शहीद का सवाब है।

हदीस 24 :- इमाम अह़मद बुख़ारी व मुस्लिम व अह़मद ने आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ताऊन हर मुस्लिम के लिए शहादत है।

मसअला :– मरीज़ की इयादत करना सुन्नत है अगर मालूम है कि इयादत को जायेगा तो उस बीमार पर गिराँ गुज़रेगा ऐसी हालत में इयादत न करे। इयादत को जाये और मर्ज़ की सख़्ती देखे तो मरीज़ के सामने ये जाहिर न करे कि तुम्हारी हालत ख़राब है और न सर हिलाये जिससे हालत का ख़राब

होना समझा जाता है। उसके सामने ऐसी बात करनी चाहिए जो उसके दिल को भली मालूम हो उसकी मिज़ाज-पुर्सी करे उसके सर पर हाथ न रखे मगर जब कि वह .खुद उसकी ख़्वाहिश करे। फ़ासिक़ की इयादत भी जाएज़ है क्योंकि इयादत हुक़ूक़े इस्लाम से है और फ़ासिक़ भी मुस्लिम है यहूदी या नसरानी अगर ज़िम्मी हो तो उसकी इयादत भी जाएज़ है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) मजूसी की इयादत को जाये या न जाये इसमें उलमा को इख़्तेलाफ़ है यानी जब कि ये ज़िम्मी हो (इनाया) हुनूद मजूस के हुक्म में हैं इनके अहकाम वही हैं जो मजूसियों के हैं अहले किताब जैसे इनके अहकाम नहीं। हिन्दुस्तान के यहूदी नसरानी मजूसी बुतपरस्त इनमें कोई भी ज़िम्मी नहीं।

मसअला :- दवा इलाज करना जाएज़ है जबकि ये एतेक़ाद हो कि शाफ़ी अल्लाह है। उसने दवा को इज़ालए मर्ज़ (मर्ज़ दूर करने के लिए) के लिए सबब बना दिया है और अगर दवा ही को शिफ़ा देने वाला समझता हो तो नाजाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :- इन्सान के किसी जुज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना हराम है। ख़िन्ज़ीर के बाल या हड्डी या किसी जुज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना हराम है। दूसरे जानवरों की हड्डियाँ दवा में इस्तेमाल की जा सकती है बर्शते कि ज़बिहा की हड्डियाँ हों या .खुश्क हों कि उसमें रूतूबत बाक़ी न हो हड्डियाँ अगर ऐसी दवा में डाली गईं हों जो खायी जायेगी तो ये .जरूरी है कि ऐसे जानवर की हड्डी हो जिसका खाना हलाल है और ज़िबा भी कर दिया हो। मुरदार की हड्डी खाने में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। (आलमगीरी)

मसअला :- हराम चीज़ों को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करना नाजाएज़ है कि हदीस में इरशाद फ़रमाया जो चीज़ हराम है उनमें अल्लाह तआ़ला ने शिफ़ा नहीं रखी है। बाज़ किताब में ये मज़कूर है कि अगर उस चीज़ के मुताल्लिक़ ये इल्म हो कि इसी में शिफ़ा है तो इस सूरत में वह चीज़ हराम नहीं इसका हासिल भी वही है क्योंकि किसी चीज़ की निस्बत हरगिज़ ये यक़ीन नहीं किया जा सकता कि उससे मर्ज़ ज़ाइल ही हो जायेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज़न और गुमान हो सकता है नाकि इल्म व यक़ीन .खुद इल्मे तिब के क़वाइद व उसूल ही ज़न्नी हैं यानी ख़्याली हैं यक़ीनी नहीं, लिहाज़ा यक़ीन हासिल होने की कोई सूरत नहीं यहाँ वैसा यक़ीन भी नहीं हो सकता जैसा भूके को हराम का लुक़्मा खाने से या प्यासे को शराब पीने से जान बच जाने में होता है (दुर्रे

मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) अंग्रेज़ी दवायें बकसरत ऐसी है जिनमें स्प्रिट और शराब की अमेज़िश होती है ऐसी दवायें हरगिज़ इस्तेमाल न की जायें।

मसअला :- बीमारी के मुताल्लिक़ तबीब ने यह कहा कि ख़ून का ग़लबा है फ़सद वग़ैरा के ज़रिये से ख़ून निकाला जाये। मरीज़ ने ऐसा न किया और मर गया तो इस इलाज के न करने से गुनाहगार नहीं हुआ कि ये यक़ीन नहीं है कि इस इलाज से शिफ़ा हो जायेगी। (ख़ानिया)

मसअला :- दस्त आते हैं या आँख दुखती है या कोई दूसरी बीमारी है इसमें इलाज नहीं किया और मर गया गुनाहगार नहीं है (आलमगीरी) यानी इलाज करना ज़रूरी नहीं कि अगर दवा न करे और मर जाए तो गुनहगार हो और भूक प्यास में खाने पीने की चीज़ दस्तयाब हो और न खाये पिये यहाँ तक कि मर जाये तो गुनाहगार है यहाँ यक़ीनन मालूम है कि खाने पीने से वह बात जाती रहेगी।

मसअला :- औरत को हमल है तो जब तक शिकम में बच्चा हरकत न करे न फ़सद खुलवाये न फुन्चे लगवाये और बच्चा हरकत करने लगे तो फ़सद वग़ैरा करा सकती है मगर जब विलादत का ज़माना क़रीब आ जाये तो न कराये क्यूँकि बच्चे को नुक़सान पहुँचने का अन्देशा है हाँ अगर फ़सद न कराने में ख़ुद औरत ही को सख़्त नुक़सान पहुँचेगा तो करा सकती है। (आलमगीरी)

मसअला :- महीने की पहली से पन्द्रह तारीख़ों तक फुन्चे न लगवाये जायें पन्द्रहवी के बाद फुन्चे कराए ख़ुसूसन हफ़्ते का दिन इसके लिए ज़्यादा अच्छा है। (आलमगीरी)

मसअला :- शराब से ख़ारजी इलाज भी नजाएज़ है मसलन ज़ख़्म में शराब लगायी या किसी जानवर को ज़ख़्म है उस पर शराब लगायी… या बच्चे के इलाज में शराब का इस्तेमाल। इन सब में वह गुनाहगार होगा जिसने इसको इस्तेमाल कराया। (आलमगीरी)

मसअला :- उंगली में एक क़िस्म का फोड़ा निकलता है और उसका इलाज इस तरह किया जाता है कि जानवर का पित्ता उसकी उंगली में बांध दिया जाता है फ़तवा इस पर है कि ऐसा करना जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :- बाज़ वक़्त सूजन में आटा गूंध कर बांधा जाता है या लेई पकाकर बांधते है या कच्ची पक्की रोटी बांधते हैं ये जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :- इलाज के लिए हुक़्ना (एनीमा)करने यानी अमल देने में हर्ज नहीं

जबकि हुक़्ना ऐसी चीज का न हो जो हराम है मसलन शराब। (हिदाया)

मसअला :- बाज़ अमराज़ में मरीज़ को बेहोश करना पड़ता है ताकि गोश्त काटा जा सके या हड्डी वग़ैरा को जोड़ा जा सके या ज़ख़्म में टांके लगाये जायें इस ज़रूरत से दवा से बेहोश करना जाइज़ है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- हुक़्ना देने में बाज़ मरतबा उस जगह की तरफ़ नज़र करने या छूने की नौबत आती है .ज़रूरत के तहत ऐसा करना जाएज़ है। (ज़ैलई)

मसअला :- इस्क़ाते हमल (गर्भपात) के लिए दवा इस्तेमाल करना या दाई से हमल साक़ित कराना मना है बच्चे की सूरत बनी हो या न बनी हो दोनों का एक हुक्म है। हाँ अगर उज़्र हो मसलन औरत के शीरख़्वार (दूध पीता) बच्चा है और बाप के पास इतना नहीं कि दाई मुक़र्रर करे या दाई दस्तयाब नहीं होती और हमल से दूध .ख़ुश्क हो जायेगा और बच्चा हलाक होने का अन्देशा है तो इस मजबूरी से हमल साक़ित किया जा सकता है बशर्ते कि उसके आज़ा न बने हों और उसकी मुद्दत एक सौ बीस दिन है।

(रद्दुल मुहतार)

बीमार की दुआ

हज़रते अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में से जो बीमार हो तो उसे चाहिए कि यह दुआ पढ़े, अल्लाह के हुक्म से वह शिफ़ा पाएगा

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ
فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ
وَاغْفِرْ حُوْبَنَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَاءً
مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجَعِ -

लह्व व लइब का बयान

अल्लाह अज्ज़ा व जल्ला फ़रमाता है

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (پ ٢١ ع ١٠)

तर्जमा : कुछ लोग खेल की बात ख़रीदते हैं कि अल्लाह की राह से बहका दें बे समझे और उसे हसीं बना लें उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है (पारा 21 रुकू 10)

हदीस 1 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद और इब्ने माजा ने उक़्बा इब्ने आमिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जितनी चीज़ों से आदमी लह्व करता है सब बातिल हैं मगर कमान से तीर चलाना और घोड़े को अदब देना और बीवी के साथ मुलाअबत कि ये तीनों हक़ हैं

हदीस 2 :- इमाम अह़मद व मुस्लिम व अबू दाऊद व इब्ने माजा ने बुरीदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने नर्द व शेर खेला (शतरंज वग़ैरा खेल) गोया सुअर के गोश्त व ख़ून में अपना हाथ डाल दिया। दूसरी रिवायत अबू मूसा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी की।

हदीस 3 :- इमाम अह़मद ने अबू अब्दुल रह़मान ख़तमी रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स नर्द खेलता है फिर नमाज़ पढ़ने उठता है उसकी मिसाल उस शख़्स की तरह है जो पीप और सुअर के ख़ून से वुज़ू करके नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है।

हदीस 4 :- दैलमी ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया असहाबे शाह जहन्नम में से हैं जो ये कहते हैं कि मैंने तेरे बादशाह को मार डाला इससे मुराद शतरंज खेलने वाले जो बादशाह पर शह दिया करते हैं और मात करते हैं।

हदीस 5 :- बयहक़ी ने हज़रते अली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि वह फ़रमाते हैं शतरंज अजमियों का जुआ है और इब्ने शिहाब ने अबू मूसा अशअरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की वह कहते है कि शतरंज नहीं खेलेगा मगर ख़ताकार और उन्हीं से दूसरी रिवायत ये है कि वह बातिल से है और अल्लाह बातिल को दोस्त नहीं रखता।

हदीस 6 :- अबू दाऊद इब्ने माजा ने अबू हुरैरा से और इब्ने माजा ने अनस व उसमान रद़ियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को कबूतरी के पीछे भागते देखा फ़रमाया शैतान के पीछे पीछे शैतान जा रहा है

हदीस 7 :- तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चौपायों को लड़ाने से मना फरमाया।

हदीस 8 :- बज़्ज़ाज़ ने अनस रद़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो आवाज़ें दुनिया व आख़रत में मलऊन है। नग़मे के वक़्त बाजे की आवाज़ और मुसीबत के वक़्त रोने की।

हदीस 9 :- बयहक़ी ने जाबिर रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि गाने से दिल में निफ़ाक़ उगता है जिस तरह पानी से खेती उगती है।

हदीस 10 :- तबरानी ने इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गाने से और गाने सुनने से और ग़ीबत से और ग़ीबत सुनने से और चुग़ली करने से और चुग़ली सुनने से मना फ़रमाया।

हदीस 11 :- बयहक़ी ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने शराब और जुआ और कोबरा (ढोल) हराम किया और फ़रमाया हर नशे वाली चीज़ हराम है।

हदीस 12 :- अबू दाऊद ने हज़रते आइशा रद़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहतीं हैं मैं गुड़ियाँ खेला करती थी और कभी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ऐसे वक़्त तशरीफ़ लाते कि लड़कियाँ मेरे पास होतीं जब हुज़ूर तशरीफ़ लाते लड़कियाँ चली जातीं और जब हुज़ूर चले जाते लड़कियाँ आ जातीं।

हदीस 13 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रते आइशा रद़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कहती है मैं नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम के यहाँ गुड़ियों से खेला करती थी और मेरे साथ चन्द दूसरी लड़कियाँ भी खेलतीं जब हुज़ूर तशरीफ़ लाते वह छुप जाती हुज़ूर उनको मेरे पास भेज देते वह मेरे पास आकर खेलने लगतीं।

हदीस 14 :- अबू दाऊद ने हज़रते आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़ज़वए तबूक या ख़ैबर से तशरीफ़ लाये और उनके ताक़ पर गुड़ियाँ थीं और पर्दा पड़ा हुआ था, हवा चली और पर्दे का किनारा हट गया। हज़रते आइशा की गुड़ियाँ दिखायी दीं। हुज़ूर ने फ़रमाया आइशा ये क्या है। अर्ज़ की मेरी गुड़ियाँ हैं। उन गुड़ियों के दरमियान एक घोड़ा था जिसके दो बाज़ू थे। हुज़ूर ने उस घोड़े की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया कि गुड़ियों के बीच में ये क्या है। अर्ज़ की ये घोड़ा है। इरशाद फ़रमाया घोड़े के ये क्या हैं। अर्ज़ की ये घोड़े के बाज़ू हैं। इरशाद फ़रमाया घोड़े के बाज़ू ? हज़रते आइशा ने अर्ज़ की क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के बाज़ू थे। हुज़ूर ने ये सुनकर तबस्सुम फ़रमाया।

मसअला :- नौबत बजाना अगर तफ़ाख़ुर (फ़ख़्र के तौर पर) के लिए हो तो नाजाएज़ है और अगर लोगों को उससे मुतानब्बा (आगाह करना) करना मक़सूद हो और नफ़्ख़ाते सूर याद दिलाने के लिए हो यानी यह बात याद दिलाना चाहता है कि क़ियामत आने से पहले सूर फूंका जाएगा तो तीन वक़्तों में नौबत बजाने की इजाज़त है। बादे अस्र, बादे इशा और आधी रात के बाद कि इन वक़्तों में नौबत को नफ़्ख़े सूर से मुशाबहत है (दुर्रे मुख़्तार) यह नियत बहुत अच्छी है अगर नौबत बजाने वाले को इसका ध्यान हो और काश सुनने वाले को भी नौबत की आवाज़ सुनकर नफ़्ख़ाते सूर याद आये मगर इस ज़माने में ऐसे लोग कहाँ। यहाँ तो नौबत से मक़सूद धूम–धाम और शादी ब्याह की रौनक़ व ज़ीनत है।

मसअला :- ईद के दिन और शादियों में दफ़ बजाना जाएज़ है जबकि सादे दफ़ हों इसमें झांज न हों और क़वाएदे मूसिक़ी (संगीत के नियमों) पर न बजाये जायें यानी महज़ ढप ढप को बे सुरी आवाज़ से निकाह का ऐलान मक़सूद हो। (रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअला :- लोगों को बेदार करने और ख़बरदार करने के इरादे से बिगुल बजाना जाएज़ है जैसे हमाम में बिगुल इसलिए बजाते हैं कि लोगों को इत्तेला हो जाये कि हमाम खुल गया। रमज़ान शरीफ़ में सैरी खाने के वक़्त बाज़ शहरों में नक़्क़ारे बजाते हैं जिनसे ये मक़सूद होता है कि लोग सहरी खाने के लिए बेदार हो जायें और उन्हें मालूम हो जाये कि अभी सहरी का वक़्त बाक़ी है ये जाएज़ है कि ये सूरत लह्व व लइब में दाख़िल नहीं (दुर्रे मुख़्तार) इसी तरह

कारख़ानों में काम शुरू होने के वक़्त और ख़त्म के वक़्त सीटी बजा करती है ये जाएज़ है कि लह्व मक़सूद नहीं बल्कि इत्तेला देने के लिए ये सीटी बजायी जाती है। इसी तरह रेल गाड़ी की सीटी से भी मक़सूद यही होता है कि लोगों को मालूम हो जाये कि गाड़ी छूट रही है या इसी क़िस्म के दूसरे सही मक़सद के लिए सीटी दी जाती है ये भी जाएज़ है।

मसअला :- गंजफ़ा चौसर खेलना नाजाएज़ है शतरंज का भी यही हुक्म है इसी तरह लह्व व लइब की जितनी क़िस्में हैं सब बातिल हैं सिर्फ़ तीन क़िस्म के लह्व की हदीस में इजाज़त है बीवी से मुलाअबत और घोड़े की सवारी और तीरन्दाज़ी करना।

(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :- नाच ताली बजाना सितार एकतारा, दोतारा, हारमोनियम, चंग, तम्बूरा बजाना इसी तरह दूसरे क़िस्म के बाजे सब नाजाएज़ हैं।

(रद्दुल मुह्तार)

मसअला :- मुतासव्वेफ़ा (मौजूदा सूफ़ी व पीर फ़क़ीर) आजकल मज़ामीर क़व्वाली के साथ सुनते हैं और कभी उछलते कूदते हैं और नाचने लगते है इस क़िस्म का गाना बजाना नाजाएज़ है ऐसी महफ़िल में जाना और वहाँ बैठना नाजाएज़ है, मशाइख़ से इस क़िस्म के गाने का कोई सबूत नहीं जो चीज़ मशाइख़ से साबित है वह फ़क़त ये है कि अगर कभी किसी ने उनके सामने कोई शेर पढ़ दिया जो उनके हाल व कैफ़ के मुवाफ़िक़ है तो उन पर कैफ़ियत व रिक़्क़त तारी हो गई और बेख़ुद होकर खड़े हो गये और इस हाले वारफ़्तगी में उनसे हरकते ग़ैर इख़्तियारिया सादिर हुए इसमें कोई हर्ज नहीं। मशाइख़ व बुज़ुर्गाने दीन के अहवाल और इन मुतासव्वेफ़ा के हाल व क़ाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क़ है यहाँ मज़ामीर के साथ महफ़िलें मुनक़्क़द की जाती हैं जिनमें फ़ुस्साक़ व फ़ुज्जार इकट्ठे होते हैं, नाअहलों का मजमा होता है, गाने वालों में अकसर बेशरा होते हैं तालियाँ बजाते और मज़ामीर के साथ गाते हैं और ख़ूब उछलते नाचते थिरकते हैं और उसका नाम हाल रखते हैं इन हरकात को सूफ़ियाए किराम के अहवाल से क्या निसबत ? यहाँ सब चीजें इख़्तियारी हैं वहाँ बेइख़्तेयारी थीं।

(अलमगीरी)

मसअला :- कबूतर पालना अगर उड़ाने के लिए न हो तो जाएज़ है और अगर कबूतरों को उड़ाता है तो नाजाएज़ कि ये भी एक क़िस्म का लह्व है और अगर कबूतर उड़ाने के लिए छत पर चढ़ता है जिससे लोगों की बेपर्दिगी होती है या

उड़ाने में कंकरियाँ फेंकता है जिन से लोगों के बर्तन टूटने का अन्देशा है तो उसको सख़्ती से मना किया जायेगा और सज़ा दी जायेगी और उस पर भी न माने तो हुकूमत की जानिब से उसके कबूतर ज़िबाह करके उसे दे दिये जायें ताकि उड़ाने का सिलसिला ही मुनक़ता हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- जानवरों को लड़ाना मसलन मुर्ग़, बटेर, तीतर, मेंढे और भैंसें वग़ैरा कि इन जानवरों को बाज़ लोग लड़ाते हैं। ये हराम है और उसमें शिरकत करना या उसका तमाशा देखना भी नाजायज़ है

मसअला :- आम के ज़माने में नौ रोज़ करने नौजवान लड़के बागों में जाते हैं और बाद में छिलके गुठली से खेलते हैं इसमें हर्ज नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :- कुश्ती लड़ाना अगर लह्व व लइब के तौर पर न हो बल्कि इसलिए हो कि जिस्म में .कुव्वत आये और कुफ्फ़ार से लड़ने में काम दे ये जाएज़ व मुस्तहसन व कारे सवाब है। बर्शते ये कि सतर पोशी के साथ हो। आजकल बरहना होकर सिर्फ़ एक लगोंट या जांगिया पहन कर लड़ते हैं कि सारी राने खुली होती हैं ये नाजाएज़ है। हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रुकाना से कुश्ती लड़ी और तीन मरतबा पछाड़ा क्यूँकि रुकाना ने ये कहा था कि अगर आप मुझे पछाड़ दें तो ईमान लाऊँगा फिर ये मुसलमान हो गये। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- हसीं मज़ाक़ में अगर बेहूदा बातें गाली गलौज और किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना न हो महज़ पुरलुत्फ़ और दिल को .खुश करने वाली बातें हो जिनसे अहले मजलिस को हसीं आये और .ख़ुश हों इसमें हर्ज नहीं (आलमगीरी)

बादल गरजने पर पढ़ने की दुआ

हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बादलों की गरज और बिजली की कड़क के वक़्त यह फ़रमाते। (तिर्मिज़ी)

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

अशआर का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا (پ۱۹ رکوع۱۵)

तर्जमा : और शायरों की पैरवी गुमराह करते हैं क्या तुने न देखा कि वह हर नाले में भटकते फिरते हैं और वह कहते हैं जो नहीं करते मगर वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और बकसरत अल्लाह की याद की और बदला लिया उसके बाद कि उन पर ज़ुल्म हुआ यानी उनके लिए वह हुक्म नहीं। (पारा 19 रुकू 15)

हदीस 1 :- सही बुख़ारी में उबई इब्ने कअब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बाज़ अशआर हिकमत हैं।

हदीस 2 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में बरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हे कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हस्सान इब्ने साबित रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से फ़रमाया कि मुशरेकीन की हिजौ (बुराई बयान करना) करो जिब्राईल तुम्हारे साथ हैं और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हस्सान से फ़रमाते तुम मेरी तरफ़ से जवाब दो इलाही तू रूहुल .कुदुस (हज़रते जिब्रील अ़लैहिस्सलाम का लक़ब) से हस्सान की ताईद फ़रमा।

हदीस 3 :- सही मुस्लिम में हज़रते आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को हस्सान से ये फ़रमाते सुना कि रूहे मुक़द्दस हमेशा तुम्हारी ताईद में है जब तक तुम अल्लाह व रसूल की तरफ़ से मुदाफ़ेअत करते रहोगे।

हदीस 4 :- दारक़ुतनी ने हज़रते आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास शेर का ज़िक्र आया। हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया वह एक कलाम है अच्छा है तो अच्छा है और बुरा है तो बुरा।

हदीस 5 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया आदमी का पेट पीप से भर जाये जो उसे फ़ासिद कर दे ये बेहतर है उससे कि शेर से भरा हुआ।

हदीस 6 :- सही मुस्लिम में अबू सईद .ख़ुदरी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के हमराह अर्ज (एक जगह का नाम) में जा रहे थे। एक शायर शेर पढ़ता हुआ सामने आया। हुज़ूर ने फ़रमाया शैतान को पकड़ो आदमी का जौफ़ (पेट) पीप से भरा हो ये उससे बेहतर है कि शेर से भरा हो।

हदीस 7 :- इमाम अह़मद ने सअद इब्ने अबी वक़्क़ास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़ियामत क़ायम न होगी जब तक ऐसे लोग ज़ाहिर न हों जो अपनी .ज़ुबानों के ज़रिये से खायेंगे जिस तरह गाय अपनी ज़बान से खाती है यानी इनका ज़रियाए रिज़्क़ लोगों की तारीफ़ व म़ज़म्मत करना है और उसमें हक़ व नाहक़ का बिल्कुल ख़याल न करेंगे जिस तरह गाय इसका ख्याल नहीं करती है कि ये चीज़ मुफ़ीद है या मुज़िर जो चीज़ ज़बान के सामने आ गयी खा गई।

इन अहादीस से ये मालूम हुआ कि अशआर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी अगर अल्लाह व रसूल की तारीफ़ के अशआर हों या इनमें हिकमत की बातें हों अच्छे अख़्लाक़ की तालीम हो तो अच्छे हैं और अगर लग्व व बातिल पर मुश्तमिल हों तो बुरे हैं और चूंकि अकसर शोअरा ऐसे ही बेतुकी हांकते हैं इस वजह से उनकी मज़म्मत की जाती है।

मसअला :- जो अशआर मुबाह हों उनके पढ़ने में हर्ज नहीं। अशआर में अगर किसी मख़सूस औरत के औसाफ़ का ज़िक्र हो और वह ज़िन्दा हो तो पढ़ना मकरूह है और मर चुकी हो या ख़ास औरत का ज़िक्र न हो तो पढ़ना जाएज़ है। शेर में लड़के का ज़िक्र हो तो वही हुक्म है जो औरत के मुताल्लिक़ अशआर का है। (आलमगीरी)

मसअला :- अशआर के पढ़ने से अगर ये मक़सूद हो कि उनके ज़रिये से तफ़सीर व हदीस में म़दद मिले यानी अरब के मुहावरात और उसलूबे कलाम पर मुत्तेला हों जैसा कि शोअराए जाहिलियत के कलाम से इस्तेदलाल किया जाता है इसमें कोई हर्ज नहीं। (आलमगीरी)

झूट का बयान

झूट ऐसी बुरी चीज़ है कि हर मज़हब वाले इसकी बुराई करते हैं, हर मज़हब में यह हराम है। इसलाम ने इससे बचने की बहुत ताकीद की। क़ुरआन मजीद में बहुत जगह जगह इसकी मज़म्मत फ़रमाई और झूट बोलने वालों पर ख़ुदा की लानत आयी। हदीसों में भी इसकी बुराई ज़िक्र की गयी इसके मुताल्लिक़ बाज़ अहादीस ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस 1 :- सही बुख़ारी में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सिद्क़ (सच बोलना) को लाज़िम कर लो क्यूँकि सच्चाई नेकी की तरफ़ जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक़ (सच्चा) लिख दिया जाता है और आदमी बराबर झूट बोलता रहता है और झूट बोलने की कोशिश करता है यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक कज़्ज़ाब (झूटा) लिख दिया जाता है।

हदीस 2 :- तिर्मिज़ी ने अनस रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स झूट बोलना छोड़ दे और वह बातिल है (यानी झूट छोड़ने की चीज़ ही है) उसके लिए जन्नत के किनारे में मकान बनाया जायेगा और जिसने झगड़ा करना छोड़ा और वह हक़ पर है यानी बावुजूद हक़ पर होने के झगड़ा नहीं करता उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जायेगा और जिसने अपने अख़्लाक़ अच्छे किये उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जायेगा।

हदीस 3 :- तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बन्दा जब झूट बोलता है उसकी बदबू से फ़रिश्ते एक मील दूर हो जाते हैं।

हदीस 4 :- अबू दाऊद ने सुफ़यान इब्ने असद हज़रमी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को ये फ़रमाते सुना कि बड़ी ख़यानत की ये बात है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वह तुझे इस बात में सच्चा जान रहा है और तू उससे झूट बोल रहा है।

हदीस 5 :- इमाम अहमद व बयहक़ी ने अबू उमामा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मोमिन की तबा में तमाम ख़सलतें हो सकती है मगर ख़यानत और झूट यानी ये दोनों चीज़ें ईमान के ख़िलाफ़ है। मोमिन को इनसे दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।

हदीस 6 :- इमाम मालिक व बयहक़ी ने सफ़वान इब्ने सुलैम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मोमिन बुज़दिल होता है। फ़रमाया हाँ — फिर अर्ज़ की गयी क्या मोमिन बख़ील (कंजूस) होता है। फ़रमाया हाँ — फिर कहा गया क्या मोमिन कज़्ज़ाब (झूटा) होता है फ़रमाया नहीं।

हदीस 7 :- इमाम अह़मद ने हज़रते अबूबक्र रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया झूट से बचो क्यूँकि झूट ईमान से मुख़ालिफ़ है।

हदीस 8 :- इमाम अह़मद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बन्दा पूरा मोमिन नहीं होता जब तक मज़ाक़ में भी झूट को न छोड़ दे और झगड़े करना न छोड़ दे अगरचे सच्चा हो।

हदीस 9 :- इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व दारमी ने बरवायत बहज़ इब्ने हकीम अन अबीहे अन जद्देही रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हलाकत है उसके लिए जो बात करता है और लोगों को हंसाने के लिए झूट बोलता है, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है।

हदीस 10 :- बयहक़ी ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बन्दा बात करता है और महज़ इसलिए करता है कि लोगों को हंसाये उसकी वजह से जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो आसमान व ज़मीन के दर्मियान के फ़ासले से ज़्यादा है और ज़ुबान की वजह से जितनी लग़ज़िश (ख़ता) होती है वह उससे कहीं ज़्यादा है जितनी क़दम से लग़ज़िश होती है।

हदीस 11 :- अबू दाऊद व बयहक़ी ने अबदुल्लाह इब्ने आमिर रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि

वसल्लम हमारे मकान में तशरीफ़ फ़रमा थे मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि आओ दूंगी। हुज़ूर ने फ़रमाया क्या देने का इरादा है। उन्होंने कहा खजूर दूंगी। इरशाद फ़रमाया अगर तू कुछ न देती तो ये तेरे ज़िम्मे झूट लिखा जाता।

हदीस 12 :- बयहक़ी ने अबू बरज़ह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया झूट से मुँह काला होता है और चुग़ली से क़ब्र का अज़ाब है।

हदीस 13 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मे कुलसूम रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया वह शख़्स झूटा नहीं है जो लोगों के दरमियान इस्लाह करता है, अच्छी बात कहलाता है और अच्छी बात पहुँचाता है यानी एक की तरफ़ से दूसरे के पास अच्छी बात कहता है जो बात उसने नहीं कहीं है वह कहता है मसलन उसने तुम्हें सलाम कहा है, तुम्हारी तारीफ़ करता था।

हदीस 14 :- तिर्मिज़ी ने असमा बिन्ते यज़ीद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया झूट कहीं ठीक नहीं मगर तीन जगहों में 1. मर्द अपनी औरत को राज़ी करने के लिए बात करे 2. और लड़ाई में झूट बोलना 3. और लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूट बोलना।

मसअला :- तीन सूरतों में झूट बोलना जाएज़ है यानी इसमें गुनाह नहीं —— एक जंग की सूरत में कि यहाँ अपने मुक़ाबिल को धोका देना जाएज़ है इसी तरह जब ज़ालिम ज़ुल्म करना चाहता हो उसके ज़ुल्म से बचने के लिए भी जाएज़ है। दूसरी सूरत ये है कि दो मुसलमानों में इख़्तेलाफ़ है और ये उन दोनों में सुलह कराना चाहता है मसलन एक के सामने ये कह दे कि वह तुम्हें अच्छा जानता है तुम्हारी तारीफ़ करता था या उसने तुम्हें सलाम भेजा है और दूसरे के पास भी इसी क़िस्म की बातें करे कि उन दोनों में अदावत कम हो जाये और सुलह हो जाये। तीसरी सूरत ये है कि बीवी को ख़ुश करने के लिए कोई बात ख़िलाफ़े वाक़िया कह दे। (आलमगीरी)

मसअला : तौरिया यानी लफ़्ज़ के जो ज़ाहिरी माअनी हैं वह ग़लत हैं मगर उसने दूसरे माअनी मुराद लिए जो सही हैं ऐसा करना बिला हाजत जाइज़ नहीं और हाजत हो तो जाएज़ है। तौरिया की मिसाल ये है कि तुमने किसी को खाने के लिए बुलाया वह कहता है मैंने खा लिया इसके ज़ाहिर मअनी ये हैं कि इस

वक़्त का खाना खा लिया है मगर वह ये मुराद लेता है कि कल खाया है ये भी झूट में दाख़िल है। (आलमगीरी)

मसअला : इहयाये हक़ के लिए तौरिया जाएज़ है मसलन शफ़ीअ (यानी बिकने वाली जाएदाद का पड़ोसी) को रात में जाएदादे मश्फ़ूअ (यानी शफ़ीअ के बराबर की बिकने वाली जाएदाद) के बिकने का इल्म हुआ और उस वक़्त लोगों को गवाह न बना सकता हो तो सुबह को गवाहों के सामने यह कह सकता है कि मुझे बिकने का इस वक़्त इल्म हुआ। (नोट : शरीअत में यह क़ानून है कि जिसकी जायदाद बिक रही हो तो पड़ोसी को ख़रीदने का पहला हक़ है। पहले हिन्दुस्तान में भी यह क़ानून था अब ख़त्म हो गया है) दूसरी मिसाल यह है कि लड़की को रात को हैज़ आया और उसने ख़्यारे बलूग़ (जिस नाबालिग़ लड़की की शादी बाप और दादा के अलावा दूसरे ने की तो बालिग़ होते ही लड़की चाहे तो उस निकाह को ख़त्म कर सकती है इसको ख़्यारे बलूग़ कहते हैं) के तौर पर निकाह ख़त्म करने का फ़ैसला किया मगर गवाह कोई नहीं है तो सुबह को लोगों के सामने यह कह सकती है कि मैंने इस वक़्त ख़ून देखा।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :- जिस अच्छे मक़सद को सच बोल कर भी हासिल किया जा सकता है अगर झूट बोल कर भी हासिल कर सकता हो उसके हासिल करने के लिए झूट बोलना हराम है और अगर झूट से हासिल कर सकता हो सच बोलने में हासिल न हो सकता हो तो बाज़ सूरतों में किज़्ब (झूट) भी मुबाह है बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब हैं जैसे किसी बेगुनाह को ज़ालिम क़त्ल करना चाहता है या ईज़ा देना चाहता है वह डर से छुपा हुआ है। ज़ालिम ने किसी से दरयाफ़्त किया कि वह कहाँ है यह कह सकता है मुझे मालूम नहीं अगरचे जानता हो या किसी की अमानत उसके पास है कोई उसे छीनना चाहता है पूछता है कि अमानत कहाँ है। ये इन्कार कर सकता है कह सकता है कि मेरे पास उसकी अमानत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- किसी ने छुपकर बेहयाई का काम किया है उससे दरयाफ़्त किया गया कि तूने ये काम किया वह इन्कार कर सकता है क्योंकि ऐसे काम को लोगों के सामने ज़ाहिर कर देना ये दूसरा गुनाह होगा इसी तरह अगर अपने मुसलमान भाई के भेद को जान जाए तो उसके बयान करने से भी इन्कार कर सकता है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- अगर सच बोलने में फ़साद पैदा होता है तो उस सूरत में भी झूट

ोलना जाएज़ है और अगर झूट बोलने में फ़साद होता है तो हराम है और अगर ाक हो मालूम नहीं कि सच बोलने में फ़साद होगा या झूट बोलने में जब भी ूट बोलना हराम है।

(रद्दुल मुहतार)

सअला :- जिस क़िस्म के मुबालग़े का आदतन रिवाज है लोग उसे मुबालग़े ी पर महमूल करते हैं उसके हक़ीक़ी मअनी मुराद नहीं लेते वह झूट में ाख़िल नहीं। मसलन ये कहा कि मैं तुम्हारे पास हज़ार मरतबा आया तुमसे ज़ार मरतबा यह कहा। यहाँ हज़ार का अदद मुराद नहीं बल्कि कई मरतबा ाना और कहना मुराद है ये लफ़्ज़ ऐसे मौक़े पर नहीं बोला जायेगा कि एक ी मरतबा आया हूँ या एक ही मरतबा कहा हुआ और अगर एक मरतबा आया ौर ये कह दिया कि हज़ार मरतबा आया तो झूटा है। (रद्दुल मुहतार)

सअला :- तारीज़ (तफ़रीह) की बाज़ सूरतें जिनमें लोगों का दिल ख़ुश रना और मज़ाक़ मक़सूद हो जाएज़ है जैसा कि हदीस में फ़रमाया कि न्नत में बुढ़िया नहीं जायेगी या मैं तुझे ऊँटनी के बच्चे पर सवार कराऊँगा।

(रद्दुल मुहतार)

सय्यदुल इस्तिग़फ़ार

हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जो मुसलमान यक़ीने क़ल्ब के साथ दिन में इस दुआ को पढ़ लेगा अगर उस दिन शाम से पहले मरेगा तो जन्नती होगा और अगर रात में पढ़ लेगा और सुबह से पहले मरेगा तो जन्नती होगा इस दुआ का नाम सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है जो यह है :-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

ज़बान को रोकना और गाली गलौज ग़ीबत और चुग़ली से परहेज़ करना

हदीस न. 1 :- सही बुख़ारी में सहल इब्ने सअद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स मेरे लिए उस चीज़ का ज़ामिन हो जाये जो उसके जबड़ों के दरमियान में है यानी .ज़बान का और उसका जो उसके दोनों पाँव के दरमियान में है यानी शर्मगाह का मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ यानी .ज़बान और शर्मगाह को ममनूआत से बचाने पर जन्नत का वायदा है।

हदीस न. 2 :- सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बन्दा अल्लाह तआ़ला की .ख़ुशनूदी की बात बोलता है और उसकी तरफ़ तवज्जो भी नहीं करता यानी ये ख़्याल भी नहीं करता कि अल्लाह तआ़ला इतना .ख़ुश होगा। अल्लाह तआ़ला उसको दर्जों बलन्द करता है और बन्दा अल्लाह तआ़ला की नाख़ुशी की बात बोलता है और उसकी तरफ़ ध्यान नहीं धरता यानी उसके ज़हन में ये बात नहीं होती कि अल्लाह तआ़ला उससे इतना नाराज़ होगा उस कलिमे की वजह से जहन्नम में गिरता है और बुख़ारी व मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो मशरिक़ व मग़रिब के फ़ासले से भी ज़्यादा है।

हदीस न. 3 :- तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो चीज़ इन्सान को सब से ज़्यादा जन्नत में दाख़िल करने वाली है वह तक़्वा और हुस्ने .ख़ुल्क़ (अच्छा अख़लाक़) है और जो चीज़ इन्सान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली है वह दो जौफ़दार (खुक्कल) चीज़े हैं मुँह और शर्मगाह।

हदीस न. 4 :- इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व दारमी व बयहक़ी ने अबदुल्लाह इब्ने अम्र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो चुप रहा उसे नेजात है।

हदीस न. 5 :- इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने उक़बा इब्ने आमिर रदि़यल्लाहु

तआला अन्हु से रिवायत की कहते है मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की नेजात क्या है। इरशाद फ़रमाया अपनी .ज़बान पर काबू रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे (यानी बेकार का इधर उधर न जाओ) और अपनी ख़ता पर गिरया करो।

हदीस न. 6 :- तिर्मिज़ी ने अबू सईद .ख़ुदरी रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि इब्ने आदम जब सुबह करता है तो तमाम आज़ा .ज़बान के सामने आजिज़ाना ये कहते हैं कि तू .ख़ुदा से डर कि हम सब तेरे साथ वाबस्ता हैं अगर तू सीधी रही तो हम सब सीधे रहेंगें और तू टेढ़ी हो गयी तो हम सब टेढ़े हो जायेगें।

हदीस न. 7 :- इमाम मलिक व अहमद ने हज़रते अली इब्ने हुसैन रद़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से और इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से और तिर्मिज़ी और बयहक़ी ने दोनों से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आदमी के इसलाम की अच्छाई में से ये है कि लायानी चीज़ छोड़ दे यानी जो चीज़ कारामद न हो उसमें न पड़े ज़बान व दिल व जवारेह (हाथ पाँव वग़ैरह) को बेकार बातों की तरफ़ मुतावज्जे न करे।

हदीस न. 8 :- तिर्मिज़ी ने सुफ़यान इब्ने अब्दुल्लाह सक़फ़ी रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मुझ पर ख़ौफ़ है यानी किसके ज़रर का ज़्यादा अन्देशा है हुज़ूर ने अपनी ज़बान पकड़ कर फ़रमाया ये है।

हदीस न. 9 :- बयहक़ी ने शोबुल ईमान में इमरान इब्ने हत्तान से रिवायत की कहते हैं मैं अबू ज़र रद़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया। उन्हें काली कमली ओढ़े हुए मस्जिद में तन्हा बैठे हुए देखा। मैंने कहा अबू ज़र ये तन्हाई कैसी। उन्होंने कहा मैंनें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि तन्हाई अच्छी है बुरे हम-नशीन से और नशीन सालेह तन्हाई से बेहतर है (यानी तन्हाई अच्छी है बुरे के साथ रहने से और अच्छे के साथ रहना तन्हाई में रहने से बेहतर है) और अच्छी बात बोलना ख़ामोशी से बेहतर है और बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है।

हदीस न. 10 :- बयहक़ी ने इमरान इब्ने हुसैन रद़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया

कि सुकूत पर कायम रहना (यानी ख़ामोश रहना) साठ बरस की इबादत से अफ़ज़ल है।

हदीस न. 11 :- बयहक़ी ने अबू ज़र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे वसीयत फ़रमायें। इरशाद फ़रमाया मैं तुमको तक़वा की वसीयत करता हूँ कि उससे तुम्हारे सब काम आरास्ता हो जायेंगे। मैंने अर्ज़ की और वसीयत फ़रमायें। फ़रमाया तिलावते .क़ुरआन और ज़िक्रुल्लाह को लाज़िम कर लो कि इसकी वजह से तुम्हारा ज़िक्र आसमान में होगा और ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर होगा। मैंने कहा और वसीयत फ़रमायें। इरशाद फ़रमाया ज़्यादतीए ख़ामोशी को लाज़िम कर लो कि इससे शैतान दफ़ा होगा और तुम्हें दीन के कामों में मदद देगी। अर्ज़ की और वसीयत कीजिये। फ़रमाया ज़्यादा हंसने से बचो कि ये दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरे के नूर को दूर करता है। मैंने कहा और वसीयत कीजिये। फ़रमाया हक़ बोलो अगरचे कड़वा हो। मैंने कहा और वसीयत कीजये। फ़रमाया कि अल्लाह के बारे में मलामत (बुराई करना) करने वाले की मलामत से न डरो (यानी जो अल्लाह की बुराई करे उसे बुरा क़हने से मत डरो) मैंनें कहा और वसीयत कीजिये। फ़रमाया कि तुम को दूसरे लोगों से रोके वह चीज़ जो तुम अपने नफ़्स से जानते हो यानी जो अपने ऐबों की तरफ़ नज़र रखेगा दूसरे के ऐबों में न पड़ेगा और काम की बात ये है कि अपने ऐब पर नज़र की जाये ताकि उसके ख़त्म करने की कोशिश की जाये।

हदीस न. 12 :- बैहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अबू ज़र क्या मैं तुमको ऐसी दो बातें न बताऊँ जो पीठ पर हल्की हैं और मीज़ान में भारी हैं। उन्होंने कहा हाँ। इरशाद फ़रमाया ज़्यादा ख़ामोश रहना और ख़ूबीए अख़लाक़। क़सम है उसकी जिसके हाथ मेरी जान है तमाम मख़लूक़ात ने इनकी मिस्ल पर अमल नहीं किया यानी इनकी मिस्ल कोई चीज़ नहीं जिस पर अमल किया जाये।

हदीस न. 13 :- इमाम मालिक ने असलम से रिवायत की कि एक दिन हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास गये और हज़रत सिद्दीक़े अकबर अपनी .ज़बान पकड़कर खींच रहे थे। हज़रते उमर ने अर्ज़ की क्या बात है अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे।

हज़रते सिद्दीक़ ने फ़रमाया इसी ने मुझे महालिक (हलाकत) में डाला है।

हदीस न. 14 :- इमाम अहमद व बैहक़ी ने उबादा इब्ने सामित रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मेरे लिए छः चीज़ों के ज़ामिन हो जाओ मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ज़िम्मेदार होता हूँ :–

1. जब बात करो सच बोलो।
2. जब वादा करो उसे पूरा करो।
3. जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाये उसे अदा करो।
4. अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करो।
5. अपनी निगाहें नीची रखो।
6. अपने हाथों को रोको यानी हाथ से किसी को ईज़ा न पहुँचाओ।

हदीस न. 15 :- तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन न तअन करने वाला होता है, न लानत करने वाला, न फ़ोहश बकने वाला होता है।

हदीस न. 16 :- तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मोमिन को ये न चाहिए कि लानत करने वाला हो।

हदीस न. 17 :- सही मुस्लिम में अबू दरदा रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते है मैंनें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना है कि जो लोग लानत करते हैं वह क़ियामत के दिन न गवाह होगें न किसी के सिफ़ारिशी।

हदीस न. 18 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने सुमराह इब्ने जुनदब रद़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह की लानत व ग़ज़ब और जहन्नम के साथ आपस में लानत न करो।

हदीस न. 19 :- अबू दाऊद ने अबू दरदा रद़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कहते है मैंनें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते सुना कि जब बन्दा किसी चीज़ पर लानत करता है तो वह लानत आसमान को जाती है आसमान के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं फिर ज़मीन पर उतारी जाती हैं उसके दरवाज़े भी बन्द कर दिये जाते हैं फिर दायें बायें जाती है जब

कहीं रास्ता नहीं पाती तो उसकी तरफ़ आती है जिस पर लानत भेजी गयी अगर उसे उसका अहल पाती है तो उस पर पड़ती है वरना भेजने वाले पर आ जाती है।

हदीस न. 20 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद मे इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कि एक शख़्स की चादर को हवा के तेज़ झोंके लगे उसने हवा पर लानत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हवा पर लानत न करो कि वह .ख़ुदा की तरफ़ मामूर है और जो शख़्स ऐसी चीज़ पर लानत करता है जो लानत की अहल न हो तो लानत उसी पर लौट आती है।

हदीस न. 21 :- तिर्मिज़ी ने उबई रद्वियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हवा को गाली न दो और जब देखो कि तुम्हें बुरी लगती है तो ये कहो कि इलाही मैं इसकी ख़ैर का सवाल करता हूँ और जो कुछ इसमें ख़ैर है और जिस ख़ैर का इसे हुक्म हुआ और मैं इसके शर से पनाह मागँता हूँ और जो कुछ इसमें शर है और उसके शर से जिसका इसे हुक्म हुआ।

हदीस न. 22 :- सही मुस्लिम में जाबिर रद्वियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपनी सवारी के जानवर पर लानत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इससे उतर जाओ हमारे साथ में मलऊन चीज़ को लेकर न चलो। अपने ऊपर और अपनी औलाद व अमवाल पर बद्दुआ न करो कहीं ऐसा न हो कि ये बद्दुआ उस साअत में हो जिसमें जो दुआ .ख़ुदा से की जाये क़बूल होती है।

हदीस न. 23 :- तबरानी ने साबित इब्ने ज़हाक अनसारी रद्वियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मोमिन पर लानत करना उसके क़त्ल की मिस्ल है और जो शख़्स मोमिन मर्द या औरत पर कुफ़्र की तोहमत लगाये तो ये उसके क़त्ल की मिस्ल है।

हदीस न. 24 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपने भाई को काफ़िर कहे तो उस कलिमे के साथ दोनों में से एक लौटेगा यानी ये कलिमा दोनों में से एक पर पड़ेगा।

हदीस न. 25 :- सही बुख़ारी में अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स दूसरे

को फ़िस्क़ और कुफ़्र की तोहमत लगाये और वह ऐसा न हो तो इस कहने वाले पर लौटता है।

हदीस न. 26 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू ज़र रद्वियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स किसी को काफ़िर कहकर बुलाये या दुश्मने ख़ुदा कहे और वह ऐसा नहीं है तो इसी कहने वाले पर लौटेगा।

हदीस न. 27 :- बुख़ारी व मुस्लिम व अह़मद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद्वियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुस्लिम से गाली गलौज करना फ़िस्क़ है और उससे क़िताल कुफ़्र है।

हदीस न. 28 :- सही मुस्लिम में अनस व अबू हुरैरा रद्वियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो शख़्स गाली गलौज करने वाले, उन्होंने जो कुछ कहा सबका वबाल उसके ज़िम्में है जिसने शुरू किया है जब तक मज़लूम तजावुज़ न क़रे यानी जितना पहले से कहा उसमें ज़्यादा न कहे।

हदीस न. 29 :- तबरानी ने समुरह रद्वियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर कोई किसी को बुरा भला कहना ही चाहता है तो न उस पर इफ़तेरा करे न उसके वालिदैन को गाली दे न उसकी क़ौम को गाली दे हाँ अगर उसमें ऐसी बात है जो उसके इल्म में है तो यूँ कहे कि तू बख़ील है या तू बुज़दिल है या तू झूटा है या बहुत सोने वाला है।

हदीस न. 30 :- इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अनस रद्वियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़हश जिस चीज़ में होगा उसे ऐबदार कर देगा और हया जिस में होगी उसे आरास्ता कर देगी।

हदीस न. 31 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा रद्वियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआ़ला के नज़दीक क़ियामत के दिन सब लोगों में बदतर मरतबा उसका है कि उसके शर से बचने के लिए लोगों ने उसे छोड़ दिया हो और एक रिवायत में है कि उसके फ़हश से बचने के लिए छोड़ दिया हो।

हदीस न. 32 :- बुख़ारी व मुस्लिम व अहमद व अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते है कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया इब्ने आदम मुझे ईज़ा (तकलीफ़) देता है कि दहर (ज़माना) को बुरा कहता है दहर तो मैं हूँ मेरे हाथ में सब काम है रात और दिन को मैं बदलता हूँ यानी ज़माने को बुरा कहना अल्लाह को बुरा कहना है कि ज़माने में जो कुछ होता है वह सब अल्लाह तआला की तरफ़ से होता है।

हदीस न. 33 :- सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स ये कहे कि सब लोग हलाक हो गये तो सबसे ज़्यादा हलाक होने वाला ये है यानी जो शख़्स तमाम लोगों को गुनाहगार और मुस्तहके़ नार (जहन्नम में जाने के क़ाबिल) बताये तो सबसे बढ़कर गुनाहगार वह .खुद है।

हदीस न. 34 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सबसे ज़्यादा बुरा क़ियामत के दिन उसको पाओगे जो किसी से कुछ किसी से कुछ कहे यानी दो-रूख़ा आदमी कि इनके पास एक मुँह से आता है और उनके पास दूसरे मुँह से आता है यानी मुनाफ़िक़ों की तरह कहीं कुछ कहता है और कहीं कुछ कहता है ये नहीं कि एक तरह की बात सब जगह कहे।

हदीस न. 35 :- दारमी ने अम्मार इब्ने यासिर रद़ियल्लाहु तआलाअ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स दुनिया में दो-रूख़ा होगा क़यामत के दिन आग की ज़बान उसके लिए होगी अबू दाऊद की रिवायत में है कि उसके लिए दो ज़बाने आग की होंगी।

हदीस न. 36 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने ये फ़रमाते सुना कि जन्नत में चुग़लख़ोर नहीं जायेगा।

हदीस न. 37 :- बयहक़ी ने शोबुल ईमान में अब्दुर्रह़मान इब्ने ग़नम व असमा बिन्ते यज़ीद रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हुमा से रिवायत की कि कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के नेक बन्दे वह हैं कि उनके देखने से .खुदा याद आए और अल्लाह के बुरे बन्दे वह है जो चुग़ली खाते हैं, दोस्तों में जुदाई डालते हैं और जो शख़्स जुर्म से बरी है उस

पर तकलीफ़ डालना चाहते हैं।

हदीस न. 38 :- सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद्रियल्लाहु अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हें मालूम है ग़ीबत क्या है लोगों ने अर्ज की अल्लाह व रसूल ख़ूब जानते हैं। इरशाद फ़रमाया ग़ीबत ये है कि तू अपने भाई का उस चीज़ के साथ ज़िक्र करे जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज़ की अगर मेरे भाई में वह मौजूद है जो मैं कहता हूँ (जब तो ग़ीबत नहीं होगी) फ़रमाया जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद है जब ही तो ग़ीबत है और जब तुम ऐसी बात कहो जो उसमें हो नहीं ये बुहतान है।

हदीस न. 39 :- इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने हज़रते आइशा रद्रियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती है मैंने नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा सफ़िया (रद्रियल्लाहु तआला अन्हा) के लिए ये काफ़ी है कि वह ऐसी है ऐसी है यानी पस्ता क़द है। हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि तुमने ऐसा कलिमा कहा कि अगर समन्दर में मिलाया जाये तो उस पर ग़ालिब आ जाये यानी किसी पस्ता क़द को नाटा कहना भी ग़ीबत में दाख़िल है जब कि बिला ज़रूरत हो।

हदीस न. 40 :- बयहक़ी ने इब्ने अब्बास रद्रियल्लाहु तआलाअन्हुमासे रिवायत की दो शख़्सों ने ज़ोहर या अस्र की नमाज़ पढ़ी और वह दोनों रोज़दार थे जब नमाज़ पढ़ चुके नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम दोनों वुज़ू करो और नमाज़ को दोबारा पढ़ो और रोज़ा पूरा करो और दूसरे दिन इस रोज़े की क़ज़ा करना। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये हुक्म किस लिए ? इरशाद फ़रमाया तुमने फ़लां शख़्स की ग़ीबत की है।

हदीस न. 41 :- तिर्मिज़ी ने हज़रते आइशा रद्रियल्लाहु अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं इसको पसन्द नहीं करता कि किसी की नक़ल करो अगरचे मेरे लिए इतना इतना हो यानी नक़ल करना दुनिया की किसी चीज़ के मुक़ाबले में दुरुस्त नहीं हो सकता।

हदीस न. 42 :- बयहक़ी ने शोबुल ईमान में अबू सईद व जाबिर रद्रियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ग़ीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख़्त चीज़ है। लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ज़िना से ज़्यादा सख़्त ग़ीबत क्यूँ कर है। फ़रमाया कि मर्द

ज़िना करता है फिर तौबा करता है अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा कबूल फ़रमाता है और ग़ीबत करने वाले की मग़फ़िरत न होगी जब तक वह न माफ़ कर दे जिसकी ग़ीबत है और अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की रिवायत में है कि ज़िना करने वाला तौबा करता है और ग़ीबत करने वाले की तौबा नहीं है।

हदीस न. 43 :- बयहकी ने दावाते कबीर में अनस रदियलल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ग़ीबत के कफ्फ़ारा में ये है कि जिसकी ग़ीबत की है उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर ले ये कहे اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهٗ (इलाही हमें और उसे बख़्श दे)

हदीस न. 44 :- अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि माइज़ असलमी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को जब रजम किया गया था, दो शख़्स आपस में बातें करने लगे एक ने दूसरे से कहा इसे तो देखो कि अल्लाह तआ़ला ने उसकी पर्दापोशी की थी मगर इसके नफ़्स ने न छोड़ा कुत्ते की तरह रजम किया गया। हुज़ूर ने सुन कर सुकूत फ़रमाया, कुछ देर तक चलते रहे रास्ते में मरा हुआ गधा मिला जो पाँव फ़ैलाये हुए था। हुज़ूर ने इन दोनों शख़्सों से फ़रमाया जाओ इस मुर्दार गधे का गोश्त खाओ। उन्होंने अर्ज़ की या नबी अल्लाह इसे कौन खायेगा। इरशाद फ़रमाया वह जो तुमने अपने भाई की आबरूरेज़ी की वह इस गधे के खाने से भी ज़्यादा सख़्त है, क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है वह (माइज़) इस वक़्त जन्नत की नहरों में ग़ोते लगा रहा है।

हदीस न. 45 :- इमाम अहमद व निसाई व इब्ने माजा व हाकिम ने उसामा इब्ने शुरैक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अल्लाह के बन्दो अल्लाह ने हरज (तकलीफ़ देना) उठा लिया मगर जो शख़्स किसी मर्दे मुस्लिम की बतौर ज़ुल्म आबरूरेज़ी करे वह हरज में है और हलाक हुआ। यानी अल्लाह की जानिब से तकलीफ़ नहीं पहुँचती लोग ख़ुद गुनाह मसलन मुस्लिम की बेइज़्ज़ती करके हरज यानी अपने को तकलीफ़ पहुँचाने का सामान करते हैं।

हदीस न. 46 :- इमाम अहमद व अबू दाऊद व हाकिम ने मिसवर इब्ने शद्दाद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस शख़्स को किसी मर्दे मुस्लिम की बुराई करने

की वजह से खाने को मिला अल्लाह उसको इतना ही जहन्नम से खिलायेगा और जिसको मर्दे मुस्लिम की बुराई की वजह से कपड़ा पहनने को मिला अल्लाह तआला उसको जहन्नम का इतना ही कपड़ा पहनायेगा।

हदीस न. 47 :- इमाम अहमद व अबू दाऊद ने अबू बरज़ह असलमी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ वो लोग जो ज़बान से ईमान लाये और ईमान उनके दिलों में दाख़िल नहीं हुआ मुसलमान की ग़ीबत न करो और उनकी छुपी हुई बातों की टटोल न करो इसलिए कि जो शख़्स अपने मुसलमान भाई की छुपी हुई चीज़ की टटोल करेगा अल्लाह तआला उसकी पोशीदा चीज़ की टटोल करेगा और जिस की अल्लाह टटोल करेगा उसको रूसवा कर देगा अगरचे वह अपने मकान के अन्दर हो।

हदीस न. 48 :- इमाम अहमद व अबू दाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब मुझे मेराज हुई एक कौम पर गुज़र हुआ जिनके नाख़ून तांबे के थे वह अपने मुँह और सीने को नोचते थे। मैंनें कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं। जिब्रील ने कहा ये वह हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी आबरूरेज़ी करते थे।

हदीस न. 49 :- अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमान की सब चीज़ें मुसलमान पर हराम है उसका माल और उसकी आबरू और उसका ख़ून। आदमी को बुराई से इतना ही काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हक़ीर जाने।

हदीस न. 50 :- अबू दाऊद ने मआज़ इब्ने अनस जुहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स मुसलमान पर कोई बात कहे उससे मक़सद ऐब लगाना हो अल्लाह तआला उसको पुलसिरात पर रोकेगा जब तक उस चीज़ से न निकले जो उसने कही।

हदीस न. 51 :- अबू दाऊद ने जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह और अबू तलहा इब्ने सहल रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जहाँ मर्दे मुस्लिम की हतके हुरमत (मानहानि, बेइज़्ज़ती) की जाती हो और उसकी आबरूरेज़ी की जाती हो ऐसी

जगह जिसने मदद न की यानी ये खामोश सुनता रहा और उनको मना न किया तो अल्लाह तआला उसकी मदद नहीं करेगा जहाँ उसे पसन्द हो कि मदद की जाये और जो शख़्स मर्दे मुस्लिम की मदद करेगा ऐसे मौके पर जहाँ उसकी हतके हुरमत और आबरूरेज़ी की जा रही हो अल्लाह तआला उसकी मदद फ़रमायगा ऐसे मौके पर जहाँ उसे महबूब है कि मदद की जाये।

हदीस न. 52 :- शरहे सुन्नह में अनस रद्रियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसके सामने उसके मुसलमान भाई की ग़ीबत की जाये और वह उसकी मदद पर क़ादिर हो और मदद की। अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उसकी मदद करेगा और अगर बावुजूद .कुदरत उसकी मदद नहीं की तो अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उसे पकड़ेगा।

हदीस न. 53 :- बयहक़ी ने असमा बिन्ते यज़ीद रद्रियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपने भाई के गोश्त से उसकी ग़ीबत में रोके यानी मुसलमान की ग़ीबत की जा रही थी उसने रोका तो अल्लाह पर हक़ है कि उसे जहन्नम से आज़ाद कर दे।

हदीस न. 54 :- शरहे सुन्नह में अबू दरदा रद्रियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान अपने भाई की आबरू से रोके यानी किसी मुसलमान की आबरूरेज़ी होती थी उसने मना किया तो अल्लाह पर हक़ है कि क़ियामत के दिन उसको जहन्नम की आग से बचाये इसके बाद इस आयत की तिलावत की وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ मुसलमानों की मदद करना हम पर हक़ है।

हदीस न. 55 :- तिर्मज़ी व अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक मोमिन दूसरे मोमिन का आइना है और मोमिन मोमिन का भाई है उसकी चीज़ों को हलाक होने से बचाये और ग़ीबत में उसकी हिफ़ाज़त करे।

हदीस न. 56 :- इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स ऐसी चीज़ देखे जिसको छुपाना चाहिए और उसने पर्दा डाल दिया यानी छुपा दी तो ऐसा है जैसे मौऊदह (ज़िन्दा क़ब्र

मैं दफ़न किया गया) को ज़िन्दा किया।

हदीस न. 57 :- अबू नुऐम ने मारफ़ा में शबीब इब्ने सअद बलवी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बन्दे को क़ियामत के दिन उसका दफ़्तर खुला हुआ मिलेगा वह उसमें ऐसी नेकियाँ भी देखेगा जिनको किया नहीं है। अर्ज़ करेगा ऐ रब ये मेरे लिए कहाँ से आयीं मैंने तो इन्हें नहीं किया। उससे कहा जायेगा कि ये वह है जो तेरी लाइलमी में लोगों ने तेरी ग़ीबत की थी।

हदीस न. 58 :- तिर्मिज़ी ने मआज़ रद्रियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने अपने भाई को ऐसे गुनाह पर शर्म दिलाई जिससे वह तौबा कर चुका है तो मरने से पहले वह .खुद इस गुनाह में मुबतिला हो जायेगा।

हदीस न. 59 :- तिर्मिज़ी ने वासिला रद्रियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपने भाई की शमातत न कर यानी उसकी मुसीबत पर .खुशी का इज़हार न कर कि अल्लाह तआ़ला उस पर रहम करेगा और तुझे उसमें मुबतिला कर देगा।

हदीस न. 60 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मेरी सारी उम्मत आफ़ियत में है मगर मुजाहेरीन यानी जो लोग खुल्लमखुल्ला गुनाह करते हैं ये आफ़ियत में नहीं उनकी ग़ीबत और बुराई की जायेगी और आदमी की बेबाकी से ये है कि रात में उसने कोई काम किया यानी गुनाह का काम और .खुदा ने उसको छुपाया और सुबह को .खुद कहता है कि आज रात में मैंने ये किया .खुदा ने उस पर पर्दा डाला था और ये शख़्स पर्दाए इलाही लौट देता है।

हदीस न. 61 :- तबरानी व बयहक़ी ने बरिवायत बहर इब्ने हकीम अन अबिहे अन जद्देही रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या फ़ाजिर के ज़िक्र से बचते हो उसको लोग कब पहचानेंगे, फ़ाजिर का ज़िक्र उस चीज़ के साथ करो जो उसमें है ताकि लोग उससे बचें।

हदीस न. 62 :- बयहक़ी ने अनस रदियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने हया की चादर डाल दी उसकी ग़ीबत नहीं यानी ऐसों की बुराई करना ग़ीबत में दाख़िल नहीं।

हदीस न. 63 :- तबरानी ने मुआविया इब्ने हय्यदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से

रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़ासिक़ की ग़ीबत नहीं है।

हदीस न. 64 :- सही मुस्लिम में मिक़दाद इब्ने असवद रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुबालगे (बहुत बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ करना) के साथ तारीफ़ करने वालों को जब तुम देखो तो उनके मुँहं में ख़ाक डाल दो।

हदीस न. 65 :- सही बुख़ारी में अबू मूसा अश्अरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को सुना कि दूसरे की तारीफ़ करता है और तारीफ़ में मुबालग़ा करता है इरशाद फ़रमाया तुमने उसे हलाक कर दिया या उसकी पीठ तोड़ दी।

हदीस न. 66 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबूबक्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते है कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के सामने एक शख़्स ने एक शख़्स की तारीफ़ की। हुज़ूर ने फ़रमाया तुझे हलाकत हो तूने अपने भाई की गर्दन काट दी। उसको तीन मरतबा फ़रमाया जिस शख़्स को किसी की तारीफ़ करनी ज़रूरी ही हो तो ये कहे कि मेरे गुमान में फ़लाँ शख़्स ऐसा है अगर उसके इल्म में ये हो कि वह ऐसा है और अल्लाह उसको ख़ूब जानता है और अल्लाह पर किसी का तज़किया न करे यानी यक़ीन के साथ किसी की तारीफ़ न करे।

हदीस न. 67 :- बयहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब फ़ासिक़ की तारीफ़ की जाती है रब तआ़ला ग़ज़ब फ़रमाता है और अर्शे इलाही जुम्बिश करने लगता है।

मसाइले फ़िक़हिय्या :– ग़ीबत के ये मअना हैं कि किसी शख़्स के पोशीदा ऐब को (जिसको वह दूसरों के सामने ज़ाहिर होना पसन्द न करता हो) उसकी बुराई करने के तौर पर ज़िक्र करना और अगर उसमें वह बात ही न हो तो ये ग़ीबत नहीं बल्कि बुहतान है .कुरआन मजीद में फ़रमाया :–

لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ (پ۲۶،ع۱۴)

(तुम आपस में एक दूसरे की ग़ीबत न करो क्या तुम में कोई इस बात को पसन्द करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाये उसको तो तुम बुरा समझते हो।)

अहदीस में भी ग़ीबत की बहुत बुराई आयी है। चन्द हदीसें ज़िक्र कर दी गयीं इन्हें ग़ौर से पढ़ो इस हराम से बचने की बहुत ज़्यादा .ज़रूरत है। आजकल मुसलमानों में ये बला बहुत फैली हुई है इससे बचने की तरफ़ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते बहुत कम मजलिसें ऐसी होती हैं जो चुग़ली और ग़ीबत से महफ़ूज़ हों।

मसअला :- एक शख़्स नमाज़ पढ़ता है और रोज़ा रखता है मगर अपनी .ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान को ज़रर (नुक़सान) पहुँचाता है उसकी इस इज़ारसानी (नुक़सान पहुँचाना) को लोगों के सामने बयान करना ग़ीबत नहीं। क्यूँकि इस ज़िक्र का मक़सद ये है कि लोग उसकी इस हरकत से वाक़िफ़ हो जायें और उससे बचें रहें कहीं ऐसा न हो कि उसकी नमाज़ और रोज़े से धोका खा जायें और मुसीबत में मुब्तेला हो जायें। हदीस में इरशाद फ़रमाया कि क्या तुम फ़ाजिर के ज़िक्र से डरते हो जो ख़राबी की बात उसमें है बयान कर दो ताकि लोग उससे परहेज़ करें और बचें। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ऐसे शख़्स का हाल जिसका ज़िक्र ऊपर गुज़रा अगर बादशाह या क़ाज़ी से कहा ताकि उसे सज़ा मिले और अपनी हरकत से बाज़ आ जाये ये चुग़ली और ग़ीबत में दाख़िल नहीं (दुर्रे मुख़्तार) ये हुक्म फ़ासिक़ व फ़ाजिर का है जिसके शर से बचने के लिए लोगों पर उसकी बुराई खोल देना जाएज़ है और ग़ीबत नहीं।

अब समझना चाहिए कि बदअक़ीदा लोगों का ज़रर (नुक़सान) फ़ासिक़ के ज़रर से बहुत ज़्यादा है। फ़ासिक़ से जो ज़रर पहुँचेगा वह उससे बहुत कम है जो बदअक़ीदा लोगों से पहुँचता है। फ़ासिक़ से अकसर दुनिया का ज़रर होता है और बदमज़हब से तो दीन व ईमान की बरबादी का ज़रर है और बदमज़हब अपनी बदमज़हबी फैलाने के लिए नमाज़ रोज़े की बज़ाहिर ख़ूब पाबन्दी करते हैं ताकि उनका वक़ार लोगों में क़ायम हो फिर जो गुमराही की बात करेंगे उसका पूरा असर होगा। लिहाज़ा ऐसों की बदमज़हबी का इज़हार फ़ासिक़ के फ़िस्क़ के इज़हार से ज़्यादा अहम है इसके बयान करने में हरगिज़ गुरेज़ न करे। आजकल के बाज़ सूफ़ी अपना तक़द्दुस यूँ ज़ाहिर करते हैं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए ये शैतानी धोका है। मख़लूक़े .ख़ुदा को गुमराहों से बचाना ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि ये अम्बियाए किराम की सुन्नत है जिसको बेकार की तावीलात से छुड़ाना चाहता है और उसका मक़सद ये होता है कि मैं हर दिल अज़ीज़ बन क्यूँ किसी को अपना मुख़ालिफ़ करूँ।

मसअला :– ये मालूम है कि जिसमें बुराई पायी जाती है अगर उसके वालिद को ख़बर हो जायेगी तो वह इस हरकत से रोक देगा तो उसके बाप को ख़बर कर दे .जबानी कह सकता हो तो .ज़बानी कहे या तहरीर के ज़रिये इत्तेला कर दे और अगर मालूम है कि अपने बाप का कहा भी नहीं मानेगा और बाज़ नहीं आयेगा तो न कहे कि बिला वजह अदावत पैदा होगी। इसी तरह बीवी की शिकायत उसके शौहर से की जा सकती है और रिआया (प्रजा) की बादशाह से की जा सकती है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) मगर ये .ज़रूर है कि ज़ाहिर करने से उसकी बुराई करना मक़सूद न हो बल्कि असली मक़सद ये हो कि वह लोग उस बुराई को समझें और उसकी ये आदत छूट जाये।

मसअला :– किसी ने अपने मुसलमान भाई की बुराई अफ़सोस के तौर पर की कि मुझे निहायत अफ़सोस है कि वह ऐसा काम करता है ये गीबत नहीं क्योंकि जिसकी बुराई की अगर उसे ख़बर भी हो गयी तो इस सूरत में वह बुरा न मानेगा बुरा उस वक़्त मानेगा जब उसे मालूम हो कि उस कहने वाले का मक़सद ही बुराई करना है।

मगर ये .ज़रूर है कि इस चीज़ का इज़हार उसने हसरत व अफ़सोस ही की वजह से किया हो वर्ना ये ग़ीबत है बल्कि एक क़िस्म का निफ़ाक़ और रिया और अपनी .खुद की तारीफ़ है क्योंकि उसने मुसलमान भाई की बुराई की और ज़ाहिर ये किया कि बुराई मक़सूद नहीं ये निफ़ाक़ हुआ और लोगों पर ये ज़ाहिर किया कि ये काम अपने लिए और दूसरों के लिए बुरा जानता हो ये रिया है और चूँकि ग़ीबत को ग़ीबत के तौर पर नहीं किया लिहाज़ा अपने को सुलहा (नेक लोग) में से होना बताया ये तज़कियःऐ नफ़्स और .खुदसताई हुई।

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी बस्ती या शहर वालों की बुराई की मसलन ये कहा कि वहाँ के लोग ऐसे हैं ये ग़ीबत नहीं क्योंकि ऐसे कलाम का ये मक़सद नहीं होता कि वहाँ के सब ही लोग ऐसे हैं बल्कि बाज़ लोग मुराद होते हैं और जिन बाज़ को क़हा गया वह मालूम नहीं। ग़ीबत उस सूरत में होती है जब मुईन व मालूम अश्ख़ास (लोग) की बुराई ज़िक्र की जाये और अगर उसका मक़सूद वहाँ के तमाम लोगों की बुराई करना है तो ये ग़ीबत है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– फ़क़ीह अबुललैस ने फ़रमाया कि ग़ीबत चार क़िस्म की है :–

1. कुफ़्र, उसकी सूरत ये है कि एक शख़्स ग़ीबत कर रहा है उससे कहा गया

कि गीबत न करो कहने लगा ये गीबत नहीं मैं सच्चा हूँ इस शख़्स ने एक हराम कतई को हलाल बताया।

2. दूसरी सूरत निफ़ाक़ कि एक शख़्स की बुराई करता है और उसका नाम नहीं लेता मगर जिसके सामने बुराई करता है वह उसको जानता पहचानता है लिहाज़ा ये ग़ीबत करता है और अपने को परेहज़गार ज़ाहिर करता है ये एक क़िस्म का निफ़ाक़ है

3. तीसरी सूरत मआसीयत वह ये है कि ग़ीबत करता है और जानता है कि यह हराम काम है ऐसा शख़्स तौबा करे।

4. चौथी सूरत मुबाह वह ये है कि फ़ासिके मोलिन या बदमज़हब की बुराई बयान करे बल्कि जबकि लोगों को उसके शर से बचना मक़सूद हो तो सवाब मिलने की उम्मीद है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो शख़्स अलानिया बुरा काम करता है और उसको उसकी कोई परवाह नहीं कि लोग उसे क्या कहेंगें उसकी इस बुरी हरकत का बयान करना ग़ीबत नहीं मगर उसकी दूसरी बातें जो ज़ाहिर नहीं हैं उनको ज़िक्र करना ग़ीबत में दाख़िल है। हदीस में है कि जिसने हया का हिजाब अपने चेहरे से हटा दिया उसकी ग़ीबत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिससे किसी बात का मशवरा लिया गया वह अगर उस शख़्स का ऐब व बुराई ज़ाहिर करे जिसके मुतअल्लिक़ मशहूर है यह ग़ीबत नहीं। हदीस में है जिससे मशवरा लिया जाये वह अमीन है लिहाज़ा उसकी बुराई ज़ाहिर न करना ख़यानत है। मसलन किसी के यहाँ अपना या अपनी औलाद वग़ैरा का निकाह करना चाहता है दूसरे से उसके मुताल्लिक़ तज़किरा किया कि मेरा इरादा ऐसा है तुम्हारी क्या राय है। उस शख़्स को जो कुछ मालूमात है बयान करना ग़ीबत नहीं। इसी तरह किसी के साथ तिजारत वग़ैरा में शिरकत करना चाहता है या उसके पास कोई चीज़ अमानत रखना चाहता है या किसी के पड़ोस में सुकूनत करना चाहता है और उसके मुताल्लिक़ दूसरे से मशवरा लेता है ये शख़्स उसकी बुराई बयान करे ग़ीबत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो बदमज़हब अपनी बदमज़हबी छुपाये हुए है जैसा कि रवाफ़िज़ के यहाँ तक़इया है या आजकल के बहुत से वहाबी भी अपनी वहाबियत छुपाते और ख़ुद को सुन्नी ज़ाहिर करते हैं और जब मौक़ा पाते है तो बदमज़हबी की आहिस्ता–आहिस्ता तबलीग़ करते हैं उनकी बदमज़हबी का इज़हार ग़ीबत नहीं कि

लोगों को उनके मक्र व शर से बचाना है और अगर अपनी बदमज़हबी को छुपाता नहीं बल्कि अलानिया ज़ाहिर करता है जब भी ग़ीबत नहीं कि वह अलानिया बुराई करने वालों में दाख़िल है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी के .जुल्म की शिकायत हाकिम के पास करना भी ग़ीबत नहीं मसलन ये कि फ़ला शख़्स ने मुझ पर ये .जुल्म व ज़्यादती की है ताकि हाकिम उसका इन्साफ़ व दादरसी करे। –––– इसी तरह मुफ़्ती के सामने इस्तिफ़ता पेश करने में किसी की बुराई की कि फ़लाँ शख़्स ने मेरे साथ ये किया है उससे बचने की क्या सूरत है मगर इस सूरत में बेहतर ये है कि नाम न ले बल्कि यूँ कहे कि एक शख़्स ने एक शख़्स के साथ ये कहा बल्कि ज़ैद व अम्र से ताबीर करे जैसा कि इस ज़माने में इस्तिफ़ता की उमूमन यही सूरत होती है फिर भी अगर नाम ले दिया जब भी जाएज़ है इसमें भी क़बाहत नहीं जैसा कि हदीस सही में आया कि हिन्दा ने अबू सुफ़यान रद्वियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा के मुताल्लिक़ हुज़ूर की ख़िदमत में शिकायत की कि वह बख़ील (कंजूस) हैं इतना नफ़का नहीं देते जो मुझे और मेरे बच्चों को काफ़ी हो मगर जबकि मैं उनकी लाइल्मी में कुछ ले लूँ। इरशाद फ़रमाया कि तुम इतना ले सकती हो जो मारूफ़ (यानी जितना लेना मशहूर हो कि शौहर कुछ नहीं कहते) के साथ तुम्हारे और बच्चों के लिए काफ़ी हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : एक सूरत इसके जवाज़ की ये है कि इससे मक़सूद मुबीअ (बेचने वाली चीज़) का ऐब बयान करना हो मसलन .गुलाम को बेचना चाहता है और इस .गुलाम में ऐब है चोर या ज़ानी है इसका ऐब मुश्तरी के सामने बयान कर देना जाएज़ है यूँ ही किसी ने देखा कि मुश्तरी बेचने वाले को ख़राब रूपये देता है उससे उसकी हरकत को ज़ाहिर कर सकता है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- एक सूरत जवाज़ की ये भी है कि उस ऐब के ज़िक्र से मक़सूद उसकी बुराई नहीं है बल्कि उस शख़्स की मारफ़त व शनाख़्त मक़सूद है मसलन जो शख़्स इन ऐबों के साथ मुलक़्क़ब है तो मक़सूद मारफ़त है ऐब का बयान करना नहीं जैसे अन्धा, चुन्धा, लगड़ा या भेंगा। सहाबा किराम में अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मकतूम नाबीना थे और रिवायतों में उनके नाम के साथ आमा (अन्धा) आता है। मुहद्देसीन में बड़े ज़बरदस्त पाये के सुलेमान आमश हैं। आमश के मायने चुन्धे के हैं। यह लफ़्ज़ उनके नाम के साथ ज़िक्र किया जाता है इसी तरह यहाँ भी बाज़ मरतबा महज पहचानने के लिए किसी को

अन्धा या काना या ठिगना या लम्बा कहा जाता है। ये गीबत में दाख़िल नहीं।

(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– हदीस के रावियों (रिवायत करने वाले) और मुक़दमे के गवाहों और मुसन्नेफ़ीन (लेखकों) पर जिरह करना और उनके ऐबों को बयान करना जाएज़ है। अगर रावियों की ख़राबियाँ बयान न की जायें तो हदीस सही और ग़ैर सही में इम्तियाज़ न हो सकेगा। इसी तरह मुसन्नेफ़ीन के हालात न बयान किये जायें तो किताब मोतमदा (एतेबार के काबिल) व ग़ैरमोतमदा में फ़र्क़ न रहेगा। गवाहों पर जिरह न की जाये तो हुक़ूक़े मुसलेमीन की निगेहदाश्त न हो सकेगी।

अव्वल से आख़िर तक ग्यारह सूरतें वह हैं जो बज़ाहिर ग़ीबत हैं और हक़ीक़त में ग़ीबत नहीं और उन में ऐबो का बयान करना जाएज़ है बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- ग़ीबत जिस तरह ज़ुबान से होती है फ़ेल से भी होती है। सराहत के साथ बुराई की जाये या तारीज़ व किनाया (यानी साफ़ साफ़ या इशारे इशारे में) के साथ हो सब सूरतें हराम हैं। बुराई को जिस नौइयत से समझा जायेगा सब ग़ीबत में दाख़िल है तारीज़ की ये सूरत है कि किसी के ज़िक्र के वक़्त ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा नहीं जिसका ये मतलब हुआ कि वह ऐसा है। किसी की बुराई लिख दी ये भी ग़ीबत है, सर वग़ैरा की हरकत भी ग़ीबत हो सकती है मसलन किसी की ख़ूबियों का तज़किरा था उसने सर के इशारे से ये बताना चाहा कि इसमें जो कुछ बुराइयाँ हैं उनसे तुम वाकिफ़ नहीं। होंटों और आँखों और भवों और ज़ुबान या हाथ के इशारे से भी ग़ीबत हो सकती है। एक हदीस में है हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं एक औरत हमारे पास आयी जब वह चली गयी तो मैंने हाथ के इशारे से बताया कि वह ठिगनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि तुमने उसकी ग़ीबत की। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :- एक सूरत ग़ीबत की नक़ल है मसलन किसी लंगड़े की नक़ल करे और लगंड़ा कर चले या जिस चाल से कोई चलता है उसकी नक़ल उतारी जाये ये भी ग़ीबत है बल्कि ज़ुबान से कह देने से ये ज़्यादा बुरा है क्योंकि नक़ल करने में पूरी तसवीर खींची और बात को समझना पाया जाता है कि कहने में वह बात नहीं होती। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- गीबत की एक सूरत ये भी है कि ये कहा एक शख़्स हमारे पास इस किस्म का आया था या मैं एक शख़्स के पास गया जो ऐसा है और मुख़ातिब को मालूम है कि फ़लाँ शख़्स का ज़िक्र करता है अगरचे बात कहने वाले ने किसी का नाम नहीं लिया मगर जब मुख़ातिब को इन लफ़्ज़ों से समझा दिया तो ग़ीबत होगी क्योंकि मुख़ातिब को ये मालूम है कि उसके पास फ़लाँ शख़्स आया था या ये फ़लाँ शख़्स के पास गया था तो अब नाम लेना या न लेना दोनों का एक हुक्म है हाँ अगर मुख़ातिब ने शख़्से मुअय्यन को नहीं समझा मसलन उसके पास बहुत से लोग आये या यह बहुतों के यहाँ गया था मुख़ातिब को यह पता न चला कि यह किसके मुतअल्लिक़ कह रहा है तो ग़ीबत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- जिस तरह ज़िन्दा आदमी की ग़ीबत हो सकती है मरे हुए की भी हो सकती है। मरे हुए मुसलमान भाई को बुराई के साथ याद करना भी ग़ीबत है जबकि वह सूरतें न हों जिनमें ऐब का बयान करना ग़ीबत में दाख़िल नहीं। मुसलमान की ग़ीबत जिस तरह हराम है काफ़िर ज़िम्मी की भी नाजाएज़ है कि इनके हुक़ूक़ भी मुस्लिम की तरह हैं काफ़िर **हर्बी** की बुराई करना ग़ीबत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : किसी की बुराई उसके सामने करना अगर ग़ीबत में दाख़िल न भी हो जब कि ग़ीबत में पीठ पीछे बुराई करना मुअतबर हो मगर यह उससे बढ़कर हराम है क्यूँकि ग़ीबत में जो वजह है वह यह है कि इससे मुसलमान को तकलीफ़ होती है और उसके मुँह पर उसकी बुराई करने में उसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ग़ीबत में तो यह ऐहतेमाल है कि उसे इत्तेला मिले या न मिले अगर उसे इत्तेला न हुई तो तकलीफ़ भी न हुई मगर यहाँ पर शरीअत ने तकलीफ़ के ऐहतेमाल को तकलीफ़ देना ही क़रार दिया है और हराम कहा है और मुँह पर उसकी बुराई करना तो हक़ीक़तन तकलीफ़ ही देना है लिहाज़ा यह हराम क्यूँ न होगा। (रद्दुल महतार) बाज़ लोगों से कहा जाता है कि तुम फ़लाँ की ग़ीबत क्यूँ करते हो वह निहायत दिलेरी के साथ यह कहते हैं मुझे उसका डर पड़ा है चलो मैं उसके मुँह पर यह बातें कह दूंगा। उनको यह मालूम होना चाहिए पीठ पीछे उसकी बुराई करना ग़ीबत व हराम है और मुँह पर कहोगे तो यह दूसरा हराम होगा अगर तुम उसके सामने कहने की जुर्रत रखते हो तो उसकी वजह से ग़ीबत हलाल नहीं होगी।

मसअला : ग़ीबत के तौर पर जो ऐब बयान किए जायें वह कई क़िस्म के हैं

उसके बदन में ऐब हो मसलन अन्धा, काना, लगंड़ा, लूला होट कटा, नाक चपटा वग़ैरा। या नसब के एतेबार से वह ऐब समझा जाता हो मसलन उसके नसब में ये ख़राबी है उसकी दादी नानी चमारी थी — हिन्दुस्तान वालों ने पेशे को भी नसब ही का हुक्म दे रखा है लिहाज़ा बतौर ऐब किसी को धुना जुलाहा कहना भी ग़ीबत व हराम है। अख़लाक़ व अफ़आल की बुराई या उसकी बात-चीत में ख़राबी मसलन हकला या तुतला या देनदारी में वह ठीक न हो ये सब सूरतें ग़ीबत में दाख़िल हैं यहाँ तक कि उसके कपड़े अच्छे न हों इन चीज़ों को भी इसी तरह ज़िक्र करना जो उसे बुरा मालूम हो नाजाएज़ है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- जिसके सामने किसी की ग़ीबत की जाये उसे लाज़िम है कि .ज़बान से इन्कार कर दे मसलन कह दे कि मेरे सामने उसकी बुराई न करो अगर ज़बान से इन्कार करने में उसको ख़ौफ़ का अन्देशा है तो दिल से उसे बुरा जाने और अगर मुमकिन हो तो ये शख़्स जिसके सामने बुराई की जा रही है वहाँ से उठ जाये या उस बात को काट कर कोई दूसरी बात शुरू कर दे ऐसा न करने में सुनने वाला भी गुनाहगार होगा, ग़ीबत का सुनने वाला भी ग़ीबत करने वाले के हुक्म में है। हदीस में है जिसने अपने मुसलमान भाई की आबरू ग़ीबत से बचायी अल्लाह तआला के ज़िम्मे करम पर ये है कि वह उसे जहन्नम से आज़ाद कर दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- जिसकी ग़ीबत की अगर उसको इसकी ख़बर हो गयी तो उससे माफ़ी मांगनी .ज़रूरी है और ये भी .ज़रूरी है कि उसके सामने ये कहे कि मैंने तुम्हारी इस इस तरह ग़ीबत या बुराई की तुम माफ़ कर दो उससे माफ़ कराये और तौबा करे तब उससे बरीउज़्ज़िमा होगा और अगर उसको ख़बर न हुई तो तौबा और निदामत काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- जिसकी ग़ीबत की है उसे ख़बर न हुई और उसने तौबा कर ली उसके बाद उसे ख़बर मिली कि फ़लाँ ने मेरी ग़ीबत की है, उसकी तौबा सही है या नहीं ? इसमें उलमा के दो क़ौल हैं एक क़ौल ये है कि वह तौबा सही है अल्लाह तआला दोनों की मग़फ़िरत फ़रमा देगा जिसने ग़ीबत की उसकी मग़फ़िरत तौबा से हुई और जिसकी ग़ीबत की गयी उसको जो तकलीफ़ पहुँची और उसने दरगुज़र किया इस वजह से उसकी मग़फ़िरत हो जायगी। और बाज़ उलमा ये फ़रमाते हैं कि उसकी तौबा मुअल्लक़ रहेगी अगर वह शख़्स जिसकी ग़ीबत हुई ख़बर पहुचँने से पहले ही मर गया तो तौबा सही है और

तौबा के बाद उसे ख़बर पहुँच गयी तो सही नहीं जब तक उससे माफ़ न कराये। बुहतान की सूरत में तौबा करना और माफ़ी मांगना .ज़रूरी है बल्कि जिनके सामने बुहतान बांधा है उनके पास जाकर ये कहना ज़रूर है कि मैंने झूट कहा था जो फ़लाँ पर मैंने बुहतान बांधा था। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- माफ़ी मांगने में ये .ज़रूर है कि ग़ीबत के मुक़ाबले में उसकी अच्छी तारीफ़ करे और उसके साथ इज़्हारे महब्बत करे कि उसके दिल से ये बात जाती रहे और फ़र्ज़ करो उसने .ज़ुबान से माफ़ कर दिया मगर उसका दिल इससे .ख़ुश न हुआ तो इसका माफ़ी मांगना और इज़्हारे महब्बत करना ग़ीबत की बुराई के मुक़ाबले हो जायेगा और आख़िरत मे भी मवाख़िज़ा न होगा।

(रद्दुल मुहतार)

मसअला :- उसने माफ़ी मांगी और उसने माफ़ कर दिया मगर उसने सच्चाई और .ख़ुलूसे दिल से माफ़ी नहीं मांगी थी महज़ ज़ाहिरी और नुमाइशी ये माफ़ी थी तो हो सकता है कि आख़रत में मवाख़ज़ा हो क्योंकि उसने ये समझकर माफ़ किया था कि .ख़ुलूस के साथ माफ़ी मांग रहा है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा ये फ़रमाते हैं कि जिसकी ग़ीबत की वह मर गया या कहीं ग़ायब हो गया उससे क्यों कर माफ़ी मांगे ये मामला बहुत दुश्वार हो गया —— उसको चाहिए कि नेक काम की कसरत करे ताकि अगर उसकी नेकियाँ ग़ीबत के बदले में उसे दे दी जायें जब भी उसके पास नेकियाँ बाक़ी रह जायें। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- अगर उसकी ऐसी बुराइयाँ बयान की हैं जिनको वह छिपाता था यानी ये नहीं चाहता था कि लोग उन पर मुत्तला हों तो माफ़ी मांगे उन ऐबों की तफ़सील न करे बल्कि मुबहम तौर पर ये कह दे कि मैंने तुम्हारे ऐब जो लोगों के सामने ज़िक्र किये हैं, तुम माफ़ कर दो। और अगर ऐसे ऐब न हों तो तफ़सील के साथ बयान करे इसी तरह अगर वह बातें ऐसी हों जिनके ज़ाहिर करने में फ़ितना पैदा होने का अन्देशा है तो ज़ाहिर न करे बाज़ उलमा का ये क़ौल है कि हुक़ूक़े मजहूला (छुपा हुआ हक़) को माफ़ कर देना भी सही है और इस तरह भी माफ़ी हो सकती है लिहाज़ा इस क़ौल पर बिना की जाये और ऐसी ख़ास सूरतों में तफ़सील न की जाये। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- दो शख़्सों में झगड़ा था दोनों ने माज़रत के साथ मुसाफ़ा किया। ये भी माफ़ी का एक तरीक़ा है। जिसकी ग़ीबत की है वह मर गया तो वुरसा

को ये हक़ नहीं कि माफ़ करें इनके माफ करने का एतेबार नहीं।

(रद्दुल मुहतार)

मसअला :- किसी के मुँह पर उसकी तारीफ़ करना मना है और पीठ पीछे तारीफ़ की मगर ये जानता है कि मेरे इस तारीफ़ करने की ख़बर उसको पहुँच जायेगी ये भी मना है। तीसरी सूरत ये है कि पीठ पीछे तारीफ़ करता है इसका ख़्याल भी नहीं करता कि उसे ख़बर भेजी जायेगी या न भेजी जायेगी ये जाएज़ है मगर ये .ज़रूर है कि तारीफ़ में जो जो ख़ूबियाँ बयान करे वह उसमें हों। शायरों की तरह उन हवाई बातों के साथ तारीफ़ न करे कि ये निहायत दर्जा क़बीह है।

(आलमगीरी)

.कुरआन के मिस्ल कोई सूरत नहीं बना सकता

وَاِنۡ كُنۡتُمۡ فِىۡ رَيۡبٍ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلٰى
عَبۡدِنَا فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَةٍ مِّنۡ مِّثۡلِهٖ
وَادۡعُوۡا شُهَدَآءَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ
اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ۝
فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا وَلَنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِىۡ وَقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ
اُعِدَّتۡ لِلۡكٰفِرِيۡنَ ۝

और अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो हमने अपने (इन ख़ास) बन्दे पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो फिर अगर न ला सको और हम फ़रमाए देते हैं हर्गिज़ न ला सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आग और पत्थर है तैयार रखी है काफ़िरों के लिए

(सूरए बक़र आयत 23, 24)

बुग़्ज़ व हसद का बयान

.क़ुरआन मजीद में इरशाद हुआ :–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝ (پ۵-ع۲)

तर्जमा : और उसकी आरज़ू मत करो जिससे अल्लाह ने तुममें एक को दूसरे पर बड़ाई दी। मर्दों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा है और औरतों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा और अल्लाह से उसका फ़ज़्ल मांगो बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है। (पारा 5 रुकू 2)

और फ़रमाता है :– وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

तर्जमा :- तुम कहो मैं पनाह माँगता हूँ हासिद के शर से जब वह हसद करता है।

हदीस न. 1 : इब्ने माजा ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है और सदक़ा ख़ता को बुझाता है जिस तरह पानी आग को बुझाता है। इस की मिस्ल अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की।

हदीस न. 2 : दैलमी ने मुस्नदुल फ़िरदौस में मआविया इब्ने हैदह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हसद ईमान को ऐसा बिगाड़ता है जिस तरह ऐलवा (मुसब्बर) शहद को बिगाड़ता है।

हदीस न. 3 : इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने .ज़ुबैर इब्ने अव्वाम रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगली उम्मत की बीमारी तुम्हारी तरफ़ भी आयी। वह बीमारी हसद व बुग़्ज़ है, वह मूंडने वाला है दीन को मूंडता है बालों को नहीं मूंडता। क़सम है उसकी जिसके हाथ में मुहम्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की जान है जन्नत में नहीं जाओगे जब तक ईमान न लाओ। और मोमिन नहीं होगे जब तक आपस में महब्बत न करो। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बता दूँ कि जब उसे करोगे

आपस में महब्बत करने लगोगे आपस में सलाम को फैलाओ।

हदीस न. 4 : तबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने बुसर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हसद और चुग़ली और कहानत (ज्योतिष) न मुझसे है और न मैं उनसे हूँ यानी मुसलमानों को इन चीज़ों से बिल्कुल ताल्लुक़ न होना चाहिए।

हदीस न. 5 : सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया आपस में न हसद करो न बुग़्ज़ करो न पीठ पीछे बुराई करो और अल्लाह के बन्दे भाई भाई होकर रहो।

हदीस न. 6 : सही बुख़ारी में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को ये फ़रमाते सुना कि हसद नहीं है मगर दो पर एक वह शख़्स जिसे ख़ुदा ने किताब दी यानी .क़ुरआन का इल्म अता फ़रमाया वह उसके साथ रात में क़ियाम करता है और दूसरा वह कि .ख़ुदा ने उसे माल दिया वह दिन और रात के औक़ात में सदक़ा करता है।

हदीस न. 7 : सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हसद नहीं है मगर दो शख़्सों पर एक वह शख़्स जिसे .ख़ुदा ने .क़ुरआन सिखाया वह रात और दिन के औक़ात में उसकी तिलावत करता है उसके पड़ोसी ने सुना तो कहने लगा काश मुझे भी वैसा ही दिया जाता जो फ़लाँ शख़्स को दिया गया तो मैं भी उसकी तरह अमल करता। दूसरा वह शख़्स कि .ख़ुदा ने उसे माल दिया वह हक़ में माल को ख़र्च करता है किसी ने कहा काश मुझे भी वैसा ही दिया जाता जैसा फ़लाँ शख़्स को दिया गया तो मैं भी इसी की तरह अमल करता।

इन दोनों हदीसों में हसद से मुराद ग़िब्ता है जिसको लोग रश्क कहते हैं जिसके ये मअनी हैं कि दूसरे को जो नेमत मिली वैसी मुझे भी मिल जाये और ये आरज़ू न हो कि उसे न मिलती या उससे जाती रहे और हसद में ये आरज़ू होती है इसी वजह से हसद मज़मूम (बुरा) है और ग़िब्ता मज़मूम नहीं। इमाम बुख़ारी के तर्जमतुल बाब (हदीस बयान करने से पहले उनवान बयान करना उसको तर्जमतुल बाब कहते हैं) से भी यही मालूम होता है कि इन हदीसों में ग़िब्ता मुराद है। लिहाज़ा इन हदीसों के ये मअनी हुए कि यही दो चीज़ें ग़िब्ता करने की हैं कि ये दोनों .ख़ुदा की बहुत बड़ी नेमतें है, ग़िब्ता इन

पर करना चाहिए नाके दूसरी नेमतों पर वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब।
हदीस न. 8 : बयहकी ने हजरते आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला शाबान की पन्द्रहवीं शब में अपने बन्दों पर खास तजल्ली फ़रमाता है जो इस्तिगफ़ार करते हैं उनकी मग़फ़िरत करता है और जो रहम की दरख़्वास्त करते है उन पर रहम करता है और अदावत वालों को उनकी हालत पर छोड़ता है।
हदीस न. 9 : इमाम अहमद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हर हफ्ते में दो बार दोशम्बा और पंजशम्बा को लोगों के आमालनामे पेश होते हैं हर बन्दे की मग़फ़िरत होती है मगर वह शख़्स कि उसके और उसके भाई के दरमियान अदावत हो उनके मुताल्लिक़ ये फ़रमाते हैं उन्हें छोड़ दो उस वक़्त तक कि बाज़ आ जाय।
हदीस न. 10 : तबरानी ने उसामा इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दो शम्बे और पंजशम्बे को अल्लाह तआला के हुज़ूर लोगों के आमाल पेश होते हैं सबकी मग़फ़िरत फ़रमा देता है मगर जो दो शख़्स बाहम अदावत रखते हैं और वह शख़्स जो क़ता रहम (रिशतेदारों से तअल्लुक़ ख़त्म करना) करता है।
हदीस न. 11 : इमाम अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दो शम्बे और पंजशम्बे के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं जिस बन्दे ने शिर्क नहीं किया है उसकी मग़फ़िरत की जाती है मगर जो शख़्स ऐसा है कि उसके और उसके भाई के दरमियान अदावत है उनके मुताल्लिक़ कहा जाता है इन्हें मौहलत दो यहाँ तक कि ये दोनों सुलह कर लें।
मसाइले फ़िक़हिय्या : हसद हराम है अहादीस में उसकी बहुत मज़म्मत वारिद हुई। हसद के ये मअना है कि किसी शख़्स में ख़ूबी देखी उसको अच्छी हालत में पाया उसके दिल में ये आरज़ू है कि ये नेमत उससे जाती रहे और मुझे मिल जाये और अगर ये तमन्ना है कि मैं भी वैसा हो जाऊँ मुझे भी वह नेमत मिल जाये ये हसद नहीं इसको गिब्ता कहते हैं जिसको लोग रश्क से ताबीर करते है। (आलमगीरी)
मसअला :- ये आरज़ू कि जो नेमत फ़लाँ के पास है वह बिऐन्ही (ठीक वैसी

ही) मुझे मिल जाये ये हसद है क्यूँकि बिऐन्ही वही चीज उसको जब मिलेगी कि उससे जाती रहे – और अगर ये आरज़ू है कि उसकी मिस्ल मुझे मिले ये ग़िब्ता है क्योंकि उससे ज़ाइल होने की आरज़ू नहीं पाई गई। (आलमगीरी) अहादीस में फ़रमाया है कि हसद नहीं है मगर दो चीज़ों में एक वह शख़्स जिसको .खुदा ने माल दिया है और वह राहे हक़ में सर्फ़ करता है। दूसरा वह शख़्स जिसको .खुदा ने इल्म दिया है वह लोगों को सिखाता है और इल्म के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करता है। इस हदीस से बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इन दो चीज़ों में हसद जाएज़ है मगर बग़ौर देखने से ये मालूम होता है कि यहाँ भी हसद हराम है। बाज़ उलमा ने ये बताया कि इस हदीस में हसद बामअनी ग़िब्ता है। इमाम बुख़ारी अलैहिरहमा के तर्जुम:तुल बाब से भी यही पता चलता है ——— और बाज़ ने कहा कि हदीस का ये मतलब है कि अगर हसद जाएज़ होता तो इनमें जाएज़ होता मगर इनमें भी नाजाएज़ है जैसा कि لَوْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ الحديث में इसी क़िस्म की तावील की जाती है और बाज़ उलमा ने फ़रमाया कि हदीस के मअनी यह हैं कि हसद इन्हीं दोनों में हो सकता है और चीज़ें तो इस क़ाबिल ही नहीं कि उनमें हसद पाया जा सके कि हसद के मअनी यह हैं कि दूसरे में कोई नेमत देखे और यह आरज़ू करे कि वह मुझे मिल जाए और दुनिया की चीज़ें नेमत नहीं कि जिनके हासिल की फ़िक्र हो दुनिया की चीज़ों का अन्जाम अल्लाह तआला की नाराज़गी है और ये चीज़ें वो हैं कि जिनका अन्जाम अल्लाह तआला की खुशनूदी व रज़ा है लिहाज़ा नेमत जिसका नाम है वह यही है इनमें हसद हो सकता है। (आलमगीरी)

किसी को रुख़सत करने की दुआ

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी इन्सान को रुख़सत फ़रमाते थे तो यह कलिमात ज़बाने मुबारक से इरशाद फ़रमाते थे। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

.ज़ुल्म की मज़म्मत

.क़ुरआन मजीद में बहुत से मौके पर इसकी बुराई ज़िक्र की गयी और अहादीस इसके मुताल्लिक़ बहुत हैं। बाज़ ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस न. 1 : .ज़ुल्म क़ियामत के दिन तारीकियाँ है यानी .ज़ुल्म करने वाला क़ियामत के दिन सख़्त मुसीबतों और तारीकियों में घिरा हुआ होगा। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस न. 2 : अल्लाह तआला ज़ालिम को ढील देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। उसके बाद ये आयत तिलावत की

وَكَذٰلِكَ اَخۡذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الۡقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ

तर्जमा : –ऐसी ही तेरे रब की पकड़ है जब वह .ज़ुल्म करने वाली बस्तियों को पकड़ता है।

हदीस न. 3 : जिसके ज़िम्में उसके भाई का कोई हक़ हो वह आज उससे माफ़ करा ले इससे पहले कि न अशर्फ़ी होगी न रूपये बल्कि उसके अमले सालेह (नेक अमल) को बक़द्रे हक़ लेकर दूसरे को दे दिये जायेंगे और अगर उसके पास नेकियाँ नहीं होंगी तो दूसरे के गुनाह उस पर लाद दिये जायेंगे। (बुख़ारी)

हदीस न. 4 : तुम्हें मालूम है मुफ़लिस कौन है लोगों ने अर्ज़ की हममें मुफ़लिस वह है कि न उसके पास रूपये हैं न माल। फ़रमाया मेरी उम्मत में मुफ़लिस वह है कि क़ियामत के दिन नमाज़ रोज़ा ज़कात ले कर आयेगा और इस तरह आयेगा कि किसी को गाली दी है, किसी पर तोहमत लगाई है, किसी का माल खा लिया है, किसी का ख़ून बहाया है, किसी को मारा है लिहाज़ा उसकी नेकियाँ इसको दे दी जायेंगी। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस न. 5 : इम्अा न बनो कि ये कहने लगो कि लोग अगर हमारे साथ ऐहसान करेंगे तो हम भी एहसान करेंगे और अगर हम पर .ज़ुल्म करेंगे तो हम भी .ज़ुल्म करेंगे अपने नफ़्स को उस पर जमाओ कि लोग ऐहसान करें तो तुम भी ऐहसान करो और अगर बुराई करें तो तुम .ज़ुल्म न करो। (तर्मिज़ी)

हदीस न. 6 : जो शख़्स अल्लाह की .ख़ुशनूदी का तालिब हो लोगों की नाराज़ी के साथ यानी अल्लाह राज़ी हो चाहे लोग नाराज़ हों हुआ करें उसकी कोई परवाह न करे अल्लाह तआला लोगों के शर से उसकी किफ़ायत करेगा और जो शख़्स लोगों को .ख़ुश रखना चाहे अल्लाह की नाराज़ी के साथ

अल्लाह तआला उसको आदमियों के सुपुर्द कर देगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस न. 7 : सबसे बुरा क़ियामत के दिन वह बन्दा है जिसने दूसरे की दुनिया के बदले में अपनी आख़रत बरबाद कर दी। (इब्ने माजा)

हदीस न. 8 : मज़लूम की बददुआ से बचो कि वह अल्लाह तआला से अपने हक़ मांगेगा और किसी हक़ वाले के हक़ से अल्लाह मना नहीं करेगा।(बयहक़ी)

आयते शिफ़ा

इब्ने सुबकी ने बयान किया कि उस्ताद अबुल क़ासिम ज़ैनुल इस्लाम अब्दुल करीम इब्ने हवाज़िन के एक साहबज़ादे ऐसा सख़्त बीमार हुए कि ज़िन्दगी की उम्मीद न थी। उन्होंने रब तआला को ख़्वाब में देखा और बारगाहे इलाही में इसकी शिकायत की। हक़ तआला ने उनसे फ़रमाया कि तुम .क़ुरआन की आयाते शिफ़ा जमा करो और उनको अपने बेटे के ऊपर पढ़ो या उन आयतों को एक बर्तन में लिखो और उसमें पानी डालो और अपने बच्चे को पिलाओ। उन्होंने ऐसा ही किया और उनका बच्चा शिफ़ायाब हो गया। इब्ने सुबकी कहते हैं कि मैंने बहुत से मशाइख़ को देखा कि शिफ़ा के लिए इसको लिखते और मरीज़ को पिलाते। आयाते शिफ़ा ये हैं :–

(١) وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ط

(٢) شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُورِ ط

(٣) فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ط

(٤) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ط

(٥) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ط

(٦) قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا هُدًى وَّشِفَآءٌ ط

.गुस्सा और तकब्बुर का बयान

हदीस न. 1 : एक शख़्स ने अर्ज़ की मुझे वसीयत कीजिये फ़रमाया .गुस्सा न करो उसने बार बार वही सवाल किया ज़वाब यही मिला कि .गुस्सा न करो।(बुख़ारी)

हदीस न. 2 : क़वी वह नहीं जो पहलवान हो दूसरे को पछाड़ दे बल्कि क़वी वह है जो .गुस्से के वक़्त अपने को क़ाबू में रखे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस न. 3 : अल्लाह तआ़ला की .ख़ुशनूदी के लिए बन्दे ने .गुस्से का घूंट पिया इससे बढ़कर अल्लाह के नज़दीक कोई घूंट नहीं। (अहमद)

हदीस न. 4 : .कुरआन मजीद की आयत है :–

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝

तर्जमा : उसके साथ दिफ़ा कर जो अहसन (बेहतर) है फिर वह शख़्स कि तुझमें और उसमें अदावत है ऐसा हो जायेगा गोया वह ख़ालिस दोस्त है।

इसकी तफ़सीर में हज़रत अबदुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा फ़रमाते है कि .गुस्से के वक़्त सब्र करे और दूसरा उसके साथ बुराई करे तो ये माफ़ करे जब ये ऐसा करेगा अल्लाह उनको महफ़ूज़ रखेगा और उनका दुश्मन झुक जायेगा गोया वह ख़ास दोस्त क़रीब है । (बुख़ारी)

हदीस न. 5 : .गुस्सा ईमान को ऐसा ख़राब करता है जिस तरह ऐलवा शहद को ख़राब कर देता है। (बयहक़ी)

हदीस न. 6 : हज़रते मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ रब कौन बन्दा तेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला है फ़रमाया वह जो बावुजूदे .कुदरत माफ़ कर दे। (बयहक़ी)

हदीस न. 7 : जो शख़्स अपनी .ज़ुबान को महफ़ूज़ रखेगा अल्लाह उसकी पर्दापोशी फ़रमायेगा और जो .गुस्से को रोकेगा क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला अपना अज़ाब उससे रोक देगा और जो अल्लाह से उज़्र करेगा अल्लाह उसके उज़्र को .कबूल फ़रमायेगा। (बयहक़ी)

हदीस न. 8 : .गुस्सा शैतान की तरफ़ से है और शैतान आग से पैदा होता है और आग पानी ही से बुझाई जाती है लिहाज़ा जब किसी को .गुस्सा आ जाये तो वुज़ू कर ले। (अबू दाऊद)

हदीस न. 9 : जब किसी को .गुस्सा आये और वह खड़ा हो तो वह बैठ जाये अगर .गुस्सा चला जाये तो ठीक वरना लेट जाये। (अहमद, तिर्मिज़ी)

हदीस न. 10 : बाज़ लोगों को .गुस्सा जल्द आ जाता है और जल्द जाता रहता है एक के बदले में दूसरा है और बाज़ को देर में आता है और देर में जाता है यहाँ भी एक के बदले में दूसरा है यानी एक बात अच्छी है और एक बात बुरी अदला बदला हो गया। और तुममें बेहतर वह है कि देर में उन्हें .गुस्सा आये और जल्द चला जाये और बदतर वह है जिन्हें जल्द आये और देर में जाये .गुस्से से बचो कि वह आदमी के दिल पर एक अंगारा है, देखते नहीं हो कि गले की रगें फूल जाती हैं और आँखें सुर्ख़ हो जाती हैं जो शख़्स .गुस्सा महसूस करे लेट जाये और ज़मीन से चिपट जाये।

हदीस न. 11 : मैं तुमको जन्नत वालों की ख़बर न दूँ वह ज़ईफ़ हैं जिनको लोग ज़ईफ़ व हक़ीर जानते हैं (मगर ये कि) अगर अल्लाह पर क़सम खा बैठें तो अल्लाह उसको सच्चा कर दे और क्या जहन्नम वालों की ख़बर न दूँ वह सख़्त गो, सख़्त .खू,तकब्बुर करने वाले हैं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस न. 12 : जिस किसी के दिल में राई बराबर ईमान होगा वह जहन्नम में नहीं जायेगा और जिस किसी के दिल में राई बराबर तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं जायेगा। (मुस्लिम) दोनों जुमलों की वही तावील है जो इस मक़ाम में मशहूर है।

हदीस न. 13 : तीन शख़्स हैं जिनसे क़ियामत के दिन न तो अल्लाह तआला कलाम करेगा न उनको पाक करेगा न उनकी तरफ़ नज़र फ़रमायेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 1: बूढ़ा ज़िनाकार 2 : बादशाह कज़्ज़ाब (झूटा) 3. मुहताज मुताकब्बिर (जो .ज़रूरतमन्द हो फिर भी .गुरूर करे)। (मुस्लिम)

हदीस न. 14 : अल्लाह तआला फ़रमाता है कि किबरिया (बड़ाई) और अज़मत मेरी सिफ़तें है जो शख़्स इनमें से किसी एक में मुझसे मुनाज़अत (इख़्तेलाफ़ या झगड़ा करना) करेगा उसे जहन्नम में डाल दूंगा।(मुस्लिम)

हदीस न. 15 : आदमी अपने को (अपने मरतबे से ऊँचे मरतबे की तरफ़) ले जाता रहता है यहाँ तक कि जब्बारीन (.गुरूर करने वाले) में लिख दिया जाता है फिर जो उन्हें पहुँचेगा उसे भी पहुँचेगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस न. 16 : मुताकब्बिरीन (मग़रूर लोग) का हशर क़यामत के दिन चीटियों की बराबर जिस्मों में होगा और उनकी सूरतें आदमियों की होंगी ! हर तरफ़ से उन पर ज़िल्लत छाये हुए होगी। उनको खींचकर जहन्नम के क़ैद ख़ाने की तरफ़ ले जायेगें जिसका नाम बूलस है उनके ऊपर आगों की आग

होगी। जहन्नमियों का निचोड़ उन्हें पिलाया जायेगा जिसको तीनतुल ख़बाल (बचा खुचा नीचे का यानी तलछट) कहते हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस न. 17 : जो अल्लाह के लिए तवाज़ो करता है अल्लाह उसको बलन्द करता है वह अपने नफ़्स में छोटा मगर लोगों की नज़र में बड़ा है और जो बड़ाई करता है अल्लाह उसको पस्त करता है वह लोगों की नज़र में ज़लील है और अपने नफ़्स में बड़ा है वह लोगों के नज़दीक कुत्ते या सुअर से भी ज्यादा हकीर है। (बयहक़ी)

हदीस न. 18 : तीन चीज़ें नजात देने वाली हैं और तीन हलाक करने वाली हैं नजात वाली चीज़ ये हैं 1. पोशीदा और ज़ाहिर में अल्लाह से तक़वा। 2.ख़ुशी व नाख़ुशी में हक़ बात बोलना। 3. मालदारी और ऐहतयाज (.ज़रूरत) की हालत में दरमियानी चाल चलना। हलाक करने वाली ये हैं। 1. ख़्वाहिशे नफ़सानी की पैरवी करना। 2. बुख़्ल की इताअत यानी कंजूसी और 3. अपने नफ़्स के साथ घमंड करना ये सबमें सख़्त है। (बयहक़ी)

जब .गुस्सा आए तो क्या पढ़े

हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो .गुस्से के वक़्त यहं पढ़े तो उसका .गुस्सा चला जाएगा। (तिर्मिज़ी)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○

हिज्र (छोड़ना)और क़ता तअल्लुक़ की मुमानअत

हदीस न. 1 : सही मुस्लिम व बुख़ारी में अबू अय्यूब अन्सारी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया आदमी के लिए ये हलाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ रखे कि दोनों मिलते हैं एक इधर मुँह फे़र लेता है और दूसरा उधर मुँह फेर लेता है और इन दोनों में बेहतर वह है जो पहले सलाम करे।

हदीस न. 2 : अबू दाऊद ने हज़रते आइशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुस्लिम के लिए ये नहीं है कि दूसरे मुस्लिम को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ रखे जब उससे मुलाक़ात हो तो तीन मरतबा सलाम कर ले अगर उसने जवाब नहीं दिया तो इसका गुनाह भी उसी के ज़िम्मे है।

हदीस न. 3 : अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मोमिन के लिए ये हलाल नहीं कि मोमिन को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे अगर तीन दिन गुज़र गये मुलाक़ात कर ले और सलाम करे अगर दूसरे ने सलाम का जवाब दे दिया तो अज्र में दोनों शरीक हो गये और अगर जवाब नहीं दिया तो गुनाह उसके ज़िम्मे है और ये शख़्स छोड़ने के गुनाह से निकल गया।

हदीस न. 4 : अबू दाऊद ने अबू ख़राश सुलमी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि उन्होंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को ये फ़रमाते सुना कि जो शख़्स अपने भाई को साल भर छोड़ दे तो ये उसके क़त्ल की मिस्ल है।

हदीस न. 5 : इमाम अह़मद व अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुस्लिम के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे फिर जिसने ऐसा किया और मर गया तो जहन्नम में गया।

सुलूक करने का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :-

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى وَ
الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ط (پ۱ رکوع ۱۰)

<u>तर्जमा</u> : और जब हमने बनी इसराईल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो और माँ बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों से और लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज़ क़ाइम रखो और ज़कात दो। (पारा 1 रुकू 10)

और फ़रमाता है :-

قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ٥ (پ۲ رکوع ۱۰)

<u>तर्जमा</u> : तुम फ़रमाओ जो कुछ माल नेकी में ख़र्च करो तो वह माँ बाप और क़रीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और राहगीर के लिए है और जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे जानता है। (पारा 2 रुकू 10)

और फ़रमाता है :-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْآ اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ
اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ٥ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ٥ (پ۱۵ رکوع ۳)

<u>तर्जमा</u> : और तुम्हारे रब ने हुक्म फ़रमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो अगर तेरे सामने उनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनसे उफ़ न कहना और उन्हें न झिड़कना और उनसे ताज़ीम की बात कहना और उनके लिए आजिज़ी का बाज़ू बिछा नर्म दिली से। और अर्ज़ कर कि ऐ मेरे रब तू उन दोनों पर रहम कर जैसा कि उन दोनों ने मुझे छुटपन (बचपन) में पाला। (पारा 15 रुकू 3)

और फ़रमाता है :-

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط (پ۲۰ رکوع ۱۳)

तर्जमा : और हमने आदमी को ताकीद की अपने माँ बाप के साथ भलाई की और अगर यह तुझसे कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहराये जिसका तुझे इल्म नहीं तो तू उनका कहा न मान। (पारा 20 रुकू 13)

और फ़रमाता है :-

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ہ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز (پ۲۱ رکوع ۱۱)

तर्जमा : और हमने आदमी को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फ़रमाई उसकी माँ ने उसे पेट में रखा कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेलती हुई और उसका दूध छूटना दो बरस में है यह कि हक़ मान मेरा और अपने माँ बाप का, आख़िर मुझी तक आना है और अगर वह दोनों तुझसे कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहराये ऐसी चीज़ को जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका कहना न मान और दुनिया में अच्छी तरह उनका साथ दे। (पारा 21 रुकू 11)

और फ़रमाता है :-

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ط (پ۲۶ رکوع ۲)

तर्जमा : और हमने आदमी को हुक्म किया कि अपने माँ बाप से भलाई करे उसकी माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ़ से और जनी उसको तकलीफ़ से। (पारा 26 रुकू 2)

और फ़रमाता है :-

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ہلا الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ہلا وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ہط (پ۱۳ رکوع ۹)

तर्जमा : नसीहत वही मानते हैं जिन्हें अक्ल है वह जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं और बात पुख़्ता करके नहीं तोड़ते और ज़िसके जोड़ने का .ख़ुदा ने हुक्म दिया है उसे जोड़ते हैं और .ख़ुदा से डरते हैं और हिसाब की बुराई से डरते रहते हैं। (पारा 13 रुकू 9)

और फ़रमाता है :–

وَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ه (پ۱۳ رکوع ۹)

तर्जमा : और जो लोग अल्लाह के अहद को मज़बूती के बाद तोड़ते हैं और अल्लाह ने जिसके जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फ़साद करते हैं उनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है।(पारा 13 रुकू 9)

और फ़रमाता है :–

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ط

तर्जमा : और अल्लाह से डरो जिससे तुम सवाल करते हो और रिशते से।

हदीस न. 1 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सब से ज़्यादा हुस्ने सोहबत यानी ऐहसान का मुस्तहक़ कौन है। इरशाद फ़रमाया तुम्हारी माँ यानी माँ का हक़ सबसे ज़्यादा है। उन्होंने पूछा फिर कौन। हुज़ूर ने फिर माँ को बताया। उन्होंने फिर पूछा कि फिर कौन। इरशाद फ़रमाया तुम्हारा वालिद और एक रिवायत में है कि हुज़ूर ने फ़रमाया सबसे ज़्यादा माँ है फिर माँ फिर माँ फिर बाप फिर वह जो ज़्यादा क़रीब फिर वह है जो ज़्यादा क़रीब है यानी ऐहसान करने में माँ का मरतबा बाप से भी तीन दर्जा बलन्द है।

हदीस न. 2 : अबू दाऊद व तिर्मिज़ी बरिवायत बहज़ इब्ने हकीम अन अबीहे अन जिद्देही रावी कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह किसके साथ अहसान करूँ। फ़रमाया अपनी माँ के साथ। मैंने कहा फिर किसके साथ। फ़रमाया अपनी माँ के साथ। मैंने कहा फिर किसके साथ। फ़रमाया अपनी माँ के साथ। मैंने कहा फिर किसके साथ फ़रमाया अपने बाप के साथ। फिर उसके साथ जो ज़्यादा क़रीब हो फिर उसके बाद जो ज़्यादा क़रीब हो।

हदीस न. 3 : सही मुस्लिम में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज्यादा ऐहसान करने वाला वह है जो अपने बाप के दोस्तों के साथ बाप के न होने की सूरत में एहसान करे यानी जब बाप मर गया या कहीं चला गया हो।

हदीस न. 4 : सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उसकी नाक ख़ाक में मिले (इसको तीन मरतबा फ़रमाया) यानी ज़लील हो किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह कौन यानी ये किसके मुताल्लिक़ इरशाद है। फ़रमाया जिसने माँ बाप दोनों या एक को बुढ़ापे के वक़्त पाया और जन्नत में दाख़िल न हो यानी उनकी ख़िदमत न की कि जन्नत में जाता।

हदीस न. 5 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अस्मा बिन्ते अबीबक्र सिद्दीक़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहती हैं कि जिस ज़माने में .कुरैश ने हुज़ूर से मुआहिदा किया था मेरी माँ जो मुश्रिका थी मेरे पास आयी, मैंनें अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी माँ आयी है और वह इस्लाम की तरफ़ राग़िब है या वह इसलाम से ऐराज़ किये हुए है क्या मैं उसके साथ सुलूक करूँ ? इरशाद फ़रमाया उसके साथ सलूक करो यानी काफ़िर माँ के साथ भी सलूक किया जायेगा।

हदीस न. 6 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में मुग़ीरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने ये चीज़ें तुम पर हराम कर दी हैं। 1. माँ की नाफ़रमानी करना और 2. लड़कियों को ज़िन्दा दफ़न करना और 3. दूसरों का जो अपने ऊपर आता हो उसे न देना और अपना मांगना कि लाओ ––– और ये बातें तुम्हारे लिए मकरूह की क़ील व क़ाल यानी .फ़ुज़ूल बातें और कसरते सवाल (बहुत ज़्यादा मांगना) और इज़ाअते माल (माल को ज़ाए करना)

हदीस न. 7 : सही मुस्लिम व बुख़ारी में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ये बात कबीरा गुनाहों में है कि आदमी अपने वालिदैन को गाली दे। लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या कोई अपने वालिदैन को भी गाली देता है। फ़रमाया हाँ इसकी सूरत ये है कि ये दूसरे के बाप को गाली देता है वह उसके बाप को गाली देता है और ये दूसरे की माँ को गाली देता है और वह

उसकी माँ को गाली देता है।

सहाबए किराम जिन्होंने अरब का ज़मानए जाहिलियत देखा था उनकी समझ में ये नहीं आया कि अपने माँ बाप को कोई क्यूँकर गाली देगा यानी ये बात उनकी समझ से बाहर थी। हुज़ूर नें बताया कि मुराद दूसरे से गाली दिलवाना है ------ और अब वह ज़माना आया कि बाज़ लोग .खुद अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं और कुछ लिहाज़ नहीं करते।

हदीस न. 8 : शरहे सुन्नह' में और बयहक़ी ने शोबुल ईमान में आइशा रदियल्लाहु तआला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं जन्नत में गया उसमें .कुरआन पढ़ने की आवाज़ सुनी। मैंने पूछा ये कौन पढ़ता है। फ़रिश्तों ने कहा हारसा इब्ने नौमान हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया यही हाल है एहसान का, यही हाल है एहसान का। हारसा अपनी माँ के साथ बहुत भलाई करते थे।

हदीस न. 9 : तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रद़ियल्लहु तआला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया परवर्दगार की .खुशनूदी बाप की .खुश्नूदी में है और परवर्दगार की नाखुशी बाप की नाराज़ी में है।

हदीस न. 10 : तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने रिवायत की एक शख़्स अबू दरदा रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु के पास आया और कहा कि मेरी माँ मुझे ये हुक्म देती है कि मैं अपनी औरत को तलाक दे दूँ। अबू दरदा रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि वालिदा जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाज़ा है अब तेरी .खुशी है कि उस दरवाज़े की हिफ़ाज़त करे या ज़ाय कर दे।

हदीस न. 11 : तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हुमा से रिवायत की कहते हैं मैं अपनी बीवी से महब्बत रखता था और हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु उस औरत से कराहत करते थे। उन्होंने मुझसे ये फ़रमाया कि इसे तलाक़ दे दो, मैंने नहीं दी फिर हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और ये वाकिया बयान किया हुज़ूर ने मुझसे फ़रमाया कि उसे तलाक़ दे दो।

उलमा फ़रमाते हैं कि अगर वालिदैन हक़ पर हों जब तो तलाक़ देना

वाजिब ही है और अगर बीवी हक़ पर हो जब भी वालिदैन की रज़ामन्दी के लिए तलाक़ देना जाएज़ है।

हदीस न. 12 : इब्ने माजा ने अबू उमामा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह वालिदैन का औलाद पर क्या हक़ है। फ़रमाया कि वह दोनों तेरी जन्नत व दोज़ख़ हैं यानी उनको राज़ी रखने से जन्नत मिलेगी और नाराज़ रखने से दोज़ख़ के मुस्तहक़ होगे।

हदीस न. 13 : बयहक़ी ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा सेरिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने इस हाल में सुबह की कि अपने वालिदैन का फ़रमाबरदार रहा उसके लिए सुबह ही को जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और अगर वालिदैन में से एक ही हो तो एक दरवाज़ा खुल जाता है और जिसने इस हाल में सुबह की कि वालिदैन के मुताल्लिक़ .खुदा की नाफ़रमानी करता है उसके लिए सुबह ही जहन्नम के दो दरवाज़े खुल जाते हैं और एक हो तो एक दरवाज़ा खुलता है कि एक शख़्स ने कहा अगरचे माँ बाप उस पर .ज़ुल्म करें। फ़रमाया अगरचे .ज़ुल्म करें, अगरचे .ज़ुल्म करें, अगरचे .ज़ुल्म करें।

हदीस न. 14 : बयहक़ी ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाह तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब औलाद अपने वालिदैन की तरफ़ नज़रे रहमत करे तो अल्लाह तआ़ला उसके लिए हर नज़र के बदले हजे मबरूर का सवाब लिखता है। लोगों ने कहा अगरचे दिन में सौ मरतबा नज़र करे। फ़रमाया हाँ अल्लाह बड़ा है और अतीब (बहुत पाक) है यानी उसे सब कुछ .कुदरत है

हदीस न. 15 : इमाम अह़मद व निसाई व बयहक़ी ने मुआविया इब्ने जाहिमा से रिवायत की कि उनके वालिद जाहिमा हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा इरादा जिहाद में जाने का है, हुज़ूर से मशवरा लेने को हाज़िर हुआ हूँ। इरशाद फ़रमाया तेरी माँ है। अर्ज़ की हाँ। फ़रमाया उसकी ख़िदमत लाज़िम कर ले कि जन्नत उसके क़दमों के पास है।

हदीस न. 16 : बयहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किसी के माँ बाप दोनों या एक का इन्तेकाल हो गया और ये उनकी नाफ़रमानी करता था

अब उनके लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला उसको नेकोकार लिख देता है।

हदीस न. 17 : निसाई व दारमी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मन्नान यानी ऐहसान जताने वाला और वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला और शराबख़्वारी की मुदावमत करने वाला जन्नत में नहीं जायेगा। यानी हमेशा पीने वाला।

हदीस न. 18 : तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि एक शख़्स ने नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैंने एक बड़ा गुनाह किया है, मेरी तौबा .कबूल होगी। फ़रमाया क्या तेरी माँ ज़िन्दा है। अर्ज़ की नहीं। फरमाया तेरी कोई ख़ाला है। अर्ज़ की हाँ। फ़रमाया उसके साथ एहसान कर।

हदीस न. 19 : अबू दाऊद व इब्ने माजा ने अबी उसैद सादी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं हम लोग रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे कि बनी सलमा में का एक शख़्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन मर चुके हैं अब भी उनके साथ एहसान का कोई तरीक़ा बाक़ी है। फ़रमाया हाँ उनके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करना और जो उन्होंने अहद किया है उसको पूरा करना और जिस रिशते वाले के साथ उन्हीं की वजह से सुलूक किया जा सकता हो उसके साथ सुलूक करना और उनके दोस्तों की इज़्ज़त करना।

हदीस न. 20 : हाकिम ने मुस्तदरक में कअब इब्ने अजरह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम लोग मिम्बर के पास हाज़िर हो जाओ हम सब हाज़िर हुए जब हुज़ूर मिम्बर के पहले दर्जे पर चढ़े। फ़रमाया आमीन। जब दूसरे पर चढ़े, कहा आमीन। जब तीसरे दर्जे पर चढ़े, कहा आमीन। जब हुज़ूर मिम्बर से उतरे, हमने अर्ज़ की हुज़ूर से आज ऐसी बात सुनी कि कभी ऐसी नहीं सुना करते थे। फ़रमाया कि जिब्राईल मेरे पास आये और ये कहा कि उसे रहमते इलाही से दूरी हो जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत न हुई। उस पर मैंने आमीन कही। जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा उस शख़्स के लिए रहमते इलाही से दूरी हो जिसके सामने हुज़ूर का ज़िक्र हो और वह हुज़ूर

पर दुरूद न पढ़े। उस पर मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे ज़ीने पर चढ़ा उन्होंने कहा उसके लिए दूरी हो जिसके माँ बाप दोनों या एक को बुढ़ापा आया और उन्होंने उसे जन्नत में दाख़िल न किया मैंने कहा आमीन।

हदीस न. 21 : बयहक़ी ने सईद इब्ने आस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बड़े भाई का छोटे भाई पर वैसा ही हक़ है जैसा कि बाप का हक़ औलाद पर है।

हदीस न. 22 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब अल्लाह तआ़ला मख़लूक़ पैदा फ़रमा चुका रिश्ता (कि ये भी एक मख़लूक़ है) खड़ा हुआ और दरबारे उलूहिय्यत में इस्तेग़ासा किया। इरशादे इलाही हुआ क्या है। रिश्ते ने क़हा मैं तेरी पनाह मांगता हूँ काटने वालों से। इरशाद हुआ क्या तू इस पर राज़ी नहीं कि जो तुझे मिलाए मैं उसे मिलाऊँगा और तुझे काटे मैं उसे काट दूगा। उसने कहा हाँ मैं राज़ी हूँ फ़रमाया तो बस यही हैं।

हदीस न. 23 : सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया रह़म (रिश्ता) रह़मान से मुशतक़ (बना है) है, अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया जो तुझे मिलायेगा मैं उसे मिलाऊँगा और जो तुझे काटेगा मैं उसे काटूँगा।

हदीस न. 24 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मुल मोमेनीन आइशा सिद्दीक़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रिश्ता अर्शे इलाही से लिपट कर ये कहता है जो मुझे मिलाएगा अल्लाह उसको मिलायेगा और जो मुझे काटेगा अल्लाह उसे काटेगा।

हदीस न. 25 : अबू दाऊद ने अब्दुर्रह़मान इब्ने औफ़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि अल्लाह तबारक व तआ़ला ने फ़रमाया मैं अल्लाह हूँ मैं रह़मान हूँ रह़म (यानी रिशते) को मैंने पैदा किया और उसका नाम मैंने अपने नाम से मुशतक़ किया लिहाज़ा जो उसे मिलायेगा मैं उसे मिलाऊँगा और जो उसे काटेगा मैं उसे काटूँगा।

हदीस न. 26 : सही बुख़ारी में अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो ये पसन्द करे कि उसके रिज़्क़ में वुसअत हो और उसके असर (यानी उमर में) ताख़ीर की

जाये तो अपने रिश्ते वालों के साथ सुलूक करे।

हदीस न. 27 : इब्ने माजा ने सौबान रदि़यल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तक़दीर को कोई चीज़ रद्द नहीं करती मगर दुआ और बिर यानी ऐहसान करने से उमर में ज़्यादती होती है। और आदमी गुनाह करने की वजह से रिज़्क़ से महरूम हो जाता है।

इस हदीस का मतलब यह है कि दुआ से बलायें दफ़ा होती हैं यहाँ तक़दीर से मुराद तक़दीरे मुअल्लक़ है और ज़्यादतिए उमर का भी यही मतलब है कि एहसान करना दराज़ीए उम्र का सबब है और रिज़्क़ से सवाब उख़रवी मुराद है कि गुनाह उसकी महरूमी का सबब है और हो सकता है कि बाज़ सूरतों में दुनियावी रिज़्क़ से भी महरूम हो जाये।

हदीस न. 28 : हाकिम ने मुसतदरक में इब्ने अब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपने नसब पहचानो ताकि सिलारह़मी करो क्यूँकि अगर रिश्ते को काटा जाये तो अगरचे क़रीब हो वह क़रीब नहीं और अगर जोड़ा जाये तो दूर नहीं अगरचे दूर हो।

हदीस न. 29 : तिर्मिज़ी ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपने नसब को इतना सीखो जिससे सिलारहम कर सको क्यूँकि सिलारहम अपने लोगों में महब्बत का सबब है इससे माल में ज़्यादती और असर (यानी उमर) में ताख़ीर होगी। कहने का मतलब यह है कि अपने नसब के बारे में इतना जान लो कि रिश्तेदारों से सिलारह़म कर सको।

हदीस न. 30 : हाकिम ने मुस्तदरक में आसिम रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसको ये पसन्द हो कि उमर में दराज़ी हो और रिज़्क़ में वुसअत हो और बुरी मौत दफ़ा हो वह अल्लाह तआ़ला से डरता रहे और रिश्तेवालों से सुलूक करे।

हदीस न. 31 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में जुबैर इब्ने मुतइम रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जायेगा।

हदीस न. 32 : बयहक़ी ने शोबुल ईमान में अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला

अ़लैहि वसल्लम को मैंने यह फ़रमाते सुना कि जिस क़ौम में क़ातेए रहम (रिश्ता ख़त्म करने वाला) होता है उस पर रहमते इलाही नहीं उतरती।
हदीस न. 33 : तर्मिज़ी व अबू दाऊद ने अबूबक्र रद्वियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस गुनाह की सज़ा दुनिया में भी जल्दी दे दी जाये और उसके लिए आख़रत में भी अज़ाब का ज़ख़ीरा रहे वह बग़ावत और क़तारहम से बढ़कर नहीं और बयहक़ी की रिवायत शोबुल ईमान में उन्हीं से यूँ है कि जितने गुनाह हैं उनमें से जिसको अल्लाह तआ़ला चाहता है माफ़ कर देता है सिवा वालिदैन की नाफ़रमानी के कि उसकी सज़ा ज़िन्दगी में मौत से पहले दी जाती है।
हदीस न. 34 : सही बुख़ारी में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सिलारह़मी इसका नाम नहीं कि बदला दिया जाये यानी उसने उसके साथ एहसान किया उसने उसके साथ क़र दिया बल्कि सिलारह़मी करने वाला वह है कि उधर से काटा जाता है और ये जोड़ता है।
हदीस न. 35 : सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मेरी .क़ुराबत वाले ऐसे हैं कि मैं उन्हें मिलाता हूँ और वह काटते हैं, मैं उनके साथ एहसान करता हूँ वह मेरे साथ बुराई करते हैं और मैं उनके साथ हिल्म से पेश आता हूँ और वह मुझ पर जिहालत करते हैं। इरशाद फ़रमाया अगर ऐसा ही है जैसा तुमने बयान किया तो तुम उनको गर्म राख फंकाते हो और हमेशा अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारे साथ एक मददगार रहेगा जब तक तुम्हारी यही हालत रहे।
हदीस न. 36 : हाकिम ने मुस्तदरक में उक़बा इब्ने आमिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मुलाक़ात को गया, मैंने जल्दी से हुज़ूर का दुस्ते मुबारक पकड़ लिया और हुज़ूर ने मेरे हाथ को जल्दी से पकड़ लिया फिर फ़रमाया ऐ उक़बा दुनिया व आख़रत के अफ़ज़ल अख़्लाक़ ये हैं कि तुम उसको मिलो जो तुम्हें जुदा करे और जो तुम पर .ज़ुल्म करे उसे माफ़ कर दो और जो ये चाहे कि उमर में दराज़ी हो और रिज़्क़ में वुसअत हो वह अपने रिश्ते वालों के साथ सुलह करे।
मसाइल फ़िक़हिय्या :– सिलारहम के मअनी रिश्ते को जोड़ना है यानी रिश्ते वालों के साथ नेकी और सुलूक करना सारी उम्मत का उस पर इत्तेफ़ाक़ है

कि सिलहरहम वाजिब है और क़ता रहम हराम है। जिन रिश्ते वालों के साथ सुलह वाजिब है वह कौन हैं। बाज़ उलमा ने फ़रमाया वह ख़ून के रिशते वाले महरम हैं और बाज़ ने फ़रमाया उससे मुराद ख़ून के रिशते वाले हैं महरम हों या न हो। और ज़ाहिर यही क़ौल दोम है। अहादीस में मुतलक़न रिश्ते वालों के साथ सुलह करने का हुक्म आता है। .कुरआन मजीद में मुतलक़न ज़विल कुर्बा (नसब के एतबार से क़रीब के ख़ानदानी लोग) फ़रमाया गया। मगर ये बात .ज़रूर है कि रिश्ते में चूँकि मुख़्तलिफ़ दरजात हैं सिलारहम के दरजात में भी तफ़ावुत (diffrence) होता है, वालिदैन का मरतबा सबसे बढ़कर है इनके बाद .ख़ून का रिशता महरम का। इनके वाद बक़िया रिश्ते वालों का जैसा जिसका मरतबा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : सिलारहम की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं। उनको हदिया व तोहफ़ा देना ––– और अगर उनको किसी बात में तुम्हारी मदद की .ज़रूरत है तो उस काम में उनकी मदद करना। उन्हें सलाम करना, उनकी मुलाक़ात को जाना, उनके पास उठना बैठना. उनसे बात-चीत करना उनके साथ लुत्फ़ व मेहरबानी से पेश आना। (दुरर)

मसअला : अगर ये शख़्स परदेस में है तो रिश्तेवालों के पास ख़त भेजा करे उनसे ख़त-ओ-किताबत जारी रखे ताकि बेताल्लुक़ी पैदा न होने पाये और हो सके तो वतन आये और रिश्तेदारो से ताल्लुक़ात ताज़ा कर ले। इसी तरह करने से महब्बत में इज़ाफ़ा होगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : ये परदेस में है वालिदैन उसे बुलाते हैं तो आना ही होगा, ख़त लिखना काफ़ी नहीं है ––– यूँ ही वालिदैन को उसकी ख़िदमत की हाजत हो तो आये और उनकी ख़िदमत करे बाप के बाद दादा और बडे भाई का मरतबा है कि बड़ा भाई बाप की तरह होता है। बड़ी बहन और ख़ाला माँ की जगह पर हैं। बाज़ उलमा ने चचा को बाप की मिस्ल बताया और हदीस عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ (आदमी का चचा बाप की तरह है) से भी यही निकलता है। इनके अलावा औरों के पास ख़त भेजना या तोहफ़ा भेजना काफ़ी है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : रिश्तेदारों से नागा दे कर मिलता रहे यानी एक दिन मिलने को जाये दूसरे दिन न जाये व **अला हाज़ल क़यास** (और इसी तरह और को सोच ले) कि उससे महब्बत व **उलफ़त** ज़्यादा होती है बल्कि क़रीबी लोगों से जुमा जुमा मिलता रहे या महीने में एक बार –––और तमाम क़बीले और

ख़ानदान को एक होना चाहिए। जब हक़ उनके साथ हो तो दूसरों से मुक़ाबला और इजहारे हक़ में सब मुत्तहिद (एक साथ मिलकर) होकर काम करें। जब अपना कोई रिश्तेदार कोई हाजत पेश करे तो उसकी हाजत-रवायी करे उसको रद्द कर देना क़ता-रहम है।

(दुर्र)

मसअला : सिलारहमी इसी का नाम नहीं कि वह सुलूक करे तो तुम भी करो। ये चीज़ तो हकीकत में अदला बदला करना है कि उसने तुम्हारे पास चीज़ भेज दी तुमने उसके पास भेज दी। वह तुम्हारे यहाँ आया तुम उसके पास चले गये, हक़ीक़तन सिलारहमी ये है कि वह काटे और तुम जोड़ो वह तुमसे जुदा होना चाहता है और तुम उसके साथ रिश्तों के हुक़ूक़ की रिआयत करो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : हदीस में आया है कि सिलारहमी से उमर ज़्यादा होती है और रिज़्क़ में वुसअत होती है। बाज़ उलमा ने इस हदीस को ज़ाहिर पर हमल किया है यानी यहाँ क़ज़ाए मुअल्लक़ मुराद है क्योंकि क़ज़ाये मुबरम टल नहीं सकती। (وَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (پ٣٤٤

और बाज़ ने फ़रमाया कि ज़्यादतिए उमर का ये मतलब है कि मरने के बाद भी उसका सवाब लिखा जाता है गोया वह अब भी ज़िन्दा है या ये मुराद है कि मरने के बाद भी उसका ज़िक्रे ख़ैर लोगों में बाक़ी रहता है।

(रद्दुल मुहतार)

शब में पढ़ने के लिए

1. सूरए मुल्क पढ़े अज़ाबे क़ब्र से निजात है।
2. सूरए यासीन पढ़े मग़फ़िरत है।
3. सूरए वाक़िया फ़ाक़े से अमान है।
4. सूरए दुख़ान सुबह इस हाल में उठे कि सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हों।

नोट : मग़रिब के बाद से लेकर फ़ज्र का वक़्त शुरू होने तक जिस वक़्त भी पढ़े वह शब में पढ़ना कहलाता है।

औलाद पर शफ़क़त और यतीमों पर रह्मत

हदीस न. 1 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मुल मोमेनीन आइशा सिद्दीका रद्रियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि एक आराबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ की कि आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं हम उन्हें बोसा नहीं देते। हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तेरे दिल से रह्मत निकाल ली है तो मैं क्या करूँ।

हदीस न. 2 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में आइशा सिद्दीका रद्रियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत है कहती हैं एक औरत अपनी दो लड़कियाँ ले कर मेरे पास आयी और उसने मुझसे कुछ मांगा, मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ न था मैंने वही दे दी। औरत ने खजूर तक़सीम करके दोनों लड़कियों को दे दी और .खुद नहीं खाई। जब वह चली गयी हुज़ूर नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तश्रीफ़ लाये। मैंने ये वाक़िया बयान किया। हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया जिसको .खुदा ने लड़कियाँ दीं हों अगर वह उनके साथ एहसान करे तो वह जहन्नम की आग से उसके लिए रोक हो जायेगी।

हदीस न. 3 : इमाम अह्मद व मुस्लिम ने हज़रते आइशा रद्रियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत की कहतीं हैं एक मिस्कीन औरत दो लड़कियों को ले कर मेरे पास आयी। मैंने उसे तीन खजूरें दीं। उसने एक एक लड़की को दे दी और एक को मुँह तक खाने के लिए ले गयी कि लड़कियों ने उससे माँगीं। उसने दो टुकड़े करके दोनों को दे दी। जब ये वाक़िया हुज़ूर को सुनाया तो इरशाद फ़रमाया अल्लाह तआ़ला ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी और जहन्नम से आज़ाद कर दिया।

हदीस न. 4 : सही मुस्लिम में अनस रद्रियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसकी अयाल (परवरिश) में दो लड़कियाँ बलूग़ तक रहें, वह क़ियामत के दिन इस तरह आयेगा कि मैं और वह पास पास होंगे और हुज़ूर ने अपनी उंगलियाँ मिला कर कहा इस तरह।

हदीस न. 5 : शरहे सुन्नह में इब्ने अब्बास रद्रियललाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स यतीम को अपने खाने पीने में शरीक करे अल्लाह तआ़ला उसके लिए .ज़रूर जन्नत वाजिब कर देगा मगर जबकि ऐसा गुनाह किया हो जिसकी

...त न हो और जो शख़्स तीन लड़कियाँ या इतनी ही बहनों की परवरिश ... उनको अदब सिखाये उन पर मेहरबानी करे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ... बेनियाज़ कर दे (यानी अब उनको .ज़रूरत बाक़ी न रहे) अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा किसी ने कहा या रसूलल्लाह या दो (यानी दो की परवरिश में यही सवाब वाजिब हो जाये) फ़रमाया दो (यानी इनमें भी वही सवाब है) और अगर लोगों ने एक के मुताल्लिक़ कहा होता तो हुज़ूर एक को भी फ़रमा देते और जिसकी करीमतैन को अल्लाह ने दूर कर दिया उसके लिए जन्नत है। दरयाफ़्त किया गया करीमतैन क्या हैं। फ़रमाया आँखें।

हदीस न. 6 : अबू दाऊद ने औफ़ इब्ने मालिक अशजई रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं और वह औरत जिसके रूख़सारे मैले हैं (यानी अपने बच्चों की परवरिश में इतना लगी रहती है कि अपनी ज़ीनत भी नहीं कर पाती या इतनी फ़ुरसत नहीं पाती कि साफ़ रह सके) दोनों जन्नत में इस तरह होंगे यानी जिस तरह कलिमा और बीच की उगंलियाँ पास पास हैं। इससे मुराद वह औरत है जो मनसब व जमाल वाली थी और बेवा हो गयी और उसने यतीमों की ख़िदमत की यहाँ तक कि वह जुदा हो जायें (यानी बड़े हो जायें या मर जायें)

हदीस न. 7 : इमाम अह़मद व हाकिम व इब्ने माजा ने सुराक़ा इब्ने मालिक रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या मैं तुमको ये न बताऊँ कि अफ़ज़ल सदक़ा क्या है वह अपनी उस लड़की पर सदक़ा करना है जो तुम्हारी तरफ़ वापस हुई (यानी उसका शौहर मर गया उसको तलाक़ दे दी और बाप के यहाँ चली आयी) तुम्हारे सिवा उसका कमाने वाला कोई नहीं है।

हदीस न. 8 : अबू दाऊद ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसकी लड़की हो और वह उसे ज़िन्दा दफ़न न करे और उसकी तौहीन न करे और औलादे ज़ुकूर को उस पर तर्जीह न दे (यानी लड़कों को लड़कियों से ज्यादा न समझे) अल्लाह तआला उसको जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा।

हदीस न. 9 : तिर्मिज़ी ने जाबिर इब्ने समरह रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कोई शख़्स अपनी औलाद को अदब दे वह उसके लिए एक साअ़ सदक़ा करने से बेहतर है।

हदीस न. 10 : तिर्मिज़ी व बयहक़ी ने बरिवायत अय्यूब इब्ने मूसा अन अबीहे अन जद्देही रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बाप का औलाद को कोई अतिया अदबे हसन से बेहतर नहीं यानी बाप अगर अपनी औलाद को अदब सिखाए यही सबसे बढ़िया अतिया औलाद के हक़ में बाप का है।

हदीस न. 11 : तिर्मिज़ी व हाकिम ने अम्र इब्ने सईद इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वालिद का अपनी औलाद को उससे बढ़कर कोई अतिया नहीं कि उसे अच्छे आदाब सिखाये।

हदीस न. 12 : इब्ने माजा ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपनी औलाद का इकराम करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाओ।

हदीस न. 13 : इब्ने नज्जार ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बाप के ज़िम्मे भी औलाद के हुक़ूक़ हैं जिस तरह औलाद के जिम्मे बाप के हुक़ूक़ हैं।

हदीस न. 14 : तबरानी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपनी औलाद को बराबर दो अगर मैं किसी को फ़ज़ीलत देता तो लड़कियों को देता।

हदीस न. 15 : तबरानी ने नौमान इब्ने बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अतिया में अपनी औलाद के दरमियान अद्ल करो जिस तरह तुम ख़ुद ये चाहते हो कि वह सब तुम्हारे साथ एहसान व मेहरबानी में अद्ल करें।

हदीस न. 16 : इब्ने नज्जार ने नौमान इब्ने बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला इसको पसन्द करता है कि तुम अपनी औलाद के दरमियान अद्ल करो यहाँ तक कि बोसा लेने में।

हदीस न 17 : सही बुख़ारी में सहल इब्ने सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स यतीम की किफ़ालत करे वह यतीम उसी घर का हो या ग़ैर का, मैं और वह दोनों जन्नत में इस तरह होंगे। हुज़ूर ने कलिमे की उगंली और बीच की उगंली

से इशारा किया और दोनों उगंलियों के दरमियान थोड़ा सा फ़ासला किया।

हदीस न 18 : इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमानों में सबसे बेहतर घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ ऐहसान किया जाता हो और मुसलमानों में सबसे बुरा घर वह है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुराई की जाती हो।

हदीस न. 19 : इमाम अहमद व तर्मिज़ी ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स यतीम के सर पर महज़ अल्लाह के लिए हाथ फेरे तो जितने बालों पर उसका हाथ गुज़रेगा हर बाल के मुक़ाबले उसके लिए नेकियाँ हैं और जो शख़्स यतीम लड़की या यतीम लड़के पर ऐहसान करे मैं और वह जन्नत में (दो उगंलियों को मिलाकर फ़रमाया) इस तरह होंगे।

हदीस न. 20 : इमाम अहमद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अपने दिल की सख़्ती की शिकायत की। नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया यतीम के सर पर हाथ फेरो और मिस्कीन को खाना खिलाओ।

हदीस न. 21 : तबरानी ने औसत में अबू हुरैरा रद्रियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने फ़रमाया कि लड़का यतीम हो तो उसके सर पर हाथ फेरने में आगे को लाये और बच्चे का बाप हो तो हाथ फेरने में गर्दन की तरफ़ ले जाये।

सफ़र से आने की दुआ

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सफ़र से लौट कर अपने काशानए नुबुव्वत पर मदीने शरीफ़ तशरीफ़ लाते तो यह दुआ पढ़ते थे। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

पड़ोसियों के हुक़ूक़

अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला फ़रमाता है :–

عْبُدُوا اللّٰہَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِی الْقُرْبٰی وَ الْيَتٰمٰی

الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ

ا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۙ ـ (پ۵ ع۳)

तर्जमा : और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक करो माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों से और यतीमों और मौहताजों पास के हमसाया और दूर के हमसाया और करवट के साथी और राहगीर अपनी बांदी .ग़ुलाम से बेशक अल्लाह को .ख़ुश नहीं आता कोई इतराने व बड़ाई मारने वाला। (पारा 5 रुकू

हदीस न. 1 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया .ख़ुदा क़सम वह मोमिन नहीं, .ख़ुदा की कसम वह मोमिन नहीं। अर्ज़ की गयी क या रसूलल्लाह। फ़रमाया वह शख़्स कि उसके पड़ोसी उसकी आफ़तों महफ़ूज़ न हों यानी जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देता है।

हदीस न. 2 : सही मुस्लिम में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया वह जन्नत नहीं जायेगा जिसका पड़ोसी उसकी आफ़तों से अमन में नहीं है।

हदीस न. 3 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत उम्मुल मोमेनीन आइ सिद्दीक़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी मुताल्लिक़ बराबर वसीयत करते रहे यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि पड़ो कों वारिस बना देंगे।

हदीस न. 4 : तिर्मिज़ी व दारमी व हाकिम ने अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदि़यल्ला तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलै वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला के नज़दीक साथियों में वह बेहतर है ज अपने साथी का ख़ैरख़्वाह हो और पड़ोसियों में अल्लाह के नज़दीक वह बेहत

है जो अपने पड़ोसी का ख़ैरख़्वाह हो।

हदीस न. 5 : हाकिम ने मुस्तदरक में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अल्लाह और पिछले दिन (क़ियामत) पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसियों का इकराम करे।

हदीस न. 6 : इब्ने माजा ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं एक शख़्स ने हुज़ूर की ख़िदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे क्यूँकर मालूम हो कि मैंनें अच्छा किया या बुरा किया। फ़रमाया जब तुम अपने पड़ोसियों को ये कहते सुनो कि तुमने अच्छा किया है तो बेशक तुमने अच्छा किया और जब ये कहते सुनो कि तुमने बुरा किया तो बेशक तुमने बुरा किया।

हदीस न. 7 : बयहक़ी ने शोबुल ईमान में अब्दुर्रहमान इब्ने अबी .क़ुराद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक रोज़ नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने वुज़ू किया सहाबा किराम ने वुज़ू का पानी लेकर मुँह वग़ैरा पर मसह करना शुरू कर दिया। हुज़ूर ने फ़रमाया क्या चीज़ तुम्हें इस काम पर आमादा करती है। अर्ज़ की अल्लाह व रसूल की महब्बत। हुज़ूर ने फ़रमाया जिसकी .ख़ुशी ये हो कि अल्लाह व रसूल से महब्बत करे या अल्लाह व रसूल उससे महब्बत करें वह जब बात बोले सच बोले और जब उसके पास अमानत रखी जाये तो अमानत अदा कर दे और जो उसके जवार (पड़ोस) में हो उसके साथ एहसान करे।

हदीस न. 8 : बयहक़ी ने शोबुल ईमान में इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना मोमिन वह नहीं जो .ख़ुद पेट भर खाये और उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूखा रहे यानी मोमिने कामिल नहीं।

हदीस न. 9 : तबरानी ने जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब कोई शख़्स हांडी पका ले तो शोरबा ज़्यादा करे और पड़ोसी को भी उसमें से कुछ दे।

हदीस न. 10 : दैलमी ने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया ऐ आइशा पड़ोसी का बच्चा आ जाये तो उसके हाथ में कुछ रख दो कि उससे महब्बत बढ़ेगी।

हदीस न. 11 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पड़ोसी तुम्हारी दीवार पर कड़ियाँ रखना चाहे तो मना न करो यह हुक्म दियानत का है क़ज़ाअन (क़ानूनन) उसको मना कर सकता है।

हदीस न. 12 : अह़मद व बयहक़ी ने शोबुल ईमान में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह फ़लानी औरत के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया जाता है कि नमाज़ व रोज़ा व सदक़ा कसरत से करती है मगर ये बात भी है कि वह अपने पड़ोसियों को .जबान से तकलीफ़ पहुँचाती है। फ़रमाया वह जहन्नम में है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फ़लानी औरत की निसबत ज़िक्र किया जाता है कि उसके रोज़ा सदक़ा व नमाज़ में कमी है (यानी नवाफ़िल) वह पनीर के टुकड़े सदक़ा करती है और अपनी .ज़ुबान से पड़ोसियों को ईज़ा नहीं देती। फ़रमाया वह जन्नत में है।

हदीस न. 13 : इमाम अह़मद व बयहक़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे बीच अखलाक़ की इसी तरह तक़सीम फ़रमायी जिस तरह रिज़्क़ की तक़सीम फ़रमायी, अल्लाह तआ़ला दुनिया उसे भी देता है जो उसे महबूब हो और उसे भी जो महबूब नहीं और दीन सिर्फ़ उसे देता है जो उसके नज़दीक प्यारा है। लिहाज़ा जिसको .ख़ुदा ने दीन दिया उसे महबूब बना लिया। क़सम है उसकी जिसके दस्तेक़ुदरत में मेरी जान है बन्दा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसका दिल और .ज़बान मुसलमान न हो यानी जब तक दिल में सिद्क़ और जबान से इक़रार न हो और मोमिन नहीं होता जब तक उसका पड़ोसी उसकी आफ़तों से अमन में न हो। इसी की मिस्ल हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत की।

हदीस न. 14 : हाकिम ने मुस्तदरक में नाफ़ेअ इब्ने अब्दुल हारिस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मर्दे मुस्लिम के लिए दुनिया में ये बात सआदत में से है कि उसका पड़ोसी स़ालेह हो और मकान कुशादा हो और सवारी अच्छी हो।

हदीस न. 15 : हाकिम ने मुस्तदरक में आइशा सिद्दीक़ा रदि़यल्लाहु अ़न्हा से रिवायत की कि कहती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे दो पड़ोसी हैं इनमें से किसके पास हदिया भेजूँ। फ़रमाया जिसका दरवाज़ा ज़्यादा नज़दीक हो।

हदीस न. 16 : इमाम अहमद ने उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन सबसे पहले जो दो शख़्स अपना झगड़ा पेश करेंगे वह दोनों पड़ोसी होंगे।

हदीस न. 17 : बयहक़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से बसनद ज़ईफ़ रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी का क्या हक़ है, ये कि जब वह तुमसे मदद मांगे मदद करो और जब क़र्ज़ मांगें क़र्ज़ दो और जब मौहताज हो तो उसे दो। और जब बीमार हो इयादत करो। और जब उसे खै़र पहुँचे तो मुबारक बाद दो। और जब मुसीबत पहुँचे तो ताज़ियत करो और मर जाये तो जनाज़े के साथ जाओ। और बग़ैर इजाज़त अपनी इमारत बलन्द न करो कि उसकी हवा रोक दो और अपनी हांडी से उसको ईज़ा न दो मगर उसमें से कुछ उसे भी दो और मेवे ख़रीदो तो उसके पास भी हदिया करो और अगर हदिया न करो तो छुपाकर मकान में लाओ और तुम्हारे बच्चे उसे लेकर बाहर न निकलें कि पड़ोसी के बच्चों को रंज होगा।

तुम्हें मालूम है पड़ोसी का क्या हक़ है क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है पूरे तौर पर पड़ोसी का हक़ अदा करने वाले थोड़े हैं, वही हैं जिन पर अल्लाह की मेहरबानी है। बराबर पड़ोसी के मुताल्लिक़ हुज़ूर वसीयत फ़रमाते रहे यहाँ तक कि लोगों ने गुमान किया कि पड़ोसी को वारिस करेंगे फिर हुज़ूर ने फ़रमाया कि पड़ोसी तीन क़िस्म के हैं बाज़ के तीन हक़ हैं, बाज़ के दो और बाज़ का एक हक़ है जो पड़ोसी मुस्लिम हो और रिश्ते वाला हो उसके तीन हक़ हैं हक़े जवार और हक़े इसलाम और हक़े .कुराबत। पड़ोसी मुस्लिम के दो हक़ हैं हक़े जवार और हक़े इस्लाम। और पड़ोसी काफ़िर का एक हक़ जवार है। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इनको अपनी .कुर्बानियों में से दें। फ़रमाया मुशरिकीन को कुर्बानियों में से कुछ न दो।

मसअला : छत पर चढ़ने में दूसरों के घरों में निगाह पहुँचती है तो वह लोग छत पर चढ़ने से मना कर सकते हैं जब तक पर्दे की दीवार न बनवा लें या कोई ऐसी चीज़ न लगा लें जिससे बेपर्दिगी न हो और अगर दूसरे लोगों के घरों में नज़र नहीं पड़ती मगर वह लोग जब छत पर चढ़ते हैं तो सामना होता है तो उसको चढ़ने से मना नहीं कर सकता बल्कि उनकी मस्तूरात को ये चाहिए कि

वह .ख़ुद छतों पर न चढ़ें ताकि बेपर्दिगी न हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : इसके मकान पीछे दूसरों के मकान हैं ये अपनी दीवार पें मिट्टी लगाना चाहता है मालिक मकान अपने घर में जाने से उसे रोकता है अब मिट्टी क्यूँकर लगायी जाये। मालिक मकान से कहा जायेगा कि उसे मकान में जाने की इजाज़त दे वर्ना वह .ख़ुद मिट्टी लगा दे। उसके पैसे उससे दिलवाये जायेंगे इसी तरह अगर उसकी दीवार दूसरे के मकान में गिर गयी है वहाँ से मिट्टी उठाने की .ज़रूरत है मालिक मकान उसको इजाज़त दे दे कि ये वहाँ से मिट्टी उठाये और इजाज़त नहीं देता तो .ख़ुद उठाये। (आलमगीरी)

जुमे के दिन दुरूद शरीफ़ की कसरत

हुज़ूरे अकरम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफ़ज़ल दिन जुमे का दिन है लिहाज़ा इस दिन मुझ पर ख़ूब दुरूद पढ़ा करो क्यूँ कि तुम लोगों का दुरूद शरीफ़ मेरे हज़ूर पेश किया जाता है। सहाबा किराम रद़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! जब क़ब्र शरीफ़ में आप का जिस्म मुबारक बिखर कर पुरानी हड्डियों की सूरत में हो जाएगा तो हम लोगों का दुरूद शरीफ़ कैसे आपके दरबार में पेश हुआ करेगा ? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया "अल्लाह तआ़ला ने हज़रत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को ज़मीन पर हराम फ़रमाया दिया है" (अबू दाऊद)

.ज़रूरी तम्बीह : इस हदीस से मालूम हुआ कि तमाम हज़राते अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुक़द्दस जिस्म उनकी मुबारक क़ब्रों में सलामत रहते हैं और ज़मीन पर अल्लाह तआ़ला ने हराम फ़रमा दिया कि उनके मुक़द्दस जिस्मों पर किसी क़िस्म की तबदीली पैदा करे। जब तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की यह शान है तो भला हुज़ूर सय्यदुल अम्बिया व सय्यदुल मुरसलीन और इमामुल अम्बिया व ख़तमुन्नबिय्यीन स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मुक़द्दस जिस्मे अनवर को ज़मीन क्यूँकर खा सकती है। इसलिए तमाम उल्माए उम्मत व औलियाए उम्मत का यही अक़ीदा है कि हुज़ूर -ए- अक़दस स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी क़ब्रे अतहर में ज़िन्दा हैं और ख़ुदा के हुक्म से बड़े बड़े तसर्रुफ़ात फ़रमाते रहते हैं और अपनी ख़ुदादाद पैग़म्बराना .क़ुव्वतों और मोजज़ाना ताक़तों से अपनी उम्मत की मुश्किल कुशाई और उनकी फ़रमयादरसी फ़रमाते रहते हैं। ख़ूब याद रखिए कि जो शख़्स इस के ख़िलाफ़ अक़ीदा रखे वह यक़ीनन बारगाहे अक़दस का गुस्ताख़, बदअक़ीदा, गुमराह और अहले सुन्नत के मज़हब से ख़ारिज है। (सीरते मुस्तफ़ा)

मख़लूके ख़ुदा पर मेहरबानी करना

अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है :–

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ

तर्जमा : नेकी और परहेज़गारी पर आपस में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह व .ज़ुल्म पर मदद न करो।

हदीस न. 1 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता।

हदीस न. 2 : इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि मैंने अबुल क़ासिम सादिक़ मसदूक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते सुना कि रहमत नहीं निकाली जाती मगर बदबख़्त से।

हदीस न. 3 : अबू दाऊद व तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। ज़मीन वालों पर रहम करो तुम पर वह रहम फ़रमायेगा जिसकी हुकूमत आसमान में है।

हदीस न. 4 : तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वह हममें से नहीं जो हमारे छोटे पर रहम न करे और हमारे बड़े की तौक़ीर न करे और अच्छी बात का हुक्म न करे और बुरी बात से मना न करे।

हदीस न. 5 : तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की जवान अगर बूढ़े का इकराम उसकी उमर की वजह से करेगा तो उसकी उमर के वक़्त अल्लाह तआला ऐसे को मुक़र्रर कर देगा जो उसका काम करे।

हदीस न. 6 : अबू दाऊद ने अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ये बात अल्लाह तआला की ताज़ीम में से है कि बूढ़े मुसलमान का इकराम किया जाये और उस हामिले .क़ुरआन का इकराम किया जाये जो ना ग़ाली हो न जाफ़ी (यानी जो .ग़ुलू करते हैं कि हद से तजावुज़ कर जाते हैं कि पढ़ने में अल्फ़ाज़ की सेहत का

लिहाज़ नहीं रखते यानी **मअनी** ग़लत बयान करते हैं या रिया के तौर पर तिलावत करते हैं और हिफ़ाज़त ये है कि उससे ऐराज़ करे न .क़ुरआन की तिलावत करे न उसके अहकाम पर अमल करे) और बादशाह आदिल का इकराम करना।

हदीस न. 7 : इमाम अह्मद व बयहक़ी ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन उलफ़त (महब्बत) की जगह है और उस शख़्स में कोई भलाई नहीं जो न उलफ़त करे न उससे उलफ़त की जाये।

हदीस न. 8 : बयहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत्त की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मेरी उम्मत में किसी की हाजत पूरी कर दे जिससे मक़सूद उसको .ख़ुश करना है उसने मुझे .ख़ुश किया और जिसने मुझे .ख़ुश किया उसने अल्लाह को .ख़ुश किया और जिसने अल्लाह को .ख़ुश किया अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा।

हदीस न. 9 : बयहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो किसी मज़लूम की फ़रयादरसी करे अल्लाह तआ़ला उसके लिए तिहत्तर मग़फ़िरतें लिखेगा। उनमें से एक से उसके तमाम कामों की दुरूस्ती हो जायेगी और बहत्तर से क़ियामत के दिन उसके दर्जे बलन्द होंगें।

हदीस न. 10 : सही मुस्लिम में नौमान इब्ने बशीर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तमाम मोमिन शख़्से वाहिद की मिस्ल हैं अगर उसकी आँख बीमार हुई तो वह कुल बीमार है और सर में बीमारी हुई तो कुल बीमार हैं।

हदीस न. 11 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मूसा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मौमिन मोमिन के लिए इमारत की मिस्ल है कि उसका बाज़ बाज़ को .क़ुव्वत पहुँचाता है फिर हुज़ूर ने एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगलियों में दाख़िल फ़रमाईं यानी जिस तरह ये मिली हुई हैं मुसलमानों को भी इसी तरह होमा चाहिए!

हदीस न. 12 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपने भाई की मदद कर ज़ालिम हो या मज़लूम हो किसी ने अर्ज़ की या

रसूलल्लाह मज़लूम हो तो मदद करूँगा। ज़ालिम हो तो क्यूँकर मदद करूँ। फ़रमाया कि उसको .ज़ुल्म करने से रोक दे यही मदद करना है।

हदीस न. 13 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुस्लिम मुस्लिम का भाई है न उस पर .ज़ुल्म करे न उसकी मदद छोड़े और जो शख़्स अपने भाई की हाजत में है अल्लाह उसकी हाजत में है और जो शख़्स मुस्लिम से किसी एक तकलीफ़ को दूर करे अल्लाह तआ़ला क़ियामत की तकलीफ़ में से एक तकलीफ़ उसकी दूर कर देगा और जो शख़्स मुस्लिम की पर्दापोशी करेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा।

हदीस न. 14 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है बन्दा मोमिन नहीं होता जब तक अपने भाई के लिए वह पसन्द न करे जो अपने लिए पसन्द करता है।

हदीस न. 15 : सही मुस्लिम में तमीमदारी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया दीन ख़ैरख़्वाही का नाम है इसको तीन मरतबा फ़रमाया। हमने अर्ज़ की किस की ख़ैरख़्वाही ? फ़रमाया अल्लाह व रसूल और उसकी किताब की और अइम्मए मुसलेमीन और आम मुसलमानों की।

हदीस न. 16 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में जरीर इब्ने अबदुल्लाह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि कहते है मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से नमाज़ क़ायम करने और ज़कात देने और हर मुसलमान की ख़ैरख़्वाही करने पर बैअत की थी।

हदीस न. 17 : अबू दाऊद ने हज़रते आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि लोगों को उनके मरतबे में उतारो यानी हर शख़्स के साथ उस तरह पेश आओ जो उसके मरतबे के मुनासिब हो। सबके साथ एक सा बरताव न हो मगर उसमें ये लिहाज़ .ज़रूर करना होगा कि दूसरे की तहक़ीर व तज़लील न हो।

हदीस न. 18 : तिर्मिज़ी व बयहक़ी ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में अच्छा वह शख़्स है जिससे भलाई की उम्मीद हो और जिसकी शरारत

से अमन हो और तुममें बुरा वह शख़्स है जिससे भलाई की उम्मीद न हो और जिसकी शरारत से अमन न हो।

हदीस न. 19 : बयहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तमाम मख़लूक़ अल्लाह तआ़ला की अयाल है और अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सब में प्यारा वह है जो उसकी अयाल के साथ ऐहसान करे।

हदीस न. 20 : तिर्मिज़ी ने अबू ज़र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जहाँ कहीं रहो ख़ुदा से डरते रहो और बुराई हो जाये तो उसके बाद नेकी करो ये नेकी उसे मिटा देगी और लोगों से अच्छे अख़्लाक़ के साथ पेश आओ।

सात चीज़ों (जलना, डूबना, चोरी, सांप, बिच्छू, शैतान और सुलतान) से पनाह की दुआ

जो शख़्स यह दुआ सुबह व शाम तीन तीन बार पढ़ेगा इन सात चीज़ों से पनाह में रहेगा इन्शाअल्लाह। दुआ के अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ पढ़ें।

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا يَسُوْقُ الْخَيْرَ اِلَّا اللّٰهُ
مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ السُّوْٓءَ اِلَّا اللّٰهُ مَا شَآءَ اللّٰهُ
مَا كَانَ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

नर्मी व हया व ख़ूबीए अख़लाक़ का बयान

हदीस न. 1 : अल्लाह तआ़ला मेहरबान है मेहरबानी को दोस्त रखता है और मेहरबानी करने पर वह देता है कि सख़्ती पर नहीं देता। (मुस्लिम)

हदीस न. 2 : हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रद्वियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से फ़रमाया नर्मी को लाज़िम कर लो और सख़्ती व फ़ोहश से बचो। जिस चीज़ में नर्मी होती है उसको ज़ीनत देती है और जिस चीज़ से जुदा कर ली जाती है उसे ऐबदार कर देती है। (मुस्लिम)

हदीस न. 3 : जो नर्मी से महरूम हुआ वह ख़ैर से महरूम हुआ।(मुस्लिम)

हदीस न. 4 : जिसको नर्मी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आख़रत की ख़ैर का हिस्सा मिला और जो शख़्स नर्मी के हिस्से से महरूम हुआ वह दुनिया व आख़रत के ख़ैर से महरूम हुआ। (शरहे सुन्नह)

हदीस न. 5 : क्या मैं तुम को ख़ैर न दूँ कि कौन शख़्स जहन्नम पर हराम है और जहन्नम उस पर हराम वह शख़्स कि आसानी करने वाला नर्म, क़रीब, सहल है। (अहमद व तिर्मिज़ी)

हदीस न. 6 : मोमिन आसानी करने वाले नर्म होते हैं जैसे नकेल वाला ऊँट कि खेंचा जाये तो खिंच जाता है और चट्टान पर बैठाया जाये तो बैठ जाये।(तिर्मिज़ी)

हदीस न. 7 : एक शख़्स अपने भाई को हया के मुताल्लिक़ नसीहत कर रहा था कि इतनी हया क्यूँ करते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया इसे छोड़ो यानी नसीहत न करो क्यूँकि हया ईमान से है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस न. 8 : हया नहीं लाती है मगर ख़ैर को। हया कुल ही ख़ैर है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस न. 9 : ये अगले अम्बिया का कलाम है जो लोगों में मशहूर है जब तुझे हया नहीं तो जो चाहे कर। (बुख़ारी)

हदीस न. 10 : हया ईमान से है और ईमान जन्नत में है और बेहूदा बोलना जफ़ा है जफ़ा जहन्नम में है। (अहमद तिर्मिज़ी)

हदीस न. 11 : हर दीन के लिए एक .ख़ुल्क़ होता है यानी आदत व ख़सलत और इसलाम का .ख़ुल्क़ हया है। (इमाम मालिक)

हदीस न. 12 : ईमान व हया दोनों साथी हैं एक को उठा लिया जाता है तो

दूसरा भी उठा लिया जाता है। (बयहक़ी)

हदीस न. 13 : नेकी अच्छे .खुल्क़ का नाम है और गुनाह वह है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ये नापसन्द हो कि लोगों को उस पर इत्तेला हो जाये।(मुस्लिम)

ये हुक्म उसका है जिसके सीने को .खुदा ने मुनव्वर फ़रमाया है और क़ल्ब बेदार व रौशन है। फिर भी ये वहाँ है कि दलाइले शरीआ से उसकी हुरमत साबित न हो और अगर दलाइल हुरमत पर हो तो न खटकने का लिहाज़ न होगा।

हदीस न. 14 : तुममें से ज़्यादा मेरा महबूब वह है जिसका अख़्लाक़ सबसे अच्छा हो। (बुख़ारी)

हदीस न. 15 : तुममें अच्छा वह है जिनके अख़्लाक़ अच्छे हों। (बुख़ारी मुस्लिम)

हदीस न. 16 : ईमान में ज़्यादा कामिल वह है जिनके अख़्लाक़ अच्छे हों। (अबू दाऊद)

हदीस न. 17 : ख़ल्क़े हसन से बेहतर इन्सान को कोई चीज़ नहीं दी गयी।(बयहक़ी)

हदीस न. 18 : क़ियामत के दिन मोमिन की मीज़ान में सबसे भारी जो चीज़ रखी जायेगी वह ख़ल्क़े हसन है और अल्लाह तआ़ला उसको दोस्त नहीं रखता जो .फ़ुहश-गो, बद-.ज़ुबान हो। (तिर्मिज़ी)

हदीस न. 19 : मोमिन अपने अच्छे अख़लाक़ की वजह से क़ायमुल्लैल (रात को इबादत करने वाला) और साएमुन्नहार (दिन में रोज़ा रखने वाला) का दर्जा पा जाता है। (अबू दाऊद)

हदीस न. 20 : मोमिन धोका खा जाने वाला होता है (यानी अपने करम की वजह से धोका खा जाता है नाकि बे-अक़्ली से) और फ़ाजिर धोका देने वाला लईम यानी बदख़ल्क़ होता है। (इमाम अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस न. 21 : अल्लाह से डर जहाँ भी तू हो और बुराई हो जाये तो उसके बाद नेकी कर कि ये उसको मिटा देगी और लोगों के साथ अच्छे अख़लाक़ से पेश आया कर। (अहमद, तिर्मिज़ी, दारमी)

हदीस न. 22 : जो शख़्स .गुस्से को पी जाता है हालाँ कि कर डालने पर उसे .क़ुदरत है क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसे सब के सामने बुलायेगा और इख़्तियार दे देगा कि जिन हूरों में तू चाहे चला जाये।(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस न 23 : मैं इस लिए भेजा गया कि अच्छे अख़्लाक़ की तकमील करूँ। (इमाम मालिक व अहमद)

अच्छों के पास बैठना बुरों से बचना

हदीस न. 1 : अच्छे और बुरे हम-नशीन की मिसाल जैसे मुश्क का उठाने वाला और भट्टी फूंकने वाला जो मुश्क लिए हुए है या वह तुझे उसमें से देगा या तू उससे ख़रीद लेगा या तुझे .खुशबू पहुँचेगी। और भट्टी फूंकने वाला तेरे कपड़े जला देगा या तुझे बू पहुँचेगी।

हदीस न. 2 : मुसाहबत (,संगत, सोहबत) न करो मगर मोमिन की। यानी सिर्फ़ मोमिने कामिल के पास बैठा करो।

हदीस न. 3 : बड़ों के पास बैठा करो और उलमा से बातें पूछा करो और हुक्मा से मेल जोल रखो।

हदीस न. 4 : जो मुसलमान लोगों से मिलता जुलता है और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है वह उस मुसलमान से बेहतर है जो नहीं मिलता जुलता और उनकी तकलीफ़-देही पर सब्र नहीं करता।

हदीस न. 5 : अच्छा साथी वह है कि जब तू .खुदा को याद करे तो वह तेरी मदद करे और जब तू भूले तो वह याद दिलाये।

हदीस न. 6 : अच्छा .हमनशीन वह है कि उसके देखने से तुम्हें .खुदा याद आये और उसकी गुफ़्तगू से तुम्हारे अमल में ज़्यादती हो और उसका अमल तुम्हें आख़रत की याद दिलाए।

हदीस न. 7 : ऐसे के साथ न रहो जो तुम्हारी फ़ज़ीलत का क़ायल न हो जैसे तुम उसकी फ़ज़ीलत के क़ायल हो यानी जो तुम्हें नज़रे हिक़ारत से देखता हो उसके साथ न रहो या यह कि वह अपने हक़ तुम्हारे ज़िम्मे जानता हो और तुम्हारे हक़ का क़ाएल न हो।

हदीस न. 8 : हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु ने फ़रमाया ऐसी चीज़ में न पड़ो जो तुम्हारे लिए मुफ़ीद न हों और दुश्मन से अलग रहो और दोस्त से बचते रहो मगर जब कि वह अमीन हो कि अमीन के बराबर कोई नहीं और अमीन वही है जो अल्लाह से डरे और फ़ाजिर के साथ न रहो कि वह तुम्हें .फुजूर सिखायेगा और उसके सामने भेद की बात न कहो और अपने काम में उनसे मश्वरा लो जो अल्लाह से डरते हैं।

हदीस न. 9 : हज़रते अली रद़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया फ़ाजिर से भाईबन्दी न कर कि वह अपने फ़ेल को तेरे लिए मुज़य्यन (ख़ूबसूरत करना) करेगा और

ये चाहेगा कि तू भी उस जैसा हो जाये और अपनी बदतरीन ख़सलत को अच्छा करके दिखायेगा। तेरे पास उसका आना जाना ऐब और नंग है और अहमक़ से भी भाई चारा न कर कि वह अपने को मशक़्क़त में डाल देगा और तुझे कुछ नफ़ा नहीं पहुँचायेगा और कभी ये होगा कि तुझे नफ़ा पहुँचाना चाहेगा मगर होगा ये कि नुक़सान पहुँचा देगा। उसकी ख़ामोशी बोलने से बेहतर है उसकी दूरी नज़दीकी से बेहतर है और मौत ज़िन्दगी से बेहतर है और कज़्ज़ाब (झूटा) से भी भाईचारा न कर कि उसके साथ रहना सहना तुझे नफ़ा न देगा। तेरी बात दूसरों तक पहुँचायेगा और दूसरों की तेरे पास लायेगा। और अगर तू सच बोलेगा जब भी वह सच नहीं बोलेगा।

अल्लाह के दुश्मन को दोस्त मत बनाओ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (الی قولہ تعالیٰ) تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ (الی قولہ تعالیٰ) لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

پ۲۸ ع۷ سورۃ الممتحنۃ

तर्जमा : ऐ ईमान वालों मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ तुम छुपकर उनसे दोस्ती करते हो और तुममें जो ऐसा करेगा वह ज़रूर सीधी राह से बहका, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे बच्चे तुम्हें कुछ नफ़ा न देंगें। क़ियामत के दिन तुममें और तुम्हारे प्यारों में जुदाई डाल देगा कि तुममें एक दूसरे के कुछ काम न आ सकेगा और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है।

अल्लाह के लिए दोस्ती व दुश्मनी का बयान

हदीस न. 1 :- रूहों का लश्कर जमा था जिनमें वहाँ तआरुफ़ था दुनिया में उलफ़त हुई और वहाँ नाआश्नाई (जान पहचान न होना) रही तो यहाँ इख़्तेलाफ़ हुआ।

हदीस न. 2 :- अल्लाह तआला क़ियामत के दिन फ़रमाएगा कहाँ हैं जो मेरे जलाल की वजह से आपस में महब्बत रखते थे आज मैं उनको अपने साए में रखूँगा आज मेरे साए के सिवा कोई साया नहीं।

हदीस न. 3 :- एक शख़्स अपने भाई से मिलने दूसरे क़रया (आबादी, गांव) में गया। अल्लाह तआला ने उसके रास्ते में एक फ़रिश्ता बैठा दिया। जब वह फ़रिश्ते के पास आया उसने पूछा कहाँ का इरादा है ? कहा इस क़रया में मेरा भाई है उससे मिलने जाता हूँ। फ़रिश्ते ने कहा क्या उस पर तेरा कोई ऐहसान है जिसे लेने को जाता है। उसने कहा नहीं सिर्फ़ यह बात है कि मैं उसे अल्लाह के लिए दोस्त रखता हूँ। फ़रिश्ते ने कहा कि मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है कि तुझे यह ख़बर दूँ कि अल्लाह ने तुझे दोस्त रखा कि तूने अल्लाह के लिए उससे महब्बत की।

हदीस न. 4 :- एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसके मुताल्लिक़ क्या इरशाद है जो किसी क़ौम से महब्बत रखता है और उनके साथ मिला नहीं यानी उनकी सोहबत हासिल नहीं हुई या उसने उन जैसे आमाल नहीं किए। इरशाद फ़रमाया आदमी उसके साथ है जिससे उसे महब्बत है।

इस हदीस से मालूम होता है कि अच्छों से सोहबत अच्छा बना देती है और उसका हश्र अच्छों के साथ होगा और बदों की महब्बत बुरा बना देती है और उसका हश्र उनके साथ होगा।

हदीस न. 5 :- एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़ियामत कब होगी। फ़रमाया तूने उसके लिए क्या तैयारी की है। उसने अर्ज़ की उसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की सिर्फ़ इतनी बात है कि मैं अल्लाह व रसूल से महब्बत रखता हूँ। इरशाद फ़रमाया तू उनके साथ हैं जिनसे तू महब्बत रखता है। हज़रते अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इस्लाम के बाद मुसलमानों की जितनी इस कलिमे से ख़ुशी हुई ऐसी ख़ुशी मैंने कभी नहीं देखी।

हदीस न. 6 :- अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है कि जो लोग मेरी वजह से

आपस में महब्बत रखते हैं और मेरी वजह से एक दूसरे के पास बैठते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं और माल खर्च करते हैं उनसे मेरी महब्बत वाजिब हो गई।

हदीस न. 7 :- अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया जो लोग मेरे जलाल की वजह से आपस में महब्बत रखते हैं उनके लिए नूर के मिम्बर होंगें। अम्बिया व शोहदा उन पर रश्क करेंगे।

हदीस न. 8 :- अल्लाह तआ़ला के कुछ ऐसे बन्दे हैं कि वह न अम्बिया हैं न शोहदा और .खुदा के नज़दीक उनका ऐसा मरतबा होगा कि क़ियामत के दिन अम्बिया और शोहदा उन पर रश्क करेंगे। लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इरशाद फरमाइये ये कौन लोग हैं। फ़रमाया कि ये वो लोग जो महज़ रहमते इलाही की वजह से आपस में महब्बत रखते हैं न उनका आपस में रिश्ता है न माल का लेना देना है। .खुदा की क़सम उनके चेहरे नूर हैं और वह .खुद नूर पर हैं उनको ख़ौफ़ नहीं जब कि लोग ख़ौफ़ में होंगे और न वह ग़मगीन होंगे जब दूसरे ग़म में होंगे और हुज़ूर ने यह आयत पढ़ी :–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

तर्जमा :- अल्लाह के औलिया पर न ख़ौफ़ है न वह ग़म करेंगे।

हदीस न. 9 :- ईमान की चीज़ों में सब में मज़बूत अल्लाह के बारे में मुवालात (महब्बत) है और अल्लाह के लिए महब्बत करना और बुग़्ज़ रखना।

हदीस न. 10 :- रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हें मालूम है अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन सा अमल है किसी ने कहा नमाज़ रोज़ा ज़कात और किसी ने कहा जिहाद। हुज़ूर ने फ़रमाया सबसे ज़्यादा अल्लाह को प्यारा अल्लाह के लिए दोस्ती और बुग़्ज़ रखना है।

हदीस न. 11 :- जब किसी ने अल्लाह के लिए महब्बत की तो उसने रब अज़्ज़ावजल्ला का इकराम किया।

हदीस न. 12 :- दो शख़्सों ने अल्लाह के लिए एक दूसरे से महब्बत की और एक मशरिक़ में है और दूसरा मग़रिब में। क़ियामत के दिन दोनों को अल्लाह तआ़ला जमा कर देगा और फ़रमाएगा यही वह है जिससे तूने मेरे लिए महब्बत की थी।

हदीस न. 13 :- जन्नत में याक़ूत के सुतून हैं उन पर ज़बरजद के बालाख़ाने हैं, वो ऐसे रौशन हैं जैसे चमकदार सितारे। लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उनमें कौन रहेगा। फ़रमाया वह लोग जो अल्लाह के लिए आपस में महब्बत

रखते हैं एक जगह बैठते हैं और आपस में मिलते हैं।

हदीस न. 14 :- अल्लाह के लिए महब्बत रखने वाले अर्श के गिर्द याक़ूत की कुर्सी पर होंगे।

हदीस न. 15 :- जो किसी से अल्लाह के लिए महब्बत रखे अल्लाह के लिए दोस्ती रखे और अल्लाह के लिए दे और अल्लाह के लिए मना करे उसने अपना ईमान कामिल कर लिया।

हदीस न. 16 :- दो शख़्स जब अल्लाह के लिए एक दूसरे से महब्बत रखते हैं उनके दरमियान जुदाई उस वक़्त होती है कि उनमें से एक ने कोई गुनाह किया यानी अल्लाह के लिए जो महब्बत हो उसकी पहचान यह है कि अगर एक ने गुनाह किया तो दूसरा उससे जुदा हो जाए।

हदीस न. 17 :- अल्लाह तआला ने एक नबी के पास वही़ भेजी कि फ़लाँ ज़ाहिद से कह दो कि तुम्हारा ज़हद और दुनिया में बेरग़बती अपने नफ़्स की राहत है और सबसे जुदा होकर मुझसे तअल्लुक़ रखना यह तुम्हारी इज़्ज़त है, जो कुछ तुम पर मेरा हक़ है उसके मुक़ाबिल क्या अमल किया। अर्ज़ करेगा ऐ रब वह कौन सा अमल है ? इरशाद होगा क्या तुमने मेरी वजह से किसी से दुश्मनी की और मेरे बारे में किसी वली से दोस्ती की ?

हदीस न. 18 :- आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है उसे यह देखना चाहिए कि किस से दोस्ती करता है।

हदीस न. 19 :- जब एक शख़्स दूसरे शख़्स से भाईचारा करे तो उसका नाम और उसके बाप का नाम पूछ ले और यह कि वह किस क़बीले से है कि उससे महब्बत ज़्यादा पायदार होगी।

हदीस न. 20 :- जब एक शख़्स दूसरे से महब्बत रखे तो उसे ख़बर दे कि मैं तुझसे महब्बत रखता हूँ।

हदीस न. 21 :- एक शख़्स ने हुज़ूर की ख़िदमत में अर्ज़ की कि मैं उस शख़्स से अल्लाह के वास्ते महब्बत रखता हूँ। इरशाद फ़रमाया उसको इत्तेला दे दी है। अर्ज़ की नहीं। इरशाद फ़रमाया उठो उसको इत्तेला दे दो। उसने जाकर ख़बरदार किया। उसने कहा जिसके लिए तू मुझसे महब्बत रखता है वह तुझे महबूब बना ले। वापस आकर हुज़ूर से कह सुनाया। इरशाद फ़रमाया उसने क्या कहा ? जो उसने कहा था कह सुनाया। फ़रमाया तू उसके साथ होगा जिससे तूने महब्बत की और तेरे लिए वह जो तूने इरादा किया।

हदीस न. 22 :- दोस्त से थोड़ी दोस्ती कर अजब नहीं कि किसी दिन वह तेरा दुश्मन हो जाए और दुश्मन से दुश्मनी थोड़ी कर दूर नहीं कि वह किसी रोज़ तेरा दोस्त हो जाए।

दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा हुज़ूर से प्यार होना चाहिए

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

پ ١٠ ع ٩، سورة التوبة

तर्जमा : ऐ नबी। तुम फ़रमा दो कि ऐ लोगों। अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा कुनबा, तुम्हारी कमाई के माल और वह सौदागरी जिस के नुक़सान का तुम्हें अन्देशा है और तुम्हारी पसन्द के मकान उनमें कोई चीज़ भी अगर तुम को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस की राह में कोशिश करने से ज़्यादा महबूब है तो इन्तेज़ार रखो यहाँ तक अल्लाह अपना अज़ाब उतारे और अल्लाह तआला बे-हुक्मों को राह नहीं देता

हजामत बनवाना और नाख़ुन तरशवाना

हदीस न. 1 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया पाँच चीज़ें फ़ितरत से हैं यानी अम्बिया साबक़ीन अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत से हैं ख़तना कराना, नाफ़ के नीचे के बाल मूंडना, मूंछें कम करना, नाख़ुन तरशवाना और बग़ल के बाल उखेड़ना।

हदीस न. 2 :- सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मूंछे कटवाओ और दाढ़ियाँ लटकाओ, मजूसियों की मुख़ालफ़त करो।

हदीस न. 3 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुशरेकीन की मुख़ालफ़त करो दाढ़ियों को ज़्यादा करो और मूंछो को ख़ूब कम करो।

हदीस न. 4 :- तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कहते हैं कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मूंछो को कम करते थे और हज़रते इब्राहीम ख़लीलुर्रहमान अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही करते थे।

हदीस न. 5 :- इमाम अहमद तिर्मिज़ी व निसाई ने ज़ैद इब्ने अरक़म से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मूंछ से नहीं लेगा वह हममें से नहीं यानी हमारे तरीक़े के ख़िलाफ़ है।

हदीस न. 6 :- सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो नाफ़ से नीचे के बालो को न मूंडे और नाख़ुन न तराशे और मूंछ न काटे वह हममें से नहीं।

हदीस न. 7 :- तिर्मिज़ी ने बरिवायत अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम दाढ़ी की चौड़ाई और लम्बाई से कुछ लिया करते थे।

हदीस न. 8 :- सही मुस्लिम में अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं कि मूंछे और नाख़ुन तरश्वाने और बग़ल के बाल उखेड़ने और नाफ़ के नीचे के बाल मूंडने में हमारे लिए यह वक़्त मुक़र्रर किया गया है कि चालीस दिन से ज़्यादा न छोड़ें यानी चालीस दिन के अन्दर इन कामों को ज़रूर कर लें।

हदीस न. 9 :- अबू दाऊद ने बरवायत अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही

रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाय सफ़ेद बाल न उखड़वाओ क्यूँकि वह मुस्लिम का नूर है ---- जो शख़्स इसलाम में बूढ़ा हुआ अल्लाह तआ़ला उसकी वजह से उसके लिए नेकी लिखेगा और ख़ता मिटा देगा और दर्जा बलन्द करेगा।

हदीस न. 10 :- तिर्मिज़ी व निसाई ने कअब इब्ने मुर्रह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो इसलाम में बूढ़ा हुआ यह बुढ़ापा उसके लिए क़ियामत के दिन नूर होगा।

हदीस न. 11 :- इमाम मालिक ने रिवायत की सईद इब्ने मुसय्यिब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं कि हज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले मेहमान की ज़ियाफ़त की और सबसे पहले ख़तना किया और सबसे पहले मूंछों के बाल तराशे और सबसे पहले सफ़ेद बाल देखा। अर्ज़ की ऐ रब यह क्या है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया ऐ इब्राहीम यह विक़ार है। अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरा विक़ार ज़्यादा कर।

हदीस न. 12 :- दैलमी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स क़सदन (जानबूझ कर) सफ़ेद बाल उखाड़ेगा क़ियामत के दिन वह नेज़ा हो जाएगा जिससे उसको भोंका जाएगा।

हदीस न. 13 :- तबरानी ने हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हजामत के सिवा गर्दन के बाल मुंडाने से मना फ़रमाया।

हदीस न. 14 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फ़रमाया। नाफ़ेअ से पूछा गया क़ज़ा क्या चीज़ है। नाफ़ेअ ने कहा बच्चे का सर कुछ मुंडा दिया जाए कुछ मुतअद्दिद जगह छोड़ दिया जाए।

हदीस न. 15 :- सही मुस्लिम में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसका सर कुछ मुंडा हुआ है और कुछ छोड़ दिया गया है। हुज़ूर ने लोगों को इससे मना किया और फ़रमाया कि कुल मूंड दो या कुल छोड़ दो।

हदीस न. 16 :- अबू दाऊद व निसाई ने अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि जब हज़रते जाफ़र शहीद हुए तो तीन दिन

तक हुज़ूर ने उनकी आल से कुछ नहीं फ़रमाया —— फिर तशरीफ़ लाए और यह फ़रमाया कि आज के बाद से मेरे भाई (जाफ़र) पर न रोना फिर फ़रमाया कि मेरे भाई के बच्चों को बुलाओ। कहते हैं कि हम हुज़ूर की ख़िदमत में पेश किए गए। फ़रमाया हज्जाम को बुलाओ हुज़ूर ने हमारे सर मुंडवाए।

हदीस न. 17 :- अबू दाऊद ने इब्ने हंज़ला रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया .ख़ुरैम असदी बहुत अच्छा शख़्स है अगर उसके सर के बाल बड़े न होते और तहबन्द नीचा न होता। जब यह ख़बर हज़रते .ख़ुरैम रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को पहुँची तो छुरी लेकर बाल काट डाले और कानों तक कर लिए और तहबन्द को आधी पिंडली तक ऊँचा कर लिया।

हदीस न. 18 :- अबू दाऊद ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि मेरे गेसू थे। मेरी माँ ने कहा कि इनको नहीं कटवाऊँगी क्यूँकि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इन्हें पकड़ते और खींचते थे यानी हुज़ूर का दस्ते अक़दस इन बालों को लगा है इस वजह से तबर्रुक की वजह से छोड़ दिए थे।

हदीस न. 19 :- निसाई ने हज़रते अली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने औरत को सर मुंडाने से मना फ़रमाया है।

हदीस न. 20 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को जिस चीज़ के मुताल्लिक़ कोई हुक्म न होता उसमें अहले किताब की मवाफ़िक़त पसन्द थी। (क्यूँकि हो सकता है कि वह कुछ अच्छा करते हों और वह अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का तरीक़ा हो) और अहले क़िताब बाल सीधे रखते थे और मुशरिकीन मांग निकाला करते थे लिहाज़ा नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बाल सीधे रखे यानी मांग नहीं निकाली फिर बाद में हुज़ूर ने मांग निकाली (इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर को इस मामले में अहले किताब की मुख़ालफ़त का हुक्म हुआ)

मसाइले फ़िक़हिय्या : जुमे के दिन नाख़ुन तरश्वाना मुस्तहब है हाँ अगर ज़्यादा बढ़ गए हों तो जुमे का इन्तेज़ार न करे कि नाख़ुन बड़ा होना अच्छा नहीं क्यूँ कि नाख़ुन का बड़ा होना रिज़्क़ की तंगी का सबब है। एक हदीस ज़ईफ़ में है

कि हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जुमे के दिन नमाज़ के लिए जाने से पहले मूंछे कतरवाते और नाख़ुन तरश्वाते। एक दूसरी हदीस में है कि जो जुमे के दिन नाख़ुन तरश्वाए अल्लाह तआ़ला उसको दूसरे जुमे तक बलाओं से महफ़ूज़ रखेगा और तीन दिन ज़ाएद यानी दस दिन तक। एक हदीस में है जो हफ़्ते के दिन नाख़ुन तरश्वाए उससे बीमारी निकल जाएगी और शिफ़ा दाख़िल होगी और जो इतवार के दिन तरश्वाए फ़ाक़ा निकलेगा और तवंगरी आएगी और जो पीर के दिन तरश्वाए जुनून जाएगा और सेहत आएगी और जो मंगल के दिन तरश्वाए मर्ज़ जाएगा व शिफ़ा आएगी और जो बुद्ध के दिन तरश्वाए वसवास व ख़ौफ़ निकलेगा और अमन व शिफ़ा आएगी और जो जुमेरात के दिन तरश्वाए जुज़ाम जाए और आफ़ियत आए और जो जुमे के दिन तरश्वाए रहमत आएगी और गुनाह जायेंगे। ये हदीसें अगरचे ज़ईफ़ हैं मगर फ़ज़ाएल में क़ाबिले ऐतबार हैं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मन्क़ूल है कि पहले दाहिने हाथ के नाख़ुनों को इस तरह तरश्वाए सबसे पहले छुंगलिया फिर बीच वाली उंगली फिर अंगूठा फिर मंझली फिर कलिमे की उंगली और बायें हाथ में पहले अंगूठा फिर बीच वाली फिर छुंगलिया फिर कलिमे की उंगली फिर मंझली यानी दाहिने हाथ में छुंगलिया से शुरू करे और बायें हाथ में अंगूठे से और एक उंगली छोड़ कर और बाज़ में दो छोड़ कर कटवाए। एक रिवायत में आया है कि इस तरह करने से कभी आशूबे चश्म (आँखें दुखना) नहीं होगा।

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : नाख़ुन तराशने की यह तरतीब जो ज़िक्र हुई उसमें कुछ पेचीदगी है ख़ुसूसन अवाम को इसकी निगेहदाश्त दुश्वार है। लिहाज़ा एक दूसरा तरीक़ा है जो आसान है और वह भी हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से मरवी है वह यह है कि दाहिने हाथ की कलिमे की उंगली से शुरू करे और छुंगलिया पर ख़त्म करे फिर बायें की छुंगलिया से शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करे उसके बाद दाहिने हाथ का नाख़ुन तरश्वाए। इस सूरत में दाहिने ही हाथ से शुरू हुआ और दाहिने ही हाथ पर ख़त्म हुआ। (दुर्रे मुख़्तार) आलाहज़रत क़िब्ला क़ुद्दिसा सिर्रुहू का भी यही मामूल था और यह फ़क़ीर भी इसी पर अमल करता है।

मसअला : पाँव के नाख़ुन तरश्वाने में कोई तरतीब मन्क़ूल नहीं। बेहतर यह है

कि पांव की उंगलियों में ख़िलाल करने की जो तरतीब है उसी तरतीब से नाख़ुन तरश्वाए यानी दाहिने पाँव की छुंगलिया से शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करे फिर बायें पाँव के अंगूठे से शुरू करके छुंगलिया पर ख़त्म करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : दांत से नाख़ुन न खुटकना चाहिए कि मकरूह है और इसमें मआज़ अल्लाह कोढ़ का मर्ज़ होने का अन्देशा है। (आलमगीरी)

मसअला : मुजाहिद जब दारूल हरब में हों तो उनके लिए मुस्तहब यह है कि नाख़ुन और मूंछें बड़ी रखें कि उनकी यह शक्ल मुहीब (रोबदार) देखकर कुफ़्फ़ार पर रोब तारी हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : हर जुमे को अगर नाख़ुन न तरश्वाए तो पन्द्रहवें दिन तरश्वाए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत चालीस दिन है। इसके बाद न तरश्वाना ममनूअ है। यही हुक्म मूंछे तरश्वाने और नाफ़ के नीचे के बाल दूर करने और बग़ल के बाल साफ़ करने का है कि चालीस दिन से ज़्यादा होना मना है। सही मुस्लिम की हदीस अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कहते हैं कि नाख़ुन तरश्वाने और मूंछे काटने और बग़ल के बाल लेने में हमारे लिए यह मियाद मुक़र्रर की गई थी कि चालीस दिन से ज़्यादा न छोड़ रखें।

मसअला : नाफ़ के नीचे के बाल दूर करना सुन्नत है। हर हफ़्ते में नहाना, बदन को साफ़ सुथरा रखना और नाफ़ के नीचे के बाल को दूर करना मुस्तहब है —— और बेहतर जुमे का दिन है और पन्द्रहवें रोज़ करना भी जाएज़ है। चालीस रोज़ से ज़्यादा गुज़ार देना मकरूह व ममनूअ है। नाफ़ के नीचे के बाल उस्तरे से मूंडना चाहिए और उसको नाफ़ के नीचे से शुरू करना चाहिए और अगर मूंडने की जगह हड़ताल चूना या इस ज़माने में बाल उड़ाने का साबुन चला है उससे दूर करे यह भी जाएज़ है। औरत को यह बाल उखेड़ डालना सुन्नत है। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला : बग़ल के बालों का उखाड़ना सुन्नत है और मूंडना भी जाएज़ है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : बेहतर यह है कि गले के बाल न मुंडाए उन्हें छोड़ रखे।(आलमगीरी)

मसअला : नाक के बाल न उखेड़े कि इससे मर्ज़े आकला पैदा होने का डर है। (आलमगीरी)

मसअला : जनाबत की हालत में न बाल मुंडवाए और न नाख़ुन तरश्वाए कि यह मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअला : भौं के बाल अगर बड़े हो गए तो उनको तरश्वा सकते हैं। चेहरे के बाल लेना भी जाएज़ जिसको ख़त बनवाना कहते हैं। सीने के बाल मुंडवाना व कतरवाना अच्छा नहीं। हाथ पाँव पेट पर से बाल दूर कर सकते हैं।
(रद्दुल मुहतार)

मसअला : बच्ची के अग़ल बग़ल के बाल मुंडवाना उखेड़ना बिदअत है।
(आलमगीरी)

मसअला : मूंछों को कम करना सुन्नत है इतनी कम कर ले कि अबरू की मिस्ल हो जायें यानी इतनी कम हों कि ऊपर वाले हिस्से के बाहरी हिस्से में न लटकें और एक रिवायत में मूंडना आया है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल महतार)

मसअला : मूंछों के दोनों किनारों के बाल बड़े-बड़े हों तो हर्ज नहीं। पहले के बाज़ बुज़ुर्गों की मूंछें इस तरह की थीं। (आलमगीरी)

मसअला : दाढ़ी बढ़ाना अम्बिया व पिछले बुज़ुर्गों की सुन्नत है। मुंडाना या एक मुश्त से कम करना हराम है। एक मुश्त से ज़्यादा हो जाए तो जितनी ज़्यादा है उसे कटवा सकते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : दाढ़ी चढ़ाना या उसमें गिरह लगाना जिस तरह सिक्ख वग़ैरा करते हैं नाजाएज़ है। इस ज़माने में दाढ़ी मूंछ में तरह तरह की तराश ख़राश की जाती है बाज़ लोग दाढ़ी मूंछों का बिल्कुल सफ़ाया कर देते हैं, बाज़ लोग मूंछों की दोनों जानिब मूंड कर बीच में ज़रा सी बाक़ी रखते हैं जैसे मालूम होता है कि नाक के नीचे दो मक्खियाँ बैठी है। किसी की दाढ़ी फ़्रेन्च कट और किसी की करज़न कट होती है यह जो कुछ हो रहा है सब नसारा के इत्तेबा व तक़लीद में हो रहा है। मुसलमानों के जज़बाते ईमानी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि वह अपने विक़ार व शिआर को खोते हुए चले जाते हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि हम क्या थे और क्या हो गए जब उन की बेहिसी इस हद दर्जा बढ़ गई और विक़ार व ग़ैरते ईमानी यहाँ तक कम हो गई कि दूसरी क़ौमों में जज़्ब होते जाते हैं,, साबित क़दमी और सख़्ती के साथ इसलामी रिवायात व अहकाम की पाबन्दी नहीं करते तो उनसे क्या उम्मीद हो सकती है कि इसलामी अहकाम का एहतराम करायेंगे और हुक़ूक़े मुसलेमीन की हिफ़ाज़त करेंगे। मुस्लिम के हर फ़र्द को तालीमाते इसलामी का मुजस्समा होना चाहिए, अख़लाक़े सल्फ़ सालेहीन का नमूना होना चाहिए, इसलामी शेआर की हिफ़ाज़त करनी चाहिए ताकि दूसरी क़ौमों पर इसका असर पड़े।

मसअला : बाज़ दाढ़ी मुंडे यहाँ तक बेबाक होते हैं कि वह दाढ़ी का मज़ाक़ उड़ाते हैं, शरीअत के मुताबिक़ दाढ़ी रखने पर फब्तियाँ कसते हैं। दाढ़ी मुंडाना हराम था गुनाह था, मगर यह तो सोचो यह तुमने किस चीज़ का मज़ाक़ उड़ाया किसकी तौहीन व तज़लील की, इसलाम की हर बात अटल है और उसके तमाम उसूल मज़बूत हैं उनमें किसी बात को बुरा बताना इसलाम को ऐब लगाना है तुम .खुद सोचो तो जो कुछ उसका नतीजा है वह तुम पर वाज़ेह हो जाएगा किसी से पूछने की .ज़रूरत न पड़ेगी।

मसआला : मर्द को इख़्तेयार है कि सर के बाल मुंडवाए या बढ़ाए और मांग निकाले। (दुर्रे मुख़्तार) हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों चीज़ें साबित हैं अगरचे मुंडाना सिर्फ़ अहराम से बाहर होने के वक़्त साबित है दूसरे वक़्तों में मुंडाना साबित नहीं, हाँ बाज़ सहाबा से मुंडाना साबित है मसलन हज़रते मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु बतौर आदत मुंडाया करते थे। हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कभी निस्फ़ (आधा) कान तक कभी कान की लौ तक होते और जब बढ़ जाते तो शानए मुबारक से छू जाते और हुज़ूर बीच सर में मांग निकालते।

मसअला : मर्द को यह जाएज़ नहीं कि औरतों की तरह बाल बढ़ाए बाज़ सूफ़ी बनने वाले लम्बी-लम्बी लटें बढ़ा लेते हैं जो उनके सीने पर सांप की तरह लहराती हैं और बाज़ चोटियाँ गूंधते हैं या जूड़े बनाते हैं। ये सब नाजाएज़ काम और ख़िलाफ़े शरा हैं। तसव्वुफ़ बालों के बढ़ाने और रंगे हुए कपड़े पहनने का नाम नहीं बल्कि हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी पैरवी करने और ख़्वाहिशाते नफ़्स को मिटाने का नाम है।

मसअला : सफ़ेद बालों को उखाड़ना या कैंची से चुन कर निकालना मकरूह है हाँ मुजाहिद (जिहाद करने वाला) अगर इस नियत से ऐसा करे कि कुफ़्फ़ार पर उसका रोब तारी हो तो जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला : बीच सर को मुंडा देना और बाक़ी जगह को छोड़ देना जैसा कि एक ज़माने में पान बनवाने का रिवाज था यह जाएज़ है और हदीस में जो क़ज़ा की मुमानअत आई है उसके यह मअनी हैं कि जगह जगह से सर के बाल मुंडाना और जगह जगह बाक़ी छोड़ना जिसको गल बनाना कहते हैं। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार) बुख़ारी शरीफ़ से भी यही ज़ाहिर है पान बनवाने को क़ज़ा समझना ग़लती है, हाँ बेहतर यही है कि सर के बाल मुंडाए तो कुल मुंडा

डाले यह नहीं कि कुछ मूंडे जायें और कुछ छोड़ दिए जायें।
मसअला : बाज़ देहातियों को देखा जाता है कि वह पेशानी को ख़त की तरह बनवाते हैं और दोनों जानिब नोकें निकलवाते हैं या और तरह से बनवाते हैं यह सुन्नत और बुज़ुर्गों के तरीक़े के ख़िलाफ़ है ऐसा नहीं करना चाहिए।
मसअला : गर्दन के बाल मुंडाना मकरूह है (आलमगीरी) यानी जब सर के बाल न मुंडाये सिर्फ़ गर्दन ही के मुंडाये जैसा कि बहुत से लोग ख़त बनवाने में गर्दन के बाल भी मुंडवा देते हैं और अगर पूरे सर के बाल मुंडवाए तो उसके साथ गर्दन के बाल भी मुंडवा दिए जायें।
मसअला : आजकल सर पर गुफ्फा रखने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया है कि सब तरफ़ से बाल निहायत छोटे छोटे और बीच में बड़े बाल होते हैं यह भी नसारा की तक़लीद में है और नाजाएज़ है फिर उनमें बाज़ दाहिने या बायें जानिब मांग निकालते हैं यह भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत यह है कि बाल हों तो बीच में मांग निकाली जाए और बाज़ मांग नहीं निकालते सीधे रखते हैं यह भी सुन्नते मन्सूख़ा और यहूद व नसारा का तरीक़ा है जैसा कि अहादीस में ज़िक्र हुआ है।
मसअला : एक तरीक़ा यह भी है कि न पूरे बाल रखते हैं न मुंडाते हैं बल्कि कैंची या मशीन से बाल कतरवाते हैं यह नाजाएज़ नहीं मगर अफ़ज़ल व बेहतर वही है कि मुंडाए या बाल रखे।
मसअला : औरत को सर के बाल कटवाना जैसा कि इस ज़माने में नसरानी औरतों ने कटवाने शुरू कर दिए नाजाएज़ व गुनाह है और उस पर लानत आई है। शौहर ने ऐसा करने को कहा जब भी यही हुक्म है कि ऐसा करने में गुनाहगार होगी क्यूँकि शरीअत की नाफ़रमानी करने में किसी का कहना नहीं माना जाएगा (दुर्रे मुख़्तार) सुना है बाज़ मुसलमान घरों में भी औरतों के बाल कटवाने की बला आ गई है ऐसी पुर क़बीह (बहुत बुरी) औरतें देखने में लौंडा मालूम होती हैं और हदीस में फ़रमाया कि जो औरत मर्दाना हैअत में हो उस पर अल्लाह की लानत है जब बाल कटवाना औरत के लिए नाजाएज़ है तो मुंडाना बदर्जा औला नाजाएज़ कि यह भी हिन्दुस्तान के मुशरिकीन का तरीक़ा है कि जब उनके यहाँ कोई मर जाता है या तीर्थ को जाती हैं तो बाल मुंडा देती हैं।
मसअला : तरश्वाने या मुंडाने में जो बाल निकलें उन्हें दफ़न कर दे इसी तरह नाख़ुन का तराशा पाख़ाने या ग़ुसलख़ाने में डाल देना मकरूह है कि इस से

बीमारी पैदा होती है (आलमगीरी) नाफ़ के नीचे के बाल काट कर ऐसी जगह डाल देना कि दूसरों की नज़र पड़े नाजाएज़ है।

मसअला : चार चीज़ों के मुताल्लिक़ हुक्म यह है कि दफ़न कर दी जायें बाल, नाख़ुन, हैज़ का लत्ता और ख़ून। (आलमगीरी)

मसअला : सर में जूंयें भरी हैं और बाल मुंडवा दिए उन्हें दफ़न कर दे। (आलमगीरी)

मसअला : मजनूना (पागल औरत) के सर में बीमारी हो गई मसलन कसरत से जूंयें पड़ गईं और उसका कोई वली नहीं तो अगर किसी ने उसका सर मुंडा दिया उसने एहसान किया मगर उसके सर में कुछ बाल छोड़ दे ताकि मालूम हो सके कि औरत है। (आलमगीरी)

मसअला : सपेद बाल उखेड़ने में हर्ज नहीं जब कि ज़ीनत के इरादे से ऐसा न करे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) और ज़ाहिर यही है कि जो लोग ऐसा करते हैं यह ज़ीनत ही के इरादे से करते हैं ताकि यह सपेदी दूसरों पर ज़ाहिर न हो और जवान मालूम हों इसी वजह से हदीस में इससे मुमानअत आई और यह भी ज़ाहिर है कि दाढ़ी में इस क़िस्म का तसर्रुफ़ (दाढ़ी में तरह तरह की तराश ख़राश, छेड़ छाड़ जैसे फ्रेन्च कट वग़ैरा यानी जो ख़िलाफ़े सुन्नत हो) ममनूअ होगा।

सोते वक़्त की दुआ

1. हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जो शख़्स बिछौने पर यह दुआ तीन मरतबा पढ़ कर सो रहे तो अल्लाह तआला उसके तमाम गुनाहों को बख़्श देगा अगर्चे उसके गुनाह दरख़्तों के पत्तों और टीलों की रेत की तादाद में हों। (तिर्मिज़ी)

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

2. हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक़्त यह दुआ पढ़ा करते थे :-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيٰى

ख़तना का बयान

ख़तना सुन्नत है और शेआरे इसलाम में है कि मुस्लिम व ग़ैरमुस्लिम में इससे इम्तियाज़ होता है इसी लिए उर्फ़ आम में इस को मुसलमानी भी कहते हैं। सही मुस्लिम व बुख़ारी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना ख़तना किया उस वक़्त उनकी उम्र शरीफ़ अस्सी बरस की थी।

मसअला : ख़तना की मुद्दत सात साल से बारह साल की उम्र तक है और बाज़ उलमा ने यह फ़रमाया कि विलादत से सातवें दिन के बाद ख़तना करना जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला : लड़के की ख़तना कराई गई मगर पूरी खाल नहीं कटी अगर आधी से ज़्यादा कट गई है तो ख़तना हो गई बाक़ी को काटना ज़रूरी नहीं और अगर आधी या आधी से ज़्यादा बाक़ी रह गई तो नहीं हुई यानी फिर से होनी चाहिए। (आलमगीरी)

मसअला : बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ कि ख़तना में जो खाल काटी जाती है वह उसमें नहीं है तो ख़तना की हाजत नहीं और अगरचे कुछ खाल है जिसको खींचा जा सकता है मगर उसे सख़्त तकलीफ़ होगी और हशफ़ा (सुपारी) ज़हिर है तो हज्जामों को दिखाया जाए अगर वह कह दें कि नहीं हो सकती तो छोड़ दिया जाए बच्चे को ख़्वामख़्वाह तकलीफ़ न दी जाए।(आलमगीरी)

मसअला : सुना जाता है कि जिस बच्चे में पैदाइशी ख़तने की खाल नहीं होती उसके बाप वग़ैरा औलिया इस रस्म की अदा के लिए अपने अज़ीज़ों और क़रीबी लोगों को बुलाते हैं और ख़तने के क़याममुक़ाम पान की गिलौरी काटी जाती है गोया इससे ख़तने की रस्म अदा की गई यह एक लग्व हरकत है जिसका कुछ हासिल व फ़ायदा नहीं।

मसअला : बूढ़ा आदमी इसलाम लाया जिसमें ख़तना कराने की ताक़त नहीं तो ख़तना कराने की हाजत नहीं। बालिग़ शख़्स इसलाम लाया अगर वह ख़ुद ही अपनी ख़तना कर सकता है तो अपने हाथ से कर ले वर्ना नहीं। हाँ अगर मुमकिन हो कि कोई औरत जो ख़तना करना जानती हो उससे निकाह करे तो निकाह करके उससे ख़तना करा ले। (आलमगीरी)

मसअला : ख़तना हो चुकी है मगर वह खाल फिर बढ़ गई और हशफ़ा को छुपा लिया तो दोबारा ख़तना की जाए और इतनी ज़्यादा न बढ़ी हो तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअला : औरतों के कान छिदवाने में हर्ज नहीं और लड़कियों के कान छिदवाने में भी हर्ज नहीं इसलिए कि ज़मानए रिसालत में कान छिदते थे और इस पर इन्कार नहीं हुआ। (आलमगीरी) बल्कि कान छिदवाने का सिलसिला अब तक बराबर जारी है सिर्फ़ बाज़ लोगों ने नसरानी औरतों की तक़लीद में बन्द कर दिया जिनका एतेबार नहीं।

मसअला : इन्सान को ख़स्सी करना हराम है इसी तरह हिजड़ा करना भी। घोड़े को ख़स्सी करने में इख़्तेलाफ़ है, सही यह है कि जाएज़ है। दूसरे जानवरों को ख़स्सी करने में अगर फ़ायदा हो मसलन उसका गोश्त अच्छा होगा या ख़स्सी न करने में शरारत करेगा लोगों को ईज़ा पहुँचाएगा। इन्हीं मसलहतों की वजह पर बकरे और बैल वग़ैरा को ख़स्सी किया जाता है यह जाएज़ है और अगर फ़ायदा या नुक़सान दूर करना दोनों बातें न हों तो ख़स्सी करना हराम है। (आलमगीरी)

मसअला : जिस ग़ुलाम को ख़स्सी किया गया हो उससे ख़िदमत लेना ममनूअ है जैसा कि अमीरों व सुलतानों के यहाँ इस क़िस्म के लोगों से ख़िदमत ली जाती है जिनको ख़्वाजासरा कहते हैं। उनसे ख़िदमत लेने में यह ख़राबी होती है कि दूसरे लोग इसकी वजह से ख़स्सी कराने की जुरअत करते हैं और अगर ऐसे ग़ुलाम से काम ही न लिया जाए तो ख़स्सी करने का सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। (हिदाया)

मसअला : घोड़ी को गधे से गाभन कराना जिससे ख़च्चर पैदा होता है इसमें हर्ज नहीं। हदीस सही में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सवारी को जानवर बग़लए बैज़ा (सफ़ैद ख़च्चर) था और अगर यह फ़ेल नाजाएज़ होता तो हुज़ूर ऐसे जानवर का अपनी सवारी में न रखते। (हिदाया)

सरकार की ख़ू (आदत) की तारीफ़

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ⓸

और बेशक तुम्हारी ख़ू बू बड़ी शान की है।

(पारा 29 रूकू 1 आयत 4)

ज़ीनत का बयान

हदीस न. 1 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रद़ियल्लाहु अ़न्हा से मरवी कहती हैं हुज़ूर को मैं निहायत उम्दा .खुशबू लगाती थी यहाँ तक कि उसकी चमक हुज़ूर के सरे मुबारक और दाढ़ी मुबारक में पाती थी।

हदीस न. 2 :- सही मुस्लिम में नाफ़ेअ से मरवी कहते हैं कि इब्ने उमर रद़ियल्लाहु अ़न्हुमा ख़ालिस ऊंद (अगर, एक क़िस्म की .खुश्बूदार लकड़ी) की धूनी लेते यानी उसके साथ किसी दूसरी चीज़ की आमेज़िश (मिलावट) नहीं करते और कभी ऊद के साथ काफ़ूर मिला कर धूनी लेते और यह क़हते कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी इसी तरह धूनी लिया करते थे।

हदीस न. 3 :- अबू दाऊद ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास एक क़िस्म की .खुशबू थी जिसको इस्तेमाल फ़रमाया करते थे।

हदीस न. 4 :- शरहे सुन्नह में हज़रते अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कसरत से सर में तेल डालते और दाढ़ी में कंघा करते।

हदीस न. 5 :- अबू दाऊद अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके बाल हों उनका इकराम करे यानी उनको धोए तेल लगाए कंघा करे।

हदीस न. 6 :- इमाम मालिक ने अबू क़तादह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मेरे सर पर पूरे बाल थे मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अर्ज़ की इनको कंघा किया करूँ । हुज़रू ने फ़रमाया हाँ और इनका इकराम करो लिहाज़ा अबू क़तादह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हुज़ूर के फ़रमाने की वजह से कभी दिन में दो मरतबा तेल लगाया करते थे।

हदीस न. 7 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व निसाई ने अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने रोज़ रोज़ कंघा करने से मना फ़रमाया (इस मना करने का यह मक़सद है कि मर्द को बनाव सिंगार में मशग़ूल नहीं रहना चाहिए)

हदीस न. 8 :- इमाम मालिक ने अता इब्ने यसार से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे

एक शख़्स आया जिसके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे। हुज़ूर ने उसकी तरफ़ इशारा किया, गोया बालों के दुरुस्त करने का हुक्म देते हैं। वह शख़्स दुरुस्त करके वापस आया। हुज़ूर ने फ़रमाया क्या यह इससे बेहतर नहीं है कि कोई शख़्स बालों को इस तरह बिखेर कर आता है गोया वह शैतान है।

हदीस न. 9 :- तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस्मिद पत्थर का सुर्मा लगाओ कि वह निगाह को जिला देता है और पलक के बाल उगाता है और हुज़ूर के यहाँ सुर्मेदानी थी जिससे हर शब में सुर्मा लगाते थे, तीन सलाईयाँ इस आँख में और तीन सलाईयाँ उस आँख में।

हदीस न. 10 :- अबू दाऊद व निसाई ने करीमा बिन्ते हुमाम से रिवायत की कहती हैं मैंने हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मेंहदी लगाने के मुताल्लिक़ पूछा। उन्होंने फ़रमाया कि इस में कुछ हर्ज नहीं लेकिन मैं ख़ुद मेंहदी लगाने को नापसन्द करती हूँ क्यूँकि मेरे हबीब स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को इसकी बू नापसन्द थी।

हदीस न. 11 :- अबू दाऊद ने हज़रते आइशा रद़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत की कि हिन्दा बिन्ते उतबा ने अर्ज़ की या नबी अल्लाह मुझे बैअत कर लीजिए फ़रमाया तुझे बैअत न करूँ जब तक तू अपनी हथेलियों को न बदल दे (यानी मेंहदी लगा कर उनका रंग न बदल ले) तेरे हाथ गोया दरिन्दे के हाथ मालूम हो रहे हैं (यानी औरतों को चाहिए कि हाथों को रंगीन कर लिया करें)

हदीस न. 12 :- अबू दाऊद व निसाई ने हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रद़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत की कहती हैं कि एक औरत के हाथ में किताब थी उसने पर्दे के पीछे से रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ इशारा किया यानी हुज़ूर को देना चाहा हुज़ूर ने अपना हाथ खींच लिया और यह फ़रमाया कि मालूम नहीं मर्द का हाथ है या औरत का हाथ है। उसने कहा औरत का हाथ। फ़रमाया कि अगर औरत होती तो नाख़ुनों को मेंहदी से रंगे होती।

हदीस न. 13 :- अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास एक मुख़न्नस (हिजड़ा) हाज़िर लाया गया जिसने अपने हाथ और पाँव मेंहदी से रंगे थे। इरशाद फ़रमाया इसका क्या हाल है (यानी इसने क्यूँ मेंहदी लगाई है) लोगों ने अर्ज़ की यह औरतों सेतशब्बो करता है यानी औरतों क़ी तरह बनता है।

हुज़ूर के हुक्म से उसे शहरबदर कर दिया गया मदीने से निकाल कर तकी (जगह का नाम) को भेज दिया गया।

हदीस न. 14 :- तिर्मिज़ी ने सईद इब्नुल मुसय्यिब से रिवायत की कहते हैं कि अल्लाह तय्यिब है। तीब यानी .ख़ुशबू को दोस्त रखता है —— सुथरा सुथराई को दोस्त रखता है —— करीम है करम को दोस्त रखता है —— जव्वाद (सख़ी) है जूद को दोस्त रखता है लिहाज़ा अपने सहन को सुथरा रखो यहूदियों के साथ मुशाबहत न करो।

हदीस न. 15 :- सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जाएगा। एक शख़्स ने अर्ज़ की कि किसी को यह पसन्द होता है कि कपड़े अच्छे हों जूते अच्छे हों (यानी यह बात भी तकब्बुर है या नहीं) फ़रमाया अल्लाह जमील है जमाल को दोस्त रखता है। तकब्बुर नाम है हक़ से सरकशी करने और लोगों को हक़ीर जानने का।

हदीस न. 16 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यहूद व नसारा ख़िज़ाब नहीं करते तुम उनकी मुख़ालफ़त करो यानी ख़िज़ाब करो।

हदीस न. 17 :- सही मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि फ़तह मक्का के दिन अबू क़हाफ़ा (हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के वालिद) लाए गए और उनको सर और दाढ़ी सग़ामा (यह एक घास है) की तरह सफ़ेद थी। नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया इसको किसी चीज़ से बदल दो (यानी ख़िज़ाब लगाओ) और स्याही से बचो यानी स्याह ख़िज़ाब न लगाना।

हदीस न. 18 :- अबू दाऊद व निसाई ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आख़िर ज़माने में कुछ लोग होंगे जो स्याह ख़िज़ाब करेंगे जैसे कबूतर के पोटे। वह लोग जन्नत की ख़ुशबू नहीं पायेंगे।

हदीस न. 19 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व निसाई ने अबू ज़र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सब से अच्छी चीज़ जिससे सफ़ेद बालों का रंग बदला जाए मेंहदी या कुतुम (एक क़िस्म का बीज) है यानी मेंहदी लगाई जाए या कुतुम।

हदीस न. 20 :- अबू दाऊद ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के सामने एक शख़्स गुज़रा जिसने मेंहदी का ख़िज़ाब किया था। इरशाद फ़रमाया यह ख़ूब अच्छा किया है। फिर एक दूसरा शख़्स गुज़रा जिसने मेंहदी और कुतुम का ख़िज़ाब किया था फ़रमाया यह इससे भी अच्छा है। फिर एक तीसरा शख़्स गुज़रा जिसने ज़र्द ख़िज़ाब किया था फ़रमाया यह उन सबसे अच्छा है।

हदीस न. 21 :- इब्ने नज्जार ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सबसे पहले मेंहदी और कुतुम का ख़िज़ाब हज़रते इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने किया और सबसे पहले स्याह ख़िज़ाब फ़िरऔन ने किया।

हदीस न. *22*:– तबरानी ने कबीर में और हाकिम ने मुस्तदरक में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि मोमिन का ख़िज़ाब ज़र्दी है और मुस्लिम का ख़िज़ाब सुर्ख़ी है और काफ़िर का ख़िज़ाब स्याह है।

हदीस न. 23 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह की लानत उस औरत पर जो बाल मिलाए या दूसरी से बाल मिलवाए (यानी दूसरी औरत के बाल लेकर अपने बालों में मिला कर गूंधना) और गोदने वाली और गुदवाने वाली पर।

हदीस न. 24 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी उन्होंने फ़रमाया कि अल्लाह की लानत गोदने वालियों और गुदवाने वालियों पर और बाल नोचने वालियों पर यानी जो औरत भौं के बाल नोच कर अबरू को ख़ूबसूरत बनाती है उस पर लानत और ख़ूबसूरती के लिए दांत रेतने वालियों पर यानी जो औरतें दांतों को रेत कर ख़ूबसूरत बनाती हैं और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ को बदल डालती हैं। एक औरत ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास हाज़िर होकर यह कहा कि मुझे ख़बर मिली है कि आपने फ़लाँ फ़लाँ क़िस्म की औरतों पर लानत की है। उन्होंने फ़रमाया मैं क्यूँ न लानत करूँ उन पर जिन पर रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने लानत की और उस पर जो किताबुल्लाह में (मलऊन) है। उसने कहा मैंने किताबुल्लाह पढ़ी है मुझे तो उसमें यह ख़बर नहीं मिली। फ़रमाया तूने (ग़ौर से) पढ़ा होता तो ज़रूर उसको पाया होता

क्या तूने यह नहीं पढ़ा :– مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

(तर्जमा : रसूल जो कुछ तुम्हें दें उसे लो और जिस चीज़ से मना करें उस से बाज़ आ जाओ।) उस औरत ने कहा हाँ यह पढ़ा है। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि हुज़ूर ने इससे मना फ़रमाया है। एक रिवायत में है कि इसके बाद उस औरत ने यह कहा कि इनमें बाज़ बातें तो आप की बीवी में भी हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने फ़रमाया अन्दर जाकर देखो वह मकान में गई फिर आई तो आपने फ़रमाया कि देखा। उसने कहा कुछ नहीं देखा। हज़रते अब्दुल्लाह ने फ़रमाया अगर उसमें यह बात होती तो मेरे साथ नहीं रहती यानी ऐसी औरत मेरे घर में नहीं रह सकती है।

हदीस न. 25 :- सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि नज़रे बंद हक़ है यानी नज़र लगना सही है ऐसा होता है और गोदने से हुज़ूर ने मना फ़रमाया।

हदीस न. 26 :- सुनन अबू दाऊद में इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने कहा बाल मिलाने वाली और मिलवाने वाली और अबरू के बाल नोचने वाली और नुचवाने वाली और गोदने वाली और गुदवाने वाली पर लानत है जब कि बीमारी से यह न किया हो।

हदीस न. 27 :- अबू दाऊद ने रिवायत की कि जिस साल मुआविया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपने ज़मानए ख़िलाफ़त में हज किया (मदीने में आए) और मिम्बर पर चढ़ कर बालों का गुच्छा जो सिपाही के हाथ में था लेकर कहा ऐ अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ हैं, मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि हुज़ूर इससे मना फ़रमाते थे यानी चोटी में बाल जोड़ने से और हुज़ूर यह फ़रमाते थे कि बनी इस्राईल उसी वक़्त हलाक हुए जब उनकी औरतों ने यह करना शुरू कर दिया।

मसअला : इन्सान के बालों की चोटी बनाकर औरत अपने बालों में गूंधे यह हराम है। हदीस में उस पर लानत आई बल्कि उस पर भी लानत आई जिसने किसी दूसरी औरत के सर में ऐसी चोटी गूंधी और अगर वह बाल जिसकी चोटी बनाई गई .खुद उसी औरत के हैं जिसके सर में जोड़ी गई जब भी नाजाएज़ और अगर ऊन या स्याह तागे की चोटी बनाकर लगाए तो उसकी मुमानअत नहीं। स्याह कपड़े का मुबाफ (औरतें अपने बालों में किसी कपड़े

वग़ैरा से बालों को बांध लेती हैं उसे मुबाफ़ कहते हैं) बनाना जाएज़ है और कलावे में तो कोई हर्ज नहीं कि यह बिल्कुल साफ़ अलग पता चलता है। इसी तरह गोदने वाली और गुदवाने या रेती से दांत रेत कर ख़ूबसूरत करने वाली या दूसरी औरत के दांत रेतने वाली या मोचने से अबरू के बालों को नोच कर ख़ूबसूरत बनाने वाली और जिसने दूसरी के बाल नोचे उन सब पर हदीस में लानत आई है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : लड़कियों के कान नाक छेदना जाएज़ है और बाज़ लोग लड़कों के भी कान छिदवाते हैं और दुरया पहनाते हैं यह नाजाएज़ है यानी कान छिदवाना भी नाजाएज़ और उसे ज़ेवर पहनाना भी नाजाएज़। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : औरतों को हाथ पांव में मेंहदी लगाना जाएज़ है क़ि यह ज़ीनत की चीज़ है बिला .ज़ुरूरत छोटे बच्चों के हाथ पाँव में मेंहदी लगाना न चाहिए। (आलमगीरी) लड़कियों के हाथ पाँव में लगा सकते हैं जिस तरह उन को ज़ेवर पंहना सकते हैं।

मसअला : औरतें अपनी चोटियों में पोत व चाँदी सोने के दाने लगा सकती हैं। (आलमगीरी)

मसअला : पत्थर का सुर्मा इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं और स्याह सुर्मा या काजल ज़ीनत के इरादे से मर्द को लगाना मकरूह है और ज़ीनत मक़सूद न हो तो कराहत नहीं। (आलमगीरी)

मसअला : मकान में ज़ी-रूह (जानदार) की तस्वीर लगाना जाएज़ नहीं और ग़ैर ज़ी-रूह (बेजानदार) की तस्वीर से मकान सजाना जाएज़ है जैसे तुग़रे वग़ैरा से मकान सजाना जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला : गर्मी से बचने के लिए ख़स की टट्टी वग़ैरा लगाना जाएज़ है और अगर तकब्बुर के तौर पर हो तो नाजाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला : एक शख़्स सवारी पर है और उसके साथ और लोग पैदल चल रहे हैं अगर महज़ अपनी शान दिखाने और तकब्बुर के लिए ऐसा करता है तो मना है। (आलमगीरी) और .ज़रूरत से हो तो हर्ज नहीं मसलन यह बूढ़ा या कमज़ोर है कि चल न सकेगा या साथ वाले किसी तरह उसके पैदल चलने को गवारा नहीं करते जैसा कि बाज़ मरतबा उलमा व मशाइख़ के साथ दूसरे लोग .ख़ुद पैदल चलते हैं और उनको पैदल चलने नहीं देते इसमें कराहत नहीं जब कि अपने दिल को क़ाबू में रखे और तकब्बुर न आने दे और महज़ उन

लोगों की दिलजोई मन्ज़ूर हो यानी सिर्फ़ उन लोगों के दिल .खुश करने
लिए ऐसा कर रहा हो तो जाएज़ है।
मसअला : मर्द को दाढ़ी और सर वग़ैरा के बालों में खिज़ाब लगाना जा
बल्कि मुस्तहब है मगर स्याह ख़िज़ाब लगाना मना है हाँ मुजाहिद (जि
करने वाला) को स्याह ख़िज़ाब भी लगाना जाएज़ है कि दुश्मन की नज़र
उसकी वजह से हैबत बैठेगी। (दुर्रे मुख़्ता

क़र्ज़ की अदायगी के लिए

तबरानी ने हज़रते मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ न बता दूँ जिसे तुम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो तो तुम्हारे ऊपर एक पहाड़ के बराबर भी क़र्ज़ हो तो अल्लाह तआला अदा कर दे वह दुआ यह है।

اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَ
وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝
رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا تُعْطِىْ
مَنْ تَشَآءُ مِنْهُمَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَآءُ ارْحَمْنِىْ
رَحْمَةً تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ ۝

नाम रखने का बयान

अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला फ़रमाता है :–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ
عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ
يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ
بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (پ ۲۶)

तर्जमा : ऐ ईमान वालों एक गिरोह दूसरे गिरोह से मसख़रापन न करे, हो सकता है कि यह उनसे बेहतर हों और औरतें औरतों से मसख़रापन न करें, हो सकता है कि यह उनसे बेहतर हों और अपने को ऐब न लगाओ और बुरे लक़बों से न पुकारो। ईमान के बाद .फुसूक़ (बुरे नाम से पुकारना जैसे किसी का चिढ़ के तौर पर लोग बुरा नाम रख देते हैं) बुरा है और ज़ो तौबा न करें वह ज़ालिम हैं।

हदीस न. 1 :- बैहक़ी ने इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया औलाद को वालिद पर यह हक़ है कि उसका अच्छा नाम रखे और अच्छा अदब सिखाए।

हदीस न. 2 :- असहाबे सुनन अरबा ने अब्दुल्लाह इब्ने जराद रद़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपने भाईयों को उनके अच्छे नामों से पुकारो बुरे अलक़ाब से न पुकारो।

हदीस न. 3 :- सही मुस्लिम ने इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हारे नामों में अल्लाह तआ़ला के नज़दीक ज़्यादा प्यारा नाम अब्दुल्लाह व अब्दुल रह़मान है।

हदीस न. 4 :- इमाम अह़मद व अबू दाऊद ने अबू दरदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन तुमको तुम्हारे नाम और तुम्हारे बापों के नाम से बुलाया ज़ाएगा लिहाज़ा अच्छे नाम रखो।

हदीस न. 5 :- अबू दाऊद ने अबी व़हब जुशमी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से

रिवायत की कि रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के नाम पर नाम रखो और अल्लाह के नज़दीक नामों में ज़्यादा प्यारा नाम अब्दुल्लाह व अब्दुल रहमान हैं और सच्चे नाम हारिस व हुम्माम हैं और हरब व मुर्रा बुरे नाम हैं।

हदीस न. 6 :- दैलमी ने हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अच्छों के नाम पर नाम रखो और अपनी हाजतें अच्छे चेहरे वालों (यानी जिनके चेहरे इबादते इलाही और तहज्जुदगुज़ारी के सबब चमक रहे हों) से तलब करो।

हदीस न. 7 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरे नाम पर नाम रखो और मेरी कुन्नियत के साथ कुन्नियत न करो क्यूँकि (मेरी कुन्नियत अबुल क़ासिम महज़ इस वजह से नहीं कि मेरे साहबज़ादे का नाम क़ासिम था बल्कि) मैं क़ासिम बनाया गया हूँ कि तुम्हारे बीच तक़सीम करता हूँ।

हदीस न. 8 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम बाज़ार में थे एक शख़्स ने अबुल क़ासिम कह कर पुकारा। हुज़ूर उसकी तरफ़ मुतवज्जेह हुए। उसने कहा मैंने उस शख़्स को पुकारा। इरशाद फ़रमाया मेरे नाम के साथ नाम रखो और मेरी कुन्नियत के साथ कुन्नियत न करो।

हदीस न. 9 :- अबू दाऊद ने हज़रते अली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह़ अगर हुज़ूर के बाद मेरे लड़का पैदा हो तो आप के नाम पर उसका नाम रखूँ और आपकी कुन्नियत पर उसकी कुन्नियत करूँ। फ़रमाया हाँ।

हदीस न. 10 :- इब्ने असाकिर अबू उमामा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसके लड़का पैदा हुआ और वह मेरी मुहब्बत और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए उसका नाम मुहम्मद रखे, वह और उसका लड़का दोनों बहिश्त में जायें।

हदीस न. 11 :- हाफ़िज़ अबू ताहिर सलफ़ी ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़े क़ियामत दो शख़्स रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर खड़े किये जायेंगें। हुक्म होगा इन्हें जन्नत में ले जाओ। अ़र्ज़ करेंगे इलाही हम किस अमल पर जन्नत के क़ाबिल

हुए, हमने तो जन्नत का कोई काम किया नहीं। फ़रमायेगा जन्नत में जाओ मैंने हलफ़ किया है कि जिसका नाम अह़मद या मुह़म्मद हो दोज़ख़ में न जायेगा।

हदीस न. 12 :- अबू नईम ने हिलया में उबैत इब्ने शुरैत रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की क़सम जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा उसे अज़ाब न दूंगा।

हदीस न. 13 :- इब्ने सअद तबक़ात में उसमान उमरी से मुरसलन रावी कि रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तुममें किसी का क्या नुक़सान है अगर उसके घर में एक मुह़म्मद या दो मुह़म्मद या तीन मुह़म्मद हों।

हदीस न. 14 :- तबरानी कबीर में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके तीन बेटे हों और वह इनमें से किसी का नाम मुह़म्मद न रखे वह ज़रूर जाहिल है।

हदीस न. 15 :- हाकिम ने हज़रते अली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब लड़के का नाम मुह़म्मद रखो तो उसकी इज़्ज़त करो और मजलिसों में उसके लिए जगह कुशादा करो और उसे बुराई की तरफ़ निसबत न करो।

हदीस न. 16 : बज़्ज़ाज़ ने अबू राफ़ेअ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब लड़के का नाम मुह़म्मद रखो तो उसे न मारो और न महरूम करो।

हदीस न. 17 :- सही मुस्लिम में ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि उनका नाम बर्रह (नेकोकार) था रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपना तज़किया न करो (यानी अपनी बड़ाई और तारीफ़ न करो) अल्लाह को मालूम है कि तुममें बुरा और नेकी वाला कौन है, उसका नाम ज़ैनब रख दो।

हदीस न. 18 :- सही मुस्लिम में इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहते है जुवैरिया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा का नाम बर्रह था। हुज़ूर ने ये नाम बदल कर जुवैरिया रखा। और ये बात हुज़ूर को नापसन्द थी कि यूँ कहा जाये के बर्रह के पास चले गये।

हदीस न. 19 :- सही मुस्लिम में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हमा से

मरवी कहते हैं कि हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की एक लड़की का नाम आसिया था हुज़ूर ने उसका नाम जमीला रखा।

हदीस न. 20 :- तिर्मिज़ी ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नाम को बदल देते थे।

हदीस न. 21 :- सही बुख़ारी में सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मेरे दादा नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हुज़ूर ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है। उन्होंने कहा हज़न। फ़रमाया तुम सहल हो यानी अपना नाम सहल रखो कि उसके मअनी हैं नरम और हज़न सख़्त को कहते हैं। उन्होंने कहा जो नाम मेरे बाप ने रखा है उसे नहीं बदलूंगा। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं इसका नतीजा ये हुआ कि हममें अब तक सख़्ती पायी जाती है।

तम्बीह :- नाम रखने के मुतअल्लिक़ बाज़ मसाइल (बहारे शरीअत उर्दू के पन्द्रहवें हिस्से) अक़ीक़े के बयान में ज़िक्र किए गए हैं वहाँ से मालूम करें बाज़ बातें यहाँ ज़िक्र की जाती हैं।

मसअला :- अल्लाह तआला के नज़दीक बहुत प्यारा नाम अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान है जैसा कि हदीस में आया है। इन दोनों में ज़्यादा अफ़ज़ल अब्दुल्लाह हैं कि उबूदियत की इज़ाफ़त आलमे ज़ात की तरफ़ है। उन्हीं के हुक्म में वह नाम हैं जिनमें उबूदियत की इज़ाफ़त दूसरे अस्माए सिफ़ाइयत (अल्लाह तआला के वो नाम जो सिफ़त के लिए हैं) की तरफ़ हों मसलन अब्दुर्रहीम, अब्दुल मलिक, अब्दुल ख़ालिक़ वग़ैरा। हदीस में जो इन दोनों नामों को तमाम नामों में ख़ुदाए तआला के नज़दीक प्यारा फ़रमाया गया इसका मतलब यह है कि जो शख़्स अपना नाम अब्द के साथ रखना चाहता हो तो सबसे बेहतर अब्दुल्लाह व अबदुर्रहमान हैं। वह नाम न रखे जायें जो जाहिलिय्यत में रखे जाते थे कि किसी का नाम अब्दे शम्स और किसी का अब्दुद्दार होता लिहाज़ा यह न समझना चाहिए कि यह दोनों नाम मुहम्मद व अहमद से भी अफ़ज़ल हैं क्यूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामे पाक मुहम्मद व अहमद हैं और ज़ाहिर यही है कि यह दोनों नाम ख़ुद अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मुन्तख़िब फ़रमाए अगर यह दोनों नाम ख़ुदा के नज़दीक बहुत प्यारे न होते तो अपने महबूब के लिए पसन्द न फ़रमाया होता। अहादीस में मुहम्मद व अहमद नाम रखने के बहुत फ़ज़ाएल

आए हैं. उनमें से बाज़ ज़िक्र किए जाते हैं।

मसअला : जिसका नाम मुहम्मद हो वह अपनी कुन्नियत अबुल क़ासिम रख सकता है और हदीस में जो मुमानअत आई है वह हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की हयाते ज़ाहिरी के साथ मख़सूस थी क्यूँकि अगर किसी की कुन्नियत होती और उसके साथ पुकारा जाता तो धोका लगता कि शायद हुज़ूर को पुकारा। चुनांचे एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि किसी ने दूसरे को अबुल क़ासिम कह कर आवाज़ दी हुज़ूर ने उसकी तरफ़ तवज्जो फ़रमाई तो उसने कहा मैंने हुज़ूर को नहीं इरादा किया यानी नहीं पुकारा। उस मौक़े पर इरशाद फ़रमाया कि मेरे नाम के साथ नाम रखो और मेरी कुन्नियत के साथ अपनी कुन्नियत न करो अगर यह शुबा किया जाए कि नाम रखने में भी इस क़िस्म का धोका हो सकता था तो इसका जवाब यह है कि हुज़रू –ए– अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को नामे पाक के साथ पुकारना .कुरआन पाक ने मना फ़रमाया था लिहाज़ा सहाबःए किराम जो हाज़िरे ख़िदमत हुआ करते थे वह कभी नाम के साथ पुकारते न थे बल्कि या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह वग़ैरा अलक़ाब से निदा करते वह ऐहतमाल ही यहाँ पैदा न होता कि मुहम्मद कह कर कोई पुकारे और हुज़ूर मुराद हों। आराब वग़ैरा नावाक़िफ़ लोगों ने इस तरह पुकारा तो यह दूसरी बात है क्यूँकि वह नावाक़िफ़ी में हुआ और हज़रते अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपने साहबज़ादे मुहम्मद इब्ने हनफ़िया का नाम मुहम्मद और कुन्नियत अबुल क़ासिम रखी और यह हुज़र –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की इजाज़त से हुआ लिहाज़ा इससे मालूम होता है कि वह हदीस मन्सूख़ है।

मसअला : बाज़ असमाए इलाहिया का इतलाक़ ग़ैरुल्लाह पर जाएज़ है यानी बाज़ नामों को ग़ैरे .ख़ुदा के लिए बोलना या रखना जाएज़ है और उनके साथ नाम रखना जाएज़ है जैसे अली, रशीद, कबीर, बदीअ क्यूँकि बन्दों के नामों में वह मअनी मुराद नहीं हैं जिनका इरादा अल्लाह तआ़ला पर इतलाक़ करने में होता है और इन नामों में अलिफ़ व लाम मिलाकर नाम रखना भी जाएज़ है मसलन अल अली, अल रशीद। हाँ इस ज़माने में चूंकि अवाम में नामों की तसग़ीर (छोटा करना, बिगाड़ देना) करने का बकसरत रिवाज हो गया है लिहाज़ा जहाँ ऐसा गुमान हो ऐसे नामों से बचना ही मुनासिब है .ख़ुसूसन जब असमाए इलाहिया (अल्लाह तआ़ला के नाम) के साथ अब्द का लफ़्ज़ मिलाकर

नाम रखा गया मसलन अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल अ़ज़ीज़ की यहाँ मज़ाफ़े इलै
(possessive) से मुराद अल्लाह तआ़ला है और ऐसी सूरत में तसग़ीर अगर जानबूझ कर
होती तो मआज़ अल्लाह कुफ़्र होती क्यूँकि यह उस शख़्स की तसग़ीर नहीं बल्कि अल्लाह
तआ़ला की तसग़ीर है मगर अवाम और नावाक़िफ़ों का यह मक़सद यक़ीनन नहीं है इसी
लिए वह हुक्म नहीं दिया जाएगा बल्कि उनको समझाया और बताया जाएगा और ऐसे मौक़े
पर ऐसे नाम ही न रखे जायें जहाँ यह एहतेमाल हो। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : ऐसा नाम रखना जिसका ज़िक्र न .क़ुरआन मजीद में आया हो न
हदीसों में हो न मुसलमानों में ऐसा नाम इस्तेमाल होता हो ऐसे नाम रखने में
उलमा का इख़्तेलाफ़ है बेहतर है कि न रखें। (आलमगीरी)

मसअला : मरा हुआ बच्चा पैदा हो तो उसका नाम रखने की इजाज़त नहीं
बग़ैर नाम रखे दफ़न कर दें। (आलमगीरी)

मसअला : बच्चा पैदा हो कर मर गया तो दफ़न से पहले उसका नाम रखा
जाए लड़का हो तो लड़कों का सा और लड़की हो तो लड़कियों का सा नाम
रखा जाए और मालूम न हो सका कि लड़की है या लड़का तो ऐसा नाम रखा
जाए जो मर्द व औरत दोनों के लिए हो सकता हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : बच्चे की कुन्नियत हो सकती है या नहीं सही यह है कि हो सकती
है हदीस अबी उमैर इसकी दलील है।

मसअला : बच्चे की कुन्नियत अबूबक्र, अबू तुराब, अबुल हसन वग़ैरा रखना
जाएज़ है। इन कुन्नियतों से तबर्रुक मक़सूद होता है कि उन हज़रात की
बरकत बच्चे के शामिले हाल हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : जो नाम बुरे हों उनको बदल कर अच्छा नाम रखना चाहिए। हदीस
में है कि क़ियामत के दिन तुम अपने और अपने बापों के नाम से पुकारे जाओगे
लिहाज़ा अपने नाम अच्छे रखो। हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि
वसल्लम ने बुरे नामों को बदल दिया एक शख़्स का नाम असराम था उसको
बदल कर .ज़ुरआ रखा और आसिया नाम को बदल कर जमीला रखा। यसार,
रबाह, अफ़लाह, बरकत नाम रखने से भी मना फ़रमाया।

मसअला : अब्दुल मुस्तफ़ा, अब्दुन्नबी, अब्दे रसूल नाम रखना जाएज़ है कि
उस निसबत की शराफ़त मक़सूद है और उबूदियत के हक़ीक़ी मअनी यहाँ
मक़सूद नहीं हैं। रही अ़ब्द की इज़ाफ़त ग़ैरुल्लाह की तरफ़ यह .क़ुरआन
और हदीस से साबित है।

मसअला : ऐसे नाम जिनसे तज़कियाए नफ़्स और .खुदसताई निकलती है उनको भी हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बदल उम्मे बर्रह का नाम जैनब रखा और फ़रमाया कि अपने नफ़्स का तज़किया न करो। शम्सुद्दीन, जैनुद्दीन, मुहीउद्दीन, फ़ख़्रुद्दीन, नसीरुद्दीन, सिराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन, क़ुतुबुद्दीन वग़ैरा नाम जिनके अन्दर .खुदसताई और बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ पाई जाती है नहीं रखना चाहिए ––– रहा यह कि बुज़ुर्गाने दीन व अइम्माए साबक़ीन को इन नामों से याद किया जाता है तो यह जानना चाहिए कि उन हज़रात के नाम ये न थे बल्कि ये उनके अलक़ाब हैं कि जब वो हज़रात मरातिबे आलिय्या और मनासिबे जलीला पर फ़ाएज़ हुए तो मुसलमानों ने उनको इस तरह कहा और यहाँ एक जाहिल और अनपढ़ जो अभी पैदा हुआ और उसने दीन की अभी कोई ख़िदमत नहीं की इतने बड़े बड़े अलफ़ाज़े फ़ख़्रिया (बड़े फ़ख़्र वाले अलफ़ाज़) से याद किया जाने लगा। इमाम मुहीउद्दीन नूदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बावजूद इस जलालते शान के उनको अगर मुहीउद्दीन कहा जाता तो इन्कार फ़रमाते और कहते कि जो मुझे मुहीउद्दीन नाम से बुलाए उसको मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : .गुलाम मुहम्मद, .गुलाम सिद्दीक़, .गुलाम फ़ारूक़, .गुलाम अली, .गुलाम हसन, .गुलाम हुसैन वग़ैरा नाम जिनमें अम्बिया सहाबा व औलिया की तरफ़ .गुलाम की इज़ाफ़त करके नाम रखा जाए यह जाएज़ है। इसके अदम जवाज़ की कोई वजह नहीं। बाज़ वहाबिया का इन नामों को नाजाएज़ बल्कि शिर्क बताना उनकी बदबातिनी की दलील है। ऐसा भी सुना गया है कि बाज़ वहाबियों ने .गुलाम अली नाम को बदल कर .गुलाम अल्लाह नाम रखा यह उनकी जिहालत है कि जाएज़ नाम को बदल कर नाजाएज़ नाम रखा। .गुलाम की इज़ाफ़त अल्लाह तआला की तरफ़ करना और किसी को .गुलाम अल्लाह कहना नाजाएज़ है क्यूँ कि .गुलाम के हक़ीक़ी मअनी पिसर और लड़का हैं ––– अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला इससे पाक है कि उसके लिए कोई लड़का हो। अल्लामा अब्दुल ग़नी नाबुलसी क़ुदिसा सिर्रुहू ने हदीक़ा नदीयह में फ़रमाया "बोला जाएगा "अल्लाह के बन्दों अल्लाह की बन्दी यह नहीं बोला जाएगा अल्लाह के बेटे अल्लाह की बेटी"

मसअला : मुहम्मद बख़्श, अहमद बख़्श, नबी बख़्श, पीर बख़्श, अली बख़्श, हुसैन बख़्श और इसी क़िस्म के दूसरे नाम जिन में किसी नबी या वली के नाम के साथ बख़्श का लफ़्ज़ मिलाकर नाम रखा गया हो जाएज़ है।

मसअला : ग़फ़ूरुद्दीन, ग़फ़ूरुल्लाह नाम रखना नाजाइज़ है क्यूँकि गफ़ूर
मअनी हैं मिटाने वाला। अल्लाह तआला ग़फ़ूर है कि वह बन्दों के गुना
मिटा देता है लिहाज़ा ग़फ़ूरुद्दीन के मअनी हुए दीन को मिटाने वाला।

मसअला : तॉ हा, यासीन नाम भी न रखे जायें कि यह मुक़त्तआत कुरआनिय
से हैं जिनके मअनी मालूम नहीं ज़ाहिर यह है कि ये अस्माए नबी सल्लल्ला
तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से हैं और बाज़ उलमा ने अस्माए इलाहिया से कहा
बाहरहाल जब मअनी मालूम नहीं तो हो सकता है कि उसके ऐसे मअनी
जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अल्लाह तआ़ला के साथ
ख़ास हों और इन नामों के साथ मुहम्मद मिलाकर मुहम्मद तॉ हा मुहम्मद
यासीन कहना भी मुमानअत को दफ़ा न करेगा।

मसअला : मुहम्मद नबी, अहमद नबी, मुहम्मद रसूल, नबीउज़्ज़मा नाम रखना
भी नाजाएज है बल्कि बाज़ का नाम नबी उल्लाह सुना गया है। ग़ैर नबी को
नबी कहना हरगिज़ हरगिज़ जाएज़ नहीं हो सकता।

तम्बीह : अगर कोई यह कहे कि नामों में असली मअनी का लिहाज़ नहीं होता
बल्कि यहाँ तो यह शख़्स मुराद है, इसका जवाब यह है कि अगर ऐसा होता
तो शैतान इबलीस वग़ैरा इस क़िस्म के नामों से लोग गुरेज़ न करते और नामों
में अच्छे और बुरे नामों की दो क़िस्में न होतीं और हदीस में न फ़रमाया जाता
कि अच्छे नाम रखो और हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि
वसल्लम ने बुरे नामों को बदला न होता कि जब उस असली मअनी का
बिल्कुल लिहाज़ नहीं तो बदलने की क्या वजह।

जब आईना देखे

जब अपने चेहरे को आईने में देखे तो यह पढ़े।

اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي وحرم وجهي على النار

मुसाबक़त का बयान

हदीस न. 1 :- सही बुख़ारी में सलमा इब्ने अकवाअ रदि़यल्लाहु अ़न्हु से मरवी कहते हैं कुछ लोग पैदल तीरन्दाजी कर रहे थे यानी मुसाबक़त के तौर पर। उनके पास रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फ़रमाया ऐ बनी इस्माईल (यानी अहले अरब क्यूँकि अरब वाले हज़रते इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं) तीरन्दाज़ी करो क्यूँकि तुम्हारे बाप यानी हज़रते इस्माईल अ़लैहिस्सलाम तीरन्दाज़ थे और दोनों फ़रीक़ों में से एक के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि मैं बनी फ़लाँ के साथ हूँ। दूसरे फ़रीक़ ने हाथ रोक लिया। हुज़ूर ने फ़रमाया क्यूँ तुम लोगों ने हाथ रोका। उन्होंने कहा जब हुज़ूर बनी फ़लाँ यानी हमारे फ़रीक़े मुक़ाबिल (विरोध में) के साथ हो गए तो अब हम क्यूँकर तीर चलायें यानी अब हमारे जीतने की सूरत बाक़ी नहीं रही। इरशाद फ़रमाया तुम तीर चलाओ मैं तुम सब के साथ हूँ।

हदीस न. 2 :- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुज़मर घोड़ों में हफ़या (जगह का नाम) से दौड़ कराई और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी सीनतुल वदाअ (यह उस जगह का नाम है जहाँ तक जाकर मदीने शरीफ़ के हज़रात अपने मेहमानों को विदा करके आते थे) थी और दोनों के बीच छः मील का फ़ासला था और जो घोड़े मुज़मर न थे उनकी दौड़ सिनया से मस्जिदे रज़ीक़ तक हुई इन दोनों में एक मील का फ़ासला था।

नोट : मुज़मर घोड़े वह कहलाते हैं जिनको ख़ूब खिला कर फ़रबा कर लिया जाए उसके बाद ख़ुराक कम करें और एक मकान में बन्द कर दें और उनको झूल उढ़ा दें कि ख़ूब पसीना आए और बादी गोश्त छंट कर दुबले हो जायें ऐसे घोड़े बहुत तेज़ रफ़्तार होते हैं।

हदीस न. 3 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व निसाई ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसाबक़त नहीं मगर तीर और ऊँट और घोड़े में।

हदीस न. 4 :- शरहे सुन्नह में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो घोड़ों में एक और घोड़ा शामिल कर लिया और मालूम है कि यह पीछे रह जाएगा तो

उसमें खै़र नहीं और अगर अन्देशा है कि यह आगे जा सकता है तो मुजा
नहीं यानी पहली सूरत में नाजाएज़ है और दूसरी सूरत में जाएज़।
हदीस न. 5 :- अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रि
की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो
में एक और घोड़ा शामिल किया और उसके पीछे हो जाने का इल्म न
क़िमार (जुआ) नहीं और मालूम है कि पीछे रह जाएगा तो जुआ है।
हदीस न. 6 :- अबू दाऊद व निसाई ने इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु त
अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्ल
फ़रमाया कि जलब व जनब नहीं हैं यानी घुड़दौड़ में यह जाएज़ नहीं कि
दूसरा शख़्स उसके घोड़े को डांटे और मारे कि यह तेज़ दौड़ने लगे औ
यह कि सवार अपने साथ कोतल (फ़ाज़िल, फ़ालतू) घोड़ा रखे कि जब प
घोड़ा थक जाए तो दूसरे पर सवार हो जाए।
हदीस न. 7 :- अबू दाऊद ने आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मैं सफ़र में
कहती हैं कि मैंने हुज़ूर से पैदल मुसाबक़त की और मैं आगे हो गई फिर
मेरे जिस्म में गोश्त ज़्यादा हो गया यानी पहले से कुछ मोटी हो गई मैंने हु
के साथ दौड़ की इस मरतबा हुज़ूर आगे हो गए और यह फ़रमाया कि
उसका बदला हो गया।
मसाइले फ़िक़्हिय्या : मुसाबक़त का मतलब यह है कि चन्द शख़्स आपस
यह तय करें कि कौन आगे बढ़ जाता है जो सबक़त ले जाए उसको यह दि
जाएगा। यह मुसाबक़त सिर्फ़ तीरन्दाज़ी में हो सकती है या घोड़े, गधे, ख़च्च
में। जिस तरह घुड़दौड़ में हुआ करता है कि चन्द घोड़े एक साथ भगाए ज
हैं जो आगे निकल जाता हैं उसे एक रक़म या कोई चीज़ दी जाती है। ऊ
और आदमियों की दौड़ भी जाएज़ है क्यूँकि ऊँट भी असबाबे जिहाद में हैं या
यह जिहाद के लिए कारामद चीज़ है। मतलब यह है कि इन दौड़ों से मक़स
जिहाद की तैयारी है, लहव व लइब मक़सूद नहीं। अगर महज़ खेल के लिए ऐ
करता है तो मकरूह है इसी तरह अगर फ़ख़्र या अपनी बड़ाई मक़सूद है
अपनी शुजाअत व बहादुरी का इज़हार मक़सूद हो तो भी मकरूह है।
(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार
मसअला : सबक़त ले जाने वाले के लिए कोई शर्त न हो तो इन ज़िक्र की ग

चीज़ों के साथ उसका जवाज़ ख़ास नहीं बल्कि हर चीज में सबक़त हो सकती है।
(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : साबिक़ के लिए जो कुछ मिलना तय पाया है वह उसके लिए हलाल व तय्यब (पाक) है मगर वह उसका मुस्तहिक़ नहीं यानी अगर दूसरा उसको न दे तो क़ाज़ी के यहाँ दावा करके जबरन वसूल नहीं कर सकता।
(आलमगीरी)

मसअला : मुसाबक़त जाएज़ होने के लिए शर्त यह है कि सिर्फ़ एक जानिब से माल शर्त हो यानी दोनों में से एक ने यह कहा कि अगर तुम आगे निकल गए तो तुमको मसलन सौ रूपये दूंगा और मैं आगे निकल गया तो तुमसे कुछ नहीं लूंगा। दूसरी सूरत जवाज़ की यह है कि तीसरे शख़्स ने इन दोनों से यह कहा कि तुम में जो आगे निकल जाएगा उसको इतना दूंगा जैसा कि अकसर हुकूमत की जानिब से दौड़ होती है और उसमें आगे निकल जाने वाले के लिए इनाम मुक़र्रर होता है इन लोगों में बाहम (आपस में) कुछ लेना देना तय नहीं होता।
(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला : अगर दोनों जानिब से माल की शर्त हो मसलन तुम आगे हो गए तो मैं इतना दूंगा और मैं आगे हो गया तो मैं इतना लूंगा यह सूरत जुआ और हराम है। हाँ अगर दोनों ने अपने साथ एक तीसरे शख़्स को शामिल कर लिया जिसको मुहल्लिल कहते हैं और ठहराया यह कि अगर यह आगे निकल गया तो रक़म यह लेगा और पीछे रह गया तो यह देगा कुछ नहीं इस सूरत में दोनों जानिब से माल की शर्त जाएज़ है। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : मुहल्लिल के लिए यह ज़रूर है कि उसका घोड़ा भी उन्हीं दोनों जैसा हो यानी हो सकता है कि उसका घोड़ा आगे निकल जाए या पीछे रह जाए दोनों बातों में से एक का यक़ीन न हो और अगर उसका घोड़ा उन जैसा न हो, मालूम हो कि वह पीछे ही रह जाएगा या मालूम हो कि यक़ीनन आगे निकल जाएगा तो उसके शामिल करने से शर्त जाएज़ न होगी।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : मुहल्लिल यानी तीसरे शख़्स का घोड़ा अगर दोनों से आगे निकल गया तो दोनों ने जो कुछ देने को कहा था यह मुहल्लिल दोनों से लेगा और अगर दोनों से पीछे रह गया तो यह उन दोनों को कुछ नहीं देगा बल्कि उन दोनों में जो आगे हो गया वह दूसरे से वह लेगा जिसका देना शर्त ठहरा है। इसकी सूरत यह है कि दो शख़्सों ने पाँच सौ की बाज़ी लगाई और मुहल्लिल

को शामिल कर लिया गया अगर मुहल्लिल आगे हो गया तो दोनों से पाँच सौ यानी एक हज़ार ले लेगा और अगर मुहल्लिल आगे न हुआ तो उन दोनों को वह कुछ न देगा बल्कि उन दोनों में जो आगे होगा वह दूसरे से पाँच सौ लेगा और अगर दोनों के घोड़े एक साथ पहुँचे तो उन दोनों में कोई भी दूसरे को कुछ न देगा न मुहल्लिल से कुछ लेगा और अगर उन दोनों में एक का घोड़ा और मुहल्लिल का घोड़ा दोनों एक साथ पहुँचे तो मुहल्लिल उससे कुछ नहीं ले सकता बल्कि उससे लेगा जिसको घोड़ा पीछे रह गया और दूसरा भी उसी पीछे रह जाने वाले से लेगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दल मुहतार)

मसअला : मुसाबक़त में शर्त यह है कि मुसाफ़त (दूरी) इतनी हो जिसको घोड़े तय कर सकते हों और जितने घोड़े लिए जायें वह सब ऐसे हों जिनमें यह ऐहतमाल हो कि आगे निकल जायेंगे इसी तरह तीरन्दाज़ी और आदमियों की दौड़ में भी यही शर्ते हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : ऊँटों की दौड़ में आगे होने का मतलब यह है कि शाना आगे हो जाए गर्दन का एतेबार नहीं और घोड़ों की दौड़ में जिसकी गर्दन आगे हो जाए वह आगे होने वाला माना जाएगा (रद्दुल मुहतार) मगर इस ज़माने का रिवाज यह है कि घोड़ों में कनौती (अगली टांगों का ऊपरी हिस्सा) को एतेबार किया जाता है और कनौती भी जब ही आगे होगी कि गर्दन आगे हो जाए।

मसअला : तलबा ने किसी मसअले के मुताल्लिक़ शर्त लगाई कि जिसकी बात सही होगी उसको यह दिया जाएगा इसमें भी वह सारी तफ़सील है जो मुसाबक़त में ज़िक्र हुई यानी अगर एक तरफ़ से शर्त हो तो जाएज़ है मसलन एक तालिबे इल्म ने कहा कि चलो उस्ताद से चल कर पूछें अगर तुम्हारी बात सही हो तो मैं तुमको यह दूंगा कि यह एक जानिब से शर्त हुई या एक ने दूसरे से कहा कि आओ मैं और तुम मसाइल में गुफ़्तगू करें अगर तुम्हारी बात सही हुई तो यह दूंगा यह जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला : तलबा में यह ठहरा कि जो पहले आएगा उसका सबक़ पहले होगा इस सूरत में जो दर्सगाह में पहले आया उस को हक़्के मुक़द्दम है और अगर हर एक पहले आने का मुद्दई है तो जो गवाहों से पहले आना साबित कर दे वह मुक़द्दम है और अगर गवाह न हों तो क़ुरा डाला जाए जिसका नाम पहले निकले वह मुक़द्दम है। (ख़ानया)

कस्ब का बयान

इतना कमाना फ़र्ज़ है जो अपने लिए और अहलो अयाल (परिवार) के लिए और जिनका नफ़्क़ा इसके ज़िम्मे वाजिब है उनके नफ़्क़े के लिए और अदाए दैन (क़र्ज़) के लिए किफ़ायत कर सके। इस के बाद उसे इख़्तेयार है कि इतने ही पर बस करे या अपने और अहलो अयाल के लिए कुछ बचा कर रखने की भी कोशिश करे। माँ बाप मुहताज व तंगदस्त हों तो फ़र्ज़ है कि कमा कर उन्हें बक़द्रे किफ़ायत दे। (आलमगीरी)

मसअला : क़द्र किफ़ायत से ज़्यादा इसलिए कमाता है कि .फ़ुक़रा व मसाकीन की ख़बरगीरी कर सकेगा अपने क़रीबी रिश्तेदारों की मदद करेगा यह मुस्तहब है और यह नफ़्ल इबादत से अफ़ज़ल है और अगर इसलिए कमाता है कि माल व औलाद ज़्यादा होने से मेरी इज़्ज़त व वक़ार में इज़ाफ़ा होगा फ़ख़्र व तकब्बुर मक़सूद न हो तो यह मुबाह है और अगर महज़ माल की क़सरत या तफ़ाख़ुर मक़सूद है तो मना है। (आलमगीरी)

मसअला : जो लोग मसाजिद और ख़ानक़ाहों में बैठ जाते हैं और गुज़र बसर के लिए कुछ काम नहीं करते और अपने को मुतवक्किल बताते हैं हालांकि उनकी निगाहें इस की मुन्तज़िर रहती हैं कि कोई हमें कुछ दे जाए वह मुतवक्किल नहीं। इससे अच्छा यह था कि कोई काम करते उससे गुज़र बसर करते (आलमगीरी) इसी तरह आजकल बहुत से लोगों ने पीरी मुरीदी को पेशा बना लिया है। सालाना मुरीदों में दौरा करते हैं और मुरीदों से तरह तरह से रक़में खसोटते हैं जिसको नज़राना वग़ैरा नामों से मौसूम करते हैं और उनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो झूट और फ़रेब से भी काम लेते हैं यह नाजाएज़ है।

मसअला : सबसे अफ़ज़ल कस्ब जिहाद है यानी जिहाद में जो माले ग़नीमत हासिल हुआ —— मगर यह .ज़रूर है कि उसने माल के लिए जिहाद न किया हो बल्कि एलाए कलिमतुल्लाह मक़सूदे असली हो जिहाद बादे तिजारत फिर ज़राअत (खेती बाड़ी) फिर कारीगरी हुनर वग़ैरा का मरतबा है। (आलमगीरी)

मसअला : चर्ख़ा कातना औरतों का काम है मर्द को चर्ख़ा कातना मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : जिसके पास उस दिन के खाने के लिए मौजूद हो उसे सवाल

करना हराम है साइलों और गदागरों ने इस तरह पर जो माल हासिल किया और जमा किया वह ख़बीस माल है। (आलमगीरी)

मसअला : जो शख़्स इल्मे दीन व .कुरआन पढ़कर कस्ब छोड़ देता है वह अपने दीन को खाता है (आलमगीरी) यानी आलिम या क़ारी हो कर बैठ गया और कमाना छोड़ दिया यह ख़्याल किए हुए है कि लोग मुझे आलिम या क़ारी समझ कर .खुद ही खाने को दे देंगे कमाने की क्या .ज़रूरत है यह नाजाएज़ है। रहा यह कि .कुरआन मजीद व इल्मे दीन की तालीम पर उजरत लेना और उसके पढ़ाने की नौकरी करना इसको .फुक़हाए मुताख़्ख़रीन (बाद वाले उलमा) ने जाएज़ बताया है जिसका बयान बहारे शरीअत भाग चौदह में इजारह के बयान में है यह काम दीन-फ़रोशी में दाख़िल नहीं।

मसअला : जिस शख़्स ने हराम तरीक़े से माल जमा किया और मर गया वुरसा को अगर मालूम है कि फ़लाँ फ़लाँ के अमवाल हैं तो उनको वापस कर दें और मालूम न हो तो सदक़ा कर दें। (आलमगीरी)

मसअला : अगर माल में शुबा हो तो ऐसे माल को अपने क़रीबी रिश्तेदार पर सदक़ा कर सकता है यहाँ तक कि अपने बाप या बेटे को दे सकता है, इस सूरत में यही .ज़रूर नहीं कि अजनबी ही को दे। (आलमगीरी)

अल्लाह चुनिन्दा लोगों को ग़ैब अता फ़रमाता है

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

और अल्लाह की शान यह नहीं कि ऐ आम लोगों तुम्हें ग़ैब का इल्म दे दे हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे

(पा 4 सूर आले इमरान आयत 179)

अम्र बिल मारुफ़ व नही अनिल मुन्कर का बयान

(अच्छी चीज़ों का हुक्म देना बुरी से रोकना)

अल्लाह तआला फरमाता है :–

وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝ (پ ۴ رکوع ۲)

तर्जमा : और तुममें एक ऐसा गिरोह होना चाहिए कि भलाई की तरफ़ बुलाए और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मना करे और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। (पारा 4 रुकू 2)

और फ़रमाता है :–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط (پ ۴ رکوع ۳)

तर्जमा : तुम बेहतरीन हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो।

और क़ुरआन में है :–

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ۝ (پ ۲۱ رکوع ۱۱)

तर्जमा : (लुक़मान ने अपने बेटे से कहा) ऐ मेरे बेटे नमाज़ क़ाएम रख और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मना कर और जो उफ़ताद (मुसीबत) तुझ पर पड़े उस पर सब्र कर बेशक ये हिम्मत के काम हैं। (पारा 21 रुकू 11)

हदीस न. 1 :- तुममें जो शख़्स बुरी बात देखे उसे अपने हाथ से बदल दे और अगर उसकी इस्तिताअत (ताक़त) न हो तो ज़ुबान से बदले और उसकी भी इस्तिताअत न हो तो दिल से यानी उसे दिल से बुरा जाने और यह कमज़ोर ईमान वाला है। (मुस्लिम)

हदीस न. 2 :- हुदूदुल्लाह में मुदाहनत करने वाला (यानी खिलाफ़े शरा चीज़ देखे और क़ुदरत होने के बावजूद मना न करे) उसकी और हुदूदुल्लाह में

वाक़ेअ होने वाले की मिसाल यह है कि एक कौम ने जहाज़ के बारे में .
डाला बाज़ ऊपर के हिस्से में रहे बाज़ नीचे के हिस्से में। नीचे वाले पानी
ऊपर जाते और पानी लेकर उनके पास से गुज़रते उनको तकलीफ़ हो
(उन्होंने इसकी शिकायत की) नीचे वाले ने कुल्हाड़ी लेकर नीचे का त
काटना शुरू किया ऊपर वालों ने देखा तो पूछा क्या बात है कि तख़्ता त
रहे हो। उसने कहा कि मैं पानी लेने जाता हूँ तो तुम को तकलीफ़ होती है अ
पानी लेना मुझे .जरूरी है (लिहाज़ा मैं तख़्ता तोड़ कर यहाँ से पानी ले लूं
और तुम लोगों को तकलीफ़ न दूंगा) इस सूरत में अगर ऊपर वालों ने उस
हाथ पकड़ लिया और खोदने से रोक दिया तो उसे भी नेजात देंगे और अप
को भी और अगर छोड़ दिया तो उसे भी हलाक किया और अपने को भी।
(बुख़ारी शरीफ़

हदीस न. 3 :- क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है या तो अच्छी बा
का हुक्म करोगे और बुरी बात से मना करोगे या अल्लाह तआला तुम पर जल
अपना अज़ाब भेजेगा फिर दुआ करोगे और तुम्हारी दुआ क़बूल न होगी (तिर्मिज़ी)
हदीस न. 4 :- जब ज़मीन में गुनाह किया जाएं तो जो वहाँ मौजूद है मगर उ
बुरा जानता है वह उसकी मिस्ल जो वहाँ नहीं है और जो वहाँ नहीं है मगर उ
पर राज़ी है वह उसकी मिस्ल है जो वहाँ हाज़िर है। (अबू दाऊद
हदीस न. 5 :- हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाय
ऐ लोगों तुम इस आयत को पढ़ते हो :–

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ (پ ۷ ع ۴)

तर्जमा : ऐ ईमान वालों अपने नफ़्स को लाज़िम पकड़ लो गुमराह तुमको ज़रर
न पहुँचाएगा जबकि तुम .खुद हिदायत पर हो (यानी तुम इस आयत से यह
समझते होगे कि जब हम .खुद हिदायत पर हैं तो गुमराह की गुमराही हमारे
लिए मुज़िर नहीं, हमको मना करने की .ज़रूरत नहीं)

मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि
लोग अगर बुरी बात देखें और उसको न बदलें तो क़रीब है कि अल्लाह
तआला उन पर ऐसा अज़ाब भेजेगा जो सब को घेर लेगा।(इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)
हदीस न. 6 :- जिस क़ौम में गुनाह होते हों और वह लोग बदलने पर क़ादिर

हों फिर न बदलें तो क़रीब है कि अल्लाह तआ़ला सब पर अज़ाब भेजे।

(अबू दाऊद)

हदीस न. 7 :- अच्छी बात का हुक्म करो और बुरी बात से मना करो यहा तक कि जब तुम यह देखो कि बुख़्ल की इताअत की जाती है और ख़्वाहिशे नफ़्सानी की पैरवी की जाती है और दुनिया को दीन पर तरजीह दी जाती है और हर शख़्स अपनी राय पर घमंड करता है और ऐसा काम देखो कि तुम्हें उससे चारा न हो तो अपने नफ़्स को लाज़िम कर लो यानी .खुद को बुरी चीज़ों से बचाओ और अवाम के मुआमले को छोड़ो (यानी ऐसे वक़्त में) अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुन्कर (अच्छी चीज़ों का हुक्म देना बुरी से रोकना) .ज़रूरी नहीं। तुम्हारे आगे सब्र के दिन आयेंगे जिन में सब्र करना ऐसा है जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। अमल करने वाले के लिए उस ज़माने में पचास शख़्स के बराबर अमल करने वालों का अज्र है। लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उनमें से पचास का अज्र उस एक को मिलेगा। फ़रमाया कि तुममें से पचास की बराबर अज्र मिलेगा (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) पाँचवीं हदीस में जो आयत ज़िक्र की गई वह इसी मौक़े और वक़्त के लिए है।

हदीस न. 8 :- लोगों की हैबत हक़ बोलने से न रोके जब मालूम हो तो कह दे।

(तिर्मिज़ी)

हदीस न. 9 :- चन्द मख़सूस लोगों के अमल की वजह से अल्लाह तआ़ला सब लोगों को अज़ाब नहीं करेगा मगर जब कि वहाँ बुरी बात की जाए और वह लोग मना करने पर क़ादिर हों और मना न करें तो अब आम व ख़ास सब को अज़ाब होगा।

(शरहे सुन्नाह)

हदीस न. 10 :- बनी इस्राईल ने जब गुनाह किए उनके उलमा ने मना किया मगर वह बाज़ न आए फिर उलमा उनकी मजलिसों में बैठने लगे और उनके साथ खाने पीने लगे। .खुदा ने उलमा के दिल भी उन्हीं जैसे कर दिए और दाऊद व ईसा इब्ने मरियम अ़लैहिमस्सलाम की .ज़बान से उन सब पर लानत की, यह इस वजह से कि उन्होंने नाफ़रमानी की और हद से तजावुज़ करते थे। इसके बाद हुज़ूर ने फ़रमाया .खुदा की क़सम तुम या तो अच्छी बात का हुक्म करोगे और बुरी बात से रोकोगे और ज़ालिम के हाथ पकड़ लोगे और उनको हक़ पर रोकोगे और हक़ पर ठहराओगे या अल्लाह तआ़ला तुम सब के दिल एक तरह के कर देगा फिर तुम सब पर लानत कर देगा जिस तरह उन सब पर लानत की।

(अबू दाऊद)

हदीस न. 11 :- मैंने शबे मेराज में देखा कि कुछ लोगों के होंट आग की क़ैंचियों से काटे जाते हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं। कहा ये आप की उम्मत के वाज़ कहने वाले हैं जो लोगों को अच्छी बात का हुक्म करते थे और अपने को भूले हुए थे। (शरहे सुन्नह)

हदीस न. 12 :- बादशाह ज़लिम के पास हक़ बात बोलना अफ़ज़ल जिहाद है। (इब्ने माजा)

हदीस न. 13 : मेरे बाद में उमरा होंगे जिनकी बाज़ बातें अच्छी होंगी और बाज़ बुरी जिसने बुरी बात से कराहत की वह बरी है और जिसने इन्कार किया वह सलामत रहा लेकिन जो राज़ी हुआ और पैरवी की वह हलाक हुआ।(मुस्लिम, अबू दाऊद)

हदीस न. 14 :- मुझसे पहले जिस नबी को .खुदा ने किसी उम्मत में मबऊस किया उसके लिए उम्मत से हवारीन व असहाब हुए जो नबी की सुन्नत लेते और उसके हुक्म की पैरवी करते फिर उनके बाद नाख़लफ़ लोग पैदा हुए कि कहते वह जो करते नहीं और करते वह जिसका दूसरों को हुक्म न देते — जिसने हाथ के साथ उनसे जिहाद किया वह मोमिन है और जिसने ज़ुबान के साथ किया वह मोमिन है और जिसने दिल से जिहाद किया वह मोमिन है और उसके बाद राई के दाने बराबर ईमान नहीं। (मुस्लिम)

मसाइले फ़िक़्हिय्या

अम्र बिल मारूफ़ यह है कि किसी को अच्छी बात का हुक्म देना मसलन किसी से नमाज़ पढ़ने को कहना और नही अनिल मुन्कर का मतलब यह है कि बुरी बातों से मना करना यह दोनों चीज़ें फ़र्ज़ हैं .क़ुरआन मजीद में इरशाद फ़रमाया :—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

तर्जमा : तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो ज़ाहिर किए गए हो लोगों के लिए ताकि हुक्म दो लोगों को भलाई का और बुराई से रोको।

अहादीस में उनकी बहुत ताकीद आई और उसके ख़िलाफ़ करने की मज़म्मत फ़रमाई गई।

मसअला : मासियत का इरादा किया मगर उसको किया नहीं तो गुनाह नहीं बल्कि उसमें भी एक क़िस्म का सवाब है जब कि यह समझ कर बाज़ रहा कि यह गुनाह का काम है नहीं करना चाहिए। अहादीस से ऐसा ही साबित है और अगर गुनाह के काम का बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया जिसको अज़्म कहते हैं तो यह भी एक गुनाह है अगरचे जिस गुनाह का अज़्म किया था उसे न

किया हो। (आलमगीरी)

मसअला : किसी को गुनाह करते देखे तो निहायत संजीदगी और नर्मी से उसे मना करे और उसे अच्छी तरह समझाए —— फिर अगर इस तरह से काम न चला वह शख़्स बाज़ न आया तो अब सख़्ती से पेश आए —— उसको सख़्त अल्फ़ाज़ कहे मगर गाली न दे न फ़ोहश लफ़्ज़ .ज़ुबान से निकाले —— और इससे भी काम न चले तो जो शख़्स हाथ से कुछ कर सकता है करे मसलन वह शराब पीता है तो शराब बहा दे, बर्तन तोड़ फोड़ डाले —— गाता बजाता है तो बाजे तोड़ डालें। (आलमगीरी)

मसअला : अम्र बिल मारूफ़ की कई सूरतें हैं :-

(1) अगर ग़लिब गुमान यह है कि यह उनसे कहेगा तो वह इसकी बात मान लेंगे और बुरी बात से बाज़ आ जायेंगे तो अम्र बिल मारूफ़ वाजिब है उसको बाज़ रहना जाएज़ नहीं।

(2) और अगर गुमान ग़लिब यह है कि वह तरह तरह की तोहमत बांधेंगें और गालियाँ देंगे तो तर्क करना अफ़ज़ल है।

(3) और अगर यह मालूम है कि वह इसे मारेंगे और यह सब्र न कर सकेगा या इसकी वजह से फ़ितना व फ़साद पैदा होगा आपस में लड़ाई ठन जाएगी जब भी छोड़ना अफ़ज़ल है।

(4) और अगर मालूम हो कि वह अगर इसे मारेंगे तो सब्र कर लेगा तो उन लोगों को बुरे काम से मना करे और यह शख़्स मुजाहिद है।

(5) और अगर मालूम है कि वह मानेंगे नहीं मगर न मारेंगे और न गाली देंगे तो इसे इख़्तियार है और अफ़ज़ल यह है कि अम्र बिल मारूफ़ करे। (आलमगीरी)

मसअला : अगर अन्देशा है कि उन लोगों को अम्र बिल मारूफ़ करेगा तो क़त्ल कर डालेंगे और यह जानते हुए उसने किया और उन लोगों ने मार ही डाला तो यह शहीद हुआ। (आलमगीरी)

मसअला : उमरा के ज़िम्मे अम्र बिल मारूफ़ हाथ से है कि अपनी ताक़त से उस काम को रोक दें —— और उलमा के ज़िम्मे .ज़ुबान से है कि अच्छी बात करने को और बुरी बात से बाज़ रहने को .ज़बान से कह दें और अवामुन्नास के ज़िम्मे दिल से बुरा जानना है।(आलमगीरी) इसका मक़सद वही है जो हदीस में फ़रमाया कि जो बुरी बात देखे उसे चाहिए कि अपने हाथ से बदल दे और अगर हाथ से बदलने पर क़ादिर न हो तो .ज़ुबान से बदल दे य़ानी

.ज़ुबान से उस का बुरा होना ज़ाहिर कर दे और मना कर दे और उसकी भी इस्तिताअत (ताक़त) न हो तो दिल से बुरा जाने और यह ईमान का सबसे कमज़ोर मरतबा है —— यहाँ अवाम से मुराद वह लोग हैं कि उनमें न हाथ से रोकने की हिम्मत है और न ज़ुबान से मना करने की जुराअत। क़ौम के चौधरी और ज़मीनदार वग़ैरा बहुत से अवाम ऐसी हैसियत रखते हैं कि हाथ से रोक सकते हैं उन पर लाज़िम है कि रोकें ऐसों के लिए सिर्फ़ दिल से बुरा जानना काफ़ी नहीं।

मसअला : अम्र बिल मारूफ़ के लिए पाँच चीज़ों की .ज़रूरत है ——— (1) इल्म कि जिसे इल्म न हो उस काम को अच्छी तरह अन्जाम नहीं दे सकता। यहाँ इल्म से मुराद यह नहीं कि वह पूरा आलिम हो बल्कि मुराद यह है कि इतना जानता हो कि यह चीज़ गुनाह है और दूसरों को भली बुरी बात समझाने का तरीक़ा मालूम हो कि असरदार तरीक़े से उससे कह सके। (2) उसका मक़सद रज़ाए इलाही और एलाए कलिमतुल्लाह हो यानी अल्लाह की रज़ा के लिए अम्र करे और मक़सद उसका हक़ की बात कहना हो। (3) जिसको हुक्म देता है उसके साथ शफ़क़त व मेहरबानी करे नर्मी के साथ कहे। (4) अम्र करने वाला साबिर और बुर्दबार हो। (5) यह .खुद उस बात पर आमिल हो वर्ना .कुरआन के उस हुक्म का मिस्दाक़ बन जाएगा "क्यूँ कहते हो वह जिसको तुम .खुद नहीं करते, अल्लाह के नज़दीक नाख़ुशी की बात है यह कि ऐसी बात कहो जिसको .खुद न करो" और यह भी .कुरआन मजीद में फ़रमाया कि क्या लोगों को तुम अच्छी बात का हुक्म करते हो और खुद अपने को भूले हुए हो। यहाँ यह मतलब नहीं कि जो शख़्स .खुद अमल न करता हो वह दूसरों को अच्छी बात का हुक्म ही न दे बल्कि मक़सद यह हो कि वह खुद भी करे और दूसरों को भी कहे। (आलमगीरी)

मसअला : आम आदमी को यह न चाहिए कि क़ाज़ी या मुफ़्ती या मशहूर व मारूफ़ आलिम को अम्र बिल मारूफ करे कि यह बेअदबी है ——— मसल मशहूर है कि ख़ताए बुज़ुर्गाँ गिरिफ़्तन ख़ता अस्त (तर्जमा : बुज़ुर्गों की ग़लती पकड़ना ग़लती है) और कभी ऐसा भी होता है कि लोग किसी मसलहते खास से एक फ़ेल करते हैं जिस तक अवाम की नज़र नहीं पहुँचती और यह शख़्स समझता है कि जैसे हम ने किया उन्होंने भी किया हालांकि दोनों में बहुत फ़र्क होता है।(आलमगीरी) यह हुक्म उन उलमा के मुताल्लिक़ है जो अहकामे शरा के पाबन्द हैं और इत्तेफ़ाक़न कभी ऐसी चीज़ ज़ाहिर हुई जो नज़रे अवाम में

बुरी मालूम होती है वह लोग मुराद नहीं जो हलाल व हराम की परवाह नहीं करते और नामे इल्म को बदनाम करते हैं।

मसअला : जिसने किसी को बुरा करते देखा और .खुद यह भी उस बुरे काम को करता है तो उस बुरे काम से मना कर दे क्यूँकि उसके ज़िम्मे दो चीज़ें वाजिब हैं बुरे काम को छोड़ना और दूसरे को बुरे काम से मना करना अगर एक वाजिब का तारिक है तो दूसरे का क्यूँ तारिक बने। (आलमगीरी)

मसअला : एक शख़्स बुरा काम करता है उसके बाप के पास शिकायत लिख कर भेजी जाए या नहीं ––– अगर मालूम है कि उसका बाप मना करने पर क़ादिर है और वह मना भी कर देगा तो लिख कर भेज दे वर्ना क्या फ़ायदा इसी तरह ज़ौजैन और बादशाह व रिइयत या आक़ा व मुलाज़मीन के बारे में अगर लिखना मुफ़ीद हो तो लिखे। (ख़ानिया)

मसअला : बाप को अन्देशा है कि अगर लड़के से कहेगा तो उसका हुक्म न मानेगा और उसका जी भी कहने को चाहता है तो यूँ कहे अगर यह करते तो ख़ूब होता उसे हुक्म न दे कि इस सूरत में अगर उसने न किया तो आक़ (ब़ामअनी नाफ़रमान) होगा जो एक सख़्त कबीरा गुनाह है। (आलमगीरी)

मसअला : किसी ने गुनाह किया फिर सच्चे दिल से ताएब हो गया तो उसे यह न चाहिए कि क़ाज़ी या हाकिम के पास अपने जुर्म को इसलिए पेश करे कि हदे शरा क़ायम की जाए क्यूँकि पर्दापोशी बेहतर है। (आलमगीरी)

मसअला : एक शख़्स को दूसरे का माल चुराते देखा है मगर मालिक को ख़बर देता है तो चोर उस पर .जुल्म करेगा तो ख़ामोश हो जाए और यह अन्देशा न हो तो ख़बर कर दे। (आलमगीरी)

मसअला : मुशरिकीन पर तन्हा हमला करने में गालिबगुमान यह है कि क़त्ल हो जाएगा मगर यह भी गालिबगुमान है कि यह भी उनके आदमी को क़त्ल करेगा या ज़ख़्मी कर देगा या शिकस्त दे देगा तो तन्हा हमला करने में हर्ज नहीं और ग़ालिबगुमान यह हो कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और यह मारा जाएगा तो ह़मला न करे और अगर .फ़ुस्साक़ मुस्लेमीन को गुनाह से रोकेगा तो यह .खुद क़त्ल हो जाएगा और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जब भी उनको मना करे अज़ीमत यही है अगरचे मना न करने की भी रुख़सत है (आलमगीरी) क्यूँकि इस सूरत में क़त्ल हो जाना फ़ायदे से खाली नहीं इस वक़्त अगरचे बज़ाहिर फ़ायदा नहीं मालूम होता मगर आइन्दा इसके नताइज़ बेहतर निकलेंगे।

इल्म ओ तालीम का बयान

इल्म ऐसी चीज़ नहीं जिसकी फ़ज़ीलत और ख़ूबियों के बयान करने की हाजत हो। सारी दुनिया जानती है कि इल्म बहुत बेहतर चीज़ है, इसका हासिल करना तुग़राए इम्तियाज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है। यही वह चीज़ है कि इससे इन्सानी ज़िन्दगी कामयाब और .खुशगवार होती है और इसी से दुनिया व आख़िरत सुधरती है मगर हमारी मुराद इस इल्म से वह इल्म नहीं जो फ़लासफ़ा (साइंस वग़ैरा दुनयवी इल्म) से हासिल हुआ हो और जिसको इन्सानी दिमाग़ ने इख़्तेराअ (नई इजाद) किया हो जिस इल्म से दुनिया का हासिल करना मक़सूद हो ऐसे इल्म की .कुरआन मजीद ने मज़म्मत की बल्कि वह इल्म मुराद है जो .कुरआन व हदीस से हासिल हो कि यही इल्म वह है जिससे दुनिया व आख़िरत दोनों संवरती हैं और यही इल्म ज़रियाए निजात है और इसी की .कुरआन व हदीस में तारीफ़ें आई हैं और इसी की तालीम की तरफ़ तवज्जो दिलाई गई है, .कुरआन मजीद में बहुत से मवाक़े पर इसकी ख़ूबियाँ सराहतन (साफ़ तौर पर) या इशारतन बयान फ़रमाई गईं। अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है :–

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

तर्जमा : अल्लाह से उसके बन्दों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं।

और फ़रमाता है :–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ (پ۲۸ ع۲)

तर्जमा : अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया है दर्जे बलन्द फ़रमाएगा। (पारा 28 रुकू 2)

और फ़रमाता है :–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ پ۱۱ ع۱۵

तर्जमा : क्यूँ न हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमाअत निकले कि दीन की समझ हासिल करे और वापस आकर अपनी क़ौम को डर सुनाए इस उम्मीद पर कि वह बचें। (पारा 11 रुकू 15)

और फ़रमाता है कि :–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوْ الْاَلْبَابِ٥(پ٢٣ رکوع ١٥)

तर्जमा : तुम फ़रमाओ क्या जानने वाले और अन्जान बराबर हैं नसीहत तो वही मानते है जो अक़्ल वाले हैं। (पारा 23 रुकू 15)

अहादीस इल्म के फ़ज़ाइल में बहुत आई चन्द अहादीस ज़िक्र की जाती हैं :–

हदीस न. 1 : जिस शख़्स के साथ अल्लाह तआ़ला भलाई का इरादा फ़रमाता है उसको दीन का फ़क़ीह (फ़िक़्ह का इल्म जानने वाला) बनाता है और मैं तक़सीम करता हूँ और अल्लाह देता है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस न. 2 : सोने चाँदी की तरह आदमियों की काने हैं जो लोग जाहिलियत में अच्छे थे इस्लाम में भी अच्छे हैं जब कि इल्म हासिल करें। (मुस्लिम)

हदीस न. 3 : इन्सान जब मर जाता है उसका अमल मुन्क़ता हो जाता है मगर तीन चीज़े (मरने के बाद भी यह अमल ख़त्म नहीं होते उसके नामए आमाल में लिखे जाते हैं) सदक़ाए जारिया और इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाता हो और औलाद सालेहा जो उसके लिए दुआ करती रहती है। (मुस्लिम)

हदीस न. 4 : जो शख़्स किसी रास्ते पर इल्म की तलब में चले —— अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा और जब कोई क़ौम ख़ानए .ख़ुदा में जमा होकर किताबुल्लाह की तिलावत करे और उसको पढ़े पढ़ाए तो उस पर सकीना (सुकून, आराम) उतरता है और रहमत ढांक लेती है और मलाइका घेर लेते हैं और अल्लाह तआ़ला उनका ज़िक्र उन लोगों में करता है जो उसके मुक़र्रब हैं और जिसके अमल ने सुस्ती की तो उसका नसब उसे तेज़ रफ़्तार नहीं करेगा। (मुस्लिम)

हदीस न. 5 : मस्जिदे दमिश्क़ में एक शख़्स अबू दर्दा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु के पास आया और कहने लगा मैं मदीनए रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से आपके पास एक हदीस सुनने को आया हूँ मुझे ख़बर मिली है कि आप उसे बयान करते हैं किसी और काम के लिए नहीं आया हूँ। हज़रते अबू दर्दा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि जो शख़्स इल्म की तलब

में किसी रास्ते को चले अल्लाह तआ़ला उसको जन्नत के रास्ते पर ले ज
है और तालिबे इल्म की .ख़ुशनूदी के लिए फ़रिश्ते अपने बाज़ू बिछा देते हैं
आलिम के लिए आसमान वाले और ज़मीन के बसने वाले और पानी के
मछलियाँ ये सब इस्तिग़फ़ार करते हैं और आलिम की फ़ज़ीलत आबिद
ऐसी है जैसी चौधवीं रात के चाँद की तमाम सितारों पर और बेशक अ
वारिसे अम्बिया हैं। अम्बिया ने अशर्फ़ी और रूपये का वारिस नहीं किया उ
इल्म का वारिस किया पस जिसने इल्म को लिया उसने पूरा हिस्सा लि
(अह़मद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, दार

ह़दीस न. 6 : आलिम की फ़ज़ीलत आबिद पर वैसी ही है जैसी मेरी फ़ज़ी
तुम्हारे अदना पर —— उसके बाद फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला
उसके फ़रिश्ते और तमाम आसमान व ज़मीन वाले यहाँ तक कि चींटी अ
सूराख़ में और यहाँ तक कि मछली उसकी भलाई के ख़्वाहाँ हैं जो लोगों
अच्छी चीज़ की तालीम देता है। (तिर्मिज

ह़दीस न. 7 : एक फ़क़ीह हज़ार आबिदों से ज़्यादा शैतान पर सख़्त है
(तिर्मिज़ी, इब्ने माज

ह़दीस न. 8 : इल्म की तलब हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है और इल्म को नाअ
के पास रखने वाला ऐसा है जैसे सूअर के गले में जवाहर और मोती और स
का हार डालने वाला। (इब्ने माज

ह़दीस न. 9 : जो शख़्स तलबे इल्म के लिए घर से निकला तो जब तक वा
न हो अल्लाह की राह में है। (तिर्मिज़ी, दारमी

ह़दीस न. 10 : मोमिन कभी .ख़ैर (यानी इल्म) से आसूदा नहीं होता या
उसका इल्म से दिल नहीं भरता यहाँ तक कि उसका मुन्तहा (अन्त) जन्
होता है। (तिर्मिज़ी

ह़दीस न. 11 : अल्लाह तआ़ला उस बन्दे को .ख़ुश रखे जिसने मेरी बात सु
और याद कर ली और महफ़ूज़ रखी और दूसरे को पहुँचा दी —— क्यूँ
बहुत से इल्म के हामिल फ़क़ीह नहीं और बहुत से इल्म के हामिल उस त
पहुँचाते हैं जो उनसे ज़्यादा फ़क़ीह है। (अबू दाऊद, इब्ने माजा, दारमी

ह़दीस न. 12 : मोमिन को उसके अमल और नेकियों से मरने के बाद भी
चीजें पहुँचती रहती हैं —— इल्म जिसने उसकी तालीम दी और इशाअत
और औलादे सालेह जिसे छोड़ मरा है या मुस्हफ़ (.कुरआन मजीद) जि

मीरास में छोड़ा या मस्जिद बनाई या मुसाफ़िर के लिए मकान बना दिया या नहर जारी कर दी या अपनी सेहत और ज़िन्दगी में अपने माल में से सदक़ा निकाल दिया जो उसके मरने के बाद उसको मिलेगा। (इब्ने माजा)

हदीस न. 13 : हज़रते इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि एक घड़ी रात में पढ़ना पढ़ाना सारी रात इबादत से अफ़ज़ल है। (दारमी)

हदीस न. 14 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में तश्रीफ़ लाए वहाँ दो मजलिसें थीं। फ़रमाया कि दोनों मजलिसें अच्छी हैं और एक दूसरे से अफ़ज़ल है, ये लोग अल्लाह से दुआ करते हैं और उसकी तरफ़ रग़बत करते हैं वह चाहे तो उनको दे और चाहे तो मना कर दे और यह दूसरी मजलिस वाले इल्म सीखते हैं और जाहिल को सिखाते हैं। ये अफ़ज़ल हैं मैं मुअल्लिम बना कर भेजा गया और इसी मजलिस में हुज़ूर बैठ गए।(दारमी)

हदीस न. 15 : जिसने मेरी उम्मत के दीन के मुताल्लिक़ चालीस हदीसें हिफ़्ज़ कीं उसको अल्लाह तआ़ला फ़क़ीह उठाएगा और मैं उसका शफ़ीअ (शफ़ाअत करने वाला) व शहीद (गवाह) होंगा। (बैहक़ी)

हदीस न. 16 : दो हरीस आसूदा (यानी दिल नहीं भरता या पेट नहीं भरता) नहीं होते ---- एक इल्म का हरीस कि इल्म से कभी उसका पेट नहीं भरेगा और एक दुनिया का लालची कि यह कभी आसूदा नहीं होगा। (बैहक़ी)

हदीस न. 17 : अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया दो हरीस आसूदा नहीं होते ---- एक साहिबे इल्म दूसरा साहिबे दुनिया सरकशी में बढ़ता है उसके बाद हज़रते अ़ब्दुल्लाह ने यह आयत पढ़ी :-

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

और दूसरे के लिए फरमाया :

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا (دارمی) (दारमी)

हदीस न. 18 : जिस इल्म से नफ़ा हासिल न किया जाए वह उस ख़ज़ाने की मिस्ल है जिसमें से राहे ख़ुदा में ख़र्च नहीं किया जाता। (अहमद)

हदीस न. 19 : सबसे ज़्यादा हसरत क़ियामत के दिन उसको होगी जिसे दुनिया में तलबे इल्म का मौक़ा मिला मगर उसने तलब नहीं की और उस शख़्स को होगी जिसने इल्म हासिल किया और उससे सुन कर दूसरों ने नफ़ा उठाया, ख़ुद उसने नफ़ा नहीं उठाया। (इब्ने असाकिर)

हदीस न. 20 : उलमा की स्याही शहीद के ख़ून से तोली जाएगी और उस

पर ग़ालिब हो जाएगी। (ख़तीब)

हदीस न. 21 : उलमा की मिसाल यह है जैसे आसमान में सितारे जिनसे .ख़ुशकी और समन्दर की तारिकियों में रास्ते का पता चलता है और अगर सितारे मिट जायें तो रास्ता चलने वाले भटक जायेंगे। (अहमद)

हदीस न. 22 : इल्म तीन हैं ––– आयते मुहकमा (जिसमें साफ़ साफ़ हुक्म हो) –––– सुन्नते क़ाएमा (जो साबित व क़ायम हुज़ूर का तरीक़ा है) ––– फ़रीज़ए आदिला (फ़र्ज़ जो करना .ज़रूरी है) ––– और इनके सिवा जो कुछ है वह ज़्यादा है। (इब्ने माजा व अबू दाऊद)

हदीस न. 23 : हज़रते हसन बसरी ने फ़रमाया इल्म दो हैं ––– एक वह कि क़ल्ब में हो यह इल्म नाफ़ेअ (नफ़ा देने वाला) है ––– दूसरा वह कि .ज़बान पर हो यह इब्ने आदम पर अल्लाह की हुज्जत है। (दारमी)

हदीस न. 24 : जिसने इल्म तलब किया और हासिल कर लिया उसके लिए दूना अज्र है और हासिल न हुआ तो एक अज्र। (दारमी)

हदीस न. 25 : जिसको मौत आ गई और वह इल्म को इस लिए तलब कर रहा था कि इस्लाम का इहया (ज़िन्दा) करे उसके और अम्बिया के दरमियान जन्नत में एक दर्जे का फ़र्क़ होगा। (दारमी)

हदीस न. 26 : अच्छा शख़्स वह आलिमे दीन है कि अगर उसकी तरफ़ ऐहतियाज लाई जाए तो नफ़ा पहुँचाता है और उससे बेपरवाही की जाए तो वह अपने को बेपरवाह रखता है। (रज़ीन)

हदीस न. 27 : हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया जिसको कोई बात मालूम है वह कहे और न मालूम हो तो यह कह दे कि ' अल्लाहु आलम ' क्यूँकि इल्म की शान यह है कि जिस चीज़ को न जानता हो उसके मुताल्लिक़ यह कह दे ' अल्लाहु आलम ' अल्लाह तआला ने अपने नबी से फ़रमाया :– قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

तर्जमा : आप फ़रमा दीजिए मैं तुमसे इस पर उजरत नहीं मांगता वर्ना मैं तकल्लुफ़ करने वालों से हूँ यानी जो बात मालूम न हो उसके मुताल्लिक़ बोलना तकल्लुफ़ है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस न. 28 : क़ियामत के दिन अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे बुरा मरतबा उस आलिम का है जिसने इल्म से नफ़ा हासिल नहीं किया हो। (दारमी)

हदीस न. 29 : ज़्याद इब्ने लबीद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं कि नबी स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक चीज़ ज़िक्र करके फ़रमाया कि यह उस वक़्त होगी जब इल्म जाता रहेगा ––– मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्यूँकर जाएगा हम .कुरआन पढ़ते हैं और अपने बेटों को पढ़ाते हैं वह अपनी औलाद को पढ़ायेंगे इसी तरह क़ियामत तक सिलसिला जारी रहेगा। हुज़ूर ने फ़रमाया ज़्याद तुझे तेरी माँ रोए ––– मैं ख्याल करता था कि तू मदीने में फ़क़ीह शख़्स है क्या ये यहूद व नसारा तौरैत व इंजील नहीं पढ़ते मगर है यह कि जो कुछ उनमें है उस पर अमल नहीं करते। (अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस न. 30 : हज़रते उमर रदि़यल्लाहु अ़न्हु ने कअब अहबार से पूछा अरबाबे इल्म कौन हैं। कहा वह जो जानते हैं उस पर अमल करते हैं फ़रमाया किस चीज़ ने उलमा के .कुलूब से इल्म को निकाल दिया। कहा लालच ने। (दारमी)

हदीस न. 31 : मेरी उम्मत में कुछ लोग .कुरआन पढ़ेंगे और यह कहेंगे कि हम अमीरों के पास जाकर वहाँ से दुनिया हासिल कर लें और अपने दीन को उनसे बचाये रखेंगे मगर ऐसा नहीं होगा जिस तरह क़ताद (एक कांटे वाला दरख़्त) से नहीं लिया जाता मगर कांटा इसी तरह अमीरों के .कुर्ब से सिवा ख़ता के कुछ हासिल न होगा। (इब्ने माजा)

हदीस न. 32 : .खुदा के नज़दीक बहुत मबग़ूज़ .कुर्रा (क़ारी या उलमा वग़ैरा मुराद हैं) वह हैं जो अमीरों की मुलाक़ात को जाते हैं। (इब्ने माजा)

हदीस न. 33 : अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि अगर अहले इल्म इल्म की हिफ़ाज़त करें और उसको अहल के पास रखें तो उसकी वजह से अहले ज़माना के सरदार हो जायेंगे मगर उन्होंने इल्म को दुनिया वालों के लिए ख़र्च किया ताकि उनसे दुनिया हासिल करें लिहाज़ा उनके सामने ज़लील हो गए ––––––––– मैंने तुम्हारे नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है जिसने तमाम फ़िक्रों को एक फ़िक्र आख़िरत की फ़िक्र कर दिया अल्लाह तआ़ला फ़िक्रे दुनिया से उसकी किफ़ायत फ़रमाएगा और जिसके लिए अहवाले दुनिया की फ़िक्रें मुतफ़र्रिक़ (विभिन्न फ़िक्रें) रहें अल्लाह को उसकी कुछ परवाह नहीं कि वह किस वादी में हलाक हुआ। (इब्ने माजा)

हदीस न. 34 : जिससे इल्म की कोई बात पूछी गई और उसने नहीं बताई उसके मुँह में क़ियामत के दिन आग की लगाम

लगवाई जाएगी। (अह़मद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस न. 35 : जिसने इल्म को इस लिए तलब किया कि उलमा से मुक़ाबला करेगा जाहिलों से झगड़ा करेगा या इसलिए कि लोगों को अपनी तरफ़ मुतवज्जेह करेगा, अल्लाह तआला उसे जहन्नम में दाख़िल करेगा।
(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस न. 36 : जो इल्म अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए है (यानी इल्मे दीन) उसको जो शख़्स इसलिए हासिल करे कि दुनिया का माल मिल जाए उसको क़ियामत के दिन जन्नत की ख़ुशबू नहीं मिलेगी।
(अह़मद, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस न. 37 : वाज़ नहीं कहता मगर अमीर या मामूर (जिसे बादशाह ने मुक़र्रर किया हो) या मुतकब्बिर। यानी वाज़ कहना अमीर का काम है या वह किसी को हुक्म कर दे कि वह कहे और इन के सिवा जो कोई कहता है वह तलबे जाह व तलबे दुनिया के लिए है। (अबू दाऊद)

हदीस न. 38 : जिसको बग़ैर इल्म फ़तवा दिया गया तो उसका गुनाह उस फ़तवा देने वाले पर है और जिसने अपने भाई को मशवरा दिया और यह जानता है कि भलाई उसके ग़ैर में है उसने ख़यानत की। (अबू दाऊद)

हदीस न. 39 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ़ नज़र उठाई फिर यह फ़रमाया कि यह वह वक़्त है कि लोगों से इल्म जुदा कर दिया जाएगा यहाँ तक कि इल्म की किसी बात पर क़ादिर नहीं होंगे।
(दारमी)

हदीस न. 40 : अल्लाह तआला इल्म को इस तरह नहीं क़ब्ज़ करेगा कि लोगों के सीनों से जुदा कर ले बल्कि इल्म को क़ब्ज़ करना उलमा के क़ब्ज़ करने से होगा —— जब आलिम बाक़ी न रहेंगे जाहिलों को लोग सरदार बना लेंगे वह बग़ैर इल्म फ़तवा देंगे ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस न. 41 : बदतर से बदतर बुरे उलमा हैं और बेहतर से बेहतर अच्छे उलमा हैं। (दारमी)

हदीस न. 42 : इल्म की आफ़त निसयान (भूलना) है और नाअहल से इल्म की बात कहना इल्म को ज़ाय करना है। (दारमी)

हदीस न. 43 : इब्ने सीरीन ने फ़रमाया यह इल्मे दीन है तुम्हें देखना चाहिए कि

किस से अपना दीन लेते हो।

मसअला : अपने बच्चे को .क़ुरआन व इल्म पढ़ने पर मजबूर कर सकता है। यतीम बच्चे को इस चीज़ पर मार सकता है जिस पर अपने बच्चे को मारता है (दुर्रे मुख़्तार) क्यूँकि अगर यतीम बच्चे को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो इल्म ओ अदब से बिल्कुल कोरा रह जाएगा और उमूमन बच्चे बग़ैर तम्बीह क़ाबू में नहीं आते और जब तक उन्हें ख़ौफ़ न हो कहना नहीं मानते मगर मारने का मक़सद सही होना .ज़रूर है ऐसे ही मौक़े पर फ़रमाया गया :–

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

तर्जमा : और अल्लाह को मालूम है कि कौन मुफ़सिद (फ़सादी) है और कौन मुस्लेह (इस्लाह करने वाला, ठीक करने वाला)

इसी तरह उस्ताद भी बच्चों को शरारत करने या न पढ़ने पर सज़ा दे सकते हैं मगर वह कुल्लिया उनके पेशे नज़र भी होना चाहिए कि अपना बच्चा होता तो उसे भी इतनी ही सज़ा देते बल्कि ज़ाहिर तो यह है कि हर शख़्स का जितना अपने बच्चे की तालीम-ओ-तरबियत का ख़्याल होता है दूसरे का उतना नहीं होता तो अगर इस काम पर बच्चे को न मारा या कम मारा और दूसरे बच्चे को ज़्यादा मारा तो मालूम हुआ कि यह मारना महज़ .ग़ुस्सा उतारने के लिए है सुधारना मक़सद नहीं वर्ना अपने बच्चे के सुधारने का ज़्यादा ख़्याल होता।

मसअला : आलिम अगरचे जवान हो बूढ़े जाहिल पर फ़ज़ीलत रखता है लिहाज़ा चलने और बैठने में गुफ़्तगू करने में बूढ़े जाहिल को आलिम पर तक़द्दुम करना न चाहिए (यानी ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए) यानी बात करने का मौक़ा हो तो उससे पहले कलाम यह न शुरू करे न आलिम से आगे आगे चले न मुमताज़ जगह पर बैठे -------- आलिम ग़ैरे .क़ुरैशी .क़ुरैशी ग़ैरे आलिम पर फ़ज़ीलत रखता है —— आलिम का हक़ ग़ैरे आलिम पर वैसा ही है जैसा उस्ताद का हक़ शागिर्द पर है —— आलिम अगर कहीं चला भी जाए तो उसकी जगह पर ग़ैरे आलिम को बैठना न चाहिए —— शौहर का हक़ औरत पर इससे भी ज़्यादा है कि औरत को शौहर की हर ऐसी चीज़ में जो मुबाह हो इताअत करनी पड़ेगी। (आलमगीरी)

मसअला : दीने हक़ की हिमायत के लिए मुनाज़रा करना जाएज़ है बल्कि इबादत है और अगर इस लिए मुनाज़रा करता है कि किसी मुस्लिम को मग़लूब कर दे या इसलिए कि उसका आलिम होना लोगों पर ज़ाहिर हो जाए या

दुनिया हासिल करना मक़सूद है — माल मिलेगा या लोगों में मक़बूलियत हासिल होगी यह नाजाएज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : मुनाज़रे में अगर मुनाज़िर तलबे हक़ के लिए मुनाज़रा करता है या उसका यह मक़सूद नहीं मगर बेजा ज़िद व हट नहीं करता इन्साफ़-पसन्दी से काम लेता है जब तो उसके साथ हीला करना जाएज़ नहीं --- और अगर महज़ उसका मक़सूद ही यह है कि अपने मुक़ाबिल (विरोधी) को मग़लूब कर दे और हरा दे जैसा कि इस ज़माने में अकसर बदमज़हब इसी क़िस्म का मुनाज़रा करते हैं तो उसके मक्र और दांव से अपने को बचाना ही चाहिए ऐसे मौक़े पर उसके धोके से बचने की तरकीबें कर सकते हैं। (आलमगीरी)

मसअला : मिम्बर पर चढ़ कर वाज़ व नसीहत करना अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत है और अगर वाज़ कह कर माल व जाह (इज़्ज़त) मक़सूद हो तो यह यहूद व नसारा का तरीक़ा है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : वाज़ कहने में बेअस्ल बातें बयान कर देना मसलन अहादीस में अपनी तरफ़ से कुछ जुमले मिला देना या उनमें कुछ ऐसी कमी कर देना जिससे हदीस के मअनी बिगड़ जायें जैसा कि इस ज़माने के अकसर मुक़र्रिरीन (तक़रीर करने वाले) की तक़रीरों में ऐसी बातें बकसरत पाई जाती हैं कि मजमे पर असर डालने के लिए ऐसी हरकतें कर डालते हैं। इस अन्दाज़ से वाज़ कहना ममनूअ है —— इसी तरह से यह भी ममनूअ है कि दूसरों को नसीहत करता है और .खुद उन्हीं बातों में आलूदा है —— उसको सबसे पहले अपनी ज़ात को नसीहत करनी चाहिए —— और अगर वाइज़ ग़लत बातें बयान नहीं करता और न उस क़िस्म की कमी बेशी करता है बल्कि अल्फ़ाज़ व तक़रीर में लताफ़त व मिठास व पाकीज़गी का ख़्याल रखता है ताकि असर अच्छा पड़े लोगों पर रिक़्क़त तारी हो और .क़ुरआन व हदीस के फ़वाएद व नुकात को तफ़सील के साथ बयान करता है तो यह अच्छी चीज़ है।

(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : मुअ़ल्लिम ने बच्चों से कहा कि तुम लोग अपने अपने घरों से चटाई के लिए पैसे लाओ पैसे इकट्ठे हुए कुछ पैसों की चटाईयाँ लाया और कुछ .खुद रख लिए जो अपने काम में ख़र्च करेगा ऐसा कर सकता है क्यूँकि बच्चों के बाप वग़ैरा इस क़िस्म के पैसे इसी गर्ज़ से देते हैं कि बच रहेगा तो वह मियाँ जी का होगा वह हरगिज़ इसके उम्मीदवार नहीं रहते कि जो कुछ बचेगा वापस

मिलेगा और जान बूझ कर उससे ज़्यादा दिया करते हैं जितने की .जरूरत है। इससे मालूम होता है कि उनका मक़सूद इस ज्यादा रक़म का तमलीक (मालिक बना देना) है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : आलिम अगर अपना आलिम होना लोगों पर ज़ाहिर करे तो इसमें हर्ज नहीं मगर यह .जरूर है कि तफ़ाख़ुर (फ़ख़्र) के तौर पर यह इज़हार न हो कि तफ़ाख़ुर हराम है बल्कि महज़ अल्लाह की नेमत के इज़हार के लिए इज़हार हो और यह मक़सद हो कि जब लोगों को ऐसा मालूम होगा तो इस्तिफ़सार करेंगे कोई दीन की बात पूछेगा और कोई पढ़ेगा। (आलमगीरी)

मसअला : तलबे इल्म अगर अच्छी नियत से हो तो हर अमल ख़ैर से यह बेहतर है क्यूँकि इसका नफ़ा सबसे ज़्यादा है मगर यह .जरूर है कि फ़राएज़ की अन्जामदेही में ख़लल व नुक़सान न हो। अच्छी नीयत का यह मतलब है कि रज़ाएं इलाही और आख़िरत के लिए इल्म सीखे तलबे दुनिया व तलबे जाह न हो ––– और तालिब का अगर मक़सद यह हो कि मैं अपने से जहालत को दूर करूँगा और मख़लूक़ को नफ़ा पहुँचाऊँगा या पढ़ने से मक़सूद इल्म का ज़िन्दा रखना है मसलन लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है मैं भी न पढूँगा तो इल्म मिट जाएगा यह नियतें भी अच्छी हैं और अगर तसहीह नियत पर क़ादिर न हो जब भी न पढ़ने से पढ़ना अच्छा है यानी इस क़िस्म की नियत न कर पा रहा है तब भी इल्म का हासिल करना बहुत अच्छा है। (आलमगीरी)

मसअला : आलिम व मुतअल्लिम (इल्म सीखने वाला) को इल्म में बुख़्ल (कंजूसी) न करना चाहिए मसलन उससे उधार के तौर पर कोई किताब मांगे या उससे कोई मसअला समझना चाहे तो इन्कार न करे किताब दे, मसअला समझा दे। हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं जो शख़्स इल्म में बुख़्ल करेगा तीन बातों में से किसी में मुबतला होगा या वह मर जाएगा और उसका इल्म जाता रहेगा या बादशाह की तरफ़ से किसी बला में मुबतला होगा या इल्म भूल जाएगा। (आलमगीरी)

मसअला : आलिम व मुतअल्लिम को इल्म की तौक़ीर करनी चाहिए ––– यह न हो कि ज़मीन पर किताबें रखे ––– पाख़ाने पेशाब के बाद किताबें छूना चाहे तो वुज़ू कर लेना मुस्तहब है वुज़ू न करे तो हाथ ही धो ले अब किताबें छुए ––– और यह भी चाहिए कि ऐश पसन्दी में न पड़े, खाने पहनने रहने सहने में मामूली हालत इख़्तेयार करे ––– औरतों की तरफ़ ज़्यादा तवज्जो न रखे

मगर यह भी न हो कि इतनी कमी कर दे कि ग़िज़ा की कमी और कमख़्वाबी में अपनी जिस्मानी हालत ख़राब कर दे और अपने को कमज़ोर कर दे कि .खुद अपने नफ़्स का भी हक़ है और बीवी बच्चों का भी हक़ है, सब का हक़ पूरा करना चाहिए। आलिम व मुतअल्लिम को भी चाहिए कि लोगों से मेल जोल कम रखें और फ़ुज़ूल बातों में न पड़ें और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बराबर जारी रखें –– दीनी मसाइल में मज़ाकिरा करते रहें और किताबें पढ़ते रहें ––––– किसी से झगड़ा हो जाए तो नर्मी और इन्साफ़ से काम लें जाहिल और उनमें इस वक़्त भी फ़र्क़ होना चाहिए। (आलमगीरी)

मसअला : उस्ताज़ का अदब करे उसके हक़ की हिफ़ाज़त करे और माल से उसकी ख़िदमत करे और उस्ताज़ से कोई ग़लती हो जाए तो उसमें पैरवी न करे ––– उस्ताज़ का हक़ माँ बाप और दूसरे लोगों से ज़्यादा जाने, उसके साथ तवाज़ो से पेश आए –– जब उस्ताज़ के मकान पर जाए तो दरवाज़े पर दस्तक न दे बल्कि उसके आने का इन्तज़ार करे। (आलमगीरी)

मसअला : नाअहलों को इल्म न पढ़ाए और जो उसके अहल हों उनकी तालीम से इन्कार न करे कि नाअहलों को पढ़ाना इल्म को ज़ाए करना है और अहल को न पढ़ाना .ज़ुल्म व ज़ोर है। (आलमगीरी) नाअहल से मुराद वो लोग हैं जिनकी निस्बत मालूम है कि इल्म के हुक़ूक़ को महफ़ूज़ न रख सकेंगे, पढ़ कर छोड़ देंगे, जाहिलों के से अफ़आल करेंगे, या लोगों को गुमराह करेंगे या उलमा को बदनाम करेंगे।

मसअला : मुअल्लिम अगर सवाब हासिल करना चाहता है तो पाँच बातें उस पर लाज़िम हैं। (1) तालीम पर उजरत लेना शर्त न करे अगर कोई .खुद कुछ दे तो ले ले वर्ना कुछ न कहे (2) बावुज़ू रहे (3) ख़ैरख़्वाहाना तालीम दे तवज्जो के साथ पढ़ाए (4) लड़कों में झगड़ा हो तो अदल व इन्साफ़ से काम ले यह न हो कि मालदारों के बच्चों की तरफ़ ज़्यादा तवज्जो करे और ग़रीबों के बच्चों की तरफ़ कम (5) बच्चों को ज़्यादा न मारे, मारने में हद से तजावुज़ करेगा तो क़ियामत के रोज़ मुहासबा देना पड़ेगा। (आलमगीरी)

मसअला : एक शख़्स ने नमाज़ वग़ैरा के मसाइल इस लिए सीखे कि दूसरे लोगों को सिखाए, बताएगा और दूसरे ने इसलिए सीखे कि उन पर .खुद अमल करेगा पहला शख़्स इस दूसरे से अफ़ज़ल है (दुर्रे मुख़्तार) यानी जब कि पहले का मक़सद हो कि अमल भी करेगा और तालीम भी देगा या यह कि

महज़ तहसीले इल्म में अव्वल को दूसरे पर फ़ज़ीलत है क्यूँकि पहले का मक़सद दूसरे को फ़ायदा पहुँचाना और दूसरे का मक़सद सिर्फ़ अपने को फ़ायदा पहुँचाना है।

मसअला : घड़ी भर दीन के मसाइल में मज़ाकिरा और गुफ़्तगू करना सारी रात इबादत करने से अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : कुछ .कुरआन मजीद याद कर चुका है और उसे फ़ुरसत है तो अफ़ज़ल यह है कि इल्मे फ़िक़्ह सीखे कि .कुरआन मजीद हिफ़्ज़ करना फ़र्ज़े किफ़ाया है और फ़िक़्ह की .ज़रूरी बातों का जानना फ़र्ज़े ऐन है (रद्दुल मुहतार)

जहन्नम से आज़ादी के लिए

जो शख़्स चार चार बार यह दुआ सुबह व शाम पढ़े तो हर बार चौथाई हिस्सा उसके बदन का दोज़ख़ से आज़ाद हो। शाम को 'अस्बहतु' की जगह 'अम्सइतु' पढ़े। दुआ के अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ
عَرْشِكَ وَمَلٰٓئِكَتَكَ وَجَمِیْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ
اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ وَاَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

पूरे दिन और पूरी रात की इबादत का सवाब

जो शख़्स एक-एक बार यह दुआ सुबह व शाम पढ़े तो उसे पूरा दिन और पूरी रात की इबादत का सवाब अता हो। दुआ के अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَآئِمًا مَعَ دَوَامِكَ
وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُوْدِكَ وَلَكَ
الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهٰى لَهٗ دُوْنَ مَشِیَّتِكَ وَ
لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَیْنٍ وَتَنَفُّسِ
كُلِّ نَفْسٍ

रिया व सुमआ का बयान

रिया यानी दिखावे के लिए काम करना और सुमआ यानी इसलिए काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेंगे –––– ये दोनों चीज़ें बहुत बुरी हैं इनकी वजह से इबादत का सवाब नहीं मिलता बल्कि गुनाह होता है और यह शख़्स अज़ाब का मुस्तहिक़ होता है। क़ुरआन मजीद में इरशाद हुआ कि :–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا
صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ ۔ پ۳ ع۴

तर्जमा : ऐ ईमान वालों अपने सदक़ात को एहसान जता कर और अज़ीयत देकर बातिल न करो उस शख़्स की तरह जो दिखावे के लिए माल ख़र्च करता है।

और इरशाद हुआ :–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۔ (پ۱۶ ع۳)

तर्जमा : जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिएं कि नेक काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। (पारा 16 रुकू 3)

इसकी तफ़सीर में मुफ़स्सिरीन ने यह लिखा है कि रिया न करे कि वह एक क़िस्म का शिर्क है। और फ़रमाता है कि :–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُوْنَ ۔ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۔ (پ۳۰ ع۳۲)

तर्जमा : वैल है उन नमाज़ियों के लिए जो नमाज़ में ग़फ़लत करते हैं जो रिया करते हैं और बरतने की चीज़ मांगे नहीं देते। (पारा 30 रुकू 32)

और फ़रमाता है :–

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ
الْخَالِصُ ۔ (پ۲۳ ع۱۵)

तर्जमा : अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि दीन को उसके लिए ख़ालिस कर आगाह हो जाओ कि दीन ख़ालिस अल्लाह के लिए है। (पारा 23 रुकू 15)

और फ़रमाता है कि :–

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ○ (پ ۵ رکوع ۳)

तर्जमा : और जो लोग अपने माल लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करते हैं और न अल्लाह पर ईमान लाते हैं और न पिछले दिन पर और जिसका साथी शैतान हुआ तो बुरा साथी हुआ। (पारा 5 रुकू 3)

अहादीस इसकी मज़म्मत में बहुत हैं, बाज़ ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस न. 1 : इब्ने माजा ने अबू सईद ,खुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं हम लोग मसीह दज्जाल का ज़िक्र कर रहे थे कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और यह फ़रमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की ख़बर न दूँ जिसका मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा मेरे नज़दीक तुम पर ख़ौफ़ है। हमने कहा हाँ या रसूलल्लाह ! ––– इरशाद फ़रमाया वह शिर्के ख़फ़ी (छुपा हुआ शिर्क) है –– आदमी नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है और इस वजह से ज़्यादा करता है कि यह देखता है कि दूसरा शख़्स उसे नमाज़ पढ़ते देख रहा है।

हदीस न. 2 : इमाम अहमद ने महमूद इब्ने लबीद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस चीज़ का तुम पर ज़्यादा ख़ौफ़ है वह शिर्के असग़र (छोटा) है ––– लोगों ने अर्ज़ की शिर्के असग़र क्या चीज़ है। इरशाद फ़रमाया कि रिया (झूटा दिखावा) है। बैहक़ी ने इस हदीस में इतना ज़्यादा किया कि जिस़ दिन बन्दों के आमाल का बदला दिया जाएगा रिया करने वालों से अल्लाह तआ़ला फ़रमाएगा उनके पास जाओ जिनके दिखावे के लिए काम करते थे, जाकर देखो कि वहाँ तुम्हें कोई बदला या ख़ैर मिलता है।

हदीस न. 3 : इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबू सईद इब्ने अबी फ़ज़ाला रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब अल्लाह तआ़ला तमाम अव्वलीन व आख़ेरीन को उस दिन में जमा फ़रमाएगा ज़िस में शक नहीं तो एक मुनादी (आवाज़ देने वाला) निदा (आवाज़) करेगा ––– जिसने कोई काम अल्लाह के लिए

किया और उसमें किसी को शरीक कर लिया वह अपने अमल का सवाब उ
शरीक से तलब करे क्यूँकि अल्लाह तआ़ला शिर्क से बिल्कुल बेनियाज़ है।
हदीस न. 4 : सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि
रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह
तआ़ला ने फ़रमाया मैं तमाम शुर्का में शिरकत से बेनियाज़ हूँ ——– जिस
कोई अमल किया और उसमें मेरे साथ दूसरे को शरीक किया, मैं उसको शिर्क
के साथ छोड़ दूंगा और एक रिवायत में है फ़रमाता है कि मैं उससे बरी हूँ वह
उसी के लिए है जिसके लिए अमल किया।
हदीस न. 5 : सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि
रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह
तआ़ला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अमवाल (माल की जमा) की तरफ़ नज़र
नहीं फ़रमाता वह तुम्हारे दिल और तुम्हारे आमाल की तरफ़ नज़र करता है।
हदीस न. 6 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में जुन्दब यानी अबू ज़र रद़ियल्लाहु
तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया
कि जो सुनाने के लिए काम करेगा अल्लाह तआ़ला उसको सुनाएगा यानी
उसकी सज़ा देगा और जो रिया करेगा अल्लाह तआ़ला उसे रिया की सज़ा देगा।
हदीस न. 7 : तबरानी व हाकिम ने इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से
रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया
रिया का अदना मरतबा भी शिर्क है और तमाम बन्दों में .ख़ुदा के नज़ीदक वह
ज़्यादा महबूब हैं जो परहेज़ार हैं जो छुपे हुए हैं अगर वह ग़ायब हों तो उन्हें कोई
तलाश न करे और गवाही दें तो पहचाने न जायें वह लोग हिदायत के इमाम
और इल्म के चराग़ हैं।
हदीस न. 8 : इब्ने माजा ने रिवायत की कि एक रोज़ हज़रते उमर रद़ियल्लाहु
तआ़ला अ़न्हु मस्जिदे नबवी में तशरीफ़ ले गए। मआज़ रद़ियल्लाहु तआ़ला
अ़न्हु को क़ब्रे नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास रोता
हुआ पाया। हज़रते उमर ने फ़रमाया क्यूँ रोते हो ? हज़रते मआज़ ने कहा एक
बात मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुनी थी वह मुझे
रूलाती है —— मैंने हुज़ूर को यह फ़रमाते सुना कि थोड़ा सा रिया भी शिर्क
है और जो शख़्स अल्लाह के वली से दुश्मनी करे वह अल्लाह तआ़ला से लड़ाई
करता है अल्लाह तआ़ला नेकों परहेज़गारों छुपे हुओं को दोस्त रखता है वह कि

ग़ाएब हों तो ढूंडे न जायें, हाज़िर हों तो बुलाए न जायें और उनको नज़दीक न किया जाए, उनके दिल हिदायत के चराग़ हैं, हर .गुबार आलूदा तारीक से निकल जाते हैं यानी मुश्किलात और बलाओं से अलग होते हैं।

हदीस न. 9 : इमाम बुख़ारी ने अबू तमीमा से रिवायत की कहते हैं कि सफ़वान और उनके साथियों के पास मैं हाज़िर था जुन्दुब उनको नसीहत कर रहे थे। उन्होंने कहा तुमने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से कुछ सुना हो तो बयान करो। जुन्दुब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना जो सुनाने के लिए अमल करेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसे सुनाएगा यानी सज़ा देगा और जो मशक़्क़त डालेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उस पर मशक़्क़त डालेगा। उन्होंने कहा हमें वसीयत कीजिए। फ़रमाया सबसे पहले इन्सान का पेट सड़ेगा लिहाज़ा जिससे हो सके कि पाकीज़ा माल के सिवा कुछ न खाए वह यही करे ——— और जिससे हो सके कि उसके और जन्नत के दरमियान चुल्लू भर ख़ून हाएल न हो वह यह क़रे यानी किसी को नाहक़ क़त्ल न करे।

हदीस न. 10 : इमाम अह़मद ने शद्दाद इब्ने औस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि जिसने रिया के साथ नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया और जिसने रिया के साथ रोज़ा रखा उसने शिर्क किया और जिसने रिया के साथ सदक़ा दिया उसने शिर्क किया।

हदीस न. 11 : इमाम अह़मद ने शद्दाद इब्ने औस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि यह रोए किसी ने पूछा कि क्यूँ रोते हैं ? कहा कि एक बात मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुनी थी वह याद आ गई, उसने मुझे रुला दिया। हुज़ूर को मैंने यह फ़रमाते सुना कि मैं अपनी उम्मत पर शिर्क और शहवते .खुफ़िया का अन्देशा करता हूँ। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या आप की उम्मत आप के बाद शिर्क करेगी। फ़रमाया हाँ मगर वह लोग आफ़ताब व माहताब और पत्थर और बुत को नही पूजेंगे बल्कि अपने आमाल में रिया करेंगे और शहवते .खुफ़िया (शहवते .खुफ़िया से मुराद यह है कि सुबह को रोज़ा रखेगा फिर किसी ख़्वाहिश से रोज़ा तोड़ देगा)

हदीस न. 12 : इमाम अह़मद व मस्लिम व निसाई ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि

वसल्लम ने फ़रमाया सबसे पहले क़ियामत के दिन एक शख़्स का फ़ैसला हो जो शहीद हुआ है वह हाज़िर किया जाएगा —— अल्लाह तआ़ला अपनी ने दरयाफ़्त करेगा वह नेमतों को पहचानेगा यानी इक़रार करेगा। इरशाद फ़रमाए इन नेमतों के मुक़ाबिल में तूने क्या अमल किया है ? वह कहेगा मैंने तेरी में जिहाद किया है यहाँ तक कि शहीद हुआ। अल्लाह तआ़ला फ़रमाएगा झूटा है तूने इस लिए क़ताल किया था कि लोग तुझे बहादुर कहें, सो क लिया गया। हुक्म होगा और उसको मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में डा दिया जाएगा —— और एक वह शख़्स जिसने इल्म पढ़ा और पढ़ाया औ .कुरआन पढ़ा वह हाज़िर किया जाएगा उससे नेमतों को दरयाफ़्त करेगा व नेमतों को पहचानेगा। फ़रमाएगा इन नेमतों के मुकाबिल में तूने क्या अम किया है। कहेगा मैंने तेरे लिए इल्म सीखा सिखाया और .कुरआन पढ़ा फ़रमाएगा तू झूटा है तूने इल्म इसलिए पढ़ा कि तुझे आलिम कहा जाए, सो तु कह लिया गया। हुक्म होगा और उसको मुँह के बल घसीट कर जहन्नम डाल दिया जाएगा —— फिर एक तीसरा शख़्स लाया जाएगा जिसको .खुदा ने वुसअत दी है और हर क़िस्म का माल दिया है उससे अपनी नेमतों को दरयाफ़्त फ़रमाएगा, वह नेमतों को पहचानेगा। फ़रमाएगा इन नेमतों के मुक़ाबिल में तूने क्या अमल किया है। अर्ज़ करेगा मैंने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें ख़र्च करना तुझे महबूब है मगर मैंने उसमें तेरे लिए ख़र्च किया। अल्लाह तआ़ला फ़रमाएगा तू झूटा है तूने इस लिए ख़र्च किया कि तू सख़ी कहा जाए, सो कह लिया गया। उसके मुताल्लिक़ भी यही हुक्म होगा और उसको मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा।

हदीस न. 13 : बुख़ारी ने तारीख़ में और तिर्मिज़ी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह की पनाह मांगो जुब्बुल हुज़्न से यह जहन्नम में एक वादी है कि जहन्नम भी हर रोज़ चार सौ मरतबा उससे पनाह मांगता है उसमें क़ारी दाख़िल होंगे जो अपने आमाल में रिया करते हैं और .खुदा के बहुत ज्यादा मबग़ूज़ वह क़ारी हैं जो अमीरों की मुलाक़ात को जाते हैं।

हदीस न. 14 : तबरानी औसत में अबू हुरैरा रदियल्लाहु अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स आख़िरत के अमल से आरास्ता (सजा हुआ) हो और वह न आख़िरत का इरादा करता

है न अखिरत का तालिब है उस पर आसमान व ज़मीन में लानत है।

हदीस न. 15 : हाकिम ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मेरी उम्मत में शिर्क चींटी की चाल से भी ज़्यादा ख़फ़ी है जो चिकने पत्थर पर चलती है।

हदीस न. 16 : इमाम अहमद तबरानी ने अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ लोगों शिर्क से बचो क्यूँकि वह चींटी की चाल से भी ज़्यादा पोशीदा (छुपा हुआ) है ––– लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह किस तरह शिर्क से बचें। इरशाद फ़रमाया कि यह दुआ पढ़ो :–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ

तर्जमा : इलाही हम तेरी पनाह मांगते हैं उससे कि जान कर हम तेरे साथ किसी चीज़ को शरीक करें और हम उससे इस्तिग़फ़ार करते हैं जिसको नहीं जानते।

हदीस न. 17 : तबरानी ने अदी इब्ने हातिम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कुछ लोगों को जन्नत का हुक्म होगा जब जन्नत के क़रीब पहुँच जायेंगे और उसकी ख़ुशबू सूंघेगे और महल और जो कुछ जन्नत में अल्लाह तआला ने जन्नतियों के लिए सामान तैयार कर रखा है देखेंगे, पुकारा जाएगा इन्हें वापस करो जन्नत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं। ये लोग हसरत के साथ वापस होंगे कि ऐसी हसरत किसी को नहीं हुई और ये लोग कहेंगे कि ऐ रब अगर तूने हमें पहले ही जहन्नम में दाख़िल कर दिया होता हमें तूने सवाब और जो कुछ अपने औलिया के लिए जन्नत में मुहइया किया है न दिखाया होता तो यह हम पर आसान होता ––– इरशाद फ़रमाएगा हमारा मक़सद ही यह था, ऐ बदबख़्तों जब तुम तन्हा होते थे तो बड़े बड़े गुनाहों से मेरा मुक़ाबला करते थे और जब लोगों से मिलते थे तो ख़ुशूअ के साथ मिलते जो कुछ दिल में मेरी ताज़ीम करते उसके ख़िलाफ़ लोगों पर ज़ाहिर करते। लोगों से तुम डरे और मुझसे न डरे। लोगों की ताज़ीम की और मेरी ताज़ीम न की। लोगों के लिए गुनाह छोड़े मेरे लिए नहीं छोड़े लिहाज़ा तुमको अज़ाब चखाऊँगा और सवाब से महरूम करूँगा।

हदीस न. 18 : तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसकी नियत

तलबे आख़रत है अल्लाह तआ़ला उसके दिल में ग़िना (दिल की मालदारी) पैदा कर देगा और उसकी हाजतें जमा कर देगा और दुनिया ज़लील होकर उसके पास आएगी और तलबे दुनिया जिसकी नियत हो अल्लाह तआ़ला फ़क्र व मौहताजी उसकी आँखों के सामने कर देगा और उसके कामों को मुतफ़र्रिक़ (जुदा जुदा कर देना) कर देगा और मिलेगा वही जो उसके लिए लिखा जा चुका है।

हदीस न. 19 : सही मुस्लिम में अबू ज़र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया कि यह फ़रमाइये कि आदमी अच्छा काम करता है और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं (यह रिया है या नहीं) फ़रमाया यह मोमिन के लिए जल्द यानी दुनिया में बशारत है।

हदीस न. 20 : तिर्मिज़ी ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपने मकान के अन्दर नमाज़ की जगह में था एक शख़्स आ गया और यह बात मुझे पसन्द आई कि उसने मुझे इस हाल में देखा (यह रिया तो न हुआ) इरशाद फ़रमाया अबू हुरैरा तुम्हारे लिए दो सवाब हैं पोशीदा इबादत करने का और अलानिया का भी । यह उस सूरत में है कि इबादत इस लिए नहीं की कि लोगों पर ज़ाहिर हो गई और आदतन यह बात अच्छी मालूम होती है कि दूसरों ने अच्छी हालत पर पाया । इस तबई मसर्रत (आदतन .खुशी) से रिया नहीं।

हदीस न. 21 : बैहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया आदमी की बुराई के लिए यह काफ़ी है कि दीन व दुनिया में उसकी तरफ़ उंगलियों से इशारा किया जाए मगर जिसको अल्लाह तआ़ला बचाए यानी लोग अच्छा समझते हों उसको रिया व दिखावे से बचना बहुत मुश्किल होता है मगर .खुदा की ख़ास मेहरबानी जिस पर हो वही बचता है।

मसअला : रोज़ादार से पूछा क्या तुम्हारा रोज़ा है उसे कह देना चाहिए कि हाँ है कि रोज़े में रिया को दख़ल नहीं। यह न कहे कि देखता हूँ कि क्या होता है यानी ऐसे अलफ़ाज़ न कहे जिनसे मालूम होता हो कि यह अपने रोज़े को छुपाता है कि यह बेवक़ूफ़ी की बात है कि छुपाता है मगर इस तरह जिससे इज़हार हो जाता है या यह मुनाफ़ेक़ीन का तरीक़ा है कि लोगों के सामने वह बताना चाहता है कि अपने अमल को छुपाता है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : इबादत कोई भी हो उसमें इख़लास निहायत .ज़रूरी चीज़ है यानी महज़ रज़ाए इलाही के लिए अमल करना .ज़रूर है, दिखावे के तौर पर अमल करना बिलइज्मा हराम (हर एक के नजदीक हराम) बल्कि हदीस में रिया को शिर्के असग़र फ़रमाया —— इख़्लास ही वह चीज़ है कि जिस पर सवाब मुरत्तब होता है, हो सकता है कि अमल सही न हो मगर जब इख़्लास के साथ किया गया हो तो उस पर सवाब मुरत्तब हो मसलन लाइल्मी (जिसका इल्म न हो) में किसी ने नजिस पानी से वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ ली अगरचे यह नमाज़ सही न हुई कि सेहत न हुई कि सेहत की शर्त तहारत थी वह नहीं पाई गई मगर उसने सिद्क़ नियत और इख़्लास के साथ पढ़ी है तो सवाब पाएगा —— मगर जब कि बाद में मालूम हो गया कि नापाक पानी से वुज़ू किया था तो वह मुतालबा जो उसके ज़िम्मे था साकित (ख़त्म) न होगा, वह बदस्तूर क़ायम रहेगा उसको अदा करना होगा —— और कभी शराएते सेहत पाए जायेंगे मगर सवाब न मिलेगा मसलन नमाज़ पढ़ी तमाम अरकान अदा किए मगर चूंकि इख़्लास नहीं है सवाब नहीं यानी बिल्कुल सही नमाज़ पढ़ी तमाम शर्तों के साथ पढ़ी मगर दिखावे की पढ़ी रिया उसमें दाख़िल है सवाब न पाएगा। रिया की दो सूरतें है कभी तो अस्ल इबादत ही रिया के साथ करता है कि मसलन लोगों के सामने नमाज़ पढ़ता है और कोई देखने वाला न होता तो पढ़ता ही नहीं ——— यह रियाए कामिल है कि ऐसी इबादत का बिल्कुल सवाब नहीं —— दूसरी सूरत यह है कि अस्ल इबादत में रिया नहीं, कोई होता या न होता बहरहाल नमाज़ पढ़ता मगर वस्फ़ में रिया है (यानी तरीक़े में ख़ूबी पैदा करना जैसे नमाज़ पढ़ रहा है और कोई आ गया तो और अच्छे तरीक़े से पढ़ने लगा) कि कोई देखने वाला न होता जब भी पढ़ता मगर उस ख़ूबी के साथ न पढ़ता यह दूसरी क़िस्म पहली से कम दर्जे की है इसमें अस्ल नमाज़ का सवाब है और ख़ूबी के साथ अदा करने का जो सवाब है वह यहाँ नहीं कि यह रिया से है इख़्लास से नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : किसी इबादत को इख़्लास के साथ शुरू किया मगर बीच ही में रिया की मुदाख़्लत हो गई तो यह नहीं कहा जाएगा कि रिया से इबादत की बल्कि यह इबादत इख़्लास से हुई हाँ उसके बाद जो कुछ इबादत में हुस्न व ख़ूबी पैदा हो गई वह रिया से होगी और यह रिया की क़िस्म दोम में शुमार होगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : रोज़े के मुतअल्लिक़ बाज़ उलमा का यह क़ौल है कि इसमें रिया नहीं होता। इसका ग़ालिबन यह मतलब होगा कि रोज़ा चन्द चीज़ों से बाज़ रहने का नाम है इसमें कोई काम नहीं करना होता जिसकी निसबत कहा जाए कि रिया से किया वर्ना यह हो सकता है कि लोगों को जताने के लिए यह कहता फिरता है कि मैं रोज़े से हूँ। यह लोगों के सामने मुँह बनाए रहता है ताकि लोग समझें कि इसका भी रोज़ा है। इस तौर पर रोज़े में भी रिया की मुदाख़्लत हो सकती है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : रिया का एक ढंग उजरत लेकर .क़ुर्आन मजीद की तिलावत भी है कि किसी मय्यत के लिए बग़र्ज़ ईसाले सवाब कुछ लेकर तिलावत करता है कि यहाँ इख़्लास कहाँ बल्कि तिलावत से मक़्सूद वह पैसे हैं कि वह नहीं मिलते तो पढ़ता भी नहीं ------ इस पढ़ने में कोई सवाब नहीं। फिर मय्यत के लिए ईसाले सवाब नाम लेना ग़लत है कि जब सवाब ही न मिला तो पहुँचाएगा क्या? इस सूरत में न पढ़ने वाले को सवाब न मय्यत को बल्कि उजरत देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार (दुर्रे मुख़्तार) हाँ इख़्लास के साथ किसी ने तिलावत की है तो इस पर सवाब भी है और इस का ईसाल भी हो सकता है और मय्यत को इससे नफ़ा भी पहुँचेगा। बाज़ मरतबा पढ़ने वालों को पैसे नहीं दिए जाते मगर ख़त्म के बाद मिठाई तक़सीम होती है अगर इस मिठाई की ख़ातिर तिलावत की है तो यह भी एक क़िस्म की उजरत ही है कि जब एक चीज़ मशहूर हो जाती है तो उसे भी मशरूत (शर्त किया हुआ) ही का हुक्म दिया जाता है। इसका भी वही हुक्म है जो ज़िक्र हुआ। हाँ जो शख़्स यह समझता है कि मिठाई नहीं मिलती जब भी मैं पढ़ता वह इस हुक्म से अलग है और इस बात का खुद वह अपने ही दिल से फ़ैसला कर सकता है कि मेरा पढ़ना मिठाई के लिए है या अल्लाह तआला के लिए।

पंज आयत पढ़ने वाला अपना दोहरा हिस्सा लेता है यानी एक हिस्सा ख़ास पंज आयत पढ़ने का होता है और न मिले तो झगड़ता है। गोया यह ज़ायद हिस्सा पंज आयत का मुआवज़ा है। इससे भी यही निकलता है कि जिस तरह उजरत वाले को उजरत न मिले तो झगड़ कर लेता है, इसी तरह यह भी लेता है लिहाज़ा बज़ाहिर इख़्लास नज़र नहीं आता वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

मीलादख़्वाँ (मीलाद शरीफ़ पढ़ने वाले) और वाइज़ (वाज़ कहने वाले) भी दो हिस्से लेते हैं जब कि वाज़ में मिठाई तक़सीम होती है जिससे

ज़ाहिर यही होता है कि एक हिस्सा अपने पढ़ने और तक़रीर करने का लेते हैं अगर वही हिस्सा यह भी लेते जो आम तौर पर तक़सीम होता है तो बहुत ख़ूब होता कि ज़रा सी मिठाई के बदले अज्रे अज़ीम के बरबाद होने का अन्देशा नहीं होता। बाज़ जगह ख़ुसूसियत के साथ उनकी दावतें भी होती हैं कि उनको इसी हैसियत से खाना खिलाया जाता है कि यह पढ़ेंगे, बयान करेंगे। यह मख़सूस दावत भी उसी उजरत ही की हद में आती है हाँ अगर और लोगों की दावत भी हो तो यह नहीं कहा जाएगा कि वाज़ व तक़रीर का मुआवज़ा है। इसी क़िस्म की बहुत सी सूरतें हैं जिनकी तफ़सील की ऐसी ज़रूरत नहीं यह मुख़्तसर बयान ही दीनदार शरीअत की इत्तेबा करने वाले के लिए काफ़ी है वह खुद अपने दिल में इन्साफ़ कर सकता है कि कहाँ अमले ख़ैर उजरत है कहाँ नहीं।

मसअला : जो शख़्स हज को गया और साथ में माले तिजारत भी ले गया अगर तिजारत का ख़्याल ग़ालिब है यानी तिजारत करना मक़सूद है और वहाँ पहुँच जाऊँगा हज भी कर लूंगा या दोनों पहलू बराबर हैं यानी सफ़र ही दोनों मक़सद से किया तो इन दोनों सूरतों में सवाब नहीं यानी जाने का सवाब नहीं और अगर मक़सूद हज करना है और यह कि मौक़ा मिल जाएगा तो माल भी बेच लूंगा तो हज का सवाब है। इसी तरह अगर जुमा पढ़ने गया और बाज़ार में दूसरे काम करने का भी ख़याल है अगर असली मक़सूद जुमा ही को जाना है तो इस जाने का सवाब है और अगर काम का ख़याल ग़ालिब है या दोनों बराबर तो जाने का सवाब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला : फ़राइज़ में रिया को दख़ल नहीं (दुर्रे मुख़्तार) इसका यह मतलब नहीं कि फ़राइज़ में रिया पाया ही नहीं जाता इसलिए कि जिस तरह नवाफ़िल को रिया के साथ अदा कर सकता है हो सकता है कि फ़राइज़ को भी रिया के तौर पर अदा करे बल्कि मतलब यह है कि फ़र्ज़ अगर रिया के तौर पर अदा किया जब भी उसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा अगरचे इख़लास न होने की वजह से सवाब न मिलेगा और यह मतलब भी हो सकता है कि अगर किसी को फ़र्ज़ अदा करने में रिया की मुदाख़लत का अन्देशा हो तो उसमें मुदाख़लत को एतेबार करके फ़र्ज़ को तर्क न करे बल्कि फ़र्ज़ अदा करे और रिया को दूर करने की और इख़लास हासिल होने की कोशिश करे।

ज़ियारते .कुबूर का बयान

हदीस न. 1 : सही मुस्लिम में बरीदा रद्दियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवाय
कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने तुम
ज़्यारते .कुबूर से मना किया था अब तुम क़ब्रों की ज़्यारत करो और मैंने
को .कुर्बानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा खाने की मुमानअत की थी अब
तक तुम्हारी समझ में आए रख सकते हो।

हदीस न. 2 : इब्ने माजा में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद्दियल्लाहु तआ़ला अ
से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रम
कि मैंने तुमको ज़्यारते .कुबूर से मना किया था अब तुम क़ब्रों की ज़्यारत क
कि वह दुनिया में बेरग़बती का सबब है और आख़रत को याद दिलाती है

हदीस न. 3 : सही मुस्लिम में बरीदा रद्दियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी
रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम लोगों को तालीम देते थे
जब क़ब्रों के पास जायें यह कहें

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل
الله لنا ولكم العافية۔

हदीस न. 4 :तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रद्दियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवाय
की कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मदीने में .कुबूर
पास से गुज़रे तो उधर को मुँह कर लिया और यह फ़रमाया

السلام عليكم يا أهل القبور۔ يغفر الله لنا ولكم۔ أنتم سلفنا ونحن بالأثر

हदीस न. 5 : सही मुस्लिम में हज़रते आइशा रद्दियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा
मरवी कहती है कि जब मेरी बारी की रात होती हुज़ूर आख़िर शब में बकी
(मदीने पाक के कब्रस्तान का नाम) को जाते और यह फ़रमाते

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم
لاحقون۔ اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد

हदीस न. 6 : बैहक़ी ने शोबुल ईमान में मुहम्मद इब्ने नौमान से मुरसल
रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमा
जो अपने वालिदैन की दोनों या एक की हर जुमे में ज़्यारत करेगा उसकी मग़फ़िर

हो जाएगी और नेकोकार लिखा जाएगा।

हदीस न. 7 : ख़तीब ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स ऐसे की क़ब्र पर गुज़रे जिसे दुनिया में पहचानता था और उस पर सलाम करे तो वह मुर्दा उसे पहचानता है और उसके सलाम का जवाब देता है।

हदीस न. 8 : इमाम अहमद ने हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहतीं हैं मैं अपने घर में जिसमें रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ फ़रमा हैं (रौज़ए अतहर में) दाख़िल होती तो अपने कपड़े उतार देती (यानी ज़ाएद कपड़े जो गैरों के सामने होने में सतर पोशी के लिए .जरूरी हैं) और अपने दिल में यह कहती कि यहाँ सिर्फ़ मेरे शौहर और मेरे वालिद हैं फिर जब हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ दफ़न हुए तो हज़रते उमर की हया की वजह से .ख़ुदा की क़सम मैं वहाँ नहीं गई मगर अच्छी तरह अपने ऊपर अपने कपड़ों को लपेट कर।

मसअला : ज़ियारते .क़ुबूर जाएज़ व मसनून है हुज़ूर –ए– अक़दम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम शुहदाए उहुद की ज़्यारत को तशरीफ़ ले जाते और उनके लिए दुआ करते और यह फ़रमाया भी है कि तुम लोग क़ब्रों की ज़्यारत करो।

मसअला : जिसकी क़ब्र की ज़्यारत को गया उसकी ज़िन्दगी में अगर उसके पास मुलाक़ात को आता तो जितना नज़दीक या दूर होता अब भी क़ब्र की ज़्यारत में उसी का लिहाज़ रखे। (आलमगीरी)

मसअला : क़ब्र की ज़्यारत को जाना चाहिए तो मुस्तहब यह है कि पहले अपने मकान में दो रकअत नमाज़ नफ़्ल पढ़े हर रकअत में बादे फ़ातिहा 'आयतुल कुर्सी' एक बार और '.क़ुल हु वल्लाहु अहद' तीन बार पढ़े और उस नमाज़ का सवाब मय्यत को पहुँचाए। अल्लाह तआ़ला मय्यत की क़ब्र में नूर पैदा करेगा और उस शख़्स को बहुत बड़ा सवाब अता फ़रमाएगा। अब क़ब्रस्तान को जाए, रास्ते में इधर उधर की बातों में मशग़ूल न हो, जब क़ब्रस्तान पहुँचे जूतियाँ उतार दे और क़ब्र के सामने इस तरह खड़ा हो कि क़िब्ले को पीठ हो और मय्यत के चेहरे की तरफ़ मुँह और उसके बाद यह कहे :–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ – يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

और सूरए फ़ातिहा और आयतुल कुर्सी व सूरए इज़ाज़ुल्ज़िलत व

अलहाकु मुत्तका सुरूहत्ता पढ़े सूरए मुल्क और दूसरी सूरतें भी पढ़ सकता है।
(आलमगीरी)

मसअला : चार दिन ज़्यारत के लिए बेहतर हैं दो शम्बा, पंज शम्बा, जुमा, हफ्ता —— जुमे के दिन बाद नमाज़े जुमा अफ़ज़ल है और हफ्ते के दिन तुलू आफ़ताब तक —— और पंजशम्बे को दिन के अव्वल वक़्त में —— और बाज़ उलमा ने फ़रमाया कि पिछले वक़्त में अफ़ज़ल है —— मुतबर्रक रातों में, ज़्यारते .कुबूर अफ़ज़ल है मसलन शबेबरात, शबेक़द्र —— इसी तरह ईदैन के दिन और अशरा ज़िलहिज्जा में भी बेहतर है। (आलमगीरी)

मसअला : क़ब्रस्तान के दरख़्तों का हुक्म यह है कि अगर दरख़्त क़ब्रस्तान से पहले का है यानी ज़मीन को जब क़ब्रस्तान बनाया गया उस वक़्त वह दरख़्त वहाँ मौजूद था तो जिसकी ज़मीन है उसी का दरख़्त है वह जो चाहे करे —— और अगर वह ज़मीन बंजर थी किसी की मिल्क न थी तो दरख़्त और ज़मीन का वह हिस्सा जिसमें दरख़्त है उसकी पहली हालत पर है कि किसी की मिल्क नहीं —— और अगर क़ब्रस्तान होने के बाद का दरख़्त है और मालूम है कि फ़लाँ शख़्स ने लगाया है तो जिसने लगाया है उसका है मगर उसे यह चाहिए कि सदक़ा कर दे —— और मालूम न हो कि किसने लगाया है बल्कि वह .खुद ही वहाँ जम गया है तो क़ाज़ी को उसके मुताल्लिक़ इख़्तेयार है —— अगर क़ाज़ी की यह राय हो कि दरख़्त कटवा कर क़ब्रस्तान पर ख़र्च कर दे तो कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला : बुज़ुर्गाने दीन औलिया व सालेहीन। के मज़ाराते तय्यबा पर ग़िलाफ़ डालना जाएज़ है जब कि यह मक़सूद हो कि साहिबे मज़ार की वक़अत नज़रे अवाम में पैदा हो उनका अदब करें उनके बरकात हासिल करें (रद्दुल मुहतार)

जन्नत वाजिब हो गई

हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जो इस दुआ को पढ़ता रहे उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। (अबू दाऊद)

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ وسلم) رَسُوْلًا

ईसाले सवाब

मसअला : ईसाले सवाब यानी .कुरआन मजीद या दुरूद शरीफ़ या कलिमए तय्यबा या किसी नेक अमल का सवाब दूसरे को पहुँचाना जाएज़ है। इबादते मालिया या बदनिया फ़र्ज़ व नफ़्ल सब का सवाब दूसरों को पहुँचाया जा सकता है ---- ज़िन्दों के ईसाले सवाब से मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है। फ़िक़्ह की किताबों व अक़ाएद की किताबों में इसकी तसरीह आई है। हिदाया और शरहे अक़ाएदे नसफ़ी में इस का बयान मौजूद है। इसको बिदअत कहना हट-धर्मी है। हदीस से भी इसका जाएज़ होना साबित है। हज़रते सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का जब इन्तेक़ाल हुआ उन्होंने हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह सअद की माँ का इन्तेक़ाल हो गया कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल है ? इरशाद फ़रमाया पानी। उन्होंने कुआँ खोदा और यह कहा कि यह सअद की माँ के लिए है ---- मालूम हुआ कि ज़िन्दों के आमाल से मुर्दों को सवाब मिलता है और फ़ायदा पहुँचता है।

अब रहीं तख़्सीसात मसलन तीसरे दिन या चालीसवें दिन —— यह तख़्सीसात न शरई तख़्सीसात हैं न इनको शरई समझा जाता है —— यह कोई भी नहीं जानता कि इसी दिन में सवाब पहुँचेगा अगर किसी दूसरे दिन किया जाएगा तो नहीं पहुँचेगा ---- यह महज़ रिवाजी और उर्फ़ी बात है जो अपनी सुहूलत के लिए लोगों ने रखी है ---- बल्कि इन्तेक़ाल के बाद ही से .कुरआन मजीद की तिलावत और ख़ैर ख़ैरात का सिलसिला जारी होता है ---- अकसर लोगों के यहाँ उसी दिन से बहुत दिनों तक यह सिलसिला जारी रहता है ---- इसके होते हुए क्यूँकर कहा जा सकता है कि मख़सूस दिन के सिवा दूसरे दिनों में लोग नाजाएज़ जानते हैं ---- यह महज़ इफ़्तेरा है जो मुसलमानों के सर बांधा जाता है और ज़िन्दों मुर्दों को सवाब से महरूम करने की बेकार की कोशिश है। पस जब कि हम अस्ले कुल्ली बयान कर चुके तो जुज़्यात के अहकाम .खुद इसी कुल्लिया से मालूम हो गए।

सोम यानी तीजा जो मरने से तीसरे दिन किया जाता है कि .कुरआन मजीद पढ़ा कर या कलिमए तय्यबा पढ़वा कर ईसाले सवाब करते हैं और बच्चों और अहले हाजत को चने बताशे या मिठाइयाँ तक़सीम करते हैं और

खाना पकवा कर फ़ुक़रा व मसाकीन को खिलाते हैं या उनके घरों पर भेजते हैं जाएज़ व बेहतर है ---- फिर हर पंज शम्बा को अपनी हैसियत के मुताबिक़ खाना पका कर ग़रीबों को देते या खिलाते हैं ---- फिर चालीसवें दिन खाना खिलाते हैं ---- फिर छः महीने पर ईसाले सवाब करते हैं, उसके बाद बर्सी होती है ये सब उसी इसाले सवाब की क़िस्में हैं उसी में दाख़िल हैं।

मगर यह .ज़रूर है कि यह सब काम अच्छी नियत से किए जायें, नुमाइशी न हों, नाम करना मक़सूद न हो वर्ना न सवाब है न ईसाले सवाब।

बाज़ लोग इस मौक़े पर अज़ीज़ों व अपने करीबी लोगों की दावत करते हैं। यह मौक़ा दावत का नहीं है बल्कि मौहताजों फ़क़ीरों को खिलाने का है जिससे मय्यत को सवाब पहुँचे।

इसी तरह शबेबरात में हलवा पकता है और उस पर फ़ातिहा दिलाई जाती है, हलवा पकाना भी जाएज़ है और उस पर फ़ातिहा भी उसी ईसाले सवाब में दाख़िल है।

माहे रजब में बाज़ जगह सूरए मुल्क चालीस मरतबा पढ़कर रोटियों या छुहारों पर दम करते हैं और उनको तक़सीम करते हैं और सवाब मुर्दों को पहुँचाते हैं यह भी जाएज़ है। इसी माहे रजब में हज़रते जलाल बुख़ारी अ़लैहिर्रहमा के कूंडे होते हैं कि चावल या खीर पकवा कर कूंडे में भरते हैं और फ़ातिहा दिला कर लोगों को खिलाते हैं यह भी जाएज़ है ---- हाँ एक बात बुरी है वह यह कि ज़हाँ कूंडे भरे जाते हैं वहीं खिलाते हैं वहाँ से हटने नहीं देते। यह एक लग्व हरकत है मगर यह जाहिलों का तरीक़ा है पढ़े लिखे लोगों में यह पाबन्दी नहीं। इसी तरह माहे रजब में बाज़ जगह हज़रते सय्येदिना इमाम जाफ़र सादिक़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को इसाले सवाब के लिए पूरियों के कूंडे भरे जाते हैं और फ़ातिहा देकर खिलाते हैं यह भी जाएज़ ---- मगर इसमें भी उसी जगह खाने की बाज़ों ने पाबन्दी कर रखी है यह बेजा पाबन्दी है ---- इस कूंडे के मुताल्लिक़ एक किताब भी है जिसका नाम दास्ताने अजीब है इस मौक़े पर बाज़ लोग उसको पढ़वाते हैं उसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सुबूत नहीं -- वह न पढ़ी जाए ---- फ़ातिहा दिला कर ईसाले सवाब करें।

माहे मुहर्रम में दस दिनों तक .ख़ुसूसन दसवीं को हज़रत सय्येदिना इमाम हुसैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु व दूसरे शोहदाए करबला को ईसाले सवाब करते हैं कोई शरबत पर फ़ातिहा दिलाता है, कोई शीरीनी पर, कोई

मिठाई पर कोई रोटी गोश्त पर ग़र्ज़ जिस पर चाहो फ़ातिहा दिलाओ जाएज़ है उनको जिस तरह ईसाले सवाब करो मनदूब (मुस्तहब) है । बहुत से पानी और शरबत की सबील लगाते हैं, जाड़ों में चाय पिलाते हैं, कोई खिचड़ा पकाता है ग़र्ज़ जिस जाएज़ तरीक़े से कारे ख़ैर करो और सवाब पहुँचाओ हो सकता है। इन सबको नाजाएज़ नहीं कहा जा सकता। बाज़ जाहिलों में मशहूर है कि मुहर्रम में सिवाए शोहदाए करबला के दूसरों की फ़ातिहा नहीं दिलाई जाए उनका यह ख़्याल ग़लत है जिस तरह दूसरे दिनों में सब की फ़ातिहा हो सकती है इन दिनों में भी हो सकती है।

माहे रबीउल आख़िर की ग्यारहवीं तारीख़ बल्कि हर महीने की ग्यारहवीं को हुज़ूर सय्येदेना ग़ौसे आज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की फ़ातिहा दिलाई जाती है। यह भी ईसाले सवाब की एक सूरत है बल्कि ग़ौसे पाक रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की जब कभी फ़ातिहा होती है किसी तारीख़ में हो अवाम उसे ग्यारहवीं की फ़ातिहा बोलते हैं।

माहे रजब की छटी तारीख़ बल्कि हर महीने की छटी तारीख़ को हुज़ूर ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ मुईनुद्दीन चिश्ती रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की फ़ातिहा भी ईसाले सवाब में दाख़िल है। असहाबे कहफ़ का तोशा या हुज़ूर ग़ौसे आज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का तोशा या हज़रते शैख़ अहमद अब्दुल हक़ यदौलवी .कुद्दिसा सिर्रुहू का तोशा भी जाएज़ है और ईसाले सवाब में दाख़िल है।

मसअला : उर्स बुज़ुर्गाने दीन रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम अजमईन जो हर साल उनके विसाल के दिन होता है यह भी जाएज़ कि उस तारीख़ में .कुरआन मजीद ख़त्म किया जाता है और सवाब उन बुज़ुर्गों को पहुँचाया जाता है या मीलाद शरीफ़ पढ़ा जाता है या वाज़ कहा जाता है —— बिलजुमला ऐसे सब काम जो बाइसे सवाब व ख़ैर ओ बरकत वाले हैं जैसे दूसरे दिनों में जाएज़ हैं इन दिनों में भी जाएज़ है। हुज़ूर –ए– अकदस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हर साल के अव्वल या आख़िर में शोहदाए उहुद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम की ज़्यारत को तशरीफ़ ले जाते ——— हाँ यह .जरूर है कि उर्स को लग़्व व ख़ुराफ़ात वाली चीज़ों से पाक रखा जाए ---- जाहिलों को बुरी हरकात से रोका जाए अगर मना करने से बाज़ न आयें तो उन अफआल का गुनाह उनके ज़िम्मे।

मजालिसे ख़ैर

मसअला : मीलाद शरीफ़ यानी हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादते अक़दस का बयान जाएज़ —— इसी के ज़िम्न में इस मजलिसे पाक में हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाएल व मोजज़ात व सीरत व हालात हयात व रज़ाअत व बेअसत के वाक़यात भी बयान होते हैं। इन चीज़ों का ज़िक्र अहादीस में भी है और .कुरआन मजीद में भी। अगर मुसलमान अपनी महफ़िल में बयान करें बल्कि ख़ास इन बातों के बयान करने के लिए महफ़िल मुनक़्क़द करें तो इसके नाजाएज़ होने की कोई वजह नहीं। इस मजलिस के लिए लोगों को बुलाना और शरीक करना ख़ैर की तरफ़ बुलाना है। जिस तरह वाज़ और मजलिसों के ऐलान किए जाते हैं, इश्तहारात छपवा कर तक़सीम किए जाते हैं, अख़बारात में इसके मुताल्लिक़ मज़ामीन शाय किए जाते है और उनकी वजह से वह वाज़ और जलसे नाजाएज़ नहीं हो जाते इसी तरह ज़िक्रे पाक के लिए बुलावा देने से इस मजलिस को नाजाएज़ व बिदअत नहीं कहा जा सकता।

इसी तरह मीलाद में शीरीनी बांटना भी जाएज़ है। मिठाई बांटना नेक काम व सिला रहमी है जब यह महफ़िल जाएज़ है तो शीरीनी तक़सीम करना जो एक जाएज़ फ़ेल था इस मजलिस को नाजाएज़ नहीं कर देगा। यह कहना कि लोग इसे .ज़रूरी समझते हैं इस वजह से नाजाएज़ है यह भी ग़लत है कोई भी वाजिब या फ़र्ज़ नहीं जानता। बहुत मरतबा मैंने .ख़ुद देखा है कि मीलाद हुआ और मिठाई तक़सीम नहीं हुई और बिलफ़र्ज़ इसे कोई .ज़रूरी समझता भी हो तो उर्फ़ी .ज़रूरी कहता होगा नाकि शरअन उसको .ज़रूरी जानता होगा।

इस मजलिस में बवक़्ते ज़िक्रे विलादत क़ियाम किया जाता है यानी खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। उलमाए किराम ने इस क़ियाम को मुस्तहसन फ़रमाया है। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना भी जाएज़ है। बाज़ अकाबिर को इस मजलिसे पाक में हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ भी हासिल हुआ है अगरचे यह नहीं कहा जा सकता कि हुज़ूर इस मौक़े पर .ज़रूर तशरीफ़ लाते ही हैं मगर किसी .ग़ुलाम पर अपना करम फ़रमा दें तो तअज्जुब नहीं।

मसअला : मजलिसे मीलाद शरीफ़ में या दूसरी मजालिस में वही रिवायात बयान की जायें जो साबित हों। मौज़ूआत और घड़े हुए क़िस्से हरगिज़ हरगिज़ बयान न

किए जायें कि बजाए ख़ैर ओ बरकत ऐसी बातों के बयान करने में गुनाह होता है।
मसअला : मेराज शरीफ़ के बयान करने के लिए मजलिस मुनक़्क़द करना उसमें वाक़िया मेराज बयान करना जिसको रजबी शरीफ़ कहा जाता है जाएज़ है।
मसअला : यह मशहूर है कि शबे मेराज हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालैन मुबारक पहने हुए अर्श पर गए और वाएज़ीन इस के मुताल्लिक़ एक रियायत भी बयान करते हैं इसका सुबूत नहीं और यह भी साबित नहीं कि बरहना पा थे लिहाज़ा इसके मुताल्लिक़ कुछ न कहना बेहतर है।
मसअला : ख़ुलफ़ाए राशेदीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम की वफ़ात की तारीख़ों में मजलिस मुनक़्क़िद करना और उनके हालात व फ़ज़ाइल व कमालात से मुसलमानों को आगाह करना भी जाएज़ है कि वह हज़रात मुक़तदायाने अहले इस्लाम हैं उनकी ज़िन्दगी के कारनामे मुसलमानों के लिए मशअले हिदायत हैं और उनका ज़िक्र बाइसे ख़ैर-ओ-बरकत और सबबे नुज़ूले रहमत है।
मसअला : रजब की 26, 27 को रोज़े रखते हैं पहले को हज़ारी दूसरे को लक्खी कहते हैं यानी पहले में हज़ार रोज़े का सवाब और दूसरे में एक लाख का सवाब बताते हैं। इन रोज़ों के रखने में मुज़ाएक़ा नहीं मगर यह जो सवाब के मुताल्लिक़ मशहूर है उसका सुबूत नहीं।
मसअला : अशरा मुहर्रम में मजलिस मुनक़्क़िद करना और वाक़याते करबला बयान करना जाएज़ है जबकि रिवायात सही बयान की जायें। इन वाक़ियात में सब्र व तहम्मुल, रज़ा व तसलीम का बहुत मुकम्मल दर्स है और पाबन्दीए अहकामे शरीअत व इत्तेबाए सुन्नत का ज़ब्रदस्त अमली सुबूत है कि दीने हक़ की हिफ़ाज़त में तमाम अज़ीज़ों और क़रीबी लोगों और ख़ुद अपने को राहे ख़ुदा में क़ुर्बान किया और जज़ा व फ़ज़ा का नाम भी न आने दिया मगर इस मजलिस में सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम का भी ज़िक्रे ख़ैर होना चाहिए ताकि अहले सुन्नत और राफ़ज़ियों की महफ़िलों में फ़र्क़ रहे।
मसअला : ताज़ियादारी कि वाक़ियाते करबला के सिलसिले में तरह तरह के ढांचे बनाते और उनको हज़रत सय्येदिना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के रौज़े पाक की शबीह कहते हैं। कहीं तख़्त बनाए जाते हैं, कहीं ज़रीह बनती है और अलम शद्दे (दुलदुल वग़ैरा) निकाले जाते हैं —— ढोल ताशे और क़िस्म क़िस्म के बाजे बजाए जाते हैं —— ताज़ियों का बहुत धूम धाम से गश्त होता है —— आगे पीछे होने में जाहिलियत के से झगड़े होते हैं —— कभी

दरख़्त की शाख़ें काटी जाती हैं कहीं चबूतरे खुदवाए जाते हैं —— ताज़ियों से मन्नतें मानी जाती हैं —— सोने चाँदी के अलम चढ़ाए जाते हैं —— हार फूल नारियल चढ़ाए जाते है —— वहाँ जूते पहन कर जाने को गुनाह जानते हैं बल्कि इस शिद्दत से मना करते हैं कि गुनाह पर भी ऐसी मुमानअत नहीं करते —— छतरी लगाने को बहुत बुरा जानते हैं —— ताज़ियों के अन्दर दो मस्नूई (बनावटी) कब्रें बनाते हैं एक पर सब्ज़ ग़िलाफ़ और दूसरी पर सुर्ख़ ग़िलाफ़ डालते हैं सब्ज़ ग़िलाफ़ वाली हज़रते सय्येदिना इमाम हसन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की क़ब्र और सुर्ख़ ग़िलाफ़ वाली हज़रते सय्येदिना इमाम हुसैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की क़ब्र या शबीह क़ब्र बताते हैं और वहाँ शरबत मलीदा वग़ैरा पर फ़ातिहा दिलाते हैं। यह तसव्वुर करके कि हज़रत इमाम आली मक़ाम के रौज़े और मवाजेह अक़दस में फ़ातिहा दिला रहे हैं। फ़िर यह ताज़िए दस तारीख़ को मस्नूई करबला में ले जाकर दफ़न करते हैं गोया यह जनाज़ा था जिसे दफ़न कर आए। फिर तीजा दसवाँ चालीसवाँ सब कुछ किया जाता है और क़िस्म क़िस्म की .खुराफ़ात होती हैं। हज़रते क़ासिम रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की मेहंदी निकालते हैं गोया उनकी शादी हो रही है और मेहंदी रचाई जाएगी और इस ताज़ियादारी के सिलसिले में कोई पैक बनता है जिसके कमर में घुंघरू बांधे जाते हैं गोया यह हज़रत इमाम आली म्क़ाम रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का क़ासिद और हरकारा है जो यहाँ से ख़त लेकर इब्ने ज़्याद या यज़ीद के पास जाएगा और वह हरकारों की तरह भागा फिरता है —— किसी बच्चे को फ़क़ीर बनाया जाता है उसके गले में झोली डालते और घर घर उससे भीक मंगवाते हैं —— कोई सक़्क़ा बनाया जाता है छोटी सी मशक उसके कांधे से लटकती है गोया यह दरियाए .फ़ुरात से पानी भर कर लाएगा —— किसी अलम पर मशक लटकती है और उसमें तीर लगा होता है गोया यह हज़रते अब्बास अलमदार हैं कि .फ़ुरात से पानी ला रहे हैं और यज़ीदियों ने मशक को तीर से छेद दिया है —— इसी क़िस्म की बहुत सी बातें की जाती हैं —— ये सब लग़्व व .खुराफ़ात हैं। इनसे हरगिज़ हज़रते सय्येदिना इमाम हुसैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु .खुश नहीं। यह तुम .खुद ग़ौर करो कि उन्होंने इहयाए दीन (दीन को ज़िन्दा रखना) व सुन्नत के लिए यह ज़बरदस्त .क़ुर्बानियाँ कीं और तुमने मआज़ अल्लाह उसको बिदआत का ज़रिया बना लिया।

बाज़ जगह इसी ताज़ियादारी के सिलसिले में बुराक़ बनाया जाता है

जो अजब क़िस्म का मुजस्समा होता है कि कुछ हिस्सा इन्सानी शक्ल का होता है और कुछ हिस्सा जानवर का सा। शायद यह हज़रत इमाम आली मक़ाम की सवारी के लिए जानवर होगा। कहीं दुलदुल बनता है कहीं बड़ी बड़ी क़ब्रें बनती हैं। बाज़ जगह आदमी रीछ, बन्दर, लंगूर बनते हैं और कूदते फिरते हैं जिनको इस्लाम तो इस्लाम इन्सानी तहज़ीब भी जाएज़ नहीं रखती। ऐसी बुरी हरकतें इस्लाम हरगिज़ जाएज़ नहीं रखता। अफ़सोस कि महब्बत अहले बैत किराम का दावा और ऐसी बेजा हरकतें। यह वाक़िया तुम्हारे लिए नसीहत था और तुमने उसको खेल तमाशा बना लिया।

इसी सिलसिले में नौहा व मातम भी होता है और सीना कोबी होती है। इतने ज़ोर ज़ोर से सीना कूटते हैं कि वरम हो जाता है, सीना सुर्ख़ हो जाता है बल्कि बाज़ जगह ज़ंजीरों और छुरियों से मातम करते हैं कि सीने से ख़ून बहने लगता है। ताज़ियों के पास मर्सिया पढ़ा जाता है और ताज़िया जब गश्त को निकलता है उस वक़्त भी उसके आगे मर्सिया पढ़ा जाता है। मर्सिये में ग़लत वाक़ियात नज़्म किए जाते हैं। अहले बैत किराम की बेहुर्मती और बेसब्री और जज़ा व फ़ज़ा का ज़िक्र किया जाता है और चूँकि अकसर मर्सिया राफ़ज़ियों ही के हैं बाज़ में तबर्रा भी होता है मगर उस रौ में सुन्नी भी उसे बेतक़ल्लुफ़ पढ़ जाते हैं और उन्हें इस का ख़्याल नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हैं। यह सब नाजाएज़ और गुनाह के काम हैं।

मसअला : ग़म दिखने के लिए सर के बाल बिखेरते हैं, कपड़े फाड़ते और सर पर ख़ाक डालते हैं। यह भी नाजाएज़ और जाहिलियत के काम हैं। इनसे बचना निहायत .जरूरी है। मुसलमानों पर लाज़िम है कि ऐसे कामों से परहेज़ करें और ऐसे काम करें जिनसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम राज़ी हों कि यही नजात का रास्ता है।

मसअला : ताज़ियों और अलम के साथ बाज़ लोग लंगर लुटाते हैं यानी रोटियाँ या बिस्कुट या और कोई चीज़ ऊँची जगह से फेंकते हैं। यह नाजाएज़ है कि रिज़्क़ की सख़्त बेहुर्मती होती है। यह चीज़ें कभी नालियों में भी गिरती हैं और अकसर लूटने वालों के पांव के नीचे भी आती हैं और बहुत कुछ कुचल कर ज़ाए होती हैं —— अगर यह चीज़ें इन्सानियत के तरीक़े पर .फ़ुक़रा को तक़सीम की जायें तो बेहुर्मती भी न हो और जिनको दिया जाए उन्हें फ़ायदा भी पहुँचे मगर वह लोग इस तरह लुटाने ही को नेकनामी तसव्वुर करते हैं।

आदाबे सफ़र का बयान

हदीस न. 1 : सही बुख़ारी में कअब इब्ने मालिक रद़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ग़ज़वए तबूक को पंजशम्बा के रोज़ रवाना हुए और पंजशम्बा के दिन रवाना होना हुज़ूर को पसन्द था।

हदीस न. 2 : तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने सख़्र इब्ने वदाआ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया इलाही तू मेरी उम्मत के लिए सुबह में बरकत दे और हुज़ूर जब सरया या लशकर भेजते तो सुबह के वक़्त में भेजते और सख़्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ताजिर थे यह अपनी तिजारत का माल सुबह को भेजते यह साहिबे सरवत होगए और इनका माल ज़्यादा हो गया।

हदीस न. 3 : सही बुख़ारी में इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तन्हाई की ख़राबियों को जो कुछ मैं जानता हूँ अगर दूसरे लोग जानते तो कोई सवार रात में तन्हा न जाता।

हदीस न. 4 : इमाम मालिक व तर्मिज़ी व अबू दाऊद बरिवायत अम्र इब्ने शुऐब अ़न् अबीहे अन जद्देही रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक सवार शैतान है और दूसरा दो शैतान हैं और तीन जमाअत है। (नोट : इस हदीस में अकेले सफ़र करने की मुमानअत आई है।)

हदीस न. 5 : अबू दाऊद अबू सईद ख़ुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब सफ़र में तीन शख़्स हों तो एक को अमीर यानी अपना सरदार बना लें।

हदीस न. 6 : बैहक़ी ने सहल इब्ने सअद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सफ़र में क़ौम का सरदार वह जो उनकी ख़िदमत करे। जो शख़्स ख़िदमत में सबक़त ले जाएगा तो शहादत के सिवा किसी अमल से दूसरे लोग उस पर सबक़त नहीं ले जा सकते।

हदीस न. 7 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है सोना और खाना पीना सब को रोक देता लिहाज़ा जब काम कर ले जल्दी घर वापस हो।

हदीस न. 8 : सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब रात में मन्ज़िल पर उतरो तो रास्ते से बच कर ठहरो कि वह जानवरों का रास्ता है और ज़हरीले जानवरों के ठहरने की जगह है।

हदीस न. 9 : अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जानवरों की पीठों को मिम्बर न बनाओ यानी जब सवारी रूकी हुई हो तो उसकी पीठ पर बैठ कर बातें न करो क्यूँकि अल्लाह ने सवारियों को तुम्हारे लिए इस लिए फ़रमाबरदार किया है कि तुम उनके ज़रिए से ऐसे शहरों को पहँचो जहाँ बग़ैर मशक़्क़ते नफ़्स नहीं पहुँच सकते थे और तुम्हारे लिए ज़मीन को अल्लाह तआ़ला ने बनाया है इस पर अपनी हाजतें पूरी करो यानी बातें करनी हों तो ज़मीन पर उतर कर करो।

हदीस न. 10 : अबू दाऊद ने सालबा ख़शनी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि लोग जब मन्ज़िल में उतरते तो अलग अलग ठहरते रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हारा अलग अलग होकर ठहरना शैतान की जानिब से है। उसके बाद सहाबा जब किसी मन्ज़िल पर उतरते तो मिलकर ठहरते।

हदीस न. 11 : अबू दाऊद ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया रात में चलने को लाज़िम कर लो (यानी फ़क़त दिन ही में नहीं बल्कि रात के कुछ हिस्से में भी चला करो) क्यूँकि रात में ज़मीन लपेट दी जाती है यानी रात में चलने से रास्ता जल्द तय होता है।

हदीस न. 12 : अबू दाऊद ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि जब हम मन्ज़िल में उतरते तो जब तक कजावे खोल न लेते नमाज़ नहीं पढ़ते।

हदीस न. 13 : तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने बरीदा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पैदल तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक शख़्स गधे पर सवार आया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सवार हो जाइये और .खुद पीछे सरका। रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यूँ नहीं जानवर की सदर (यानी औला जगह) बैठने में

तुम्हारा हक़ है मगर जब कि यह हक़ तुम मुझे दे दो। उन्होंने कहा मैंने हुज़ूर को दिया। हुज़ूर सवार हो गए।

हदीस न. 14 : इब्ने असाकिर ने अबू दाऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब सफ़र से कोई वापस आए तो घर वालों के लिए कुछ हदया लाए अगरचे अपनी झोली में पत्थर ही डाल लाए।

हदीस न. 15 : सही बुख़ारी में अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अपने अहल के पास सफ़र से रात में नहीं तशरीफ़ लाते। हुज़ूर सुबह को आते या शाम को।

हदीस न. 16 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी के ग़ायब होने का ज़माना तवील हो यानी बहुत दिनों के बाद मकान पर आए तो ज़ौजा के पास रात में न आए। दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर ने उनसे फ़रमाया अगर रात में मदीने में दाख़िल हो तो बीवी के पास न जाना जब तक वह बनाओ सिंगार करके आरास्ता न हो जाए।

हदीस न. 17 : सही बुख़ारी व मुस्लिम में कअ़ब इब्ने मालिक रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सफ़र से दिन में चाश्त के वक़्त तशरीफ़ लाते, तशरीफ़ लाने के बाद सब से पहले मस्जिद में जाते और दो रकअत नमाज़ पढ़ते। फिर लोगों के लिए मस्जिद ही में बैठ जाते।

हदीस न. 18 : सही बुख़ारी में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैं नबीए करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़र में था जब हम मदीने में आ गए तो हुज़ूर ने मुझसे फ़रमाया मस्जिद में जाओ और दो रकअत नमाज़ पढ़ो।

मसाइले फ़िक़्हिया : औरत को बग़ैर शौहर या महरम के तीन दिन या ज़्यादा का सफ़र करना नाजाएज़ है और तीन दिन से कम का सफ़र अगर किसी मर्द सालेह या बच्चे के साथ करे तो जाएज़ है। बांदी के लिए भी यही हुक्म है।

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : जिहाद के सिवा किसी काम के लिए सफ़र करना चाहता है मसलन तिजारत या हज या उमरा के लिए सफ़र करना चाहता है, उसके लिए

वालिदैन से इजाज़त हासिल करे। अगर वालिदैन उस सफ़र को मना करें और उसको अन्देशा हो कि मेरे जाने के बाद उनकी कोई ख़बरगीरी न करेगा और उसके पास इतना माल भी नहीं कि वालिदैन को भी दे और सफ़र का ख़र्च भी पूरा हो जाए ऐसी सूरत में वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर सफ़र को न जाए और अगर वालिदैन मौहताज न हों उनका नफ़्क़ा औलाद के ज़िम्मे न हो मगर वह सफ़र ख़तरनाक है हलाकत का अन्देशा है जब भी बग़ैर इजाज़त सफ़र न करे और हलाकत का अन्देशा न हो तो बग़ैर इजाज़त सफ़र कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला : बग़ैर इजाज़त वालिदैन इल्मे दीन पढ़ने के लिए सफ़र किया इसमें हर्ज नहीं और उसको वालिदैन की नाफ़रमानी नहीं कहा जाएगा। (आलमगीरी)

जामेअ दुआ

हज़रते अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत सी दुआयें मांगीं, हमें उनमें से कुछ भी याद नहीं रहीं। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया आपने बहुत सी दुआयें फ़रमाईं हमें उनमें से कुछ भी याद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या मैं तुम्हें वह दुआ न बता दूँ जो उन सब की जामेअ है, तुम यूँ दुआ करो :-

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَیْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

मुताफ़र्रेक़ात (विभिन्न)

मसअला : याददाश्त के लिए यानी उस ग़र्ज़ से कि बात याद रहे बाज़ लोग रूमाल या कमरबन्द में गिरह लगा लेते हैं या किसी जगह उंगली वग़ैरा पर डोरा बांध लेते हैं यह जाएज़ है और बिलावजह डोरा बांध लेना मकरूह।
(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : गले में तावीज़ लटकाना जाएज़ है जब कि वह तावीज़ जाएज़ हो यानी आयाते .कुरआनी या अस्माए इलाहिया या अदिया (यानी अल्लाह के नाम या दुआयें लिखीं हों) से तावीज़ किया गया हो और बाज़ हदीसों में मुमानअत आई है उससे मुराद वह तावीज़ात हैं जो नाजाएज़ अल्फ़ाज़ पर हों ज़मानए जाहिलियत में किए जाते थे ---- इसी तरह तावीज़ात और आयात व अदिया (दुआयें) रकाबी में लिख कर मरीज़ को बनियत शिफ़ा पिलाना भी जाएज़ है। जुनुब व हाइज़ा व नुफ़्सा भी तावीज़ात को गले में पहन सकते हैं। बाज़ू पर बांध सकते हैं जब कि तावीज़ात ग़िलाफ़ में हों। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : बिछौने या मुसल्ले पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेमाल करना नाजाएज़ है। यह इबारत उसकी बनावट में हो काढ़ी गई हो या रोशनाई से लिखी हो अगरचे हुरूफ़ मुफ़रदा (अलग अलग हुरूफ़ लिखे होना) लिखे हों क्यूँकि हुरूफ़ मुफ़रदा का भी ऐहतेराम है। (रद्दुल मुहतार) अकसर दस्तरख़्वान पर इबारत लिखी होती है ऐसे दस्रतख़्वान को इस्तेमाल में लाना उन पर खाना खाना न चाहिए। बाज़ लोगों के तकियों पर अशआर लिखे होते है उनका भी इस्तेमाल न किया जाए।

मसअला : वादा किया मगर उसको पूरा करने में कोई शरई क़बाहत थी इस वजह से पूरा नहीं किया तो उसको वादाख़िलाफ़ी नहीं कहा जाएगा और वादाख़िलाफ़ी करने का जो गुनाह है इस सूरत में नहीं होगा अगरचे वादा करने के वक्त उसने इस्तिसना (यानी कोई शर्त लगा दी हो) किया हो कि यहाँ शरीअत की जानिब से इस्तिस्ना मौजूद है उसको .जुबान से कहने की .ज़रूरत नहीं मसलन वादा किया था कि मैं फ़लाँ जगह आऊँगा और वहाँ बैठ कर तुम्हारा इन्तेज़ार करूँगा मगर जब वहाँ गया तो देखता है कि नाच रंग और शराबखोरी वग़ैरा में लोग मशग़ूल हैं -- वहाँ से यह चला आया यह वादाख़िलाफ़ी नहीं है या उसके इन्तेज़ार करने का वादा किया था और

इन्तेज़ार कर रहा था कि नमाज़ का वक़्त आ गया ये चला आया वादा के ख़िलाफ़ नहीं किया।

(मुश्किलुल आसार इमाम तहतावी)

मसअला : बाज़ काश्तकार खेतों में कपड़ा लपेट कर किसी लकड़ी पर लगा देते हैं इससे मक़सूद नज़रे बद से खेतों को बचाना होता है क्यूँकि देखने वाले की नज़र पहले उस पर पड़ेगी उसके बाद ज़राअत (खेती) पर पड़ेगी और इस सूरत में ज़राअत को नज़र नहीं लगेगी। ऐसा करना नाजाएज़ नहीं क्यूँकि नज़र का लगना सही है। अहादीस से साबित है कि इसका इन्कार नहीं किया जा सकता। हदीस में हैं कि जब अपनी या किसी मुसलमान भाई की चीज़ देखे और पसन्द आए तो बरकत की दुआ करे यह कहे :–

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ

या उर्दू में यह कह दे कि अल्लाह बरकत करे इस तरह कहने से नज़र नहीं लगेगी।

(रद्दुल मुहतार)

मसअला : मुशरिकीन के बर्तनों में बग़ैर धोए खाना पीना मकरूह है यह उस वक़्त है कि बर्तन का नजिस होना मालूम न हो और मालूम हो तो उसमें खाना पीना हराम है।

(आलमगीरी)

मसअला : अजीब व ग़रीब क़िस्से कहानी तफ़रीह के तौर पर सुनना जाएज़ है जब कि उनका झूटा होना यक़ीनी न हो बल्कि जो यक़ीनन झूट हों उनको भी सुना जा सकता है जब कि बतौर ज़र्बे मिस्ल हों (यानी मिसाल के तौर पर बयान किए गए हों) या उनसे नसीहत मक़सूद हो जैसा कि मसनवी शरीफ़ वग़ैरा में बहुत से फ़र्ज़ी क़िस्से वाज़ व नसीहत के लिए दर्ज किए गए हैं। इसी तरह जानवरों और कंकर पत्थरों वगैरह की बातें फ़र्ज़ी तौर पर बयान करना या सुनना भी जाएज़ है मसलन गुलिस्ताँ (एक किताब का नाम) में शैख़ सादी अलैहिर्रहमा ने लिखा :–

گلے خوشبوئے در حمام روزے الخ

तर्जमा : ख़ुशबूदार मिट्टी एक रोज़ हम्माम में।

(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : तमाम ज़बानों में अरबी ज़बान अफ़ज़ल है हमारे आक़ा व मौला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यही ज़बान है —— क़ुरआन मजीद अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ —— जन्नत में जन्नतियों की ज़बान अरबी होगी ———— जो इस ज़बान को ख़ुद सीखे या

दूसरों को सिखाए उसे सवाब मिलेगा। (दुर्रे मुख़्तार) यह जो कहा गया है वह सिर्फ़ ज़बान के लिहाज़ से कहा गया है वर्ना एक मुस्लिम को .खुद सोचने की .ज़रूरत है कि अरबी .ज़ुबान का जानना मुसलमान के लिए कितना .ज़रूरी है। .क़ुरआन व हदीस और दीन के तमाम उसूल व फ़ुरूअ इसी .ज़बान में हैं –– इस .ज़ुबान से नावाक़िफ़ी कितनी कमी और नुक़सान की चीज़ है।

मसअला : औरत रुख़सत होकर आई और औरतों ने कह दिया कि यह तुम्हारी औरत है इससे वती जाएज़ है अगरचे यह .खुद उसे पहचानता न हो (दुर्रे मुख़्तार) इसी तरह औरतों ने शबेज़ुफ़ाफ़ में उसके कमरे में जिस औरत को दुल्हन बना कर भेज दिया अगरचे यह नहीं कहा यह तुम्हारी औरत है ––– उससे वती जाएज़ है कि उसको ख़ास हालत में यहाँ पहुँचाना ही इसकी दलील है क्यूँकि दूसरी औरत को इस तरह हरगिज़ नहीं भेजा जाता।

मसअला : जिसके ज़िम्मे अपना हक़ हो और वह न देता हो तो अगर उसकी ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसी जिन्स की है जिस जिन्स का हक़ है तो ले सकता है। इस मामले में रूपया और अशर्फ़ी एक ही जिन्स की चीज़ें हैं यानी उसके ज़िम्मे रूपया था और अशर्फ़ी मिल गई तो बक़द्र अपने हक़ के ले सकता है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : लोगों के साथ .खुश अख़लाक़ी से पेश आना नर्म बातें करना, ख़ुशदिली से कलाम करना मुस्तहब मगर यह .ज़रूर है कि मुदाहनत न पैदा हो। (यानी यह अन्दाज़ न हो कि दिल में नफ़रत और .ज़बान पर महब्बत) बदमज़हब से गुफ़्तगू करे तो इस तरह न करे कि वह समझे मेरे मज़हब को अच्छा समझने लगा बुरा नहीं जानता है। (आलमगीरी)

मसअला : मकान किराए पर दिया और किराएदार उसमें रहने लगा अगर मकान देखने को जाना चाहता है कि देखें किस हालत में है और मरम्मत की .ज़रूरत हो तो मरम्मत करा दी जाए तो किराएदार से इजाज़त लेकर अन्दर जाए। यह ख़्याल न करे कि मकान मेरा है मुझे इजाज़त की क्या .ज़रूरत कि मकान अगरचे उसका है मगर सुकूनत दूसरे की है और इजाज़त लेने का हुक्म इसी सुकूनत की वजह से है। (आलमगीरी)

मसअला : हम्माम में जाए तो तहबन्द बांध कर नहाए लोगों के सामने बरहना होना नाजाएज़ है ––– तन्हाई में जहाँ किसी की नज़र पड़ने का डर न हो बरहना होकर भी .गुस्ल कर सकता है। इसी तरह तालाब व दरिया में जब कि

नाफ़ से ऊँचा पानी हो बरहना नहा सकता है। (आलमगीरी) मगर जबकि पानी साफ़ हो और दूसरा कोई शख़्स नज़दीक हो कि उसकी नज़र मवाज़ेए सतर पर पड़ेगी तो ऐसे मौक़े पर पानी में भी बरहना होना जाएज़ नहीं।

मसअला : अहले मुहल्ला ने इमाम मस्जिद के लिए कुछ चन्दा जमा करके दे दिया या उसे खाने पहनने के लिए सामान कर दिया। यह उन लोगों के नज़दीक भी जाएज़ है जो उजरत पर इमामत को नाजाएज़ फ़रमाते हैं कि यह उजरत नहीं बल्कि ऐहसान है कि ऐसे लोगों के साथ करना ही चाहिए।

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : जो शख़्स मुक़तदा और मज़हबी पेशवा हो उसके लिए अहले बातिल और बुरे लोगों से मेल जोल रखना मना है और अगर इस वजह से मदारात करता है कि ऐसा न करने में वह .ज़ुल्म करेगा तो मुज़ाएक़ा नहीं जब कि यह ग़ैर मारूफ़ शख़्स हो। (आलमगीरी)

मसअला : किसी ने कटखना कुत्ता पाल रखा है जो राहगीरों को काट खाता है तो बस्ती वाले ऐसे कुत्ते को क़त्ल कर डालें। बिल्ली अगर तकलीफ़ पहुँचाती है तो उसे तेज़ छुरी से ज़बह कर डाले उसे ईज़ा (तकलीफ़) देकर न मारें।(आलमगीरी)

मसअला : टिड्डी हलाल जानवर है उसे खाने के लिए मार सकते हैं और ज़रर से बचने के लिए भी उसे मार सकते हैं। चींटी ने ईज़ा पहुँचाई और मार डाली तो हर्ज नहीं वर्ना मकरूह है, जूँ को मार सकते हैं अगरचे उसने काटा न हो और आग में डालना मकरूह है। जूँ को बदन या कपड़े से निकालकर ज़िन्दा फेंक देना अदब के ख़िलाफ़ है। (आलमगीरी) खटमल को मारना जाएज़ है कि यह तकलीफ़ देने वाला जानवर है।

मसअला : जिसके पास माल की क़िल्लत है और औलाद की कसरत उसे वसीयत न करना ही अफ़ज़ल है और अगर वुरसा पैसे वाले हों या माल की दो तिहाईयाँ भी उनके लिए बहुत होंगी तो तिहाई की वसीयत कर जाना बेहतर है

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : मर्द को अजनबिया औरत का झूटा और औरत को अजनबिया मर्द का झूटा मकरूह है — बीवी व महारम के झूटे में हर्ज नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) कराहत उस सूरत में है जब कि लज़्ज़त हासिल करने के तौर पर हो और अगर लज़्ज़त हासिल करना मक़सूद न हो बल्कि तबर्रुक के तौर पर हो जैसा कि आलिमे बाअमल और बाशरा पीर का झूटा कि उसे तबर्रुक

समझ कर लोग खाते पीते हैं इसमें हर्ज नहीं।

मसअला : बीवी नमाज़ न पढ़े तो शौहर उसको मार सकता है इसी तरह तर्के ज़ीनत पर भी मार सकता है और घर से बाहर निकल जाने पर भी मार सकता है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : बीवी बेहूदा बल्कि फ़ाजिरा हो तो शौहर पर यह वाजिब नहीं कि उसे तलाक़ ही दे डाले यूँही अगर मर्द फ़ाजिर हो तो औरत पर यह वाजिब नहीं कि उससे पीछा छुड़ाए —— हाँ अगर यह अन्देशा हो कि वह दोनों अल्लाह की हद क़ायम न रख सकेंगे हद से बाहर हो जायेंगे हुक्मे शरा की पाबन्दी न करेंगे तो जुदाई में हर्ज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : हाजत के मौक़े पर क़र्ज़ लेने में हर्ज नहीं जबकि अदा करने का इरादा हो और अगर यह इरादा हो कि अदा न करेगा तो हराम खाता है —— और बग़ैर अदा किए मर गया नियत यह थी कि अदा करेगा तो उम्मीद है कि आख़िरत में उससे मुवाख़िज़ा न हो। (आलमगीरी)

मसअला : जिस का हक़ उसके ज़िम्मे था वह ग़ायब हो गया पता नहीं कि वह कहाँ गया है न यह मालूम कि ज़िन्दा है या मर गया तो उस पर यह वाजिब नहीं कि शहरों शहरों उसे तलाश करता फिरे। (आलमगीरी)

मसअला : जिसका दैन था वह मर गया और मदयून (क़र्ज़दार) दैन से इन्कार करता है। वुरसा उससे वसूल न कर सके तो इसका सवाब दाएन को मिलेगा उसके वुरसा को नहीं —— अगर मदयून ने उसके वुरसा को दैन अदा कर दिया तो बरी हो गया। (आलमगीरी)

मसअला : जिसके ज़िम्मे दैन था वह मर गया वुरसा को मालूम न था कि उसके जिम्में दैन है ताकि तर्का से अदा करे उसने तर्का को ख़र्च कर डाला तो वुरसा से दैन का मुवाख़िज़ा नहीं होगा और अगर वुरसा को मालूम है कि मय्यत के ज़िम्मे दैन है तो उस पर अदा करना वाजिब है अगर वारिस को मालूम था मगर भूल गया इस वजह से अदा न किया जब भी आख़रत में मुवाख़िज़ा नहीं। रखी गई अमानत का भी यही हुक्म है कि भूल गया और जिसकी चीज़ थी उसे नहीं दी तो मुवाख़िज़ा नहीं। (आलमगीरी)

मसअला : मदयून (क़र्ज़दार) दाएन जा रहे थे, रास्ते में डाकूओं ने घेरा मदयून यह चाहता है कि इसी वक़्त मैं दैन अदा कर दूँ ताकि डाकू उसका माल छीन लें और मैं बच जाऊँ ---- इस हालत में दाएन लेने से इन्कार कर सकता है

या उसको लेना ही होगा ? फकीह अबुल लैस रहमतुल्लाहि तआला अलैह यह फरमाते हैं कि दाएन लेने से इन्कार कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला किसी ने कहा फ़लाँ शख़्स की कुछ चीज़ें मैंने खा ली हैं उसे पाँच रूपये दे देना वह न हो तो उसके वारिसों को देना, वारिस न हों तो ख़ैरात कर देना ----- उस शख़्स की सिर्फ़ बीवी है कोई दूसरा वारिस नहीं है अगर औरत यह कहती है कि मेरा दैन महर उसके ज़िम्मे है जब तो रूपये उसी को दिए जायें वर्ना उसे चहारम दिया जाए यानी सवा रूपया जब कि औरत कहे कि उसकी कोई औलाद न थी। (आलमगीरी)

मसअला : अगर जान माल आबरू का अन्देशा है उनके बचने के लिए रिशवत देता है या किसी के ज़िम्मे अपना हक़ है जो बग़ैर रिशवत दिए वसूल नहीं होगा और यह इसलिए रिशवत देता है कि मेरा हक़ वसूल हो जाए –– यह देना जाएज़ है –– यानी देने वाला गुनाहगार नहीं मगर लेने वाला .ज़रूर गुनाहगार है उसको लेना जाएज़ नहीं। इसी तरह जिन लोगों से .ज़बानदराज़ी का अन्देशा हो जैसे बाज़ लुच्चे ऐसे होते हैं कि सरेबाज़ार किसी को गाली दे देना या बेआबरू कर देना उनके नज़दीक मामूली बात है ऐसों को इसी लिए कुछ दे देना ताकि ऐसी हरकतें न करें या बाज़ शायर ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर न दिया जाए तो मज़म्मत में क़सीदे कह डालते हैं उनको अपनी आबरू बचाने और .ज़ुबानबन्दी के लिए कुछ दे देना जाएज़ है।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : भेड़ बकरियों के चरवाहे को इसलिए कुछ दे देना कि वह जानवरों को रात में उसके खेत में रखेगा क्यूँकि उससे खेत दुरूस्त हो जाता है यह नाजाएज़ व रिशवत है अगरचे यह जानवर .ख़ुद चरवाहे के हों और अगर कुछ देना नहीं ठहरा है जब भी नाजाएज़ है क्यूँकि इस मौके पर उरफ़न दिया ही करते हैं तो अगरचे देना शर्त नहीं मगर मशरूत ही के हुक्म में है। इसके जवाज़ की यह सूरत हो सकती है कि मालिक से उन जानवरों को उधार ले ले और मालिक चरवाहे से यह कह दे कि तू उसके खेत में जानवरों को रात में ठहराना अब अगर चरवाहे को एहसान के तौर पर देना चाहे तो दे सकता है, नाजाएज़ नहीं और अगर मालिक के कहने के बाद भी चरवाहा मांगता है और जब तक उसे कुछ न दिया जाए ठहराने पर राज़ी न हो तो यह फिर नाजाएज़ व रिशवत है। (आलमगीरी)

मसअला : बाप को उसका नाम लेकर पुकारना मकरूह है कि यह अदब के

ख़िलाफ़ है। इसी तरह औरत को यह मकरूह है कि शौहर को नाम लेकर पुकारे (दुर्रे मुख़्तार) बाज़ जाहिलों में यह मशहूर है कि औरत अगर शौहर का नाम ले ले तो निकाह टूट जाता है –– यह ग़लत है, शायद इसे इसलिए गढ़ा हो कि इस डर से कि तलाक़ हो जाएगी शौहर का नाम न लेगी।

मसअला : मरने की आरज़ू करना और उसकी दुआ मांगना मकरूह है जब कि किसी दुनयवी तकलीफ़ की वजह से हो मसलन तंगी से गुज़र बसर होती है या दुश्मन का अन्देशा है माल जाने का ख़ौफ़ है और अगर यह बातें न हों बल्कि लोगों की हालतें ख़राब हो गईं, गुनाहों में मुबतला हैं उसे भी अन्देशा है कि गुनाह में पड़ जाएगा तो मौत की आरज़ू मकरूह नहीं। (आलमगीरी)

मसअला : ज़लज़ले के वक़्त मकान से निकलकर बाहर आ जाना जाएज़ है इसी तरह अगर दीवार झुकी हुई गिरना चाहती है उसके पास से भागना जाएज़ है। (आलमगीरी)

मसअला : ताऊन (प्लेग) जहाँ हो वहाँ से भागना जाएज़ नहीं और दूसरी जगह से वहाँ जाना भी न चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो लोग कमज़ोर एतक़ाद के हों और ऐसी जगह गए और मुबतला हो गए उनके दिल में बात आई कि यहाँ आने से ऐसा हुआ, न आते तो काहे को इस बला में पड़ते और भागने में बच गया तो यह ख़्याल कि वहाँ होता तो बचता, भागने की वजह से बचा ऐसी सूरत में भागना और जाना दोनों ममनूअ। ताऊन के ज़माने में अकसर इसी क़िस्म की बातें सुनने में आती हैं और अगर उसका अक़ीदा पक्का है जानता है कि जो कुछ मुक़द्दर में होता है वही होता है न वहाँ जाने से कुछ होता है न भागने में फ़ायदा पहुँचता है तो ऐसे को वहाँ जाना भी जाएज़ है और निकलने में भी हर्ज नहीं कि उसको भागना नहीं कहा जाएगा और हदीस में मुतलक़न निकलने की मुमानअत नहीं बल्कि भागने की मुमानअत है।

मसअला : काफ़िर के लिए मग़फ़िरत की दुआ हरगिज़ हरगिज़ न करे हिदायत की दुआ कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला : एक शख़्स मरा जिसका काफ़िर होना मालूम था मगर अब एक मुसलमान उसके मुसलमान होने की शहादत देता है उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाएगी और मुसलमान मरा और एक शख़्स उसके मुरतद होने की शहादत देता है तो महज़ उसके कहने से उसे मुरतद नहीं क़रार दिया जाएगा और जनाज़े की नमाज़ तर्क नहीं की जाएगी। (आलमगीरी)

मसअला : मकान पर परिन्दे ने घोंसला लगाया और बच्चे भी दिए। बिछौने और कपड़ों पर बीट गिरती है, ऐसी हालत में घोंसला बिगाड़ना और परिन्दे को भगा देना नहीं चाहिए बल्कि उस वक़्त तक इन्तेज़ार करे कि बच्चे बड़े हो कर उड़ जायें। (आलमगीरी)
मसअला : माहे सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुख़्सत नहीं करते और भी इस क़िस्म के काम करने से परहेज़ करते हैं और सफ़र करने से गुरेज़ करते हैं .खुसूसन माहे सफ़र की शुरू की तेरह तारीख़ें बहुत बुरी समझी जाती हैं और उनको तेरहतीज़ी कहते हैं। यह सब जहालत की बातें हैं। हदीस में फ़रमाया कि सफ़र कोई चीज़ नहीं यानी लोगों का उसे मनहूस समझना ग़लत है। इसी तरह ज़ीक़ादा के महीने को भी बहुत लोग बुरा जानते हैं और उसको ख़ाली का महीना कहते हैं यह ग़लत है और हर माह में 3, 13,23,8,18,28 को मनहूस जानते हैं यह भी लग़वियात है।
मसअला : क़मर दर अक़रब यानी चाँद जब बुर्जे अक़रब में होता है तो सफ़र करने को बुरा जानते हैं और नुजूमी उसे मनहूस बताते हैं और जब बुर्जे असद में होता है तो कपड़े कटवाने और सिलवाने को बुरा जानते हैं ऐसी बातों को हरगिज़ न माना जाए यह बातें ख़िलाफ़े शरा और नुजूमियों के ढकोसले हैं।
मसअला : नुजूम की इस क़िस्म की बातें जिनमें सितारों की तासीर बताई जाती हैं कि फ़लाँ सितारा तुलूअ करेगा तो फ़लाँ बात होगी यह भी ख़िलाफ़े शरा है इसी तरह नक्षत्रों का हिसाब कि फ़लाँ नक्षत्र से बारिश होगी यह भी ग़लत है हदीस में इस पर सख़्ती से इन्कार फ़रमाया।
मसअला : माहे सफ़र का आख़री चहारशम्बा (आख़री बुद्ध) हिन्दुस्तान में बहुत मनाया जाता है। लोग अपने कारोबार बन्द कर देते हैं, सैर-ओ-तफ़रीह व शिकार को जाते हैं, पूरियाँ पकती हैं और नहाते धोते .खुशियाँ मनाते हैं और कहते हैं कि हुज़ूर –ए– अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ .गुस्ले सेहत फ़रमाया था और मदीनए तय्यबा के बाहर सैर के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ये सब बातें बेअस्ल हैं बल्कि इन दिनों में हुज़ूर –ए– अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ शिद्दत के साथ था। वह बातें ख़िलाफ़े वाक़े हैं और बाज़ लोग यह कहते हैं कि इस रोज़ बलायें आती हैं और तरह तरह की बातें बयान की जाती हैं। सब बेसुबूत हैं बल्कि हदीस का यह इरशाद "ला सफ़र" यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं, ऐसी तमाम .खुराफ़ात को रद्द करता है।

मसअला : एक शख़्स ने किसी को तकलीफ़ पहुँचाई उससे माफ़ी मांगना चाहता है मगर जानता है कि अभी उसे .गुस्सा है माफ़ नहीं करेगा लिहाज़ा माफ़ी मांगने में ताख़ीर की। इस ताख़ीर में यह माज़ूर नहीं। ज़ालिम ने मज़लूम को बार बार सलाम किया और वह जवाब भी देता रहा और उसके साथ अच्छी तरह पेश आया यहाँ तक कि ज़ालिम ने समझ लिया कि अब वह मुझसे राज़ी हो गया यह काफ़ी नहीं है बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए। (आलमगीरी)

मसअला : इमामा खड़े होकर बांधे और पाजामा बैठ कर पहने जिसने इस का उलटा किया वह ऐसे मर्ज़ में मुबतला होगा जिसकी दवा नहीं।

(ज़ियाउल .कुलूब फ़ी लिबासिल महबूब शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी)

मसअला : कपड़ा पहने तो दाहिनी से शुरू करे यानी पहले दाहिनी आस्तीन या दाहिने पायंचे में डाले फिर बायें में।

मसअला : पाजामा का तकिया न बनाए कि यह अदब के ख़िलाफ़ है और इमामे का भी तकिया न बनाए। (आलाहज़रत)

मसअला : बैल पर सवार होना और उस पर बोझ लादना और गधे से हल जोतना जाएज़ है यानी यह .ज़रूर नहीं कि बैल से सिर्फ़ हल जोतने का काम लिया जाए उस पर बोझ न लादा जाए और गधे पर सिर्फ़ बोझ ही लादा जाए हल न जोता जाए। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : जानवर से काम लेने में यह लिहाज़ .ज़रूरी है कि उसकी ताक़त से ज़्यादा काम न लिया जाए, इतना न लिया ज़ाए कि वह मुसीबत में पड़ जाए जितना बोझ उठा सकता है उतना ही उस पर लादा जाए या जितनी दूर जा सकता है वहीं तक ले जाया जाए या जितनी देर तक काम कर सकता है उतनी ही देर काम लिया जाए, बाज़ यक्का तांगे वाले इतनी ज़्यादा सवारियाँ बैठा लेते हैं कि घोड़ा मुसीबत में पड़ जाता है -- यह नाजाएज़ है। और यह भी .ज़रूर है कि बिला वजह जानवर को न मारे और सर या चेहरे पर किसी हालत में हरगिज़ न मारे कि यह बिलइजमा नाजाएज़ है। जानवर पर .ज़ुल्म करना ज़िम्मी काफ़िर पर .ज़ुल्म करने से ज़्यादा बुरा है और ज़िम्मी पर .ज़ुल्म करना मुस्लिम पर .ज़ुल्म करने से भी बुरा है क्यूँकि जानवर का कोई मुईन व मददगार अल्लाह के सिवा नहीं, उस ग़रीब को इस .ज़ुल्म से कौन बचाए।

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

फ़िक़्ह की कुछ ज़रूरी इस्तेलाहात की परिभाषायें

फ़र्ज़े एतक़ादी : वह जो दलीले क़तई से साबित हो। यानी ऐसी दलील से साबित हो जिसमें कोई शक न हो उसका इन्कार करने वाला हनफ़ी इमामों के नज़दीक मुतलक़ काफ़िर है और अगर यह एतक़ादी फ़र्ज़ आम ख़ास पर खुला हुआ दीने इस्लाम का मसअला हो और उसका कोई इन्कार करे तो वह ऐसा काफ़िर है कि जो उसके कुफ़्र में शक करे वह ख़ुद काफ़िर है। बहरहाल जो किसी फ़र्ज़े एतक़ादी को बिना किसी सही शरई मजबूरी के जान बूझ कर एक बार भी छोड़े वह फ़ासिक़ गुनाहे कबीरा का मुरतकिब और जहन्नम के अज़ाब का मुस्तहक़ है। जैसे नमाज़, रुकू, सजदा।

फ़र्ज़े अमली : वह फ़र्ज़ है जिसका सुबूत ऐसा क़तई तो न हो मगर शरई दलीलों से मुजतहिद की नज़र में यक़ीन है कि बिना उसके किये आदमी बरीउज़्ज़िम्मा न होगा यहाँ तक कि अगर वह किसी इबादत के अन्दर फ़र्ज़ है तो वह इबादत बिना उसके बातिल व बेकार होगी और उसका बिलावजह इन्कार फ़िस्क़ व गुमराही है। हाँ अगर कोई शरई दलीलों में नज़र रखने वाला शरई दलीलों से उसका इन्कार करे तो कर सकता है। जैसे मुजतहिद इमामों के इख़्तेलाफ़ात कि एक इमाम किसी चीज़ को फ़र्ज़ कहता है और दूसरे नहीं। जैसे हनफ़ियों के नज़दीक वुज़ू में चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है और शाफ़ेई मज़हब में एक बाल का और मालिकी मज़हब में पूरे सर का मसह फ़र्ज़ है हनफ़ियों के नज़दीक वुज़ू में बिस्मिल्लाह शरीफ़ का पढ़ना और नियत करना सुन्नत है लेकिन हम्बली और शाफ़ेई मज़हब में फ़र्ज़ है। और इसके अलावा और बहुत सी मिसालें है। इस फ़र्ज़े अमली में हर आदमी उसी की पैरवी करे जिसका वह मुक़ल्लिद है। अपने इमाम के ख़िलाफ़ बिना शरई ज़रूरत के दूसरे इमाम की पैरवी जाइज़ नहीं।

वाजिब एतक़ादी : वाजिब एतक़ादी वह है कि दलीले ज़न्नी से उसकी ज़रूरत साबित हो। फ़र्ज़े अमली और वाजिबे अमली इसी की दो किस्में हैं और वह इन्हीं दो में मुन्हसिर है।

वाजिब अमली : वह वाजिब एतक़ादी है कि बिना उसके किये भी बरीउज़्ज़िम्मा होने का एहतेमाल हो मगर ग़ालिब ज़न (गुमान) उसकी ज़रूरत पर है और अगर किसी इबादत में उसका बजा लाना ज़रूरी हो तो इबादत बे उसके नाक़िस रहेगी मगर अदा हो जायेगी। मुजतहिद दलीले शरई से वाज़िब का इन्कार कर सकता है और किसी वाजिब का एक बार भी जान बूझ कर छोड़ना सग़ीरा गुनाह है और कई बार छोड़ना गुनाहे कबीरा है।

सुन्नते मुअक्किदा : वह जिसको हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो अलबत्ता बयाने जवाज़ के वास्ते कभी छोड़ भी दियां हो या वह कि उसके करने की ताकीद की हो मगर छोड़ने का रास्ता बिल्कुल बन्द न किया हो। इस सुन्नते मुअक्किदा का छोड़ना गुनाह और करना सवाब है और कभी छोड़ने पर सज़ा और सुन्नते मुअक्किदा के छोड़ने की आदत से आदमी अज़ाब का मुस्तहक़ होता है।

सुन्नते ग़ैरमुअक्किदा : वह है कि शरीअत की नज़र में ऐसी चीज़ हो कि उसके छोड़ने को नापसन्द रखे मगर इस हद तक नहीं कि शरीअत उस पर अज़ाब की वईद फ़रमाये। आम इससे कि हुज़ूर ने इस पर हमेशगी की है या नहीं उसका करना सवाब और न करना अगर्चे आदत के तौर पर हो अज़ाब का मूजिब नहीं।

मुस्तहब : वह कि शरीअत की नज़र में उसका करना पसन्द हो मगर उसके छोड़ने पर कुछ नापसन्दी न हो चाहे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे किया या करने के लिये फ़रमाया या आलिमों ने पसंद किया हो अगर्चे उसका ज़िक्र हदीस में न आया हो फिर भी उसका करना सवाब और न करने पर कुछ नहीं।

मुबाह : वह जिसका करना और न करना बराबर हो।

हराम क़तई : यह फ़र्ज़ का मुक़ाबिल (Opposite) है उसका एक बार भी जान बूझ कर करना गुनाहे कबीरा है उसका करने वाला फ़ासिक़ है और इस से बचना फ़र्ज़ और सवाब है।

मकरूहे तहरीमी : यह वाजिब का मुक़ाबिल है इसके करने से इबादत नाक़िस हो जाती है और करने वाला गुनहगार होता है अगर्चे उसका गुनाह हराम से कम है और चन्द बार उसका करना गुनाहे कबीरा है।

इसाअत : जिसका करना बुरा और कभी कभी करने वाला इताबे इलाही का मुस्तहक़ और बराबर करने वाला अज़ाब का मुस्तहक़ है और यह सुन्नते मुअक्किदा के मुक़ाबिल है।

मकरूह तनज़ीही : जिसका करना शरीअत को पसंद नहीं मगर इस हद तक नहीं कि उस पर अज़ाब की वईद आये यह सुन्नते ग़ैर मुअक्किदा के मुक़ाबिल है।

ख़िलाफ़े औला : वह कि जिसका न करना बेहतर था अगर किया तो कुछ हर्ज और अज़ाब नहीं। यह मुस्तहब का मुक़ाबिल है।

इन बातों के बताने के लिये मुख़तलिफ़ किताबों में मुख़तलिफ़ बातें मिलेंगी मगर यही सबका निचोड़ है।

मुश्किल अल्फ़ाज़ के मअनी

शब्द	अर्थ
अख़ज़	लेना
अहलिया	बीवी
अम्वाल	माल की जमा
अजमी	अरब के बाहर का रहनें वाला
अमेंज़िश	मिलावट
अहादीस	हदीस की जमा
अशिया	चीज़
असमाए इलाही	अल्लाह के नाम
अशआर	शेर की जमा
अम्बिया	नबी की जमा
अब्द	.ग़ुलाम या बन्दा
अवामुन्नास	आम लोग
असग़र	छोटा
अज्र	सवाब
अज़ीम	बड़ा
अहले हाजत	हाजतमंद लोग
अफ़ीफ़ा	नेक औरत
आक़ा	मालिक
आरास्ता करना	सजाना
आराइश	सजावट
अस्ले कुल्ली	सिधांत
इस्मे जलालत	अल्लाह का नाम
इस्तेदलाल करना	दलील लाना, सबूत देना
इयादत	मरीज़ की मिज़ाज पुर्सी
इस्तेलाही अल्फ़ाज़	विशेष शब्दावली
इशाअत	शाय करना (Publishing)
इताअत	फ़रमाबरदारी
इसराफ़	फ़ुज़ूल ख़र्ची
इज़ाफ़त	बढ़ाना
इख़लास	ख़ुलूस

इबादते मालिया	माल की इबादत जैसे ज़कात या सदका
इबादते बदनिया	बदन की इबादत जैसे नमाज़ रोज़ा
एंहतेमाल	शक
एंतेमाद	भरोसा
ईज़ा	तकलीफ़
इफ़्तेरा	इलज़ाम
इम्तियाज़	फ़र्क़
क़याम	खड़े होना,
क़ता तअल्लुक़	सम्बंध विच्छेद
कुन्नियत	उर्फ़ियत
क़ारूरा	पेशाब (जांच के लिये)
कैलूला	दोपहर में ज़रा देर के लिए आराम करना
.कुव्वत	ताक़त
क़िब्ला-रू	क़िब्ले की तरफ़
क़याम	खड़े होना जैसे नमाज़ या सलाम के वक़्त
.ख़ुशगुलोई	अच्छे गले से पढ़ना
गदागर	मांगने वाला
ग़ैर इख़्तेयारीया	जो इख़्तेयार में न हो
चहारशम्बा	मंगल
ताएब होना	तौबा करना
तारिक	छोड़ने वाला
तुलू आफ़ताब	सूरज निकलना
तख़सीस	ख़ासियत
तालीक़	Collection
तक़दीस	मुक़द्दस करना
तकब्बुर	घमंड
तदरीस	दर्स देना, पढ़ाना
तसल्लुत	क़ब्ज़ा
तक़र्रुर	Selection
तवक्कुल	भरोसा
तारीख़े विसाल	इन्तेक़ाल की तारीख़
ताख़ीर	देर

तकलीद	पैरवी
तारिके दुनिया	दुनिया को छोड़ देने वाला
तफ़सीर	Explanation
ताबईन	सहाबियों के बाद वाले बुज़ुर्ग
दोशम्बा	इतवार
दाएन	ऋणदाता
दुर्रे नायाब	नायाब मोती
निफ़ाक़	दिल में कुछ ज़ाहिर कुछ जैसे मुनाफ़िक़
नफ़्क़ा	खाना पीना कपड़ा वग़ैरा
निदामत	शर्मिन्दगी
नुफ़सा	जो निफ़ास की हालत में हो
नाअहल	नाक़ाबिल
पेशानी	माथा
पंजशम्बा	बुध
फ़िक़्हे इस्लामी	इस्लामी मसाइल का इल्म
फ़ुनून	फ़न की जमा
फ़ासिक़े मोलिन	जो खुले आम कबीरा गुनाह करे
फ़राइज़	फ़र्ज़ की जमा
बेशक़ीमत	क़ीमती
बिदअत	नया काम
बिदअते हसना	वह नया काम जो अच्छा हो
बिदअते सइया	वह नया काम जो बुरा हो
बय	ख़रीद फ़रोख़्त
बाय	विक्रेता
बरिउज़्ज़िमा	ज़िम्मेदारी से बरी
मआसियत	गुनाह
मस्तूरात	महिलायें
मन्सूख़	ख़त्म किया गया
मारातिबे आलिया	बड़ा मर्तबा
मुसाबक़त	प्रतियोगिता (Competition)
मुद्दई	दावेदार
मुक़द्दस	बड़ा

मसाकीन	बहुत ज़्यादा ग़रीब लोग
मुतवक्किल	ख़ुदा पर भरोसा करने वाला
मुलाज़मीन	नौकर (Service Men)
मुफ़ीद	फ़ायदेमंद
मुनाफ़िक़	निफ़ाक़ करने वाला जो ज़ाहिर में मुसलमान बने मगर दिल से काफ़िर हो
मुनाफ़क़ीन	मुनाफ़िक़ की जमा
मुदाख़लत	दख़ल देना
मुक़तदा	पेशवा
मुज़ाएका	हर्ज
मुवाख़िज़ा	पूछताछ
मदयून	ऋणी
मुआनक़ा	गले मिलना
मोहतमिम	ऐहतेमाम करने वाला जैसे चेयरमैन
मुसलसल	लगातार
मुशरिकाना रस्में	शिर्क की रस्में
मुर्ग़े बिस्मिल	ज़िबाह किया हुआ मुर्ग़
मुअज़्ज़ेज़ीन	इज़्ज़त वाले लोग
मुमानअत होना	मना होना
मम्नूअ	मना
मोतबर	ऐतेमाद के क़ाबिल
मुश्रिक	शिर्क करने वाला
मुजाहिद	जिहाद करने वाला
मज़लूम	जिस पर ज़ुल्म हो
मज़म्मत	भर्तस्ना
मुनाज़िर	मुनाज़रा करने वाला (बहस करने वाला)
मुदर्रिस	दर्स देने वाला
महारिम	जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम है
मुजतमा	इकट्ठे होकर
मुत्तेला करना	इत्तेला करना
मुनक़्क़श	नक़्श से सजावट
मुनक़ता	ख़त्म

मज़ामीर	बाजे गाजे
मसाइले फ़िक़्हिय्या	फ़िक़्ह के मसअले
यकशम्बा	हफ़्ता
रिया	दिखावा
रिइयत	प्रजा
रूखसार	गाल
लग़्व	बेहूदा
लगवियात	बेहूदगी
लग़्व व लईब	खेल कूद वग़ैरा
विलादत	पैदाइश
वुरसा	वारिस की जमा
वक़अत	Value
वज़ा क़ता	तौर तरीक़ा
वती	सम्भोग
वईद	अज़ाब की ख़बर
जिमा	सम्भोग
जमा	बहुवचन
ज़रर	नुक़सान
ज़ौजैन	मियाँ बीवी
ज़राअत	खेती
ज़ियाफ़त	मेहमानी
ज़ेबाइश	सजावट
ज़ाती	निजी (Personal)
ज़हन नशीन	दिमाग़ में बैठाना
जुनुब	बेग़ुस्ला
शेआर	निशानी
शुजाअत	बहादुरी
शहवत	सम्भोग की ख्वाहिश
शबे ज़ुफ़ाफ़	सुहागरात
सैशम्बा	मंगल
साबक़ीन	पिछले
सिद्क़	सच्चा

सफ़ीना	कश्ती जहाज़ वग़ैरा
साइल	सवाल करने वाला, मांगने वाला
स़ालेह	नेक मर्द
स़ालेहा	नेक औरत
हसद	ईर्ष्या
ह़याते जाहिरी	ज़ाहिरी ज़िन्दगी
हजराम	सम्बंध विच्छेद
हुक़ूक़ुल इबाद	बन्दों के हुक़ूक़
हाएज़ा	वह औरत जो मासिक धर्म की हालत में हो
हिमाक़त	बेवक़ूफ़ी
हाज़रीन	हाज़िर लोग

जनाब मुह़म्मद अह़मद साहब की अब तक की छपी हुई किताबों का तआरुफ़

अल्लाह तआला की रह़मत और उसके ह़बीबे पाक मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके और हुज़ूर ग़ौसे आज़म और मशाइख़े किराम के फ़ज़्ल व करम से अब तक 26 किताबें जनाब मुह़म्मद अह़मद साहब की हिन्दी में छप चुकी हैं जिनमें से कुछ किताबों का मुख़्तसर तआरुफ़ यहाँ आपको कराया जा रहा है। इन सभी किताबों की अपनी अलग अहमियत है और इन किताबों के ज़रिए हिन्दी दाँ तबक़ा अपने ईमान व अमल की इस्लाह कर सकता है। अल्लाह तआला जनाब मुह़म्मद अह़मद साहब और इस काम में जुड़े उनके साथ सभी हज़रात को ईमान पर क़ाइम रहने और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेता रहे और ईमान पर ख़ातिमा नसीब फ़रमाए आमीन। पढ़ने वालों से गुज़ारिश है कि जहाँ भी कोई ग़ल्ती पायें उसकी इत्तेला सफ़ा नम्बर के साथ उनके मकतबे 'आलाहज़रत दारुल कुतुब 28, इस्लामिया मार्केट बरेली शरीफ़' को करें। इन्शा अल्लाह तआला अगले एडीशन में उसे ठीक किया जाएगा।

बहारे शरीअत

आलाहज़रत इमाम अह़मद रज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु के ख़लीफ़ा जलीलुश्शान फ़क़ीहे आज़मे हिन्द सदरुश शरिआ हज़रत मौलाना शाह अल्लामा मुह़म्मद अमजद अली अलैहिर्रह़मा की यह किताब बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। इस किताब का हिन्दी तर्जमा जनाब मुह़म्मद अह़मद साहब ने किया और उसे कुछ इस अन्दाज़ में आसान करने की भी कोशिश की गई है कि आम आदमी की समझ में आ जाए। इस किताब के बीस हिस्से हैं मगर अभी तक पाँच हिस्से एक साथ एक ही जिल्द में छपे हैं और अब इरादा यह है कि इस मर्तबा पाँचों हिस्से के साथ छटे हिस्से को भी शामिल कर दिया जाए सोलहवाँ हिस्सा इस्लामी अख़्लाक़ ओ आदाब के नाम से छपा है। इस

किताब के पहले हिस्से में अल्लाह रसूल और नबियों के बारे में अक़ीदे, फ़रिश्तों और जिन्न का बयान है। इसके अलावा पहले ही हिस्से में आलमे बरज़ख़ क़ब्र, हश्र, जन्नत और दोज़ख़ का बयान है और चन्द फ़िरक़ों के बारे में भी बताया गया है। इसके दूसरे हिस्से में वुज़ू, .गुस्ल, तयम्मुम, वग़ैरा का बयान है और साथ ही औरतों के मसाइल हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान भी है। दूसरे ही हिस्से में नजासत और नजासत को पाक करने का बयान भी है। इस किताब के तीसरे हिस्से में अज़ान व नमाज़ का बहुत ही तफ़सील के साथ बयान है। चौथे हिस्से में नफ़्ल नमाज़ों का बयान, क़ज़ा नमाज़ों का बयान, जुमे के मुतअल्लिक़ अहकाम और मरीज़ की नमाज़ का बयान है। चौथे ही हिस्से में मौत आने और मय्यत के नहलाने व कफ़न दफ़न का बयान भी है। पाँचवें हिस्से में ज़कात व रोज़े का बहुत तफ़सील के साथ बयान है। लिहाज़ा यह किताब पढ़ने से तअल्लुक़ रखती है। इस किताब के छटे हिस्से में हज का बयान है और छटे हिस्से में हज व ज़ियारत के मुतअल्लिक़ ख़ूब खोल कर बयान किया गया है।

सच्ची हिकायात

मौलाना अबुन्नूर बशीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की यह किताब उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर है। इसमें बुज़ुर्गों की सैकड़ों हिकायात हैं और साथ ही साथ हर हिकायत से हासिल होने वाले सबक़ भी लिख दिए गए हैं और इन सबक़ों से जहाँ हज़ारों नसीहतें मिलती हैं वहाँ हमारे बुज़ुर्गों के तसर्रुफ़ात, इख़्तियारात, इल्मे ग़ैब, बुज़ुर्गों का मदद फ़रमाना वग़ैरह का भी सुबूत मिलता है। हर हिकायत के साथ हवाला भी दिया गया है कि यह हिकायत कहाँ से ली गई है। लगभग सारी ही हिकायात मशहूर -ओ- मारूफ़ किताबों से ली गई हैं। पाँचों हिस्सों में दस बाब हैं पहले बाब में बारी तआला से मुतअल्लिक़ हिकायात और दूसरे बाब में हमारे आक़ा सय्यदुल अम्बिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तीसरे बाब में कुछ नबीयों से मुतअल्लिक़ हिकायात हैं। चौथे बाब में ख़ुलफ़ाए राशेदीन

पाँचवें बाब में सहाबाए किराम छटे बाब में अहले बैते इज़ाम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का ज़िक्र और उनसे मुतअल्लिक़ बहुत सी हिकायात हैं। सातवें बाब में अइम्माए किराम और आठवें बाब में औलियाए किराम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से मुतअल्लिक़ हिकायात हैं। नवाँ बाब सलातीने इस्लाम से मुतअल्लिक़ है और आख़िरी दसवें बाब में मुख़्तलिफ़ हिकायात हैं। इस किताब के पाँचवें हिस्से में कुछ हिकायात और भी शामिल की गई हैं जिनके हवाले भी दे दिए गए हैं। यह बढ़ी हुई हिकायात भी पढ़ने से तअल्लुक़ रखती हैं। कुछ मुशकिल हिकायात जो उर्दू में थीं उन्हें हटा दिया गया है। ऐसा हिन्दी वालों की दुशवारी की वजह से किया गया है फिर भी अगर कोई उसे पढ़ना चाहे तो उर्दू वाली से पढ़े।

सवानेहे आलाहज़रत

आलाहज़रत मुजद्दिद दीन -ओ- मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु के जीवन परिचय पर यह पहली किताब है जो 150 सफ़हात पर है, अभी तक इतनी बड़ी किताब आलाहज़रत पर हिन्दी में नहीं छपी। इसे जनाब मुहम्मद अहमद साहब बरेलवी ने कई किताबों की मदद से मुरत्तब किया है और कुछ जदीद मौज़ूआत को भी इसमें पेश किया गया है बहरहाल पढ़ने से तअल्लुक़ रखती है। उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद इस किताब में आलाहज़रत के बारे में और जानकारी बढ़ाई जाएगी।

हमारे ग़ौसे आज़म

सरकारे ग़ौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु की सीरते पाक पर जनाब मौलाना मुहम्मद शरीफ़ साहब नूरी और जनाब मुहम्मद अहमद साहब बरेलवी की मुरत्तबा इस किताब में सरकारे ग़ौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के बचपन से लेकर विसाल तक के हालात हैं। यह किताब 304 सफ़हात पर है और इसमें 100 से ज़्यादा करामात भी हैं। सरकारे ग़ौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु की सीरते पाक पर अभी तक हिन्दी ज़बान में इतनी बड़ी किताब नहीं आई। हमारी नई नसल जो ग़ौसे पाक को सिर्फ़ बड़े पीर साहब की तरह ही जानती

हैं उसके लिए यह किताब बहुत ही मुफ़ीद है और सरकारे ग़ौसे आज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के बारे में हिन्दी ज़बान में इस किताब में वह पढ़ने को मिलेगा जो हिन्दी वालों ने अभी तक नहीं पढ़ा। इस किताब को ज़रूर पढ़ें।

शरहे सलामे रज़ा

आलाहज़रत मुजद्दिदे दीन -ओ- मिल्लत शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ाँ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के सलाम की शरह (Explanation) उर्दू ज़बान में 500 से ज़्यादा सफ़हात पर शाए हो चुकी है जिसकी शरह मुफ़्ती मुह़म्मद अह़मद ख़ाँ क़ादिरी (पाकिस्तान) ने की जो कि पढ़ने से तअल्लुक़ रखती है। इसी सलाम के लगभग चालीस अश्आर की शरह जनाब मुह़म्मद अह़मद साहब बरेलवी ने हिन्दी ज़बान में की जो कि बहुत मुख़्तसर 32 सफ़हात पर छप चुकी है। सलामे रज़ा के पढ़ने वालों से गुज़ारिश है कि इस किताब को उर्दू ही में पढ़ें और जिनसे न हो सके वह हिन्दी में पढ़ें और बचपन से पढ़ते आ रहे अपने आक़ा पर लिखे इस सलाम के अशआ़र को समझने की कोशिश एक बार ज़रूर करें। आप इश्क़े रसूल से झूम उठेंगे। वैसे तो सलाम और दुरूद के बारे में अल्लाह का हुक्म है और सलाम पढ़ना हम सुन्नियों की पहचान है मगर अगर कोई बदमज़हब भी इस शरह को पढ़ेगा तो उम्मीद की जाती है कि वह भी सलाम से महब्बत करने लगेगा और हो सकता है कि उसे ईमान की तौफ़ीक़ नसीब हो। और जिसकी क़िस्मत में ईमान ही न हो वह इससे अलग है।

ताज़ीमी सजदा हराम है

मुजद्दिदे आज़म आलाहज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ाँ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का यह लाजवाब रिसाला 'अज़्ज़ुबतुज़्ज़क़िय्यह लितहरीमे सुजूदित्तहिय्यह' का हिन्दी में तर्जमा जनाब मुह़म्मद अह़मद साहब बरेलवी ने किया जिसको जदीद तरतीब के साथ जनाब मौलाना मुह़म्मद सिद्दीक़ हज़ारवी पाकिस्तानी ने की और जिसकी हिन्दी की तस्हीह मौलाना शकील साहब नूरी मिस्बाही मुदर्रिस जामे नूरिया रज़विया बरेली शरीफ़ ने की है। इस रिसाले में यह साबित किया गया

है कि अल्लाह के सिवा किसी को इबादत की नियत से सजदा करना कुफ़्र है और ताज़ीम की नियत से सजदा करना हराम है कुफ़्र नहीं। यह रिसाला उन लोगों के मुँह पर तमाचा है जो सुन्नियों पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाते हैं और उन लोगों के लिए भी साफ़ साफ़ जवाब है जो अपनी हठधर्मी की वजह से अपने मुरीदों से सजदा करवाते हैं या मुरीद जहालत से अपने पीरों को या मज़ारों को सजदा करते हैं।

तक़दीर ओ तदबीर

तक़दीर ओ तदबीर के नाम से शाए इस किताब में मुजद्दिदे आज़म आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु के दो रिसाले हैं। पहला 'रिसाला अत्तहबीर बिबाबित्तदबीर' में एक बेहद बकवास सवाल का जवाब है कि मआज़ अल्लाह तदबीर कोई चीज़ नहीं है और सब कुछ तक़दीर से है यानी इन्सान को बिल्कुल मजबूर कहा गया जबकि ऐसा नहीं है क्यूँकि इन्सान न तो बिल्कुल मजबूर है न उसे पूरी तरह इख़्तियार दिया गया है। ----- दूसरा रिसाला 'सलजुस्सद्र लिईमानिल क़द्र' में इस सवाल का जवाब दिया गया है कि जब इन्सान तक़दीर में होने की वजह से सब काम करता है तो उसे अज़ाब या सवाब क्यूँ दिया जाएगा। ----- ये दोनों ही रिसाले पढ़ने से तअल्लुक़ रखते हैं और हुज़ूर आलाहज़रत ने क्या ही ख़ूब जवाब अता फ़रमाया है।

चालीस अहादीसे शफ़ाअत

किसी ने मुजद्दिदे आज़म आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत किस हदीस से साबित है तो हुज़ूर आलाहज़रत ने चालीस बड़ी ही प्यारी दिल को छू लेने वाली हदीसें हम गुनहगारों के लिए मुरत्तब फ़रमाई जो हम गुनहगारों के ईमान को ताज़ा करतीं हैं सरदारे दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महब्बत दिल में बढ़ाती हैं और शफ़ाअत का यक़ीन दिलाती हैं। इस किताब की तसहीह जनाब मौलाना सग़ीर अख़्तर साहब मुदर्रिस जामिया नूरिया रज़विया बरेली शरीफ़ ने की।

दावते फ़िक्र

यह किताब बदमज़हबों ख़ुसूसन वहाबियों के रद्द में है। इसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि ईमान अगर सलामत रहा तो सब ठीक वर्ना बेईमान के लिए जहन्नम ही है। उसके बाद क़ियामत के क़रीब होने वाले मुसलमानों के फ़िरक़ों के बारे में हुज़ूर की पेशीनगोईयों का ज़िक्र है फिर इस दौर के सबसे बदतर फ़िरक़ए वहाबिया का इतिहास और उसके रद्द का इतिहास है और यह बताया गया है कि सुन्नी वहाबी झगड़ा सिर्फ़ नियाज़ नज़्र का नहीं बल्कि अस्ल झगड़ा इस बात का है कि वहाबियों ने अल्लाह व रसूल की शान में गुस्ताख़ियाँ की हैं और साथ ही सुबूत के लिए उनकी कुफ़्री इबारात की फ़ोटो कापी और उस किताब के कवर की भी फ़ोटो कापी दी गई। बदमज़हबों के अहकाम और उनके पीछे नमाज़ का हुक्म और उनसे निकाह का क्या हुक्म है इसका बयान भी है। साथ ही साथ मुसलमानों की उन बदआमालियों का ज़िक्र भी है जो वहाबियों को मौक़ा दे रहीं हैं अहले सुन्नत वल जमाअत को ग़लत साबित करने का। यह किताब उर्दू में दावते ग़ौर ओ फ़िक्र के नाम से शाय हुई। इस किताब की तसहीह जनाब मौलाना सग़ीर अख़्तर साहब मुदर्रिस जामिआ नूरिया रज़विया बरेली शरीफ़ ने की है।

रिसाला ताज़ियादारी

ताज़ियादारी के बारे में मुजद्दिदे आज़म आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु से किए गए सवालों के जवाबों को इकट्ठा करके यह रिसाला तैयार किया गया है जो कि ताज़ियों और ताज़ियादारों के ख़िलाफ़ है और जाहिलों के लिए सबक़ और बदमज़हबों को यह बताता है कि हम सुन्नी राइज ताज़ियों को सही नहीं मानते। आजकल जो ताज़ियादारी राएज है उसमें अकसर बातें शिर्क हरगिज़ नहीं जैसा कि वहाबी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं हाँ बहुत सी बातें बिदअत ज़रूर हैं इसका सुबूत भी इस रिसाले में है। इस रिसाले में उन बातों को सख़्ती से मना किया गया है जो ख़ुराफ़ात आजकल ताज़ियादार करते हैं मसलन खाना लुटाना, तख़्त व झूटी करबला बनाना वग़ैरह।

इरशादाते आलाहज़रत

मुजद्दिदे आज़म आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु के चन्द इरशादात को जनाब अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी साहब ने एक जगह जमा किया है। इस किताब में ज़्यादातर अवाम में फैली बदआमालियों जैसे ताज़ियादारी, ग़ैर शरई क़व्वाली, औरतों की मज़ारात पर हाज़िरी और वाज़ को पेशा बनाना वग़ैरह से मुतअल्लिक़ हुज़ूर आलाहज़रत के इरशादात को जमा किया गया है जो पढ़ने से तअल्लुक़ रखती है।

बन्दों के हुक़ूक़

मुजद्दिदे आज़म आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से माँ बाप, उस्ताज़, औलाद और हुक़ूक़े मुस्लिम के अलावा एक रिसाला 'आजबुल इमदाद फ़ी मुकफ़्फ़िराति हुक़ूक़िल इबाद' हुक़ूक़ुल इबाद के बारे में है। इस रिसाले में उन लोगों को नसीहत है जो लोगों के पैसे या माल मार लेते हैं या दूसरों के माल पर नियत ख़राब करते और हड़प लेते हैं। काश आज के बदअमल मुसलमान इस पर अमल करें और जानें कि किसी का माल या पैसा मारना कितना सख़्त है कि अल्लाह तआला ने साफ़ फ़रमा दिया कि मैं माफ़ न करूँगा बन्दे ही से माफ़ कराना होगा।

दावते मय्यत

तीजा और चालीसवाँ को जो आजकल दावत बना दिया गया है उसके रद्द में मुजद्दिदे आज़म आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु का यह रिसाला 'जलियुस्सौत लिनहयिल दावते अमामल मौत' उन लोगों के लिए नसीहत है जिन्होंने बिरादरी में नाक कटने के डर से तीजे और चालीसवें वग़ैरह को दावत बना दिया है। इस रिसाले में यह भी समझाया गया है कि तीजे चालीसवें के खाने को कौन कौन खा सकता है और ऐसे कामों के लिए क़र्ज़ लेना कैसा है।

तम्हीदे ईमान

मुजद्दिदे आज़म आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु का यह रिसाला 'तम्हीदे ईमान बाआयाते .कुर्आन' बड़ा ही लाजवाब रिसाला है। जिसमें ईमान की अहमियत के साथ साथ यह भी बताया गया है कि बदमज़हब से दोस्ती रखने के क्या क्या नुक़सानात हैं और बदमज़हब से दुश्मनी रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं और दोस्ती और दुश्मनी के सुबूत में .कुर्आन की आयात हैं जिनका इन्कार किया ही नहीं जा सकता। जनाब मुहम्मद अहमद साहब बरेलवी ने इसकी हिन्दी करते वक़्त इस बात का ख़याल किया कि यह किताब आसान हो जाए और साथ ही वो इबारात जिनका ज़िक्र करते हुए हुज़ूर आलाहज़रत ने बताया कि वहाबियों ने ऐसा ऐसा बका उन इबारात की फ़ोटो कापी भी इसमें लगा दी ताकि हिन्दी वालों को आसानी रहे। इस किताब की तस्हीह मौलाना शकील साहब नूरी मिस्बाही मुदर्रिस जामेअ नूरिया रज़विया बरेली शरीफ़ ने की है।

नात

पुल से उतारो राह गुज़र को ख़बर न हो
जिब्रील पर बिछायें तो पर को ख़बर न हो
कांटा मेरे जिगर से ग़मे रोज़गार का
यूँ खींच लीजिए के जिगर को ख़बर न हो
फ़रयाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में
मुमकिन नहीं के ख़ैरे बशर को ख़बर न हो
कहती है ये बुराक़ से उसकी सुबकरवी
यूँ जाईये के गर्दे-सफ़र को ख़बर न हो
फ़रमाते हैं ये दोनों के हैं सरदारे दो जहाँ
ऐ मुरतज़ा अतीक़ ो उमर को ख़बर न हो
ऐसा गुमा दे उनकी विला में ख़ुदा हमे
ढूंडा करें पर अपनी ख़बर को ख़बर न हो
आ दिल हरम से रोकने वालों से छुप के आज
यूँ उठ चलें के पहलू ो बर को ख़बर न हो
तैरे हरम है ये कहीं रिश्ता बपा न हो
यूँ देखिए कि तारे नज़र को ख़बर न हो
ऐ ख़ारे तैबा देख के दामन न भीग जाए
यूँ दिल में आ के दीदए तर को ख़बर न हो
ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं
अच्छा वो सजदा कीजे के सर को ख़बर न हो
उनके सिवा "रज़ा" कोई हामी नहीं जहाँ
गुज़रा करे पिसर पे पिदर को ख़बर न हो

पुल – यानी पुल सिरात जिस पर से होकर रोज़े क़यामत हर एक को गुज़रना है जो तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा महीन होगा। राहगुज़र – रास्ता, ग़मे रोज़गार – दुनिया का रंज, हाले ज़ार – बुरा हाल, ख़ैरुल बशर – सबसे बेहतरीन इन्सान यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, सुबकरवी – तेज़रफ़्तारी, मुरतज़ा – हज़रते मौला अली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का लक़ब, अतीक़ – हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का लक़ब, गुमा दे – फ़ना कर दे, पहलू ो बर – बाज़ू और सीना, तैरे हरम – हरम की चिड़िया, रिश्ता बपा न होना – जाल में फ़ंस न जाना, ख़ारे तैबा – मदीने शरीफ़ के कांटे, दीदए तर – आंसू भरी आंखें, शौक़े दिल – दिल की ख़्वाहिश, रवा – ज़ाएज़, हामी – मददगार, पिसर – बेटा, पिदर – बाप।

नात

अर्श की अक्ल दंग है चर्ख़ में आसमान है
जाने मुराद अब किधर हाए तेरा मकान है
बज़्मे सनाए ज़ुल्फ़ में मेरी अरूसे फ़िक्र को
सारी बहारे हश्ते ख़ुल्द छोटा सा इत्रदान है
अर्श पे जा के मुर्ग़े अक़्ल थक के गिरा ग़श आ गया
और अभी मन्ज़िलों परे पहला ही आसतान है
अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फ़र्श पे तुर्फ़ा धूम धाम
कान जिधर लगाइये तेरी ही दास्तान है
इक तेरे रुख़ की रोशनी चैन है दो जहान की
इन्स का उन्स उसी से है जान की वही जान है
वह जो न थे तो कुछ न था वह जो न हों तो कुछ न हो
जान हैं वह जहान की जान है तो जहान है
गोद में आलमे शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ
गुलबने बाग़े नूर की और ही कुछ उठान है
तुझसा सियाहकार कौन उनसा शफ़ीअ है कहाँ
फिर वह तुझी को भूल जायें दिल ये तेरा गुमान है
पेशे नज़र वह नौबहार सजदे को दिल है बेक़रार
रोकिए सर को रोकिए हाँ यही तो इम्तहान है
शाने ख़ुदा न साथ दे उनके ख़िराम का वो बाज़
सिदराह से ता ज़मीं जिसे नर्म सी एक उड़ान है
बारे जलाल उठा लिया गरचे कलेजा शक हुआ
यूँ तो ये माहे सब्ज़ रंग नज़रों में धान पान है
ख़ौफ़ न रख 'रज़ा' ज़रा तू तो है अ़ब्दे मुस्तफ़ा
तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है

चर्ख़ – चक्कर, जाने मुराद – महबूब, बज़्म – महफ़िल, सनाए ज़ुल्फ़ – गेसू या बाल की तारीफ़, हश्ते ख़ुल्द – आठों जन्नत, छेड़छाड़ – बातचीत, तुर्फ़ा – नया या अनोखा, इन्स – इन्सान, उन्स – महब्बत, आलमे शबाब – जवानी का आलम, गुलबन – फूल, सियाहकार – गुनाहगार, शफ़ीअ़ – सिफ़ारिश करने वाला, पेशे नज़र – नज़र के सामने, नौबहार – यहाँ मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हैं, ख़िराम – रफ़्तार, बाज़ – एक जानवर का नाम, बारे जलाल – गुस्से का बोझ, धान पान – दुबला पतला, अ़ब्दे मुस्तफ़ा – मुस्तफ़ा का गुलाम, अमान – चैन व सुकून।

मुनाजात

या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो
जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो

या इलाही भूल जाँऊ नज़अ की तकलीफ़ को
शादीए दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो

या इलाही गोरे तीरा की जब आये जब सख़्त रात
उनके प्यारे मुँह की सुबहे जाँफ़िज़ा का साथ हो

या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर
अम्न देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो

या इलाही जब ज़बानें बाहर आयें प्यास से
साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो

या इलाही सर्द मेहरी पर हो जब ख़ुर्शीदे हश्र
सय्यदे बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ हो

या इलाही गर्मीए महशर से जब भड़कें बदन
दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो

या इलाही नामए आमाल जब खुलने लगें
ऐब पोशे ख़ल्क़, सत्तारे ख़ाता का साथ हो

या इलाही जब बहें आंखें हिसाबे जुर्म में
उन तबस्सुम रेज़ होटों की दुआ का साथ हो

या इलाही जब हिसाबे ख़न्दए बेजा रुलाए
चश्मे गिरयाने शफ़ीए मुरतजा का साथ हो

या इलाही रंग लायें जब मेरी बेबाकियाँ
उनकी नीची नीची नज़रों की हया का साथ हो

या इलाही जब चलूँ तारीक राहे पुलसिरात
आफ़ताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो

या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े
रब्बे सल्लिम कहने वाले ग़मज़ुदा का साथ हो

या इलाही जो दुआये नेक हम तुझसे करें
क़ुदसियों के लब से आमीं रब्बना का साथ हो

या इलाही जब 'रज़ा' ख़्वाबे गिराँ से सर उठाये
दौलते बेदारे इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो

मुनाजात के कुछ मुश्किल मअनी

मुश्किल कुशा → मुश्किल दूर करने वाले, नज़ा की तकलीफ़ → मौत के वक़्त जो तकलीफ़ होती है उसे नज़ा की तकलीफ़ कहते हैं, शादिए दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा → रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखने की ख़ुशी, गोरे तीरा → अंधेरी क़ब्र, सुबहे जौंफ़िज़ा → ख़ुश करने वाली सुबह, शोरे दारो गीर → पकड़ धकड़ का शोर, साहिबे कौसर → कौसर जन्नत के एक चश्मे का नाम है जो रोज़े क़यामत जारी होगा ---- साहिबे कौसर यानी कौसर के मालिक यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु तअला अलैहि वसल्लम, सर्द महरी → बेरहमी, बेमुरव्वती ख़ुर्शीदे हश्र → क़यामत के दिन का सूरज, सय्यदे बेसाया → यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जिनका साया न था, ज़िल्ले लिवा → हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के झंडे का साया, ऐब पोशे ख़ल्क़ → मख़लूक़ के ऐब छुपाने वाले, सत्तारे ख़ता → ख़ता ढकने वाले, हिसाबे जुर्म में → जुर्म के हिसाब में, तबस्सुम रेज़ होंट → मुस्कराते होंट, ख़न्दए बेजा → बेमौक़े की हंसी, चश्मे गिरयाने → रोती हुई आंखें, शफ़ीअ → शफ़ाअत करने वाले, मुरतजा → जिससे उम्मीदें लगी हों, आफ़ताबे हाशमी → हाशमी ख़ानदान के सूरज, नूरुल हुदा → हिदायत की रोशनी, सरे शमशीर → यानी पुलसिरात पर जो कि तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा महीन होगा, रब्बिसल्लिम → जब हुज़ूर के उम्मती पुलसिरात से गुज़रेंगे तब हुज़ूर वहाँ पर खड़े फ़रमा रहे होंगे रब्बिसल्लिम यानी ऐ अल्लाह इन्हें सलामती से गुज़ार दे, ग़मजुदा → ग़म दूर करने वाले, क़ुदसी → फ़रिशते, ख़्वाबे गिराँ → बहुत गहरी नीद, दौलते बेदारे इश्क़े मुस्तफ़ा → हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जीती जागती महब्बत।

क़ता

अल्लाह की सर ता ब क़दम शान हैं ये
इनसा नहीं इन्सान वह इन्सान हैं ये
क़ुरआँ तो ईमान बताता है इन्हें
ईमान यह कहता है मेरी जान हैं ये